हिन्दुस्थान वार्षिकी
१९६८-६९

(विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा शिक्षण सस्थाओ एव पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत)

सम्पादक
अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार,
हरिदत्त पाठक



प्रकाशक
हिन्दुस्थान समाचार
(प्रसंग-लेख एवं प्रकाशन विभाग)
मंडी हाउस, नई दिल्ली-१

प्रकाशक
हिंदुस्थान समाचार
(प्रमग-लस एव प्रकाशन विभाग)
मंडी हाउस, नई दिल्ली १

चित्र
मुखपृष्ठ—रवीन्द्र कुमार गुप्ता
अन्तिम पृष्ठ—नानावाग

तृतीय संस्करण विजयादशमी १९६८

मूल्य पन्द्रह रुपये मात्र

मुद्रक
नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (सोसिज ऑफ अर्जुन प्रेस)
नया बाजार, दिल्ली ६

भूमिका

राष्ट्रभाषा के रूप मे हिन्दी का विरोध तो जहा-तहा होता है, मगर मन ही मन विरोधी यह भी समझते है कि हिन्दी का आना विल्कुल अटल है। उसके आगमन को रोकने वाली सारी कोशिशे वेकार होगी। जातिया केवल तात्कालिक निर्णय करके नही वढती। वे उन निर्णयो के वल से अधिक प्रगति करती है, जो उनके इतिहास से निकलते है। भारत की कोई भाषा अग्रेजी का स्थान ले, यह निर्णय भारत के इतिहास का है। इतिहास जो कुछ चाहता है, वही होकर रहेगा। अगर हम इतिहास के विरुद्ध जाना चाहेगे, तो प्रगति तो हमारी होगी ही नही, क्षति हमारी अपार होगी।

हिन्दी भाषियो को हिन्दी के लिए जितना काम, रचनात्मक तौर पर करना है, उतना काम करना उनसे पार नही लग रहा है। लेकिन वे हाथ पर हाथ धर-कर वैठे भी नही है। ज्ञान-विज्ञान की जितनी पुस्तके हिन्दी मे पिछले २० वर्षो मे प्रकाशित हुई है, उतनी पुस्तके भारत की किसी भी अन्य भापा मे नही निकली है।

शब्द-कोप निकालने की परम्परा भारत की किसी भी भापा मे नही थी। प्रसन्नता की वात है कि यह कार्य हिन्दी मे तीन स्थानो से प्रारम्भ हुआ है। शब्द-कोप विहार राष्ट्रभाषा परिपद् भी निकालती है, उसका प्रकाशन सूचना व प्रसारण मन्त्रालय से भी होता है और इधर तीन वर्पो से एक शब्द-कोष हिन्दुस्थान समाचार भी निकालने लगा है, जो अपने ढग का अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है।

इस प्रकार शब्द-कोप के अभाव की पूर्ति के प्रयास कई स्थानो से किये जा रहे है। मगर दु ख की वात है कि हमारे सभी जिला गजेटियर अभी भी केवल अग्रेजी मे ही उपलब्ध है। इधर हालत यह है कि विधान-सभाओ के अधिकाश सदस्य अग्रेजी गजेटियर का उपयोग ही नही कर सकते। किन्तु यह कार्य ऐसा है कि जिसे केवल सरकार ही कर सकती है। यही नही, सरकारो का धर्म है कि वे गजेटियरो के अनुवाद हिन्दी तथा अन्य भारतीय भापाओ मे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करे।

मैं हिन्दुस्थान समाचार को फिर इस वातके लिए वधाई देता हू कि उसका शब्द-कोप अत्यन्त उपयोगी और मनोज्ञ है।

रामधारी सिंह 'दिनकर'
हिन्दी सलाहकार
भारत सरकार

प्रकाशक की ओर से

हिन्दुस्थान वार्षिकी १९६८ ६९ आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस तृतीय संस्करण के प्रकाशन के साथ वार्षिकी का तृतीय वर्ष पूरा होता है। प्रथम दो संस्करणों के स्वागत से उत्साहित होकर यह नया संस्करण आपके समक्ष लाते हुए हमें प्रसन्नता है। हम यह भी आशा है कि आपके द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से हम इस संदर्भ ग्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बनाने में सहायता मिलेगी

हिन्दुस्थान वार्षिकी का प्रकाशन प्रारम्भ करते समय हम पूर्ण कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में संदर्भ ग्रन्थ की कमी की पूर्ति करने के कठिन कार्य को हिन्दुस्थान समाचार ने अपने हाथ में लिया है। हम विश्वास था कि हिन्दी जगत के सहयोग एवं सद्भावना के बल पर हिन्दुस्थान समाचार अपने प्रयास में सफल होगा। हिन्दुस्थान वार्षिकी के प्रथम दो संस्करणों के शानदार स्वागत द्वारा हिन्दी जगत ने हमारे इस विश्वास की पुष्टि की है।

हिन्दुस्थान समाचार की ओर से हम हिन्दी जगत को विश्वास दिलाते हैं कि हिन्दुस्थान वार्षिकी को अधिकाधिक उपयोगी बनाकर निकट भविष्य में ही हम इसे राष्ट्रभाषा के एक अपरिहार्य संदर्भ ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित देख सकेंगे।

शिक्षा संस्थानों पुस्तकालयों छात्रों प्रतियोगिता परीक्षार्थियों एवं अन्य जिज्ञासुओं में हिन्दुस्थान वार्षिकी की बढ़ती हुई मांग इसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता का प्रतीक है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार श्री हरिदत्त पाठक और अपने हितचिन्तकों विज्ञापनदाताओं तथा हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्त्ताओं का मैं आभारी हूं जिनके सहयोग और परिश्रम से वार्षिकी प्रकाशित हो रही है।

बालेश्वर अग्रवाल
मन्त्री
हिन्दुस्थान समाचार

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

प्रकाशक की ओर से

हिन्दुस्तान वार्षिकी १९६८-६९ आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस तृतीय संस्करण के प्रकाशन के साथ वार्षिकी का तृतीय वर्ष पूरा होता है। प्रथम दो संस्करणों के स्वागत से उत्साहित होकर यह नया संस्करण आपके समक्ष लाते हुए हमें प्रसन्नता है। हमें यह भी आशा है कि आपके द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से हमें इस सन्दर्भ ग्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बनाने में सहायता मिलेगी।

हिन्दुस्तान वार्षिकी का प्रकाशन प्रारम्भ करते समय हमें पूर्ण कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में सन्दर्भ ग्रन्थ की कमी की पूर्ति करने के कठिन कार्य को हिन्दुस्तान समाचार ने अपने हाथ में लिया है। हमें विश्वास था कि हिन्दी जगत के सहयोग एवं सद्भावना के बल पर हिन्दुस्तान समाचार अपने प्रयास में सफल होगा। हिन्दुस्तान वार्षिकी के प्रथम दो संस्करणों के शानदार स्वागत द्वारा हिन्दी जगत ने हमारे इस विश्वास की पुष्टि की है।

हिन्दुस्तान समाचार की ओर से हम हिन्दी जगत को विश्वास दिलाते हैं कि हिन्दुस्तान वार्षिकी को अधिकाधिक उपयोगी बनाकर निकट भविष्य में ही हम इसे राष्ट्रभाषा के एक अपरिहार्य सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित देख सकेंगे।

शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालयों, छात्रों, प्रतियोगिता परीक्षार्थियों एवं अन्य जिज्ञासुओं में हिन्दुस्तान वार्षिकी की बढ़ती हुई मांग इसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता का प्रतीक है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार, श्री हरिदत्त पाठक और अपने हितचिन्तकों, विज्ञापनदाताओं तथा हिन्दुस्तान समाचार के कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ जिनके सहयोग और परिश्रम से वार्षिकी प्रकाशित हो रही है।

बालेश्वर अग्रवाल
मन्त्री
हिन्दुस्तान समाचार

अनुक्रमणिका

प्रकाशक की ओर से

हिन्दुस्थान वार्षिकी १९६८-६९ आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस तृतीय संस्करण के प्रकाशन के साथ वार्षिकी का तृतीय वर्ष पूरा होता है। प्रथम दो संस्करणों के स्वागत से उत्साहित होकर यह नया संस्करण आपके समक्ष लाते हुए हमें प्रसन्नता है। हमें यह भी आशा है कि आपके द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से हमें इस संदर्भ ग्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगी एवं मानवर्धक बनाने में सहायता मिलेगी

हिन्दुस्थान वार्षिकी का प्रकाशन प्रारम्भ करते समय हमें पूर्ण कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में संदर्भ ग्रन्थ की कमी की पूर्ति करने के कठिन कार्य को हिन्दुस्थान समाचार ने अपने हाथ में लिया है। हमें विश्वास था कि हिन्दी जगत के सहयोग एवं सद्भावना के बल पर हिन्दुस्थान समाचार अपने प्रयास में सफल होगा। हिन्दुस्थान वार्षिकी के प्रथम दो संस्करणों के शानदार स्वागत द्वारा हिन्दी जगत ने हमारे इस विश्वास की पुष्टि की है।

हिन्दुस्थान समाचार की ओर से हम हिन्दी जगत को विश्वास दिलाते हैं कि हिन्दुस्थान वार्षिकी को अधिकाधिक उपयोगी बनाकर निकट भविष्य में ही हम इसे राष्ट्रभाषा के एक अपरिहार्य संदर्भ ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित देख सकेंगे।

शिक्षा संस्थानों पुस्तकालयों छात्रों प्रतियोगिता परीक्षार्थियों एवं अन्य जिज्ञासुओं में हिन्दुस्थान वार्षिकी की बढती हुई माँग इसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता का प्रतीक है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार श्री हरिदत्त पाठक और अपने हितचिन्तकों विज्ञापनदाताओं तथा हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ जिनके सहयोग और परिश्रम से वार्षिकी प्रकाशित हो रही है।

बालेश्वर अग्रवाल
मन्त्री
हिन्दुस्थान समाचार

अनुक्रमणिका

: १ :

कालमान

—भारतीय कल्पना

काल के विषय मे प्राचीनतम कल्पना अथर्ववेद मे इस प्रकार है

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः
सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता. ।
तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः,
तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥

काल या समयरूपी अश्व दौडा चला जा रहा है। यह सात किरणो वाला और सहस्रो आखो वाला है। यह अजर है, शक्तिमान है। इसके चक्र सब भुवन है।

काल सात चक्रो को चलाता है। इसके सात मध्य है, नाभिया है, सात ही अक्षधुरा है। काल प्रथम देव है। सारे भुवन काल से ही प्रकट हुए है

सप्त चक्रान् वहति काल एष,
सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः ।
स इमा विश्वा भुवनान्यजनयत्,
काल स ईयते प्रथमो नु देव. ॥

काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल मे ही भूत, भविष्य, वर्तमान के सब पदार्थ रहते है

कालोऽमुं दिवमजनयत्
काल इमाः पृथिवीरुत
कालो ह भूतं भव्यच
इषित ह वि तिष्ठते ।

काल ही मे सूर्य प्रकाशमान हे। काल सम्पूर्ण ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है। चक्षु भी काल मे ही देखते है ·

कालो भूतिमसृज त
काले तपति सूर्य. ।
काले ह विश्वा भूतानि
काले चक्षुर्विपश्यति ॥

काल से जल उत्पन्न हुआ। काल से ब्रह्म, तप और दिशाये उत्पन्न हुई। सूर्य काल से उदय होता है और काल मे ही समा जाता है। काल से पवन चलता है। काल से यह विशाल पृथ्वी हुई है। विशाल द्युलोक भी काल मे ही है .

कालादाप समभवन्
कालात् व्रह्म तपो दिश ।
कालेनोदेति सूय
काले निविशते पुन ॥
कालेन वात पवते
कालेन पृथिवी मही ।
द्यौमही काल आहिता ॥

काल पुनीत करने वाला है । भूत और भविष्य काल से ही उत्पन्न है । ऋग्वेद और यजुर्वेद भी काल से उत्पन्न हैं

कालो ह भूत भव्य च
पुत्रो अजनयत् पुरा ।
कालादृच समभवन्
यजु कालादजायत ॥

ब्रह्माण्ड इस काल का इन्द्रियगोचर विस्तार विशाल ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्ड का दूसरा नाम नभोमण्डल भी है। सम्पूर्ण नभोमण्डल असख्य तारो से भरा है। ब्रह्माण्ड म अनेक सौर मण्डल हैं। तारे इन्ही सौर मडलो म से किसी न किसी मे ह। मनुष्य को केवल एक ही सौर मण्डल का ज्ञान है। यह वही है जिसम हमारी पृथ्वी है। इस सौर मण्डल का भी पूरा ज्ञान हम नही है। आकाश म दिखते ये असख्य तारे हमारे लोक पृथ्वी के ही समान लोक हैं और पृथ्वी से लाखो मील दूर हैं।

पृथ्वी के तारो की दूरी प्रकाश वष द्वारा मापी जाती है। प्रकाश की गति प्रति सेकण्ड १८६०० मील है। इस गति से एक वष म प्रकाश जितनी दूर जाता है वह प्रकाश वष का मापदड है।

वज्ञानिक इस प्राचीन भारतीय तथ्य को मानते है कि शून्य-आकाश म स्थित सभी ज्योतिर्पिण्ड किसी महान् शक्ति को केन्द्र बनाकर उसके चारो ओर घूमते है। यह भी माना जाता है कि सभी पिण्ड अण्डाकार वृत्त म घूमते हैं। वज्ञानिक मत है कि काफी तेज गति से घूमने वाले पिण्ड प्राय अण्डाकार वृत्त म ही घूमते हैं।

इन तारा ग्रहो-ज्योतिर्पिण्डो की सख्या पहले डेढ लाख मानी गयी। पर अब इस सम्बन्ध म नय नय तथ्य सामने आ रहे हैं। यह भी अनुमान है कि ग्रहो म पृथ्वी के अतिरिक्त भी प्राणी रहते हैं।

ब्रह्माण्ड म एस तारे भी हैं जो हमारे सौर मण्डल के सूय से लाखो गुणा बडे और प्रकाशमान भी हैं। एसा एक तारा अगस्त्य है जो सूय से ८०००० गुणा प्रकाशमान है। सेण्ट डोरा समूह के तारो की ज्योति तीन लाख सूर्यों के बराबर बतायी जाती है। तारो का भार भी बहुत है। किसी किसी तारे के एक घन इच का भार तीन हजार टन बताया जाता है।

हमारा सौर-परिवार हमारे इस सौर परिवार और कितने हैं और इनकी कुल सख्या क्या है यह ज्ञान नहा है। हमारे सौर-परिवार का सूय केन्द्र है। सूय के चारो ओर

ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते है। सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने से इसके अश विकीर्ण हो जाते है और वे सूर्य की परिक्रमा करने लगते है। ग्रह व उपग्रहो की उत्पत्ति इसी रीति से मानते है। हर सौर-परिवार मे धूमकेतु है। इनकी चाल निराली है। उल्काए इसी परिवार की सदस्या है।

पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है। इसी कारण आकाश के सभी तारागण प्रतिकूल दिशा मे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए मालूम होते है। इसी को प्रवहमाण वायु से तारो का चलना कहा जाता है। सूर्य का निकटतम ग्रह वुध है। बाद का क्रम शुक्र, पृथ्वी, मगल, बृहस्पति, शनि यूरेनस, नेपच्युन और प्लूटो का है। आखिरी तीनो ग्रह भारतीय 'नव-ग्रहो' मे नही आते। इन ग्रहो के उपग्रह भी है, जैसे पृथ्वी का चन्द्रमा। उपग्रह स्वप्रकाश से प्रकाशित नही है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा अपनी कक्षाओ मे चलते हुए करते है। सूर्य से ग्रहो की दूरी ज्यो-ज्यो बढती जाती है, उन पर का तापमान त्यो-त्यो कम होता जाता है।

सूर्य : हमारे सौर-मण्डल का केन्द्र सूर्य है। यह एक स्व-प्रकाशमान गैसीय पिण्ड है तथा गोलाकार और अग्निमय है। यह एक तारा है, जो रोशनी और ताप देता है। पृथ्वी से इसकी दूरी ९ करोड ३० लाख मील है। इसका व्यास ८ लाख ६५ हजार मील का है तथा पृथ्वी की तुलना मे इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुणा और आकार १० लाख गुणा से अधिक है। सूर्य की सतह पर तापमान ६,००० डिग्री सेण्टीग्रेड है और अन्तर्तल का तापमान ८ करोड सेण्टीग्रेड है। सूर्य की भी अपनी धुरी है, जिस पर वह सतत घूमता है। सूर्य विषुवत् रेखा पर २५ दिनो मे और ध्रुवो पर ३३ दिनो मे एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य मे तीव्र गुरुत्वाकर्षण है। इसी कारण वह अपने ग्रहो को उनकी कक्षाओ मे निश्चित रखता है। सूर्य द्वारा ग्रह प्रति सेकण्ड १२ मील की गति से चलायमान है। सूर्य मे काले-काले धव्वे भी है। सूर्य मे आँधियाँ उठती है। ये धव्वे उन्ही आँधियो के परिणाम है। सूर्य अपने कक्ष का २५ दिन ९ घटे मे चक्कर पूरा लगा लेता है।

सूर्य से विभिन्न ग्रहो की दूरी, उनका व्यास तथा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने का उनका काल निम्न प्रकार से है

	सूर्य से ज्ञात दूरी (लाख मीलो मे)	औसत व्यास (मील मे)	सूर्य की परिक्रमा पूरी करने की अवधि (दिनो मे)	उपग्रह (सख्या)
वुध	३६०	३०००	८७ ९७	०
शुक्र	६७०	७६००	२२४ ७०	०
पृथ्वी	९३०	७९२०	३६५.२६	१
मगल	१४१०	४२००	६८६ ९८	२
वृहस्पति	४८४०	८८७००	४३३२.५९	१२
शनि	८८६०	७५१००	१०७५९.३९	९
यूरेनस	१७८२०	३०९००	३०६८५.९३	५
नेपच्यून	२७९३०	३३०००	६०१८७.६४	२
प्लूटो	३७०००	३६५०	९०४७०.२३	०

शुक्र यह आकार म पृथ्वी स कुछ ही छोटा है। इसका व्यास लगभग ७ हजार ६ सौ मील है। सूय से इसकी दूरी ६ करोड ७० लाख मील है। सूय के समीप होन के कारण यह केवल प्रात और साय ही क्षितिज से ४५ अश के अदर दिखाई देता है। सूय से पश्चिम रहने पर प्रात काल यह पूव म देखा जा सकता है। परन्तु जब यह सूय से पूव म रहता है तब सध्या के समय पश्चिम म दिखाई देता है। यह अपनी धुरी पर ३० दिन म एक बार घूम जाता है। इसकी धुरी सूय की कक्षा पर ८ अश पर झुकी हुई है। सूय की परिक्रमा म इसे २२५ दिन लगते है। यह आकाश का सबसे बडा और चमकीला तारा है इसी कारण इसका नाम 'शुक्र है।

पृथ्वी हमारी पृथ्वी नारगी के आकार की गोल है। इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कुछ चपट स हैं। यह भी एक चमकते तारे की ही भाति है। ग्रहो म यह पाचवा बडा ग्रह है। सूय से हमारी पृथ्वी ९ करोड लाख मील है। इसका क्षेत्रफल १९ करोड ६९ लाख ५० हजार २८४ वगमील है। विषुवत् रेखा पर इसकी परिधि २४ लाख ९ हजार २३९ मील है। इसका व्यास ७ हजार ९२० मील है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि २४०००८६ ४९ मील है। यह एक ठोस पिण्ड है। इसके भीतर जाने पर हर ५० फुट पर १० अश फारेनहाइट ताप बढता जाता है। भीतर के मध्य भाग का तापमान तप्त पिघली धातु के बराबर है। पृथ्वी पश्चिम से पूव की ओर २४ घटे म अपनी धुरी पर घूम जाती है। सूय के चारो ओर जिस अडाकार माग से पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे ग्रह-पथ या कक्षा (आरबिट) कहते हैं। सूय की परिक्रमा म पृथ्वी को ३६५ दिन ५ घटे ४८ मिनट ४९६°- सेकेन्ड लगते हैं। कुछ १२ सेकेन्ड कहते हैं। इस कालावधि को ही वप कहते हैं। अण्डाकार कक्षा पर पृथ्वी के घमने और उस पर उसकी धुरी के ६६° अश झुके रहने से विभिन्न ऋतुए बनती है।

चन्द्रमा यह पृथ्वी का एक उपग्रह है तथा सूय के प्रकाश से प्रकाशित है। पृथ्वी से यह २ लाख ३८ हजार ८६ मील दूर है। कुछ यह दूरी २ लाख ३८ हजार ९ सौ मील मानते है। इसका व्यास २१६ मील है। इसका पिण्ड ७४१ ०० ०० ० टन का है। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा २७ दिन ७ घटे ४३ मिनट १२ सेकेंड म पूरा करता है। पृथ्वी के साथ-साथ चन्द्रमा सूय के चारो ओर भी चक्कर लगाता है और यह परिक्रमा वह २९ दिन १२ घट ४४ मिनट और ५ सेकेंड म पूरा करता है। इसको ही चन्द्र मास कहते हैं। हमारे सामने इसका सदा आधा भाग ही आता है। समुद्र म ज्वार भाटे चन्द्रमा के कारण आते हैं। कुछ का मत है कि चन्द्रमा निर्वात है वायु शून्य है। अत यहा कोई नहा रह सकता। सूय की ओर इसका जो भाग रहता है उसका तापमान २ सेण्टीग्रेड है।

मगल यह लाल रग का एक ग्रह है। पृथ्वी के नजदीक आने पर यह और अधिक भास्वर हो जाता है। १९५६ ई० म यह पृथ्वी के अत्यत निकट आया था। उस समय पृथ्वी से यह साढे तीन करोड मील दूर था। ऐसी स्थिति इसकी इससे पहले १९२४ ई० म आई थी। १९७१ ई० म पुन यह उसी स्थिति म आयेगा। मगल को कुछ लोग पृथ्वी से अलग होकर बना हुआ ग्रह मानते हैं। इसके कुछ अन्य नाम हैं भौम कुज और महीसुत। ये नाम बताते हैं कि किसी युग म यह पृथ्वी का ही एक भाग था। इसका व्यास ४२ ० मील

है। यह पृथ्वी के व्यासार्द्ध से कुछ अधिक है। सूर्य से इसकी दूरी १४ करोड १० लाख मील दूर है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर होने पर यहा जलवायु पृथ्वी की अपेक्षा अधिक ठण्डी है। इसकी गति प्रति सेकेण्ड १५ मील है। फिर भी, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने मे इसे ६८७ दिन लगते है। यह अपनी धुरी पर २४ घण्टे ३७ मिनटो मे एक बार घूम जाता है। पृथ्वी के समान इसकी धुरी भी झुकी हुई है। यह भी इसके 'महीसुत' होने का प्रमाण है। पृथ्वी के समान यहा ऋतु-परिवर्तन होता है तथा इस पर "प्राण" होने का विश्वास है।

मगल के दो उपग्रह है। इनके नाम 'फोबस' और 'डिमोस' है। १८७७ ई० मे इनका पता चला। फोवस निकटवर्ती उपग्रह है। इसका व्यास १० मील है। यह मगल के चारो ओर ७ घण्टे मे घूम आता है। 'डिमोस' दूरवर्ती उपग्रह है। इसका व्यास ५ मील है और यह ३० घण्टो मे मगल की परिक्रमा पूरी करता है।

बृहस्पति आकाशस्थ ग्रहो मे यह सबसे बडा है। सूर्य से यह ४८ करोड ४० लाख मील दूर है। विपुवत् रेखा पर इसका व्यास ८८ हजार ७ सौ मील है। इसका गुरुत्व शेष सब ग्रहो के सम्मिलित गुरुत्व के दुगने से भी अधिक है। शुक्र के बाद यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इतना विशाल होते हुए भी इसे अपनी धुरी पर घूमने मे केवल १० घण्टे लगते है। परन्तु सूर्य की परिक्रमा पूरी करने मे यह १२ वर्ष लगाता है। एक राशि को पार करने मे यह एक वर्ष लेता है।

बृहस्पति के १२ उपग्रहो मे से ४ बडे और ८ छोटे है। बडे उपग्रह तो आकार मे चन्द्रमा और बुद्ध के समान है। इसके चार उपग्रह बृहस्पति की अपनी गति की विपरीत दिशा मे घूमते है। यह एक विचित्र बात है। सम्भवत ये चार उपग्रह मगल और बृहस्पति के मध्य के स्थान मे घूमने वाले लघु-ग्रह समूह मे से हो और बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इनको अपनी कक्षा मे ले आया हो।

शनि · यह भी एक बडा ग्रह है। यह देखने मे कुछ धुधला है। इसकी गति मन्द है। अत इसका नाम शनि या शनैश्चर है। अपनी धुरी पर तो यह बृहस्पति के समान १० घण्टे मे घूम जाता है, परन्तु सूर्य की परिक्रमा पूरी करने मे ३० वर्ष लेता है। यह एक राशि मे ढाई साल रहता है। अत शनि की साढेसाती भी ढाई साल की होती है। सूर्य से इसकी दूरी ८८ करोड ६४ लाख मील है। इसके चारो ओर तीन मण्डलाकार परिवेष्टन मालूम पडते है। परिवेष्टन शनि की सतह से ७००० मील बाद प्रारम्भ होते है। ये विपुवत् रेखा के ऊपर ३५,००० मील के घेरे मे है। परिवेष्टनो महित शनि का व्याम १ लाख ७० हजार मील है। शनि के उपग्रहो की सख्या ६ है। इनमे तीन बहुत बडे है। इनमे एक का नाम टीटन है। इसका व्यास ३५०० मील है। शनि के परिवेष्टन इसके कुछ उपग्रहो के नष्ट हो जाने के कारण माने जाते है।

वरुण (नेप्चयून) : इसका पता दूरवीक्षण यन्त्र से लगा। १८४५ ई० के पहले इसका नाम अज्ञात था। इसकी गणना भारतीय नवग्रहो मे नही है। सूर्य से यह २ अरब, ७९ करोड, ३० लाख मील दूर है। इसका व्यास ३३ हजार मील है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग १६५ वर्षो मे पूरी करता है। इसके दो उपग्रह है जिनमे से अन्तिम का पता १८४८ ई० मे चला।

प्लूटो ग्रह ग्रहो की संख्या म रूस के वैज्ञानिको ने और एक ग्रह की वृद्धि की है। ११ फरवरी १९६० ई को इसका पता लगा है। मकर राशि के तारक-पुजा का चित्र लेते समय यह दिखायी पडा। १९५७ ई० म ही मास्को विश्वविद्यालय के छात्र एडवड वनिमुक ने इसकी ओर वैज्ञानिको का ध्यान आकृष्ट किया था।

लघु ग्रह बडे बडे ग्रहो के अतिरिक्त सूय के चारो ओर घूमने वाले लघु ग्रहो की सख्या बहुत है। मगल और बृहस्पति के ही मध्य १५०० से अधिक लघु ग्रह देखे गए हैं। इनम एक ग्रह का नाम सिरस है। इसका व्यास ४८५ मील है। इसी प्रकार पलस का २८० मील जूनो का १५० मील और वेष्टा लघु ग्रह का २४१ मील व्यास है।

सम्पात बिन्दु भारतीय नवग्रहो म पृथ्वी इसके उपग्रह चन्द्रमा बुध शुक्र मगल बृहस्पति और शनि के अतिरिक्त राहु और केतु हैं। ये दोनो सूय और चन्द्रमा की कक्षा के दो सम्पात बिन्दु है। आकाश म उत्तर की ओर बढते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूय की कक्षा को काटती है तब उस सम्पात बिन्दु का नाम राहु होता है और दक्षिण की ओर उतरते हुए चन्द्रमा की कक्षा सूय की कक्षा को पार करती है तब उस सम्पात बिन्दु का नाम केतु होता है। ये दोनो बिन्दु बराबर बदलते रहते हैं। राहु और केतु को मिलाकर ही नव ग्रह पूरे होते हैं।

धूमकेतु या पुच्छलतारा धूमकेतु या पुच्छलतारा तारे के ही समान दिखाई देते है। किन्तु य छोट और बडे दोनो प्रकार के होते हैं। इस समय तक १०० धूमकेतुओ का पता लगा है। ये प्राय दीघवृत्त परवलय और अतिपरवलय कक्षा पर सूय की परिक्रमा करते है। हेली नामक धूमकेतु पूव दिशा म १९१ ई० म दिखाइ दिया था। यह धीरे धीरे आकाश मे छा गया तथा कई मास तक दिखाई देता रहा। १९८५ ई० म यह पुन दिखाई देगा। अप्रेल १९५७ म अरड रोलड तथा अगस्त १९५७ म अरकोज दिखाई दिए थे। ये दोनो उत्तर पश्चिम दिशा मे सन्ध्या समय कई दिना तक दिखाई पडे थ। १९५७ ई० के अक्तूबर मास म डोनारी नामक धूमकेतु के दशन हुए। धूमकेतु का पथ बहुत लम्बा है। अत ५० वर्षों म वह एक बार ही दिखाई देता है।

उल्कापात यह भी छोटे छोटे तारो के समान दिखाई देते हैं। यह खनिज पदार्थों से बने होते हैं। इनका भार कुछ औंस से लेकर कई टन तक होता है। जब य गसीय पदार्थो के ससग म आते हैं तभी दिखाई देने है और इसके बाद गुरुत्वाकषण के कारण भूमि पर आ गिरते हैं।

कभी-कभी यह भी होता है कि सौर परिवार म छोटे छोटे पिण्ड पृथ्वी के आकषण म आ जाते हैं। य धूमकेतुओ से आते हैं यह अनुमान मात्र है। पृथ्वी के वायुमण्डल मे जब ये प्रवेश करते हैं तब वायु से रगड होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश रेखा बनाने के साथ ये नष्ट हो जाते हैं। कुछ बडे पिण्ड वायु की रगड स क्षीण होते हुए भी पृथ्वी पर पहुच जाते है। परन्तु इनकी सख्या बहुत थोडी है। पृथ्वी पर गिरी उल्काओ म सबसे बडी शायद दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के ग्रूट फाउण्टेन वाली है। इसका भार ■० टन है। ग्रीनलण्ड के केप यौक म गिरी उल्का इससे कम है। इसका भार ३४ टन है। न्यूयाक सग्रहालय म यह सुरक्षित है।

सप्तर्षि तारो का अध्ययन करने के लिए तारा-समूहो को विभिन्न नामो से विभक्त किया गया है। प्रत्यक देश ने इनका अलग-अलग नाम रखा है। भारतीय ज्योतिष

मे कुछ नाम इस प्रकार है। सप्तर्षि, शिशुमार चक्र, शेपनाग, पुलोमा, फालका, कपि (गणेश), हिरण्याभा, वराह, उपदानवी, शुनी, हृत, सर्प, ईश, सुनीति, दशानन, सर्पभाल, वीणा, खगेश, हयशिरा, त्रिक्, जलकेतु, ब्रह्मा, कालपुरुप, वेतरणी, अगस्त, त्रिशकु, क्रौंच, काकभुशुण्डि आदि। गणना के लिए आवश्यक तारा-पुजो को नक्षत्र और राशि, अभिधान से कहते है। नक्षत्रो की सख्या २७ है और राशियो की सख्या वारह है। राशियो के आधार पर ही, वारह मास है।

आकाश-गंगा आकाश मे उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई एक सफेद चौडी पट्टी सी है जो रात मे दिखती है। यही आकाश-गगा है। वैज्ञानिक मत है कि यह तारक-पुजो का समूह है। मध्य मे इसकी दो शाखाए भी हो गई हैं। अधेरी रात मे यह स्पष्ट दिखाई देती हे। अनुमान है कि आकाश-गगा मे हमारे सौर-परिवार सदृश अनेक परिवार है।

क्राति-वृत्त . नक्षत्रो की सख्या २७ है। सूर्य के समान ग्रहगण भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। सूर्य तारो के वीच से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलकर वर्ष भर मे चक्कर पूरा करता है। उसके इस पथ का ही नाम क्राति-वृत्त है। चन्द्रमा भी इसके आस-पास ही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। चन्द्रमा यह चक्कर २७ दिन, १६ घडी, १८ पल और १६ विपल मे पूरा करता है। यह प्राचीन माप इस प्रकार का है

६० विपल	=	१ पल
६० पल	=	१ घडी या दड
६० घडी या दड	=	१ (अहो-रात्र दिन-रात)

चन्द्रमा २७ दिनो मे चक्कर पूरा करता है, अत गगन-मण्डल को भी २७ भागो मे विभक्त करके प्रत्येक का उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दिया गया हे। प्रत्येक नक्षत्र १३⅓ अश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक समान नही रहती। अत एक नक्षत्र को पार करने मे वह ५४ से लेकर ६५ दण्ड तक लेता है। अत प्रत्येक नक्षत्र का मान एन नही है।

नक्षत्र . २७ नक्षत्र है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम इस प्रकार है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेपा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढ, उत्तरापाढ, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणो मे वाटा गया है। उत्तरापाढ के चौथे चरण और श्रवणा के पहले १५वें भाग को अभिजित नक्षत्र कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का एक नाम 'कचवचिया' भी है।

राशि चन्द्रमा की दैनिक गति को नक्षत्र सूचित करते है। सूर्य की मासिक गति की सूचना राशिया देती है। सूर्य के मार्ग क्रान्ति-वृत्त के १२वें भाग का नाम राशि है। राशिया १२ हैं। एक राशि मे ३० अश होते हैं। पश्चिम मे पूर्व की ओर चलने पर क्रमशः मेप, वृप, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशिया हैं। इन राशियो के ये नाम इनकी आकृति के अनुसार हैं। प्रत्येक राशि २¼ नक्षत्र की है।

सूय जब राशि म प्रवेश करता है तो सक्राति होती है। १२ राशियो के अनुसार १२ सक्रातिया हैं। मेप सक्राति पर कभी रात दिन बराबर होते थे। परन्तु अब मेष सक्राति २३ दिन बाद होती है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेप राशि के आदि के निश्चित तारो से राशियो की गणना करने पर वह निरयन राशिया होती हैं। सायन राशियो की गणना क्रान्ति वृत्त और विषवत् वृत्त के पीछे खिसकते हुए सम्पात बिन्दु से होती है। यह सम्पात बिन्दु हर साल ५६ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशियो म दो वष पूव २३ अश १८ कला और ४१ विकला का अन्तर था।

पृथ्वी दिनभर मे राशि चक्र की परिक्रमा कर लेती है। फलत विभिन्न समयो पर पूर्वी क्षितिज म विभिन्न राशिया दिखाई देती हैं। देश के अक्षाश के अनुसार इनका उदय काल भिन्न भिन्न होता है। लग्न का निश्चय इस बात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि लगी।

गति ग्रहो की दो गतिया होती हैं मार्गी और वक्री। ग्रह की अपने माग पर पूव की ओर की गति मार्गी तथा पश्चिम की ओर पीछे हटने की वक्री गति कहलाती है।

भारतीय गणना के अनुसार सूय और अन्य ग्रहो की दनिक गति यह है

	अश	कला	विकला	प्रविकला	पराविकला
सूय	०	५६	८	१	२१
चन्द्र	१३	१	३४	३५	
बुध	४	५	५२	१८	६
शुक्र	१	३६	७	४४	३५
मगल		३१	२६	२८	७
बृहस्पति		४	५६	६	६
शनि		२	०	२२	५१
यूरेनस	०		४२	१३	४८
नपच्यून	०	०	२१	३१	४८
प्लूटो	०	०	१४	१६	१२
राहु और केतु	०		१	४६	१२

गोलार्द्ध यदि आकाश के दो भाग इस प्रकार किये जाए कि एक भाग के मध्य उत्तरी ध्रुव पडे और दूसरे भाग के बीच दक्षिणी ध्रुव आय तो य दोनो भाग क्रमश उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध होगे। भूमध्य या विषुवत् रेखा के ठीक ऊपर स आकाश विभक्त माना जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध म मेप वष मिथुन कक सिंह तथा कन्या राशियाँ हैं। शेष ६ राशिया दक्षिणी गोलार्द्ध म पडती हैं।

चन्द्र की गति के अनुसार बारह मास चत्र वशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ तथा फाल्गुन हैं। सौर मास का आरम्भ सक्रान्ति स होता है। वार का आरम्भ सूर्योदय से होता है। भारतीय वारो के नाम ग्रहो के नाम पर हैं जैसे—सूय रविवार चन्द्र-सोमवार मगल मगलवार बुध बुधवार बृहस्पति-बृहस्पतिवार शुक्र-शुक्रवार शनि-शनिवार।

दिनमान : सूर्य भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष पर आता है। तव पृथ्वी पर दिन-रात सर्वत्र समान होते है। इसके वाद सूर्य ज्यो-ज्यो उत्तर की ओर वढता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध मे क्रमश दिन वडा और रात छोटी होती जाती है। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्द्ध मे होता है। सूर्य जव सायन कर्क पर पहुचता है, तव पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध मे दिन सवसे वडा और रात सवसे छोटी होती है। इसके वाद सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की ओर फिरता है। इससे उत्तर मे क्रमश दिन छोटा और रात वडी होने लगती है।

सूर्य जव भूमध्य रेखा के सामने सायन तुला पर आता है, तो पृथ्वी पर रात और दिन वरावर होते है। दक्षिणी गोलार्द्ध मे सूर्य का प्रवेश होने पर जव वह सायन मकर पर पहुचता है, तव दक्षिण मे दिन सवसे वडा और रात सवसे छोटी होती है। इसका ठीक उल्टा उत्तरी गोलार्द्ध मे होता है, वहा से सूर्य उत्तरायण होता है। इससे दक्षिण मे क्रमश दिन छोटा और रात कुछ-कुछ वडी होने लगती है। सूर्य चक्कर लगाता हुआ पुन भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष मे आता है।

भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ९० अश होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनो १२-१२ घटे के होते है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर वढने पर दिनमान या रात्रिमान वडा होने लगता है। ६६½ अश पर सबसे वडा दिन या रात्रि २४ घटे के होते है। ७० अश पर २ मास के, ७८½ अश पर ४ मास के और ९० अन्श पर ६ मास के दिन-रात होते है।

कालमान को सूक्ष्मतम रूप मे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिको ने निश्चित किया। सूक्ष्मतम मान त्रुटि और तत्परस है। एक दिन-रात मे १७,४९,६०,००,००० त्रुटिया या ४६,६५,६०,००,००० तत्परस होते है। पाश्चात्य देश अणुवम के वनने से पहले तक सेकेंड तक ही पहुचे थे और भारतीय एक सेकेंड को २,०२,५०० त्रुटियो और ५,१४०,००० तत्परसो मे विभक्त कर चुके थे। १९५५ ई० मे आणविक घडी वनी और पश्चिम ने भी सेकेंड को ९, १९,३१,७७० भागो मे वाट दिया है।

भारतीय मान की दो पद्धतियो का विवरण इस प्रकार है—

त्रुटि मान-पद्धति			तत्परस मान-पद्धति		
१०० त्रुटि	=	१ लव	६० तत्परस	=	१ परस
३० लव	=	१ निमेष	६० परस	=	५ विलिप्ता
२७ निमेष	=	१ गुर्वक्षर	६० विलिप्ता	=	१ लिप्ता (विपल)
१० गुर्वक्षर	=	१ प्राण	६० लिप्ता	=	१ विघटिका (पल)
६ प्राण	=	१ विघटिका	६० विघटिका	=	१ घटिका (दण्ड)
६० विघटिका	=	१ घटिका	६० घटिका	=	१ दिन-रात
६० घटिका	=	१ दिन-रात			

अग्रेजी मास : अग्रेजी मासो के नाम प्राय रोमन देवताओ के नामो पर हे। उनका ग्रहो से कोई सम्वन्ध नही है। जैसे जनवरी-जानुस, फरवरी-फेब्रुअस, मार्च-युद्ध का देवता, मार्स (मूलत, मार्च रोमन कलेडर मे पहला मास था), अप्रैल लेटिन शब्द 'एप्रीलिस,' मई-

रोमन कलेंडर यह यूरोप का सबसे पुराना कलेंडर है। ईसाइयों ने इसी को अपनाया। इसका प्रारम्भ ७५३ ई० पू० में रोमुलस ने किया था। इसमें पहले साल में १० मास तथा ३ ४ दिन होते थे। साल मार्च से प्रारम्भ होता था। बाद में नूमा पम्पेलियन ने जनवरी और फरवरी मास बनाए अब वर्ष में ३५५ दिन हो गये। मास में ३० या २६ दिन रखे गए। जुलीयस सीजर (१० ई० पू० से ४४ ई पू०) ने ४५ ई० पू० में इसमें कुछ और सुधार किए। अब साल में ३६५ दिन होने लगे। हर चौथे साल में फरवरी माह २८ की जगह २६ दिनों का होने लगा। यह जूलियन कलेंडर कहलाता है। १३ वें पोप ग्रगरी (१५०२ १५८५ ई०) ने इस कलेंडर में सुधार किया। उसने १५८२ ई० के ५ अक्तूबर को १५ अक्तूबर करार दिया। उसने यह भी किया कि लीप ईयर प्रत्येक १ वर्ष पर न होगा ४०० वर्ष पर होगा। फलत १६ ० ई म लीप ईयर नहीं हुआ २ ० ई० म लीप ईयर होगा। १५८२ ई म कैथोलिक देशों ने ग्रेगेरियन कलेंडर मान लिया। १७५२ में इंग्लैण्ड ने भी इसको माना। १७५२ ई से ही १ जनवरी साल का पहला दिन माना जाने लगा। इसी दिन इंग्लैण्ड का विजेता विलियम राजगद्दी पर बैठा था। रूस ने १६१८ ई० में इस कलेंडर को माना।

यहूदी कलेंडर यह सौर गणना के आधार पर बनाया गया है। इसमें ३६५ दिन होते हैं। पर मास चन्द्रमा के अनुसार चलते हैं। १६ वर्षों के चक्र में पहला दूसरा चौथा पाचवा सातवा नवाँ दसवाँ बारहवाँ तेरहवाँ पन्द्रहवाँ और अठारहवाँ वर्ष तो १२ मासों के तथा शेष १३ मासों के होते हैं। जैसे भारत में मल मास होता है। वर्ष में ३५३ ३५४ या ३५५ दिन होते हैं। लीप ईयर में वर्ष ३८३ ३८४ और ३८५ दिनों का होता है। इस रीति से १६ वर्षों में वर्ष के औसतन ३६५ दिन होते हैं। वर्ष का आरम्भ सृष्टि के आरम्भ से मानते हैं। यहूदी मत में सृष्टि का आरम्भ ईसा से केवल ३७६० वर्ष पहले है। पर्व आदि में दिन की गणना सूर्यास्त के बाद होती है।

पारसी कलेंडर इसको जोरोस्ट्रियन कलेंडर भी कहते हैं। इसे पारसी मानते हैं। इसका आरम्भ १६ जून ६ २ ई० से होता है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र या जोरोस्टर द्वारा यह चलाया माना जाता है

बौद्ध कलेंडर भगवान बुद्ध के जन्म-काल ५४३ ई० पू० से इसका प्रारम्भ हुआ। पर अब बुद्ध का जन्म-समय ४८७ ई पू० भी माना जाने लगा है। अतः इसमें कुछ विवाद है। इस कलेंडर में वर्ष का प्रारम्भ वैशाख पूर्णिमा से होता है। बुद्ध का जन्म और निर्वाण इसी तिथि को हुआ था।

जैन कलेंडर २४ वें तीर्थंकर महावीर के जन्म-काल ५२७ ई० पू० से यह प्रारम्भ हुआ माना जाता है।

भारतीय कलेंडर भारत में सृष्टि सम्वत् भी प्रचलित है। दान और संकल्प के समय आज भी यह बरता जाता है। जनता में मान्य है पर सरकार में इसका प्रचलन नहीं है। संधियों में भी यह नहीं बरता जाता।

विक्रमी सम्वत् विक्रमी सम्वत् इस देश में सर्वाधिक प्रचलित है। यह राष्ट्रीय सम्वत् है यद्यपि सरकार द्वारा मान्य नहीं है। इसका प्रारम्भ ईसा से ५७ ५८ वर्ष पहले

सम्राट विक्रमादित्य से माना जाता है । अनेक शिला-लेखो मे इसका उल्लेख है । विक्रमादित्य की शको पर विजय की स्मृति मे यह सम्वत् है ।

शक सम्वत् : दक्षिण भारत के कुछ भागो मे यह प्रचलित है । इसका प्रारम्भ विवादास्पद है । कुछ लोग इसका आरम्भ सम्राट् कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि ३ मार्च ७८ ई० से मानते है । भारत सरकार ने शक सम्वत् को राष्ट्रीय सवत् घोषित किया है । घोषणा २७ मार्च १९५७ ई० को की गयी । इस दिन चैत्र १, १८७९ शक था । पहले इसका व्यवहार शाकद्वीपी ब्राह्मण (ज्योतिपी लोग) करते थे । शक सम्वत् ईसा से ७८ साल पीछे है । लीप ईयर इसमे भी चलता है । वर्ष का पहला मास चैत्र होता है । चैत्र के बाद के पाच मास ३१-३१ दिनो के होते है । इसमे ग्रैगेरियन कैलैंडर के अनुसार रूपान्तर किए गए है । तदनुसार मासो का आरम्भ इस प्रकार है —

शक कलैंडर	ईसाई कलैंडर	शक कलैंडर	ईसाई कलैंडर
१ चैत्र	२२ मार्च, लीप वर्ष मे २१ मार्च	१ आश्विन	२३ सितम्बर
१ वैशाख	२१ अप्रैल	१ कार्तिक	२३ अक्तूबर
१ ज्येष्ठ	२२ मई	१ मार्गशीर्ष-अग्राहयन	२३ नवम्बर
१ आपाढ	२२ जून	१ पौप	२२ दिसम्बर
१ श्रावण	२३ जुलाई	१ माघ	२१ जनवरी
१ भाद्रपद	२३ अगस्त	१ फाल्गुन	२० फरवरी

पचागो मे अब पुन परिवर्तन की स्थिति दिखती है । अनुभव किया जा रहा है कि पृथ्वी की गति क्रमश मन्द होती जा रही है । मत है कि पृथ्वी की गति मे १७०० ई० से अब तक ४७ सैकेंड की और १९०३ ई० से ३५ सैकेंड की कमी आ गई है । अत काल का नया माप ढूढा जायगा । इस दिशा मे पहला प्रयत्न 'एफिमेरिज टाइम' है । इस नये काल-माप का निर्णय चन्द्रमा के आधार पर किया गया है ।

फसली साल : अकवर के समय १५५५-५६ ई० मे खेती और राजस्व के मतलव से फसली साल चलाया गया था । वगाल मे इसी फसली साल को वगाली वर्ष माना जाता है ।

कलियुग सम्वत् . सृष्टि सम्वत् के वाद सवसे पुराना सम्वत् कलियुग सम्वत् है । इसका प्रारम्भ १८ फरवरी ३१०२ ई० पू० को हुआ था । इस समय १९६६ ई० मे कलियुग सम्वत् ५०६८ है । भारत मे आज भी दान और सकल्पो मे इसका पाठ किया जाता है ।

दयानन्द सम्वत् आर्य समाज के सस्थापक ऋपि दयानन्द के नाम पर यह आर्य समाज ने चलाया है । इसका आरम्भ उनके निर्वाण १८८८ ई० से होता है । इस समय दयानन्द सम्वत् ८३ है ।

हिन्दू कलैंडर : प्राचीन पचाग को ही हिन्दू कलैंडर का नाम दिया गया है । यह प्राचीनतम तथा पूर्णत भारतीय सम्वत् है तथा ईसाई कलैंडर की छाप से मुक्त है । इसकी एक विशेषता है । इसकी गणना सौर और चान्द्र, दोनो गतियो का विचार करके की गई है । इसमे वर्ष चलता है सूर्य की गति के अनुसार, पर मास चन्द्र के अनुसार होते है । चान्द्र-वर्ष का प्रथम दिन सौर-वर्ष के आस-पास ही रहता है । सौर-वर्ष वारह राशियो या

भागा म विभक्त है। इनके नाम इनकी शक्ल के अनुसार हैं मेष (भेड़ा) वृषभ (साड) मिथुन (युगल) कर्कट (केकड़ा) सिंह (शेर) कन्या (कुमारी) तुला (तराजू) वृश्चिक (बिच्छू) धनु (धनुष) मकर (मगरमच्छ) कुम्भ (जल का घड़ा) मीन (मछली)। ये मास के नाम ही कुछ भागो म चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि नाम स व्यवहार म आते हैं।

पर्व उत्सव

हिन्दू या भारतीय—

दिवाली भारत का यह विजयोत्सव है तथा कार्तिक अमावस्या को पड़ता है। दीपावलि भी इसका नाम है। श्रीराम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेकोत्सव के उपलक्ष्य मे मनाया जाता है। भारत के कुछ भागो म वर्ष का प्रारम्भ भी दिवाली से होता है। व्यापारी वर्ग नयी बही प्रारम्भ करता है। भारत का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव है। यह अंग्रेजी के अक्तूबर-नवम्बर माह म आता है।

विजयादशमी या दशहरा या दुर्गापूजा यह आश्विन शुक्ला १० को आता है। बंगाल म दुर्गापूजा का महोत्सव लगभग एक मास रहता है। यह असत्य पर सत्य की अधर्म पर धर्म की विजय का सूचक है।

दशहरा या विजयादशमी दुर्गा पूजा के दो दिन बाद ही आती है। यह रावण की पराजय और श्रीराम की विजय को सूचित करता है। मसूर म दशहरा का उत्सव बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है। प्राचीन समय म राजागण इस दिन विजय यात्रा प्रारम्भ करते थे।

गणेश चतुर्थी पश्चिमी भारत का यह पर्व है। यह अगस्त सितम्बर म पड़ता है तथा आश्विन सुदी ४ को मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक ने इसको अत्यन्त लोकप्रिय बना दिया है। यह उत्सव नारियल दिन के नाम से भी प्रसिद्ध है।

होली भारत के सब वर्गों का यह एक प्रसन्नता और वसन्त के आगमन का सूचक पर्व है। गुलाल को इस मौके पर व्यवहार किया जाता है। रंगीन पानी मित्रो पर छिड़का जाता है। यह फागुनी पूर्णिमा को होता है।

रामनवमी श्रीराम के जन्म दिन का सूचक है तथा चैत्र शुक्ला ९ को आता है। नवरात्र भी इसी समय होता है।

जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण का यह जन्म दिन है। यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ता है।

सरस्वती पूजा या वसन्त पंचमी यह माघ के शुक्ल पक्ष म आता है। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा इस अवसर पर की जाती है।

शिवरात्रि फरवरी मार्च म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की १४वीं को यह पर्व मनाया जाता है। यह शिव-पूजा का उत्सव है। शिव को भारत का रक्षक देवता माना जाता है।

मुस्लिम—

आखिरी-चहार-शुम्बा यह हजरत मोहम्मद की बीमारी म कुछ सुधार होने के दिन मनाया जाता है।

बकरीद मुस्लिम वर्ष के अन्तिम मास के १० वें दिन मनाया जाता है। इसकी कथा यह है—अब्राहम को खुदा ने अपना पुत्र बलिदान करने का आदेश दिया था। उसने इस

आदेश का पालन किया। आखो पर पट्टी वाँध ली और अपने पुत्र की वलि दे दी। पट्टी खुलने पर उसने अपने पुत्र को समीप खडा देखा। इस पर दुम्बा वलि चढाया गया।

मुहर्रम : मुहर्रम मास के दसवे दिन यह मनाया जाता है। यह पैगम्बर के नातियो, हसन और हुसैन के वलिदान का दिन है।

ईद-उल-फितर · रमजान के वाद पूर्णमासी को यह मनाया जाता हे। माना जाता है कि कुरान का ज्ञान इसी दिन प्रकट हुआ था।

रमजान : यह रमजान के उपवास के मास का अन्त सूचित करता है।

ईसाई—

मूर्ख दिवस : आल फूल्स डे—हर वर्प १ अप्रैल को यह पडोसियो को मूर्ख वनाकर मनाया जाता है।

आल सौल्स डे मृत आत्माओ के वास्ते प्रार्थना का दिन है।

आरवर डे · अमेरिका, कनाडा, ग्रेट व्रिटेन मे यह विशेष रूप से मनाया जाता है। यह वन-महोत्सव का दिन है। इस दिन वृक्ष लगाये जाते है।

वैंक होली डे : सरकारी आदेश से वैंक वन्द रखने का दिन है। इस दिन पैसे की वसूली मना की गई थी।

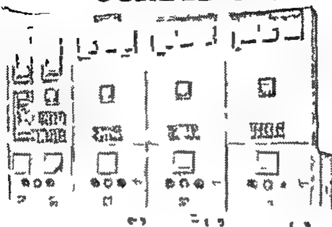
क्रिसमस यह ईसा का जन्म दिन माना जाता है। २५ दिसम्बर को यह पर्व माना जाता है। ईसा की ५वी सदी से ही २५ दिसम्बर को क्रिसमस दिन माना गया है।

ईस्टर डे : २२ मार्च और २५ अप्रैल के मध्य जीसस क्राईस्ट के पुनर्ज्जम का उत्सव है।

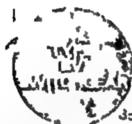
हालोवीन : १ नवम्वर को 'आल सेट डे' के नाम से मनाया जाता है 'आल हेलोज' का अर्थ है 'होली इव'। यह शीत के आरम्भ का सूचक है।

सेंट वालेंटाइन डे . यह पर्व मध्य-युग मे फ्रास और इग्लैड मे प्रचलित था। इसके साथ अनेक लोक-कथाए जुडी हुई हे। वालेंटाइन का अर्थ है—"स्वीट हार्ट" (हृदय की प्रियतमा रानी)। यह १४ फरवरी को मनाया जाता है।

FOR EXCELLENT PERFORMANCE IN TROPICAL CONDITIONS







FOR 11KV SERVICE UPTO 350[illegible] BREAKING CAPACITY

SPECIAL FEATURES

- Adaptab lity t y ng cond t on and to a particul [illegible] te
- Independent [illegible] tch n t ea ly xten i bl t line up as a Sw tch-b rd th al ll units l swit hes
- Exceptionally small space req irement
- E y A ib lity f ll pa t fo routine inspect on
- Spec lly mod f [illegible] to me t stome eq e ts
- Re ce p o ded f chi g [illegible] box c re t t ansf ers etc much eas ly
- V t ally ol t g second y con nect ons provided plac f lti way pl gbo and the fle ble [illegible] bing a gem t

Also available IB4 Oil Switches for lining up with BV Switchgear



HEAVY ELECTRICALS (INDIA) LTD BHOPAL

(A Government of India Undertaking)

Issued by P.M. Public Relations Division

: २ :

भारत

—भौगोलिक परिचय

भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता-सस्कृति का देश है। भरतखड, आर्यावर्त, सप्तसिधु, भारतवर्ष आदि इसके प्राचीन नाम है जो सस्कृत साहित्य मे प्राप्त है। इस देश की गाथा देवता भी गाते है

गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।

भारत को "विश्व गुरु" कहलाने का गौरव प्राप्त है। अधकार युग से यूरोप के जागरण के समय तथा प्राचीन फारस व अरब आदि देशो मे भारत की "सोने की चिडिया" या "स्वर्ण भूमि" कह कर स्तुति की जाती रही है।

अग्रेजी मे भारत को "इडिया" कहा जाता है। ऐसा मत है कि फारस आदि देशो मे, प्राचीन काल मे, भारत को "हिन्द" कहा जाता था। इस नाम तथा सिंधु नदी के लिए यूनानी नाम इण्डस (Indus) के आधार पर भारत का "इडिया" नाम बना।

भारत के सविधान मे भी इसका मूल नाम "इन्डिया बताया गया है, "भारत" का उल्लेख "तथाकथित" कह कर हुआ है। सयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य देशो की सूची मे इस देश का नाम "इन्डिया" है, भारत नही।

भारत के लिए एक और नाम "हिन्दुस्थान" है, यह "हिन्दुस्तान" का शुद्ध रूप है।

दुनिया मे क्षेत्रफल की दृष्टि से ७ वा होने पर भी, भारत को 'उपमहादेश' कहा जाता है। भारत-भूमि एशिया के दक्षिण मे एक प्राय द्वीप है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर मे ८० से ३७ १०, उत्तरी अक्षाश रेखाओ तथा ६८ से ६७ २५, पूर्वी देशान्तर रेखाओ के मध्य स्थित है।

भारत का विस्तार, जनवरी १९६५ के सर्वेक्षण के अनुसार, ३२,६८,०८१ वर्ग किलोमीटर या १२,५६,९८३ वर्ग मील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ३,२२० कि० मी० या २००० मील है। इसकी चौडाई, पूर्व से पश्चिम २९७७ कि० मी० या १८५० मील है। इसकी स्थल-सीमा १५,१६८ कि० मी० है। इसमे से ४६१५ मील की लम्बाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से है। भारत का समुद्र तट ५६८९ कि० मी० या २,५३५ मील लम्बा है।

प्राकृतिक-रचना भारत की उत्तरीय सीमा हिमालय बनाता है। पश्चिम मे सिन्धु सागर या अरब सागर और पूर्व मे बगाल की खाडी है। दक्षिण मे हिन्द महासागर लहरा रहा है। देश हिमालय से दक्षिण मे फैला हुआ है।

१९६१ की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ४३ करोड़ ९ लाख ४ हजार ८२ (४ ०२ ,५ ०८२) है। इस हिसाब से १९६७ में भारत की जनसंख्या ५१ करोड़ से अधिक है।

पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा में से लगभग २८१ मील की अंकित है और विनिश्चित है। शेष का नकर ही भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा संघर्ष और सीमा विवाद है।

नक्शे में भारत त्रिभुजाकार दिखाई देता है। इसका आधार उत्तर में हिमालय है और शीर्ष दक्षिण में हिन्द महासागर में है। दक्षिणी छोर पर त्रिभुज नासपाति की शक्ल ले लेता है और यह अन्तरीप कन्याकुमारी या केप कोमारिन के नाम से प्रसिद्ध है।

उत्तर में स्थित हिमालय साधारणत भारत को एशिया के शेष भू भाग से काट देता है। यह विश्व की और भारत की भी सर्वोच्च पर्वतमाला है। इसके पश्चिम व पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान व अफगानिस्तान उत्तर में पूर्व से पश्चिम चीनी तुर्किस्तान (सिंकियांग) तिब्बत नेपाल सिक्किम व भूटान हैं। पश्चिम में बर्मा है। पूर्वी पाकिस्तान (पूर्वी बंगाल) पश्चिमी बंगाल व आसाम के दक्षिणी अंचल के बीच स्थित है। सिक्किम व भूटान विशेष संधियों के अन्तर्गत भारत से सबद्ध हैं। दक्षिण में श्रीलंका द्वीप है जिसे मन्नार की खाड़ी तथा पाक स्ट्रेट भारत से अलग करती हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह और अरब सागर के लकादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह भारत संघ के अन्तर्गत हैं।

भारत बृहत् विश्व है। इस कारण राष्ट्रीय औसतन तापमान और औसतन वर्षा के आंकड़ों का भारत के लिए कोई अर्थ नहीं है। थार मरुभूमि में औसतन वार्षिक वर्षा ४ इंच होती है पर चेरापूंजी में ४ ० इंच होती है। इसी प्रकार काश्मीर के कुछ स्थानों में न्यूनतम तापमान ८ फारनहाइट रहता है और राजस्थान के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान १ फा रहता है। स्थानिक स्थानीय औसत की बात की जा सकती है भारत भर का राष्ट्रीय औसत की नहीं।

देश के विस्तार के अनुपात में समुद्र-तट कम है। क्योंकि खाड़ियां और उप खाड़ियां की संख्या कम है। भारत का पश्चिमी समुद्र-तट चट्टानी है। पूर्व में समुद्र उथला है अत महासागरीय जहाज बंदरगाह से दूर लंगर डालने को बाध्य होते हैं।

हिमालय : पर्वती दीवार

हिमालय : दूर उत्तर मे पामीर ग्रन्थि से दो पर्वतमालाये निकलती है। एक दक्षिण-पूर्व और पूर्व मे जाती है। इसको ही हिमालय कहते है। पामीर को इसी कारण भारत का शीर्ष-विन्दु वताया जाता है। उत्तरी भारत की रक्षा की दृष्टि से पामीर भारत की सीमा वनाता है। दूसरी पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम दिशा मे जाती है और नीचे लगभग समुद्र तक पहुच जाती है। उत्तर मे इसका नाम सुलेमान पर्वतमाला और दक्षिण मे किरथर पर्वतमाला हे। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा सुलेमान पर्वतमाला को वताया जाता है।

पूर्व मे वर्मा और भारत के मध्व की पर्वती दीवार को विभिन्न स्थानो मे विभिन्न नामो से पुकारा जाता है। यथा, पतकोई पर्वत और कुछ दक्षिण मे, नागा पर्वत। असम मे इसकी जन्तिया, खासी और गारो शाखाए है। ये चारो पर्वत-श्रृखलाए लुशाई और आराकान पर्वतमालाओ से, जो उत्तर से दक्षिण जाती है, मिलती है। आराकान पर्वतमाला अत मे नागरिया अन्तरीप पहुचती है और यह अडमान निकोवार द्वीपो तक चली गयी है।

हिमालय : पर्वतीय दीवार वनाने वाले पर्वतो मे हिमालय पर्वत सर्वाधिक महत्त्व का हे। भारत की सीमा पर यह १५०० मील तक फैला हुआ है तथा इसकी चौडाई १५० से २०० मील है। विश्व की यह सर्वोच्च पर्वतमाला है तथा साधारणत अलध्य है। गौरीशकर (२६,१४१ फुट), गोल्डविन आस्टिन (२८,२५० फुट) और कचनजघा (२८,१४० फुट) सदृश उच्च पर्वत-शिखर हिमालय मे ही है।

शेष एशिया और भारत के मध्य हिमायल एक सामान्यत अभेद्य दीवार है। हिमालय होकर आवागमन का कोई सरल मार्ग नही है। कुछ कठिन घाटियाँ है। उत्तर मे जोजीला दर्रा और पजाव मे शिपकी घाटी है। शिपकी से दार्जिलिंग तक और कोई मार्ग नही है।

पूर्व मे वर्मा की सीमा पर पर्वतीय-भीत्ति अधिक ऊँची नही है। इसको पहाडियो की श्रृखला कहना अधिक सम्यक् है। यह प्रदेश आर्द्र है और कम वसा है।

हिमालय पर्वत मुख्यत तीन समानान्तर भागो मे विभक्त है। महान् हिमालय है। इसकी औसतन ऊँचाई २०,००० फुट है। यह सदा हिमाच्छादित रहता है। यह तो हिमालय का वाहरी भाग है। मध्य भाग या अन्तराल की पर्वत-श्रेणी की ऊँचाई औसतन १५,००० फुट हे। मध्यवर्ती और मैदान के मध्य की पर्वतमाला हिमालय की निम्न श्रेणी है। इसकी औसतन ऊँचाई ३५०० फुट हे।

हिन्दुस्तान का मैदान

भूगर्भशास्त्र की दृष्टि से गगा का मैदान उत्तरीय सीमा के पहाडो का अगला गहरा भाग है। यह फैला मैदान समुद्र-सतह से काफी फुट नीचे है। इस भाग का निर्माण पहाडो से आई मिट्टी-वालू आदि के जमाव से हुआ है। यह निक्षेप से भरा गड्ढा है। पूर्व मे इस निक्षेप मे पर्वतो से आई कछारी सामग्री है। पश्चिम मे मैदान हवा से उडाई गई सामग्री से पूर्ण है। यह सारा निक्षेप पक और वालू से वना हुआ है।

सिन्धु-गगा का मैदान २४१४ कि मी या १५०० मील लम्वा तथा २४० से ३२० कि. मी या १५० से २०० मील चौडा है। यह पृथक्-पृथक् तीन नदी-प्रणालियो—सिन्धु,

गगा और ब्रह्मपुत्र के बगिन या सिंचित क्षेत्र से बना है। इस सारे मैदान के बीच कहीं कोई पहाड़ी नहीं है। पहाड़ से समुद्र तक ढलान इतना क्रमिक रूप से हुआ है कि गगा के मुहाने से १०० मील ऊपर का भाग समुद्र सतह से ५०० फुट से अधिक ऊंचा नहीं है। दिल्ली में यमुना नदी और बगाल की खाड़ी के मध्य लगभग १० कि मी की दूरी में केवल २१ मीटर ऊंचाई की कमी है। दुनिया भर में इससे बड़ा और इससे अधिक सघन बसा हुआ दूसरा मैदान नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से यह मैदान असुरक्षित है। चढ़ाई करने वाले आक्रान्ताओं को रोकने वाला कोई प्राकृतिक अवरोधक और बाधा इसमें नहीं है। इसी कारण देश का प्राचीन इतिहास इसी मैदान में बना। दिल्ली से बगाल की खाड़ी तक फैले १ मील लम्बे मैदान की समुद्रतल से ऊंचाई कहीं भी ७ ० फुट से अधिक नहीं है।

सिन्धु पश्चिम में सतलुज और व्यास नदियां सिन्धु नदी की शाखा-नदियां हैं। रावी भी सिन्धु नदी की शाखा है। रावी का तट मुल्तान और सिकन्दर के युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। सिन्धु नदी अरब सागर में गिरती। भारत की राजधानी सिन्धु और गगा के मध्य जलविभाजक (वाटर शेड) पर अवस्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी क्यों है इसका उत्तर स्पष्ट निहित है।

जाती है। इस समय इसमे सडके बन गई है तथा रेलगाडिया चलने लगी है। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के मध्य जगल और पहाडियो का अवरोध है।

पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आरम्भ विन्ध्य पर्वत की ढाल से हो जाता है। ये दोनो दूर दक्षिण मे जाकर नीलगिरि पर्वत मे मिल जाते है। जहा इनका मेल होता है, वहा एक ऊचा उठा हुआ शेर है जो देश का दक्षिणी कोर बनाता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और मैसूर से होकर जाता है। इसके पर्वत शिखरो की ऊचाई ५००० फुट से ६००० फुट के मध्य है। घाट की औसतन ऊचाई ३००० फुट है। पूर्वी घाट आध्र प्रदेश मे से होकर जाता है और मद्रास तक पहुचता है। इसकी औसतन ऊचाई १५०० फुट है। दोनो घाटो के बीच के त्रिभुजाकार पठार के दक्षिण मे नीलगिरी पर्वत है, जिसमे प्रसिद्ध दर्शनीय तीर्थ-स्थल ऊटकमड है।

भूगर्भीय ढाचा : भूगर्भ की दृष्टि से भी भारत के तीन पृथक्-पृथक् भाग है। पठार इनमे प्राचीनतम है। हिमालय पर्वत और उसके साथ के पहाड और सिन्धु-गगा का मैदान उसकी तुलना मे पीछे के है।

प्राय द्वीप भूगर्भीय स्थिरता का एक महान् प्रदेश है। विलक्षण बात यह है कि यह साधारणत भूकपीय जोरदार धक्को से मुक्त है। प्राय द्वीप का अधिकाश काल की रूपान्तरित-चट्टानो के आधारभूत मिश्रण से बना है।

भूगर्भ-शास्त्र के इतिहास की दृष्टि से आज जहा हिमालय है, वहा कुछ समय पहले तक समुद्र था। भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से आज भी इस क्षेत्र का बहुत-सा भाग अज्ञात है। पूर्व के बारे मे यह बात विशेष रूप से सत्य है। कुछ बाते अभी विवादास्पद है। शिवालिक पहाड का निर्माण ही पहाडो के क्षरण से हुआ है। हिमालय के ऊचा उठने के कारण बने अग्रगर्त को इसने भरा। ये निक्षेप आजकल बन रहे निक्षेपो से बहुत भिन्न नही है।

सिन्धु-गगा का मैदान एक बडा कछारी प्रदेश है। यह ७,७७,००० वर्ग किलोमीटर है। कछारी निक्षेप की गहराई काफी है। इस गड्ढे की भराई एक समान रूप से नही हुई है। इसकी प्रकृति भी अलग-अलग है। पूर्व मे बराबर पूर्ति होती रही है। यह कार्य नदियो ने किया है। ये अपने प्रवाह के साथ कछारी मिट्टी लाती रही है। पश्चिम मे यह कार्य आधियो ने किया है। आधिया अपने साथ कुछ-न-कुछ नई सामग्री लाती है। मानचित्रीय दृष्टि से मैदान विलक्षण रूप से एक समान है। जो उभार है, वह कुछ सैकडो किलोमीटर से अधिक नही।

भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से पठार बिल्लौरी चट्टान का बना हुआ है। यह हिमालय से बहुत पुराना है।

पठार के उत्तर-पूर्व किनारे पर तलहटी चट्टाने है। देश का अधिकाश कोयला इनसे मिलता है। देश के कुल कोयला-उत्पादन का ९० प्रतिशत इसी पठारी भाग मे स्थित झरिया (बिहार) और रानीगज (बगाल) से मिलता है, यद्यपि कोयला-क्षेत्र अन्य भी है जैसे—गोदावरी घाटी और विन्ध्य पर्वत की उत्तरी ढाल पर।

पठार का उत्तर-पश्चिमी भाग लावा से पूर्ण है। इसका नाम दक्कन लावा है। यह विश्व भर मे सबसे बडा लावा क्षेत्र है तथा २,५०,००० वर्गमील मे फैला हुआ है। यह

हजारों फुट गहरा है। बड़ी मात्रा में लावा होने पर भी विचित्र बात है कि इस प्रदेश में ज्वालामुखियों का कोई चिह्न नहीं पाया जाता या बहुत कम मिलता है।

नाग पठार में जगह-जगह मूल्यवान् खनिज द्रव्य मिलते हैं। पुरानी चित्तौरी चट्टानों में मयूर [illegible] सोना मिलता है। मनोज आंध्र प्रदेश मयूर और मध्य प्रदेश में तांबा और लोहा बिहार और उड़ीसा में अभ्रक आदि और दक्षिण-पूर्व में तथा हीरा पन्ना (मध्य प्रदेश) में पाया जाता है। कुरनूल (आंध्र) में भी हीरे वाली एक चट्टान मिली है।

बंगाल की खाड़ी में अण्डमान और निकोबार नाम से छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। अरब सागर में लक्षद्वीप नाम से द्वीप-समूह है।

काठियावाड़ का कच्छ अधद्वीप है। कच्छ सूखा चट्टानी निर्जलमय और वृक्षहीन क्षेत्र है। यहां भूतैल (पट्रोल) निकलने की सम्भावना है।

नदी-प्रणालियां

भारत की नदियां या नदी प्रणालियां (जल निकासी प्रणाली) तीन प्रकार की हैं १—उत्तर की ओर बहने वाली २—पश्चिम की ओर बहने वाली और —पूर्व की ओर बहने वाली। भारतीय पठार के उत्तरीय किनारे या विन्ध्य से निकली नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। जैसे—सोन चम्बल आदि। दूसरे वर्ग में नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ये क्रमशः विन्ध्य और सतपुड़ा से निकलकर लगभग समानान्तर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं।

दक्षिण और दक्षिण में पश्चिम घाट से निकली नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। हिन्दुस्तान की मैदानी नदियों से इनमें अन्तर है। १—इनकी जल-पूर्ति एकमात्र वर्षा से होती है। अतः इनमें निरन्तर पानी नहीं मिलता। २—इनकी घाटियां सिंचाई के कम उपयुक्त हैं। —साल के कुछ मासों में जब नदियां सूख जाती हैं तब ये नौकानयन के योग्य नहीं रहतीं।

भारत की नदियों का और एक दृष्टि से चार भागों में वर्गीकरण किया गया है। (१) हिमालय की नदियां (२) दक्कन की नदियां ( ) तटवर्तीय नदियां तथा (४) आन्तरिक जल क्षेत्र की नदियां। हिमालय की नदियां हिमागारों से निकलती हैं। इस कारण इनमें सदा पानी रहता है। दक्कन की नदियों के समान साल के किसी भाग में पानी सूखता नहीं। दूसरे वर्षा-काल में इनमें बाढ़ आता है। दक्कन की नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। अतः इनका जल स्तर घटता-बढ़ता रहता है। इनमें से अधिकांश बारहमासी भी नहीं हैं। तटीय नदियां विशेषतः पश्चिमी तट की सकराई में दौड़ती हैं। इनका अगरणा क्षेत्र भी शामिल है। पश्चिमी राजस्थान के आन्तरिक जल-क्षेत्र की नदियां अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाती और दक्षिण की सम्भर झील तक पहुंचकर ही रह जाती हैं। एक मात्र ऐसी नदी समुद्र के समान बहने से सम तक हो सकता है। बल्कि है सरस्वती नदी ऐसी मरुभूमि में विलीन हो गई है।

गंगा नदी का जल-क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत के कुल क्षेत्रफल के एक चौथाई भाग में गंगा की प्रणाली फैली है। गंगा के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्य पर्वत है। इस क्षेत्र में नदियों का महत्त्व महत्त्वपूर्ण है। गंगा गंगोत्री से गोमुख से निकलती है।

पहाडो मे इसका नाम भागीरथी, अलकनन्दा आदि है। यमुना, घाघरा, गण्डक और कोसी हिमालय से निकलकर गगा मे मिलती है। चम्वल, वेतवा और सोन भी गगा मे मिलती है। हरिद्वार मे पहाडो से निकलने के वाद यह सीधी दक्षिण की ओर न जाकर एक वडी कमान वनाते हुए पूर्व की ओर मुड जाती है तथा उत्तर प्रदेश और विहार से होकर गुजरती है। मार्ग मे ही इसमे यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, गण्डक, सोन और कोसी नदिया मिलती हैं। राजमहल पर्वत (विहार) के पास गगा दक्षिण-पूर्व की ओर घूमती है और प० वगाल मे जाती है। फिर यह पूर्वी पाकिस्तान (पूर्व वगाल) मे प्रवेश करती है तथा पद्मा कहलाती है। एक धारा हुगली नाम से प० वगाल मे वहती है। वगाल की खाडी मे गिरने से पूर्व यह कई धाराओ मे विभक्त हो जाती है।

गोदावरी इसका क्षेत्र भारत मे गगा नदी-क्षेत्र के वाद सवसे वडा है। यह सम्पूर्ण भारत के दस प्रतिशत क्षेत्र मे व्याप्त है। पूर्व मे ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र और पश्चिम मे सिन्धु नदी का क्षेत्र भी लगभग इतने ही हैं। कृष्णा नदी का क्षेत्र प्राय द्वीप मे दूसरे स्थान पर सवसे वडा है। महानदी क्षेत्र का स्थान इसके वाद है। दूर दक्षिण मे कावेरी का नदी-क्षेत्र भी इसके ही समान है।

उत्तर मे ताप्ती और दक्षिण मे पेन्नार के नदी-क्षेत्र छोटे है, लेकिन दोनो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास है। यहा से निकलने पर पूर्व की ओर लगभग ८०० मील वहती है। तिव्वत मे इस नदी का नाम त्साग-पो है। भारत मे प्रवेश करने पर यह दक्षिण की ओर वहती है। यहा इसमे दीवाग और लोहित नदिया मिलती है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहा फिर असम घाटी मे जाती हुई पश्चिम को मुडती है। असम घाटी ५०० मील लम्वी और ५० मील चौडी है। ब्रह्मपुत्र नदी गोआलुडो (पूर्वी पाकिस्तान) के पास दक्षिण-पश्चिम की ओर मुडती है। यहा यह गगा की सर्वाधिक पूर्वी शाखा पद्मा से मिलती है। इन दोनो का मिला प्रवाह वगाल की खाडी मे गिरता है। लेकिन इसके गिरने से पहले इसमे अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं। इन मिलने वाली नदियो मे मेघना नदी (पूर्वी पाकिस्तान) मुख्य है।

दक्खन की नदी-प्रणाली दक्खन की नदी-प्रणाली की नदिया पठार के पहाडो से निकलती है। केवल वरसात के पानी को लेकर वहती है, अत गर्मियो मे अनेक जल-शून्य हो जाती है। इन नदियो के तीन वर्ग है (१) पूर्व की ओर वहने वाली नदिया, (२) पश्चिम की ओर वहने वाली नदिया, और (३) उत्तर की ओर वहने वाली नदियाँ जो गगा नदी-प्रणाली मे जाकर मिलती है।

कावेरी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियो मे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य है। ये पठार के ढाल पर वहती है और इसको गहरा काटती हुई जाती है तथा वगाल की खाडी मे गिरती है। पूर्व की ओर वहने वाली नदियो मे और दो महत्वपूर्ण नदिया है—महानदी और दामोदर। (२) पश्चिम की ओर वहने वाली नदियो मे शारावती, नेत्रवती, चेलियार, पेन्नानी और पेरियार नदिया है। ये सव नदिया पश्चिमी घाट से निक-लती है और अरव सागर या सिन्धु-सागर मे गिरती है। (३) उत्तर की ओर वहने वाली नदिया उत्तरी मैदान की ओर जाती है। इन नदियो मे चम्वल सवसे अधिक महत्वपूर्ण है। चम्वल यमुना नदी मे मिलती है। दूसरी महत्व की नदी सोन है जो दानापुर (पटना) के

गाग गगा म मिलता है। परन्तु सबम बडी दो नदियाँ नमदा और ताप्ती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर या सिंधु सागर म गिरती हैं।

जलवायु

भारत का आवश्य विभाग यहा चार ऋतु मानता है (१) शीत ऋतु (दिसम्बर माच) (२) ग्रीष्म ऋतु (अप्रल मई) ( ) वर्षा ऋतु (जून सितम्बर) और (४) दक्षिण पश्चिम मधुवान (मानसून) की वापिसी का काल (अक्तूबर-नवम्बर)। परन्तु भारतीय साधारणत ६ ऋतुयें मानत हैं—क्रमश ग्रीष्म वर्षा शरद् हेमन्त और शिशिर। यह वर्ष विभाग वैदिक है तथा सौर मण्डल के अनुसार है।

वर्षा की दृष्टि से देश के चार भाग किय गए हैं (१) सम्पूर्ण असम और पश्चिमी घाट का तटी का पश्चिमी तट तथा उत्तर म बम्बई और दक्षिण म त्रिवन्द्रम का सारा क्षेत्र भारी वर्षा का है। यहा वष म ८० इन्च स अधिक वर्षा होती है। (२) ५० स ८ इन्च तक की वर्षा क प्रदेश हैं—उत्तर पूर्वी पठार तथा गगा घाटी का मध्य भाग ( ) कच्छ तक फैला राजस्थान का मरुभूमि लद्दाख तथा गिलगित तक काश्मीर का पठार अन्त कम वर्षा का क्षेत्र है (४) मध्य दक्षिणी पठार का दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भाग तथा गगा क मैदान क उत्तरी क्षेत्र म २ स ४० इन्च ही वर्षा होती है।

है। पश्चिम मे गुजरात से लेकर पूर्व मे बिहार तक, भारत का उत्तरी गोलार्द्ध पाकिस्तान व चीन, इन दो शत्रु राष्ट्रो की सीमा पर है। यह सीमा-भाग लगभग ८२०० मील लम्बा है। अब तक इनकी रक्षा का कार्य विभिन्न राज्यो के पास था, परन्तु अब इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है।

८२०० मील लम्बी उपरोक्त सीमा का स्वरूप एक-सा नही है। इसमे इतनी अधिक विविधता है कि इसकी सुरक्षा कठिन समस्या हो गई है। कच्छ (गुजरात) मे दलदली प्रदेश है, राजस्थान मे रेतीली भूमि है, पजाब मे उपजाऊ मैदान है, काश्मीर और लद्दाख मे पर्वती प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश मे भी उच्च पर्वत है। हिमालय के उच्च चरणो मे, नेफा मे दुर्गम पर्वत और जगल है। इस विविधता के कारण सीमा की रक्षा के लिये विशिष्ट प्रकार की प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता है। चीन और पाकिस्तानी आक्रमण ने इस सारी सीमा को जगा दिया है। इसके लिये विशिष्ट सरक्षक दल की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई है।

इस विस्तृत सीमा पर के प्रदेश, यहा रहने वाले लोग, किस अवस्था मे है, उनकी मानसिक और बौद्धिक प्रगति किस अवस्था मे हो रही है, इनका अध्ययन होना अभी शेष है।

काश्मीर : भारतीय सीमा का सबसे बडा और महत्व का भाग काश्मीर मे है। यहा चीन और पाकिस्तान दोनो के हमले हुए है। आक्रमण करके इन दोनो ने भारत-भूमि का काफी बडा भाग गैर-कानूनी तरीके से दबाया हुआ है। पश्चिम दिशा मे युद्ध-बन्दी रेखा जम्मू के मैदान मे से गुजरती है। परन्तु काश्मीर मे बारामूला के निकट यह रेखा पर्वत शिखरो पर से जाती है।

युद्ध-विराम समझौते मे यह ठहरा है कि पाकिस्तानी सैनिक युद्ध-विराम रेखा से २० मील परे ही रहेगे। केवल भारतीय सेना ही युद्ध-बन्दी रेखा तक जा सकती है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक छद्म वेश मे लुक-छिपकर आ जाते है। अगस्त १९६५ मे तो लाखो की सख्या मे पाकिस्तानी घुसपैठिये आ गये थे। इसको रोकने के लिये गाव-गाव मे भारतीय सैनिको का रखना आवश्यक हो गया। इसके कारण उनके आने मे कुछ रुकावट हुई है। यह सदा जागृत रहने वाली सीमा है।

लद्दाख की राजधानी लेह को सडक द्वारा कारगिल से जोड दिया गया है। यह रास्ता श्रीनगर तक गया है। किन्तु, यह रास्ता वर्ष मे पाच मास ही चालू रहता है।

पंजाब : पाकिस्तान और पजाब के मध्य की सीमा-रेखा 'रेडक्लिफ-निर्णय' के अनुसार खीची गई है। इसमे जो कुछ विवाद था, वह २० हजार एकड जमीन ले-देकर हल कर दिया गया है। भारत मे इस जमीन पर भूमिहीन किसानो को बसाया गया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर-व्यापार बडी मात्रा मे होता है।

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश और तिब्बत (तिब्बत चीन के अधिकार मे है) के मध्य १०० मील लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। हिमाचल प्रदेश या कन्नौर किसी समय किन्नरो और गन्धर्वो का देश माना जाता था। यहाँ प्राकृतिक सुषमा अपूर्व है। इस प्रदेश के राजा केदारसिंह ने सन् १५५४ मे अपनी सत्ता तिब्बत की सीमा तक पहुचा दी थी।

बस दो या तीन बच्चे :
होते है घर मे अच्छे



परिवार नियोजन केन्द्र की पहचान लाल ति

67/337

भारतीय इतिहास की एक झांकी

—एक विहंगम दृष्टि

आदिकाल विश्व के इस अज्ञात-आदि देश भारत का आदिकाल आर्यो से सबंधित है। भारत का आदिकाल ऋग्वेद मे विशेषकर तथा अन्य तीन वेदो मे सामान्यत वर्णित है। आदिकाल के जन-जीवन, भूगोल व इतिहास का वर्णन वेदो मे उपलब्ध है। पर वेदो का —ऋग्वेद प्राचीनतम माना जाता है—काल निश्चित नही हुआ है। ईसा से ५०,००० वर्ष पूर्व तक ऋग्वेद का काल विद्वान मानते है। वेद ही भारत के आदिकाल के दर्पण हैं। वेदो का एक नाम श्रुति भी है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इन्हे सहिता का रूप दिया। वेदो को हिन्दूमात्र ईश्वरीय ज्ञान मानते है तथा उनका विश्वास है कि वेद अनादि, अनत तथा अपौरुषेय हैं।

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत—वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदो का समावेश है। वेदो के छ अग भी हैं जो वेदाग कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थो मे एतरेय, तैत्तिरीय, गोपथ, शतपथ और षड्विंश मुख्य है। उपनिषदो की सख्या दो सौ से भी अधिक है। पर भारतीय आचार्यो ने ग्यारह को मुख्य माना है और इन्ही का भाष्य किया है।

आर्य-जन एक बडे परिवार के समान रहते थे। सब 'सजात' होने से एक समान थे। वर्णाश्रम की व्यवस्था गुण-कर्म के आधार पर की गई। ग्रहस्थ को सबसे बडा आश्रम माना जाता था। परिवार पितृ-सत्तात्मक थे। साधारणत एक पत्नीव्रत का पालन किया जाता था। स्त्रिया पर्दे मे नही रहती थी। अनेक स्त्रिया ब्रह्म-वादिनी थी। आर्यो का भोजन सादा था। चावल, जौ, घी, दूध की इसमे प्रधानता थी। मास-भक्षण इस काल मे निषिद्ध नही था। गाय को पूज्य और 'अघ्न्या' माना जाता था। सोमपान भी किया जाता था। सोम एक शक्तिवर्धक वनस्पति थी और इसको कूटकर इसका रस निकाला जाता था।

आर्य लोग ऊन, रेशम और रुई के वस्त्र पहनते थे। सिर पर उष्णीष (पगड़ी) धरते थे। नीचे अधो-वस्त्र (धोती या साडी) और ऊपर उत्तरीय (चादर) धारण करते थे। स्त्री-पुरुष, दोनो स्वर्णादि आभूषण पहनते थे, कुण्डल, केयूर, निष्कग्रीव, कण्ठहार आदि प्रचलित थे।

आर्य एक ईश्वर की पूजा करते थे। बहुदेवतावाद प्रचलित नही था। पर, आर्य प्रकृति-देव पूजक भी थे।

आर्यों का जीवन सरल और उच्च विचार का था। वे खेती करते थे और पशु पालते थे। चर्खियाँ चलती थीं। भिषग (वैद्य) विप्र माना जाता था। जूआ खेलना मना था। पत्थर का काम होता था। समुद्र में चलने वाले पोत और नौयान थे। दूर दूर तक वे व्यापार करने जाते थे। विमानों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है।

राज्य का संचालन सभा तथा समिति की सहायता से राजा या गण प्रमुख करते थे। राज्याभिषेक के समय की गई अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन न करने वाला राजा सिंहासन से उतार दिया जाता था।

उत्तरकाल में आर्यों का विस्तार तेजी से हुआ। उनकी बस्तियां कुरु पांचाल वत्स मगध विदेह तक फैल गईं और अनेक राज्य स्थापित हो गए। इस काल में ही वेदांगों दर्शन शास्त्रों इतिहास-पुराणों की रचना हुई। इस समय आर्य हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश बसा चुके थे। इस काल में ही अयोध्या में सूर्यवंश या इक्ष्वाकु कुल का राज्य स्थापित हुआ। कुरु-पांचाल में कौरवों और पांचालों का राज्य स्थापित हुआ। अयोध्या के प्रतापी राजा श्रीराम ने लंका तक का प्रदेश जीता। कुरु पांचालों की लड़ाई ही वस्तुतः कौरवों-पाण्डवों की लड़ाई में बदल गई। यह संग्राम कुरुक्षेत्र में हुआ। १८ अक्षौहिणी सेना मारी गई। यह युद्ध भारतीय धारणा के अनुसार ईसा से [illegible] साल पहले या कलियुग के प्रारम्भ में हुआ था। राम-लक्ष्मण युधिष्ठिर भीम-अर्जुन से एक हजार साल पहले हुए हैं। अतः श्रीराम ईसा से ६०[illegible] साल पहले हुए।

कौरवों-पाण्डवों की कथा व्यास द्वारा महाभारत में निबद्ध की गई। महाभारत का जय नाम भी है। महाभारत वस्तुतः आर्य संस्कृति और आर्य-साहित्य का विश्वकोष है। महाभारत में दावा है कि जो इसमें नहीं है वह कहीं अन्यत्र भी नहीं है। गीता महाभारत का ही एक भाग है। गीता विश्व भर में आदर के साथ पढ़ी जाती है। यह भगवान् श्रीकृष्ण के उपदेशों का संग्रह है तथा समस्त आर्य (हिन्दू) दर्शन का सार है।

वेदांग ६ हैं—शिक्षा छन्द व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और कल्प।

उपवेद हैं—आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थवेद (शिल्पवेद) और गन्धर्ववेद।

षड्दर्शन हैं—सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदान्त।

अठारह पुराणों में मत्स्य वायु विष्णु और भागवत मुख्य हैं।

आर्य जाति का विस्तार ईरान ग्रीस रोम और पश्चिमी यूरोप तक हुआ। पश्चिमोत्तर में आर्यों का एक अन्य शाखा [illegible] नाम से बसा।

मोहनजोदड़ो-हड़प्पा के पूर्व वर्णित आर्यों से पहले भारत में अन्य नाग बसते थे और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई से प्राप्त सामग्री इन नागों की है यह यूरोपियन विद्वान कह रहे हैं और माना जाने लगा है कि ये भी आर्यों के ही नगरों के ध्वंसावशेष हैं। क्योंकि ये ध्वंसावशेष हड़प्पा तक ही सीमित नहीं हैं। सिन्धु घाटी से [illegible] गुरुदासपुर में [illegible] तक और [illegible] तक ये मिले हैं। [illegible] (काश्मीर) से ब्रह्मगिरि तक इनका प्रसार है।

सिन्धु-घाटी सभ्यता—मोहनजोदड़ो के हड़प्पा [illegible] नदी की घाटी [illegible] और [illegible] (दजला-फरात नदियों) की घाटी [illegible] हो विश्वप्रसिद्ध [illegible] नदियों की घाटी और

जैन धर्म का उदय —जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में लगभग एक करोड़ है। जैनी इसे प्राचीनतम मानते हैं। वर्धमान महावीर २४ वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभ वैदिक सूक्तों के व्याख्याता भी हैं। २३ वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर बिहार में पार्श्वनाथ पर्वत है और यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। २४ वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म ज्ञातृक राजकुल में हुआ जो वज्जि गणराज्य के संघ में था। इसकी राजधानी कुण्डग्राम थी। ३० वर्ष की आयु में वर्धमान ने घर-बार छोड़ दिया तथा भिक्षु हो गये। बारह साल की घोर तपस्या के बाद उन्होंने केवलिन पद प्राप्त किया। संस्कार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त होकर तथा सुख-दुःख की भावना से ऊपर उठ सब वस्तुओं से पृथक केवल रूप की अनुभूति केवलिन अवस्था है। धर्म प्रचार करते हुए ७२ वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पटवापुर (पटना) में उनकी मृत्यु ४२० ई० पू० में हुई।

जैन मत में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण ये पाँच व्रत भिक्षु और गृहस्थ दोनों को मानने चाहिए। जैनों का अहिंसा-व्रत बौद्धों से भी अधिक कठोर है।

जैन-साहित्य बड़ा विशाल है और ६ भागों में विभक्त है (१) १२ अंग (२) १२ उपांग (३) १ प्रकीर्ण (४) ६ छेद-सूत्र (५) ४ मूल-सूत्र (६) विविध। यह साहित्य मुख्यतः प्राकृत भाषा में है। प्राकृत के अतिरिक्त कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में भी जैन पुस्तकें मिलती हैं।

जैन धर्म भारत से बाहर नहीं गया। जैन धर्म के अन्तर्गत दिगम्बर और श्वेताम्बर दो सम्प्रदाय हैं। श्वेताम्बरों में अनेक सम्प्रदाय हैं। तेरापंथी इनमें से ही हैं। दिगम्बर जैनियों के मन्दिर में प्रतिमायें निर्वस्त्र होती हैं।

बौद्ध धर्म —शाक्य क्षत्रियों का एक छोटा-सा राज्य हिमालय की तराई में था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इस गणराज्य का शासक शुद्धोदन था। इस शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इनका गोत्र गौतम था अतः ये गौतम भी कहलाये। इनका बालपन ऐश्वर्य और विलास में बीता। सिद्धार्थ को शिक्षा राजकुमारों के योग्य दी गई थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। एक पुत्र भी हुआ। इसका नाम राहुल रखा गया। कपिलवस्तु के सौन्दर्य को देखते हुए उन्होंने एक दिन मरणासन्न रोगी, एक दिन बूढ़ा और श्मशान जा रही एक अर्थी को देखा। इन सबके बाद एक शान्त प्रसन्न संन्यासी को देखा। इन चारों दृश्यों का सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर-बार छोड़कर भिक्षु होने का विचार करने लगे और एक रात दारा और पुत्र को छोड़कर घर से निकल गये। गया पहुँच कर उन्होंने वट-वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की। यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि तपस्या व्यर्थ है, जैसे भोग विलास व्यर्थ है। दोनों के मध्य का मार्ग ही सही है। यही बुद्ध का मध्य मार्ग है।

६ वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार किया। लुम्बिनी उद्यान में ५६७ ई० पू० बुद्ध का जन्म हुआ और ८० साल की उम्र में कुशीनारा (कसिया) में ५४५ ई० पू० मृत्यु हुई। ४४ साल निरन्तर पर्यटन करते हुए धर्म प्रचार किया। बुद्ध का अष्टांग मार्ग है (१) सम्यक दृष्टि (२) सम्यक प्रयत्न (३) सम्यक वचन (४) सम्यक

सकल्प, (५) मम्यक् कर्म, (६) सम्यक् आजीविका, (७) सम्यक् विचार और (८) सम्यक् ध्यान । बुद्ध भगवान हिंसा के विरोधी और ऊच-नीच की भावना से सर्वथा मुक्त थे । प्राणी मात्र को एक समान मानते थे । जन्म के कारण किसी को ऊच या नीच नही मानते थे ।

बुद्ध ने धर्म-प्रचार के लिए सघ की स्थापना की । स्त्रीयो को भी भिक्षु वनने का अधिकार दिया । २५ मई १९५६ को उनका २५०० वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया ।

भगवान बुद्ध की मृत्यु के कुछ वर्प वाद उनके शिष्य राजगृह मे एकत्र हुए । यहाँ वुद्ध की शिक्षाओ को लेखवद्ध किया गया । वौद्ध-साहित्य का आधार त्रिपिटक है । ये तीन है । इनमे बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षायें सगृहीत है । सौ वर्प वाद वैशाली मे इन शिक्षाओ का पुन सग्रह करने और इनमे सशोधन करने के लिए दूसरी सगीति हुई । त्रिपिटक है विनय पिटक, (२) सुत्त पिटक, (३) अभिधम्म पिटक ।

जैन और बौद्ध, दोनो धर्म वेदो की प्रामाणिकता स्वीकार नही करते, मत्रो को निरर्थक मानते है । दोनो जीवन की पवित्रता और सदाचार पर वहुत जोर देते है । दोनो ने सस्कृत को अपने प्रचार का माध्यम नही वनाया । वौद्धो का साहित्य पाली मे और जैनो का अर्ध मागधी-प्राकृत मे है । वाद मे सस्कृत मे भी इन धर्मों का साहित्य लिखा गया । दोनो धर्म कालातर मे भारत मे अत्यन्त सीमित होकर रह गए ।

भारत और सिकन्दर

ईरान मे गए आर्य अपने देश को आर्यान या एर्यान कहते थे । ईरान शब्द का मूल यही है । इनकी दो शाखाए थी—पार्श (पर्शियन) और मीड । इनमे से पार्श ने साम्राज्य वनाया । हरवमनी के समय लगभग सारा ईरान पार्श साम्राज्य मे आ गया था । हरवमनी के वगजो मे डेरियस या दारयबहु (५२१-४२८ ई० पू०) वडा प्रतापी राजा था । इसने भारत के तीन प्रदेश सिन्ध, कम्वोज और गाधार जीत लिये । डेरियस ने अपने विजय-स्तभो मे अपने को ऐर्य, ऐर्यपुत्र (आर्य-आर्यपुत्र) कहा है । भारत के, सिन्धु नदी के पश्चिम के भाग को उसने एक क्षत्रप के आधीन रखा था । इसके कारण भारत का सम्वन्ध पश्चिमी एशिया से दृढ हो गया तथा भारतीय व्यापारी एशिया-माइनर और मिस्र पहुचने लगे ।

दारा के आक्रमण के समय उसका नौ-सेनापति स्काईलेक्स (शैलाक्ष) समुद्र-मार्ग से सिन्ध के मुहाने तक आया था । इससे भारत के समुद्री व्यापार को वहुत सहायता मिली । ईरानी आक्रमण के कारण भारत मे खरोष्टी लिपि आई । भारत की अपनी लिपि इस समय ब्राह्मी थी जिसका वर्तमान रूप नागरी है । खरोष्ट्री दायी ओर से वायी ओर को लिखी जाती थी । ईरानी लिपि का नाम अरैमिक था । सिन्धु नदी के पश्चिम के भारतीय प्रदेश मे अरैमिक लिपि का प्रचार हुआ । खरोष्टी की वर्णमाला ब्राह्मी के समान थी, पर लिपि उसकी अरैमिक से ली गई थी । ईरानी 'स' को 'ह' कहते थे । सिन्धु को हिन्दू कहते थे । फलत वे इस देश को हिन्दुस्तान कहने लगे । ग्रीको ने इसको 'इण्डिया' कहा ।

ग्रीस मे भी आर्य वसे थे । ग्रीस पर मैसीडोनिया ने हमला किया । मैसीडोनिया के प्रतापी राजा का नाम अमिंटस था । उसका लडका फिलिप हुआ । इसने अपने राज्य का विस्तार किया । फिलिप का लडका सिकन्दर हुआ । सिकन्दर अरस्तू (अरिस्टाटल) का

शिष्य था। यह बड़ा महत्वाकांक्षी था। विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता था। सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले ईरानी साम्राज्य को नष्ट किया। इससे उसको अनायास हिन्दुकुश तक का भारत का भू भाग मिल गया। ईरान की राजधानी पर्सिपोलस को जीतकर सिकन्दर भारत की ओर बढ़ा। गांधार के राजा आम्भि ने सिकन्दर से मित्रता कर ली। आम्भि की सहायता पाकर सिकन्दर ने राजा पोरस (पुरु) पर आक्रमण किया। यह वीरता से लड़ा। इस युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में दो मत हैं सिकन्दर की हार सिकन्दर की विजय। विद्वानों की नयी पीढ़ी प्रथम मत को अधिक पुष्ट व सार्थक मानने लगी है। पुरु की मित्रता प्राप्त कर सिकन्दर आगे बढ़ा। उसको अनेक गणराज्यों से युद्ध करने पड़े। इनमें से क्षुद्रकायन मल्ल और कठ मुख्य थे। कठ की राजधानी साकल (स्यालकोट) नगरी थी। कठ-युद्ध से सिकन्दर की सेना घबड़ा गयी और उसने युद्ध करने से इंकार कर दिया। मगध-सम्राट महापद्मनन्द की सेना के आतंक से भयभीत सिकन्दर व्यास तक पहुंच कर लौट पड़ा। वापसी में सिकन्दर की सेना को मालवा और क्षुद्रकों ने ललकारा। सिकन्दर इनसे सन्धि करने को बाध्य हुआ। यहां उसके कलेजे में बर्छे की चोट लगी। यह घातक सिद्ध हुई। ३२३ ई० पू० सिकन्दर बबीलोनिया पहुंचा। यहां ३३ वर्ष की आयु में बर्छे के घाव से उसकी मृत्यु हो गई।

सिकन्दर के आक्रमण के कारण ग्रीकों का भारत की कला पर प्रभाव पड़ा। मंदिर निर्माण मूर्तिकला और मुद्रा निर्माण तथा इसी प्रकार ज्योतिष भी प्रभावित हुए। व्यापार बढ़ा। यवनानी लिपि भी आई। भारत का धर्म दर्शन व ज्योतिष पश्चिम में पहुंचा।

प्रसिद्ध राजवंश

मौर्य वंश

चन्द्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने भारत से ग्रीक विजय के प्रभाव को मिटा दिया तथा पुनः भारत की सीमा हिन्दुकुश तक पहुंचा दी। इस प्रकार भारत की राजनीतिक सीमा और प्राकृतिक सीमा एक हो गई। आचार्य चाणक्य का मत था कि हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली एक सहस्र योजन आर्य भूमि है और इसमें एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित होना चाहिए। इस लक्ष्य को उन्होंने अपने शिष्य चन्द्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाकर पूरा किया। सैल्युकस सिकन्दर का एक सेनापति था। सिकन्दर के पद चिन्हों पर चलते हुए उसने भारत पर ३०५ ई० पू० में आक्रमण किया। चन्द्रगुप्त ने उसको मुनारपरा की मिट्टी में मिला दिया। पराजित सेल्युकस ने चन्द्रगुप्त को परोपनिसदाई (काबुल) एरिया (हिरात) आर्कोसिया (कन्धार) और जेड्रोसिया (कलात मकरान और मकरान) के प्रदेश दिये। उसने अपनी कन्या भी चन्द्रगुप्त से विवाही। चन्द्रगुप्त ने अपने यूनानी श्वसुर को ५०० हाथी दिये। मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनान का राजदूत होकर आया।

आचार्य चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें चन्द्रगुप्त की नीति और व्यवस्था का वर्णन है। चन्द्रगुप्त की सेना में ६ लाख पैदल ३० हजार घुड़सवार और ९ हजार हाथी थे। ८ हजार से अधिक रथ थे। सेना का प्रबन्ध ६ उपसमितियों द्वारा होता था। भूमि राज्य की अपनी थी। इसमें राज्य को बड़ी आमदनी थी। समुद्र से मोती

निकालने का काम राज्य करता था। नमक का कारोबार भी राज्य के आधीन था। चद्रगुप्त ने ३२२ ई० पू० से २६८ ई० पू० तक राज्य किया।

चद्रगुप्त के पुत्र **बिंदुसार** के दरवार मे सैल्युकस के उत्तराधिकारी राजा एण्टीयोकस का दूत रहता था। मिस्र का राजदूत डायोनीसियस भी दरवार मे था। बिन्दुसार की २७२ ई० पू० मृत्यु हो गई।

सम्राट अशोक . विंदुसार की मृत्यु पर मगध के राजसिहासन पर अशोक वैठा। इसने सर्वप्रथम कलिग (उडीसा) को जीता। अशोक ने इस विजय के वाद 'धम्म-विजय' (धर्म-विजय) की ओर ध्यान दिया। वौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए उसने देश-विदेश मे अपने प्रचारक भेजे। अशोक के 'महामात्य' का कार्य ही धर्म-प्रचार का कार्य देखना था। अशोक ने चिकित्सालय खोले। शिलाओ पर अपने सदेश अकित करा उन्हे भिन्न-भिन्न स्थानो पर प्रतिष्ठापित किया। ये शिला-लेख अफगानिस्तान से लेकर मैसूर तक मिले है। सारनाथ से प्राप्त स्तम्भ पर सिह की चार मूर्त्तिया वनी हुई है। कहते हे, अशोक ने ८४ हजार इमारते वनवाई। सारनाथ, साची और पाटलिपुत्र मे अशोक के भवनो के कुछ अवशेप मिले है। पाटलिपुत्र के राज-प्रसाद को देखकर चीनी यात्री फाहियान चकित रह गया था। उसने उसको देवताओ का वनाया हुआ वताया। दुनिया के पाच महान् व्यक्तियो मे अशोक का भी एक नाम है। राज्य-शक्ति का धर्म-प्रचार और जन-कल्याण मे प्रयोग करने वाला विश्व का यह सभवत पहला सम्राट् था।

मौर्य साम्राज्य प्राची, मध्यप्रदेश (पाटलिपुत्र) दक्षिण-पथ (सुवर्णगिरि, रायपुर, मैसूर), पश्चिम-चक्र (उज्जैन) और उत्तरापथ (तक्षशिला), इन पाच मण्डलो मे विभक्त था। जनपद और इनकी जनपद-सभा को कायम रखा गया। ग्राम का शासक 'ग्रामिक' कहलाता था। यह कर वसूलने के अतिरिक्त मनोरजन के लिए प्रेक्षाओ (तमाशो) का भी प्रवन्ध करता था। 'ग्रामिक' शासन का एक महत्त्वपूर्ण अग था।

केन्द्रीय शासन अठारह तीर्थो या विभागो मे विभक्त था। प्रत्येक विभाग एक महामात्य के आधीन था। न्यायालय धर्मस्थीय (दीवानी) और कण्टक-शोधन (फौजदारी), दो प्रकार के होते थे। न्यायालय के सामने कोई मुकदमा चलने पर निम्न बाते अवश्य लिपिवद्ध की जाती थी —(१) तिथि, (२) अपराध का स्वरूप, (३) घटनास्थल, (४) यदि ऋण का हो, तो ऋण की मात्रा, (५) वादी-प्रतिवादी के देश, गाव, जाति, गोत्र, नाम, पेशा, (६) दोनो पक्षो की युक्तियो और प्रत्युक्तियो का पूर्ण विवरण। मैगस्थनीज ने माना है कि लोग घरो मे ताले नही लगाते थे। चोरिया अज्ञातप्राय थी। लोग सत्यवादी थे।

सारनाथ का स्तभ मौर्यकालीन कला का प्रतीक है। अशोक के समय की पाषाण वेष्टनियाँ (रेलिंग) भी दर्शनीय है। इन पर जातक की कथाये उत्कीर्ण है। वेष्टनिया पत्थर काटकर वनायी गयी है। साची का स्तूप महत्त्व का है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फुट है। यह लाल रग के पत्थर से वनाया गया है। गुहा-मदिर वनाने की परम्परा का प्रारम्भ इसी समय से हुआ। ऐसे मदिर वरावर (विहार) की पहाडियो मे बने है।

मैगस्थनीज के अनुसार, भारत मे सात जातिया तब थी —(१) दार्शनिक, (२) किसान, (३) अहीर, गडरिये और चरवाहे, (४) कारीगर, (५) सैनिक, (६) राज्य

कर्मचारी और (७) निरीक्षक या गुप्तचर। समाज में दहेज की प्रथा प्रचलित थी। पुनर्विवाह और तलाक भी प्रचलित थे। लोग मितव्ययी थे तथा स्वच्छता व भव्यतापूर्वक रहते थे। रत्नों को धारण करने की प्रथा थी। अत्यन्त सुन्दर मलमल के बने फूलदार कपड़े लोग पहनते थे। तक्षशिला शिक्षा का महाकेन्द्र था। एक आचार्य के पास ५०० से लेकर दस सहस्र तक छात्र रहते थे। राज्य शिक्षा को सहायता देता था। अधिकांश भाग में सिंचाई होने से साल में दो फसलें होती थीं। अकाल कभी नहीं पड़ता था। अनाज सस्ता था। उद्योगों में नौका व जहाज बनाने के उद्योग मुख्य थे।

मिनान्डर भारत के ग्रीक राजाओं में मिनान्डर का नाम प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी साकल (सियालकोट) थी। वह बौद्ध था। मिलिन्द पञ्हो उसका लिखा पाली भाषा में एक ग्रंथ है। तक्षशिला के ग्रीक-नरेश अंतलिखित का राजदूत हेलिउदोर विदिशा में रहता था। वह वैष्णव हो गया था। वासुदेव (विष्णु) की पूजा के लिए उसका बनाया गरुड़ध्वज आज भी विद्यमान है।

कलिंग नरेश खारवेल ने डेमेट्रियस (देमेत्रीय) को हराकर भारत की यवनों से रक्षा की।

शुंग वंश

पुष्यमित्र मौर्यों का सेनापति था। उसने शुंग राजवंश चलाया। अश्वमेध यज्ञ भी किया। एक शिलालेख में उसे द्विरश्वमेधयाजी बताया गया है। यवनों ने इसका छोड़ा अश्व पकड़ लिया था। उसके पोते वसुमित्र ने उसको छुड़ाया। महाभाष्यकर्त्ता पतंजलि ने इसका अश्वमेध यज्ञ कराया था। महाभाष्य में कहा गया है पुष्यमित्रं याजयामः।

सातवाहन वंश

सिमुक मौर्यों के निर्बल होने पर दक्षिण में सिमुक ने २१० ई० पू० सातवाहन वंश की नींव डाली। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान नगरी इसकी राजधानी थी। इसके वंशज गौतमीपुत्र शातकर्णि ने पश्चिम में अवन्ति तक राज्य का विस्तार किया। इसने शक पह्लव (पार्थियन) और यवनों (ग्रीकों) को पराजित किया। इसका काल ९९-४४ ई० पू० था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासज्ञ डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने इसी को शकारि विक्रमादित्य बताया है।

वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावि के समय सातवाहन राज्य आन्ध्र देश तक फैल गया। पुलुमावि ने मगध के राजा सुशर्मा को मार कर मगध के कण्व वंश की समाप्ति कर दी। सातवाहन वंश का शासन २२५ ई० तक रहा।

कुषाण साम्राज्य हूणों से भगाये और सारे शकों द्वारा भगाये जाने के बाद उसको छोड़ कर कडफिसस प्रथम कुषाण नेता ने काबुल में राज्य स्थापित किए। इनमें एक कुषाण साम्राज्य था। इसका राजा कनिष्क बौद्ध था। चीन के सम्राट को बौद्ध धर्म-ग्रन्थ भेजने वाला यह पहला भारतीय नरेश था। ८० वर्ष की आयु में वह ३० ई० में मर गया। उसका उत्तराधिकारी विम कडफिसस द्वितीय था। इसने अपना राज्य मथुरा तक बढ़ाया। पाटलिपुत्र पर इस समय स्कन्दगुप्त... शातकर्णि का राज्य था। कुन्तल शातकर्णि ने कुषाणों को अनेक युद्धों में परास्त किया और शकारि कहलाया। ७८ ई० में कनिष्क राजगद्दी पर बैठा।

इसने सातवाहनो को हराया तथा अयोध्या-पाटलिपुत्र तक राज्य बढाया। कनिष्क पाटलिपुत्र से बौद्ध विद्वान् अश्वघोष और बुद्ध के एक कमण्डल को साथ ले गया। उत्तरी भारत से इसने सातवाहन वश के राज्य को समाप्त कर दिया। कनिष्क ने उत्तर मे वक्षु-सीर नदियो तक के प्रदेश को जीता। चीन से लडकर काशगर, खोतान और यारकन्द के प्रदेश इसने अपने साम्राज्य मे मिला लिए। वक्षु और यारकन्द से पाटलिपुत्र तक फैले साम्राज्य के शासन के लिये इसने पुष्यपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क के सिक्को पर देवी-देवताओ की मूर्तिया बनी हुई है। कुण्डलवन (काश्मीर) विहार मे कनिष्क के सरक्षण मे बौद्धो की चौथी महासभा हुई। अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व इसमे ५०० विद्वानो के साथ सम्मिलित हुए थे। त्रिपिटिक का प्रामाणिक भाष्य सस्कृत मे तैयार किया गया। मध्य एशिया और चीन मे बौद्ध-प्रचारक भेजे गए। महायान सम्प्रदाय का प्रवर्त्तन इसी समय हुआ। कनिष्क की एक सिरकटी मूर्त्ति मथुरा सग्रहालय मे सुरक्षित है। कनिष्क ने ४० वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क के बाद हविष्क और वासुदेव प्रसिद्ध राजा हुए।

११० ई० मे सातवाहनो ने उज्जैनी के शक क्षत्रप को हराया और उसके प्रदेशो पर अधिकार कर लिया। पजाब के कुणिंद और यौधेय और मालव गणराज्यो ने अपनी सत्ता पुन स्थापित की। कुशाण साम्राज्य को इन सबने समाप्त कर दिया।

नाग भारशिव वश . कुशाणो के साम्राज्य के भस्मावशेष से उत्पन्न राज्यो मे नाग भारशिव वश मुख्य है। इन्होने ग्वालियर के पास पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया। कौशाम्बी से बढते-बढते ये मथुरा पहुचे। इन्होने गगा-यमुना का प्रदेश कुशाणो से जीता था, अत गगा-यमुना को अपना राज्य-चिन्ह बनाया। इस वश के शासक वीरसेन ने बनारस मे गगा-घाट पर अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए।

वाकाटक वंश · भारशिव राजाओ का एक सामत था, विध्य शक्ति (२७८ ई०)। इसने कुशाणो को हराया। इसके पुत्र प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड से शको को मार भगाया। प्रवरसेन के पुत्र का नाम गौतमिपुत्र था। इसका विवाह नाग भारशिव वश के राजा भगनाग की कन्या से हुआ। इससे उत्पन्न पुत्र रुद्रसेन भारशिव और वाकाटक, दोनो वशो के राज्यो का शासक हुआ। उत्तरी भारत इसके राज्य मे आ गया।

गुप्त-साम्राज्य (३१९ ई०—५१० ई०)

वाकाटको के निर्बल होने पर लिच्छवियो ने गगा के दक्षिण मे पाटलिपुत्र को भी जीत लिया। कुशाण साम्राज्य के अन्त मे उत्पन्न वीरो मे श्री गुप्त एक था। इसने पूर्वी मगध मे अपना राज्य स्थापित किया। श्री गुप्त ने गुप्त वश की स्थापना की। इसका पोता चन्द्रगुप्त (३१९—३३५ ई०) महापराक्रमी हुआ। वह महाराजाधिराज हो गया। चन्द्रगुप्त ने लिच्छवीगण से मैत्री की तथा उसकी राजकन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया। इस विवाह के कारण गुप्त राज्य और लिच्छवी राज्य एक हो गए। कुमार देवी का पुत्र समुद्र-गुप्त हुआ। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाता है। प्रयाग के एक पुराने स्तम्भ पर इसकी विजय-प्रशस्ति अकित है। प्रशस्ति हरिषेण की लिखी हुई है। समुद्रगुप्त ने वाकाटक वश का राज्य समाप्त कर दिया, काची के राजा विष्णुगोप को हराया। समतट (गगा-ब्रह्म-पुत्र का मुहाना), दवाक (चटगाव-त्रिपुरा), कामरूप (असम), नेपाल और कर्तृपुर (कुमायू) के राज्यो ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। कुशाण 'शाहानुशाहि' ने भी समुद्रगुप्त

का प्रभाव स्वीकार किया। समुद्रगुप्त विद्या और कला प्रेमी सम्राट था। ३७८ ई० में समुद्रगुप्त का देहान्त हो गया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८ ४१३ ई) रामगुप्त नपसक राजा था। कुषाण-नरेश शाहानुशाहि ने इस पर हमला कर दिया। रामगुप्त न सधि की जो शर्तें स्वीकार की थीं वे उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त को स्वीकार नही थी। चन्द्रगुप्त ने स्त्री वेष धारण करके कुषाण राजा के अतपुर म प्रवेश किया और उसको मार दिया। रामगुप्त के पराभव पर वह गुप्त राज्य का स्वामी हो गया। ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी के साथ उसन विवाह कर लिया। चन्द्रगुप्त ने कुशाणो को हराया। चन्द्रगुप्त की सेना हिन्दूकुश पवतमाला को पार कर बाल्हीक (बलख) तक जा पहुची। दिल्ली मे मेहरौली के पास एक लाट खडी है। इस पर चन्द्रगुप्त की विजय की प्रशस्ति उत्कीण है। वक्षु नदी से अरब सागर तक साम्राज्य स्थापित करन के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।

कुमारगुप्त (४१४ ४५५ ई० इसका ४१ वष का शासन शान्ति का शासन रहा। नालन्दा महाविहार की स्थापना इसी ने की। इसम दूर दूर के विद्यार्थी शिक्षा पाने आते थे। इस समय हूणो के हमले पुन प्रारम्भ हो गए। इनके कारण गुप्त वश की राज्य लक्ष्मी डगमगाने लगी।

स्कन्दगुप्त (४५५ ४६७ ई) हूणा से यह वीरतापूवक लडा गुप्त राजवश की लक्ष्मी का उद्धार किया शको को हराया।

स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य क्षीण होता गया। तोरमाण हूण न ५ ई म पजाब और मालवा जीता। इसका उत्तराधिकारी मिहिरकुल था। इसको गुप्तवश के नरसिंह बालादित्य न हराया। मिहिरकुल धम से शव था।

यशोधर्मा हूणो को विजय करने वाले सेनानी का नाम शिलालेखो म जन द्र यशो धर्मा कहा गया। मन्दसौर का विजय-स्तम्भ इसका यश गाथा गा रहा है।

गुप्तवश का साम्राज्य नष्ट होने पर भारत म सावभौम सम्राटो का भी अन्त हो गया। पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसके बाद फिर नही उदय हुआ।

फाहियान चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राटो के राज्यकाल म भारत आया था। यह त्रिपिटक की खोज म भारत आया तथा यहा १५ वष रहकर चीन वापस लौटा। चीन यह एक भारतीय जहाज पर लौटा। इसने अपने यात्रा विवरण मे भारतीय शासन की बडी प्रशसा की है। इसने लिखा है कि राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई सोना उछालता चला जाय तो कोई उसे नही छूता। लेन देन मौखिक ही होता था लिखा पढी और पचायत की कोई जरूरत नहीं होती। अपराधियो को अपराध के अनुसार अथ-दण्ड दिया जाता था। प्राण दण्ड और शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता। राज्य भर म जीव हिंसा नही होती। कोई मद्य भी नहीं पीता। चाण्डाल को छोडकर लहसुन प्याज भी कोई नही खाता। सूअर और मुर्गी नहीं पाले जाते। शराब की दूकानें नही थी। सूनागार (बूचडखाना) भी नहीं थे। केवल चाण्डाल मछली पकडते शिकार खेलते और मास बेचते थे।

हषवधन गुप्त साम्राज्य का अन्त होने पर (१) कन्नौज म मौखरि वश (२) थानेश्वर म वधन वश और (३) वल्लभि म मत्रिक वश राज्य कर रहे थे। गुप्तो का राज्य

मगध तक सीमित रहा। इनमे वर्धन वंश का हर्षवर्धन गुप्त वंश के बाद भारत का सबसे विख्यात राजा हुआ।

मौखरि राज-वंश ने गुप्तो की अधीनता का त्याग करके ईसा की छठी सदी मे कन्नौज मे अपना राज्य स्थापित किया। ईश्वरवर्मा हूणो से लडा था। इसके बाद कन्नौज की गद्दी पर ईश्वरवर्मा और सर्ववर्मा बैठे। सर्ववर्मा ने गुप्त वंशी राजा दामोदर गुप्त को एक युद्ध मे मार दिया, पाटलिपुत्र पहुच गया। छठी शती के अन्त मे कन्नौज भारत का केन्द्र हो गया। सर्ववर्मा के बाद अवन्तिवर्मा और गृहवर्मा राजगद्दी पर बैठे। गृहवर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। गृहवर्मा की मृत्यु के बाद राज्यश्री कन्नौज की स्वामिनी हुई। प्रभाकरवर्धन के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, दो पुत्र थे। राज्यश्री के राजगद्दी पर आने पर गुप्तो के एक सामन्त नरेन्द्रगुप्त शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यश्री को कैद कर लिया। इस पर राज्यवर्धन एक बडी सेना लेकर कन्नौज अपनी बहिन की सहायता के लिए पहुचा। शशांक ने युद्ध न करके राज्यवर्धन को संधि-वार्ता का आमंत्रण दिया। राज्यवर्धन के डेरे पर पहुचने पर शशांक ने उसको मार दिया। भाई की हत्या का समाचार सुनकर राज्यश्री घबडा गई। उसने आत्म-हत्या करने का निश्चय किया और विन्ध्याचल के जंगल मे चली गई। हर्षवर्धन अब भाई की मृत्यु का बदला लेने कन्नौज पहुचा। हर्षवर्धन स्वत बहिन की खोज मे निकला। शशांक का सामना उसके ममेरे भाई भंडी ने किया। राज्यश्री चिता मे प्रवेश करने को जब उद्यत थी, तब हर्षवर्धन ढूढता हुआ वहा पहुच गया। राज्यश्री की रक्षा हो गई। भण्डी ने इधर शशांक को हराया। हर्षवर्धन थानेश्वर के साथ-साथ अपनी बहिन का प्रतिनिधि होकर कन्नौज का भी राज्य करने लगा। राज्यश्री नि सन्तान थी। हर्षवर्धन ने ६ साल तक विजय-यात्रा की। गुप्तवंश का राजा माधवगुप्त हर्षवर्धन का बाल-सखा था। अत गुप्तो की ओर से उसका विरोध नही हुआ। प्रागज्योतिप (असम) का राजा भास्करवर्मा हर्षवर्धन का मित्र हो गया। हर्षवर्धन ने वल्लभि के शासक मैत्रकवंशीय ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। फिर उससे मैत्री कर ली और अपनी पुत्री भी उसको व्याह दी।

बाण भट्ट : बाण भट्ट ने 'हर्षचरित' मे हर्षवर्धन का चरित्र लिखा है। बाण की कादम्बरी संस्कृत गद्य-साहित्य मे अनुपम स्थान रखती है। कन्नौज शहर का विस्तार पाच मील लम्बे और सवा मील चौडे मे था। ह्यु,एन्त्साग इस समय आया था। कन्नौज मे बौद्धो के १०० विहार थे और उनमे दस हजार भिक्षु रहते थे। हिन्दू मन्दिर दो सौ के लगभग थे।

चालुक्य वंश . पुलकेशी द्वितीय : नर्मदा के दक्षिण मे चालुक्य वंशी पुलकेशी द्वितीय का शासन था। इसकी राजधानी वातापी (बादामी-बीजापुर) थी। पुलकेशी ने पल्लववंशी महेन्द्रवर्मा को जीतकर कावेरी तक अपना राज्य-विस्तार किया था। चोल, पाड्य और केरल राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करते थे।

हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बीच अनेको युद्ध हुए। हर्षवर्धन उनमे सफल नही हुआ। नर्मदा के दक्षिण मे उसका राज्य नही फैल सका। हर्षवर्धन प्रयाग के संगम पर हर पाचवें साल एक बडा मेला लगवाता था जिसमे वह विपुल धनराशि दान करता था। हर्ष ने कन्नौज मे एक महासभा का आह्वान किया था। इसमे राजा महाराजाओ के अतिरिक्त चार हजार बौद्ध भिक्षु और तीन हजार पौराणिक पंडित सम्मिलित हुए थे।

ह्यू एन्त्सांग यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय म आया था। १४ साल बाद जब स्वदेश लौटा तब यह अपने साथ अनेक मूर्तियां तथा बुद्ध अस्थ्यावशेषों के अतिरिक्त ६५७ संस्कृत के ग्रन्थ भी ले गया था। इसकी संगृहीत सामग्री सियान नगर के समीप तायेन (कल्याण-कल्याण) नामक विहार म आज भी विद्यमान है। ह्यू एन्त्सांग ने यहां रहकर भारत से लाए हुए ग्रन्थों का ३० साल तक चीनी म अनुवाद किया। उसकी समाधि इस विहार स कुछ मील दूर है। इस महायात्री ने १२८ देशों की सीमाओं को पार किया और हजारों ग्रन्थों का अनुवाद किया। ह्यू एन्त्सांग के समय कन्नौज थानेश्वर कर्ण सुवर्ण आदि नगर समृद्ध दशा म थे। इस समय जमींदारी प्रथा का प्रारम्भ हो गया था। वेतन के बदले जागीरें देने की प्रथा का प्रचलन हो चुका था। ह्यू एन्त्सांग नालन्दा विश्वविद्यालय म छात्र रहा था। उस समय वहां दस हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। वहां की एक इमारत नौ मंजिली थी। विद्यार्थियों के छात्रावास थे। हरेक विद्यार्थी का कक्ष अलग अलग था। परन्तु तब भी भवन थे जहां दस हजार छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन करते थे। द्वार पण्डित की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। द्वार पण्डित की परीक्षा बड़ी कड़ी थी। २० ३ प्रतिशत ही परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। शिक्षा निवास भोजन वस्त्र सब निःशुल्क थे।

अल्तमश (१२११-१२३६ ई०) : यह कुतुबुद्दीन एबक का दामाद था। यह उत्तरी भारत का स्वामी हो गया। नाजुक समय मे इसने दिल्ली के सुल्तान की रक्षा की।

रजिया बेगम (१२३६-१२३६ ई०) : यह अल्तमश की लडकी थी। यह दिल्ली की मुस्लिम स्त्री शासिका थी।

खिलजी वश (१२९०-१३२० ई०)

अलाउद्दीन खिलजी (१२९६-१३१० ई०) . यह अपने चाचा और श्वसुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसके शासन के साथ इस्लामी साम्राज्य का प्रारम्भ हुआ। दक्षिण भारत को पहली बार हिन्दू से मुस्लिम बने इसके सेनापति मलिक काफूर ने विजय किया। मलिक काफूर हिन्दू था और इसकी गिनती ससार के सबसे बडे विजेताओ मे की जा सकती है। दक्षिण भारत को लूटकर मलिक काफूर १३११ ई० मे दिल्ली लौटा। अलाउद्दीन ने राजपूताना मे रणथम्भोर को जीतने के बाद चित्तौड पर आक्रमण किया। वह मेवाड की महारानी पद्मिनी को चाहता था। १३१३ ई० मे जब उसने चित्तौड जीता, तो वहा उसको एक भी स्त्री नही मिली। यह चित्तौड का 'पहला साका' के नाम से प्रसिद्ध है। रानी पद्मिनी ने एक हजार वीरागनाओ के साथ जौहर-व्रत किया था—चिता मे कूद कर भस्म हो गई थी।

अलाउद्दीनखिलजी को पहला लौकिक राजा कहा जाता है। इसने सेना, वित्त और प्रशासन मे अनेक सुधार किये। काजियो को नियन्त्रण मे रखा। वह हृदयहीन था। अत प्रजा का प्रेम नही प्राप्त कर सका। इसके मरते ही खिलजी-साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।

तुगलक वश (१३२०-१४१४ ई०)

मोहम्मद तुगलक (१३२०-१३५१ ई०) गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना, मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। उसको 'बुद्धिमान पागल' बादशाह कहा जाता है। यह दक्षिण विजय के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद (देवगिरि) ले गया। दिल्ली उजड गई। युद्धो का खर्च पूरा करने के लिए इसने ताम्बे के सिक्के चलाये। लोग नकली ताम्बे के सिक्के न बना सके, इसका कोई उपाय यह न कर सका। अत इसकी योजना निष्फल हो गई। बाद मे ताम्बे के सिक्के बन्द कर दिये। लोगो ने जाली ताम्बे के सिक्को के बदले राज्य से सोना-चादी लिया। राजकोष खाली हो गया। इस पर इसने कर बढाये। किसानो को कुचला। किसान खेत छोडकर जगलो मे भाग गये। आर्थिक व्यवस्था बिगड गई। फलत जगह-जगह विद्रोह हो गये।

१३३६ ई० मे **विजयनगर-साम्राज्य** की स्थापना हुई। विजयनगर-साम्राज्य ने दक्षिण भारत से तुर्क राज्य को समाप्त कर दिया।

फिरोजशाह (१३५०-१३८८) : मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक गद्दी पर बैठा। यह उदार और दयालु था। इसने अनेक विद्यालय और अस्पताल खोले। खेती को बढ़ाया, नहरे, कुए तथा पुल बनवाये। जमुना की नहर इसने ही बनवाई। भोजनालय खोले जहा गरीबो को मुफ्त भोजन मिलता था। किसानो पर कर हल्का किया। लेकिन यह कट्टर मुसलमान था। धर्मान्ध होने से इसने काफिरो, गैर-मुस्लिमो को मुसलमान बनाने के लिए अनेको उपाय बरते। जजिया कर कठोरता से वसूल किया।

ग्राह्मण भी इससे मुक्त नही रख गय। तुगलक साम्राज्य म हो रहे विद्रोहो को शात करने म य सवथा असमर्थ रहा। इसके बाद वे शासक दुबल थ। दिसम्बर १४३८ म तमूरलग न दिल्ली को लूटा और कत्ले आम किया। इसने राज्य न किया और लौट गया।

लोदी वश (१४५१ १५२६ ई०)

इस वश का पहला शासक बहलोल लोदी था। इसके बाद सिकदर लोदी (१४८९ १५१७ ई) हुआ।

इब्राहीम लोदी (१५१७ १५२६ ई) यह सिकन्दर लोदी का लडका था। इसको बाबर न पानीपत क पहल सग्राम म हराया। लोदी राज-वश का १५२६ ई० म अन्त हो गया।

मुगल वश (१५२६ १८५७ ई०)

बाबर (१५२६ १५३० ई०) बाबर ने मगल राजवश की स्थापना की। पानीपत खानवा और घाघरा की लडाइया जीतीं और मगल-साम्राज्य की भारत म स्थापना की। पठानो और राजपूतो को हराया। यह प्रकृति का प्रमी था। तुर्की म इसन अपना आत्म चरित्र लिखा है।

अंग्रेज-काल

भारत के गवर्नर-जनरल (१७७४-१८५८ ई०) :

क्लाइव · बंगाल के शासन का १७५७-६० ई० और १७६५-६७ ई० दो बार प्रमुख बना। १७५७ ई० मे इसने सिराजुद्दौला को हराया। प्लासी की लडाई ने क्लाइव को भारत मे ब्रिटिश राज्य का सस्थापक बना दिया। १७६५ ई० मे बगाल, बिहार और उडीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के वास्ते प्राप्त करके कम्पनी को शासक बना दिया। कम्पनी इसके कारण लगान वसूल करने और न्याय प्रदान करने का कार्य करने लगी। इसने कम्पनी का शासन सुधारा।

वारेन हेस्टिंग (१७७४-१७८५ ई०) : यह भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर-जनरल था। बगाल और अवध इसने ब्रिटिश शासन मे ले लिए। मराठो के बढते प्रभाव को रोका। निजाम को अपने साथ मिलाया। वारेन हेस्टिंग ने भारत मे ब्रिटिश राज्य को दृढ किया।

लार्ड डलहौजी (१८४८-१८५६ ई०) : दूसरे सिख-युद्ध (१८४८-४९) के कारण इसने पजाब को ब्रिटिश राज्य मे मिला लिया। दूसरे बर्मा-युद्ध (१८५२-५३) के फलस्वरूप दक्षिणी बर्मा ब्रिटिश भारत मे मिला लिया। सतारा, सम्बलपुर, झासी, नागपुर, जैतपुर के राज्य समाप्त कर दिए। क्योकि इनके शासक नि सन्तान मर गए थे। रेलवे लाइन बनानी प्रारम्भ की। तार की लाइने लगवाई। सारे भारत मे डाक-तार घर खोले। सडको, पुलो और नहरो की मरम्मत की। इजीनियरिंग स्कूल चलाये। पुरानी इमारतो की रक्षा की। विज्ञान, वन-विज्ञान को प्रोत्साहन दिया तथा वाणिज्य-उद्योग और खान-शास्त्र की उन्नति की।

लार्ड केनिग (१८५६-५८ ई०) ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के लिए पहला भारतीय स्वाधीनता सग्राम इसके समय मे हुआ।

१८५७ की राज्य-क्रांति

१८५७ के राज्य-विप्लव होने के अनेक कारण थे (१) जनता विदेशी शासन से घृणा करती थी और असन्तुष्ट थी। (२) निस्सन्तान मरे राजाओ के राज्य समाप्त कर दिए गए थे। (३) ईसाई धर्म के प्रचार से लोग भयभीत हो गए थे। अग्रेजी सैनिक और भारतीय सैनिक के वेतन मे भारी अन्तर था। (५) भूमि का लगान बहुत बढा दिया गया था। (६) कारतूसो मे चर्बी मिलाई गई थी।

घटनाये :

एमफील्ड राइफलो की कारतूसो मे चर्बी मिली होने का सिपाही मगल पाडे ने विरोध किया। १३ मार्च, १८५७ को बैरकपुर (कलकत्ता) मे उसका कोर्ट-मार्शल किया गया। (२) ६ मई, १८५७ को मेरठ मे विप्लव भडका। दिल्ली, कानपुर, झासी, आगरा, ग्वालियर और लखनऊ भी इसके केन्द्र हुए। (३) जून १८५८ मे विप्लव कुचल दिया गया। झासी की रानी लक्ष्मीबाई लडती हुई रण-क्षेत्र मे मारी गई। वीर कुवरसिंह, तात्या टोपे, नाना फडनवीस, अवध की बेगमे आदि इस विप्लव के नेता थे। विप्लव दक्षिण मे

तमिलनाडु तक फैला था। पश्चिमी बिहार व पूर्वी बंगाल तक या गैरपुत्र गया व्याप्त रहा।

विफलता के कारण

१८५७ का विप्लव विफल रहा। क्योंकि (१) अंग्रेजों के पास अनुशासित सेना थे। भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेज अधिक साधन सम्पन्न थे। (२) मराठों और सिखों ने अधिकतर अंग्रेजों का साथ दिया। ( ) सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दी। (४) दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल बादशाह बहादुरशाह दुर्बल व्यक्ति था।

परिणाम

भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। कम्पनी का राज्य समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल शासन का प्रमुख कायम रहा जो भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में वायसराय कहलाया। वायसराय सार्वभौम सत्ता को वस्तुत चलाता था।

भारत के वायसराय

लार्ड कैनिंग (१८५८ १८६२ ई०) १८५८ की विक्टोरिया की घोषणा ने भारत के गवर्नर जनरल को ही वायसराय बना दिया। लार्ड कैनिंग ने भारत में ब्रिटिश शासन का पुनर्गठन किया। इसने समझौता और मेल मिलाप की नीति बरती।

लार्ड रिपन (१८८० ८४) ग्लैडस्टन युग का यह सच्चा उत्तराधिकारी था। इसने भारतीय आकांक्षाओं को जगाया और उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। भाषायी समाचार पत्र कानून (वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट) इसने रद्द किया। स्वायत्त शासन कानून (लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट) बनाया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को उन्नत करने की कोशिश की। शहरी मजदूरों की रक्षा के लिये फैक्टरी कानून बनाया। इलबर्ट बिल द्वारा न्यायालयों में विद्यमान वर्ण भेद दूर किया।

लार्ड कर्जन (१८९९ १९०५) (१) सीमाप्रान्त में इसने आगे पहुंची सेना को पीछे लौटाया। कबायली इलाके की रक्षा के लिये कबायली सेना खड़ी की। इसके पीछे ब्रिटिश सेना रखा। (२) फारस में ब्रिटिश हितों की रक्षा की। (३) तिब्बत को हराया और तिब्बत की परराष्ट्र नीति का चालक अंग्रेजों को बनाया। (४) १९ ५ में पंजाब लैण्ड एलिनियेशन एक्ट बनाया। इसके द्वारा महाजनों और सूदखोरों के लिए किसानों की जमीन लेना कठिन कर दिया गया। (५) यूनिवर्सिटी एक्ट १९ ४ बना कर इसने सीनेट में नामजद सदस्यों का बहुमत कर दिया। विश्वविद्यालय सरकारी नियंत्रण में इस रीति से आ गए। (६) १९ ५ में इसने बंगाल को विभक्त किया—पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल व असम। बंग भंग के विरोध में तूफानी आंदोलन हुआ फलत १९११ में वह रद्द कर दिया गया।

लार्ड मिन्टो (१९ ५ १९१०) इसके काल में राजनीतिक अशान्ति रही। मार्ले मिन्टो शासन सुधार और इण्डिया कौंसिल एक्ट १९ ९ भारतीयों को सन्तुष्ट नहीं कर सके। मुसलमानों के लिए इसने पृथक निर्वाचन प्रणाली मान्य की। इस प्रकार पाकिस्तान के निर्माण का बीज बोया।

लार्ड हार्डिंग (१६१०-१६१६) : इसके समय मे दिसम्बर १६११ मे दिल्ली मे दरवार किया गया। जॉर्ज पचम का राज्याभिषेक किया गया। वग-भग रद्द किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली वनाई गई। लार्ड हार्डिंग पर वम फेका गया था। क्रान्तिकारी रासविहारी बोस ने वम फेका था, यह माना जाता है। प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया।

लार्ड चेम्सफोर्ड (१६१६-१६२०) · युद्ध-प्रयत्नो को सफल वनाया। माटेग्यू-चेम्स-फोर्ड शासन सुधार या इण्डिया एक्ट १६१६ बनवाया। रॉलट एक्ट, मार्शल लॉ—और असह-योग आन्दोलन इसके काल की मुख्य एटनाये है। दिल्ली से हिन्दी का पहला दैनिक 'विजय' १६१८ मे प्रकाशित हुआ।

लार्ड रीडिंग (१६२१-२६) : इसके काल मे प्रिंस आफ वेल्स की भारत यात्रा का महात्मा गाधी के नेतृत्व मे काग्रेस ने बहिष्कार किया। गाधीजी का न्यायालयो, धारासभाओ, स्कूलो, कालेजो और ब्रिटिश माल के चतु सूत्री वहिष्कार का कार्यक्रम चला। सविनय कानून-भग आन्दोलन को यह समझने मे असमर्थ रहा।

लार्ड इरविन (१६२६-३०) १६२७-२८ मे साइमन कमीशन भारत मे आया। इसका वहिष्कार किया गया। लाहौर काग्रेस (३१ दिसम्बर, १६२६) ने अपना ध्येय भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य घोषित किया। नमक कानून-भग के साथ सामूहिक कानून- भग आन्दोलन (अप्रैल १६३०) को गाधीजी ने दाडी मे नमक कानून-भग करके प्रारम्भ किया। मार्च १६३१ मे गाधी-इरविन पैक्ट होने पर यह आन्दोलन समाप्त हुआ। प्रथम गोलमेज काफ्रेस १६३० मे लन्दन मे हुई।

लार्ड विलिंगटन (१६३१-१६३६) : १६३१ मे दूसरी गोलमेज काफ्रेस लन्दन मे हुई। महात्मा गाधी इसमे उपस्थित हुए। रैम्जे मैकडॉनेल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की। साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध मे गाधीजी ने आमरण अनशन किया। पूना-पैक्ट वना। १६३१ मे तीसरी गोलमेज काफ्रेस हुई। काग्रेस अवैध घोषित की गई। १६३४ के अन्त मे केन्द्रीय असेम्वली के चुनाव मे काग्रेस को भारी मफलता मिली। विहार और क्वेटा मे भारी भूकम्प आया। वम्बई काग्रेस (१६३४) के सभापति डा० राजेन्द्रप्रसाद हुए। इन्होने महामना मालवीय जी के विरोध पर भी साम्प्रदायिक निर्णय को महात्मा गाधी के परामर्श पर 'न स्वीकार किया और न अस्वीकार किया।'

लार्ड लिनलिथगो (१६३६-४३) . इण्डिया एक्ट, १६३५ प्रान्तो मे लागू किया गया। इसके अनुसार चुनाव होने पर आठ प्रान्तो मे काग्रेसी मन्त्रिमण्डल वने। दूसरा महा-युद्ध छिडा। १६३६ मे काग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने त्याग-पत्र दे दिया। मार्च, १६४२ मे "क्रिप्स मिशन" भारत आया। वैधानिक सुधारो की वार्ता विफल रही। काग्रेस ने वम्वई मे (८ अगस्त १६४२) "भारत छोडो" आन्दोलन का सूत्रपात किया। इसका ब्रिटिश दमन वडा उग्र रहा, गावो पर वम गिराये गए।

लार्ड वेवल (१६४३-४७) · मजदूर दल की सरकार के तीन मत्री भारत आये और उन्होने कैबीनेट मिशन शासन-योजना पेश की। १६ दिसम्बर, १६४६ को सविधान परिषद् की पहली बैठक हुई। सविधान परिषद के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद चुने गए। मुस्लिम लीग

ने इसका बहिष्कार किया। मुसलमानों की मांग थी कि अंग्रेज भारत छोड़ने से पहले भारत को विभक्त कर दें। लाल किले में आजाद हिन्द फौज के तीन जनरलों पर मुकदमा चलाया गया। अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई (सितम्बर १९४६)।

लार्ड लुई माउण्टबेटन (१३ मार्च १९४७ से १४ अगस्त १९४७) भारत विभाजन की ३ जून की घोषणा यह कहकर की गई कि भारत में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों को शान्त करने का एकमात्र यही (ब्रिटिश) उपाय है। मुसलमानों को इस प्रकार प्रदान किया गया। हिन्दुओं ने इस समय विभाजन स्वीकार करके भारी दुर्बलता और अदूरदर्शिता का परिचय दिया। १५ जुलाई १९४७ को इण्डिया इण्डिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। १५ अगस्त १९४७ को भारत इण्डिया (भारत) और पाकिस्तान में विभक्त किया गया।

भारत संघ के वैधानिक गवर्नर-जनरल

लार्ड लुई माउण्टबेटन —१५ अगस्त १९४७ से २१ जून १९४८।

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी —२१ जून १९४८ से २५ जनवरी १९५०।

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति

१ डा० राजेन्द्रप्रसाद —२६ जनवरी १९५० से १९६२ तक।

२ डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् —मई १९६२ से अप्रैल १९६७ तक।

३ डा० जाकिर हुसेन —अप्रैल १९६७ से

: ४ :

भारत : जन-सांख्यिकीय विवरण

१९६१ ई० मे जन-गणना सिक्किम समेत सम्पूर्ण भारत की हुई। पाकिस्तान और चीन द्वारा बलात् अधिकृत जम्मू-काश्मीर का भाग ही इससे बचा रहा। गोवा की जनगणना पुर्तगाल ने १५ दिसम्बर, १९६० ई० को की थी। उसको भारत के जन-गणना विभाग ने स्वीकार कर लिया।

भू-क्षेत्र और जनसंख्या : विश्व के भू-क्षेत्र का भारत केवल २ ४ प्रतिशत है, किन्तु भारत की जनसख्या विश्व की कुल जनसख्या का १४ ६ प्रतिशत है। भारत से केवल चीन की ही जनसख्या अधिक है। उसकी जनसख्या का अनुमान ५८ करोड २२ लाख किया गया था। इस दशक (१९५१-६१ ई०) मे भारत की जनसख्या प्रतिवर्ष २ २ प्रतिशत बढी। पश्चिमी देशो की तुलना मे हमारी जनसख्या अभी तरुण और किशोर है, क्योकि कुल आबादी का ४० प्रतिशत १४ साल से कम आयु का है।

पुरुष और स्त्री : भारत मे स्त्रियो की सख्या से पुरुषो की सख्या अधिक है। स्त्रियो की सख्या प्रति दस वर्ष मे कम हो रही है। किन्तु बडी उमर के वर्ग मे स्त्रियो की सख्या प्रतिशत के हिसाब से अधिक है। ७० साल की आयु के ८६ ० लाख व्यक्ति है। इनमे ४१ ७ लाख पुरुष है और ४४ ३ लाख स्त्रिया है।

दो बडे शहर भारत के दो सबसे बडे शहर, कलकत्ता और बम्बई है। एक पूर्वी भारत मे है, दूसरा पश्चिमी भारत मे। बृहत्तर बम्बई एक निगम के आधीन है। लेकिन बृहत्तर कलकत्ता नही।

	क्षेत्रफल	जनसंख्या
बृहत्तर बम्बई	१८६ वर्गमील	४१ लाख
बृहत्तर कलकत्ता	१७० वर्गमील	६० लाख
कलकत्ता निगम क्षेत्र	४० वर्गमील	२९ लाख

	कलकत्ता	बम्बई
जनसख्या की घनता (प्रति वर्गमील)	७३१८२	२२३२३
साक्षरता का प्रमाण (प्रति हजार)	५९३	५८६
प्रति हजार स्त्रियो की सख्या	६१२	६६३
एक दशक (१९५१-६१) के मध्य जनसख्या मे वृद्धि का प्रतिशत	८ ५	३८ ७

धार्मिक दृष्टि से जन गणना

धार्मिक दृष्टि से जन गणना को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि हिन्दुओं की संख्या भारत के स्वाधीन होने के बाद भी ब्रिटिश शासन के समान घट रही है। १६५० में प्रति हजार हिन्दू ८५० थे किन्तु दस साल बाद १६६१ में ८४० रह गये। इस विषयक तुलनात्मक अंक ध्यान देने योग्य हैं।

प्रति हजार जन, धर्म की दृष्टि से

	१६५१	१६६१
हिन्दू	८५०	८४०
मुस्लिम	६६	१०२
ईसाई	३	२४
सिख	१७	१८

हिन्दुओं की संख्या कम होने के कारण दो रहे। (१) हरिजन वर्ग ने सामूहिक रूप में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। (२) पाकिस्तान से बड़ी संख्या में मुस्लिम आये। (३) ईसाई मिशनरियों के प्रचार से ईसाई भी बने। घटे केवल हिन्दू।

जैन और सिख प्रवास प्रिय हैं। आर्थिक कारणों से ये दोनों वर्ग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रवृत्ति के हैं।

हरिजनों का बौद्ध धर्म ग्रहण करना एक ऐतिहासिक घटना है। १६५१ में भारत में बौद्ध १८ ८२३ ४ १६६१ में बढ़कर ३ २५ २२४ हो गए। कुल जनसंख्या में बौद्धों का प्रतिशत १६५१ में ०.०५ था जो १६६१ में ०.७२ हो गया। महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ में हरिजनों ने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस सामूहिक धर्म-परिवर्तन का प्रभाव हुआ विशेष पर यहां तक पड़ा कि वहां १६५७ के चुनाव में हरिजनों के लिए लोकसभा की दो सीटों में कम एक ही सीट रह गई। आगरा का निर्वाचन क्षेत्र सामान्य हो गया। इसके कारण हिन्दुओं की संख्या घटी।

मुस्लिम वृद्धि मुसलमानों की संख्या १६६१ में ४ ६६ ८६ ५५७ हो गई। इनकी वृद्धि २५ ६१ प्रतिशत के हिसाब से हुई जबकि सारे देश की आबादी २१ प्रतिशत के हिसाब से हो पाई। भारत में १६५१ में मुसलमानों की कुल संख्या ३५४ १४ २८४ थी।

भारत के अन्य अल्प-संख्यक वर्ग में वृद्धि इस प्रकार हुई ईसाई २३ ३ लाख सिख १८ ३ लाख और जैन ४ १ लाख।

हिन्दू धर्म के अनुयायी इस देश में सर्वाधिक हैं। दस साल की अवधि में १६५१ से १६६१ तक हिन्दुओं की संख्या में ६२६२७४०४ की वृद्धि हुई। प्रतिशत प्रमाण हिन्दुओं का घट गया। १६५१ में उनकी कुल संख्या ०३ ५७५ थी। १६६१ में यह बढ़ कर ३६६ ५ २ ० से अधिक हो गई। इसका अर्थ यह है कि हिन्दुओं की जनसंख्या २ २६ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी।

ईसाई—इनकी जनसख्या ८३,२२,००० से वढ कर १,०७,२६,००० हो गई। वृद्धि का प्रतिशत २७·३८ रहा। इसमे मुख्य योगदान ईसाई मिशनरियो के धर्म-प्रचार का रहा।

बौद्ध—यह भी वढे। १६५१-६१ के मध्य इनकी वृद्धि ७६ ६ प्रतिशत के हिसाव से हुई। १६५१ मे इनकी कुल सख्या १८ १ लाख थी। १६६१ मे यह ३२ ५ लाख हो गयी।

जैन—१६५१ मे जैनो की कुल सख्या १६ १८ लाख थी। १६६१ मे जैन २०·२७ लाख गिने गए। इनकी जनसख्या मे वृद्धि २५ १७ प्रतिशत हुई।

सिख—१६५१ की जन-गणना मे सिखो की सख्या ६२ १६ लाख थी। परन्तु १६६१ मे यह वढकर ७८ ४५ लाख पर पहुच गई। सिख २५ १३ प्रतिशत वढे।

शहरी आबादी—दस लाख से अधिक आवादी के शहरो की सख्या सात है। ये इस प्रकार है—

शहर	जनसंख्या
१ वृहत्तर वम्वई	४१ ५ लाख
२ कलकत्ता	२६ ३ लाख
३ दिल्ली-शाहदरा, नई दिल्ली, छावनी समेत	२३ ५ लाख
४ मद्रास	१७ २ लाख
५. हैदरावाद	१२ ५ लाख
६ वगलौर	१२·०६ लाख
७ अहमदावाद	१२ ०६ लाख

घनता की दृष्टि से कलकत्ता और वम्वई के वाद मद्रास का तीसरा स्थान है। देश मे प्रति वर्गमील घनता १६५१ मे २१२ थी। १६६१ मे यह २७० हो गई।

दिल्ली के शहरी क्षेत्र (पुरानी दिल्ली) व सदर, पहाडगज मोहल्लो मे घनता प्रति वर्गमील १,४३,१८५ जन की है। करौलवाग तथा पटेलनगर की घनता ७८,१६५ है। दिल्ली के ये दोनो इलाके दुनिया की सघनतम वस्तियो का मुकावला करते है। इस दृष्टि से दिल्ली का सघनता मे पहला स्थान रहेगा।

एक दशक के भीतर असम की जनसख्या ११४ ६० प्रतिशत वढी और उडीसा की ८७ ६२ प्रतिशत। विहार का इन दोनो के वाद स्थान है। इसकी जनसख्या ४६ ०८ प्रतिशत वढी। इसी दशक मे मध्य प्रदेश की ४७ ७६ प्रतिशत और केरल की ४२ ४४ प्रतिशत जन-सख्या वढी।

स्त्री-पुरुष का अनुपात—१६५१ मे प्रति एक हजार पुरुषो के पीछे स्त्रियो की सख्या ६४० थी। १६६१ मे ६४१ हो गयी। यह अनुपात सर्वत्र एक समान नही है। तटवर्ती प्रदेश और २२ अश देशाश के नीचे भी स्त्रियो की सख्या कम है।

साक्षरता—साक्षरता की कसौटी जन-गणना मे यह रखी गई थी कि जो लिखना और पढना जाने, उसको साक्षर माना जाय। १६५१ मे साक्षर १६ ६ प्रतिशत थे और १६६१ मे २४ ० प्रतिशत। दिल्ली, केरल, अण्डमान, गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र में

साक्षरता का प्रतिशत अधिक रहा। काश्मीर हिमाचल प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार म प्रतिशत कम है।

पुरुष-साक्षरो की तुलना म स्त्री साक्षरा की सख्या बहुत कम है। परन्तु तटवर्ती प्रदेशा म स्त्री-साक्षरा का प्रमाण अधिक है।

शहरी आबादी—१६६१ म ४३ करोड आबादी गिनी गई। इसम से ८२ १० प्रतिशत देहातो म और १७ ६ प्रतिशत शहरा म थी। १६८१ म यह क्रमश प्रतिशत ८२ ७२ और १७ ३८ था। शहरी और देहाती आबादी का निणय निश्चित कसौटी पर परीक्षा करने के बाद किया गया है। इस पर भी शहरी आबादी ६१८ ७ लाख से बढकर १६६१ म ७७८ ४ लाख हो गई। यह वृद्धि २४ २५ प्रतिशत हुई। एक लाख की आबादी के अब भारत म १० शहर हैं।

१६५१ ६१ के मध्य शहरो म स्त्रिया की सख्या म कमी आई है। दक्षिण भारत क आध्र मद्रास मसूर और केरल राज्यो और राजस्थान म प्रति हजार पुरुषो के पीछे ६०० स्त्रिया हैं। यह उत्तर और दक्षिण भारत के शहरा म सामाजिक विकास के अन्तर का सूचक है।

१९०१-१९६१ के मध्य भारत की जनसख्या मे प्रतिशत की वृद्धि

वष	जन	प्रतिशत
१६०१	२३ ६२ ८१ २४३	
१६११	२५ २१ २२ ४१०	+५ ७८
१६२१	२५ १३ ५२ २४१	+० ३१
१६०१	२७ ६० १८ ४६८	+११ १
१६४१	३१ ८७ १ ०१२	+१४ २३
१६५१	६ ११ २६ ६२२	+१३ ३१
१६६१	४३ ६२ ०५ ८२	+२१ ५

केन्द्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या का वृद्धि क्रम

	१९०१	१९११	१९२१	१९३१	१९४१	१९५१	१९६१
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	८५८८	२१ ६५६	७ ८६	२६ ८ ३	७६८	३ ९७१	६३ ५४८
दादरा नगर हवेली	८ ८	६ ७	० ८८	८ ४६	८ ८४०	४१ ५ २	५७ ९६३
दिल्ली	८ ४ ८१६	४१ ८४१	४८८ ४५२	६३६ २४६	९१७ ९ ९	१ ७४४ ०७२	२ ६५८ ६१२
गोआ दमन व दीव	५ ७४१८	५१६ २२२	५ ९ ६	५४१ ७०	५८३ ७३६	५९६ ०४९	६२६ ६६७
हिमाचल प्रदेश	८४४ ७	८७६ ५६२	८६० ४६	९५४ ७७६	१ ४७ ७११	११ ९ ४६६	१ ३५१ १४४
लकादिव मिनिकाय और अमीनदीव द्वीप समूह	१ ८८७	१४ ५५५	१ ९ ७	१६ ८	१८ ३५५	२१ ०३५	२४ १ ८
मणिपुर	२८४ ४६५	३४६ २२२	८४ १६	४४५ ६ ६	५१२ ६९	५७७ ६३५	७८ ३७
पाण्डीचेरी	२४६ ४८	२५७ १७९	२४४ १५६	२५८ ६२८	२८५ ११	३१७ २५३	३६९ ७९
त्रिपुरा	१७ २५	२२९ ६१	४०४ ७	३८२ ४५	५१३ १	३३९ २९	१ १४२ ००५

नोट —१ नेफा में १९६१ में पहली बार जनगणना की गई। असम की जनसंख्या में इसकी जनसंख्या सम्मिलित है।

२ गोआ दमन व दीव की जनगणना १५ दिसम्बर १९६० को पुर्तगीज अधिकारियों ने की थी। इसको उसी रूप में मान लिया गया है। क्योंकि दादरा नगर हवेली की भी पुरानी गणना है। पाण्डीचेरी की १९४८ की जनगणना को ही १९५१ की मान लिया गया है।

३ जम्मू व कश्मीर की १९५१ की जनसंख्या १९४१ और १९६१ की आबादी का गणितात्मक उपाय से हिसाब लगाकर निकाली गई है। १९४१ और उसके पूर्व की जनगणनाओं का राज्य के वर्तमान क्षेत्र के जिसमें पाकिस्तान और चीन द्वारा अधिकृत भाग नहीं है अनुकूल समायोजन किया गया है।

राज्यो व प्रदेशो के क्षेत्रफल और उनकी जनसख्या और आबादी की घनता मे क्या कोई सम्बन्ध है, इसका उत्तर नीचे तालिका मे दिया गया है .

तालिका—२

क्षेत्रफल, जनसंख्या और आबादी की घनता : १९६१

	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर मे)	जनसख्या	आबादी की घनता
भारत	३,२६८,०८०.६२	४,३९,०७२,५८२	१३८[२]
राज्य			
आन्ध्रप्रदेश	२७५,२४३ ४१	३५,९८३,४४७	१३१
असम[3]	२०३,३९८ ३७	१२,२०९,९३०	६०
बिहार	१७४,००७ ७६	४६,४५५,६१०	२६७
गुजरात	१८७,०९२ ०५	२०,६३३,३५०	११०
जम्मू-कश्मीर	२२२,८६९ ७८	३,५६०,९७६	२२६२
केरल	३८,८६७ ५९	१६,९०३,७१५	४३५
मध्य प्रदेश	४४३,४५८ ०३	३२,३७२,४०८	७३
मद्रास	१२९,९६५ ५१	३३,६८६,९५३	२५९
महाराष्ट्र	३०७,२६८·३३	३९,५५३,७१८	१२९
मैसूर	१९१,७५६ ०७	२३,५८६,७७२	१२३
नागालैण्ड	१६,४८७ ८४	३६९,२००	२२
उडीसा	१५५,८५९ २१	१७,५४८,८४६	११३
पजाब और हरियाणा	१२२,००९ ५७	२०,३०६,८१२	१६६
राजस्थान	३४२,२६६ ४३	२०,१५५,६०२	५९
उत्तर प्रदेश	२९४,३६५ ०८	७३,७४६,४०१	२५१
प० बगाल	८७,६७५ ९१	३४,९२६,२७९	३९८
संघीय प्रदेश			
अण्डमान व निकोबार द्वीप-समूह	८,२९२ ७३	६३,५४८	८
दादर व नगर हवेली	४८८ ९६	५७,९६३	११९
दिल्ली	१,४८३ ०५	२,६५८,६१२	१७९३
गोआ, दमन व दीव	३,७३३ ०७	६२६,६६७	१६८
हिमाचल प्रदेश	२८,१९४ ६०	१,३५१,१४४	४८
लकादीव, मिनिकॉय व अमनदीव द्वीप-समूह	२७ ८७	२४,१०८	८६५
मणिपुर	२२,३४५ ९६	७८०,०३७	३५
पाडिचेरी	४७२ ९१	३६९,०७९	७८१
त्रिपुरा	१०,४५० ९३	१,१४२,००५	१०९

१. जनवरी १९६५ के भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार । महाराष्ट्र और आन्ध्र का क्षेत्रफल लगभग दिया गया है ।

२ प्रति किलोमीटर जनसख्या का हिसाब जनगणना-कृत क्षेत्र तक सीमित है ।

३ नेफा के ८१४२५ ०९ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और जनसख्या—३३६,५५८ समेत ।

भारतीय जनगणना १९६१ आकडे

भारत — जनसंख्या	४ ३९ २३४ ७७१
पुरुष	२ २६ २९३ २०१
स्त्री	२ १२ ९४१ ५७०
देहाती आबादी	३ ६० २९८ १६८
शहरी आबादी	७८ ९३६ ६०३
क्षेत्रफल	१ १७८ ९९५ वर्गमील
शहरी आबादी (प्रतिशत)	१८
देहाती आबादी (प्रतिशत)	८२ ०
प्रति १० ० पुरुषों पर स्त्रियाँ	९४१
आबादी में प्रतिशत वृद्धि (१९५१ ६१)	२१ ५१

प्रति वर्गमील घनता		३७०
आबाद गावों की संख्या		५६७ १६९
गैर आबाद गावों की संख्या		५४ ८९१
कस्बों की संख्या		२६९०
मृत्यु प्रमाण	१९५१	१९६१
(प्रति हजार)	२७ ४	१८ ०
जन्म प्रमाण		
(प्रति हजार)	४० ९	४०
स्त्री आबादी (प्रतिशत)	४८ ६	४८ ५
साक्षरता प्रमाण		
सामान्य (प्रतिशत)	१६ ६	२० ०
पुरुष (प्रतिशत)	२४ ९	३४ ४
स्त्री (प्रतिशत)	७ ९	१२ ९
जीवनाशा (सामान्य प्रति हजार)	३२	४५

मुख्य ६ धर्मों के अनुयायी

(१९६१)

हिन्दू	३ ६६ ५२६ ८६६	सिख	७ ८४५ ९१५
मुसलमान	४६ ९४ ७९९	बौद्ध	३ २५६ ०३६
ईसाई	१ ७२८ ०६	जैन	२ ०२७ २८१

१९५१-६१ के मध्य राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत

आंध्र	१५ ७	महाराष्ट्र	२३ ६
असम	४५	मैसूर	२१ ६
बिहार	१९ ८	उड़ीसा	१९ ८
गुजरात	२६ ९	नागालैण्ड	१४ १
जम्मू-कश्मीर	९४	पंजाब और हरियाना	२५ ९
केरल	२४ ८	राजस्थान	२६ २
मध्य प्रदेश	२४ २	उत्तर प्रदेश	१६ ७
मद्रास	११ ९	प बंगाल	३२ ८

केन्द्र शासित प्रदेश

अण्डमान-निकोवार	१०५ २	सिक्किम	१७ ३
दिल्ली	५२ ४	दादर व नागर हवेली	३९ ६
हिमाचल प्रदेश	२१ ८	गोवा, दमन व दीव	१.७
मणिपुर	३५ ०	पाडीचेरी	१६ ३
लकादीव, मिनीकॉय व अमीनदीव	१४ ०	त्रिपुरा	७८.७

देहाती और शहरी जनसंख्या : (१९५१-६१)

(कुल आबादी का प्रतिशत)

	देहात	शहर		देहात	शहर
१९२१	८८.६	११ ४	१९५१	८२.७	१७.३
१९३१	८७ ९	१२.१	१९६१	८२ २	१७ ८
१९४१	८६ १	१३ ९			

मुख्य भाषा-भाषियों की संख्या १९६१

	कुल सख्या (लाखो मे)	प्रतिशत
हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी व पजाबी	१४९९ ०	४२ ०
तेलुगू	३३० ०	९ २
मराठी	२७० ०	७ ६
तामिल	२६५ ०	७ ४
वगला	२५१ ०	७ ०
गुजराती	१६३ ०	४.६
कन्नड	१४५ ०	४ १
मलयालम	१३४ ०	३.८
उडिया	१३२ ०	३ ७
असमिया	५० ०	१.४

जन्म के समय जीवनाशा : प्रतिशत

	पुरुष	स्त्री
१९०१-११	२२ ६	२३ ३
१९११-२१	१९ ४	२० ९
१९२१-३१	२६ ९	२६ ६
१९३१-४१	३२ १	३१ ४
१९४१-५१	३२ ५	३१ ७

१९५१ सामान्यजीवनाशा ४५ प्रतिशत

प्रति हजार पीछे वार्षिक जन्म-मृत्यु-प्रमाण

	जन्म	मृत्यु
१९०१-११	५१ ३	४३ १
१९११-२१	४९ २	४८ ६
१९२१-३१	४६ ४	३६.३
१९३१-४१	४५ २	३१ २
१९४१-५१	३९ ९	२७ ४
१९५१-६१	४०.०	१८.०

मैसूर	७४,२१०	२३,५८६,७७२	३१८	२६,३७७	२,९७२	२३०
उडीसा	६०,१६४	१७,५४८,८४६	२९२	४६,४६६	५,६५९	६२
पंजाब और हरियाणा	४७,२०५	२०,३०६,८१२	४३०	२१,२६६	१,४६८	१८७
राजस्थान	१३२,१५२	२०,१५५,६०२	१५३	३२,२४०	२,२८८	१४५
उत्तर प्रदेश	११३,६५४	७३,७४६,४०१	६४९	११२,६२४	१२,७२०	२७५
प० बंगाल	३३,८२९	३४,९२६,२७९	१,०३२	३८,५३०	३,५९०	१८४
नागालैण्ड	६,३६६	३३९,२००	५८	८१४	१४	३
केन्द्रशासित प्रदेश						
अण्डमान-निकोबार (द्वीप)	३,२१५	६३,५४८	२०	३९९	१३	१
दिल्ली	५५३	२,६५८,६१२	४,६४०	२७६	२३	३
हिमाचल प्रदेश	१०,८८५	१,३५१,१४४	१२४	१०,४३८	१,१९९	१३
लकादीव, मिनीकाय और अमीनदीव (द्वीप)	११	२४,१०८	२,१९२	१०	९	—
मणिपुर	८,६२८	७८०,०३७	९०	१,८६६	४२	१
त्रिपुरा	४,०३६	१,१४२,००५	२८३	४,९३२	३५४	६
दादर, नागर हवेली	१८९	५७,९६३	३०७	७२	—	—
गोवा, दमन व दीव	१,४२६	६२६,६६७	४४०	—	—	—
पाडीचेरी	१८५	३६९,०७५	१,९९५	३८८	—	५
सिक्किम	२,७४४	१६२,१८९	५९	४६०	५९	१
नेफा	३१,४३८	३३६,५५८	११	२,४५१	—	—

शहरों या कस्बों का १९१६ में किया वर्गीकरण

१९६१ की जनगणना मे कस्वो का ६ वर्गो मे इस प्रकार वर्गीकरण किया गया —

वर्ग	जनसख्या	संख्या	वर्ग	जनसंख्या	संख्या
१	१००,००० या अधिक	१०७	४	१०,०००-१९,९९९	८१७
२	५०,०००-९९,९९९	१४१	५	५,०००-९,९९९	८४४
३	२०,०००-४९,९९९	५१५	६	५,००० से कम	२६६
				कुल शहर या कस्वे	२,६९०

हरिजनों और आदिम-जातियों की राज्यवार व संघीय प्रदेशवार संख्या

	हरिजन वर्ग	आदिम जातियां
भारत	६४,५११,३१३	२९,८०३,४७०
राज्य		
आध्र प्रदेश	४,९७३,६१६	१,३२४,३६८
असम	७३२,७५६	२,०६८,३६४
विहार	३,५३६,८७५	४,२०४,७७०
गुजरात	१,३६७,२५५	२,७५४,४४६
जम्मू-कश्मीर	२६८,५३०	—
केरल	१,४२२,०५७	२०७,९९६
मध्य प्रदेश	४,२५३,०२४	६,६७८,४१०
मद्रास	६,०७२,५३६	२५२,६४६
महाराष्ट्र	२,२२६,९१४	३९७,१५९
मैसूर	३,११७,२३२	१९२,०९६
नागालैण्ड	१२६	३४३,६९७
उडीसा	२,७६३,८५८	४,२२३,७५७
हरियाणा और पजाव	४,१३९,१०६	१४,१३२
राजस्थान	३,३५९,६४०	२,३०९,४४७
उत्तर प्रदेश	१५,४१७,२४५	—
पश्चिमी वगाल	६,९५०,७२६	२,०६३,८८३
प्रदेश		
अण्डमान-निकोवार (द्वीप)	—	१४,१२२
दादर व नगर हवेली	१,१८४	५१,२६१
दिल्ली	३४१,५५५	—

	हरिजन वग	आदिम जातियां
हिमाचल प्रदेश	३६६ ६१६	१०८ १९९
लक्काद्वीव मिनीकाय व अमीनदीव (द्वीप)	—	२३ ३९१
मणिपुर	१३ ३७६	२४९ ०४९
नेफा	—	५ ०४२
पांडीचेरी	५६ ८६१	—
सिक्किम	७ २००	३७ १७०
त्रिपुरा	११९ ७२५	३६० ०७०

कुल जनसंख्या मे छ मुख्य धर्मावलम्बियो का प्रतिशत

	१९५१	१९६१		१९५१	१९६१
बौद्ध	५	० ७४	हिन्दू	८४ ९८	८३ ५
ईसाई	२ ३५	२ ४४	मुसलमान	९ ९१	१० ७
जैन	४५	० ४६	सिख	१ ७४	१ ७९
			अन्य	० ५२	० ३७

उड़ीसा	
कटक	१४६,३०८
रूरकेला	९०,२८७
पुरी	६०,८१५
बरहामपुर	७६,९३१
भुवनेश्वर	३८,२११
पंजाब और हरियाणा	
अमृतसर	३९८,०४७
जालन्धर	२६५,०३०
लुधियाना	२४४,०३२
अम्बाला	१८१,७४७
पटियाला	१२५,२३४
चण्डीगढ	९९,२६२
फिरोजपुर	९७,९३२
रोहतक	८८,१९३
जगाधरी	८४,३३७
करनाल	७२,१०९
हिसार	१५४,५०८
शिमला	११२,६५५
लाहौल-स्पीति	२०,४५३
प० बंगाल	
कलकत्ता (कार्पोरेशन)	२,९२७,२८९
हावड़ा	५१२,५९८
आसनसोल	१६८,६८९
खड़गपुर	१४७,२५३
द० दमदम	१११,२८४
कमरहाटी	१२५,४५७
बर्दवान	१०८,२२४
पनिहाटी	९३,७४९
श्रीरामपुर	९१,५२१
हुगली चिनसुरा	८३,१०४
टीटागढ	७६,४२९
पांडीचेरी	
पांडीचेरी	४०,४२१
कारीकल	२२,२५२
जम्मू-कश्मीर	
श्रीनगर	२९५,०८४
जम्मू	१०२,७३८
अनन्तनाग	२१,०८७
बारामूला	१६,८५४
केरल	
कोचीन-अरनाकुलम्	३१३,०३०
त्रिवेन्द्रम्	३०२,२१४
कालीकट	२४८,५४८
अलेप्पी	१३८,८३४
क्वीलोन	९१,०१८
पालाघाट	७७,६२०
त्रिचुर	५२,६८५
मध्य प्रदेश	
इन्दौर	३९४,९४१
जबलपुर	३६७,०१४
ग्वालियर	३००,५८७
भोपाल	२२२,९४८
उज्जैन	१४४,१६१
रायपुर	१३९,७९२
दुर्ग (भिलाई सहित)	१३३,२३०
सागर	१०४,६७६
बिलासपुर	८६,७०६
बुरहानपुर	८२,०९०
मद्रास	
मद्रास	१७,२९,१४१
मदुराई	४२४,८१०
कोयम्बतूर	२८६,३०५
तिरुचिरापल्ली	२४९,८६२
सलेम	२४९,१४५
पलायमकोट्टई	१९०,०४८
तूतीकोरन	१२७,३५६
काचीपुरम्	९२,७१४
वेल्लौर	१२२,७६१
कुम्भकोणम्	९६,७४६
महाराष्ट्र	
वृहत्तर बम्बई	४,१५२,०५६
पूना	७३७,४२६

	बौद्ध	ईसाई	हिन्दू	जैन	मुसलमान	सिख	इतर धर्म	धर्म नही बताया
उत्तर प्रदेश	१२८९३	१०१६८१	६२४ ७३१६	१२२१०८	१ ७८८ ८६	२८३७३७	४१४	२ ३
पश्चिम बंगाल	११२२५३	२ ४५३०	२७५२३३५८	२६६४	६९८५२८७	३४१८४	३८६१	११७
संघीय प्रदेश								
अण्डमान निकोबार द्वीप	१७०७	१७९७३	३२७८१	३	७३२८	२४१	३४४४	१
दादरा-नगर हवेली	२	७९९	५६५७६	१२०	४४३	—	२३	—
दिल्ली	५९९६	२९२६९	२२३४५९७	२९५९५	१५५४५३	२०३९१६	२८५	३१
गोवा दमन व दीव	१८९	२२७२०२	४८४३७८	६८	१४६००	—	२१३	१७
हिमाचल प्रदेश	६३०८	४९२	१३१००१९	६५	२५६१९	८४३७	७२	२
लक्षद्वीप मिनीकाय								
अमीनदीव द्वीप	—	५६	२६३	—	२३७८९	—	—	—
मणिपुर	३२५	१५२ ४३	४८१११२	७७८	४८५८८	५२३	—	९९९९८
पाण्डीचेरी	२५	३३९४६	३११२२३	७६	२३४७	१४	३२५	—
त्रिपुरा	३३७१६	१००३९	८६७९९८	१६५	२३०००२	४९	४	२

नोट —

(१) नेफा के उस भाग के आंकडे असम म सम्मिलित नही किये गए हैं जहाँ पूछताछ नही की गई। सम्मिलित भागो के आंकडे हैं बौद्ध ५ ८०९ ईसाई १ ७१३ हिन्दू २५ ५९९ जैन १४ मुसलमान १० ८ सिख ७४५ इतर धर्म १ ७८४ तथा धर्म न बताने वाले २ ०३२।

(२) दादर व नगर हवेली के आंकडे १९६२ के हैं।

(३) गोवा दमन व दीव के आंकडे १९६० के हैं।

जन्म-मृत्यु का प्रति हजार प्रमाण—क्षेत्रीय स्थिति

१९५१-६१ के मध्य राज्यो मे सर्वोच्च जन्म-प्रमाण असम (४९ ३) मे और निम्नतम मद्रास मे (३४ ९) रहा। मृत्यु-प्रमाण भी असम मे सर्वोच्च (२६ ९) और निम्नतम (१६ १) केरल मे रहा। स्वाभाविक रीति से सर्वोच्च वृद्धि पजाब, हरियाणा (२५ ८) और निम्नतम वृद्धि मद्रास (१२ ४) मे हुई। नीचे की तालिका मे जन्म-मृत्यु का प्रमाण क्षेत्रवार दिया गया है —

क्षेत्र	राज्य	आनुमानिक जन्म-प्रमाण (प्रति हजार)	आनुमानिक मृत्यु-प्रमाण (प्रति हजार)
उत्तरी	पजाब, हरियाणा और राजस्थान	४३ ६	१९ ०
मध्य	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	४२ ०	२४ ४
पूर्वी	असम, बिहार, उडीसा और प० बगाल	४३ ३	२३ ९
दक्षिणी	आध्र प्रदेश, मद्रास, केरल और मैसूर	३८ ५	२२ ३
पश्चिमी	गुजरात और महाराष्ट्र	४२ ८	२१ ४

स्वाभाविक वृद्धि का सर्वोच्च प्रमाण (२४ ६) उत्तरी भारत मे और निम्नतम प्रमाण (१६ ३) दक्षिणी भारत मे रहा।

नवीन उपलब्ध सामग्री से ज्ञात होता है कि अभी जन्म-अनुपात लगभग ४०, मृत्यु का अनुपात १६—१८ और शिशु-मृत्यु का अनुपात १२५—१४० है।

प्रति दशक के भीतर स्त्री और पुरुष की जीवनाशा मे क्या अन्तर आया, यह निम्न तालिका मे दिखाया गया है

जीवनाशा : प्रतिदशक स्थिति

दशक	जन्म के समय जीवन की आशा पुरुष	जन्म के समय जीवन की आशा स्त्री
१८८९-१९००	२३ ६३	२३ ९६
१९०१-१९१०	२२ ५९	२३ ३१
१९११-१९२०	१९ ४२*	२० ९०*
१९२१-१९३०	२६ ९१	२६ ५६
१९३१-१९४०	३२ ०९	३१ ४७*
१९४१-१९५०	३२ ४५*	३१ ६६*
१९५१-१९६०	४१ ९०*	४० ६०

*गैर-सरकारी आकडे

प्रथम महायुद्ध के वाद फैले युद्ध-ज्वर या इनफ्लुएजा का प्रभाव १९११ से १९३० तक रहा। भारत मे स्वाधीनता के वाद जीवनाशा मे तेजी से वृद्धि हुई। परन्तु स्त्रियो की जीवनाशा पुरुषो के मुकावले घट गई है। १९२० तक स्त्रियो की जीवनाशा पुरुषो की अपेक्षा अधिक थी।

जीवनाशा (१९५१ ६०) क्षेत्रीय स्थिति

क्षेत्र	जन्म के समय जीवन की आशा	
	पुरुष	स्त्री
उत्तरी	४९ ६	४४ ६
मध्य	३६ ८	८ ८
पूर्वी	३६ ८	४० १
दक्षिणी	४१ १	३६ २
पश्चिमी	४४ २	४२ ५

स्त्रियो की जीवनाशा और पुरुषो की जीवनाशा म भारी अन्तर है जो उत्तरी क्षेत्र म सर्वाधिक है। केवल पूर्वी क्षेत्र म स्त्रियो की जीवनाशा पुरुषो म अधिक है। पश्चिमी क्षेत्र म यह अधिक है पर अन्तर मामूली है। इस अन्तर का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पडना अनिवार्य है।

आयु वर्ग (१९६१)

विभिन्न आयु वर्ग म कुल जनसख्या का कितना प्रतिशत है यह निम्न तालिका म दिखाया गया है —

	आयु वर्ग	कुल जनसख्या की प्रतिशत
शिशु और छोटे बच्चे	से ४	१५
लडके-लडकिया	५ स १४	२६
तरुण और तरुणी	१५ से २४	१६ ७
	२५ से ३४	१५ ४
वयस्क (मध्य आयु के)		
स्त्री पुरुष	५ से ४४	११
वयोवृद्ध	४५ स ५४	८
	५५ से ६४	४ ८
	६५ से ७४	२ १
	७५ और उसम अधिक	१
	योग—	१

इससे एक बात ज्ञात होगी कि ४१ प्रतिशत जनता का पालन-पोषण करने और उसे शिक्षा देकर योग्य बनाने की भारी जिम्मेदारी इस देश के अभिभावको पर है। दूसरी बात यह कि ५१ प्रतिशत ही श्रम करने और आजीविकोपार्जन की स्थिति म हैं। इनके कठोर श्रम पर ही सम्पूर्ण समाज और देश का सुखी जीवन निर्भर है।

१६०१ से १६६१ के मध्य स्त्री-पुरुष के अनुपात मे आया राज्यवार अन्तर
(प्रति हजार पुरुषो के पीछे स्त्रियो की सख्या)

	१६०१	१६११	१६२१	१६३१	१६४१	१६५१	१६६१
भारत	६७२	६६४	६५५	६५०	६४५	६४६	६४१
आध्र प्रदेश	६८५	६६२	६६३	६८७	६८०	६८६	६८१
असम	६३३	६२७	६०८	८८६	८८६	८७७	८७६
विहार	१०५४	१०४४	१०१६	६६४	६६६	६६०	६६४
गुजरात	६५४	६४६	६४४	६४५	६४१	६५२	६४०
जम्मू काश्मीर	८८२	८७६	८७०	८६५	८६६	८७३	८७८
केरल	१००४	१००८	१०११	१०२२	१०२७	१०२७	१०२२
मध्य प्रदेश	६६०	६८६	६७४	६७३	६७०	६६७	६५३
मद्रास	१०४४	१०४२	१०२६	१०२७	१०१२	१००७	६६२
महाराष्ट्र	६७८	६६६	६५०	६४७	६४६	६४१	६३६
मैसूर	६८३	६८१	६६६	६६५	६६०	६६६	६५६
नागालैण्ड	६७३	६६३	६६२	६६७	१०२१	६६६	६३३
उडीसा	१०३७	१०५६	१०८६	१०६७	१०५३	१०२२	१००१
पजाव एव हरियाणा	८४८	८०७	८२१	८३०	८५०	८५८	८६४
राजस्थान	६०५	६०८	८६६	६०७	६०६	६२१	६०८
उत्तर प्रदेश	६३७	६१५	६०६	६०४	६०७	६१०	६०६
प० वंगाल	६४५	६२५	६०५	८६०	८५२	८६५	८७८
सघीय प्रदेश							
अण्डमान-निकोवार द्वीप	३१८	३५२	२०३	४६५	५७४	६२५	६१७
दादर, नगर हवेली	६६०	६६७	६४०	६११	६२५	६४६	६६३
दिल्ली	८६२	७६३	७३३	७२२	७१५	६६८	७८५
गोवा, दमन व दीव	१०८५	११०३	११२२	१०८८	१०८३	११२८	१०७१
हिमाचल-प्रदेश	८८५	६०४	६०२	६०६	८६७	६१५	६२३
लकादीव, मिनीकाय, अमीनी दीप द्वीप	१०६३	६८७	१०२७	६६४	१०१८	१०४३	१०२०
मणिपुर	१०३७	१०२६	१०४१	१०६५	१०५५	१०३६	१०१५
पाडीचेरी	—	१०५८	१०५३	—	—	१०३०	१०१३
त्रिपुरा	८७४	८८५	८८५	८८५	८८६	६०४	६३२

नोट—१ भारत मे पाडीचेरी सम्मिलित नही है।

२ असम मे नेफा सम्मिलित नही है। क्योकि १६६० से पहले वहा जनगणना ही नही हुई थी।

३ जम्मू-काश्मीर के १६५१ के आकडे १६४१-१६६१ की जनगणना के आधार पर तैयार किये गये हैं।

४. पाडीचेरी की १६४२ की जनगणना को १६५० की जनगणना माना गया है।

आयु और विवाहित अवस्था (हजारो मे) १९६१

सामाजिक ढाचा

भारत की कुल जनसख्या मे स्त्री पुरुषो की सख्या और उनम कितने विवाहित अविवाहित विधुर विधवा है यह निम्नलिखित तालिका मे दिखाया गया है —

आयु-वर्ग (वर्ष)	कुल जनसख्या			अविवाहित		विवाहित		विधुर	विधवा	विवाह विच्छेद		अवर्णित दशा	
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री			पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
सब आयुओ के	४३८९३७	२२६१४६	२१२७९१	११६६८४	९० ८८	९७१४१	९८४८४	८३४१	२३०२५	८८२	१०८	९८	१०८
० ९	१३ ७७७	६६२६२	६४५१५	६०२६२	६४५१५	—	—	—	—	—	—	—	—
१ १४	४९३ ६	२६२७४	२३०३२	२४४७६	१८५२८	१७३४	४४२६	१६	०	१६	७६	२	१८
१५ १९	३५८८३	१८५९९	१७२८४	१४१६	५ ४५	४३२६	१२ २४	४५	६१	४१	१११	१४	१३
२ २४	३७३३३	१८१९९	१९१२४	७९७८	११४३	९९३७	१७५५८	१६४	२९८	१ ६	१३०	११	१५

क्रमश

२५-२९	३६५८२	१८५३२	१८०५०	३२८३	३४१	१४७७२	१६९९८	३१०	५२२	१५८	१७५	९	१४
३०-३४	३०८४२	१५९८८	१४८५४	१२३९	१५४	१४१८८	१३५८१	४१९	९५४	१३४	१५४	८	११
३५-३९	२५४६४	१३६०४	११८६०	६२५	८८	१२३६९	१०३२०	५००	१३२२	१०४	१२२	६	८
४०-४४	२२८६०	१२०८२	१०७७४	४७३	६७	१०७८६	८३६७	७२३	२२२७	८९	१०६	५	७
४५-४९	१८०५९	९७३६	८३२३	३२०	४२	८५४३	५८०३	८०३	२४००	६६	७३	४	५
५०-५४	१७१११	९१३१	७९५०	२९४	३७	७६४५	४२४९	११३०	३६२९	५८	६०	४	५
५५-५९	९८३२	५२८६	४५४९	१५५	१९	४२७३	२२११	८२१	२२८६	३२	३०	२	३
६०-६४	११२४०	५७०७	५५३३	१६५	२३	४२६१	१६२७	१२४६	३८५२	३२	१८	३	३
६५-६९	४३५२	२४७३	२३७९	७०	१०	१७४७	६४७	६४०	१७०९	१५	१२	१	१
७०	८६२०	४१७७	४४४३	११८	१८	२५२५	६५७	१५०८	३७५०	२४	१६	२	२
आयु न बताने वाले	१७६	९५	८१	६६	५८	२२	१६	२	५	१	—	३	२

इससे ज्ञात होगा कि बाल-विवाह का, ९ साल से कम आयु मे विवाह का अन्त हो गया है। अतः बाल-विधवाए नही है। यह १९६१ की जनगणना की विशेपता है। बाल-विवाह जैसे भयकर सामाजिक रोग से देश आशिक रूप से मुक्त हुआ है। लेकिन विवाह-वय १८ (स्त्री)—२५ (पुरुष) वर्ष पर नही पहुचा है। १०-१४ वर्ग की आयु के स्त्री-पुरुप क्रमश ४४२६ हजार और १७३४ हजार विवाहित हे। इस आयु-वर्ग के विधुरो की सख्या १९००० और विधवाओ की सख्या ३०००० है। इससे प्रकट है कि पूर्णतः बाल-विवाह का अन्त नही हुआ हे और देश मे किशोरी विधवाओ की सख्या काफी है। भारत मे वैवाहिक जीवन का औसत काल २५ वर्ष माना जा सकता है। २० से ४४ वर्ष के वय-वर्ग के विधुरो और विधवाओ की सख्या को देखकर सहज मे यह अनुमान किया जा सकता है।

एक और बात दिखाई दी कि ४५ साल की आयु के बाद की विवाहित स्त्रियों की संख्या बराबर घटती जा रही है। ७० और इससे अधिक आयु की विवाहित स्त्रियों की संख्या ६५७ हजार है जबकि पुरुषों की २८२५ हजार है। विधुर और विधवाओं की संख्या में इसका उल्टा है। ७० वर्ष और इससे अधिक आयु की विधवाओं की संख्या ३७५ हजार है जबकि विधुरों की संख्या १५०८ हजार है। इस अन्तर का पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का कोई उपाय नहीं है।

१९५१ की तुलना में १९६१ तक ६ मुख्य धर्मावलम्बी किस प्रतिशत में बढ़े यह निम्न तालिका में बताया गया है

१९५१ और १९६१ में मुख्य धर्मों के मानने वालों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत

धार्मिक वर्ग	१९५१ जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	१९६१ जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि १९५१ १९६१
बौद्ध	१८ ८२	८	३२५६ ६	७४	१६७ ७१
ईसाई	८ ३२ ७८	२ ३०	१ ७२८ ८६	२ ४४	२७ ३८
हिन्दू	३५०३५४७३४	८४ ९८	३६६५२६८६६	८३ ५०	२० २९
जैन	१६१८४०६	० ४५	२ ०२७२८१	४६	२५ १७
मुसलमान	३५४००५८४	९ ९१	४६९३९ ७९९	१० ७०	२५ ६१
सिख	६२१९१ ४	१ ७४	७ ८४५२११	१ ७९	२५ १५
अन्य	१८४८ ४	५२	१६११९ ५	७	—१ ०१
योग —	३५६८८ ९०	१००	४३९ २३ ४०७१	१००	२१ ५१

[illegible] धर्मों में [illegible] धर्मों के मानने वालों की [illegible] है अर्थात् ६ [illegible] धर्मों के [illegible] की [illegible] है। हिन्दू [illegible] की [illegible] है और [illegible] । राष्ट्रीय [illegible] है। [illegible] है। [illegible] [illegible] है। [illegible] हिन्दुओं की [illegible] राष्ट्रीय दृष्टि से चिन्ता का [illegible] है।

देहाती और शहरी आवादी

सिक्किम महित भारत की ४३ ९२ करोड आवादी मे से ३६ ०७ करोड या ८२ प्रतिशत गाँवो मे रहती है। शहरो मे रहने वालो की मख्या ७ ८९ करोड या १८ प्रतिशत है। १९२१ से १९६१ के मध्य नगरीकरण वरावर हो रहा है यद्यपि इसकी गति मन्द है, यह निम्न तालिका से ज्ञात होगा

देहाती और शहरी आवादी १९२१-६१ के मध्य

कुल जनमस्या का प्रतिशत	१९२१	१९३१	१९४१	१९५१	१९६१
देहाती	८८ ८	८८ ०	८६ १	८२ ७	८२ ०
शहरी	११ २	१२ ०	१३·९	१७ ३	१८ ०

१९६१ की जनगणना के अनुमार सिक्किम को छोडकर, भारत मे २६९९ शहर और ५६६८७८ गाँव है। राज्यवार इनका वितरण इस प्रकार है

शहरो का राज्यवार विवरण १९६१

नाम राज्य	१००००० और इससे अधिक	५०००० से ९९९९९	२०००० से ४९९९९	१०००० से १९९९९	५००० से ९९९९	५००० से कम	योग
भारत	१०७	१३९	५१८	८२०	८४७	२६८	२६९९
राज्य							
आध्र प्रदेश	११	९	५१	७३	७२	७	२२३
असम	१	२	१०	१२	२४	११	६०
विहार	७	७	३३	५२	४६	८	१५३
गुजरात	६	९	४३	५४	६०	९	१८१
जम्मू-काश्मीर	२	—	१	४	६	३०	४३

क्रमश.

केरल	४	५	३१	३[illegible]	१८	१	१८२
मध्य प्रदेश	६	६	३५	[illegible]७	९८	१७	२१९
मद्रास	९	१९	६[illegible]	११९	९[illegible]	३६	३३९
महाराष्ट्र	१२	१५	४७	८९	८८	१५	२६६
मैसूर	६	९	[illegible]४	८१	६४	[illegible]	[illegible]९
नागालैण्ड	—	—	—	—	३	—	३
उड़ीसा	१	३	८	२२	२२	२[illegible]	६२
पंजाब हरियाणा	५	१[illegible]	३५	४०	५४	४	१८९
राजस्थान	६	४	२३	५२	५१	९	१४५
उत्तर प्रदेश	१७	१८	५६	८१	७९	१६	२६७
प० बंगाल	१२	१९	४६	४५	[illegible]	१२	१८४

संघ प्रदेशों में नगरों व शहरों का विवरण

नाम प्रदेश	१० और इससे अधिक	५०० से ९९९९९	२० से ४९९९९	१ से १९९९९	५ से ९९९९	५००० से कम	योग
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	१	—	—	१
दिल्ली	२	—	१	—	—	—	३
गोवा दमन व दीऊ	—	—	१	१	४	७	१३
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	२	४	७	१३
मणिपुर	—	१	—	—	—	—	१
पांडीचेरी	—	—	२	१	२	—	५
त्रिपुरा	—	१	—	१	४	—	६

राज्य व प्रदेशवार गावो का विवरण

नाम राज्य	१०००० और उससे ऊपर	५००० से ९९९९	२००० से ४९९९	१००० से १९९९	५०० से ९९९	५०० से कम	योग
भारत[1]	७७६	३४२१	२६५६५	६५३७७	१७६०८६	२५१६५०	५६६८७८[2]
राज्य							
आंध्र प्रदेश	२८	४५८	३९१८	६०५०	५८३४	१०७९६	२७०८४
असम	—	१३	३९८	१९९९	५०४१	२०६९९	३०१५३[2]
बिहार	४४	४८१	३३३९	७६३५	१३७८४	४२४२२	६७६६५
गुजरात	७	१४१	१२३२	३३०१	५२९९	८५०४	१८५८४
जम्मू काश्मीर	—	५	११४	५२८	१३२०	४५९२	६५५९
केरल	५१०	५८७	३९५	५७	१८	६	१५७३
मध्य प्रदेश	—	२८	७८७	३८११	१२७९५	५२९९३	७०४१४
मद्रास	९६	४४९	३५३९	४७७१	३२१६	२०५३	१४१४२
महाराष्ट्र	२९	३०५	२२१५	५९५८	१०२३५	१७१०९	३५८५१
मैसूर	—	१७२	१४३२	३७२३	६४८१	१४५६९	२६३७७
नागालैण्ड	—	—	११	६५	१५७	५८१	८१४
उडीसा	—	१६	४५२	२५१३	७३३४	३६१५१	४६४६६
पजाव, हरियाणा	१२	१४२	१४४०	३४७०	५३३७	१०८६८	२१२६९
राजस्थान	—	९४	१००३	२९३६	६५९६	२१६१२	३२२४१
उत्तर प्रदेश	२३	३०८	३७९५	१२८०१	२६०१५	६९६८२	११२६२४
प० बगाल	२५	२४४	२१५६	५२२४	८५१४	२२२९१	३८४५४[3]

१ सिक्किम विना।

२ इसमे ३ ग्राम ऐसे है जिनके विवरण प्राप्त नही हैं।

३ उन ११ ग्रामो विना जिनकी आवादी के अलग-अलग आकडे नही मिलते।

संघीय प्रदेश							
अण्डमान निकोबार द्वीप	—	—	—	२	२०	३७७	३९९
दादर नागर हवेली	—	—		१८	२३	२८	७२
दिल्ली	—	—	४२	५९	९९	७६	२७६
गोवा दमन दीऊ	२	१३	८३	८०	४६	२१	२४५
हिमाचल प्रदेश	—	—	२	६४	२९९	१०१२६	१ ४३८[४]
लकादीव मिनिकाय व अमीनदीव द्वीप	—	—	६	२	१	१	१०
मणिपुर	—	२	५१	१२६	२००	१४८७	१८६६
पाण्डीचेरी	—	३	२१	६२	८९	२१३	३८८
त्रिपुरा	—	—	३१	१४२	९९	४३६०	४६३२
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—

४ २७ ग्राम सहित जो आबाद नहीं है पर लोग जहां बिना घरों के पड़े हैं।

भारत की शासन व्यवस्था

संविधान

भारत का वर्तमान सविधान २६ जनवरी १९५० से लागू हुआ। सविधान तैयार करने का कार्य सविधान निर्मात्री परिषद् ने २६ नवम्बर १९४९ मे समाप्त किया। परिषद् का निर्माण १९४६ के चुनाव से बनी प्रान्तिक परिषदो द्वारा चुने गए सदस्यो और केन्द्रीय सभा (असेम्बली) के सदस्यो द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने इससे असहयोग किया। १९४६ का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर नही हुआ था। इस दृष्टि से वर्तमान सविधान भारतीय जनता का पूर्णत प्रतिनिधित्व नही करता।

२६ जनवरी १९५० से प्रचलित सविधान द्वारा ही इस देश का शासन इस समय होता है। यह लिखित सविधान विश्व मे सम्भवत. सबसे बडा है। इसमे ३९५ अनुच्छेद और ८ अनुसूचियाँ हैं।

सविधान ने देश का नाम 'इण्डिया' रखा है, भारत नही। भारत का उल्लेख मात्र है और वह भी 'तथाकथित' विशेषण के साथ। सयुक्त राष्ट्र मे भी 'इण्डिया' नाम पजित किया गया है, भारत नही। यही बात सब अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ मे है।

सघ राज्य

भारत सघ राज्य या 'यूनियन' है। सविधान का उद्देश्य और लक्ष्य भारत मे सार्वभौम सत्ता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना करना है।

सविधान की भूमिका मे समस्त भारतीय जनता को निम्नाकित की प्राप्ति कराने का सकल्प प्रकट किया गया है

न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।

स्वतन्त्रता—विचार, विश्वास और अभिव्यक्ति तथा निष्ठा और पूजा की।

समानता—पद और अवसरो की समानता, सब मे इस भावना को बढाने का सकल्प।

बन्धुता—वैयक्तिक गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता की सुनिश्चितता।

राज्य और प्रदेश

भारत सघ के निम्न राज्य हैं, इन सबका प्रमुख गवर्नर या राज्यपाल होता है

१ असम, २ आंध्र प्रदेश, ३ उत्तर प्रदेश, ४. उडीसा, ५ केरल, ६ जम्मू-काश्मीर, ७ गुजरात, ८ नागालैंड, ९ पजाब, १० प० बगाल, ११ बिहार, १२ महाराष्ट्र, १३. मद्रास, १४ मध्यप्रदेश, १५ मैसूर, १६ राजस्थान और १७. हरियाणा।

सघीय प्रदेश हैं हिमाचल प्रदेश दिल्ली मणिपुर त्रिपुरा अण्डमान निकोबार द्वीप-समूह लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीव द्वीप समूह पांडीचेरी गोआ दमन और दाव दादर व नागर हवेली तथा चण्डीगढ।

सविधान म सातवा सशोधन न होने तक (१९५६ के पूर्व) राज्य ४ वर्गों म (क ख ग घ) विभक्त थ। इनम से क म ९ ख म ८ तथा ग म ९ राज्य और घ म १ क्षेत्र का उल्लेख था।

राज्यो म विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बडा है नागालैंड सबसे छोटा। जनसख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है और नागालैंड का अन्तिम। जम्मू काश्मीर का प्रमुख भी अब राज्यपाल या गवनर कहा जाने लगा है। पहले वह सदर ए रियासत कहाता था।

सविधान का महत्व—इस सविधान का महत्व निम्न विशेषताओ को लेकर है

१—यह सावभौम सत्ता-सम्पन्न गणराज्य की स्थापना करता है।

२—साधारणत यह शासन की अकल्पना करता है परन्तु सकट के समय यह एकावयवी (यूनिटरी) सरकार की व्यवस्था करता है।

३—यह ससदीय (पार्लमेंट्री) प्रणाली की सरकार की स्थापना करता है अर्थात् राष्ट्रपति स्वजमात्र है। शासन का प्रमुख लोकसभा के प्रति उत्तरदायी प्रधान मत्री है।

४—यह ऐहिक या लौकिक (सक्युलर) राज्य की स्थापना करता है।

५—वयस्क मताधिकार का सूत्रपात करता है। २१ वष की आयु प्राप्त प्रत्यक नर नारी न निर्वाचन म मत दने का अधिकारी है। इसने सयुक्त निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया है यद्यपि आदिवासियो और हरिजनो के वास्ते १९७० तक सुरक्षित स्थान रखा गया है।

(इसका महत्व समझने क लिए यह जानना आवश्यक है कि इण्डिया एक्ट १९१९ म कुल सख्या के केवल प्रतिशत को ही मताधिकार दिया था। इण्डिया एक्ट १९३५ न इसको बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया। इस सविधान ने ५० प्रतिशत को मताधिकार प्रदान किया है। १९७२ क आम चुनाव म लगभग २७ करोड मतदाता भाग लेंगे। इतने अधिक मतदाता और किसी लोकतन्त्र राज्य म नही हैं। सोवियत रूस की तो इतनी आबादी भी नही है।)

६—इसके अनुसार केन्द्र म दो सदन हैं लोक-सभा और राज्य-सभा।

७—यह भारत के प्रत्यक नागरिक को मूल अधिकार दता है।

८—इसम राज्य-शासन के लिए निर्देशिका भी है।

९—इसम हरिजनो एग्लो-इण्डियनों क सिवाय और किसी वग का विशेषाधिकार न दिया गया है।

१०—यह स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है।

११—यह पचायती राज्य की स्थापना और उनको प्रोत्साहन दने का निर्देश देता है।

१२—भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी को घोषित करता है। हिन्दी १९७५ के वाद से पूर्णत राष्ट्रभाषा होगी। हिन्दी के साथ-साथ आवश्यकता रहने तक अंग्रेजी भी चलेगी।

१३—इसमे विभिन्न सेवाओ की भरती के लिए सघीय सेवा आयोग है।

१४—सविधान मे सशोधन करने का उपवन्ध निहित है।

१५—इसके अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आध्र और पजाव मे क्षेत्रीय समितिया है।

१६—इसके अन्तर्गत भाषाई अल्पसख्यको की रक्षा के लिए अल्पसख्यक आयोग (माइनरटी कमीशन) नियुक्त किया गया है।

अद्भुत मेल—भारत का सविधान विश्व भर मे अद्भुत है। इसका ढाचा सघीय है। परन्तु इसकी भावना एकावयवी (यूनिटरी) है।

संघीय तत्व—(क) सविधान लिखित है। केन्द्र और इकाइयो के बीच विषयो और अधिकार-क्षेत्र का स्पष्टता के साथ विभाजन किया गया है। सविधान का ठीक-ठीक अभिप्राय वताने के लिए, केन्द्र और राज्यो और राज्यो के भी पारस्परिक विवादो को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) है।

एकावयवी तत्व—भारत के सविधान मे एकावयवी (यूनिटरी) तत्व निश्चित रूप से समाहित है। १ सविधान मे विभिन्न राज्यो का भी सविधान अन्तर्निहित है। २ राज्यो और सघीय प्रदेशो को समान दर्जा नही दिया गया है। ३ सारे देश मे एक नागरिकता है, अमेरिका के समान दोहरी नही है। ४ न्यायपालिका एक है। अनेक अखिल भारतीय सेवाये है। ५ ऐसे विषयो की सूची पर्याप्त लम्वी है, जिनमे केन्द्र और राज्य, दोनो नियम वना सकते है। ६ अवशिष्ट अधिकार केन्द्र मे निहित है। ७ राज्य सभा राज्य-सूची से समवर्त्ती विषयो मे से किसी को भी केन्द्र को दे सकती है। जैसे, खाद्य दिया हुआ है। ८ राज्यो की सीमा का निर्धारण सघीय संसद कर सकती है। सकट के समय केन्द्र सारी शक्ति ले सकता है। ९ नियोजन का निर्णय केन्द्र करता है। राज्य वित्तीय सहायता पाने के लिए केन्द्र पर निर्भर है। १० कोई राज्य किसी दूसरे देश से सीधे किसी विषय पर वात नही कर सकता। सलेम मे जापान की सहायता से इस्पात का कारखाना लगाने की वात इसी कारण खटाई मे पड गई कि मद्रास राज्य सरकार ने जापान से वात केन्द्रीय सरकार के माध्यम से नही की थी। कलकत्ता की समस्या को हल करने के लिए तत्कालीन स्व० मुख्यमत्री डा० विधानचन्द्र राय ने अपने यूरोप-प्रवास मे विदेशी सरकारो से सहायता के लिए वात करनी चाही तो, केन्द्र द्वारा आपत्ति की गई और डा० राय को इससे टलना पडा। ११ कोई राज्य जो सघ मे है, इससे अलग नही हो सकता।

मूल अधिकार

नागरिको के कुछ अधिकार मूल या वुनियादी माने जाते है। व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए ये अपरिहार्य समझे जाते है। इनसे किसी शान्त और राजनिष्ठ नागरिक को वचित नही किया जा सकता। सविधान मे ये मूल अधिकार दर्ज है। ये कानूनन प्राप्त किये जा सकते है। इनके भग होने की अवस्था मे, इनकी रक्षा के लिये न्यायालय से अपील की जा सकती है। सकट के समय इनका निषेध हो सकता है, अन्यथा नही।

इन अधिकारों का इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है

१—समानता का अधिकार । २—स्वतन्त्रता का अधिकार ।

३—शोषण और शोषण के विरुद्ध अधिकार । ४—धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार ।

५—सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार । ६—साम्पत्तिक अधिकार ।

७—*संवैधानिक उपायों से शिकायत दूर कराने का अधिकार ।*

समानता का अधिकार—कानून की दृष्टि में सब नागरिक एक समान हैं। धर्म, कुल, जन्म, नस्ल, जाति, लिंग के कारण किसी के साथ किसी प्रकार का विभेद या भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबके प्रति एक जैसा ही कानून लागू होगा। कानून की दृष्टि में ऊँच-नीच, छूत-अछूत, स्पृश्य-अस्पृश्य, सवर्ण-असवर्ण का कोई भेद नहीं है। राज्य की नौकरियाँ पाने का सबको समान अवसर प्राप्त होगा और इसका सबको समान अधिकार है। योग्यता के आधार पर राजकीय नौकरियाँ प्राप्त होंगी। सार्वजनिक स्थानों (भोजनालयों, उद्यान, सड़क, कुएँ, जलाशय आदि) का सब समान रूप से व्यवहार कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अन्त करके *सामाजिक समानता स्थापित की गई है।*

स्वतन्त्रता का अधिकार—इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक भारतीय भारत भर में इच्छानुसार भ्रमण कर सकता है, आ जा सकता है, देश के जिस भाग में चाहे बस सकता है और अपना कारोबार कर सकता है। सबको भाषण, लेखन और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्राप्त है। *भाषण, लेख और पुस्तिका द्वारा प्रत्येक अपने विचारों को प्रकट करने में स्वतन्त्र* है। शान्तिपूर्ण सभायें कर सकते हैं, निःशस्त्र हो प्रदर्शन कर सकते हैं। शान्ति भंग और व्यवस्था टूटने की आशंका जिन कार्यों से हो, उनका नियन्त्रण सरकार कर सकती है। निःशस्त्रावस्था में सभायें करने तथा सम्प्रदायों का संगठित करने की भी सबको स्वतन्त्रता प्राप्त है।

साम्पत्तिक अधिकार—नागरिक मात्र को सम्पत्ति का अर्जन करने, उसको संचित करने और अपने पास रखने का अधिकार दिया गया है। अर्जित सम्पत्ति का उसका स्वामी जिसको चाहे दे सकता है। संविधान वैयक्तिक सम्पत्ति का अन्त नहीं करता, प्रत्युत इस अधिकार का पोषण ही करता है। बिना उचित मुआवजा दिए या क्षति-पूर्ति के सार्वजनिक हित के लिए भी वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं ली जा सकती। यहाँ उचित शब्द ध्यान देने योग्य है। जमींदारी उन्मूलन में इसको बाधक पाकर इस शब्द की व्याख्या करना और इसको मर्यादित करना आवश्यक माना गया।

शोषण के विरुद्ध अधिकार—संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। किसी से बेगार भी नहीं ली जा सकती। इस कारण से १४ साल से कम आयु के लड़के या लड़की को कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता। इसमें एक अपवाद है, राज्य सार्वजनिक हित के लिए बेगार भी ले सकता है। कोसी के तटबंध को वर्षा आने से पहले पूरा करने के लिए गाँव वालों से काम लिया गया था। इन लोगों ने खाना भी अपने पास से खाया। इस किस्म की बेगार वर्जित नहीं है। पंचायतें किसी चन्दे या कर के बदले श्रम ले सकती हैं। स्त्रियों और बच्चों का व्यापार सर्वथा वर्जित है।

धार्मिक स्वतन्त्रता—भारत का प्रत्येक नागरिक धार्मिक विश्वास रखने, उसका प्रचार करने और उसके अनुसार पूजा-पाठ करने व उत्सव मनाने मे स्वतन्त्र है। यहा जो अपवाद है, उनका सम्बन्ध शान्ति, कानून एव व्यवस्था तथा नीति की भी रक्षा से है। ये भग नही होने चाहिए। कोई व्यक्ति या धर्म नग्नता, अश्लीलता का प्रचार नही कर सकना।

सस्कृति और शिक्षा का अधिकार—भारत की ४८ करोड की आवादी एक ही भापा बोलने वाली नही है। सास्कृतिक विकास की दृष्टि से भी सव एक स्तर पर नही है। यहा विभिन्न नस्लो के लोग रहते है। अत प्रत्येक समुदाय और वर्ग को अपनी भापा बोलने, लिखने की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक अपनी मान्यता के अनुसार शिक्षणालय भी खोल सकता है और उसको चला सकता है। गुजरात विश्वविद्यालय इसी कारण सबके लिए शिक्षा का माध्यम 'गुजराती' या 'हिन्दी' नही कर सका। एक मराठी-भापी छात्र की अपील पर उसको अग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मानना पडा। इस अधिकार का क्षेत्र और इसकी मर्यादा वहुत व्यापक है और विस्तृत है।

अधिकारो और स्वतन्त्रताओ की कानून द्वारा सुरक्षा का अधिकार—प्राप्त अधिकारो और स्वतत्रताओ की रक्षा करने के लिए सविधान मे अनेक उपाय निर्दिष्ट है। सरकार किसी व्यक्ति को विना कारण वताये गिरफ्तार नही कर सकती। गिरफ्तार व्यक्ति को २४ घटे के अन्दर-अन्दर किसी दडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख उपस्थित करना भी जरूरी है। न्यायालय मे अपील करके गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय मे उपस्थित करने के लिए सरकार को वाध्य किया जा सकता है। न्यायालय जव तक किसी को दण्डित न करे, कोई व्यक्ति अपराधी और दोषी नही माना जा सकता। ससद या विधान-सभाए यदि मूल अधिकारो का विरोधी और उसके विपरीत कोई कानून वनावे, तो वह न्यायालय द्वारा रद्द कराया जा सकता है।

राजकीय नीति के निर्धारक निर्देशक सिद्धात

भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और कालिदास के शव्दो मे इसको 'पितृ-राज्य' कहा जा सकता है। पितृ-राज्य का लक्षण है

विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि,
स पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतव ॥

राज्य रोजमर्रा किस नीति से काम करे, यह निर्देशक तत्वो मे वताया गया है। इनको किन्तु, कानूनन नही प्राप्त किया जा सकता। राज्यो से इतनी ही अपेक्षा और आशा की जाती है कि वे शक्ति भर इनके अनुसार कार्य करेगे। जैसे, अनिवार्य और नि शुल्क शिक्षा है। इसके लक्ष्य १९६० तक प्राप्त हो जाने चाहिये थे। परन्तु ऐसा नही हुआ। यही वात दारू-वन्दी की है।

राजकीय नीति के निर्धारक सिद्धान्त इस प्रकार हे

१—सव नागरिको (नर-नारियो) को आजीविका कमाने के साधन प्राप्त करने का अधिकार है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विश्वविद्यालय और विशिष्ट प्रवैधिक शिक्षा भी नि शुल्क होनी चाहिए। परन्तु इस सिद्धान्त की इस सीमा तक किसी ने अभी तक व्याख्या नही की है।

२—आर्थिक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या नियन्त्रण इस प्रकार हो जिससे उनका सबके हित में उपयोग हो सके और सम्पत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सचित न हो जाय। सार्वजनिक क्षेत्र में मूल उद्योगों की स्थापना का आग्रह इसी रूप में किया जाता है।

३—शिक्षा प्राप्त करने व रोजगार पाने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। बेकारी बुढ़ापा बीमारी और अपाहिज होने की अवस्था में सार्वजनिक सहायता पाने का भी अधिकार है।

पृथक सुरक्षा मत्रालय की स्थापना करके इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किया गया है। बुढ़ापे में पेन्शन देने की बात भी चलाई गई है। परन्तु बुढ़ापे का आरम्भ सोवियत रूस के समान ६० साल से नहीं बल्कि ७० और ८० वर्ष से माना गया है। जीवन-सुरक्षा की ओर अभी कदम उठाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य आरोग्य और जीवन रक्षा के लिये और कारखानों तथा खानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चालू जीवन रक्षा योजनाओं का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। इनसे सामान्य जनता वंचित है।

४—राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोगों को पुष्टिकर भोजन मिले उनका स्वास्थ्य उन्नत हो और उनका जीवन प्रतिमान ऊंचा हो।

मुर्गी पालन मत्स्य पालन साग सब्जी उपजाने और फलदार वृक्ष लगाने का अभियान और वन महोत्सव आदि इसी उद्देश्य की पूर्ति के परिचायक हैं।

५—कृषि तथा पशु पालन के नये तरीकों को अपनाया जाय। गो वध रोका जाय।

राजस्थान के गंगानगर जिले में सोवियत रूस की सहायता से चलाया जा रहा सरकारी सूरतगढ़ का फार्म इसी सिद्धान्त के अनुसार स्थापित हुआ है। रुद्रपुर का कृषि विश्वविद्यालय भी इसी दिशा में एक प्रयास है। पर गो वध बढ़ा है घटा नहीं।

६—दस साल के अन्दर अन्दर १४ साल की आयु तक के सब बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय। अट्ठारह साल बीत जाने पर भी अभी यह एक अप्राप्त आदर्श ही बना हुआ है। दिल्ली में दसवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है। जम्मू व कश्मीर में सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क है पर अनिवार्य नहीं। केरल में भी दसवीं तक शिक्षा निःशुल्क है। लेकिन ये स्फुट प्रयत्न हैं और आदर्श की आंशिक पूर्ति ही करते हैं।

७—हरिजनों और अन्य पिछड़ी जातियों और दलित वर्ग को शिक्षित करने और उनकी आर्थिक दशा सुधारने का विशेष प्रयत्न किया जाय। इस दिशा में सरकारी प्रयत्न बहुत किया गया है। परन्तु हरिजन उतने से सन्तुष्ट नहीं हैं। इस काम में समाज की सहायता व सहयोग आवश्यक है। इस कार्य की देखभाल के लिए एक अलग आयुक्त भी नियुक्त है। हरिजन भूमि चाहते हैं। पर सबको भूमि दी नहीं जा सकती। भूमि की भूख सरकार पूरी नहीं कर सकती।

८—नशीली वस्तुओं के उपयोग को रोका जाय। इस विषय में सरकार की नीति में एकवाक्यता नहीं है और उसका इस विषय में सकल्प भी शिथिल है।

९—ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाय जिससे जनता को शासन में अधिकाधिक

भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। इस निर्देश का प्रथम प्रधानमत्री के प्रोत्साहन से बहुत उत्साह से पालन किया गया। पर इच्छित फल नही निकला। इसका कारण भारत की नौकरशाही और उसका अग्रेजी भाषा के प्रति मोह है। सरकार के किसी एक भी विभाग या अनुभाग का काम एकमात्र भारतीय भाषाओ मे अभी तक नही हो सका है। आज भी उच्च शिक्षा का माध्यम अग्रेजी को रखने का आग्रह किया जाता है। विदेशी डिग्रियो, विशेषत ब्रिटिश, का विशेष आदर रहते हुए ग्राम पचायतो की स्थापना से इच्छित फल प्राप्त नही हो सकता। यही कारण है कि पचायते गणराज्य या ग्राम-राज्य का स्वरुप नही प्राप्त कर सकी, जिस ओर सविधान ने सकेत किया है।

१०—न्याय विभाग सर्वथा पृथक् और स्वतत्र रखा जाय।

११—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे शान्ति की नीति का अनुसरण किया जाय।

इस सिद्धान्त का पालन गलत रूप मे किया गया और सैनिक शक्ति से भारत को दुर्बल रखा गया। शान्ति का मार्ग शक्ति और सामर्थ्य-वृद्धि की राह से गुजर कर जाता है। इसका विस्मरण कर दिया गया।

१२—ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की इमारतो की रक्षा की जाय।

दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत इसी के अनुसार सरकारी पैसे से कराई गई। किन्तु सोमनाथ मन्दिर के पुनरुद्धार मे सरकार ने कुछ भी खर्च नही किया।

१३—समान काम की समान उजरत, भृत्ति और वेतन दिया जाय।

१४—मानव-श्रम (कार्य) की अवस्थाओ को इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाय जिससे प्रत्येक को आराम का पूर्ण अवसर मिले तथा सामाजिक और सास्कृतिक प्रगति के भरपूर अवसर सुलभ हो।

१५—सार्वजनिक आरोग्य और स्वास्थ्य की अभिवृद्धि की जाय।

१६—कुटीर उद्योगो के प्रोत्साहन के लिए भी निर्देश दिया गया है।

मूल अधिकारो और इन नीति निर्धारक निर्देशो मे अन्तर इतना ही है कि सरकार को नीति-निर्देशो का पालन करने के लिए जनता कानूनन या अदालत की सहायता से बाध्य नही कर सकती। सरकार इनका पालन करने के लिए प्रतिबाधित नही है। इसके विपरीत मूल अधिकार न्यायालय की सहायता से सरकार से प्राप्त किये जा सकते है।

नागरिकता भारत मे उत्पन्न, भारतीय माता-पिता से उत्पन्न तथा सविधान के लागू होने से पहले पाच वर्ष तक निरन्तर भारत मे रहने वाला भारत का नागरिक हो सकता है। एक ही व्यक्ति एक ही समय मे दो देशो का नागरिक नही हो सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह इस देश का नागरिक नही माना जायगा। १९ जुलाई १९४८ से पहले के पाकिस्तान से आये व्यक्ति भारत के नागरिक माने गए है। इसी प्रकार पाकिस्तान गए व्यक्ति जो भारतीय अधिकारी से स्थायी 'परमिट' पाकर भारत लौट आये है, वे भी भारत के नागरिक माने गए है। १९ जुलाई १९४८ के बाद भारत मे आये लोग पजीयन कर भारत के नागरिक बनाये गये है। विदेशो मे रहने वाले भारतीय भी वहा के भारतीय दूतावासो मे अपने नाम पजित कराकर भारत के नागरिक हो सकते है।

नागरिकता अधिनियम १९५५ (सिटीजनशिप एक्ट १९५५) बनाया गया है और इस सघीय अधिनियम के द्वारा सविधान के बाद नागरिकता प्राप्त करने नागरिकता के अधिकार से वचित करने आदि के विषय म नियम बना दिए गए हैं। नागरिकता की अर्हता और अनर्हता पात्रता और अपात्रता विषयक बातें भी स्पष्ट कर दी गई हैं।

केन्द्र

सघीय सरकार या यूनियन गवनमट ही केन्द्रीय सरकार कहाती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमत्री और मत्रिमण्डल इनका सम्मिलित और सयुक्त रूप ही केन्द्रीय सरकार से अभिहित होता है। यही भारत सरकार है जो देश की सर्वोच्च शासक सत्ता है। सघ सरकार से १७ राज्य सम्बद्ध है और १ सघीय प्रदेशा पर उसका सीधा शासन है।

राष्ट्रपति

सम्पूर्ण राज्य का काय राष्ट्रपति या प्रेजीडेण्ट के नाम स होता है। राष्ट्रपति सार्वभौम सत्ता-सम्पन्न लोकतत्रात्मक भारत गणराज्य का प्रमुख है। सघ राज्य की शक्ति राष्ट्रपति और मत्रि मडल म निहित है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है चुनाव ससत्सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करत हैं। चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल सक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस प्रणाली के कारण कम आबादी के राज्यो की ओर से शिकायत की गुजाइश नहीं रहती। भारत का राष्ट्रपति वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो लोक सभा का सदस्य होने की अर्हता रखता हो और ३५ साल की आयु से कम का न हो। साथ ही वह भारत सरकार या अन्य किसी राज्य म लाभकारी सरकारी पद पर न होना चाहिए। राज्यो के राज्यपाल मत्रिगण और उपराष्ट्रपति के पद लाभकारी नही माने जाते। राष्ट्रपति पाच साल के लिए चुना जाता है। वह दूसरी बार भी उम्मीदवार हो सकता है।

राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन म निवास करता है। उसका किराया नही देना होता। उसका मासिक वेतन दस हजार (१० ००० रु) रुपये है। इसके सिवाय उसको अन्य अनेक भत्ते मिलते है। सेवानिवृत्त होने पर वह १५ ०० रु मासिक जीवनवृत्ति और छोटा सा कार्यालय रखने का व्यय पाने का अधिकारी है।

राष्ट्रपति के अधिकार

सविधान की रक्षा न करने या इसके विपरीत काय करने पर ससद के महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव ससद के किसी भी सदन म प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना कम से कम १४ दिन पहले मिलनी चाहिए तथा इस पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव जिस सदन म स्वीकृत होगा उससे भिन्न सदन आरोपो और अभियोगो की जाच करेगा। यदि अभियोगो की जाच करने वाला सदन दो तिहाई मत से उनको ठीक पाये तो राष्ट्रपति को पदच्युत कर दिया जायगा।

कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार—राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशो न्यायाधीशो सघीय लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) के सदस्यों महान्यायवादी (एटर्नी-जनरल) लेखा नियत्रक

और महालेखा-परीक्षक, महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) की और सभी राजनय-सम्बन्धी नियुक्तिया करता है। भारत की समस्त सशस्त्र सेना का वह सर्वोच्च सेनापति है। सघीय क्षेत्रो पर मुख्यायुक्त (चीफ कमिश्नर) की मारफत शासन करता है। मुख्यायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही लोक-सभा मे बहुसख्यक सदस्यो के दल के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। और उसको मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित करता है। मत्रिगण प्रधानमत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त ही अपना पद रखते हैं।

विधि-विधानात्मक अधिकार—राष्ट्रपति ससद के सम्मुख भाषण दे सकता है। उसको सन्देश भेज सकता है। वह जिन विषयों पर ससद द्वारा विचार करना आवश्यक समझता है, उनके सम्बन्ध मे सन्देश भेज सकता है। वह सदन को आमत्रित करता है, उस को स्थगित करता है और लोक-सभा को भग भी कर सकता है। राष्ट्रपति बजट पेश करने और उस पर मजूरी लेने के लिए ससद को बुलाने को प्रतिबद्ध है। ससद द्वारा पारित विधेयको (बिलो) पर उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही वे अधिनियम (एक्ट) हो सकते है, इससे पहले नही। अण्डमान-निकोबार तथा लका-दीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीप समूहो के लिए कायदे-कानून बना सकता है। ससद का जब अधिवेशन न चल रहा हो, तो वह अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी कर सकता है।

वित्तीय अधिकार :

कोई भी वित्तीय विधेयक (मनी बिल), माँग और अनुदान ससद मे राष्ट्रपति की पूर्व-सहमति प्राप्त किए बगैर पेश नही किया जा सकता।

न्यायिक अधिकार

राष्ट्रपति को अपराधी को क्षमादान देने व उसकी सजा घटाने का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्यु-दण्ड भी रद्द कर सकता है।

सकटकालीन अधिकार .

देश पर सकट आने की अवस्था मे, यह चाहे युद्ध, आक्रमण, आन्तरिक उपद्रव या सविधान-यन्त्र के विफल होने से पैदा हुआ हो (जैसे केरल मे हुआ था) अथवा वित्तीय अस्थिरता के कारण हो, राष्ट्रपति सकट की घोषणा कर सकता है और शासनाधिकार एव समस्त शासन-सूत्र अपने हाथ मे ले सकता है, भारत के किसी राज्य का शासन सीधे अपने हाथ मे ले सकता है।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति राज्य-सभा का पदेन अध्यक्ष है। राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने या अन्य कारणो से राष्ट्रपति के देश मे बाहर रहने पर वह राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा मे नये राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का कार्य करता है।

उपराष्ट्रपति का ससद के दोनो सदनो की सयुक्त बैठक मे चुनाव होता है। चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सक्रमणीय मत से होता है।

उपराष्ट्रपति पद की अर्हता यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु ३५ साल से कम न होनी चाहिए तथा राज्य सभा का सदस्य होने का पात्र होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पाँच साल का होता है यदि वह किसी कारण से पद-त्याग न करे या उसको किसी कारणवश पद-च्युत न कर दिया जाय।

मंत्रिपरिषद् — राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए उसके आह्वान पर मंत्रिपरिषद् का गठन प्रधान मंत्री करता है। कार्यपालिका वस्तुतः प्रधान मंत्री और उसके मंत्रिमण्डल द्वारा संचालित है। संघीय सरकार का सारा कार्य सम्भालने और उसको पूरा करने का उत्तरदायित्व मंत्रिमण्डल पर ही है।

राष्ट्रपति साधारणतः लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसके नेता को मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) बनाने के लिए आहूत करता है। दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री फिर अपने सहयोगी मंत्रियों को चुनता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है और उनके विभाग निर्धारित करता है। मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान की इस भावना को यदि ध्यान में रखा जाए तो राज्य सभा का कोई सदस्य प्रधान मंत्री नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। क्योंकि मंत्रिमण्डल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी [illegible]।

प्रधानमंत्री

रिक) अव यह प्रतिवन्ध सविधान मे किये गए दूसरे सशोधन द्वारा हटा दिया गया है। साधारणत एक लोक-सभा का जीवन पाच साल का होता हे। पर, राष्ट्रपति इससे पहले भी इसको भग कर सकता हे तथा सकट-काल मे इसका कार्य-काल वढा भी सकता हे।

केन्द्रशासित प्रदेशो के लोक-सभा मे २५ से अधिक प्रतिनिधि नही हो सकने। लोक-सभा की सीटो का राज्यवार वितरण आवादी के आधार पर किया गया है। लोक-सभा मे एग्लो-इण्डियन समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति उनके दो व्यक्ति नामजद कर सकता है। लोक-सभा के कार्यकाल की गणना उसकी पहली वैठक से की जाती है। लोक-सभा का अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव सदस्य स्वत अपने मध्य से करते है।

राज्य सभा

यह स्थायी सस्था है, इसका कभी विसर्जन नही होता। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके सदस्यो की कुल सख्या २५० से अधिक नही हो सकती। इनमे से १२ स्थानो पर साहित्य, कला, विज्ञान-समाज-सेवा आदि के क्षेत्रो मे विख्यात व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। शेष स्थानो का विभाजन राज्यो मे जनसख्या के अनुपात से किया गया है। प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी विधान-सभा द्वारा राज्य-सभा के लिए अपने सदस्य चुनता है। राज्य-सभा का सदस्य वही हो सकता है जो भारत का नागरिक और तीस वर्ष से कम आयु का न हो। हर दो साल वाद राज्य सभा के सदस्य सदस्यता से हट जाते है तथा इनकी जगह नये सदस्यो का चुनाव होता है। इस रीति से राज्य-सभा सदा वनी रहती है। उपराष्ट्रपति पदेन इसका सभापतित्व करता है। राज्य-सभा के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सक्रमणीय मत से चुने जाते है।

लोक-सभा व राज्य-सभा के मध्य सम्वन्ध—दोनो सदनो का कार्य विधि का निर्माण करना हे। विधेयक (विल) अधिनियम (एक्ट) होने से पहले दोनो सदनो मे पारित होना चाहिए। यदि कभी किसी विषय पर दोनो सदनो मे मतभेद हो तो, राष्ट्रपति इसे दूर करने के लिये दोनो की सयुक्त वैठक बुलाता है। लोक-सभा के सदस्यो की सख्या अधिक होने से, स्वाभाविक है कि अन्तत उसकी सम्मति मानी जायगी। परन्तु यह प्रक्रिया केवल अर्थ-विधेयको से अतिरिक्त विधेयको के लिए ही है। अर्थ-विधेयको सम्वन्धी अधिकार लोक-सभा को हैं। अर्थ-विषयो मे राज्य-सभा को कोई अधिकार और शक्ति नही है। अर्थ-विधेयक अनिवार्य रूप से पहले लोक-सभा और तव राज्य-सभा के समक्ष उपस्थित किया जा सकता हे। राज्य-सभा अर्थ-विधेयक को अस्वीकार नही कर सकती, अधिक से अधिक १४ दिन तक वह इसे रोक सकती है। मुख्य कार्यपालिका केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल है जो लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी हे, राज्य-सभा के प्रति नही।

विषयों का वर्गीकरण

संघीय विषय—सरकार व राज्य सरकारो के कार्य-क्षेत्रो का वर्गीकरण किया गया है—सुरक्षा, परराष्ट्र, सचार, डाक-तार, मुद्रा-चलन, जकात, आयकर आदि मिलाकर कुल ९७ सघीय विषय है।

उभयवर्ती

ये ऐसे विषय हैं जिनमे के न्द्र और राज्य दोनो को विधि निर्माण का अधिकार है। इनमे मुख्य है—

विवाह, तलाक, जन-कल्याण, निर्वासन, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा, फौजदारी और दीवानी संहिता, व्यापार और उद्योग, समाचार पत्र, छापा खाना, आर्थिक नियोजन आदि। इन विषयों की संख्या कुल ४७ है।

राज्य विषय

इनमे मुख्य है —

शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक कल्याण, कानून और व्यवस्था, भू-राजस्व, वन, न्याय-व्यवस्था, पुलिस, जल, कृषि, पंचायतराज और मत्स्य पालन। इन विषयों की कुल संख्या ६६ है।

अवशिष्ट विषय

उपरोक्त वर्गीकरण मे छूटे अनुल्लिखित या नये विषय अवशिष्ट विषय होंगे और ये संघ सरकार के अन्तर्गत होंगे। संसद ही इन विषयों में निर्णय कर सकती है।

संसद की शक्ति और अधिकार

संघीय सूची मे लिखे गए ९७ विषयों पर कानून बना सकती है। साधारणत राज्यो के विषय संसद के विचार क्षेत्र मे नही आते। राज्यो के विषयों पर संसद उसी समय विधि बना सकता है जब राज्य-सभा इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार कर के राय सरकार को दे।

सार्वजनिक वित्त पर नियन्त्रण—राष्ट्रीय या सार्वजनिक वित्त पर संसद का पूर्ण नियन्त्रण है। संसद की अनुमति के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। भारत संघ के सुशासन के निमित्त केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। संसद न्याय व्यवस्था मे हस्तक्षेप नहीं करती। किन्तु न्याय की विशुद्धता और न्यायासन के कार्य के सतत जारी रहने पर ध्यान रखती है। लोक सभा मन्त्रिमण्डल पर अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित कर सकती है और उसके पारित होने की दशा मे मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त कर सकती है। प्रधानमन्त्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए उसका कारण यही निहित है। संसद को संविधान मे संशोधन का भी अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

यह भारत में न्यायासन का सर्वोच्च केन्द्र है। इसमे एक प्रधान न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) और अधिकतम १ न्यायाधीश होते हैं। इन्हे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ६५ साल की उम्र तक ये अपने पद पर रह सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और राज्यो तथा राज्य और राज्य के मध्य उत्पन्न संवैधानिक विवादों का निर्णय करता है तथा इस प्रकार संघीय न्यायालय का काम करता है। यही उच्च न्यायालयों (हाई कोर्टों) से भी खास किस्म के फौजदारी और

दीवानी मामलो से सबधित अपीलें आती है। राष्ट्रपति को यह न्यायिक विषयो मे परामर्श देता है, यदि वह माँगा जाय। इसका निर्णय समस्त देश मे मान्य होता है।

यह मूल अधिकारो का रक्षक है, अर्थात् जब कोई नागरिक यह अनुभव करे कि उसको किसी मूल अधिकार से वचित किया गया है या उसके अधिकारो का अतिक्रमण किया गया है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय मे अपील कर सकता है।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की तीन प्रकार की शक्तियाँ और अधिकार है (१) मौलिक (२) अपील सुनना और (३) परामर्शदाता। इसको लोकतन्त्र का रक्षक भी माना जाता है क्योकि यह प्रशासन को निरंकुश और स्वेच्छाचारी होने से रोकता है।

सर्वोच्च न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैवियस कार्पस), परमादेश (मैंडेमस), प्रतिषेध (क्वो वारटो), अधिकार-पृच्छा (सर्शियोटेरि) और उत्प्रेषण के प्रकार के लेखो द्वारा निर्देशात्मक आदेश भी दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, एक या दो या और भी उच्च न्यायालयो मे कम-से-कम ५ साल तक न्यायाधीश रह चुका हो, या दस वर्ष से एक या अनेक उच्च न्यायालयो मे वकील रह चुका हो या राष्ट्रपति की राय मे वह कानून का प्रकाण्ड पण्डित हो। उच्च न्यायालयो के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशो को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने का प्राविधान भी अब कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त कोई न्यायाधीश देश के किसी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नही कर सकता।

प्रमाणित दुराचार, भ्रष्टाचार या अयोग्यता वाले न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद से तभी अलग कर सकते है, जब ससद के दोनो सदन उपस्थित सदस्यो के कम-से-कम दो-तिहाई मत से इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार करे।

प्रत्येक राज्य मे उच्च न्यायालय है। इसके न्यायाधीशो की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते है। कार्यपालिका और विधि-सभाओ से न्यायपालिका स्वतन्त्र है।

अपील की विशेष अनुमति . उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय मे अपील करने का उपबन्ध सविधान मे (अनु० १३२-४) है। ऐसी अवस्था या मामले मे जब सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो तो, उसे अपील की विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार है। यह न्यायाधिकरणो के कार्य के सम्बन्ध मे भी दी जा सकती है। सैनिक न्यायालय या न्यायाधिकरण इसके अपवाद है। विशेष परिस्थितियो मे ही इस अधिकार का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है।

संघीय लोक-सेवा आयोग

सविधान की धारा ३१५ (१) के अतर्गत सघीय लोक-सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष और सदस्यो की नियुक्ति राष्ट्रपति करते है। ये ६ वर्ष तक रहते है। आयोग सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्यपालिका और विधि-सभा से स्वतन्त्र होता है।

आयोग का मुख्य काम विभिन्न सघीय सेवाओ के लिए प्रत्याशियो की लिखित और मौखिक परीक्षा ले तथा उनकी अन्तर्वीक्षा (इटरव्यू) कर उनका चयन करना है।

आयोग से निम्न विषयों में सलाह ली जाती है

(क) राष्ट्रीय सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित विषय।

(ख) नियुक्ति पदोन्नति और स्थान परिवर्तन से सबंधित सिद्धान्तों के विषय।

(ग) लोक-सेवा के व्यक्तियों से सम्बन्धित अनुशासनात्मक कारवाई के विषय।

(घ) सरकारी सेवा करते हुए यदि कोई व्यक्ति आहत हो जाय तो उसको वृत्ति देने से सम्बद्ध विषय।

*आयोग का काम है कि वह प्रशासन को बराबर चलता रखे तथा सेवाओं को राज*नीतिक प्रभाव से मुक्त रखे। यह सरकारी कर्मचारियों की हित रक्षा भी करता है।

महान्यायवादी (एटर्नी जनरल)—भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य व्यक्ति का महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) नियुक्त करते हैं। यह कानूनी विषयों में सरकार को सलाह देता है। उसकी सलाह कानून विशेषज्ञ की सलाह मानी जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा सौंपे कानूनी काम भी करता है। न्यायालयों में यह सरकार की ओर से उपस्थित होता है। किसी कानून के अभिप्राय के विषय में शंका होने पर *लोक-सभा भी महान्यायवादी को राय देने के लिए बुला सकती है।*

लेखा नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक—केन्द्र और राज्यों के हिसाब किताब पर नजर रखने के लिए राष्ट्रपति लेखा नियन्त्रक (कम्पट्रोलर) और महालेखा-परीक्षक (आडिटर जनरल) नियुक्त करते हैं। यह हिसाब किताब की जांच के विषय में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति और राज्यपालों को रिपोर्ट देते हैं इनका काम यह देखना भी है कि सभी सम्बद्ध विभाग संसद और विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार उन्हें मिली धनराशि खर्च करते हैं या नहीं। इस पर भी नजर रखते हैं कि स्वीकृत रकम से ज्यादा तो खर्च नहीं करते। इनके काम और अधिकार क्षेत्र का निर्णय संसद द्वारा निर्मित अधिनियम से होता है।

राज्य

भारत संघ (इण्डियन यूनियन) में इस समय १७ राज्य हैं। इनके नाम हैं असम नागालैंड बिहार पश्चिमी बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश पंजाब जम्मू काश्मीर राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मैसूर केरल मद्रास आंध्र प्रदेश और हरियाणा।

राज्यपाल (गवर्नर)

राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल (गवर्नर) कहलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साधारणतः पांच सालों के लिए करते हैं। इसको ५५०० ह० मासिक वेतन मिलता। इसके अतिरिक्त इसको अन्य भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत का नागरिक और ३५ वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल होने का पात्र हो सकता है। राज्यपाल पांच साल पूरे होने के पहले भी त्याग-पत्र दे सकता है। राज्यपाल संसद या किसी विधान-मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। वह अन्य कोई सरकारी पद भी नहीं ले सकता। राज्यपालों के विषय में अभी तक कोई सुनिश्चित परम्परा कायम नहीं हुई है। राज्यपाल पद को कायम रखने की आवश्यकता पर भी सन्देह प्रकट किया गया है। राज्यपाल का कार्य क्षेत्र भी निश्चित नहीं। राज्यपाल और मन्त्रिमण्डल के मध्य क्या सम्बन्ध हो यह भी

सुनिश्चित नही। प्रसिद्ध वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ को ही राज्यपाल वनाने की प्रथा चलाई गई थी। वाद मे निर्वाचन मे पराजित नेता भी बनाये जाने लगे। सेवा-निवृत्त उच्च सरकारी अधिकारी को राज्यपाल वनाना पहले पसन्द नही किया जाता था, परन्तु अब यह भी बात नही रही है।

राज्यपाल के कर्त्तव्य और अधिकार—कोई अर्थ-विधेयक (विल) राज्यपाल की पूर्व अनुमति के विना विधान-सभा मे उपस्थित नही हो सकता। राज्यपाल विधान-सभा और विधान-परिपद (जिन राज्यो मे है) की सयुक्त बैठक का प्रतिवर्प उद्‌घाटन करता है। विधान-मडल (लेजिस्लेचर) द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक हे, इसके विना विधेयक अधिनियम (एक्ट) नही हो सकता। जव विधान-मण्डल का अधिवेशन नही होता, उस समय राज्यपाल अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी कर सकता है। राज्यपाल विधान-सभा का अधिवेशन वुला सकता है और उसको विसर्जित भी कर सकता है। राज्य मे यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। सविधान का ठीक-टीक पालन होता हे या नही, यह देखना राज्यपाल का कर्त्तव्य है। सविधान सुचारु रूप से काम नही कर सकता, राज्यपाल से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू करते है। राज्यपाल के इस कर्त्तव्य पर विशेप वल नही दिया जाता।

मन्त्रिमण्डल—राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होता है। इसका नेता मुख्य मन्त्री (चीफ मिनिस्टर) कहलाता है। विधान-सभा मे जिस दल का वहुमत होता है, उसी के नेता को राज्यपाल साधारणत मुख्य मन्त्री पद पर नियुक्त करता है। अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति मुख्य मन्त्री के परामर्श से राज्यपाल करता है। मन्त्रि-मण्डल सामूहिक रूप से विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

मत्रिमडल के सदस्यो की सख्या मुख्य मन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। इस विपय मे कोई नियम और प्रथा नही है। मुख्य मन्त्री प्राय अपनी स्थिति को स्थिर रखने की दृष्टि से मत्रियो की सख्या निश्चित करता है। विधान-सभा और विधान-परिपद के सदस्यो की सख्या ही इसका कुछ-कुछ नियन्त्रण करती है। राज्य की आय भी एक सीमा तक इस पर प्रतिवन्ध लगाती है। मन्त्रिगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त ही अपने पद पर रहते है।

राज्य विधान-मडल—प्रत्येक राज्य मे विधान-मडल (लेजिस्लेचर) है। विधान-मडल मे दो सदन होते है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन विधान-सभा है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित-विधान-परिषद है। किसी-किसी राज्य मे केवल विधान-सभा है।

विधान-सभा—के सब सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते है। प्रत्येक सदस्य साधारणत ७५,००० लोगो का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यो की सख्या ५०० से अधिक और ६० से कम नही हो सकती। विधान-सभा मे हरिजन-वर्ग और आदि-वासियो के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहते हे, यद्यपि मतदान मे सब भाग लेते है। विधान-सभा अपने सदस्यो मे से किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इसका कार्य-काल साधारणत पाच साल है। विधान-सभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो—

(१) भारत का नागरिक हो (२) २५ साल [redacted] कम आयु का न हो और (३) उन सब अर्हताओं से युक्त हो जो संसद निर्धारित करे। आवश्यक होने पर राज्यपाल विधान सभा में एंग्लो इंडियन समाज के प्रतिनिधि को नामजद कर सकता है।

विधान परिषद—इसके सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक न होनी चाहिए। लेकिन ४० से कम भी न होनी चाहिए। परिषद के एक तिहाई सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा तथा एक तिहाई विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। $\frac{1}{12}$ सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। चुनने का अधिकार उसी को है जो तीन साल पुराना स्नातक हो। $\frac{1}{12}$ सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं। इनको कम से कम माध्यमिक विद्यालय या इससे ऊपर की शिक्षण संस्थाओं में तीन साल शिक्षक रहना आवश्यक होता है। $\frac{1}{6}$ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। साहित्य विज्ञान या समाज सेवा के लिए विख्यात लोगों में से इनका मनोनयन होता है। अर्थ विधेयक सीधे विधान परिषद में उपस्थित नहीं किया जा सकता। उपस्थित होने पर १४ दिन के भीतर उसमें संशोधन व परिवर्तन का सुझाव देने भर का अधिकार विधान परिषद का है।

संघ और राज्यों का परस्पर सम्बन्ध

विधानात्मक

विधि बनाने की तीन सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संसद संघ सूची में दिए गए ९७ विषयों पर अकेले ही विधि बना सकती है। ४७ विषयों में संघ और राज्य दोनों विधियां बना सकते हैं। इस क्षेत्र में भी संघ का वर्चस्व स्वीकार किया जाता है। राज्य कोई विधि संघ विधि के प्रतिकूल या विपरीत या विरोधी नहीं बना सकते। राज्यों के विधान मण्डल ६६ विषयों में विधि बना सकते हैं।

प्रशासनात्मक

केन्द्रीय और राज्यों की कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र उन सब विषयों तक विस्तृत है जो समवर्ती सूची में दर्ज हैं। कुछ बातों में राज्यों को केन्द्र के आदेश का पालन करना होता है।

वित्तीय

आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से राज्य बहुत-कुछ केन्द्र पर निर्भर करते हैं। राज्य केन्द्र से अनुदान की आशा करते हैं। आयकर और उत्पादन शुल्क की आय में से अधिकाधिक भाग पाने की इच्छा करते हैं। केन्द्र से राज्यों को किस मात्रा में वित्तीय और आर्थिक सहायता प्राप्त हो इसका निश्चय हर पांच साल पर किया जाता है। निश्चय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग करता है।

केन्द्र (संसद) सारे देश के लिए कानून बनाता है, राज्य केवल अपने क्षेत्र के लिए। केन्द्र का बनाया कोई कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उसमें प्रादेशिक सीमा का अतिक्रमण होता है। केन्द्र को अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को *संचार-साधनों के निर्माण और उनके रख-रखाव का* आदेश दे सकती

है। वह किसी भी राजपथ को राष्ट्रीय पथ, जल मार्ग को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित कर सकती है। केन्द्रीय सरकार सेना के आवागमन के साधनो का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को उसकी सहमति से केन्द्रीय सरकार का काम उसे करने के लिए कह सकते है। युद्ध और आन्तरिक अशान्ति के समय राष्ट्रपति राज्यो को विशेष आदेश दे सकते है।

राज्य की न्यायपालिका—सविधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य मे उच्च न्यायालय का प्रावधान है। उच्च न्यायालय मे मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहते है। इन्हे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से नियुक्त करते है। ६२ वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते है। इन्हे भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशो के समान, उसी विधि से पद से हटाया जा सकता है।

सघीय प्रदेश

सविधान ने जिन प्रदेशो को पहले 'ग' राज्यो की सूची मे रखा था, वे अब सविधान मे किए गए सातवे सशोधन (१९५६) के बाद से 'सघ द्वारा शासित' प्रदेश कहे जाते है। इन की कुल सख्या १३ है। ये अडमान निकोबार द्वीप-समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लकादीव, अमीनदीवी व मिनीकाय द्वीप-समूह, गोवा, दमन व दीऊ, मणिपुर, त्रिपुरा, दादर व नगर हवेली, पाडिचेरी नेफा तथा चण्डीगढ है।

सविधान के १४ वे सशोधन के द्वारा सघीय प्रदेशो मे विधान-सभा की स्थापना की व्यवस्था १९६३ से की गई है। दिल्ली मे अभी होनी शेष है। १९६३ के अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पाडिचेरी मे विधान-सभा की स्थापना की गई है। लोक-सभा मे सघीय प्रदेशो का प्रतिनिधित्व बढाकह २५ कर दिया गया है। लोक-सभा मे दिल्ली के छ और राज्य-सभा मे तीन प्रतिनिधि होते है।

अल्पसख्यको के सम्बन्ध मे विशेष उपबन्ध—हरिजन-वर्ग और आदिमवासियो या अन्य जातियो के लिए ससद और राज्यो के विधान-मण्डलो मे कुछ स्थान सुरक्षित है। लोक-सभा मे एग्लो-इण्डियन समाज के दो प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, यदि वे अनुभव करे कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है। विधान-सभाओ के लिए राज्यपालो को भी यही अधिकार प्राप्त है।

सविधान के लागू होने के दस साल बाद, पिछडे वर्ग और अन्य अल्प-सख्यको के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था नही रहनी चाहिए थी। परन्तु सविधान मे १९६० मे आठवाँ सशोधन कर १९७० तक के लिए स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध किया गया है।

भाषा

सविधान के अनुच्छेद-३४३ के अनुसार भारत सघ की भाषा नागरी लिपि मे लिखी हिन्दी है (सरकारी कामो मे रोमन अक रहेंगे, नागरी नही)। प्रशासनिक कार्य के योग्य हिन्दी को बनाने के लिए सविधान लागू होने से १५ साल तक अग्रेजी जारी रहने देने का उपबन्ध किया गया। २६ जनवरी १९६५ से सघ की भाषा हिन्दी घोषित की गई, १९६५ के बाद अग्रेजी का व्यवहार समाप्त किया जाना था। परन्तु इससे भी पहले ही १९६३ मे सविधान मे सशोधन कर राज भाषा अधिनियम, १९६३ प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार, १९६५

(१) भारत का नागरिक हो (२) २५ साल से कम आयु का न हो और (३) उन सब अर्हताओ से युक्त हो जो ससद् निर्धारित करे। आवश्यक होने पर राज्यपाल विधान सभा म एग्लो इडियन समाज के प्रतिनिधि को नामजद कर सकता है।

विधान परिषद—इसके सदस्यो की सख्या विधान सभा के सदस्या की कुल सख्या के एक तिहाई स अधिक न होनी चाहिए। लेकिन ४ स कम भी न होनी चाहिए। परिषद् के एक तिहाई सदस्य स्थानीय सस्थाओ द्वारा तथा एक तिहाई विधान सभा क सदस्या द्वारा चुन जाते है। ११२- सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातको द्वारा चुन जात है। चुनने का अधिकार उसी को है जो तीन साल पुराना स्नातक हो। ११२ सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि होत हैं। इनको कम स कम माध्यमिक विद्यालय या इससे ऊपर की शिक्षण सस्थाओ म तीन साल शिक्षक रहना आवश्यक होता है। ६- सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते है। साहित्य विज्ञान या समाज सेवा के लिए विख्यात लोगो म से इनका मनोनयन होता है। अर्थ विधेयक सीधे विधान-परिषद म उपस्थित नही किया जा सकता। उपस्थित होने पर १४ दिन के भीतर उसम सशोधन व परिवर्तन का सुझाव देने भर का अधिकार विधान परिषद का है।

सघ और राज्यो का परस्पर सम्बध

विधानात्मक

विधि बनाने की तीन सूचिया बनाई गई है। सघ सूची समवर्ती सूची और राज्य सूची। ससद् सघ सूची म दिए गए ९७ विषयो पर अकेले ही विधि बना सकती है। ४७ विषयो म सघ और राज्य दोनो विधिया बना सकते हैं। इस क्षेत्र म भी सघ का वचस्व स्वीकार किया जाता है। राज्य कोई विधि सघ विधि के प्रतिकूल या विपरीत या विरोधी नही बना सकते। राज्यो के विधान मण्डल ६६ विषयो म विधि बना सकते है।

प्रशासनात्मक

केन्द्रीय और राज्यो की कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र उन सब विषयो तक विस्तृत है जो समवर्ती सूची म दर्ज हैं। कुछ बातो म राज्यो को केन्द्र के आदेश का पालन करना होता है।

वित्तीय

आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से राज्य बहुत-कुछ केन्द्र पर निर्भर करते है। राज्य *केन्द्र स अनुदान की आशा करते हैं। आयकर और उत्पादन शुल्क की आय म स अधिकाधिक* भाग पाने की इच्छा करते हैं। केन्द्र स राज्यो को किस मात्रा म वित्तीय और आर्थिक सहायता प्राप्त हो इसका निश्चय हर पाच साल पर किया जाता है। निश्चय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग करता है।

केन्द्र (ससद्) सारे देश के लिए कानून बनाता है राज्य केवल अपने क्षेत्र के लिए। केन्द्र का बनाया कोई कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उसस प्रादेशिक सीमा का अतिक्रमण होता है। केन्द्र को अवशिष्ट अधिकार प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो को सचार-साधनो के निर्माण और उनके सार-सम्भाल का आदेश द सकती

व्यापार और व्यवसाय—सविधान भारत भर मे नागरिको को व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य और विनिमय की स्वतन्त्रता देता है। किन्तु ससद और राज्यो के विधान-मडलो को इसको मर्यादित और प्रतिवन्धित करने के लिए कानून वनाने का अधिकार दिया गया है। ये कानून किसी वस्तु की दुर्लभता होने की अवस्था मे या राष्ट्रीय हित मे आवश्यकता होने पर वनाये जा सकते हैं। सार्वजनिक हित मे व्यापार, व्यवसाय व वाणिज्य पर प्रतिवन्ध लगाया जा सकता है। समद उपर्युक्त उपलव्धो को लागू करने के लिए उचित समझने पर कोई अधिसत्ता भी स्थापित कर सकती है।

क्षेत्रीय परिषदें (जोनल कौंसिल)—ये सविधान का भाग नही है। पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत है।

दो या दो से अधिक राज्यो के प्रशासन मे एकसूत्रता लाने के लिए पॉच क्षेत्रीय परिपदे स्थापित की गई हैं। राज्यो के पारस्परिक मतभेदो को दूर करने का काम भी ये करती हैं। साथ ही विघटनकारी शक्तियो के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को दृढ करना भी इनका कार्य है। ये एक विशुद्ध परामर्शदातृ व दो या दो से अधिक राज्यो से सम्वन्धित एक-सी समस्याओ पर विचार करने वाली सस्था है। परिपदे यो है —

१ उत्तरी क्षेत्र—पजाव, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ और जम्मू-काश्मीर।

२ मध्य क्षेत्र—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।

३ पूर्वी क्षेत्र—विहार, पश्चिमी वगाल, उडीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड।

४ पश्चिमी क्षेत्र—गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली।

५ दक्षिणी क्षेत्र—मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और पाडीचेरी।

क्षेत्रीय परिषद की रचना—१ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केन्द्रीय मन्त्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

२ सवधित प्रत्येक प्रदेश का मुख्यमत्री और दो-दो मत्री भी परिपद मे होते हे। मत्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते है।

३ जहा सघीय प्रदेश सम्मिलित होगा, वहा राष्ट्रपति इससे दो से अधिक व्यक्तियो को परिपद मे मनोनीत न करेगे।

४ पूर्वी क्षेत्रीय परिपद मे असम के राज्यपाल द्वारा आदिवासी क्षेत्र का परामर्शदाता मनोनीत होता है।

क्षेत्रीय परिपद मे निम्नलिखित भी परामर्शदाता नियुक्त किये जाते हे.

(क) राज्यो के मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी)।

(ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति।

(ग) राज्यो के विकास आयुक्त (डेवलपमेंट कमिश्नर) परिपद के परामर्शदाता इसके विचार-विमर्श मे भाग लेने के अधिकारी है मत देने के नही।

के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की कार्यवाई अंग्रेजी में जारी रह सकती है। इसी प्रकार विधेयक और अधिनियम पहले के समान अंग्रेजी में बन सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी सह राजभाषा है। राजकीय व्यवहार में अंग्रेजी का प्रचलन पूर्ववत है। इससे हिंदी का भविष्य अंधकारमय कहा जा रहा है।

संघ भाषा हिंदी के अतिरिक्त अन्य १४ क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची आठ में ये हैं असमिया बंगाली उर्दू मराठी गुजराती पंजाबी संस्कृत कश्मीरी तेलुगु सिन्धी तमिल मलयालम कन्नड़ और उड़िया। इनको उलझन राष्ट्रीय भाषाएं कह कर हुआ है। इससे मति विभ्रम होता है। क्योंकि एक राष्ट्र की एक ही राष्ट्र भाषा हो सकती है।

निर्वाचन आयोग

निर्वाचन का निरीक्षण तथा संसद विधान मण्डल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और निर्वाचन न्यायाधिकरण के भी निर्वाचन का नियन्त्रण निर्वाचन आयोग (एलेक्शन कमीशन) करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (चीफ एलेक्शन कमिश्नर) होता है जो अपने पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश। प्रत्येक निर्वाचन मण्डल के अन्तर्गत भिन्न भिन्न निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की एक ही सूची है। कोई भी व्यक्ति धर्म वंश जाति लिंग आदि के कारण उसमें अपना नाम लिखाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

वित्त आयोग —

संविधान में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग (फाइनांस कमीशन) की नियुक्ति की व्यवस्था है। आयोग कुछ करों (आयकर उत्पादन शुल्क व कुछ निर्यात करों आदि) के विषयों में केन्द्र और राज्यों के मध्य वितरण अनुपात के विषय में सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग १९५१ में दूसरा उसके १९५६ में तीसरा १९६ में और चौथा १९६४ में नियुक्त किया गया था।

केन्द्र और राज्य समस्त करों से प्राप्त समकित निधि और राज्य समकित निधि का निर्माण करने के लिए बाध्य हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें सारी उपलब्ध और संगृहीत आय को इस निधि में विनियोग करने को बाध्य हैं। संसद और विधान सभायें जब तक विनियोग विधेयक पारित न करें और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति न दें तब तक सरकार इसमें से एक पैसा भी व्यय करने की अधिकारिणी नहीं है। भारत और राज्यों के लिए कान्टिन्जेंसी फंड की स्थापना की गई है। विनियोग विधेयक पारित न होने तक इस निधि में से सरकारें खर्च कर सकती हैं।

पूरक अनुमान

वार्षिक बजट में सम्मिलित अनुमान से यह अनुमान पृथक है। वार्षिक बजट में अनुमान होने पर भी वर्ष में अकल्पित आवश्यकतायें उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे युद्ध बाढ़ अकाल आदि के कारण। इसके लिए पूरक अनुमान का उपबंध किया गया है। बजट साल भर की आवश्यकता को न पूरा कर तब भी पूरक अनुमान केन्द्रीय सरकार संसद में तथा राज्य सरकारें विधान-सभाओं में पेश करती हैं।

व्यापार और व्यवसाय—सविधान भारत भर मे नागरिको को व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य और विनिमय की स्वतन्त्रता देता है। किन्तु ससद और राज्यो के विधान-मडलो को इसको मर्यादित और प्रतिबन्धित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये कानून किसी वस्तु की दुर्लभता होने की अवस्था मे या राष्ट्रीय हित मे आवश्यकता होने पर बनाये जा सकते है। सार्वजनिक हित मे व्यापार, व्यवसाय व वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। ससद उपर्युक्त उपलब्धो को लागू करने के लिए उचित समझने पर कोई अधिसत्ता भी स्थापित कर सकती है।

क्षेत्रीय परिषदें (जोनल कौंसिल)—ये सविधान का भाग नही हैं। पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत हैं।

दो या दो से अधिक राज्यो के प्रशासन मे एकसूत्रता लाने के लिए पॉच क्षेत्रीय परिषदे स्थापित की गई है। राज्यो के पारस्परिक मतभेदो को दूर करने का काम भी ये करती हैं। साथ ही विघटनकारी शक्तियो के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को दृढ करना भी इनका कार्य है। ये एक विशुद्ध परामर्शदातृ व दो या दो से अधिक राज्यो से सम्बन्धित एक-सी समस्याओ पर विचार करने वाली सस्था है। परिषदे यो है —

१ उत्तरी क्षेत्र—पजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ और जम्मू-काश्मीर।

२ मध्य क्षेत्र—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।

३ पूर्वी क्षेत्र—बिहार, पश्चिमी बगाल, उडीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड।

४ पश्चिमी क्षेत्र—गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली।

५ दक्षिणी क्षेत्र—मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और पाडीचेरी।

क्षेत्रीय परिषद की रचना—१ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केन्द्रीय मन्त्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

२ सबधित प्रत्येक प्रदेश का मुख्यमत्री और दो-दो मत्री भी परिषद मे होते है। मत्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते है।

३ जहा सघीय प्रदेश सम्मिलित होगा, वहा राष्ट्रपति इससे दो से अधिक व्यक्तियो को परिषद मे मनोनीत न करेगे।

४ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मे असम के राज्यपाल द्वारा आदिवासी क्षेत्र का परामर्शदाता मनोनीत होता है।

क्षेत्रीय परिषद मे निम्नलिखित भी परामर्शदाता नियुक्त किये जाते है :

(क) राज्यो के मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी)।

(ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति।

(ग) राज्यो के विकास आयुक्त (डेवलपमेंट कमिश्नर) परिषद के परामर्शदाता इसके विचार-विमर्श मे भाग लेने के अधिकारी है मत देने के नही।

कार्य

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् एक परामर्शदात्री संस्था होती है और राज्यों के पारस्परिक हितों के प्रश्नों पर विचार करती है। यह निम्न विषयों पर विचार और सिफारिश कर सकती है

(क) आर्थिक और सामाजिक नियोजन सम्बन्धी सामान्य हित के विषय।

(ख) सीमा विवाद भाषायी अल्पसंख्यक और अन्तर्राज्य परिवहन से सम्बद्ध विषय।

(ग) राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न कोई विषय।

उद्देश्य

स्वर्गीय गृहमन्त्री पन्त ने परिषदों की स्थापना के ये उद्देश्य बताये —

(१) देश में भावात्मक एकता का निर्माण करना।

(२) उग्र प्रादेशिकता आंचलिकता भाषावाद और अन्य विशिष्ट प्रवृत्तियों पर रोक लगाना।

(३) सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक अच्छा सहयोग उत्पन्न करना। इस प्रकार समाज के कल्याण के लिये समरूप नीतियों को विकसित करना।

(४) विकास की मुख्य परिकल्पनाओं को सफल बनाने में परस्पर सहयोग करना।

तदनुसार (१) मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिलकर चम्बल घाटी के डाकुओं का सफाया कर रहे हैं। (२) उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में एक सामान्य पुलिस रिजर्व फोर्स बनाई गई है। (३) रिहन्द परियोजना से उत्पन्न बिजली का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच वितरण के प्रश्न का निपटारा क्षेत्रीय परीषद् की जून १९६३ की बैठक में किया गया।

संकटकालीन और अन्य विशेष व्यवस्थायें असाधारण परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए संविधान में राष्ट्रपति को असाधारण अधिकार दिए गए हैं। जैसे (१) किसी राज्य में शासनतन्त्र के ■ चलने पर संविधान के अनुसार शासन न चल सकता हो राज्य *विधान सभा में किसी दल का अजय बहुमत न हो। स्थिर सरकार बनने की सम्भावना न* हो। (२) आर्थिक अस्थिरता देश में उत्पन्न हो जाय। (३) बाहरी आक्रमण या आन्तरिक उपद्रवों के कारण अशान्ति व्याप्त हो जाय।

राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह पर संकटकालीन अधिकार ग्रहण करता है। संकट कालीन घोषणा छः मास से और छः मास से अधिक नहीं रह सकती। भारत पर चीनी आक्रमण होने के बाद २६ अक्तूबर १९६२ को राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा की गई थी। इसी प्रकार संवैधानिक संकट की घोषणा केरल में सितम्बर १९६४ में की गई जब केरल मन्त्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ऐसी ही घोषणा फिर फरवरी १९६५ में की गई।

राष्ट्रपति संविधान के २ २ से २८ अनुच्छेदों को स्थगित कर सकता है।

अनुसूचित जातियाँ और आदिमजातियाँ केन्द्रीय सरकार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण का विशेष उत्तरदायित्व डाला गया है।

असम के आदिमजातीय क्षेत्र असम के आदिमजातीय क्षेत्रो के प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था है। इसके द्वारा कुछ स्वायत्तशासी जिलो तथा प्रदेशों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से असम के राज्यपाल को इन क्षेत्रो का भार सौपा गया है और इन जिलो तथा प्रदेशो के लिए परिषदे बनाने का अधिकार दिया गया है। इन परिषदो को अपने-अपने क्षेत्र के लिए नियम बनाने, कुछ विषयो मे कानून बनाने, विवादो और मुकद्दमो को सुनने और निपटाने के लिए ग्राम-न्यायालय गठित करने, जिला व प्रादेशिक कोष का प्रशासन करने और विद्यालय, औषधालय व बाजार आदि स्थापित करने आदि के अधिकार है। असम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलो व प्रदेशो के प्रशासन का निरीक्षण करने और इस विषय मे प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। उत्तर-पूर्व सीमात प्रदेश (नेफा) का प्रशासन असम का राज्यपाल करता है। त्वेनसाग क्षेत्र नागालैण्ड मे मिला दिया गया और २४ जनवरी १९६१ को नागालैण्ड राज्य का निर्माण किया गया। १ सितम्बर १९६३ से यह अन्य राज्यो के समान एक राज्य हो गया।

विशेष अधिकारी · राष्ट्रपति अनुसूचित भाषायी अल्पसख्यको की शिकायते दूर करने मे मदद देने के लिये भी एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते है।

आचलिक समितिया (रीजनल कमिटी)

१९५६ मे राज्यो के भाषावार पुनर्गठन के समय से ये समितिया पजाब और आध्र प्रदेश की भाषिक और सास्कृतिक समस्याओ को हल करने के लिए बनाई गई।

सविधान मे सशोधन

भारत का सविधान २६ जनवरी १९५० से अमल मे आया। १९५३ मे ही पहला सशोधन किया गया। इसके बाद १९६४ तक इसमे १७ सशोधन किए जा चुके है। पन्द्रह वर्षो मे १७ सशोधन। लिखित सविधानो मे भारत का सविधान सबसे बडा है और अल्प-काल मे ही उसमे सबसे अधिक सशोधन भी किए गए है।

अन्तर्राज्य परिषद—राष्ट्रपति निम्न बातो के लिए अन्तर्राज्य परिषद स्थापित कर सकते है —

(१) राज्यो मे उत्पन्न विवादो के कारणो की जाच करने और उनके विषय मे राय देने के लिए। जैसे, कृष्णा-गोदावरी नदियो के पानी-वितरण के बारे मे उठे विवाद की शान्ति के लिए 'गुलाटी समिति' नियुक्त की गई थी।

(२) राज्यो और सघ के मध्य के सामान्य विषयो की जाच करने और उनको निपटाने के लिए।

(३) सघीय ढाचे को दृढ करने और इसकी इकाइयो के साथ इसका सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिए।

सार्वजनिक लेखा समिति—सविधान मे विहित है कि लेखा-नियत्रक, महा लेखापरीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगे। राष्ट्रपति उसको ससद के दोनो सदनो के सामने उपस्थित करेगे। दोनो सदनो की सदस्य सख्या चूकि विशाल है, अत उनके सदस्यो की एक समिति इस प्रतिवेदन की परीक्षा करती है। यही 'कमिटी आफ पब्लिक एकाउन्ट्स' या सार्वजनिक लेखा समिति है।

सविधान मे सशोधन की विधि

सविधान म ही सशोधन की विधि बतायी गयी है । सशोधन के लिए दूसरी सविधान परिषद् बुलाने की आवश्यकता नही है । ससद का कोई भी सदस्य ससद के किसी भी सदन म सशोधन का विधेयक उपस्थित कर सकता है ।

विधि

(१) यदि ससद के दोनो सदन बहुमत से और उपस्थित सख्या के दो तिहाई मत से सशोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह सशोधन सविधान का अग होगा तथा मान्य होगा ।

(२) कुछ विशिष्ट विषयो म जसे—(१) सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय (२) केन्द्र व राज्यो म अधिकार वितरण (३) ससद म राज्यो का प्रतिनिधित्व (४) राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया तथा (५) सविधान म सशोधन की विधि और प्रक्रिया—किया गया सशोधन राष्ट्रपति के सामने स्वीकृति के लिए भेजने के पूव कम स कम ५० प्रतिशत राज्य विधान सभाओ द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है ।

(३) कुछ विषयो मे जसे—राज्य का नाम बदलना दोनो सदनो का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है ।

भाषायी अल्पसख्यको को सरक्षण की व्यवस्था

१ राज्य एकभाषी माना जावेगा यदि जनसख्या का ७ प्रतिशत एक भाषा बोलने वाला हो ।

२ यदि जनसख्या का ३ प्रतिशत या इसस अधिक भाग एक भिन्न भाषा बोलने वाला हो तो वह द्विभाषी राज्य माना जावगा ।

राज्य पुनगठन आयोग न सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओ म आने स ५ प्रतिशत लोग राज्य स बाहर के भरती किए जायें । इसका भविष्य मे ऐसे अवसरो पर ध्यान रखा जावगा ।

४ भाषिक अल्पसख्यक वग क बच्चो को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा म शिक्षा दन की व्यवस्था की गयी है । यदि एक विद्यालय म एल ४ और एक कक्षा म ऐसे १० छात्र हो तो उन्ह उनकी भाषा म शिक्षा दन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

५ राष्ट्रपति अल्पसख्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हें वार्षिक रिपोट देगा ।

६ अल्पसख्यको क विद्यालयो को राज्य मान्यता देगा ।

७ राज्य म नौकरी के लिए अधिवास की शत हटा दी गयी ।

: ६ :

भारत : की न्याय-व्यवस्था

विधि-विधान : न्यायपालिका

भारत का शासन सघीय हे, द्वैधात्मक है। किन्तु न्यायपालिका एकसूत्रीय और एकीकृत है।

भारत के वैधानिक विपयो व कार्य-कलापो का नियामक भारत सरकार का **विधि मन्त्रालय** है। जिस कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिये पुलिस और प्रशासन हे, उसका क्षेत्र यही मन्त्रालय वनाता है, उनमे जान डालता है तथा उनको शक्ति देता है। पर, इसका कार्य प्रदर्शनात्मक नही है।

विधि मन्त्रालय विधि मन्त्री के निर्देश और पथ-प्रदर्शन मे काम करता है। इसके मुख्य कृत्य ये है केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयो और विभागो को विधि के मामलो मे, जिनके अन्तर्गत विधियो का चयन, दस्तावेज तैयार करना तथा मुकदमो की पैरवी करना भी है, परामर्श देना, केन्द्रीय विधायको, अध्यादेशो और विनियमो का प्रारूपण, विधि और प्रारूपण की दृष्टि से कानूनी नियमो तथा आदेशो की जाच, केन्द्रीय अधिनियमितियो का प्रकाशन। कम्पनियो और लेखा पालन वृत्ति के विनियमन, ससद, राज्य विधान मण्डलो और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदो के लिये निर्वाचनो तथा निर्वाचन आयोग, विधि आयोग-परिसीमन आयोग, राजभाषा (विधायी) आयोग, आयकर अपील अधिकरण से सम्बन्धित विपय भी इस मन्त्रालय के कार्य-क्षेत्र मे आते हे।

२१-१-१९६६ से वित्त-मन्त्रालय से कम्पनी कार्य-विभाग विधि मन्त्रालय के अन्तर्गत कर दिया गया है। तव से इसके तीन विभाग है · विधि कार्य-विभाग, विधायी विभाग और कम्पनी कार्य विभाग। हर विभाग का अध्यक्ष एक सचिव है। **विधि कार्य विभाग** विधिक मामलो मे परामर्श और निर्वाचनो, निर्वाचन आयोग तथा आयकर अपील अधिकरण से सम्बद्ध मामलो का कार्य करता है, इसके वम्वई और कलकत्ते मे शाखा सचिवालय भी है। **विधायी विभाग** विधेयको, अध्यादेशो और विनियमो के प्रारूपण और कानूनी नियमो, आदेशो, अधिसूचनाओ आदि की जाच का काम करता है। यह राजभापा (विधायी) आयोग से भी सयुक्त है जो कानूनो के अनुवाद और यावत्साध्य सव भारतीय भाषाओ मे प्रयोग के लिये मानक विधि शब्दावली तैयार करने से सम्वन्धित कार्य करता है। विधि आयोग की सिफारिशो को कार्यान्वित करने और केन्द्रीय विधियो के मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुवाद से सम्वन्धित कार्य भी इसी विभाग के अन्तर्गत है। **कम्पनी कार्य विभाग** कम्पनी अधिनियम १९५६, जाच आयोगो और चार्टर प्राप्त लेखपाल सस्थान और लागत तथा निर्माण लेखपाल सस्थान जैसे वृत्तिक निकायो का प्रशासन करता है।

सविधान मे सशोधन की विधि

सविधान म ही सनोधन की विधि बतायी गयी है । सशोधन क लिए दूसरी सविधान परिपद् बुलान की आवश्यकता नही है । ससद का कोई भी सदस्य ससद के किसी भी सदन मे सशाधन का विधेयक उपस्थित कर सकता है ।

विधि

(१) यदि ससद के दोनो सदन बहुमत से और उपस्थित सदस्या के दो तिहाई मत मे सनोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह सनोधन सविधान का अग होगा तथा मान्य होगा ।

(२) कुछ विशिष्ट विषया मे जसे—(१) सर्वोच्च यायालय उच्च यायालय (२) केन्द्र व राज्या म अधिकार वितरण (३) ससद म राज्या का प्रतिनिधित्व (४) राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया तथा (५) सविधान म सनोधन की विधि और प्रक्रिया—किया गया सशोधन राष्ट्रपति के सामने स्वीकृति के लिए भेजने के पूव कम से कम ५० प्रतिशत राज्य विधान सभाओ द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है ।

(३) कुछ विषयो म जसे—राज्य का नाम बदलना दोना सदना का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है ।

भाषायी अल्पसख्यको को सरक्षण की व्यवस्था

१ राज्य एकभाषी माना जावेगा यदि जनसख्या का ७ प्रतिशत एक भाषा बालने वाला हो ।

२ यदि जनसख्या का ३ प्रतिशत या इससे अधिक भाग एक भिन्न भाषा बोलने वाला हो ता वह द्विभाषी राज्य माना जावगा ।

३ राज्य पुनगठन आयोग न सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सवाआ म आगे स ५ प्रतिशत लाग राज्य से बाहर के भरती किए जायें । इसका भविष्य मे ऐसे अवसरा पर ध्यान रखा जावगा ।

४ भाषिक अ पसख्यक वग के बच्चा को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा म शिक्षा दन की व्यवस्था की गयी है । यदि एक विद्यालय म एस ४० और एक कक्षा म ऐसे १ छात्र हा ता उन्ह उनकी भाषा म शिक्षा देन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

५ राष्ट्रपति अल्पसख्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हे वार्षिक रिपोट देगा ।

६ अल्पसख्यका क विद्यालया को राज्य मान्यता देगा ।

७ राज्य म नौकरी के लिय अधिवास की शत हटा दी गयी ।

: ६ :

भारत : की न्याय-व्यवस्था

विधि-विधान : न्यायपालिका

भारत का शासन सघीय है, द्वैधात्मक है। किन्तु न्यायपालिका एकसूत्रीय और एकीकृत है।

भारत के वैधानिक विषयो व कार्य-कलापो का नियामक भारत सरकार का **विधि मन्त्रालय** है। जिस कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिये पुलिस और प्रशासन है, उसका क्षेत्र यही मन्त्रालय बनाता है, उनमे जान डालता है तथा उनको शक्ति देता है। पर, इसका कार्य प्रदर्शनात्मक नही है।

विधि मन्त्रालय विधि मन्त्री के निर्देश और पथ-प्रदर्शन मे काम करता है। इसके मुख्य कृत्य ये है केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयो और विभागो को विधि के मामलो मे, जिनके अन्तर्गत विधियो का चयन, दस्तावेज तैयार करना तथा मुकदमो की पैरवी करना भी है, परामर्श देना, केन्द्रीय विधायको, अध्यादेशो और विनियमो का प्रारूपण, विधि और प्रारूपण की दृष्टि से कानूनी नियमो तथा आदेशो की जाच, केन्द्रीय अधिनियमितियो का प्रकाशन। कम्पनियो और लेखा पालन वृत्ति के विनियमन, ससद, राज्य विधान मण्डलो और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदो के लिये निर्वाचनो तथा निर्वाचन आयोग, विधि आयोग-परिसीमन आयोग, राजभाषा (विधायी) आयोग, आयकर अपील अधिकरण से सम्बन्धित विषय भी इस मन्त्रालय के कार्य-क्षेत्र मे आते है।

२१-१-१९६६ से वित्त-मन्त्रालय से कम्पनी कार्य-विभाग विधि मन्त्रालय के अन्तर्गत कर दिया गया है। तब से इसके तीन विभाग है : विधि कार्य-विभाग, विधायी विभाग और कम्पनी कार्य विभाग। हर विभाग का अध्यक्ष एक सचिव है। **विधि कार्य विभाग** विधिक मामलो मे परामर्श और निर्वाचनो, निर्वाचन आयोग तथा आयकर अपील अधिकरण से सम्बद्ध मामलो का कार्य करता है, इसके बम्बई और कलकत्ते मे शाखा सचिवालय भी है। **विधायी विभाग** विधेयको, अध्यादेशो और विनियमो के प्रारूपण और कानूनी नियमो, आदेशो, अधिसूचनाओ आदि की जाच का काम करता है। यह राजभाषा (विधायी) आयोग से भी सयुक्त है जो कानूनो के अनुवाद और यावत्साध्य सब भारतीय भाषाओ मे प्रयोग के लिये मानक विधि शब्दावली तैयार करने से सम्बन्धित कार्य करता है। विधि आयोग की सिफारिशो को कार्यान्वित करने और केन्द्रीय विधियो के मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुवाद से सम्बन्धित कार्य भी इसी विभाग के अन्तर्गत है। **कम्पनी कार्य विभाग** कम्पनी अधिनियम १९५६, जाच आयोगो और चार्टर प्राप्त लेखपाल सस्थान और लागत तथा निर्माण लेखपाल सस्थान जैसे वृत्तिक निकायो का प्रशासन करता है।

विधि काय विभाग

इसके कई अनुभाग है

१ परामर्श अनुभाग—इसके मुख्य काय ये है मविधान तथा विभिन्न कानूनो कानूनी नियमो आदेशो आदि के उपबन्धो के निवचन सहित कानूनी मामलो और सरकारी मुकदमो की बाबत अन्य मत्रालयो और विभागों को परामर्श देना केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके पक्ष म निष्पाद्य सविदाओ और अन्य लिखतो के प्रारूपण जाच तथा इसके अतिरिक्त विदेशी सरकारो तथा अन्य पक्षो से सहयोग करारो मे भारत सरकार की ओर से बातचीत करना और उनको अन्तिम रूप देना राष्ट्रपति की अनुमति के लिये रखे विधेयको आदि की कानूनी दृष्टि से जाच मामलो के स्पष्टीकरण तथा अन्य मत्रालयो म प्राप्त मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखी जाने वाली टिप्पणियो तथा सक्षिप्तियो की विधिक दृष्टि से जाच और भारत सघ के विरुद्ध वादो तथा अपीलो से सम्बद्ध कार्यों का समन्वय।

२ मुकदमा सम्बन्धी अनुभाग—इसके मुख्य कृत्य हैं दिल्ली से पजाब उच्च न्यायालय की सरकिट न्यायपीठ और दिल्ली स्थित अधीनस्थ न्यायालयो मे केन्द्रीय सरकार के दीवानी मुकदमो को सम्भालना तथा विभिन्न मन्त्रालयो/विभागो के मुकदमो के कागज पत्रो का सप्रेषण जाच तथा सलाहकार को परामर्श देना।

३ केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग—यह भारत सघ और केन्द्रीय अधिकरण योजना म शामिल विभिन्न राज्य सरकारो की ओर से उच्चतम न्यायालय म दीवानी और फौजदारी मुकदमो की परवी करता है। इस अनुभाग का व्यय केन्द्रीय सरकार तथा योजना म शामिल राज्य सरकारें वहन करती हैं। आन्ध्र प्रदेश असम केरल मध्य प्रदेश मद्रास उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बगाल की सरकारो के अतिरिक्त शेष सभी राज्य सरकारें इस योजना म है।

४ यायिक अनुभाग—यह सरकार के विभिन्न कानूनी अफसरो की नियुक्ति व अन्य व्यवहार विषयक काय करता है। यह उन विवादो को भी विभिन्न कार्यों को देखता है जिनम केन्द्रीय सरकार भी एक पक्ष हो। गरीबो को विधिक सहायता विषयक काय भी इसके अन्तगत है।

५ निर्वाचन अनुभाग—इसमे निर्वाचन आयोग तथा परिसीमन आयोग से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक मामलो और निर्वाचन विधि निर्वाचनो पर होने वाले यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० और १९५१ तथा इनके अन्तगत नियमो के प्रशासन के काय होते हैं। आयकर अपील अधिकरण से सम्बन्धित प्रशासनिक काय भी यह करता है। इसकी १८ पीठें हैं ४ बम्बई म दिल्ली और कलकत्ता म १ १ प्रयाग हैदराबाद मद्रास और पटना म। इस अनुभाग का प्रशासनिक सम्बन्ध पूर्वी पजाब के विशेष अधिकरण से भी है जो दिल्ली म है।

शाखा सचिवालय

बम्बई स्थित शाखा सचिवालय—केन्द्रीय सरकार के बम्बई स्थित कार्यालयो से सम्बन्धित व अन्य कानूनी मामलो आदि को देखना है। **कलकत्ता स्थित शाखा सचिवालय**

रेलवे और आयकर विभागो को छोडकर केन्द्रीय सरकार के कलकत्ता स्थित अन्य सभी कार्यालयो को कानूनी सलाह देता है ।

विधायी विभाग

इसके भी दो अनुभाग है। एक अनुभाग का मुख्य कार्य भारत सरकार के मत्रालयो तथा विभागो की ओर से, जिनका विधायी प्रस्थापनाओ से प्रशासनिक सम्वन्ध है, सभी केन्द्रीय विधेयको, अध्यादेशो और विनियमो का प्रारूपण है। इसके अन्य कार्य है विधायी प्रस्तावो के वारे मे मन्त्रिमडल के समक्ष रखी जाने वाली सक्षिप्तियो की जाच, सभी विधेयको के ससद और सयुक्त की जाने वाली समितियो या प्रवर समितियो से गुजरने के प्रक्रर्मो से सम्वन्धित कार्यवाही, राज्यो के लिए आदर्श विधेयको का प्रारूपण, राष्ट्रपति के अधिनियमो के रूप मे विधेयको का मस्विदा तैयार करना और उन्हे व्यावहारिक रूप देना। यह अनुभाग समस्त गौण विधान अर्थात् कानूनी नियमो, आदेशो, अधिसूचनाओ, उपविधियो आदि की विधि सविधान तथा प्रारूपण की दृष्टि से जाच करता है। दूसरा अनुभाग समवर्ती विषयो मे विधायी प्रस्थापनाओ के सम्वन्ध मे काम करता है—कानून वनाने के विषय को देखता है। विधि, आयोग की सिफारिशो का परिपालन भी इसका काम है। इसका कार्य हर एक वर्ष मे पारित या प्रख्यापित समस्त केन्द्रीय व राज्य अधिनियमो, अध्यादेशो और विनियमो का सक्षिप्त विवरण तैयार करना और उनको प्रकाशित करना भी है। अधिवक्ता अधिनियम का प्रशासन तथा हिन्दू धर्मस्व आयोग की रिपोर्ट का परिपालन भी इसके अतर्गत है ।

प्रकाशन शाखा

इसका कार्य ४ अनुभाग करते है—१ प्रकाशन अनुभाग, २ साधारण कानूनी नियम और आदेश अनुभाग, ३ शोधन अनुभाग और ४ मुद्रण अनुभाग। **प्रकाशन अनुभाग** का काम केन्द्रीय अधिनियमो व अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री—भारत का सविधान निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि—का प्रकाशन है। **दूसरा अनुभाग** साधारण काननी नियमो और आदेशो का पुनरीक्षित सस्करण निकालता है। **शोधन अनुभाग** का कार्य उपरोक्त विषयो व अन्य कानूनी तथ्यो सम्वन्धी महत्त्वपूर्ण प्रकाशनो का अद्यतन सेट तैयार करना है। **मुद्रण अनुभाग** विधेयको, अध्यादेशो, केन्द्रीय अधिनियमो आदि के प्रकाशनो से सवद्ध सपादन और मुद्रण का कार्य सभालता है।

अनुवाद अनुभाग

इसका प्रधान कार्य केन्द्रीय अधिनियमो का हिन्दी रूपातर करना तथा उन्हे द्विभाषीय (हिन्दी-अग्रेजी) सस्करणो मे प्रकाशित करना व विधि मत्रालय द्वारा हिन्दी मे प्रस्तुत समस्त सामग्री का प्रकाशन है।

विधि आयोग

यह २० दिसम्वर, १९६४ को और तीन वर्षो के लिए पुनर्गठित किया गया। १६ दिसम्वर, १९५५ से इसने कार्य प्रारम्भ किया था। इसका मुख्य कार्य सपूर्ण न्याय-प्रणाली का अनुवीक्षण करना, उस पर पुर्नविचार करना और आवश्यक हो तो, सुधार के

उपाय बनाना है। आयोग केन्द्रीय सरकार के कानूनों की परीक्षा करता है उनके अर्थ को देखता है और आवश्यक हो तो उनमें संशोधन लाता है और उनको अद्यतन बनाने का प्रयास करता है। इसके भी दो अनुभाग हैं। पहला मुख्यत न्यायिक प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर विचार करता है तथा दूसरा मुख्यत कानूनों का अनुवीक्षण और उन पर पुनर्विचार करता है।

इसके मुख्य कार्य हैं—१ कानून को सरल बनाना २ कानून के संविधान विरोधी भाग का विनिश्चय करना तथा उसमें संशोधन सुझाना ३ उच्च न्यायालयों या अन्य माध्यमों से ज्ञात कानूनों की विसंगतियों में आवश्यक सुधार करना ४ समवर्ती विषयों में राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किए गए परिवर्तनों पर विचार करना और उनमें एकरूपता लाने के लिए आवश्यक सुझाव देना ५ एक ही विषय के अनेक कानून हों तो उन पर विचार करना ६ संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों को व्यवहार में लाने के उपाय बताना तथा ७ कानूनों में संशोधन की सामान्य नीति का निर्धारण करना।

सितम्बर १९५८ में आयोग ने न्यायिक प्रशासन में सुधार सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट दी। इस प्रकार इसका एक कार्य पूरा हुआ। २ दिसम्बर १९५८ को यह पुन संगठित किया गया। तब उसे केन्द्रीय अधिनियमों के व्यवहार का अध्ययन करने और यदि दोष हों तो उन्हें बताने तथा कानूनों को अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन सुझाने का कार्य दिया गया।

राजभाषा (विधायी) आयोग

इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद ३४४ के खंड (१) के अधीन राष्ट्रपति के ७ ६ १९६५ के आदेश के अनुसार किया गया। यह स्थायी संस्था है। इसके दो कार्य हैं प्रामाणिक विधि शब्दावली का निर्माण तथा केन्द्रीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद या राज्य विधियों के हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था।

आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव सहित ८ पूर्णकालिक सदस्य हैं तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रतिनिधि १० अंशकालिक सदस्य हैं।

४ जाच आयोग ।

५ उपर्युक्त मदो की बावत केन्द्र प्रशासित क्षेत्रो से सबध विषयो मे केन्द्र का दायित्व ।

अदालत की मानहानि समिति—इस समिति की स्थापना सरकार ने जुलाई १९६१ मे की । इसके कार्य (१) अदालत की मानहानि के मामलो की परीक्षा करना और अभियुक्त को उचित दन्ड दिलाने की विधि बताना, (२) इस विषय के विद्यमान कानूनो मे, यदि आवश्यकता हो तो, सशोधन करना और उनमे एकरूपता लाना तथा यदि कही अस्पष्टता हो तो उसे दूर करना, (३) जहा आवश्यकता हो, वहा कानून मे सुधार सुझाना और (४) समिति द्वारा परीक्षा के बाद यदि कानून मे सशोधन की आवश्यकता हो, तो सुझाना । इस प्रकार विधि मत्रालय भारत-राष्ट्र की कानूनी एकता को कायम रखने का हे और देश भर के कानूनो मे एकरूपता लाने का प्रयत्न करता है ।

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

१६ अगस्त, १९४७ से पहले जो प्रादेश या 'रिट' देशभर मे ब्रिटिश सम्राट के नाम से चलता था, वह अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयो (हाई कोर्टो) के नाम पर चलता है । सविधान के अनुच्छेद २७२ मे कहा गया हे कि इसके चालू होने से पहले देश मे जो कानून प्रचलित थे, वे उस समय तक अपने रूप मे चलते रहेगे, जब तक उनमे परिवर्तन न किया जायगा या उनको रद्द न किया जायगा ।

सविधान के अनुच्छेद १३ मे विहित किया गया है कि सविधान के चालू होने से पहले प्रचलित कानूनो मे जो मूल अधिकारो (भाग ३) के विरोधी होगे, वे अमान्य रहेगे । राज्यो को भी अनुच्छेद १३ (२) मे मूल अधिकारो के विरोधी कानून बनाने से रोक दिया गया है । अनुच्छेद १४ मे कहा गया हे कि विधि या कानून के सम्मुख सब व्यक्ति समान माने जायँगे । कानून का सरक्षण सबो को एक समान प्राप्त होगा ।

विद्यमान कानून के सातत्य की और कानूनी प्रक्रिया के जारी रहने की गारण्टी अनुच्छेद ३७५ मे दी गयी है । न्यायिक अधिसत्ता और पद पहले के समान बने रहने और जारी रहने दिए गए । भारत का देशी कानून वैयक्तिक है और वह हिन्दू एव मुस्लिम विभागो मे विभाजनीय है । हिन्दू और मुस्लिम, दोनो कानूनो का स्रोत धर्म है ।

सविधान के अनुच्छेद १२४ मे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विहित हे । इसमे मुख्य न्यायाधीश होते हे । कुल १३ न्यायाधीश हो सकते हें । अभी इनकी सख्या मुख्य न्यायाधीश समेत ११ है । राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हे । ६५ साल की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हे । न्यायाधीशो की नियुक्ति मे मुख्य न्यायाधीश की सलाह अवश्य ली जायगी । सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारतीय नागरिक हो सकता हे जो किसी उच्च न्यायालय का पाच साल तक न्यायाधीश रहा हो, या जिसकी १० साल की चलती वकालत हो । राष्ट्रपति किसी विख्यात न्यायशास्त्री को भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हे ।

न्यायाधीश अपने पद से उस समय तक नही हटाया जा सकता, जब तक ससद के दोनो सदन इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित सदस्यो के दो तिहाई मत से स्वीकार न कर

में। प्रस्ताव एक हो अधिवेशन में स्वीकृत होना चाहिए और तब राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा व्यक्ति भारत की किसी प्रकार की अदालत में वकालत नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख (रिकार्ड) न्यायालय है। न्यायालय का अपमान करने वाले को दण्ड देने का भी अधिकार इसे है। यह दिल्ली में आस्थित है। पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से दिल्ली से अन्यत्र भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय को निम्न मामलों में एकाकी मूल न्यायाधिकार है

(१) केन्द्रीय सरकार किसी राज्य या राज्यों के साथ विवाद (२) केन्द्रीय सरकार और एक या अनेक राज्य एक ओर और उनके विरोध में अन्य राज्य (३) दो या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद (४) यदि किसी विषय में कानून या तथ्य पर विवाद हो जिससे कानूनी अधिकार (अनु १३१) को हानि पहुंचने का भय हो।

इसका अपील-न्यायाधिकार बड़ा व्यापक है। उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय आज्ञप्ति (डिक्री) और अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय इस बात को प्रमाणित करे कि उस विषय में कानून की व्याख्या महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा उच्च न्यायालय प्रमाणित करने से इन्कार करे तो अनुच्छेद १३६ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय विशेष परिस्थिति में अपील करने की अनुमति दे सकता है। दीवानी मुकदमों की भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है यदि मामला २०००० रु से कम का न हो तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद १३३ के अनुसार उसको सर्वोच्च न्यायालय में अपील के उपयुक्त कहे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोपित कानून देश की सब अदालतो के लिए मान्य होगा।

ससद को सर्वोच्च न्यायालय का विधान बनाने, इसका सगठन करने और न्यायाधिकरण-क्षेत्र निश्चित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद ३२ विहित करता और गारन्टी देता है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारो को लागू करने के लिए विधि-विहित कार्य करने का अधिकारी है।

शाही क्षमादान या दण्ड कम करने का अधिकार अब अनु० ७८ ने राष्ट्रपति को दिया है। अनुच्छेद ३४२ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयो के कार्य की भापा अग्रेजी होगी। ससद और विधान मण्डलो मे पेश हुए विधेयको की भापा अग्रेजी होगी और वे ही प्रमाणित भी माने जायेगे। राष्ट्रपति द्वारा प्रचारित सब अध्यादेशो और कानून की भापा भी अग्रेजी ही होगी। यदि भापा का परिवर्तन अभीप्ट और वाछनीय हो, तो ससद को पहले इस व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। ससद ने १९६३ मे राज्यभापा अधिनियम स्वीकार किया है। यह राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह उच्च न्यायालय को हिन्दी या अन्य किसी प्रादेशिक भापा मे व्यवहार करने को कह सकता है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय की भापा मे परिवर्तन का उपबन्ध इस कानून मे नही है।

अनुच्छेद १४४ के अधीन दीवानी, फौजी और मुल्की अधिकारियो को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करनी चाहिए। जजो की स्वतन्त्रता सुरक्षित कर दी गई है। उनको समेकित विधि से वेतन दिया जाया करेगा और ससद मे उनके कार्यो की आलोचना या समीक्षा नही की जा सकती।

उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट)

प्रत्येक राज्य मे एक उच्च न्यायालय है। इसे भी अभिलेख का और अन्य सभी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय को अपना अपमान करने वालो को दण्ड देने का भी अधिकार है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति इसके न्यायाधीशो की नियुक्ति करते हैं। इसमे प्रान्त के राज्यपाल और उसके उच्च न्यायालय के न्यायपति की भी सलाह ली जाती है। न्यायाधीश ६२ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। न्यायाधीश वही भारतीय हो सकता है जो न्यायाधिकार क्षेत्र का पदाधिकारी रहा हो या जिसने कम से कम १० वर्ष तक वकालत की हो। अनुच्छेद १२४ (अ) मे विहित विधि के सिवाय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से और विधि मे नही हटाये जा सकते। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवा-निवृत होने पर सर्वोच्च न्यायालय के सिवाय देश भर मे और कही वकालत नही कर सकता। सविधान मे अतिरिक्त या अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने का विधान है। अनुच्छेद २२२ मे राष्ट्रपति को, यदि चाहे तो, किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति न्यायाधीशो का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं।

२६ जनवरी १९५० से भारतीय सविधान जारी हुआ किन्तु उच्च न्यायालय इससे पहले से चले आ रहे हैं। इनमे से अनेक ९० साल पुराने हैं। सविधान के अनुच्छेद २२६ ने

उनका और उनके न्यायाधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है। सरकार ने निम्नलिखित आदेश परमादेश प्रतिषेध अधिकार पृच्छा उत्प्रेषण और बन्दी प्रत्यक्षीकरण (रिट) का स्वीकार किया। ये ही प्रत्याक्रमण और अन्य पूर्व प्राप्त अधिकार भी स्वीकार किए गए। अनुच्छेद २२६ के द्वारा उच्च न्यायालय को मूल अधिकार दिलाने का भी अधिकार दिया गया।

इस समय उच्च न्यायालयों का न्याय क्षेत्र इस प्रकार है —

नाम	स्थापना-काल	अधिकार क्षेत्र	स्थान
१ इलाहाबाद	१९१६	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में न्यायपीठ)
२ आन्ध्र प्रदेश	१९५४	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
असम व नागालैंड	१९४८	असम	गौहाटी
४ बम्बई	१८६१	महाराष्ट्र	बम्बई (नागपुर में न्याय पीठ)
५ कलकत्ता	१८६१	प. बंगाल अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह	कलकत्ता
६ गुजरात	१९६	गुजरात	अहमदाबाद
७ जम्मू कश्मीर	१९ ८	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर जम्मू
केरल	१९५	केरल लकादीव मिनिकाय व अमीनदीवी द्वीप समूह	एर्णाकुलम

की सुनवाई सत्र न्यायाधीश करता है और कानूनन दण्ड देने का अधिकारी है। बिहार ने १९६१ में जूरी द्वारा न्यायदान की व्यवस्था का अन्त कर दिया। महाराष्ट्र ने भी जूरी-व्यवस्था समाप्त कर दी है। मैसूर और पश्चिमी बंगाल भी इसे समाप्त करने का विचार कर रहे हैं। असम, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उडीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जूरी-व्यवस्था नहीं है।

दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की अदालतें तीन प्रकार की हैं और इनके अधिकारों में भी अन्तर है। ये साधारणतः शहरों में स्थापित हैं। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने आने वाले मामलों को सुनता है। मानार्ह दंडाधिकारी (ऑनरेरी मजिस्ट्रेट) मामूली मामलों को सुनता है।

संविधान के अनुच्छेद ५० में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग-अलग रखेंगे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, प० बंगाल, मध्य भारत, विंध्यप्रदेश भोपाल (मध्य प्रदेश के क्षेत्र) पंजाब के पेप्सू जिले और उत्तर प्रदेश के ४७ जिलों में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग-अलग हैं। बिहार के पटना, गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, चम्पारन, भागलपुर, सहरसा, हजारीबाग और पूर्णिया जिलों में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग कर दी गई है। असम और राजस्थान की सरकारें इस प्रश्न पर अभी विचार कर रही हैं।

दीवानी छोटी अदालतों की रचना और इनके न्याय-क्षेत्र भी भिन्न-भिन्न हैं। मोटे तौर पर जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश प्रत्येक जिले के लिए होते हैं। जिला न्यायाधीश मुख्यतः दीवानी अदालत की अध्यक्षता करता है। इन पदों के लिए मुख्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) के व्यक्ति ही लिए जाते हैं। कुछ नियुक्तियां प्रादेशिक सेवा में की जाती है। अब 'बार' के सदस्य भी भरती किए जाने लगे हैं। प्रायः करके राज्यों की छोटी अदालतों के न्यायाधीश तरक्की पाकर जिला न्यायाधीश के पद पर पहुँचते हैं।

इनके बाद अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुंसिफों का स्थान आता है। इनका मूल न्याय क्षेत्र भी सारे देश में एक समान नहीं है।

इनके अतिरिक्त छोटे-छोटे मामलों के लिए पृथक अदालतें हैं। ये 'स्माल कॉज कोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। ५०० रु० तक के दावे इनके सामने पेश किए जाते हैं। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के शहरों में, जहाँ उच्च न्यायालय का मूल न्याय-क्षेत्र है, ये अदालतें २,००० रु० तक के मामले सुनती हैं।

मद्रास और बम्बई में 'सिटी सर्विस कोर्ट'—नगर की दीवानी अदालतें हैं। बम्बई की ऐसी अदालत २५,००० रु० तक के मुकदमे सुनती है।

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों का 'इनसॉलवेंसी कोर्ट' के रूप में भी न्याय-क्षेत्र है। मुफस्सिल में यह अधिकार 'प्राविंशियल इनसॉलवेंसी एक्ट' १९२०, के द्वारा मुफस्सिल अदालत को दिया है।

केवल बम्बई और कलकत्ता में ही 'कोरोनर' हैं। अन्यत्र उनका कार्य दण्डाधिकारी और पुलिस अफसर जूरी की सहायता के बिना करते हैं।

विशेष न्यायालय

अधिकांश राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय हैं। श्रम-न्यायालय में एक न्यायाधीश ही बैठता है। इस न्यायालय के मुख्य काम ये हैं—(१) यह देखना कि काम नियोजक (एम्प्लायर) का आदेश कानूनी है या नहीं। (२) स्थायी आदेशों का व्यवहार और उनकी व्याख्या तथा यथार्थ। (३) सरकार द्वारा भेजे गए विवादों में पंचाट करना।

श्रम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील औद्योगिक न्यायालय में की जाती है। इस न्यायालय को मूल अधिकार प्राप्त हैं। यह सरकार द्वारा और प्रतिनिधि श्रमिक संगठनों द्वारा भेजे गये विवादों पर भी निर्णय करता है। यह वेतन मण्डल (वेज बोर्ड) के द्वारा भेजे गए विवादों पर भी निर्णय देता है। आवश्यकता पर किसी श्रम सम्बन्धी अधिनियम की व्याख्या भी करता है। श्रम न्यायालय के काम के निरीक्षण का भी इसको अधिकार है।

१९४७ में अन्तरिम संसद ने औद्योगिक विवाद अधिनियम—इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया। इसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों को निपटाना है। औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई है। इस अधिनियम के अधीन स्थापित समझौता मण्डल विवादी पक्षों में समझौता न करा सके तो मामला न्यायाधिकरण के सामने जाता है। विवाद के दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे पक्ष की अनुमति और न्यायालय की सहमति के बिना वकील नहीं ला सकता।

औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थायी न्यायालय नहीं है। जब कभी कोई औद्योगिक विवाद सरकार के सामने पेश किया जाता है तब वह औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त करती है। न्यायाधिकरण एक या एक से अधिक व्यक्तियों का हो सकता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम १९५६ और विविध प्रावधान अधिनियम सं० ३६ ने न्यायालय और न्यायाधिकरण की स्थापना के निम्न उपबन्ध भी तय किए हैं :

१. उपयुक्त सरकार श्रम न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसमें एक ही न्यायाधीश होगा।

२. औद्योगिक न्यायाधिकरण भी एक न्यायाधीश का होगा। इसका न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही हो सकता है। न्यायाधिकरण की स्थापना उपयुक्त सरकार करेगी।

३. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना केन्द्रीय सरकार ही करती है। यह भी एक ही न्यायाधीश का होता है। इस सम्बन्धी अधिनियम १ सितम्बर १९५६ से लागू है।

श्रम कानूनों के प्रशासन का उत्तरदायित्व विभक्त है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार निम्न के लिए जिम्मेदार है —

(१) मुख्य श्रम-आयुक्त कार्यालय—नई दिल्ली (२) कोयला खान कल्याण आयुक्त कार्यालय—धनबाद (३) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय—धनबाद (४) कल्याण आयुक्त अभ्रक खान मजदूर कल्याण-कोष आयुक्त कार्यालय—धनबाद और नेल्लौर (५) मुख्य खान निरीक्षक कार्यालय—धनबाद (६) मुख्य फैक्टरी परामर्शदाता कार्यालय—नई दिल्ली (७) महानिर्देशक कर्मचारी बीमा निगम

कार्यालय—नई दिल्ली, (८) प्रवासी श्रमिक नियत्रक, कार्यालय—शिलाग, (९) निर्देशक, श्रम कोष, कार्यालय—शिमला, (१०) केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त, कार्यालय—नई दिल्ली।

श्रम कानूनो को अमल मे लाने के लिए राज्य सरकारो के अपने सगठन है।

वाल-अपराधियो के मामले वाल-अदालते सुनती हे। जहा ऐसी अदालते नही हैं, वहा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या वेतनभोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या वेतनभोगी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सुनता है। इस अदालत मे वकील वकालत नही कर सकते। विशेप अवस्थाओ मे अदालत इसकी अनुमति दे सकती है।

राज्य सरकारे इन अदालतो की सहायता के लिए प्रोवेशन ऑफिसर नियुक्त करती है। इन अफसरो के कर्त्तव्यो और अधिकारो का वर्णन नियमो (रूलो) मे किया गया है। इनका मुख्य काम वाल-अपराधी के इतिहास की खोज करना और अदालत की सहायता करना है। वाल-न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, वम्वई के सामने की जा सकती है। अन्य स्थानो मे सत्र न्यायाधीश के सामने अपील की जा सकती है। चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय मे होती है।

पचायत न्यायालय (न्याय पचायत के नाम से ये प्रसिद्ध है) अनेक राज्यो मे स्थापित है। पचायत न्यायालय के सदस्य ग्राम पचायत से चुने जाते है। पचायत अधिनियम के खड २०-२४ मे इस सम्बन्धी नियम दिये गये है, जिनमे इनके अधिकार-क्षेत्र और इनके अन्तर्गत मामलो का उल्लेख है। न्याय पचायत अपने निर्णय को बदल नही सकती। न्याय पचायत के निर्णय से असन्तुष्ट व्यक्ति जिला न्यायाधीश के सामने अपील करता है।

भारत रक्षा अधिनियम (१९६२, न० ५१) ने सरकार को विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना का अधिकार (खड १३) दिया है। यह इसके खड ३ के अन्तर्गत अपराधो की जाच के लिए नियुक्त किए जाते है।

विधि अधिकारी

केन्द्रीय सरकार के समान हरेक राज्य के अपने विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी या कानूनी अफसर है। प्रत्येक राज्य का अपना एक महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) है। महाधिवक्ता वह हो सकता है जिसमे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो। महाधिवक्ता के अतिरिक्त राज्यो मे **सरकारी वकील** भी होते है।

राज्य सरकारो के महाधिवक्ता सरकारी वकील के अतिरिक्त भी कानूनी अफसर हे। यह 'रिमेम्वरेंस आफ लीगल अफेयर्स' कहलाता है। यह कानूनी विभाग के सचिव का काम भी करता है। यह सरकारी कर्मचारी होता है। यह कभी किसी अदालत की अध्यक्षता नही करता। प्राय जिला जजो मे से कोई 'रिमेम्वरेस आफ लीगल अफेयर्स' नियुक्त किया जाता है। यह विलो का मस्विदा तैयार करता है और सरकारी विभागो को कानूनी सलाह देता है।

वम्वई, मद्रास और कलकत्ता के हाई कोर्टो के साथ शेरिफ सम्वद्ध है। इनको जूरी की सूची तैयार करने, समन जारी करने और अन्य कानूनी काम सौंपे जाते है। वम्वई का

गरिफ पन्न महाराष्ट्र स्टेट परमानेण्ट रिलीफ कमिटी का अध्यक्ष है। वह नागरिकों की ओर से सार्वजनिक सभा भी बुला सकता है।

वकीलों की दो श्रेणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले सीनियर एडवोकेट कहलाते हैं तथा अन्य जूनियर एडवोकेट।

सुप्रीम कोर्ट के सब एडवोकेट हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। मगर एटर्नी के हाई कोर्ट के ओरिजनल पक्ष में मामले को पेश कर सकते हैं। बम्बई और कलकत्ता में एटर्नी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर ओरिजनल पक्ष में ही एडवोकेट वकालत कर सकता है। एटर्नी एट ला ने यदि एडवोकेट के रूप में अपना नाम लिखाया है तो वह भी हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है।

प्लीडर—जिला जज की अदालत में ही वकालत कर सकता है और वह भी उसी जिले में जिसकी उसके पास सनद हो।

इनके अतिरिक्त असम, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल में मुख्तार हैं। असम में इनके सिवाय और एक वर्ग है। वह रेवेन्यू एजेण्ट कहलाता है।

संसद ने १९६१ में एडवोकेट एक्ट (नं० २५) बनाकर वकीलों को एकसूत्रबद्ध कर दिया है। इससे बार कौंसिल और अखिल भारतीय बार की स्थापना सम्भव कर दी। बार कौंसिल देश भर के वकीलों की नाम-सूची रखेगी। यह कौंसिल वकीलों के व्यवसाय के प्रतिमान की रक्षा करेगी। विश्वविद्यालय की सहायता से कानूनी शिक्षा का प्रतिमान ऊंचा करेगी। हरेक विश्वविद्यालय का कानून का स्नातक (ला ग्रेजुएट) अब बार कौंसिल की मान्यता प्राप्त होने पर ही एडवोकेट हो सकेगा।

इसकी सिफारिशों पर लॉ कालेज का पाठ्यक्रम बढ़ाकर तीन साल का कर दिया गया है। दिल्ली में सन् १९६५ में किया गया है।

हिन्दू कानून मे सुधार

संविधान ने स्त्रियों को राजनीतिक और सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान किया है। इस लोकतन्त्रीय स्वराज्य में हिन्दू समाज की पुरानी सामाजिक व्यवस्था का जारी रहना एक विसंगति होगी। इस दृष्टि से हिन्दू कानून में हुए सुधारों पर एक दृष्टिपात करना आवश्यक है।

१९ सितम्बर १९४८ तक के स्वाधीनता-संग्राम में महिलाओं का भाग बराबर बढ़ता रहा। स्त्रियों ने पर्दा ही नहीं छोड़ा बल्कि घर चूल्हा भी छोड़ा। भारत की जागृत और उद्बुद्ध महिलाओं ने १९१७ में माऊथ बारो समिति के सामने मताधिकार की मांग की थी और अपने लिए स्थान सुरक्षित रखने का विरोध किया। भारतीय महिलाओं ने जमातों के सामने पतन से इनकार कर दिया। मुसलमानों के समान उन्होंने अपने को कमजोर समझ कर अपने लिए विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित करने की मांग नहीं की, जबकि ब्रिटिश सरकार दो को उद्यत था।

महिलाओं की इस राष्ट्रभक्ति को देश भूला नहीं। १९६६ में जब देश में प्रान्तीय

स्वायत्त शासन स्थापित हुआ, तो १६३७ मे केन्द्रीय एसेम्बली ने 'हिन्दू विमेन्स राइट टू प्रापर्टी एक्ट' (हिन्दू नारी साम्पत्तिक अधिकार अधिनियम) स्वीकार किया। इसने हिन्दू विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति मे भाग पाने और बटवारा कराने का अधिकार दिया।

चार साल बाद सरकार ने सम्पूर्ण हिन्दू कानून पर विचार करने और सहिताकरण करने के लिए एक समिति नियुक्त की। यह हिन्दू सहिता समिति के नाम से प्रसिद्ध है। इसने दो विधेयको का मसविदा तैयार किया। एक था हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक और दूसरा हिन्दू विवाह विधेयक।

केन्द्रीय विधान-मण्डलो मे जब इस पर विचार किया गया, तब दोनो सदनो ने प्रस्ताव किया कि राव समिति को अपना कार्य जारी रखने और उसको सम्पूर्ण हिन्दू-कानून का सहिताकरण करने के लिए कहा जाय। १६४४-४५ मे समिति ने सारे देश मे दौरा करके जनता की राय जानी। इसने हिन्दू सहिता तैयार की। देश के प्रमुख वकीलो की समितियो का सग्रह भी इसने तैयार किया। हिन्दू-समाज के विभिन्न सगठनो की राय भी प्रस्तावित सहिता पर सग्रहीत की।

हिन्दू स्त्रियो की दशा सुधारने के लिए अनेक कानून स्वीकार किए गए है

१ हिन्दू विवाह अनार्हता (पुनरीक्षण) अधिनियम, १६४६ बना। इसके द्वारा अपने ही गोत्र और प्रवर मे हिन्दू स्त्री का विवाह सम्भव हो गया।

२ हिन्दू विवाहिता महिला आवास व निर्वाह अधिकार अधिनियम, १६४६ ने हिन्दू महिला के लिए अपने पति से निवास-स्थान और कुछ हालतो मे जीवन-वृत्ति पाना सम्भव कर दिया है। हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम, १६४६ ने विवाह मे जाति-बाधा को दूर कर दिया तथा प्रतिलोम विवाह भी वैध करार दिया। बाल-विवाह निरोध (सशोधन) अधिनियम (चाइल्ड मैरिज रेसट्रेट—अमेडमेट—एक्ट), १६४६ ने लडकियो की विवाह की उम्र बढायी। १४ के बदले १५ वर्ष पहले लडकियो का विवाह निषिद्ध किया गया। इसमे अभी और भी सशोधन की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक लडकी को माध्यमिक शिक्षा देना आवश्यक माना जाए, तो उसकी विवाह की उम्र १८ से कम न होनी चाहिए।

बम्बई मे एकपत्नीव्रत का नियम बना दिया गया है। वहा (हिन्दू बहुपत्नी-विवाह निरोध अधिनियम) १६४६ बनाया गया। पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह निषिद्ध कर दिया गया है। बम्बई ने ही सर्वप्रथम 'बम्बई हिन्दू विवाह-विच्छेद (तलाक) अधिनियम, १६४७' पारित किया और हिन्दू स्त्रियो को कुछ दशाओ मे तलाक देने का अधिकार दिया।

मद्रास राज्य मे भी एक अधिनियम था जो हिन्दू को बहुविवाह करने से रोकता था और स्त्री को तलाक देने का अधिकार देता था। इसका नाम था मद्रास (हिन्दू बाईगमी प्रीवेशन एक्ट एण्ड डाइवोर्स एक्ट) हिन्दू बहुपत्नी निरोध तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम। मद्रास विधान-सभा ने १६४७ मे मद्रास देवदासी (प्रीवेशन ऑफ डेडोकेशन एक्ट) अधिनियम पास किया। इसके द्वारा हिन्दू मन्दिरो मे हिन्दू लडकियो को भेट करने की प्रचलित पुरानी प्रथा का अन्त कर दिया गया।

बम्बई हिन्दू महिला सापत्तिक अधिकार (कृषि भूमि) अधिनियम १९३२ (बम्बई हिन्दू विमेन्स राइट टु प्रापर्टी एक्ट—एक्सटेंशन टु एग्रीकल्चरल लैंड) ने हिन्दू स्त्री का अधिकार कृषि भूमि तक विस्तृत कर दिया। इस तरह का एक कानून मद्रास में भी बनाया गया।

हिन्दू कोड बिल यद्यपि सरकार ने पेश नहीं किया किन्तु इसके आधार पर अनेक कानून सरकार ने बनाये। विशेष विवाह अधिनियम (दी स्पेशल मैरिज एक्ट) १९५४ १८७२ के पुराने विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) को रद्द कर देता है। यह यद्यपि हिन्दू कोड का भाग नहीं है फिर भी वह हिन्दू और गैर हिन्दू दोनों को सिविल मैरिज—अदालती विवाह की इजाजत देता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम (हिन्दू मैरिज एक्ट) १९५५—१८ मई १९५५ से अमल में आया और इसके साथ निम्न पुराने कानून रद्द हो गए।

(१) हिन्दू विवाह अनाहता पुनरोक्षण अधिनियम (हिन्दू मैरिज डिसएबीलिटी रिमूवल एक्ट) १९४६ (२) हिन्दू विवाह वधता अधिनियम (हिन्दू मैरिज वैलिडिटी एक्ट) १९४६ (३) हिन्दू विवाह विच्छेद अधिनियम (हिन्दू डाइवोर्स एक्ट) १९४७ (बम्बई) (४) हिन्दू बहुपत्नी विवाह निरोध अधिनियम (हिन्दू बाईगेमस मैरिज प्रीवेंशन एक्ट) १९४६ (५) मद्रास हिन्दू बहुपत्नी विवाह निरोध व विवाह विच्छेद अधिनियम (हिन्दू बाईगेमी प्रीवेंशन एण्ड डाइवोर्स एक्ट) (६) सौराष्ट्र हिन्दू बहुपत्नी विवाह निरोध अधिनियम (सौराष्ट्र प्रीवेंशन आफ हिन्दू बाईगेमी मैरिज एक्ट) (७) सौराष्ट्र हिन्दू विवाह विच्छेद अधिनियम (दी सौराष्ट्र हिन्दू डाइवोर्स एक्ट)।

१९५५ के हिन्दू विवाह अधिनियम (हिन्दू मैरिज एक्ट) २५ के अनुसार हिन्दू समाज में एकपत्नीविवाह का नियम हो गया है। तलाक का अधिकार कुछ अवस्थाओं में दिया गया है। अन्तर्जातीय विवाह और सगोत्र विवाह भी वैध मान गये हैं। हिन्दू अल्पवयस्कता व संरक्षण अधिनियम (हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट) (३२) १९५६ संरक्षता सम्बन्धी कानून का नियमन करता है। इसने मिताक्षरा और दायभाग कानून का भेद मिटा दिया। फिर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (हिन्दू सक्सेशन एक्ट) ३९ १९५६ हिन्दू उत्तराधिकार व्यवस्था का नियमन करता है। मारुमक्कट्टायम शासित लोगों के लिए विशेष उपबन्ध किया गया है। यह कानून उत्तराधिकारियों को दो श्रेणी में बाटता है तथा लड़की को अपने भाई के समान पिता की जायदाद में भाग पाने का अधिकार देता है। पहले के हिन्दू कानूनों में इसका अभाव था। हिन्दू उत्तराधिकार व्यवस्था में निम्न परिवर्तन किए गये हैं (१) हिन्दू स्त्री की जो अपनी संपत्ति है धन है उसकी वह पूर्ण स्वामिनी है। वह उसको जैसा चाहे विनियोग कर सकती है तथा इसके लिए उस पर कोई बन्धन नहीं है।

मृत हिन्दू के उत्तराधिकारी कुल की अविभक्त संपत्ति में भी हिस्सा पाने के अधिकारी हैं। मिताक्षरा कानून अब कोई बाधा नहीं देता। हिन्दू अब अविभक्त संपत्ति के विषय में वसीयत कर सकता है।

दिसम्बर १९५६ में हिन्दू दत्तक-सन्तति और संपोषण अधिनियम (हिन्दू एडाप्शन एण्ड मेन्टेनेंस एक्ट) ७८ १९५६ पास हुआ। इससे स्त्री को लड़का या लड़की को गोद लेने की इजाजत दी गई है। गोद लेने में पत्नी की सहमति आवश्यक है।

इन कानूनो के अतिरिक्त, सामाजिक सुधार के लिए ससद ने अनेक कानून वनाए है।

महिलाओ व वालिकाओ का अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम (दी सप्रेशन ऑफ इम्मॉरेल ट्रैफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट) १९५६, न० १०४, दिसम्वर १९५६ मे स्वीकार किया गया। यह न्यूयार्क मे ९ मई, १९५० को एक अन्तर्राष्ट्रीय करार पर किये गये दस्तखत के अनुसार वनाया गया। यह गणिका-वृत्ति सम्वन्धी सस्थाओ को लाइसेन्स लेने के लिए वाध्य करता है।

अपराधी सुधार अधिनियम (प्रोवेशन ऑफ अफेण्डर्स एक्ट) १९५८ (२०) भी एक सामाजिक सुधार का कानून है।

वम्वई सरकार ने विवाह पजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट) वनाया। दहेज विरोधी अधिनियम (डावरी प्रोहीविशन एक्ट) न० २८-१९६१ स्वीकार किया गया। इसके अनुसार दहेज लेना और देना दण्डनीय है और उल्लघन करने पर ६ मास की कैद की सजा दी जा सकती है।

समाज-सुधार की दिशा मे और एक कानून दातव्य अनाथालय (पर्यवेक्षण व नियत्रण) अधिनियम, आर्फनेज चैरीटेवल होम्स (सुपरविजन एण्ड कन्ट्रोल) विल ससद मे पेश कर वनाया गया।

वाल अधिनियम (चिल्ड्रन एक्ट) न० ६०—१९६० का उद्देश्य वच्चो के लिए सुरक्षा, सरक्षण, पालन, कल्याण और प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। उपेक्षित विकलाग वच्चो की रक्षा की भी यह व्यवस्था करता है।

इस सक्षिप्त विवरण से और एक वात प्रकट होगी कि स्वाधीनता के वाद समाज-सुधार विपयक कानून वनाने के लिए वहुत प्रयत्न किया गया। गणराज्य की स्थापना के वाद हिन्दू-समाज को सगठित और कानून द्वारा एकसूचित करने का यत्न किया गया।

: ७ :

चतुर्थ महानिर्वाचन

फरवरी १९६७ मे भारत के चतुर्थ पचवर्षीय आम चुनाव सम्पन्न हुए। इसके पूर्व १९५२, १९५७ व १९६२ मे आम चुनाव हुए थे। प्रथम आम चुनावो के पश्चात् यह पहला अवसर था, जब सभी राज्यो मे विधान सभाओ और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। १९५७ मे आंध्र राज्य मे केवल तेलगाना क्षेत्र मे ही आम चुनाव हुए थे। १९६२ मे उडीसा तथा केरल की विधान सभाओ के चुनाव नही हुए थे, क्योकि केरल मे १९६० और उडीसा मे १९६१ मे मध्यावधि चुनाव हो चुके थे। जम्मू-कश्मीर, नगर हवेली और दादरा, अण्डमान और नीकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप और मिनिकीय द्वीपो मे पहली बार लोकसभा के लिए मतदान हुआ। इसके अतिरिक्त राजधानी दिल्ली मे नगर निगम के १०० स्थानो तथा नवनिर्मित महानगर परिषद के ५६ स्थानो के लिए मतदान भी आमचुनाव के साथ ही किया गया। पाण्डिचेरी एक ऐसा केन्द्र शासित प्रदेश है, जहा इस बार केवल लोकसभा का ही चुनाव हुआ, वहा की विधान सभा का चुनाव १९६९ मे होगा।

चुनाव की पृष्ठभूमि

भारत को विश्व का सबसे विशाल लोकतन्त्री देश होने का गौरव प्राप्त है। जनसख्या वृद्धि के कारण प्रत्येक आने वाले आम चुनाव मे इस लोकतन्त्र का विस्तार होता जा रहा है जिसका परिचय तालिका 'एक' से मिल सकता है। इस तालिका के अनुसार चतुर्थ महानिर्वाचन के लिए कुल मतदाताओ की सख्या २४ करोड से अधिक थी, जिनमे से १५ करोड से अधिक मतदाताओ ने अपने मतो का प्रयोग किया। ज्ञातव्य है कि मतदाताओ की यह सख्या विश्व के दो महान् राष्ट्र—रूस और सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की कुल जनसख्या से भी अधिक है। ७६ प्रतिशत निरक्षर जनता के इस विशाल देश मे चुनावो का शान्तिपूर्वक सम्पन्न होना भारतीय जनमानस मे जनतन्त्रवादी आस्था तथा सस्कारो की गहराई का परिचायक है।

नई लोक सभा

नई लोक सभा की कुल सदस्य सख्या ५२० है जबकि तृतीय लोकसभा मे यह सख्या ४९४ थी। इन सीटो के लिए विभिन्न दलो ने जो उम्मीदवार खडे किये उनकी सख्या तालिका न० २ मे दी हुई है, जिसके अनुसार सबसे अधिक प्रत्याशी कांग्रेस ने (५११) और उसके पश्चात् जनसघ ने (२४९) खडे किये। लोकसभा के लिए सबसे भारी मतदान (७५ ९८ प्रतिशत) केरल राज्य मे हुआ जबकि सबसे हल्का मतदान (४३ ८३ प्रतिशत) उडीसा मे रहा। लोकसभा के लिए एक बार प्रत्येक दल को प्राप्त होने वाले मत तथा उनका प्रतिशत अनुमान तालिका क्रमाक ३ मे दिया गया है। इस तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि कांग्रेस के बाद सर्वाधिक मत जनसघ को प्राप्त हुए है। तीसरा नम्बर स्वतन्त्र

पार्टी का आना है। ससोपा कम्यु पार्टी व कम्यु० (मार्क्स) का लगभग बराबर मत मिले हैं और उनका प्रतिशत काफी कम है। वर्तमान लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति निम्न प्रकार है काग्रेस २८१ स्वतन्त्र ४२ जनसघ ३५ कम्युनिस्ट पार्टी २३ ससोपा २३ द्रविड मुनेत्र कडगम २५ कम्यु (मार्क्स) १९ प्रसोपा १३ अन्य दल १३ तथा निर्दलीय ४२ हैं। इसके विपरीत १९६२ की लोकसभा में काग्रेस को ३६१ स्वतन्त्र को २२ जनसघ को १४ कम्युनिस्ट पार्टी को २९ ससोपा को ६ और प्रसोपा को १२ सीटें प्राप्त हुई थी।

विवरण से यह स्पष्ट है कि इस बार लोकसभा में लगभग सभी विरोधी दलों ने अपनी स्थिति सुधारी है और काग्रेस का बहुमत बहुत घट गया है। काग्रेस का बहुमत पिछली लोक सभा के ११४ से घटकर इस बार केवल २५ रह गया है।

लोकसभा के कुल ५२० स्थानों में से ५११ पर ही चुनाव हुआ। पाच स्थानों में निर्विरोध चुनाव हो गया। आन्ध्र से—१ असम से—१ जम्मू-कश्मीर से—२ और नागालैण्ड के एकमेव स्थान पर निर्विरोध चुनाव हुआ।

भारतीय लोकतन्त्र की प्रगति

तालिका १

आम चुनाव का वर्ष	कुल मतदाता	कुल वैध मत	प्रतिशत
१९५२	१७ ३२ १३ ६३५	१ ५९ ४४ ४९५	६१ १६
१९५७	१९ ३६ ४६ ९९	१२ ०५ १३ ९१५	६२ २३
१९६२	२१ ६३ ७२ २१५	११ ५१ ६७ ८९०	५३ १३
१९६७	२४ ९ ०३ ३३४	१४ ५८ ९६ ५१	६१ ३३

चतुर्थ महानिर्वाचन में दलों की स्थिति

तालिका २

दल का नाम	लोकसभा कुल स्थान ५२०			विधानसभा कुल स्थान ३४८७		
	सीटें लड़ा	सीटें जीता	जमानत खोई	सीटें लड़ी	सीटें जीती	जमानत खोई
काग्रेस	५११	२७९	७	३४१२	१६६१	१३६
जनसघ	२५१	३५	११३	१६०७	२६८	८५३
स्वतन्त्र पार्टी	१७९	४४	८८	९७८	२५७	४६८
ससोपा	११२	२३	५५	८१३	१८	४१९
कम्युनिस्ट पार्टी	११	२३	४१	६२५	१२१	३१२
कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स)	५८	१९	१४	५११	१२८	१८९
प्रसोपा	१०९	१४	७५	७६८	१ ६	५१२
रिपब्लिकन पार्टी	७०	१	४२	७१८	२३	२८५
अन्य मान्यता प्राप्त दल	७४	७	१६	६०२	२५८	१७८
मान्यता रहित दल	१५	६	७	२२४	८५	९०
निर्दलीय	८६५	३५	७४७	५५८४	३७६ ४४	

तालिका—३

अखिल भारतीय लोकसभा निर्वाचन

विश्लेषण

कुल मतदाता—२४,६०,०३,३३४, कुल मतदान—१५,२७,२४,६११, प्रतिशत—६,१३३, वैध मत—१४,५८,६६,५१०, अवैध मत—६८,३०,४६०, प्रतिशत—४ ६८

दलो को मिले मत

दल का नाम	वैध मत	प्रतिशत
काग्रेस	५,९४,०२,७५४	४० ७३
जनसघ	१,३७,१५,९३१	९ ४१
स्वतन्त्र	१,२६,५९,५४०	८ ६८
ससोपा	७१,७१,६२७	४ ९२
कम्युनिस्ट	७५,६४,१८०	५ १९
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)	६१,४०,७३८	४ २१
प्रसोपा	४४,५६,४८७	३ ०६
रिपब्लिकन	३६,०७,७११	२ ४८
अन्य दल	१,१०,९६,३४२	७ ६२
निर्दलीय	२,००,५१,२००	१३ ७५

विभिन्न राज्यो मे लोकसभा के लिए चुनाव का विश्लेपण अलग-अलग दिया जा रहा है। आकडे केवल उन स्थानो के है जहा मतदान हुआ था। निर्विरोध-निर्वाचनो को इसमे शामिल नही किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश

कुल स्थान—४०, कुल मतदाता—२,०५,६६,०९६, मतदान—१,४१,२४,०९७, रद्द मत—५,५०,०९२।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	४०	३४	६३,५४,६५९	४६ ८२
स्वतत्र पार्टी	१९	३	१८,६५,८९२	१३.७५
जनसघ	६	—	१,९५,३५७	१ ४४
ससोपा	३	—	५६,८९६	० ४२
कम्युनिस्ट	२२	१	१७,१३,५८५	१२ ६२
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	९	—	८,४१,१२३	६ २०
प्रसोपा	१	—	२३,०४६	० १७
रिपब्लिकन	२	—	६८,४५६	० ५०
निर्दलीय	६१	२	२४,५२,६६१	१८ ००

असम

कुल स्थान—१३ कुल मतदाता—५३ २६ ३४१ कुल मतदान—३१ ८७ ३५८ रद्द मत—१ ६६ ५८८ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१३	९	१३ ६६ ७१५	४८ ८४
स्वतन्त्र	१	—	२८ ७११	९६
जनसंघ	३	—	१ ६३ ७९०	५ ४८
ससोपा	२	—	१ १३ ५४३	३ ८०
कम्युनिस्ट	४	१	२ ४७ १०७	८ २७
प्रसोपा	४	२	३ ८२ ४७२	१२ ८०
सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन	१	१	१ १२ ४९२	३ ७७

बिहार

कुल स्थान ५३ कुल मतदाता—२ ७६ ७६ ९४६ कुल मतदान—१ ४१ ५४ ४६४ रद्द मत—६ ३३ १३९ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	५३	३४	४७ ४६ ७२५	३५ १२
ससोपा	३४	७	२४ ३३ २३२	१७ ९३
जनसंघ	४८	१	१५ ०४ १९४	११ १४
प्रसोपा	३२	१	९ ९६ ८२८	७ ३८
कम्युनिस्ट	१७	५	१२ ६२ १५८	९ ३५
कम्युनिस्ट (मा०)	२	—	४१ ७४१	० ३१
स्वतन्त्र	२५	—	४ ५७ २५१	३ ३९
निर्दलीय	१ ३	५	२० ७९ १९६	१५ ३८

गुजरात

कुल स्थान—२४ मतदाता—१ ०६ ९७ ८८८ मतदान—६८ १० ०२६ रद्द मत—३० ७८९ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२४	११	३० ३९ ७८९	४६ ९२
स्वतन्त्र	१९	१०	२३ ८८ ५	३५ ६३
प्रसोपा	३	—	९४ ३९७	१ ४६
महा गुजरात जनता परिषद्	४	१	२ ९६ ०४८	४ ५७
अन्य दल और निर्दलीय	०	२	७४ १८९	११ ४२

हरियाणा

कुल स्थान—६, कुल मतदाता—४३,६७,१४०, कुल मतदान—३१,८५,२०५ रद्द मत—१,३३,०७६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	६	७	१३,४४,८३०	४४ ०६
कम्युनिस्ट	३	—	५१,७५८	१ ७०
कम्युनिस्ट (मा०)	२	—	२५,४७६	० ८३
जनसघ	७	१	६,०५,८८८	१६ ८५
रिपब्लिकन	२	—	७०,६२०	२ ३२
सयुक्त सोशलिस्ट	५	—	१,६७,६०३	५ ५०
स्वतन्त्र	२	—	१,७०,८६१	५ ६०
प्रजा समाजवादी	१	—	१०,६०५	० ३६
निर्दलीय	३६	१	६,०३,५६५	१६.७८

जम्मू व कश्मीर

कुल स्थान—६ (दो निर्विरोध चुने गये), कुल मतदाता—१४,८२,८३८ (४ निर्वाचन क्षेत्रो के), कुल मतदान—८७२,१०४, रद्द मत—२६,४८० ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्जान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	४	३	४,२५,६६८	५० ५२
नेशनल कान्फ्रेस	४	१	२,१०,०२०	२४ ६२
जनसघ	३	—	१,७१,३६७	२० ३४
निर्दलीय	१	—	४,७८१	० ५७
डेमोक्रैटिक नेशनल कान्फ्रेस	१	—	३०,७८८	३ ६५

केरल

कुल स्थान—१६, कुल मतदाता—८६,१५,५५६, कुल मतदान—६५,१७,७८५, रद्द मत—२,४६,२८८ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	१६	१	२२,६७,३६३	३६ १५
स्वतन्त्र पार्टी	३	—	१,४७,००५	२ ३४
जनसघ	४	—	८७,४१६	१ ३६
सगोपा	३	३	५,१६,५०६	८ ३४
कम्युनिस्ट पार्टी	३	३	५,०१,३५३	७ ६६
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	६	६	१५,४०,०२७	२४ ५६
प्रसोपा	१	—	१५,०७२	० २४
केरल काग्रेस	५	—	३,२१,२१६	११.७२
मुस्लिम लीग	२	२	४,१३,८६८	
निर्दलीय	१२	१	४,६१,६१६	७ ३६

मध्य प्रदेश

कुल स्थान—३७ कुल मतदाता—१ ८३ ९३ ३४० कुल मतदान—९८ ३३ ७४३ रद्द मत—५ ७८ ९७० ।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	३७	२४	३७ ७४ ३६४	४० ७८
स्वतन्त्र पार्टी	२	१	२ ५३ ९३९	२ ७४
जनसंघ	३२	१०	२७ ३५ ७३३	२९ ५६
ससोपा	११	—	३ ३७ ६७१	३ ६५
कम्युनिस्ट	६	—	१ ३१ ८९३	१ ४२
प्रसोपा	१५	—	४ ६४ ३०९	५ ०२
रिपब्लिकन	[illegible]	—	१ ८७ ७५४	१ ७
जन कांग्रेस	३	—	१ ३६ ६३१	१ ४८
निर्दलीय	६१	२	१२ ६२ ८३९	१३ ६५

मद्रास

कुल स्थान—३९ कुल मतदाता—२ ८७१ ९६३ कुल मतदान १५ ९२१ ३२४ रद्द मत—४८५ २३० ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	३९	३	६४ ३६ ७१०	४१ ६९
स्वतन्त्र	८	६	१४ १४ २०८	९ ११
जनसंघ	४	—	३३ ६२६	० २२
निर्दलीय	४७	१	६ ५४ ६२८	४ २४
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	२५	२५	८५ २४ ५१४	३५ ७८
प्रसोपा	१	—	१२ १६२	० ०८
कम्युनिस्ट	६	—	१ ७३ २५३	१ ७७
कम्युनिस्ट (मा.)	५	४	१० ८७ ६४२	४ ८५
रिपब्लिकन	२	—	३१ ४५१	० २०

महाराष्ट्र

कुल स्थान—४५ कुल मतदाता—२ २१ ६५ ४५५ कुल मतदान—१ ४३ ३३ ९६६ रद्द मत ७ १३ ७९५ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	४५	३७	६६ १८ १७१	४६ २
पी एण्ड डब्ल्यू	१	०	१ २८ ७५३	७ २
कम्युनिस्ट	७	२	७ ०१ ७४	४ ९
मार्क्स कम्युनिस्ट	५	२	५ १० १२८	३ ६
प्रसोपा	८	१	३ ४७ ३५	२ ५
जनसंघ	२४	—	१ ०६ ३३४	७ ०
रिपब्लिकन	१७	—	१७ २८ ५५८	१२ ०
स्वतन्त्र	४	—	१ ४७ ९००	१ ०
निर्दलीय	४१	१	१५ ३१ ९२५	१० ७

मैसूर

कुल स्थान—२७, कुल मतदाता, १,२७,७८,९९६, कुल मतदान, ८०,४४,०५२, रद्द मत ३,८२,६२६।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२७	१८	३७,५५,३३९	४९ ०२
स्वतन्त्र	११	५	१०,६४,४५८	१४ २९
प्रसोपा	५	२	३,९२,५९७	५ १२
ससोपा	२	१	२,००,३१०	२ ६१
जनसंघ	५	—	१,७२,३९१	२ २५
रिपब्लिकन	३	—	२,३७,२६६	३ १०
कम्युनिस्ट (मा०)	२	—	१,२३,३१९	१ ६१
निर्दलीय	४४	१	१६,८५,७३८	२२ ००

उडीसा

कुल स्थान—२०, कुल मतदाता ९८,८३,१७१, कुल मतदान ४३,१८,७४९, रद्द मत २,५६,७५७।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२०	६	१३,५३,७०४	३३ ३३
स्वतन्त्र	१७	८	१२,५३,८९३	३० ८७
प्रसोपा	५	४	६,५३,८८२	१६ ०१
जनसंघ	२	—	२२,३६८	० ५५
ससोपा	२	१	१,८२,८८६	४ ५०
कम्युनिस्ट	३	—	१,५६,२८२	३ ८५
निर्दलीय	१६	१	४,३८,९७७	१० ८१

पंजाब

कुल स्थान—१३, कुल मतदाता—६३,११,५०१, कुल मतदान—४४,८९,९६३, रद्द मत—२,०४,४४४।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१३	९	१५,९८,५४३	३७ ३१
स्वतन्त्र पार्टी	६	—	१,९९,४०१	४ ६५
जनसंघ	८	१	५,३४,९२८	१२ ४९
ससोपा	१	—	१७,३९९	[illegible]
कम्युनिस्ट	३	—	१,८३,३[illegible]	[illegible] ३८
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी		—	८१,००८	१ ८९

रिपब्लिकन	२	—	१ ११ १८०	२
अकाली दल (संत गुट)	८		६ ६८ ७१२	२० ४
अकाली दल (मास्टर गुट)	७	—	१ ८६ २६०	
निर्दलीय	२५	—	६६ ४६	६ २

राजस्थान

कुल स्थान २ कुल मतदाता १ २१ ७६ ६५ कुल मतदान ७ ६५ ५६० रद्द मत २ ८१ १४१।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२२	१०	२७ ४४ ४६	६ ६५
स्वतन्त्र पार्टी	१६	८	१८ ६ ७ ५	२७ ०६
जनसंघ	७	३	६ ६६ ६ ५	१ ३७
समापा	३	—	१ ७५ ५६	२ ५८
कम्युनिस्ट		—	१ १८ ८४४	१ ७६
कम्युनिस्ट मार्क्स	१	—	७० ६५६	१ ०६
प्रसोपा	१	—	५ ६ ५	८
रिपब्लिकन	१	—	१२ ०७२	१८
निर्दलीय	६४	२	११ ६६ ५४५	१७ १२

उत्तर प्रदेश

कुल स्थान ८५ कुल मतदाता ४ २१ ३१ ४८७ कुल मतदान २ २६ ६६ ८४५ रद्द मत ११ ८३ १७५।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	८५	४७	७१ ६७ १८५	३३ ४
जनसंघ	७७	१२	४६ १६ ०४६	२२ ५८
समापा	४५	८	२२ ५६ ३८५	१ २७
स्वतन्त्र	८	१	१ ५८ ६६८	४ ७७
कम्युनिस्ट	१७	५	८ १६ २४६	३ ७५
कम्युनिस्ट (मा०)	६	१	१ ५३ ६६	७१
रिपब्लिकन	२४	१	८ ८६ २१	६ ७
प्रसोपा	२७	२	८ १५ ५६१	३ ७४
निर्दलीय	१६	८	३७ २० ३ ७	१७ ८

पश्चिमी बंगाल

कुल स्थान ४ कुल मतदाता २ २४६ १६६ कुल मतदान १ ३५ ७० ४४६ रद्द मत ५ ८ ६८।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	५	१४	५१ ५१७	५६ ६६
स्वतन्त्र पार्टी		—	८८ ५६	७७

जनसघ	७	—	१,७८,५०८	१ ३६
ससोपा	३	१	१,६१,२४३	१ ४६
कम्युनिस्ट	११	५	११,७५,७११	६ १४
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	१६	५	२०,१२,५२२	१५ ६५
प्रसोपा	२	१	२,१८,१४६	१ ७०
रिपब्लिकन	१	—	८४,६४४	० ६६
फारवर्ड ब्लाक	६	२	६,२७,६१०	४ ८८
बगला काग्रेस	७	५	१२,०४,३५६	६ ३६
निर्दलीय	४४	७	१६,६५,३०१	१५ २८

दिल्ली ससदीय चुनाव परिणाम

कुल स्थान—७, कुल मतदाता—१६,८४,७१४, कुल मतदान—११,७०,७४३, रद्द मत—४६,५८२ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	७	१	४,३४,६३७	३८ ७६
जनसघ	७	६	५,२३,८६०	४६ ७२
ससोपा	२	—	२,२६५	० २०
रिपब्लिकन	६	—	६३,७०६	५ ६८
निर्दलीय	२४	—	६६,३६३	८ ६०

सघीय क्षेत्रो से लोकसभा के चुनाव परिणाम कुल स्थान—२४

१ अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह एक स्थान काग्रेस को प्राप्त ।
२ चण्डीगढ एक स्थान—जनसघ को प्राप्त ।
३ दादरा और नगर हवेली एक स्थान—काग्रेस को प्राप्त ।
४ दिल्ली कुल सात स्थान, छ जनसघ को और एक काग्रेस को प्राप्त ।
५ गोवा, दमन, दीव कुल दो स्थान—एक काग्रेस को और एक कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त ।
६ हिमाचल प्रदेश कुल छ स्थान—सभी काग्रेस को प्राप्त ।
७ लकादीव, मिनीकाय और अमीन द्वीप समूह एक स्थान निर्दलीय को प्राप्त ।
८ मणिपुर कुल दो स्थान और दोनो काग्रेस को प्राप्त ।
९ पाडिचेरी एक स्थान काग्रेस को प्राप्त ।
१० त्रिपुरा कुल दो स्थान और दोनो काग्रेस को प्राप्त ।

रिपब्लिकन	२	—	११२५८०	२ ६३
अकाली दल (संत गुट)	८	३	६ ६८ ७१२	२७ ४
अकाली दल (मास्टर गुट)	७	—	१८९ २६	
निर्दलीय	२५	—	४ ९९ ३४६	९ २

राजस्थान

कुल स्थान २ कुल मतदाता ४ २१ ७६ २६१ कुल मतदान ७ ६१ ४६० अर्थात २८१ १४१।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२२	१	२७ ४२ ४६४	४९ ९१
स्वतन्त्र पार्टी	१८	८	१८ ६२ ७ १	२७ ०४
जनसंघ	७		६ ९९ ९ ५	१ २७
संसोपा	३	—	१ ७१ ४९३	२ ५८
कम्युनिस्ट		—	१ १८ ८४४	१ ७४
कम्युनिस्ट मार्क्स०	१	—	७० ६५६	१ ४
प्रसोपा	१	—	४ ६०१	० ०८
रिपब्लिकन	१	—	१२ ७२	१८
निर्दलीय	६४	२	११ ६६ ४४३	१७ १४

उत्तर प्रदेश

कुल स्थान ८४ कुल मतदाता ४ २१ ३१ ४९७ कुल मतदान २ २६ ६६ ८५४ अर्थात ११८ १७४।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	८४	४७	७१ ९७ १८३	३३ ०४
जनसंघ	७७	१२	४६ १६ ०४६	२२ ५८
संसोपा	४	८	२२ ३६ १८५	१ २७
स्वतन्त्र	८	१	१० ८ ६६८	४ ७७
कम्युनिस्ट	१७	५	८ १६ २४	७४
कम्युनिस्ट (मा०)	६	१	१ ४४ ६६	■ ७१
रिपब्लिकन	४	१	८ ८६ २१	४ ७
प्रसोपा	१७	७	८ १४ ४६१	३ ७४
निर्दलीय	१६	८	७ २० ७	१७ ८

पश्चिमी बंगाल

कुल स्थान ४० कुल मतदाता २ २४८१ ६ कुल मतदान १ ७० ८४६ अर्थात [illegible] ४८ १।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	४०	१४	४१ ४१७०	६ ६८
स्वतन्त्र पार्टी		—	९८ ४८	० ३३

जनसघ	७	—	१,७८,५०८	१ ३९
ससोपा	३	१	१,९१,२४३	१ ४९
कम्युनिस्ट	११	५	११,७५,७११	९ १४
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	१६	५	२०,१२,५२२	१५ ६५
प्रसोपा	२	१	२,१८,१४६	१ ७०
रिपब्लिकन	१	—	८४,६४४	० ६६
फारवर्ड ब्लाक	६	२	६,२७,९१०	४ ८८
बगला काग्रेस	७	५	१२,०४,३५६	९ ३६
निर्दलीय	४४	७	१९,६५,३०१	१५ २८

दिल्ली ससदीय चुनाव परिणाम

कुल स्थान—७, कुल मतदाता—१६,८४,७१४, कुल मतदान—११,७०,७४३, रद्द मत—४९,५८२ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	७	१	४,३४,९३७	३८ ७९
जनसघ	७	६	५,२३,८६०	४६ ७२
ससोपा	२	—	२,२६५	० २०
रिपब्लिकन	६	—	६३,७०६	५ ६८
निर्दलीय	२४	—	९६,३९३	८ ६०

सघीय क्षेत्रो से लोकसभा के चुनाव परिणाम कुल स्थान—२४

१ अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह एक स्थान काग्रेस को प्राप्त ।
२ चण्डीगढ एक स्थान—जनसघ को प्राप्त ।
३ दादरा और नगर हवेली एक स्थान—काग्रेस को प्राप्त ।
४ दिल्ली कुल सात स्थान, छ जनसघ को और एक काग्रेस को प्राप्त ।
५ गोवा, दमन, दीव . कुल दो स्थान—एक काग्रेस को और एक कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त ।
६ हिमाचल प्रदेश ' कुल छ स्थान—सभी काग्रेस को प्राप्त ।
७ लकादीव, मिनीकाय और अमीन द्वीप समूह एक स्थान निर्दलीय को प्राप्त ।
८ मणिपुर कुल दो स्थान और दोनो काग्रेस को प्राप्त ।
९ पाडिचेरी एक स्थान काग्रेस को प्राप्त ।
१० त्रिपुरा ' कुल दो स्थान और दोनो काग्रेस को प्राप्त ।

विधान सभाओ के चुनाव मे राजनतिक दलो की अखिल भारतीय स्थिति

कुल मतदाता—२४ ७१ ०४ २१३ कुल मतदान—१५ १७ ६३ ७१८ मतदान का प्रतिशत—६१ ४५ वध मत—१४ ३२ ५६ ५०६ रद्द मत—८५ ३५ ०७२ प्रतिशत—५ ६६

विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त मत

दल का नाम	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	४ ७२ ५२ ५७	३६ ६६
जनसंघ	१ २८ ६७ ६१८	८ ७८
स्वतन्त्र	६५ १६ २३१	६ ६५
संसोपा	७४ २४ ६ ३	५ १६
कम्यु [मा०]	५८ ६ ६५२	४ ६
कम्युनिस्ट	५६ ६ १०६	४ १३
प्रसोपा	४८ ६८ ७२०	३ ४०
रिपब्लिकन	२१ ८८ ६७३	१ ५३
अन्य दल तथा निर्दलीय	६६ ४८ ७ १	२८ ८१

विधान सभाओं म स्थानो का विवरण

आन्ध्र प्रदेश २८७ असम १२६ बिहार ३१८ गुजरात १६८ हरियाणा ८१ जम्मू कश्मीर ७५ केरल १३३ मध्य प्रदेश २९६ मद्रास २३४ महाराष्ट्र २७० मसूर २१६ उड़ीसा १४० पंजाब १०४ राजस्थान १८४ उत्तर प्रदेश ४२५ पश्चिम बंगाल २८० नागा लैण्ड ० हिमाचल प्रदेश ६ मणिपुर ० त्रिपुरा ३ । कुल ३४८७।

विधान सभाओ के चुनाव परिणाम

आन्ध्र प्रदेश

कुल स्थान—२८७ कुल मतदाता २ [illegible] ६८ कुल मतदान १ [illegible] ८ [illegible] का ६२ [illegible]।

दल का नाम	लड़े स्थान	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२[illegible]५	१६[illegible]	६२ [illegible] ८७	[illegible] २
स्वतन्त्र	[illegible]	[illegible]	[illegible] ६ [illegible] ८२	६ ८ [illegible]
कम्युनिस्ट	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कम्युनिस्ट [मा]	८	[illegible]	[illegible] ८ [illegible]	७ ६ [illegible]
जनसंघ	८		[illegible] ६ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
संसोपा	८	[illegible]	[illegible] ६६	६
[illegible]		—	८ [illegible]	[illegible]
निर्दलीय	[illegible]	–	[illegible]	५१

असम

कुल स्थान—१२६, कुल मतदाया—५४,४६,३०५, कुल मतदान—३३,६६,२३०, रद्द मत—२,६२,०४६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	११७	७० + (५)*	१३,५४,७४८	४३ ६०
सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन	१०	७	१,०८,४४७	३ ४६
कम्युनिस्ट	२२	७	१,५६,६०५	५ १५
प्रसोपा	३५	५	२,१३,०६४	६ ८६
कम्युनिस्ट (मा०)	१४	—	६१,१६५	१ ९७
ससोपा	१७	४	१,०१,८०२	३ २८
जनसघ	२०	—	५७,१४१	१ ८४
स्वतन्त्र	१३	२	४६,१८७	१ ४६
निर्दलीय	२३६	२५	१०,०४,६६५	३२ ३३

बिहार

कुल स्थान—३१८, कुल मतदाता—२,७८,४३,१९०, कुल मतदान १,४२,६१,५९७, रद्द मत ७,५२,९७४ ।

दल	उम्मीदवार	स्थान प्राप्त	प्राप्त मत	प्रतिशत
कॉग्रेस	३१८	१२८	४४,७६,४६०	३३ ०८
ससोपा	१९९	६८	२३,८५,६६१	१७ ६२
जनमघ	२७१	२६	१४,१०,७२२	१० ४२
प्रसोपा	१८२	१८	९,४२,८८९	६ ९६
कम्युनिस्ट	९७	२४	९,३५,९७७	६ ९१
कम्युनिस्ट (मा०)	३२	४	१,७३,६५६	१ २८
स्वतन्त्र	१२६	३	३,१५,१८४	२ ३३
रिपब्लिकन	२	१	२३,८९३	० १८
निर्दलीय	७९९	४६	२८,७२,१५५	२१ २१

गुजरात

कुल स्थान—१६८, (घोषित परिणाम १६७ (एक चुनाव क्षेत्र मे उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया है।) कुल मतदाता—१,०६,९४,६२२, कुल मतदान—६८,१२,६३१, रद्द मत ४,३१,८०७ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	१६७	९३	२९,१८,८०९	४५ ७४
स्वतन्त्र	१४७	६६	२४,३६,६०१	३८ १९
प्र० सो० पा०	३७	३	२,१२,३१८	३ ३३

* निर्विरोध निर्वाचित ।

कम्युनिस्ट	२२	१९	५,३८,००४	८ ५७
ससोपा	२१	१९	५,२७,६६२	८ ४०
मुस्लिम लीग	१५	१४	४,२४,१५९	६ ५०
स्वतन्त्र	६	—	१३,१०५	० २१
जनसघ	२४	—	५५,५८४	० ८८
प्रसोपा	७	—	१३,९९१	० २२
निर्दलीय	७५	१५	५,३१,७८२	८ ४७

मध्य प्रदेश

कुल स्थान—२९६, कुल मतदाता—१,८३,९४,८४६, कुल मतदान—९८,३९,१५०, रद्द मत ७,२३,७९० ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	२९६	१६७	३७,०९,०३५	४० ६९
स्वतन्त्र पार्टी	२१	७	२,३२,०९९	२ ५५
जनसघ	२६५	७८	२५,७८,११९	२८ २८
ससोपा	११४	१०	४,८१,०८०	५ २८
कम्युनिस्ट	३३	१	१,०१,४२९	१ ११
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)	९	—	२०,७२८	० २३
प्रसोपा	११०	९	४,२६,८४३	४ ६८
रिपब्लिकन	३८	—	७६,७७९	० ८४
जन काग्रेस	३३	२	१,३८,९८२	१ ५२
निर्दलीय	६३४	२२	१३,५०,२६९	१४ ८१

मद्रास

कुल स्थान—२३४, कुल मतदाता—२,०७,९३,३६७, कुल मतदान—१,५९,२५,७९६ रद्द मत—६,१५,०६६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	२३४	५०	६२,८४,२७७	४१ ०४
द्रविड मुन्नेत्र कडगम	१७४	१३८	६२,४२,६९५	४० ७७
स्वतन्त्र	२७	२०	८,११,२३२	५ ३०
कम्युनिस्ट	३२	२	२,७५,९३२	१ ८०
कम्युनिस्ट (मा०)	२२	११	६,२३,११४	४ ०७
जनसघ	२४	—	२२,७४५	० १५
प्रसोपा	४	४	१,३६,१८८	० ८९
ससोपा	३	२	८४,१८८	० ५५
रिपब्लिकन	१३	—	३१,२८६	० २०
निर्दलीय	२४५	७	७,९९,०४५	५ २२

महाराष्ट्र

कुल स्थान—२७० कुल मतदाता—२ २१ ८७ ३१३ कुल मतदान—१ ४१ ४६ ७३३ रद्द मत—८ ८७ ४ ६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२७०	२०३ (१)*	६३ ८८ ३६४	४७ ०३
जनसंघ	१६५	४	१० ६४ ३६४	८ १८
पीज़न्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	५९	१९	१० ८ ४६१	७ ९९
रिपब्लिकन पार्टी	७९	५	८६ १३३	६ ६६
संसोपा	४८	४	६ १६ ४६६	४ ६९
प्रसोपा	६१	८	५ ० ६८	३ ८६
स्वतन्त्र	४	—	१ ५ १०१	१ १४
कम्युनिस्ट	४१	१०	६ ५१ ०७७	४ ८७
कम्युनिस्ट (मा०)	११	१	१ ४५ ०८	१ ०८
निर्दलीय	४६४	१६	१६ ४६ ६२६	१६ ५६

मसूर

कुल स्थान—२१६ कुल मतदाता—१ २६ १६ १६२ कुल मतदान—७६ १४ ४१६ रद्द मत ४ ८४ ५०६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२१६	१२४+(२)*	३६ ५१ ०९०	४८ ६२
स्वतन्त्र	४५	१६	४ ९७ ०५५	६ ६२
कम्युनिस्ट	६	१	३८ ७ ७	० ५२
कम्युनिस्ट (मा०)	१	१	८२ ५३१	१ १
जनसंघ	५७	४	२ ११ ९६६	२ ८२
प्रसोपा	५२	२०	६ ६६ ६६२	८ ८८
संसोपा	१७	६	१ ८५ २२२	४ ४७
रिपब्लिकन	१२	१	५७ ७३९	० ७७
निर्दलीय	३८२	४१	२१ ६७ ८९२	२८ २१

उडीसा

कुल स्थान—१४० कुल मतदाता—९८ ७३ ५७ कुल मतदान—४३ ४८ ८३८ रद्द मत ३ २ ५४५ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१४	३१	१२ ३५ १४९	३ ६६
स्वतन्त्र	१०१	४९	९ ९ ४२१	२२ ५८
प्रसोपा	३३	२१	४ ९३ ७५	१२ २६
कम्युनिस्ट	५१	७	२ ११ ९९९	५ २६

* निर्विरोध निर्वाचित ।

ससोपा	६	२	६१,४२६	१ ५२
जनसघ	१६	—	२१,७८८	० ५४
जन-काग्रेस	४७	२६	५,४२,७३४	१३ ८७
कम्युनिस्ट (मार्क्स०)	१०	१	४६,५६७	१ १६
निर्दलीय	२१३	३	५,०५,३६४	१२ ३५

पजाब

कुल स्थान—१०४, कुल मतदाता—६३,११,६६३, कुल मतदान—४४,६०,३६६, रद्दमत २,३४,९२८ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	१००	४७	१५,५६,५७३	३८ ५६
शि अ द (तारा)	६१	२	१,७८,७४६	४ २०
शि अ द (मत)	५६	२४	८,७१,७४२	२० ४८
जनसघ	४६	६	४,२८,६२१	६ ०८
कम्युनिस्ट	२०	५	२,२४,५३१	५ २७
कम्युनिस्ट (मा)	१२	३	१,३५,८२०	३ १६
रिपब्लिकन	१७	३	७६,०८६	१ ७६
स्वतन्त्र	१०	—	२१,५०६	० ५१
प्रसोपा	६	—	२१,६३५	० ५१
ससोपा	८	१	३०,५६१	० ७२
निर्दलीय	२५७	१०	७,२०,६५६	१६ ६४

राजस्थान

कुल स्थान—१८४, कुल मतदाता—१,२२,०३,६२६, कुल मतदान—७१,०८,३८,७७३ रद्द मत ३,४८ ४३१ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	१८२	८६	२७,६८,४११	४१ ४२
स्वतन्त्र	१०७	४८	१४,६३,०१८	२२ १०
जनसघ	६३	२२	७,८६,६०६	११ ६६
कम्युनिस्ट	२०	१	६५,५३१	० ६७
कम्युनिस्ट (मा०)	२२	—	७६,८७६	१ १८
प्रसोपा	१७	—	५४,६१८	० ८१
ससोपा	३८	८	३,११,५७८	४ ७६
रिपब्लिकन	५	—	८,६३७	० १३
निर्दलीय	४३८	१६	११,८८,५८५	१६ ६४

उत्तर प्रदेश

कुल स्थान—४२५ कुल मतदाता—४२१ ४८ ९९ कुल मतदान—२ ८९ ३१९
रद्द मत—१५ २१ ७५२ ।

दल	उम्मीदवारों की संख्या	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	४२५	१९९	९९ ५५ १०८	३
स्वतंत्र पार्टी	२ ७	१२	१ १६ २८४	१ ३
जनसंघ	४०१	९८	४६ ११ ३ ८	१ ६७
संसोपा	२५४	४४	२१ ४ ९ ४	९ ९३
कम्युनिस्ट	९६	१	९२ ९४२	
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)	५७	१	२ ७२ ५६५	१ ०७
प्रसोपा	१६७	११	६ ७८ ७ ८	४ ०९
रिपब्लिकन	१६८	१	८८९ १०	४ १४
निर्दलीय	१२ ८	२७	४० १२ १८६	१८ ९

पश्चिम बंगाल

कुल स्थान—२८ मतदाता—२ ०२ ४० ०९८ कुल मतदान—१ ३ ७८ ४२८
रद्द मत—७ १५ ३९८ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२८०	१२७	५२ ०७ ९	४१ १०
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)	१३५	४३	२२ ९३ ०२६	१८ ११
कम्युनिस्ट	६२	१६	८ २७ १९६	६ ५
फारवर्ड ब्लाक	४२	१	५ ६१ १४८	४ ४३
प्रसोपा	६	७	२ ३८ ९९४	१ ९८
संसोपा	२६	७	२ ६९ २ ४	२ १३
जनसंघ	५८	१	१ ६७ ९ ४	१
स्वतंत्र	२१	१	१ ०२ ५३६	० ८१
रिपब्लिकन	१	—	१ २१०	० १
निर्दलीय	४०७	६५	२९ ९४ ९	२ ६५

गोवा दमन दीव

कुल स्थान—२ कुल मतदाता—४ १८ ४०४ कुल मतदान—२ ८५ ५७१
रद्द मत—१ ५ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
प्रसोपा	८	—	२	१ १०
महाराष्ट्रवादी गोमान्तक दल	२६	१६	१ ११ ११	८१ २८
युनाइटेड गोवाज फुर्तादो गुट		—	७ ८८१	
युनाइटेड गोवाज सी क्वैरा गुट	३०	१२	१ ४४२६	
निर्दलीय	११८	२	४८ ४७१	१७ ६३

प्रसोपा के अलावा किसी अन्य अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ने गोवा विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा।

हिमाचल प्रदेश

कुल स्थान—६०, कुल मतदाता—१५,८२,१०३, कुल मतदान—८,१०,३५३, रद्द मत—४४,२३४ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	६०	३४	३,२३,२४७	४२ १९
स्वतन्त्र पार्टी	५	१	१४,७६७	१ ९३
जनसघ	३३	७	१,०६,२९१	१३ ८८
ससोपा	१	—	६७९	० ०९
कम्युनिस्ट	११	२	२२,१७३	२ ८९
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	६	—	३,०१९	० ३९
प्रसोपा	२	—	२८३	० ०४
रिपब्लिकन	४	—	—	
निर्दलीय	१४७	१६	२,९१,८८४	३८ १०

मणिपुर

कुल स्थान—३०, कुल मतदाता—४,६८,७०७, कुल मतदान—३,२३,८५८, रद्द मत—११,८४३ ।

दल	उम्मीदवार की सख्या	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	२८	१५+(१)*	१,०१,५०४	३२ ५३
ससोपा	१२	४	३६,५२०	११ ७०
कम्युनिस्ट	६	१	१७,०६२	५ ४७
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	५	—	२,०९३	० ६७
प्रसोपा	५	—	२,४१७	० ७७
निर्दलीय	९९	९	१,५२,४१९	४८ ८५

त्रिपुरा

कुल स्थान—३०, कुल मतदाता—६,०५,९३४, कुल मतदान—४,५०,३३४, रद्द मत—१६,६४२ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	३०	२७	२,५१,३४५	५७.९५
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	१६	२	९३,७३९	२१ ६१
कम्युनिस्ट	७	१	३४,५६२	९ ९७
जनसघ	५	—	१,५०६	० ३५
ससोपा	१	—	८३	० ०२
निर्दलीय	२८	—	५२,४५७	१२ १४

* निर्विरोध प्राप्त स्थान

राजनैतिक दलों की स्थिति

भारत के लोकतंत्र में राजनैतिक दलों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। लोकसभा और विधानसभा में बहुमत वाला राजनैतिक दल ही सत्तारूढ़ होता है। चुनाव के अवसर पर राजनैतिक दल अपनी नीतियों और भावी कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं तथा उनके आधार पर जनता से समर्थन की माँग करते हैं। अतः किस दल को कितना समर्थन प्राप्त होता है इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता ने कब किस प्रकार की विचारधारा को कैसा समर्थन दिया।

चार आम चुनावों में राजनैतिक दलों की स्थिति और प्रगति का विवरण आगे दी गई तालिकाओं से स्पष्ट होता है।

विभिन्न दलों को आम चुनावों में मिले स्थान और मत
लोकसभा

दल	१९६७ सीट	१९६७ मत	१९६७ प्रतिशत	१९६२ सीट	१९६२ मत	१९६२ प्रतिशत	१९५७ सीट	१९५७ मत	१९५७ प्रतिशत	१९५२ सीट	१९५२ मत	१९५२ प्रतिशत
कांग्रेस	२ ८	८ ६४ २ ७८४	४० ७३	३६२	५ १५ ६६ ४	४४ ७२	३७१	४ ७८ ७६ ५६३	४७ ७८	३६४	४ ७६ ६५ ८७८	४५
जनसंघ	३५	१ ७१५ ६ १	९ ४१	१४	७४ १५ १७	६४	४	७१ ४६ ८२४	५ ९३	३	२ ४६ ७८८	१
कम्युनिस्ट	२३	७५ ६ ९०	५ १९	२९	१ १४५ ३७	९ ९४	२७	१ ०५६ ०७१	८ ९२	१६	४६ ८४ ४०१	
कम्युनिस्ट (मा)	१९	६१४ ७ ८	४ २१	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्वतंत्र	४४	१ २६ ४६ ४६	८ ६८	२२	९ ८५ २५२	७ ९८	—	—	—	—	—	—
समोपा	२३	७१ ०१ २७	४ ९२	६	३० ९९ ९७	२ ८	—	—	—	—	—	—
प्रसोपा	१३	४४५ ८८७	३ ०६	१२	७८ ४८ ५४३	८१	१९	१ ०५ ४१ ६६६	१ ४१	—	—	—

कांग्रेस की प्रगति

लोक सभा

चुनाव वर्ष	कुल स्थान	कांग्रेस द्वारा लडी गई सीटे	कांग्रेस को मिली सीटे	कांग्रेस को मिले मत	कुल मतो का प्रतिशत
१९५२	४८९	४७२	३६४	४,७६,६५,८७५	४५ ०
१९५७	४९४	४९०	३७१	५,७५,७९,५९३	४७ ७८
१९६२	४९४	४८८	३६१	५,१५,०९,०८४	४४ ७२
१९६७	५२०	५११	२७९	५,९,४०२,७५४	४०.७३

कांग्रेस की प्रगति

विधान सभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटे	कांग्रेस द्वारा लडी गई सीटे	कांग्रेस को प्राप्त सीटे	कांग्रेस को मिले मत	कुल मतो का प्रतिशत
१९५२	३,१९९	३,०७५	२,२४६	४,४८,०२,५४६	४२ १९
१९५७	३,१०२	३,०७६	२,०३८	५,५६,६१,१६५	४५ ६५
१९६२	३,३३४	३,२५६	१,९५७	५,०५,४६,८३७	४३ ६१
१९६७	३,४८७	३,४१२	१,६६१	५,७२,५२,३५७	३९ ९६

जनमघ लोक-मभा

१९५२	४८९	९३	३	३२,४६,४८८	३ १
१९५७	४९४	१३३	४	७१,२९,८२४	५ ९३
१९६२	४९४	१९६	१४	७४,१५,१७०	६ ४४
१९६७	५२०	२५१	३५	१,३७,१५,९३१	९ ४१

जनसघ की प्रगति विधान सभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटे	लडी गयी मीटे	प्राप्त मीटे	प्राप्त मत	प्रतिगत
१९५२	३१,९९	६७६	३६	२८,६६,५६६	२ ६९
१९५७	३१,०२	५८४	४६	४३,८०,६३८	३ ६
१९६२	३३,५४	१,१६८	११६	६४,३६,७६४	४ ५,५
१९६७	३४,८७	१,६०७	२६८	१,२५,६७,६१८	८ ७८

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी—लोक मभा

चुनाव वर्ग	कुल मीटे	लडी गई मीटें	प्राप्त मीटे	प्राप्त मत	प्रतिशत
१९५२	४८९	४९	१६	३४,८४,०७५	३ ३
१९५७	४९४	४०९	२७	१,०७,५४,०७५	८ ९२
१९६२	४९४	१३७	२९	१,१४,५०,०३५	९ ९४
१९६७		कम्यु० ११०	२३	७५,६४,१८८	५ १९
	५२०	मार्क्स० ५०	१९	६१,४० ७३८	४ २१

कम्युनिस्ट पार्टी—विधानसभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटें	लड़ी गई सीटें	प्राप्त सीटें	प्राप्त मत	प्रतिशत
१९५२	३१९९	४९४	१ ६	४१ ५२५ ७	४ ५८
१९५७	१०२	८१२	१७७	१ १४, ७१९२	८ ३४
१९६	३ ५५४	९९४	१९६	१ २४ ४१	१० ७
१९ ७	३ ४८७ कम्यु०	६७५	१२१	५९ ६ १०९	४ १
	मार्क्स	५११	१२८	६५ ७६ ६५२	४ ६

प्रजा समाजवादी दल—लोकसभा

नोट १९५२ के चुनाव म किसान मजदूर प्रजा पार्टी व सोशलिस्ट पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इन्हें मिला कर प्रजासमाजवादी दल बनाया गया।

चुनाव वर्ष	कुल सीटें	सीटें लड़ी	सीटें मिली	मिले मत	प्रतिशत
१९५२	४८९	४०१	२६	१ ७३ ७३ ३५७	१६ ४
१९५७	४९४	१९४	१९	१ २५ ४२ ६६६	१० ४१
१९६२	४९४	१६८	१२	७८ ४८ ४५	६ ८१
१९६७	५२	१०९	१३	४४ ५६ ४८७	३ ०

प्रजासमाजवादी दल—विधानसभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटें	सीटें लड़ी	सीटें मिली	मिले मत	प्रतिशत
१९५२	१९९	२ ७६३	१९७	१ ५ २२ २५३	१४ ८२
१९५७	३ १ २	१ १५४	२०८	१ १८ ८१ ९४	९ ७४
१९६२	५	१ १५१	१७९	८८ १९ १८	६ ६१
१९ ७	४८७	७९९	१ ६	४८ ९८ ४२०	५ ४

स्वतन्त्र पार्टी—लोकसभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटें	लड़ी गई सीटें	प्राप्त सीटें	मिले मत	प्रतिशत
१९६२	४९४	१७	२२	९० ८५ २५५	७ ८९
१९ ७	५२०	१७९	४४	१ २६ ५८ ५४०	८ ९

स्वतन्त्र पार्टी—विधानसभा

१९६५	४	१ ३६	२ ६	७७ ७८ ५ ९	७ ४
१९६७	४८७	९७८	२५७	९५ १९ २३१	६ ६५

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी—लोकसभा

१९	४९४	—	६	९९ ९७	२ ९९
१९ ७	५०	१२२	२५	७१ ७१ ६२७	४ ९२

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी—विधानसभा

१९ २	४	—	६२	८ ४८८ ४	२ ७१
१९६७	४ ७	८१५	१८०	७४ २४ ६५	५ १९

राजनैतिक दलों की मान्यता

चौथे आम चुनाव मे विभिन्न राजनैतिक दलो को लोकसभा और विधानसभाओ के लिए प्राप्त मतो का चुनाव आयोग ने विश्लेषण किया है और उसके आधार पर दलो को चुनाव चिह्न के प्रयोग के लिए मान्यता प्रदान की है।

किसी भी दल को एक राज्य या सघीय क्षेत्र मे मान्यता के लिए आवश्यक है कि उसके उम्मीदवारो को कुल वैध मतो का चार प्रतिशत से कम मत नही प्राप्त हुआ हो। इस गणना मे उन उम्मीदवारो के मत नही जोडे जाते, जिनकी जमानत जब्त हो जाती है।

चौथे आम चुनाव के परिणामो के आधार पर सात राजनैतिक दलो को "बहुराज्यीय दल" के रूप मे मान्यता दी गई है।

१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—सभी राज्य (नागालैंड को छोडकर) और सभी सघीय क्षेत्र (गोवा, दमन और दीव तथा लकादीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीपो को छोड कर)

२ स्वतन्त्र पार्टी— आध्र, गुजरात, हरियाणा, मैसूर, मद्रास, उडीसा, राजस्थान, चण्डीगढ और हिमाचल-प्रदेश

३ भारतीय जनसघ— बिहार, हरियाणा, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, पजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, चण्डीगढ, दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश

४. सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी— बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और मणिपुर

५ कम्युनिस्ट पार्टी— आन्ध्र, असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उडीसा, पजाब, पश्चिमी बगाल, मणिपुर और त्रिपुरा।

६. कम्युनिस्ट पार्टी [मार्क्स]—आन्ध्र, केरल, मद्रास, पश्चिमी बगाल, दादरा और नगर हवेली तथा त्रिपुरा।

७. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी— असम, उडीसा, बिहार और मैसूर।

तीसरे आम चुनाव के बाद रिपब्लिकन पार्टी को महाराष्ट्र, पजाब और हिमाचल प्रदेश मे मान्यता मिली थी तथा बहुराज्यीय दल हो गया था परन्तु चौथे आम चुनाव मे केवल महाराष्ट्र मे ही उसे मान्यता प्राप्त हो सकी है।

मध्यावधि चुनावों का कारण

देश की सरकारे कानून और समयो के अन्तर्गत चुने गये जन-प्रतिनिधियो द्वारा बनती और चलती है और चुनाव मे खुद राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है। नियम मे उस दल की सरकार बनती है।

चौथे आम चुनाव के पूर्व तक देश मे कांग्रेस दल की सरकारे बनती रही और शासन व्यवस्था चलती रही। चौथे आम चुनाव मे कांग्रेस दल केन्द्र मे बना रहा किन्तु राज्यो मे कुछ सरकारे नही बना सका। अन्य राजनीतिक दलो की या गैर-कांग्रेसी दलो की सयुक्त

सरकार बना। इस प्रकार की बहुत सरकारों में कई विधायक दल बदल कर इधर उधर गये और प्रतिनिधि अपने दल त्याग कर दूसरे दलों में शामिल हो गये। यद्यपि राज्यों में इस दल बदल समस्या ने गम्भीरता पैदा कर दी। इस कई राज्यों में एक के बाद एक सरकारें गिरती और नई सरकारें बनती रही और अन्त में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि किसी स्थायी सरकार का बनना ही असम्भव हो गया। इसका परिणाम राष्ट्रपति शासन के रूप में हुआ। हरियाणा, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हरियाणा में मध्यावधि चुनाव हो भी गया है और अन्य राज्यों में इस वर्ष के अन्त या अगले वर्ष के आरम्भ में होने जा रहा है।

दल बदल की समस्या ने भारतीय राजनीति को बहुत अस्थिर कर दिया है। चौथे आम चुनाव के बाद जब भी किसी राज्य की सरकार का तख्ता उलटा है तब उसका मूल कारण दल बदल ही रहा है। गृह मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय अपने ढंग से इस का उपचार करने की सोच रहे हैं। ये जन प्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन कर इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है।

विभिन्न राज्यों में १.३.६७ से ३०.६.६८ मध्य के हुए उप चुनावों के परिणाम

संसदीय चुनाव क्षेत्र				विजित दल	
क्रम	राज्य	चुनाव क्षेत्र	उप चुनाव की तारीख	उप चुनाव	अन्य चुनाव
१	आन्ध्र	१—श्रीकाकुलम	२८.४.६७	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र
२	असम	४—कोकराझार	१.८.६७	कांग्रेस	कांग्रेस
	बिहार	४६—हजारीबाग	.५.६८	स्वतन्त्र	आजाद
४	बिहार	मोतीपुर	२.६.६८	आजाद	आजाद
५	गुजरात	७—भावनगर	२४.४.६७	कांग्रेस	कांग्रेस
६	जम्मू-कश्मीर	५—ऊधमपुर	१. .६७	कांग्रेस	कांग्रेस
७	मध्य प्रदेश	४—गुना	३०.४.६७	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र
८	मद्रास	२—मद्रास दक्षिण	७.११.६७	द्रमुक	द्रमुक
९	महाराष्ट्र	८—बम्बई उत्तर पश्चिम	२४.४.६७	कांग्रेस	कांग्रेस
१	मैसूर	१३—मान्या	२४.१.६८	प्रसोपा	कम्युनिस्ट
११	राजस्थान	५—दौसा	२६.४.६८	कांग्रेस	कांग्रेस
१	उत्तर प्रदेश	४४—घोसी	५.५.६८	कम्युनिस्ट	स्वतन्त्र
१	प. बंगाल	१०—कृष्ण नगर	१९.५.६८	कांग्रेस	आजाद

हरियाणा मध्यावधि चुनाव परिणाम

कुल स्थान—८१, कुल मतदाना—४५,५१,७६७, कुल मतदान—२६,०६,७८०, रद्द मत—६४,६६४।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	८१	४८	११,१४,३०६	४३.८३
जनसंघ	४२	७	२,६५,७२६	१०.४६
स्वतन्त्र पार्टी	३२	२	२,०६,८४३	८.१८
कम्युनिस्ट	३	—	८,२१०	३२
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)	१	—	३,६३२	१४
प्रसोपा	२	—	१,८०१	.०७
ससोपा	८	—	२३,६३७	.६४
विशाल हरियाणा	२६	१३	३५६,६८३	१४.०८
भारतीय क्रान्ति दल	६	१	३७,००५	१.४६
रिपब्लिकन	१३	१	२१,६१३	.३५
आजाद	१७	६	५,००,०१८	१६.६७

सरकारें बना। इस प्रकार की बना सरारा म व निन्नीय स्यग वह दनाय जा प्रति निधि अपन दन त्याग करके दूसरे दला म शामिन हो गय। वधानिक गव न होग न म वन्न समस्या न गड़बड़ी पदा कर दी। इस कई राज्या म एक वे बा एक सरकारें गिरती और नई सरकारें बनती रही और अत म ऐसी स्थिति उत्पन हा गई कि किसी स्थाया सरकार का बनना ही असम्भव हा गया। इसका परिणाम राष्ट्रपति शासन क रूप म हुआ। परियाणा प बगान उत्तर प्रदेश और बिहार म राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हरियाणा म मध्यावधि चुनाव हो भी गया है और अय राज्या म इस वप वे अन्त या अगले वष क आरम्भ म हान जा रहा है।

दल बदल की समस्या ने भारतीय राजनीति को बन्न अस्थिर कर दिया है। चौथ आम चुनाव क बाद जब भी किसी राज्य की सरकार का तख्ता उलटा है तब उसका मुख कारण दल बदल ही रहा है। गृह मत्रालय और विधि मन्त्रालय अपन ढग स इस का उपचार करन की सोच रहे हैं। वे जन प्रतिनिधि अधिनियम म सशोधन कर इसके लिये सविधान म भी सशोधन किया जा सकता है।

विभि न राज्यो मे १ ३ ६७ स ३० ६ ६८ म यव हुए उप चुनावो क परिणाम

ससदीय चुनाव क्षेत्र				विजित दल	
क्रम	राज्य	चुनाव क्षेत्र	उप चुनाव की तारीख	उप चुनाव	आम चुनाव
१	आन्ध्र	१—श्रीकाकुलम	२८ ४ ६७	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र
२	असम	५—कोकराझार	१ ८ ६७	कांग्रेस	कांग्रेस
	बिहार	४५—हजारीबाग	४ ४ ६८	स्वतन्त्र	आजाद
४	बिहार	माधोपुर	२ ६ ६८	आजाद	आजाद
५	गुजरात	७—भावनगर	२४ ४ ६७	कांग्रेस	कांग्रेस
६	जम्मू-कश्मीर	३—ऊधमपुर	१० ७ ६७	कांग्रेस	कांग्रेस
७	मध्य प्रदेश	४—गुना	४ ४ ६७	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र
८	मद्रास	२—मद्रास दक्षिण	७ ११ ६७	द्रमुक	द्रमुक
९	महाराष्ट्र	८—बम्बई उत्तर पश्चिम	२४ ४ ६७	कांग्रेस	कांग्रेस
१	मणिपुर	१—मान्या	२४ १ ६८	प्रसोपा	कम्युनिस्ट
११	राजस्थान	४—दौसा	२९ ४ ६८	कांग्रेस	कांग्रेस
१	उत्तर प्रदेश	६४—घागी	४ ६८	कम्युनिस्ट	स्वतन्त्र
१	प बगाल	१०—कृष्ण नगर	१९ ४ ६८	कांग्रेस	आजाद

हरियाणा मध्यावधि चुनाव परिणाम

कुल स्थान—८१, कुल मतदाता—४५,५१,७६७, कुल मतदान—२६,०६,७८०, रद्द मत—६४,६६४।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	८१	४८	११,१४,३०६	४३.८३
जनसंघ	४२	७	२,६५,७२६	१०.४६
स्वतन्त्र पार्टी	३२	२	२,०६,८४३	८ १८
कम्युनिस्ट	३	—	८,२१०	३२
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)	१	—	३,६३२	.१४
प्रसोपा	२	—	१,८०१	.०७
ससोपा	८	—	२३,६३७	.९४
विशाल हरियाणा	२६	१३	३५६,९८३	१४.०८
भारतीय क्रान्ति दल	६	१	३७,००५	१.४६
रिपब्लिकन	१३	१	२१,६१३	.३५
आजाद	१७	६	५,००,०१८	१६.६७

: ८ :

भारत की रक्षा-व्यवस्था

भारत की वर्तमान सेना यद्यपि राष्ट्रीय सेना है, पर इसके सगठन और शिक्षा-दीक्षा का मूलाधार ब्रिटिश ही है। इसके नाम-धाम भी अग्रेजी मे है।

भारत की समस्त सेवाओ के सर्वोच्च अधिकारी, सविधान के अनुसार, राष्ट्रपति है। प्रशासन और कार्यवाही का दायित्व रक्षा मन्त्रालय और सेना की तीनो शाखाओ के मुख्यालयो (केन्द्रो) पर है।

सुरक्षा-सगठन का दायित्व रक्षा मन्त्रालय पर है। मुख्य दायित्व ये है—(१) तीनो सेनाओ का विकास तथा गतिविधि व इन दोनो मे समन्वय, (२) सरकार से नीति सम्बन्धी निर्णय प्राप्त करना, उन्हे तीनो सेना मुख्यालयो तक पहुचाना और उनका परिपालन करवाना तथा (३) ससद से सुरक्षा व्ययो के लिये आवश्यक धन स्वीकृत करवाना।

संगठन

तीनो सेनाओ का दायित्व सुरक्षा मन्त्रालय का है, पर तीनो का कार्यपालन अपने-अपने प्रधान या अध्यक्षो के अन्तर्गत होता हे।

'चीफ ऑफ दी स्टाफ' के मुख्यालय नई दिल्ली मे है। अपनी-अपनी सेनाओ की गतिविधि का नियन्त्रण यही करता है। तीनो सेनाओ के अध्यक्षो से बने मण्डल और उसके विस्तार का ही नाम 'चीफ ऑफ दी स्टाफ' है।

गत वर्ष रक्षा सगठन मे ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये —

१ स्वतन्त्र रक्षा-पूर्ति विभाग (डिफेन्स सप्लाई) की स्थापना। इसका काम रक्षा-कार्यो मे उपयोगी बाहर से मगाई जाती वस्तुओ के स्वदेशी उत्पादन व तत्सबधी कार्य व रक्षा अनुसन्धान तथा विकास सगठन के कार्यो और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान और विकास कार्यो मे तालमेल रखना है।

२ रक्षा मन्त्रालय मे एक आयोजना कोश की स्थापना। यह एक अपर सचिव के अधीन काम करती है। इसका काम रक्षा विकास योजना के उन सभी पक्षो पर, जिनका रक्षा प्रयत्नो पर प्रभाव पडता हे, विचार करना तथा इनमे से प्राथमिकता का निर्णय करना है।

३. स्थल सेना और वायु सेना के अध्यक्षो का कार्यकाल ४ वर्ष से घटाकर ३ वर्ष कर दिया गया। नौसेनाध्यक्ष का कार्यकाल ३ वर्ष का ही है।

४ 'चीफ ऑफ एयर स्टाफ' की पदवृद्धि कर 'एयर चीफ मार्शल' बनाया गया।

स्थल सेना

इसका एक अध्यक्ष या प्रधान होता है जो स्थल सेनाध्यक्ष कहलाता है। इसकी सहायता के लिए उपसेनाध्यक्ष तथा चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर होते हैं। ये चार क्रमशः डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ एडजुटेण्ट जनरल क्वाटर मास्टर जनरल तथा मास्टर जनरल आफ आर्डिनेंस कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त शाखा मुख्य होते हैं जो सैनिक सचिव तथा इंजीनियर इन चीफ (मुख्य अभियन्ता) कहाते हैं।

स्थल सेना की विभिन्न शाखाएं हैं

१ जनरल स्टाफ ब्राच—इसके दो काय हैं (१) स्थल सेना का संगठन व काय नियोजन सैनिक काय जासूसी प्रशिक्षण युद्ध-कौशल का विकास और सैनिक सर्वेक्षण व इंजीनियरिंग स्टाफ के मामले। इनका निपटारा उपसेनाध्यक्ष करते हैं। (२) स य सम्बन्धी काम हथियार व साज सामान चुनना तथा तत्सम्बन्धी नीति का समन्वय। ये काय डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ करते हैं। इसके विभिन्न कार्यों के लिये ११ निदेशालय हैं।

२ एडजुटेण्ट जनरल ब्राच—यह जन शक्ति भर्ती छुट्टी वेतन भत्ता व पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों व अनुशासनिक काय एवं कल्याण स्वास्थ्य तथा सैनिक कानून के काय देखती है।

३ क्वाटर मास्टर जनरल ब्राच—कमचारियों भण्डार तथा साज-सामानों का सचालन भण्डार निर्माण खाद्य पदार्थ चारा तथा इंधन का निरीक्षण व सम्प्रेषण सैनिक फाम रिमाउण्ट तथा पशु चिकित्सा सेवाएं सैनिक डाक-सेवा श्रम तथा कैंटीन सेवाएं (तीन निदेशालय) तथा निर्माण कार्यों के मुख्य तकनीकी निरीक्षक इसके अन्तगत आते हैं।

४ मास्टर जनरल आफ आडनेंस ब्राच—इसके अधीन तीन निदेशालय हैं—आर्डिनेंस सेवा रक्षा सामग्री का अजन विकास संगठन तथा बिजली व मकेनिकल इंजीनियस। इसका मुख्य काय स य सामग्रियों की आपूर्ति तथा सभी मकेनिकल तथा इलक्ट्रिकल सैनिक सामग्रियों की निगरानी मरम्मत और रख रखाव है। नौसेना तथा वायुसेना के काम के साधारण सामान भी इसमें शामिल है।

५ मिलिटरी सेक्रटरी ब्राच—यह सैनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत अभिलेख (रिकार्ड स) रखता है तथा उनके पदस्थापन स्थानान्तरण प्रोन्नति तथा काय निवृत्ति व मानाह सेवग का स्वीकृति आदि के लिये उत्तरदायी है।

६ इंजीनियर इन-चीफ ब्राच—इंजीनियर इन चीफ कोर आफ इंजीनियस का प्रधान होता है तथा तीनों सेनाध्यक्षों व आर्डनेंस फक्टरियों के महानिदेशक को इंजीनियरिंग सम्बन्धी मामलों में राय देता है। इसके अधीन अनेक निदेशालय हैं।

नौसेना

इसका मुख्य चीफ आफ नेवल स्टाफ है। इसके नीचे चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर और एक नेवल सेक्रेटरी है। अफसर और उनके काय विषय ये हैं —

१. **डिप्टी चीफ आफ नेवल स्टाफ**—सक्रियाए, योजनाए, हथियार सबधी नीति, नौसेना-जासूसी, नौसचार व्यवस्था, सामुद्रिक सर्वेक्षण तथा निर्माण योजनाए।

२ **चीफ आफ पर्सोनेल**—भर्ती सेवा के नियम व शर्ते प्रशिक्षण, नौसेना के सैनिक व असैनिक कार्मिको के कल्याण, अनुशासन, शिक्षा, चिकित्सा, रसद और नौसेना के वैधानिक मामले।

३ **चीफ आफ मेटीरियल**—जहाजो, हथियार और साज-सामान, नौसेना डॉकयार्ड और हथियारो की व्यवस्था, शस्त्रो की देखभाल तथा नौसेना इजीनियरिंग कार्य।

४. **चीफ आफ नेवल एवियेशन**—नौसेना की हवाई यूनिट।

५. **नेवल सेक्रेटरी**—नौसेना बजट, नौसेना मुख्यालय के प्रतिष्ठान सबधी मामले, प्रकाशन और अभिलेख।

प्रशासकीय अधिकारी :

नौसेनाध्यक्ष निम्न ४ अधिकारियो के माध्यम से प्रशासन करते है

१ फ्लैग अफसर कमाडिग, भारतीय वेडा,

२ फ्लैग अफसर, बम्बई,

३ कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन,

४ कमोडोर, पूर्वी समुद्री तट, विशाखापत्तनम्।

भारतीय वेडे के फ्लैग अफसर-कमाडिग पर भारतीय वेडे के सभी जहाजो के सचालन, प्रशासन तथा उनके कर्मचारियो को प्रशिक्षण देने का भार है।

फ्लैग अफसर, बम्बई और उसके आस-पास स्थित नौसेना के समुद्रतट स्थित प्रतिष्ठानो की देख-रेख करता है। इसमे जामनगर तथा लोनावाला के प्रतिष्ठान भी है। इस पर बम्बई मे रहनेवाले ऐसे जहाजो के नियत्रण का भी भार है जो फ्लैग अफसर-कमाडिंग, भारतीय वेडे के अधीन नही हे।

कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन के दायित्व मे कोचीन और कोयम्बतूर स्थित समुद्रतटीय प्रतिष्ठान तथा वहा स्थित सामुद्रिक जहाज व वायुयान है।

पूर्वी समुद्री तट के कमोडोर पर भारतीय नौसेना के पोत 'सिरकार्स' के प्रशासन का भार है। इस पोत के साथ वह नौसेना के 'हुगली' (कलकत्ता) तथा 'अड्यार' और 'जरावा' (पोर्ट ब्लेयर) का भी 'अफसर कमाडिंग' है। विशाखापत्तनम् मे स्थित जहाजो की देख-रेख का भार भी इसी पर है।

नौसेना अफसर-इन-चार्ज, गोवा, नौसेना के पोत 'गोमान्तक' और नेवल एयर स्टेशन-टवलिम का प्रशासक है। यह सीधे नौसेना मुख्यालय के अधीन है।

वायुसेना

इसका मुख्य 'चीफ ऑफ एयर स्टाफ' है जिनकी सहायता के लिये चार 'प्रिंसिपल स्टाफ अफसर' है—वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (उप वायुसेनाध्यक्ष), डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ (प्रति वायुसेनाध्यक्ष), एयर अफसर मेटेनैंस (वायुसेना पदाधिकारी, सधारण) तथा एयर अफसर एडमिनिस्ट्रेशन (वायुसेना पदाधिकारी, प्रशासन)। वायुसेना मुख्यालय की तीन मुख्य शाखाए ये हैं।

१ वायुसेना कर्मचारी वर्ग शाखा (एयर स्टाफ ब्रांच)—इसके तथा यात्रा प्रशिक्षण सकनीक नियम सहायता और सुरक्षित तथा नियन्त्रित शस्त्र—उप वायुसेनाध्यक्ष के अन्तगत है। सक्रियाए उत्थान-सुरक्षा जागृती तथा मौसम विज्ञान व काय प्रतिवायु-सेनाध्यक्ष देखते हैं।

२ वायुसेना प्रशासन के प्रभारी पदाधिकारी—इसके अधीन प्रशासन शाखा है। काय—भर्ती अनुशासन सेना के नियम व दान नियुक्ति पदोन्नति कल्याण काय चिकित्सा लेखा बजट और निर्माण।

३ सधारण शाखा—यह वायुसेना सधारण के प्रभारी पदाधिकारी के अधीन है। काय—वायुयानो की देखभाल हथियारो व अन्य साज-सामानो का भंडार रखना वायुयानो का सग्रह।

वायुसेना कमान

इसकी ५ कमाने है—पश्चिमी केन्द्रीय पूर्वी प्रशिक्षण तथा अनुरक्षण कमान। कुछ विरचनाए वायसेना मुख्यालय के नीचे काम करती हैं।

भारतीय सेना की परम्परा बहुत पुरानी है और अत्यन्त उज्जवल है। देश रक्षा के साधारण काय के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य काय भी हैं (१) देश म शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने म मदद देना जब स्थिति पुलिस के वश म नही रहे। आन्तरिक विद्रोहो का दमन करना भी इसका काम है। केन्द्रीय सरकार की देश म शान्ति और व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी है उसको वह सेना के ही सहारे पूरी करती है। (२) इसके सिवाय यह प्राकृतिक विपत्ति—जैसे भूकम्प बाढ आधी अकाल मे मुल्की अधिकारियो की मदद करती है। असाधारण स्थिति म भी सेना नागरिक कार्यों म मदद करती है जबकि नागरिक प्रशासन असमथ हो जाता है। (३) यह आकाशीय फोटोग्राफी सर्वे करती है। इससे विकास योजनाओ और जल विद्युत परियोजनाओ के निर्माण म और उनका स्थान चुनने म सहायता देती है। (४) सेना कास के जगलो को साफ करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने म मदद देती है। सेना ने अपनी छावनियो की जमीन म खेती करके अन्न-सकट को दूर करने म भारी मदद पहुचाई है। (५) विश्व-शान्ति की रक्षा मे यह अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करती है।

देश से बाहर—भारतीय सेना ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और उसकी रक्षा के लिए भारत से बाहर जाती थी और इसका खच भी ब्रिटिश खजाना नही भारतीय जनता से लिया जाता था। भारतीय सेना अब भी बाहर जाती है पर शान्ति की स्थापना म सहायता के लिए। इस दिशा म भारतीय सेना के काय सब विदित हैं—

(१) कोरिया युद्ध विराम-सन्धि को भारतीय सेना ने क्रियान्वित किया। (२) वियतनाम लाओस व कम्बोडिया म अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियन्त्रण का काय भारतीय सेना आज भी कर रही है। जनेवा करार १९५४ के अधीन यह काय भारत को सौंपा गया था और यह अभी जारी है। इस काम की समाप्ति तब होगी जब दोनो वियतनाम (उत्तर और दक्षिण) सयुक्त हो जायेंगे और चुनाव के बाद सारे देश का एक सरकार स्थापित हो जायगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर लड रहे हैं यह भारतीय सेना का काम है। इस कमीशन म कनाडा और पोलण्ड भी हैं। भारत इसका अध्यक्ष है।

(३) १६ नवम्बर, १९६५ को स्वाधीन भारत की सेना देश से बाहर भेजी गई। इस बार सयुक्त राष्ट्र की मदद के लिए गई। मिस्र मे सयुक्त राष्ट्र की एमर्जेंसी फोर्स मे भारतीय सेना का एक दस्ता भी था। (४) १९५८ मे लेवनान मे सयुक्तराष्ट्र के पर्यवेक्षण दल (सुपरवीजन ग्रुप) मे भारतीय सेना के ७० अफसरो ने भाग लिया। (५) इससे पहले कागो मे शान्ति स्थापित करने के अन्तर्राष्ट्रीय कार्य मे सयुक्त राष्ट्र की सहायता मे ७०० सैनिक गये। फिर कागो मे युद्ध के भयकर होने पर कुछ तोपखाने के साथ एक ब्रिगेड मार्च, १९६१ मे गई। कागो मे ही भारत हवाई सैनिको के साथ ६ इण्टरसेक्टर कैनवेरा जेट विमान भेजे गये। चीनी आक्रमण के बाद अप्रैल, १९६३ मे ब्रिगेड ग्रुप और कुछ प्रशासकीय वर्ग को वापस बुला लिया गया। इसके बाद शेष रहा भाग भी कागो से वापस बुला लिया गया। (६) सेना के अफसरो का एक छोटा दस्ता यमन भेजा गया।

शान्ति स्थापन—पश्चिमी और दक्षिण-पूर्व एशिया मे शान्ति रखने का काम भारतीय सेना ने समय-समय पर किया है और इस देश की सरकार और सेना ने सिद्धान्तत इस काम को मान लिया है कि यह कार्य उसका है। इसका अर्थ है कि भारत की सैनिक शक्ति इस शान्ति-रक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के अनुरूप होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक सैनिक शक्ति का निर्माण और विस्तार करना भी भारत का कार्य है। १८ साल के जीवन मे पाच बार उसको अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापना के कार्य मे योग देना पडा है। इसके अतिरिक्त १९५० मे कोरिया-युद्ध मे भारत ने डाक्टरी सहायता भेजी थी। सेना का यह उत्तरदायित्व सविधान मे निहित निर्देशो के अनुच्छेद ५१ के अधीन है। इसमे कहा गया है कि—

राज्य

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का,

(ख) राष्ट्रो के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धो को बनाये रखने का,

(ग) सगठित लोगो के पारस्परिक व्यवहारो मे अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सधियो के प्रति आदर बढाने का, तथा

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादो को मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

इस निर्देश ने भारतीय सेना को शान्ति-विजय का कार्य सौपा है।

भारतीय सेना के इतिहास मे भारत-विभाजन एक उल्लेखयोग्य परिवर्तनकारी घटना है। देश के साथ-साथ सेना भी साम्प्रदायिक व स्वेच्छा के आधार पर विभक्त हो गई। सेना का एक तिहाई भाग पाकिस्तान को मिला, दो-तिहाई भाग भारत के पास रहा। रायल एयर फोर्स समेत ब्रिटिश सेना भारत से चली गई।

भारतीय सेनाओ मे नौसेना का अपेक्षित-विकास नही हुआ। यह सेना का परिव्यय देखने से स्पष्ट है।

सर्वोपरि समिति मन्त्रिमडल की 'रक्षा समिति' है। यह स्थायी समिति है। हाल ही मे इसका पुनर्गठन किया गया है। सेना के लिये, व्यावहारिक दृष्टि से, यही सरकार है। इसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं। यह मन्त्रिमडल की ओर से रक्षा सबधी सभी मुख्य प्रश्नो पर विचार करती है तथा उन प्रश्नो को मन्त्रिमडल के सम्मुख रखती है जिन्हे यह इस हेतु आवश्यक समझती है।

सेना का परिव्यय

१९६८ ६९ के बजट अनुमानो की मुख्य विशेषताए निम्नलिखित है—

१ राजस्व व्यय (कुल) पर ६४३ ३६ करोड रुपये और पूजीगत व्यय (कुल) पर १३ ६ करोड रुपये लगने का अनुमान है।

२ वेतन और भत्ते पर सशस्त्र सेनाओ के कार्मिको के लिए (सिविलियन कार्मिको को छोड कर) २ ६७८ करोड रुपये और सिविलियनो के लिए (सिविलियन कार्मिको को छोडकर) ७६ ३२ करोड रुपये।

३ इसके अतिरिक्त राशन पर ६३ ७६ करोड रुपये और वस्त्र तथा ईधन पर ६८ करोड रुपये व्यय किये जाते हैं।

४ आर्डनेन्स कारखाना म उत्पत्ति और वहा से सप्लाई किये जाने वाले भडारो को छोडकर तीनो सेनाओ के भडारो और उपस्करो क लिये २११ करोड रुपये।

५ आर्डनेन्स कारखानो पर राजस्व व्यय १२० ६२ करोड रुपये। आर्डनेन्स कारखानो पर उनके भवन और मशीनो सहित ३२ ०२ करोड रुपये का पूजीगत व्यय होगा। रक्षा मत्रालय के प्रशासकीय नियत्रण म सरकारी क्षेत्र की सस्थाओ की नेयर पूजी पर ६ ७६ करोड रुपये की धनराशि लगाई जायगी।

६ बिल्डिंगो उपस्करो आदि की लागत सहित १४ १२ करोड रुपये की धनराशि अनुसधान तथा विकास काय पर व्यय करने का प्रस्ताव है।

७ रक्षा भण्डारो आदि के निरीक्षण गुण नियत्रण आदि पर १३ ५८ करोड रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

८ तीनो सेनाओ के लिए परिवहन व्यवस्था सफर आदि के किराए और टेलीफोन पर ५२ १६ करोड रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है

९ डाक्टरी सुविधाओ आवास और पेन्शन पर निम्नलिखित व्यय की व्यवस्था है—
   (क) डाक्टरी सुविधाए २६ ६१ करोड रुपये।
   (ख) पृथक किये गये परिवारो के लिये आवास व्यवस्था सहित पारिवारिक आवास व्यवस्था २४ १२ करोड रुपये।
   (ग) पेन्शन २८ २५ करोड रुपये।

१० हवाई अड्डा हेगर प्रशासकीय और तकनीकी इमारतो डाकयार्डो आदि जसे अन्य निर्माण कार्यों पर पूजीगत व्यय ५४ ८६ करोड रुपये का होगा।

११ वतमान इमारतो आदि पर ४५ ४ करोड रुपये का अनुरक्षण व्यय होने का अनुमान है।

१२ प्रादेशिक सेना पर १ ६३ करोड रुपये का व्यय होगा।

१३ सशस्त्र सेनाओ को डेरी की वस्तुए सप्लाई करने के लिये थल सेना सनिक फाम चलाती है। इन फार्मों पर ८ ० करोड रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

रक्षा सगठन के ढाचे म कोई विशेष परिवतन नही हुआ। रक्षा सगठन का विवरण जिसम रक्षा मत्रालय भी सम्मिलित है परिशिष्ट (क) म दिया गया है।

आगे अध्यायो मे तीन सेनाओ और रक्षा सगठन के अधीन विभिन्न अन्य सगठनो और सस्थाओं के कायकलापो का विवरण दिया गया है।

विवरण १

३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे रक्षा सेवाओ के पूंजीगत परिव्यय पर खर्च की जाने वाली धन राशि का अनुमान (माग सख्या ५—मुख्य शीर्षक ७९) ।

	वास्तविक १९६६-६७	वजट अनुमान १९६७-६८	सशोधित अनुमान १९६७-६८	वजट अनुमान १९६८-६९
उप-मुख्य शीर्षक १—थल सेना	रु०	रु०	रु०	रु०
१ थल सेना के वेतन और भत्ते	१,९३,४३,४५,६०७	१,९३,७७,३०,०००	२,०६,६२,९२,०००	२,०९,८८,६७,०००
२ प्रादेशिक सेना के वेतन और भत्ते और विविध व्यय आदि	५,३०,९९,५१३	४,४६,०३,०००	४,४६,०३,०००	४,४३,६३,०००
प्रभारित		.	५,०००	
३ थल सेना मे (या उसके लिए) काम करने वाले असैनिक कर्मचारियो के वेतन और भत्ते	५४,६१,४०,८०२	५३,५०,८५,०००	५७,७०,२२,०००	५९,९५,५१,०००
प्रभारित ...	...	४,७८५	...	३५,०००
४ परिवहन और विविध .	४२,९३,९८,४८५	४२,३२,९४,०००	४१,९८,७४,०००	४०,४८,८८,०००
प्रभारित ...	१,२४,८६३	३,००,०००	२,९५,०००	३,००,०००
५. सैनिक फार्मों पर व्यय .	१,३६,४९,१६,९६६*	१,४१,९६,३८,०००*	१,४२,९६,३८,०००*	७,६०,००,०००
प्रभारित ...	२,५६२*	५०,०००*	५०,०००*	...

६ भण्डारा पर व्यय [निर्माण और अनुसधान निदेशालय और सनिक इजीनियरी सेवा (इजीनियर स्टोर डिपुओ को छोड़कर) से भिन्न]	१ ७७ २९ ४५ ००५	१ ६७ ७९ ६ ०	१ ६७ ७४ ६३ ० ०	१ ६६ ६३ ७३ ० ०
प्रभारित		४ ०	३ ६६	३ ००० ०
७ निर्माण काय (राजस्व पर प्रभाय) रख रखाव आदि पर व्यय	३४ ६१ ९ ४२८	३३ २९ २	३२ ७८ ५ ००	३६ ५७ ०००
प्रभारित	८१ ००६	२ ५० ०	२ ५० ०	२ ०००
८ इग्लण्ड मे व्यय	५ ०४ ७० ८६५*	६ ८८ ७ ०० *	७ ६८ ४७ ००*	७ ५३ २४ ०
९ विनिमय से हानि या लाभ	२ ४८ ३८४		४० ००	
जोड उप मुख्य शीर्षक १—थल सेना	६ ४९ ७७ ४६ ५५	६ ७३ ९१ ००	६ ९१ ९८ ९९ ००	५ ६३ ४० ६ ०००
प्रभारित	२ १३ २१६	१ ० ०	१० ० [illegible]	८ ०० ०००

*सभी निर्माण और अनुसधान सम्बन्धी सभी प्रतिष्ठानो पर होने वाला व्यय इसमे सम्मिलित है।

विवरण १ (जारी)

	वास्तविक १९६६-६७	बजट अनुमान १९६७-६८	संशोधित अनुमान १९६७-६८	बजट अनुमान १९६८-६९
उप-मुख्य शीर्षक २—नौसेना	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) नौसेना के वेतन और भत्ते ...	८,१५,४२,५९५	८,६९,७०,०००	९,१४,०३,०००	१०,०२,४०,०००
(ख) आरक्षित सैनिको के वेतन और भत्ते	४,७४,१८२	६,६०,०००	१०,१०,०००	१०,७०,०००
(ग) असैनिको के वेतन और भत्ते...	६,७९,६१,८८६	७,४६,९०,०००	७,९२,१०,०००	८,३६,६५,०००
(घ) परिवहन और विविध ...	२,६२,३५,५२३	४,२९,७५,०००	४,०१,८०,०००	४,२६,८५,०००
प्रभारित ...	..	५०,०००	४९,०००	४०,०००
(ङ) भण्डारो पर व्यय (आर्डनेन्स कारखानो द्वारा भेजे जाने वाले भण्डारो से भिन्न)	१०,२३,५७,९१०*	१०,३३,८५,०००*	१०,९०,२०,०००*	९,००,००,०००
(च) निर्माण कार्यों (राजस्व पर प्रभार्य), रख-रखाव आदि पर व्यय ...	२,२८,८८,९९९	२,५२,३५,०००	२,४०,६२,०००	१,७२,७५,०००**
प्रभारित ...	१,५८७	...	१,०००	...
(छ) इग्लैड मे व्यय ...	४,५३,६६,७६३	५,५६,८५,०००	४,४५,१५,०००	४,७२,२५,०००
(ज) विनिमय से हानि या लाभ ...	२,१८,१७१	...	२,००,०००	...
जोड उप-मुख्य शीर्षक २—नौसेना	३४,७०,४६,०३५	३८,९६,००,०००	३८,९६,००,०००	३८,२१,६०,०००
प्रभारित . ..	१,५८७	५०,०००	५०,०००	४० ०००

* आर्डनेन्स कारखानो की उत्पादन व्यवस्था से भेजे गये भण्डारो पर किये जाने वाले व्यय भी इसमे सम्मिलित है ।

** एम० ई० एस० द्वारा किये गये निर्माण-कार्य के लिये विभागीय प्रभार इसमे सम्मिलित नही है ।

विवरण १ (जारी)

	वास्तविक १९६६ ६७	वजट अनुमान १९६७ ६८	सशोधित अनुमान १९ ७-६८	वजट अनुमान १९ ८ ९
	रु	रु	रु०	रु
उप मुख्य शीर्षक ३—वायु सेना				
(क) वायु सेना के वतन और भत्त	२९ ४६ १२ ९८१	३० ३२ ०० ००	३३ ४४ १३ ०००	५ ३८ ८३ ००
(ख) आरक्षित और सहायक सेनाओ के वतन और भत्त	७ ८९९	२५	२५ ०००	८ ०००
(ग) असनिकों के वतन और भत्त	८ ३९ ४२ २ ८	८ ४३	९ ९ ००	१० २८ ० ०००
प्रभारित			२ ०	८ ०
(घ) परिवहन और विविध	७ ०८ ८३ ३७	७ ००	७ ८ ०० ०००	३ ४१ ३८ [illegible]
प्रभारित				
(ङ) भण्डारो पर व्यय (आर्डनेन्स कारखानो द्वारा भेजे गये भण्डारो से भिन्न)	७६ ६३ ९ ६३००	८७ ८० ० ०	८३ १२ ५ ००००	९ १ ० ०००
(च) निर्माण-कार्य (राजस्व पर प्रभाव) रख रखाव आदि पर व्यय	९ ८१ ८४ ८६	१० ९ ०००	१० ८१ ०० ००	३ ३ ० ०००**
प्रभारित	८ १९३	५० ० ०	८ ००	५० ०**
(छ) अन्य मदों में व्यय	१८ १५ ३ ०९३	१९ ११ ४५ ०००	१३ ३३ ३९ ०	१० ८१ ० ०
(ज) विनिमय से हानि या लाभ	८ ३८ ९९२	—	९ ८	—
जोड़—उप मुख्य शीर्षक ३—वायु सेना	१ ८९ ९८ १ ९८०	१९ ५ ००	१ ८ ००	१ ९८ ११ ० ०
प्रभारित	८ १९३	१ ० ०	१ ०००	१ ० ०००

*आर्डनेन्स कारखानो द्वारा भेजे गये भण्डारो पर किया गया व्यय भी इसमे सम्मिलित है।

**एम० ई० एस० द्वारा किये गये निर्माण-कार्य के लिये विभागीय प्रभार इसमे सम्मिलित नही है।

विवरण १ (जारी)

	वास्तविक १९६६-६७	बजट अनुमान १९६७-६८	संशोधित अनुमान १९६७-६८	बजट अनुमान १९६८-६९
उप-मुख्य शीर्षक ४—रक्षा उत्पादन—	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) आर्डनेन्स तथा वस्त्र कारखाने	*	*		१,१९,४१,२१,०००
प्रभारित	...	...	.	६०,०००
(ख) अनुसंधान तथा विकास संगठन	...	...	..	११,०८,०९,०००
(ग) निरीक्षण संगठन	..	..	...	१२,११,००,०००
(घ) इंग्लैंड में व्यय ...	...	...	.	१,९६,४४,०००
(ङ) विनिमय में हानि या लाभ	...	...		
जोड़—उप-मुख्य शीर्षक ४—				
रक्षा उत्पादन ...	.	..	...	१,४५,२८,७४,०००
प्रभारित	...	..	..	६०,०००
जोड़—माग संख्या ५—				
रक्षा सेवा सक्रिय	८,३४,१६,०९,०३०	८,७३,४०,००,०००	८,९१,४४,९९,०००	९,१५,०४,००,०००
प्रभारित	२,२३,९९६	११,५०,०००	११,५०,०००	१०,००,०००

*आवश्यक धन राशि पर थल सेना माग के अन्तर्गत स्वीकृत हो जाने के कारण ये कालम खाली छोड दिये गये है—

विवरण २

रक्षा सेवाओं के निविनिय व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में आवश्यक धन राशि का अनुमान (भाग संख्या ६—मुख्य शीर्षक ८२)।

	वास्तविक १९६६-६७	बजट अनुमान १९६७-६८	संशोधित अनुमान १९६७-६८	बजट अनुमान १९६८-६९
	रु०	रु०	रु०	रु०
१ थल सेना	२३ ७३ ३३ ५८०	२४ ६३ २५ ०००	२५ २६ ८० ०००	[illegible]
प्रभारित	—	—	२० ०	—
२ नौ सेना	४६ ६५ ६८०	४८ ५५ ० ०	५८ ०० ०	[illegible]
३ वायु सेना	३० १२ ८०८	४ ८५ ००	३६ ० ००	[illegible]
४ इंग्लैंड में व्यय	३ ६ ५८५	३५ ०००	१८ ०००	[illegible]
५ विनिमय से हानि या लाभ	१ ५७२		२ ०००	—
जोड़—माग की संख्या ६—रक्षा सेवाएं निष्क्रिय	२८ ५६ ८० २२५	२५ ५० ०००	२६ ५० ००	[illegible]
प्रभारित			२ ०००	[illegible]

विवरण ३

३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे रक्षा पूजीगत परिव्यय पर खर्च हो जाने वाली आवश्यक कुल धन राशि का अनुमान (माग सख्या १०८—मुख्य शीर्षक १३०)।

	वास्तविक १९६६-६७	बजट अनुमान १९६७-६८	सशोधित अनुमान १९६७-६८	बजट अनुमान १९६८-६९
	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) थल सेना	८०,७०,२३,७००	८२,३०,००,०००	७९,२०,८८,०००	४५,७९,६०,०००
प्रभारित ...	२,२९,९८९	३,००,०००	३८,८६,०००	३०,००,०००
(ख) नौ सेना	५,५६,०४,१११	११,१०,७५,०००	१०,३६,५८,०००	१८,६३,६५,०००
प्रभारित	—	२०,०००	२०,०००	—
(ग) वायु सेना	२९,१०,५४,३२७	२९,५८,००,०००	२९,४५,३६,०००	२४,०२,३५,०००
प्रभारित	२,०८,९०४	६,८०,०००	६,८०,०००	५,००,०००
(घ) निर्माण तथा अनुसधान सम्बन्धी ..	*	*	*	३५,३०,२०,०००
(ङ) औद्योगिक उप क्रम और अन्य सगठनो के शेयर पर व्यय ...	३,६७,०९,२००	४,०३,८०,०००	१,८३,५८,०००	६,७९,२०,०००
जोड़—माग सख्या १०८—रक्षा पूजीगत परिव्यय ..	१,१९,०३,९१,३३८	१,२७,०२,५५,०००	१,१७,८६,४०,०००	१,३०,५५,०००
प्रभारित	४,३८,८९३	१०,००,०००	४५,८६,०००	३५,००,०००

*आवश्यक धन राशि पर उप शीर्षक (क)—थल सेना के अन्तर्गत स्वीकृत हो जाने के कारण इन कालमो को खाली छोड दिया गया है।

थल सेना

समीक्षाधीन वर्ष के अन्तर्गत थल सेना की सक्रियात्मक कार्यक्षमता को बढ़ाने, जिसमें प्रशिक्षण व्यवस्था को और अच्छी बनाने की योजना सम्मिलित है, पावर शक्ति को और अधिक बढ़ाने के विचार से सारी थल सेना का पुनर्गठन करने, जिसमें यूनिटों और विरचनाओं को और अधिक युक्तिसंगत बनाने का काम निहित है, सब शस्त्रों का उत्पादन के लिए सुव्यवस्थित रूप से चालू करने और उपस्करों का सुरक्षित भण्डार तैयार करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया। नए शस्त्रों और उपस्करों का भी परीक्षण किया गया।

संगठन

अफसरों की वृत्तिक आयोजना और आपातकालीन-कमीशन प्राप्त अफसरों की नियुक्ति और सेवाविमुक्ति से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्यभार को पूरा करने पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए वर्ष के अन्तर्गत ब्रिगेडियर के ओहदे में डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का एक और पद बनाया गया।

प्रशिक्षण

थल सेना की सक्रियाओं में पर्याप्त हवाई सहायता की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए इस दिशा में थल सेना और वायु सेना ने संयुक्त रूप से युद्ध सम्बन्धी परीक्षण किए। इन परीक्षणों के दौरान उपलब्ध परिणामों के आधार पर नई क्रियाविधि तैयार की गई। कुछ संग्रामक सक्रियात्मक अभ्यास भी किए गए और इन अभ्यासों के दौरान जो भी सबक सीखा गया उसे प्रशिक्षण निदेशों में समाहित किया गया जिससे कि सैनिकों को वास्तविक युद्ध स्थितियों के अनुकूल तैयार किया जा सके।

सैनिक इंजीनियरिंग कालेज की प्रशिक्षण क्षमता को और बढ़ाने के विचार से चुने हुए सैनिक अफसरों को सिविल इंजीनियरिंग कालेजों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्सों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

इस वर्ष राष्ट्रपति ने ६ दिसम्बर १९६७ को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कमीशन देने पर की जाने वाली औपचारिक परेड की सलामी ली।

थल सेना में अफसरों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून और अफसर प्रशिक्षण स्कूल मद्रास में और अधिक संख्या में अफसरों को प्रशिक्षण देने की क्षमता बढ़ा दी गई है। अफसर प्रशिक्षण स्कूल मद्रास में अल्पकालीन कमीशन (गैर तकनीकी) कोर्सों का समय ४३ सप्ताह से बढ़ाकर ४४ सप्ताह का कर दिया गया है।

सैनिक शिक्षा कोर के अफसरों ने नेशनल कौंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग तथा सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंगलिश हैदराबाद द्वारा चलाए गए कोर्सों में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन संस्थान कार्यक्रमों में पूर्ववत् भाग लिया।

सैनिक शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज और केन्द्र में स्नातकोत्तर कोर्सों के परिणाम बहुत ही अच्छे रहे। तीन परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और एक परीक्षा में

९८ प्रतिशत परिणाम रहा। सैनिक शिक्षा कोर के एक जूनियर कमीशड अफसर ने सागर विश्वविद्यालय की बी० एड० की परीक्षा मे द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

थल सेना हेडक्वार्टर ने सभी सैनिको के लाभ के लिए उनके फालतू समय मे उन्हे सागर विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा के लिए तैयार करने के विचार से एक पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया है और बहुत से सैनिको ने इस सुविधा से लाभ उठाया है।

डिफेन्स सर्विसिज स्टाफ कालेज और आर्मी कैडेट कालेज पूर्ववत काम करते रहे है। डिफेन्स सर्विसिज स्टाफ कालेज मे भारतीय और विदेशी छात्रो के लिए सीटो की माग बढती जा रही है।

देश मे प्रशिक्षण देने की सुविधाओ का विकास होने से अब विदेश मे प्रशिक्षण लेने के लिए भेजे जाने वाले सैनिक अफसरो की सख्या काफी घट गई है। फिर भी कुछ अफसर विशेषित क्षेत्र मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर भेजे गए।

सिक्किम और भूटान तथा घाना, मलेशिया, सयुक्त अरब गणराज्य, ईराक, सूडान, नाइजेरिया उगाडा, यमन और नेपाल के सेना कार्मिक गत वर्षो की भाति इस वर्ष भी हमारी रक्षा सस्थानो मे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा मे पाच मिलिट्री स्कूल के परिणाम काफी अधिक अच्छे रहे और इस वर्ष औसतन ७५ प्रतिशत लडके पास हुए। अजमेर मिलिट्री स्कूल के सभी लडके पास हुए।

हिन्दी मे रक्षा शब्दावली तैयार करने मे काफी प्रगति की गई है। अब तक रक्षा सेनाओ से सम्बन्धित लगभग बीस हजार शब्दो के हिन्दी रूपान्तर तैयार किये जा चुके है और रक्षा विषय की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा उनका अनुमोदन भी किया जा चुका है। इस प्रकार के शब्दो का एक शब्द सग्रह प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है।

विदेशी मुद्रा को बचाने के विचार से इस वर्ष राष्ट्रीय रक्षा कालेज के अफसर-छात्रो द्वारा विदेशो का दौरा लगाए जाने की कोई व्यवस्था नही की गई।

सैनिक स्कूल सोसायटी इस समय १५ सैनिक स्कूलो को चला रही है। ये स्कूल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए पोषक सस्थान के रूप मे काम करते है। इन स्कूलो के खोले जाने के समय से लेकर अब तक इनके ३७५ लडके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मे दाखिल हो चुके है। एयर फोर्स फ्लाइग कालेज, जोधपुर मे कमीशन देने पर की गई अन्तिम परेड मे सैनिक स्कूल कपूरथला का एक भूतपूर्व छात्र सबसे उत्तम कैडेट घोषित किया गया। मई १९६७ मे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए आयोजित प्रवेश-परीक्षा मे सर्वप्रथम स्थान सैनिक स्कूल पुरुलिया के एक छात्र का था। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वैज्ञानिक तथा सास्कृतिक सगठन द्वारा आयोजित शैक्षिक-कार्यक्रम मे सैनिक स्कूल, बीजापुर को शामिल किया गया है।

भर्ती

गत वर्षो की भाति थल सेना मे भर्ती होने के प्रति लोगो की अनुक्रिया सन्तोषजनक रही। यद्यपि गैर-तकनीकी अफसरो और अन्य सैनिको के सम्बन्ध मे भर्ती करने का निर्धारित

सभ्य सामान्य रूप से पूरा हुआ लेकिन तकनीकी ओर में अफसरों की कमी बनी रही। फिर भी स्थाई कमीशन देने के लिए इन्जीनियरी अफसरों की भर्ती में कुछ सुधार हुआ।

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक सेना नागरिकों की एक सेना है जिसका उद्देश्य देश के नवयुवकों को उनके फालतू समय में सैनिक प्रशिक्षण देना और आवश्यकता पड़ने पर उनके सिविल व्यवसायों में बिना बाधा डाले समय आने पर देश रक्षा हित में शस्त्र उठाने का अवसर प्रदान करना है। प्रादेशिक सेना के काम इस प्रकार हैं (१) नियमित सेना को उसकी स्थैतिक ड्यूटियों से मुक्त कराना और अगर उन्हें सेना में सम्मिलित कर लिया गया हो तब दैवी विपत्तियों में और ऐसी स्थितियों में जब कि देश की सुरक्षा को खतरा हो असैनिक अधिकारियों की सहायता करना (२) हवा मार तोपों पर काम करना और (३) आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना में यूनिटों के रूप में काम करना। १ सितम्बर १९६७ की स्थिति के अनुसार प्रादेशिक सेना की अधिकृत संख्याशक्ति ५१,२८३ है जबकि वास्तविक संख्या शक्ति ४२,६७६ है।

प्रादेशिक सेना की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए वर्ष के अन्तर्गत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। चारों कमाण्डों में एक एक प्रादेशिक सेना ग्रुप हैडक्वार्टर स्थापित किया गया है। ये हैडक्वार्टर सीधे जी ओ सी इन चीफ के अधीन काम करेंगे और कमाण्ड की कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रादेशिक सेना में सभी मामलों पर विचार करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से प्रादेशिक सेना में सजातीयता और संघभाव की भावना पैदा होने और पनपने के अतिरिक्त प्रादेशिक सेना और राज्यों की भर्ती करने वाली विभिन्न सिविल एजेंसियों के बीच सम्पर्क व्यवस्था भी हो जाएगी।

प्रादेशिक सेना के अन्य जवानों के कार्यकाल में संशोधन किया गया है। प्रादेशिक सेना की आर्टिलरी और इन्फेन्ट्री यूनिटों में भर्ती किए गए जवान प्रादेशिक सेना में १ वर्ष तक और प्रादेशिक सेना रिजर्व में पांच वर्ष तक रहेंगे जब कि अन्य प्रादेशिक सेना की यूनिटों के लिए यह अवधि क्रमश: १२ वर्ष और ३ वर्ष है।

आवश्यक योग्यताओं वाले चिकित्सा व्यवसायियों को प्रादेशिक सेना की सेना मेडिकल कोर में सीधे कप्तान के ओहदे में कमीशन दिया जाएगा जब कि अभी तक उन्हें लफ्टि० के ओहदे में कमीशन दिया जाता था।

१९६७ के अन्तर्गत प्रादेशिक सेना में १८ व्यक्तियों को अफसर कमीशन और ८२ व्यक्तियों को जूनियर अफसर कमीशन दिए गए।

नौ सेना

नौसैनिक जलयानों का निर्माण और उनकी प्राप्ति

नौ सेना को आधुनिक और सुदृढ बनाने के लिए गत वर्षों में जो प्रयास आरम्भ किए गये थे उन्हें जारी रक्खा गया। पनडुब्बियां जिनकी आवश्यकता बहुत समय पहले से अनुभव की जा रही थी अब नौसेना के अभिन्न अंग के रूप में हैं।

नए समुद्री जहाजों को पानी में उतारना

भारतीय नौसेना के "दीपक" नामक प्रथम फ्लीट टैंकर को २० नवम्बर १९६७ को पानी मे उतारा गया ।

भर्ती :

वर्ष के अन्तर्गत ६१ अफसरो को राष्ट्रीय रक्षा आकादमी के द्वारा और २१६ अफसरो को सीधे भर्ती करने की प्रणाली द्वारा भर्ती किया गया । इनके अतिरिक्त ७ अफसरो को नौसेना रिजर्व मे भर्ती किया गया ।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, खडकवास्ला के माध्यम से भर्ती किये गये नेवल कन्स्ट्रक्टर अफसरो का प्रथम बैच उस सस्थान मे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ।

नौसेना के उड्डयन कैडेटो के रूप मे सीधा भर्ती करने के लिए आवश्यक योग्यताओ और आयु सीमा सम्बन्धी नियमो मे कुछ ढिलाई दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कैडेट अधिक सख्या मे भर्ती किए गए ।

तकनीकी नौसैनिको के अभाव की पूर्ति के लिए वर्ष के अन्तर्गत भर्ती किए गए कुल ३,८२० नौसैनिको मे से १२० डिप्लोमा प्राप्त नौसैनिको को कारीगरो के रूप मे चुना गया और उन्हे भर्ती किया गया ।

नौसेना डाकयार्ड प्रसार योजना :

इस योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है । दूसरे चरण के अधिकतर भाग का इजीनियरी निर्माण कार्य के लिए ठेका हो चुका है तथा उस पर कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जाने की आशा है ।

नौसेना डाकयार्ड परियोजना, विशाखापटनम :

विशाखापटनम जल मार्ग के एक नये भाग की खुदाई आदि करके उसकी सफाई करने के लिए और वहा जहाजो को ठहराने के लिए स्थान बनाने और जहाजो की मरम्मत आदि करने की सुविधाओ की व्यवस्था के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके है । १९६९ के अन्त तक इस काम के पूरे हो जाने की आशा है ।

नौसैनिक वैमानिक व्यवस्था .

गोवा मे डवोलिम पर नौसेना के हवाई अड्डे के लिए बनाई गई विकास योजना के द्वितीय चरण पर काम जारी रहा ।

नौसेना निर्माण कार्य :

वर्ष के अन्तर्गत जो मुख्य निर्माण परियोजनाए मजूर की गई थी उनमे पोर्ट ब्लेयर पर एक घाट का निर्माण, बम्बई मे अफसरो और नौसैनिको के लिए अतिरिक्त रिहायसी मकानो का निर्माण, नौसेना डाकयार्ड, बम्बई मे वर्कशाप की सुविधायें, विशाखापटनम मे वायरलेस ट्रासमिटिंग स्टेशन और गोवा मे एक नया राइफल रेंज बनाने का काम सम्मिलित है ।

वायुसेना

वायु सेना का काम थल सेना की सहायता करना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानो की सुरक्षा करना, समुद्री टोह लगाना और नौसेना को हवाई सहायता पहुचाना है तथा जहा कही

आवश्यक होता है थल सनिको और उपस्करो के लिए परिवहन व्यवस्था भी करना है। इन दायित्वो को पूरा करने के लिए ४५ स्क्वाड्रन की एक आधुनिक और सतुलित वायु सेना के निर्माण की दिशा मे वष के अतगत सतत प्रयास किए गए।

वायुसेना को पुन सुसज्जित करन का कायक्रम

पुराने और अप्रचलित किस्म के लडाकू विमाना को धीरे धीरे बदलने की योजना को और आग कार्यान्वित किया गया और ऐसी आशा है कि अगल वष तक तूफानी विमान वायु सेना म नही रह पाएगे और सक्रियात्मक क्षेत्रो मे काम म लाए जाने वाल अधिकतर वेम्पायर विमान भी बदल लिए जाएग। इस वष और अधिक नाट' और मिग विमान वायुसेना मे शामिल किए गए। पहला एच एफ २४ स्क्वाड्रन इस वष तयार किया गया। समुद्री टोह काय के लिए सुपर कान्स्टान्शन विमानो के अवयवो म आवश्यक फर बदल करके उन्हें अप्रचलित लिबरटर विमानो की जगह पर लाया जा रहा है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर से कुछ और एवरो विमान उपलब्ध हुए हैं जिनका उपयोग सचार यवस्था के लिए किया जा रहा है। यद्यपि उपयुक्त मध्यम दर्जे के ऐसे मान वाहक विमानो की उपलब्धि के स्रोतो का पता लगाने का काम जारी है जो उडान लेने और उतरने म कम जगह लते हो और जिनके पिछले भाग म माल चढाने और उतारन की सुविधा मौजूद हो तथापि वतमान काय व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने और विशेष विमान वहन सम्बधी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए कुछ और करिबो विमाना क लिए आडर दिए गए हैं।

हैलीकाप्टर यूनिटो को और सुदृढ बनाया जा रहा है।

हवाई रक्षा चेतावनी तथा सचार व्यवस्थाए

अमरीका क सनिक सहायता कायक्रम के अन्तगत प्राप्त किए गए अधिक शक्तिशाली रेडार केन्द्रा और खरीदे हुए चल रेडारो द्वारा काम आरम्भ करने से अधिक व्यापक क्षेत्र के लिए रेडार व्यवस्था सम्भव हो सकी है। रेडार व्यवस्था की कायकुशलता को और अधिक अच्छा बनान के विचार म एक सूक्ष्म और विश्वसनीय हवाई रक्षा सचार प्रणाली तयार करन की दिशा म कदम उठाए जा रहे हैं।

मरम्मत तथा अनुरक्षण कायक्रम

भारतीय वायु सेना के विमानो और अन्य उपस्करों की कायक्षमता इस बात पर निभर करती है कि उनकी मरम्मत और सफाई आदि करने की समुचित सुविधाओ के लिए आवश्यक सामग्री और पुर्जों की व्यवस्था सन्तोषजनक हो। भारतीय वायु सेना के पास विमानो क अनुरक्षण क लिए ५ मरम्मत डिपू हैं। सोवियत सघ से प्राप्त विमानो और हवाई इजनो की मरम्मत और ओवरहाल करन की सुविधाओ की व्यवस्था करने की दिशा म और आग प्रगति की गई। एम आई ४ हैलीकाप्टरों की मरम्मत अब भारत म ही भारतीय वायु सना द्वारा की जा रही है। अधिक पुरान विमानों को बदलने के कायक्रम क फलस्वरूप मरम्मत करन क कायभार को पुन वतमान मरम्मत डिपुओ म बाटा जा रहा है। वायु सेना अपन कुछ विमानो और उपस्करो क अनुरक्षण काय म हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड इडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया की भी सहायता लती है। अधिक काय कुशलता

वनाए रखने और किफायत करने की दृष्टि से सामान को मुहैया करने की क्रियाविधि की लगातार समीक्षा होती रहती है।

गोदाम व्यवस्था

युक्तिसगत गोदाम व्यवस्था सम्बन्धी एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। अवाछनीय भडारो को छाटने और उनका शीघ्र निपटान किए जाने के लिए एक विशेष कार्य-क्रम चल रहा है।

निर्माण कार्यक्रम

१९६६-६७ के अन्तर्गत वायु सेना निर्माण परियोजनाओ पर कुल खर्च लगभग २५ ६३ करोड रुपए का था। १९६७-६८ के वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने के समय ४३९ वायु सेना निर्माण कार्य, जिनके लिए लगभग १६७ ८० करोड रुपये तक की मजूरी दी गई थी, कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओ मे थे। पहली अप्रैल १९६७ को इन निर्माण कार्यो की आगे ले जाई गई लागत ४८ ८३ करोड रुपए की थी। पहली अप्रैल से नवम्बर १९६७ के अन्त तक १७ ३७ करोड रुपए की अनुमानित लागत के १४८ और निर्माण कार्य मजूर किये गये। १९६७-६८ के सशोधित वजट मे इसके लिए २७ ५७ करोड रुपये की व्यवस्था है।

प्रशिक्षण :

अफसर पाइलटो, नेविगेटरो और फ्लाइग इन्स्ट्रक्टरो को प्रारम्भिक और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सात केन्द्रो मे दिया जा रहा है। तकनीकी और गैरतकनीकी व्राचो के ग्राउन्ड ड्यूटी अफसरो को दो अन्य केन्द्रो मे प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी श्रेणी के वायु सैनिको को तीन स्थानो मे प्रशिक्षित किया जाता है।

हैदरावाद से १२ मील दूर ड्डीगल नामक स्थान मे १६ करोड रुपये की अनुमानित लागत पर एक वायु सेना अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया गया है। राष्ट्र-पति ने औपचारिक रूप से ११ अक्तूवर १९६७ को इसका शिलान्यास किया। यह नई अकादमी पाइलटो, नेविगेटरो, ग्राउन्ड ड्यूटी अफसरो (गैर तकनीकी व्राचो) और वायु सैनिको, सिगनलरो को तथा साथ ही साथ प्रेक्षक विमानो मे पाइलटो के रूप मे काम करने वाले सैनिक अफसरो को और नौसेना के विमान स्कन्ध के पाइलटो और नेविगेटरो को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विदेशो से आए हुए कैडेटो को भी पाइलट प्रशिक्षण और नौचालन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी। इस परियोजना का पहला चरण, जिसे इस समय ५ ६३ करोड रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित किया जा रहा है, जुलाई १९७० तक और सारी परियोजना १९७१ मे पूरी हो जाने की आशा है। वर्तमान प्रशिक्षण सस्थाए, जो वाद मे इस अकादमी मे विलीन हो जाएगी, एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार वन्द कर दी जाएगी।

विदेशी प्रशिक्षण

वायु सेना की सक्रियात्मक दक्षता को और उत्तम बनाने के लिए गत वर्षो की भाति इस वर्ष भी भारतीय वायु सेना के कुछ अफसरो और वायु सैनिको को व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सो मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वाहर भेजा गया। भारतीय वायु सेना ने भी मित्र देशो के वहुत से विदेशी प्रशिक्षणार्थियो को भारत मे प्रशिक्षण देना स्वीकार किया।

उत्पादन सम्बन्धी नीति और लक्ष्य

रक्षा उपस्करों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा उद्योग का आत्म सहायक और गतिशील होना आवश्यक है। तदनुसार रक्षा उत्पादन व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य ऐसा देशी उत्पादन आधार तयार करना है जो कि प्राद्योगिक दृष्टि से आत्म सम्पन्न हो और कार्यान्वयन के समय उसमे थोडी फेर-बदल के लिए अवकाश हो।

आर्डनेन्स कारखाने

आर्डनेन्स कारखाने इन्जीनियरी और रसायनिक मदो वस्त्र और सामान्य भण्डारो को बनाने वाली अनेक प्रकार की यूनिटो के रूप मे विकसित होते जा रहे हैं। दैनिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य सुविधा के विचार से क्लोथिंग फक्टरी शाहजहानपुर हार्नेस एण्ड सेडलरी फक्टरी कानपुर पराशूट फक्टरी कानपुर आर्डनेन्स क्लोथिंग फक्टरी आवाडी आर्डनेन्स वेयन फक्टरी चण्डीगढ का आर्डनेन्स इक्विपमेण्ट फक्टरी (ओ इ एफ) नामक एक अलग ग्रुप बनाया गया है। यद्यपि ये सभी कारखाने महानिदेशक के व्यापक नियन्त्रण म आर्डनेन्स कारखानो के सगठन के अग के रूप मे बने रहेंगे लेकिन उत्पादन नियन्त्रण और सामान्य प्रशासन के लिए इन्हे आर्डनेन्स कारखानो के प्रवर अपर महानिदेशक के अधीन रखा गया है। इस ग्रुप का हेडक्वाटर जो इस समय कलकत्ता मे है कानपुर मे आवश्यक व्यवस्था हो जाने पर वहा चला जायगा। आर्डनेन्स कारखानो के महानिदेशालय के हेडक्वाटर पर व्यथ म अधिक बोझ न डालने के विचार से हैवी वेहीकल्स फक्टरी आवाडी और दूढला के पास एक्सलरेटिड फ्रीज ड्राइड (मीट) फक्टरी नामक दो अन्य कारखानो की प्रबन्ध और काय व्यवस्था रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की जाती है।

अधिक सूक्ष्म उपकरणो के निर्माण के लिए नई परियोजनाए तयार की जा रही हैं और पुराने कारखानो मे सयन्त्र और मशीनें विभिन्न चरणो मे तबदील की जा रही हैं। आर्डनेन्स फक्टरी वेरगाव जो १९६४ से उत्पादन शुरू करने लग गई थी ७ ६२ मि मी गोलाबारूद तयार कर रही है। आर्डनेन्स फक्टरी तिरुचिरापल्ली (जुलाई १९६६ से उत्पादन काय शुरू करने लगी थी) म कर्बाइनो की उत्पादन व्यवस्था सफलतापूवक की गई है। चान्दा म फिलिंग फक्टरी का निर्माण काय पूरा होने वाला है। उसके लिए अधिकाश सयन्त्रो और मशीनो क लिए आदेश दिये जा चुके हैं और उनमे से अधिकाश अगले कुछ ही महीनो म प्राप्त हो जाएगी। इस कारखाने को खडा करने के लिए आवश्यक निर्माण काय शीघ्र ही आरम्भ हो जाएगा तथा इजीनियरिंग फक्टरी अम्बाझडी के निर्माण काय म और उसके लिए सयन्त्र और मशीनो की उपलब्धि म पर्याप्त प्रगति हुई है। शुद्ध अल्यूमीनियम मिश्रधातुओ के विशेष इस्पाती पेचा अल्यूमीनियम जिंक मेग्नेसियम मिश्रधातु और अल्यूमीनियम कापर मग्नेसियम को बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक मीडियम कारबन कोल्ड स्टील स्ट्रिप्स को विदेशा से आयात किया जाता था। उन्हें भी अब देश म बनाने का काम हाथ म ले लिया गया है। बार मिल मोटर बम्बो के लिए सयोजक शल मशीनिंग फ्यूज और बडा व्यास वाली गनें और उसके गोलाबारूद तयार करने की परियोजनाओ पर काम हो रहा है। रसायनिक ग्रुप म बहुत म सयन्त्रो म उत्पादन काय शुरू हो गया है तथा कुछ और सयन्त्र शीघ्र ही उत्पादन काय आरम्भ करने लगेंगे। जहा कहीं सम्भव होना है

हथियारो और गोलाबारूद के अवयवो के निर्माण मे आर्डनेन्स कारखानो की उत्पादन क्षमता मे योग देने के लिए सिविल कारखानो से भी सहायता ली जाती है।

पिछले ६ वर्षो मे जारी की गई मदो की कीमत निम्नलिखित थी —

वर्ष	कीमत (करोड रुपयो मे)
१९६२-६३	६३ ४०
१९६३-६४	१११ ३४
१९६४-६५	१०१ ४९
१९६५-६६ . .	१०८ ०२
१९६६-६७	१०४ ०० (अनन्तिम)
१९६७-६८	११२.०० (अनुमानित)

१९६३ ६४ के दौरान सबसे अधिक उत्पादन कार्य इसलिए हुआ था कि उस वर्ष के दौरान चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद वस्त्रो और सामान्य भण्डारो की आवश्यकताए एकाएक बढ गई थी। इनमे से बहुत-सी आवश्यकताए पूरी की गई है और अब इन चीजो की केवल सामान्य जरूरतो की ही पूर्ति करनी है। इसलिए इन चीजो का उत्पादन भी काफी कम हो गया है। पिछले पाच वर्षो मे जारी की गई मदो की कीमते निम्नलिखित थी —

	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
	(करोड रुपयो मे)				
(1) हथियार, गोला-बारूद और गाडिया (भारी गाडियो सहित)	६३ १०	६३ ७५	७८ ०८	८४ ००	९२.००'
(11) वस्त्र और सामान्य भण्डार	४८ २४	३७ ७४	२९ ९६	२०.००	२० ००'

('प्राक्कलन)

आर्डनेन्स कारखानो ने परमाणु शक्ति आयोग को थुम्बा राकेट परियोजना के लिए राकेट प्रणोदक, चार्जिज, गढी वस्तुए और लोहे की सलाखे दी। उन्होने रेलवे, अन्य सरकारी सस्थाओ और मदो के निर्माण करने वाले सयन्त्रो को ऐसे ढलाई और गढाई आदि के उपकरणो सहित विभिन्न प्रकार के उपस्कर और मशीनी अवयव देकर सहायता की, जिनके लिए अन्यत्र कही भी उनकी व्यवस्था नही हो सकती थी।

हथियार तथा गोलाबारूद

रक्षा उत्पादन के सम्बन्ध मे ऐसा कहा जा सकता है कि रक्षा उत्पादन मे छोटे हथियारो और गोलाबारूद के मामले मे आत्मनिर्भरता आ गई है। बोल्ट की क्रिया से चलने वाली राइफल का एक बहुत ही हल्के रूप का विकास किया गया है और उस पर फाइरिंग परीक्षण भी सफलतापूर्वक हो गया है। स्वचलित पिस्तौल का एक ऐसा डिजाइन बनाया गया है जिसमे गोलाबारूद उतना ही इस्तेमाल होगा जितना कि देशी कार्बाइन मे किया जाता है। २२ सैनिक राइफले काफी बडी सख्या मे बनाने की व्यवस्था की गई है।

बडी व्यास वाली गनो, माउण्टेन गनो और टैको के लिए गौण हथियार बडी सख्या

म बनाये गये हैं। देश में विकसित की गई बड़ी त्याग वाली फील्ड गना के टाइप रूप व प्रथम आदरूप ने सन्तोषजनक रूप से काम किया और अब उसके लिए गालाबारूद के निर्माण और विकास पर काम चल रहा है।

विजयन्ता टैंक और माउण्टेन गन में इस्तेमाल होने वाले सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है तथा मोटरों के लिए तकनिया और रिकायल रहित गनों के निय त्री स्कोपों का उत्पादन बढ़ गया है। हवाई अड्डे के प्रकाश उपकरणों का उत्पादन शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

जीप ट्रक तथा ट्रैक्टर

इस वर्ष शक्तिमान परियोजना अपने उत्पादन के नवें वर्ष में प्रवेश हुई। ३१ दिसम्बर १९६७ तक ॥ २४१ शक्तिमान ट्रक बनाए गये। इस समय उनमें देशी अंश लगभग ७२ प्रतिशत है।

निशान १ टन ट्रकों का निर्माण १९६ में आरम्भ हुआ था। दिसम्बर १९६७ तक १८ ८३० ट्रक बनाये गये। उनमें देशी अंश ४५ २ प्रतिशत है।

निशान गश्ती जीपें जून १९६२ से बननी आरम्भ हो गई थीं। दिसम्बर १९६७ तक ६ ४९२ जीपें बनाई गई। उनमें देशी अंश ५९ २ प्रतिशत है।

जबलपुर में यू धनीवस फैक्टरी ट्रकों और निशान गाड़ियों को बनाने का काम १९७० से आरम्भ कर देगी।

मा ८ ६ ट्रैक्टरों की आखरी ६ गाड़ियों के निर्माण और संयोजन कार्य के पूरा हो जाने पर ट्रैक्टर परियोजना की सारी सम्पत्ति जिसमें सिविल के उपयोग के लिए बनाए जाने वाले फालतू पुर्जों के भण्डार यन्त्र और मशीनरी जिग औजार जुगाड़ आदि शामिल हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में जो कि अब ट्रैक्टरों को बनाने के लिए उत्तरदायी है स्थानान्तरित कर दी गई है। इन ट्रैक्टरों के कम चलने वाले पुर्जों को भी बनाया गया है और उन्हें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को भेजा गया है।

अन्य विभागीय संस्थाएं

हैवी व्हीकल्स फैक्टरी आवाडी (मद्रास)

टैंकों का निर्माणित रूप में उत्पादन करने की व्यवस्था की गई है और कल ग टैंक गनों का [illegible] गया है। आवाडी में उत्पादन कार्यक्रम पूर्व योजनानुसार चल रहा है। आयात प्रति धारा व्यवस्था पर अधिक बल देने के फलस्वरूप उत्पादन के आरम्भिक चरणों में देशी अंशदान का प्रतिशत पूर्व आयोजित प्रतिशत से अपेक्षाकृत अधिक था। चालू वर्ष के अन्त तक कारखाने में स्थिर वाकम और इंजनों को बनाने की व्यवस्था की गई है।

एम्युनिशन्स गाउन ग्रेड फैक्टरी हजरतपुर (उत्तर प्रदेश)

इस फैक्टरी की स्थापना भारत में निर्धारण शोरा शुद्धिकरण प्रक्रिया की आधुनिकतम [illegible] का प्रयोग कर खानों और [illegible] का पुन [illegible] शुद्धिकृत माल तैयार करने [illegible] भाग का बजट [illegible] होता है काफी समय तक उस [illegible] जा सकता है [illegible] बना रहता है और उस स्थान में भी कम कम [illegible] बनता रहता है।

सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं

रक्षा उत्पादन विभाग के नीचे निम्नलिखित सात सरकारी क्षेत्र की सस्थाए हे ।

१ हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, वम्वई,

२ भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, वगलौर,

३ मजागा डाक लिमिटेड, वम्वई,

४ गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता,

५. प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दरावाद,

६. भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, वगलौर,

७ गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के नाम से एक अकेली सरकारी क्षेत्र की सस्था पहली अक्तूबर १९६७ को वनाई गई । इसमे सारे देग के लिए विमानो और उनसे सम्वन्धित उपस्करो का निर्माण होता हे । इसकी निम्नलिखित यूनिटे हे .—

(१) वगलौर डिवीजन, जो सवसे पुरानी यूनिट है और जिसे २५ वर्प पूर्व वनाया गया था,

(२) वायुसेना के एक मरम्मत डिपू के रूप मे १९५९ मे और एक व्यापारी यूनिट के रूप मे १९६४ मे खोला गया कानपुर डिवीजन, और

(३) नासिक, हैदरावाद और कोरापुट मे तीन मिग कारखाने ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को १९६६-६७ के दौरान उत्पादन वोनस की अदायगी करने के वाद और आयकर चुकाने तथा मूल्य ह्रास और उपदानो की व्यवस्था पर किए जाने वाले व्यय को निकालने के वाद १ २९ करोड रुपये का लाभ हुआ ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० (वगलौर डिवीजन) मे १९६६-६७ के अन्तर्गत १८०७. ६८ लाख रुपये का उत्पादन कार्य हुआ । ऐसी आशा है कि १९६७-६८ के दौरान उत्पादन लागत लगभग १९ ०० लाख रु० हो जायेगी ।

१९६६-६७ के अन्तर्गत मिग कारखानो मे १२ २६ करोड रुपये का उत्पादन कार्य हुआ । १९६७-६८ के दोरान लगभग २१ करोड रुपये के उत्पादन कार्य के होने का अनुमान हे ।

आयात किए गए सयोजको से नासिक मे विमान को वनाने की योजना तैयार हो गई हे । इस कार्यक्रम का अगला चरण, जिसमे उपसयोजको से विमान के सयोजन की व्यवस्था है, आरम्भ हो गया है । कच्चे धातु और विवरणो के आधार पर विमानो के वनाने का काम अगले कुछ वर्पो मे शुरू किया जाना हे, इसलिए उसके देगी पुर्जो की कीमत काफी वढ जाएगी ।

कोरापुट (इजन) और हैदरावाद (इलेक्ट्रानिक्स) कारखानो की स्थापना मे काफी प्रगति हुई है । हैदरावाद मे १९६७-६८ के दौरान उत्पादन कार्य आरम्भ हो जाएगा जवकि कोरापुट मे १९६८-६९ से उत्पादन कार्य आरम्भ होगा ।

भारत इलाट्रानिक्स लिमिटड

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटड १९५४ म स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से वाल्वों और ट्रांजिस्टरों का निर्माण करने वाली देश भर म अकेली कम्पनी है। अपने उपस्कर डिवीजन म यह कम्पनी सूक्ष्म विकिरण संचारित्रों, ट्रांसमीटरों और रडारों का निर्माण करती है। निर्मित की गई मदों की विभिन्नता, गुणों की उत्कृष्टता और युक्ति उत्पादन की दृष्टि में इस के इलेक्ट्रानिक कारखाना म इस कम्पनी का स्थान अग्रगण्य है।

रक्षा सेनाओं क लिए उत्पादन कार्यों म वृद्धि करते हुए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटड ने पिछले वर्षों की तुलना म अन्य सरकारी विभागों की काफी आवश्यकताओं की भी पूर्ति की है। असैनिक विभागों को बचे गए साजसामान का मूल्य १९६४ ६५ म १८ करोड़ रुपये और १९६६ ६७ म २५ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६७ ६८ म लगभग ७० करोड़ रुपये हो गया।

मजागाँ डॉक लिमिटड।

मजागाँ डाक लिमिटड का मुख्य काम जलयानों की मरम्मत करना और उनका निर्माण करना है। जलयान निर्माण घाटों और दो शुष्क गोदियों वाली मजागाँ डाक लिमिटेड अब १४५ मीटर तक लम्बे और २४ मीटर तक चौड़े लगभग १५,००० टन डी० डब्ल्यू० टी० जहाजों का निर्माण कर सकता है। इसमें फ्रिगेटों और विध्वंसक जलयानों, परिवहन तथा माल वाहक जहाजों, ड्रेजरों, टगों, बार्जों, लाइटरों, जलवाहक नौकाओं, तैरती गोदियों, पाटूनों तथा आक्रामक नौकाओं के निर्माण की क्षमता है।

माघ १९६७ म इस कम्पनी का बनाया हुआ एक बड़ा बोट डीजर लिएण्डर भारतीय नौसेना को दिया गया। देश म बनाए जाने वाले पहले सुरंगनाशक जलयान को पानी म उतारा गया और आवश्यक उपस्करों से सज्जित किए जाने के बाद उसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। ऐसी आशा है कि लाण्डर किस्म का पहला निर्माणाधीन फ्रिगेट कार्यक्रम सूची के अनुसार अक्तूबर १९६८ म पानी म उतार दिया जाएगा। इसके पश्चात् उस सज्जित किया जाएगा और फिर सागर म इसके परीक्षण होंगे। कार्यक्रम सूची के अनुसार १९७१ के अन्त तक उसे भारतीय नौसेना म चालू किए जाने की आशा है।

गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटड

गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड का मुख्य व्यवसाय सामान्य इंजीनियरी, जहाज निर्माण करना और जहाज मरम्मत करना है। इस कम्पनी को समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण के लिए आवश्यक संयंत्र की स्थापना का काय भी सौंपा गया है। इसकी आय १९६५ ६६ म ४६२ लाख रुपये से बढ़ कर १९६६ ६७ म ४८२ लाख रुपये की हो गई थी। १९६७ ६८ म इस धनराशि के और बढ़कर ६ लाख रुपये हो जाने की आशा है।

इस कम्पनी ने इस वर्ष के दौरान प्रदीप बन्दरगाह के लिए एक ड्रेजर, नौसेना के लिए दो हार्बर क्राफ्ट और कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्तों के लिए दो मोटी टग बनाने का निर्माण कार्य पूरा किया।

प्रागा टूल्स लिमिटेड :

प्रागा टूल्स लिमिटेड की इस समय दो डिवीजने है—नामत (१) मशीन टूल्स डिवीजन (२) फोर्ज तथा फाउड्री डिवीजन। मशीन टूल्स डिवीजन रक्षा मदो के अतिरिक्त ड्रिलिंग मशीनो, टूल तथा कटर ग्राइडरो, मिलिंग मशीनो और ड्रिल चक्स लाथ चक्स, जैसे मशीनी औजारो को बनाता है, जबकि फोर्ज तथा फाउण्ड्री डिवीजन रेलवे स्क्रू कप्लिंगो और आटो तथा डीजल पुर्जो का उत्पादन कार्य करता है। इस कम्पनी मे एक सूक्ष्म मदो की निर्माण-शाला है। मशीनी औजारो के लिए आवश्यक गढाई और ढलाई सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति फोर्ज तथा फाउण्ड्री डिवीजन द्वारा की जाती है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बडी गेजो वाले रेल डिब्बो, भारत अर्थ मूविंग उपस्कर और क्रालर ट्रैक्टरो को बनाने का काम करता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर के सगठनात्मक ढाचे के सम्बन्ध मे कुछ सामान्य बाते परिशिष्ट "क" मे उल्लिखित है।

वर्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन मे अनिवार्य सेवा की व्यवस्था के प्रश्न पर फिर से विचार किया गया। शिक्षा आयोग ने छात्रो के लिए एक राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय कैडेट कोर का ही एक प्रकारान्तर रूप है, बनाने का सुझाव दिया था। इस आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रशिक्षण व्यवस्था को ऐच्छिक बनाने के पक्ष मे शिक्षाविदो की बढती हुई विचारधारा और इन्स्ट्रक्टरो की वर्तमान कमी तथा सीनियर डिवीजन मे बहुत बडी सख्या मे कैडेटो के लिए आवश्यक साज-सामान की व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थान पर राष्ट्रीय सेवा के अन्य स्वरूपो का विकास करना वाछनीय है। सीनियर डिवीजन मे कैडेटो के अनिवार्य प्रशिक्षण का समय ३ वर्ष से घटा कर २ वर्ष कर दिया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि १९६७ के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर के युवती डिवीजन का और अधिक प्रसार न किया जाय तथा जूनियर डिवीजन का प्रसार अधिक से अधिक १५,००० कैडेटो तक ही किया जाय। जुलाई १९६७ मे शैक्षिक वर्ष के आरम्भ होने के समय से इन निर्णयो को लागू किया गया। शिक्षा मत्रालय राष्ट्रीय सेवा के अन्य स्वरूप तैयार करने की योजना बना रहा है। वैकल्पिक योजना पर हो रही प्रगति को देखते हुए ऐसी आशा है कि अगले कुछ वर्षो मे राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन मे लडको की सख्या कम हो जाएगी। उस स्थिति मे तब सम्भव हो सकता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रशिक्षण व्यवस्था मे और सुधार किया जाये।

सीनियर डिवीजन मे लडको की सख्या घटने से इन्स्ट्रक्टरो और कैडेटो के अनुपात मे और प्रशिक्षण के लिए साज-सामान की व्यवस्था मे कुछ सुधार हुआ है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और समयावधि मे और फेर-बदल किए जाने का विचार है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर की अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को घटा कर दो वर्ष करने के परिणामस्वरूप सीनियर डिवीजन मे भर्ती किए गए कैडेटो की सख्या, जिसमे लडकिया भी

सम्मिलित हैं। ३१ दिसम्बर १९६७ की स्थिति के अनुसार ७.४८ लाख तक हो गई थी जब कि १९६६ के अंत में उनकी संख्या ६.७४ लाख थी। ३१ दिसम्बर १९६७ को जूनियर डिवीजन के कैडेटों की कुल संख्या ६.८८ लाख थी जब कि ३१ दिसम्बर १९६६ को उनकी कुल संख्या १७ लाख थी।

३१ दिसम्बर १९६७ को राष्ट्रीय कैडेट कोर की संख्या शक्ति इस प्रकार थी —

(क) अफसर और अनुदेश अमला

३१ दिसम्बर १९६७ की स्थिति के अनुसार प्रत्याशित आंकड़े

	अफसर		जूनियर कमीशंड अफसर/समकक्ष पद		नान कमीशंड अफसर/समकक्ष पद	
	अधिकृत	वास्तविक	अधिकृत	वास्तविक	अधिकृत	वास्तविक
थल सेना	२ ७९	१ ८६६	८ ६७८	७ ३५२	१२ ८८३	१२ ०५८
नौ सेना	१३९	६२	४९६	३५८	१७०	१२२
वायु सेना	१७६	७१	५८	५३	८२९	५६४

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के अफसर

	अधिकृत	वास्तविक
सीनियर डिवीजन	६ १७७	६ ७८
जूनियर डिवीजन	६ ७९५	६ ६८६

सम्मान तथा पुरस्कार

राष्ट्रपति ने २६ जनवरी १९६७ के बाद निम्नलिखित वीरता पदक और अन्य अलंकरण प्रदान किए —

(क) वीरता पदक

अशोक चक्र	६
महावीर चक्र	२
कीर्ति चक्र	२
वीर चक्र	३
शौर्य चक्र	१८

(ख) अन्य अलंकरण (सशस्त्र सेना कार्मिकों को प्रदत्त)

पद्म भूषण	१
परम विशिष्ट सेवा मेडल	८
अति विशिष्ट सेवा मेडल	११
सेना मेडल	१८
नौसेना मेडल	१५
वायुसेना मेडल	१७
विशिष्ट सेवा मेडल	१९

राष्ट्रपति ने १२ अप्रैल १६६७ को राष्ट्रपति भवन मे आयोजित मानाभिषेक समारोह मे निम्नलिखित वीरता पदक और अन्य अलकरण प्रदान किए :—

(क) वीरता पदक

महावीर चक्र .	१
वीर चक्र . . .	७
शौर्य चक्र . .	६

(ख) अन्य अलकरण (सशस्त्र सेना कार्मिको को प्रदत्त)

परम विशिष्ट सेवा मेडल .	७
अति विशिष्ट सेवा मेडल . .	१८

रक्षा संगठन का विवरण

रक्षा मत्रालय, जिसमे रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग सम्मिलित है, निम्नलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी है।

रक्षा मंत्रालय

१ भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करना—इसमे रक्षात्मक तैयारिया तथा ऐसे सभी काम शामिल हे जो लडाई के समय मे उसे ठीक ढग से चलाने तथा लडाई के वाद सेना को नियमित रूप से विघटित करने के लिए आवश्यक हे।

२ सघ की सशस्त्र सेनाए, अर्थात थल सेना, नौ सेना और वायु सेना।

३ थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के रिजर्व।

४ प्रादेशिक सेना तथा सहायक वायु सेना।

५ राष्ट्रीय कैडेट कोर।

६ थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के निर्माण कार्य तथा एम० ई० एस० को सोपे गए रक्षा उत्पादन सगठन से सम्वन्धित निर्माण कार्यो को कार्यान्वित करना।

७ सैनिक फार्म सगठन।

८ कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेण्ट (इण्डिया)।

९ रक्षा प्राक्कलनो से खर्च प्राप्त करने वाली असैनिक सेवाए।

१० सामुदायिक सर्वेक्षण तथा नौपरिवहन चार्ट वनाना।

११ नई छावनियो का निर्माण, छावनी क्षेत्र की हदवन्दी, उनमे से कुछ क्षेत्र निकालना, ऐसे क्षेत्रो मे स्वायत्त शासन, छावनी वोर्ड तथा प्राधिकारियो का सविधान और अधिकार क्षेत्र तथा आवास सम्वन्धी व्यवस्था (इसमे किराया नियत्रण भी शामिल हे)।

१२ रक्षा कार्यो के लिये भूमि और जायदाद का अर्जन, अधिग्रहण और त्याग। रक्षा भूमि तथा जायदाद से अनधिकृत लोगो को वाहर निकालना।

१३ भूतपूर्व सैनिको से सम्वन्धित मामले (उनमे पेशन प्राप्त सैनिक भी शामिल है)।

सेनाध्यक्षों की समिति

थल सेनाध्यक्ष नौ सेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष की समिति सेनाध्यक्षों की समिति कहलाती है। इसकी अध्यक्षता समिति का वरिष्ठ सदस्य करता है। तीनों सेनाध्यक्ष सम्मिलित रूप से सरकार को रक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों पर व्यवसायिक सैनिक सलाहकारों के रूप में अपनी राय देते हैं। इस समिति की सहायता के लिये कई उप-समितियाँ हैं जो योजना खुफिया प्रशिक्षण आदि विशेष विषयों पर विचार करती हैं। इस समिति की तथा उसकी उप समितियों की सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था का भार मंत्रि मंडल सचिवालय (सैनिक स्कन्ध) पर है।

रक्षा उत्पादन बोर्ड और विमान उत्पादन बोर्ड

सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में रक्षा उत्पादन बोर्ड का काम रक्षा उत्पादन की भावी योजनाओं के सम्बन्ध में जहाँ तक कि उनका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता हो कच्चे माल को एकत्रित करने के लिये नीति बनाना रक्षा सेनाओं के लिए आवश्यक नई मदों के उत्पादन की व्यवस्था करना आयात किए गए रक्षा भण्डारों को देश में ही बनाने और रक्षा उत्पादन रख रखाव और मरम्मत सम्बन्धी कार्य-कलापों के क्षेत्र में अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में विचार करना सलाह देना और सिफारिशें करना है।

सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में विमान उत्पादन बोर्ड को ऐरोनाटिक्स (मिसाइल सहित) क्षेत्र में उसी प्रकार के काम सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड ऐरोनाटिक्स से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास की बड़ी परियोजनाओं पर विचार करेगा और उनका अनुमोदन करेगा तथा उत्पादन और निरीक्षण कार्य में और ऐरोनाटिक्स सम्बन्धी अनुसंधान और विकास कार्य में समन्वय स्थापित करेगा।

रक्षा मंत्रालय का संगठन

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग आते हैं—प्रथम में तो तीनों सेनाओं तथा अंतर्सेवा संगठनों से सम्बन्धित काम होते हैं और दूसरे में रक्षा उत्पादन और अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी सारे काम होते हैं और तीसरे में रक्षा उद्देश्यों के लिए आयात किये जाने वाले भंडार की प्रतिस्थापना सम्बन्धी योजनायें बनाने तथा उस सम्बन्ध में योजनाओं को कार्यान्वित करने के सारे काम होते हैं। रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा पूर्ति विभाग तथा तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टरों के संगठन सम्बन्धी चार्ट I से X अनुबंध में दिखाये गये हैं।

तीनों सेनाओं का संगठन

तीनों सेनाओं के संगठन सम्बन्धी कुछ और ब्यौरे अगले परिच्छेदों में दिए गए हैं।

थल सेना

थल सेना हेडक्वार्टर

इस संगठन का मुख्य चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ है। उसकी सहायता वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ तथा अन्य चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर करते हैं जो क्रमशः डिप्टी चीफ

आफ स्टाफ एडजुटेण्ट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल, तथा मास्टर जनरल आफ आर्डनेन्स हे। उनके अतिरिक्त ब्राचो के मुख्य हे, जिन्हे मिलिट्री सेक्रेट्री तथा इजीनियर-इन-चीफ कहते है। थल सेना हेडक्वार्टर की विभिन्न ब्राचो के अन्तर्गत विभिन्न निदेशालय अनुवध III मे दिखाये गये है। विभिन्न ब्राचो के नाम निम्नलिखित है—

(क) **जनरल स्टाफ ब्रांच**—(१) थल सेना का सगठन तथा सेना को काम मे लगाना, सैनिक सक्रियाये, खुफिया सैनिक प्रशिक्षण और शिक्षा, युद्ध कौशल सम्वन्धी विकास, सैनिक सर्वेक्षण—इसमे नक्शो की सप्लाई करना तथा उन्हे सुरक्षित रखना और योजनाओ और इन्जीनियरी स्टाफ के मामले, इन पर वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ विचार करता है, और (२) स्टाफ सम्वन्धी काम, हथियारो और साज-सामान का चयन और उनकी मात्रा निर्धारित करना, अन्तर-सचार व्यवस्थाए, साज-सामान सम्वन्धी नीति मे समन्वय, इसमे रसद व्यवस्था सम्मिलित है, सभी आरमर्ड कोर की यूनिटो के लिए प्रशिक्षण और उपस्कर सम्वन्वी व्यवस्था, इन्फेन्ट्री मामलो मे सलाह और सुझाव देने का काम, प्रादेशिक सेना और रक्षा सुरक्षा कोर ये सव विषय डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ के अधीन है।

(ख) **एडजुटेन्ट जनरल ब्राच**—इसके अन्तर्गत जन-शक्ति, भर्ती, छुट्टिया, वेतन तथा भत्ता और पेशन तथा सेवा की अन्य शर्तें और अनुशासन जैसे विषय आते है। यह कल्याण, स्वास्थ्य और सैन्य विधि सम्वन्धी काम भी करती है।

(ग) **क्वार्टर मास्टर जनरल ब्राच**—इसके अन्तर्गत कार्मिको का सचलन, भडार तथा साज-सामान और ईंधन, खाने की वस्तुओ तथा चारे का अनुमान लगाना, उनका स्टोर करना, निरीक्षण करना और उनकी सप्लाई करना, निर्माण नीति सैनिक फार्म, सैनिक रिमाउन्ट तथा वेटेरिनरी सेवाये, सेना डाक सेवाये, श्रम तथा कैन्टीन सेवाये, आग बुझाने सम्वन्धी सेवाये और एम० ई० एस० निर्माण विलो की तकनीकी जाच, जैसे विषय आते है।

(घ) **मास्टर जनरल आफ आर्डनेन्स ब्राच**—सामान प्राप्त करने सम्वन्धी नीति के सभी पहलुओ, आर्डनेन्स सप्लाई के सभी सामानो तथा साज-सामान की व्यवस्था और उनकी स्टोर-व्यवस्था, वसूली, मरम्मत, रख-रखाव तथा उन्हे जारी करने का कार्य—इसमे सैनिक गाडिया, हथियार तथा गोला-वारूद और नौ सेना तथा वायु सेना के उपयोग मे आने वाले साधारण सामान भी शामिल हैं।

(ङ) **मिलिट्री सेक्रेट्री ब्राच**—सेना मे कमीशन देना, सेना के सभी गैर-मेडिकल अफसरो की तैनाती, तवादला, पदोन्नति, नियुक्ति, निवृत्ति, इस्तीफा, अशक्तता और नियमित रिजर्व सेना के सभी गैर-मेडिकल अफसरो की गोपनीय रिपोर्टो तथा व्यक्तिगत अभिलेखो को रखना, ऐसे चयन वोर्डो के लिये सचिवालय सम्वन्धी व्यवस्था करना जो कि लेफ्टि० कर्नल तथा उससे उच्च पदो मे पदोन्नति के लिये सिफारिशे करते है, सेना के अफसरो को सम्मान तथा पदक देने सम्वन्धी सिफारिशें करना तथा असैनिको को सेना मे अवैतनिक कमीशन देना।

(च) इंजीनियर इन चीफ ब्रांच—इंजीनियरी यूनिटों और इंजीनियरी भंडारा सम्बंधी सभी मामले (इनमें परिवहन वस्तुओं का निपटान और सुरक्षा का इन्तजाम सम्बंधी मामले सम्मिलित हैं) एम० ई० एस० तथा इंजीनियर कोर के कार्मिकों के प्रशासन सम्बंधी मामले रक्षा सेवाओं के सभी आवासों को बनाना और उनकी व्यवस्था करना तथा अन्य निर्माण कार्यों को करना और उन्हें ठीक रखना विशेष परियोजनाओं और छावनी योजना के निर्माण सम्बंधी अध्ययन।

कमांड और एरिया

थल सेना हेडक्वाटर के अधीन थल सेना को चार कमांडों में गठित किया गया है प्रत्येक कमांड को फिर आगे एरियाओं स्वतन्त्र सब एरियाओं और सब एरियाओं में विभक्त किया गया है। प्रत्येक कमांड की कमान लेफ्टि० जनरल के ओहदे का एक जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ (जिसे आर्मी कमांडर कहा जाता है) करता है एरियाओं की कमान जनरल अफसर कमांडिंग (मेजर जनरल) और स्वतन्त्र सब एरियाओं की कमान ब्रिगेडियर करते हैं। ये सभी स्थैतिक विरचना हेडक्वाटर हैं। फिर भी प्रत्येक कमांड हेडक्वाटर अपनी चल विरचनाओं पर सक्रियात्मक नियन्त्रण करने के लिए एक चल सामरिक हेडक्वाटर बना सकता है जिसमें कोर डिवीजन ब्रिगेड ग्रुप स्वतन्त्र ब्रिगेड और ब्रिगेड होते हैं। एक कोर हेडक्वाटर को दो या दो से अधिक डिवीजनों या डिवीजनों ब्रिगेड ग्रुपों और स्वतन्त्र ब्रिगेडों के सम्मिलन की कमान करने के लिये कमांड हेडक्वाटर के अधीन रखा जाता है।

नौ सेना

नौ सेना हेडक्वाटर

इस संगठन का मुख्य चीफ आफ दी नेवल स्टाफ है। उसके अधीन चार स्टाफ अफसर और एक नेवल सेक्रेटरी है जिनके नाम नीचे बताये गये हैं। नौ सेना हेडक्वाटर का संगठन चार्ट अनुबंध IV में दिखाया गया है।

(i) वाइस चीफ-आफ नेवल स्टाफ—सक्रियाएं योजनाएं हथियार सम्बंधी नीति खुफिया पनडुब्बी सेवाएं और अधिग्रहण परियोजनाएं नौ संचार व्यवस्था सामुद्रिक सर्वेक्षण तथा निर्माण योजनाएं।

(ii) चीफ-आफ पर्सानल—नौ सेना के सभी सैनिक और असैनिक कार्मिकों की भर्ती सेवा के नियम तथा शर्तें प्रशिक्षण कल्याण कार्य और नौ सेना के अनुशासन शिक्षा चिकित्सा रंगरूट पहचानना और वैधानिक मामले।

(iii) चीफ आफ मेटीरियल—जहाजों हथियार और साज-सामानों नौ सेना डाक यार्ड और नौ सेना भंडारों की व्यवस्था करना नौ सेना शस्त्र सम्भरण तथा नौ सेना समस्त्र निरीक्षण संगठनें समुद्री तथा विद्युत् इंजीनियरिंग।

(iv) असिस्टेंट चीफ-आफ नेवल एविएशन—सभी नौ सेना हवाई सम्बंधी मामले जिनमें नीति सक्रियाएं अमला तथा सामान सम्बंधी मामले भी शामिल हैं तथा प्रशिक्षण सम्बंधी मामलों का सक्रियात्मक नियन्त्रण और नौ सेना की हवाई यूनिटों का प्रशासन।

(v) नेवल सेक्रेट्री—नौ सेना के बजट सम्बंधी सभी मामले प्रकाशन तथा अभिलेख और नौ सेना हेडक्वाटर के सिविलियनों सम्बंधी सभी मामले।

प्रशासकीय अधिकारी

चीफ-आफ नेवल स्टाफ निम्नलिखित अधिकारियो के द्वारा कमान सभालते है :—

(क) फ्लैग अफसर कमाडिंग, भारतीय वेडा ।

(ख) फ्लैग अफसर, वम्बई ।

(ग) फ्लैग अफसर, पूर्वी समुद्री तट, विशाखापटनम् ।

(घ) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन ।

(ड) नेवल आफीसर-इन-चार्ज, गोवा ।

भारतीय वेडे के फ्लैग अफसर कमाडिंग पर नौ सेना के ऐसे सभी जहाजो को चलाने और उन पर प्रशासन करने का भार है जो भारतीय वेडे मे शामिल है ।

फ्लैग अफसर वम्वई, नौ सेना के उन सभी जहाजो और समुद्र-तटीय सिव्वन्दियो की देख-रेख करता है जो वम्वई मे और उसके आस-पास है । इसमे जामनगर और लोना-वाला की सिव्वन्दिया भी शामिल है । उस पर ऐसे जहाजो के प्रशासकीय और सक्रियात्मक नियत्रण का भी उत्तरदायित्व है जो वम्वई मे रहते है और भारतीय वेडे के फ्लैग अफसर कमाडिंग के अधीन हे ।

विशाखापटनम् मे पूर्वी समुद्री तट के फ्लैग अफसर पर विशाखापटनम्, कलकत्ता, पोर्ट ब्लायर (अण्डमान) और मद्रास की सभी समुद्र-तटीय सिव्वन्दियो का उत्तरदायित्व है । जो जहाज विशाखापटनम् मे ठहरते है उनके लिये भी वह उत्तरदायी है ।

कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन के उत्तरदायित्व मे वे सभी समुद्र-तटीय सिव्वन्दियाँ है, जो कोचीन या उसके आस-पास स्थित हे इनमे कोयम्वतूर सम्मिलित है । इसमे वे समुद्री जहाज और विमान भी सम्मिलित है जो इन सिव्वन्दियो मे है ।

गोवा मे स्थित भारतीय नौ सेना के जहाज, "गोमन्तक" "हस" और नेवल एयर स्टेशन, डवोलिम-सभी नौ-सेना अफसर-इन-चार्ज, गोवा के प्रशासनाधीन है ।

वायु सेना

वायु सेना हेडक्वार्टर

इस सगठन का मुख्य चीफ आफ दी एयर स्टाफ है, जिसकी सहायता चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर करते है । वायु सेना हेडक्वार्टर का सगठन चार्ट अनुवध V मे दिया गया है । वायु सेना हेडक्वार्टर के तीन मुख्य ब्राचो के काम नीचे दीए गए है —

(i) वाइस-चीफ आफ एयर स्टाफ के नीचे एयर स्टाफ ब्राच नीति तथा योजना, सिव्वन्दी, प्रशिक्षण, सिगनल, शिक्षा, सहायक और रिजर्व सेना तथा नियत्रित शस्त्र सम्वन्धी काम करती है और डिप्टी चीफ-आफ एयर स्टाफ के नीचे वह सक्रियाए, उडान, सुरक्षा, खुफिया तथा मौसम विज्ञान सम्वन्धी कार्य करती है ।

(ii) प्रशासन ब्राच भर्ती, अनुशासन-सेवा के नियम तथा शर्तें तैनाती, पदोन्नति तथा कल्याण कार्यवाही, चिकित्सा लेखा-वजट, और निर्माण सम्वन्धी आवश्यकताए, सगठन और कानूनी सलाह देने सम्वन्धी काम करती है ।

(iii) मेन्टेनेंस ब्रांच का काम विमानों और गाड़ियों की व्यवस्था करना तथा उनको ठीक रखना, हथियारों, साज-सामान तथा वायु सेना के अन्य भंडारों को प्राप्त करना तथा उनको स्टोरों में रखना है। इसमें अस्त्र-शस्त्र तथा विमानों के स्टोरों में रखने का काम भी सम्मिलित है।

वायु सेना कमांड

वायु सेना हेडक्वाटर के अन्तर्गत पांच कमांड हैं—पश्चिमी वायु सेना कमांड, केन्द्रीय वायु सेना कमांड, पूर्वी वायु सेना कमांड, प्रशिक्षण कमांड और अनुरक्षण कमांड। कुछ यूनिटों को अपने विशेष कामों के कारण सीधा वायु सेना हेडक्वाटर के नीचे काम करना होता है।

पश्चिमी, केन्द्रीय तथा पूर्वी वायु सेना कमांडों के अन्तर्गत सभी फ्लाइंग यूनिटें हैं, जैसे लड़ाकू, बमवर्षक, टोह तथा हवाई परिवहन स्क्वाड्रन और सिगनल यूनिट। कमांडों का उत्तरदायित्व अपने-अपने क्षेत्रों में हवाई आक्रमण से देश की रक्षा करना है और थल सेना तथा नौ सेना को सामान्य रूप से हवाई हमलों के सिलसिले में सहायता देना है।

प्रशिक्षण कमांड के अधीन वे सभी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, जो भारतीय वायु सेना के अफसरों को सभी ग्राउण्ड तथा फ्लाइंग प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कमांड ग्राउण्ड ड्यूटी शाखा के अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं पर भी नियंत्रण रखती है।

मेन्टेनेंस कमांड के अन्तर्गत वे सभी यूनिटें हैं जिनका उत्तरदायित्व विमानों, सैनिक गाड़ियों, सिगनल साज-सामान, हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटकों की मरम्मत करना तथा उन्हें ठीक प्रकार से स्टोरों में रखना है।

रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन संगठन

आर्डनेंस कारखाना का महानिदेशालय

आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक भारतीय आर्डनेंस कारखानों के प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। ये कारखाने भारत के विभिन्न भागों में स्थापित हैं और रक्षा सेनाओं की आवश्यकता के हथियारों, गोला-बारूद, गाड़ियों, वस्त्र और अन्य उपस्करों को बनाने में लगे हुए हैं। कलकत्ता से सभी कारखानों के प्रशासन की अति केन्द्रीयकरण व्यवस्था को दूर करने के विचार से वस्त्र और सामान्य भण्डारों की मदों का उत्पादन करने वाले ५ कारखानों को अलग कर दिया गया है और उन्हें आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरीज (ओ ई एफ) नामक एक अलग ग्रुप में संगठित किया गया है। उस ग्रुप को कारखाना के अपर महानिदेशक के आधीन रखा गया है। यह ग्रुप इस प्रकार १९६७ के मध्य में काम कर रहा है। आर्डनेंस कारखाना के महानिदेशक इस नए ग्रुप पर भी व्यापक नियंत्रण बनाए रखेंगे और सभी कारखानों के सामान्य नीति सम्बन्धी मामलों में समन्वय बनाए रखेंगे।

अब कुल आर्डनेंस कारखानों की संख्या २५ हो गई है जिनमें इंजीनियरी, धातु कर्म, रसायन, वस्त्र और चमड़ा टेक्नालाजियों का काम किया जाता है और उनमें लगभग

१,४०,००० व्यक्ति काम करते हैं तीन और नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं जिन मे से दो कारखानो को स्थापित करने का काम काफी आगे तक हो चुका है।

निरीक्षण महानिदेशालय

निरीक्षण महानिदेशक का उत्तरदायित्व रक्षा सेवाओ के लिए उन हथियारो, गोला-बारूदो तथा साज-सामानो का निरीक्षण करना है जो आर्डनेन्स और विभागीय कारखानो, सरकारी क्षेत्र की सस्थाओ और सिविल क्षेत्रो मे बनते हैं तथा उनमे कुछ ऐसे भण्डार भी सम्मिलित हैं जिनके लिए सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक के द्वारा आर्डर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह महानिदेशालय इस बात की भी छानबीन करता है तथा सलाह देता है कि रक्षा भडार की वे मदे जो बाहर से आयात की जाती हैं किस प्रकार अपने देश मे बनाई जा सकती हैं। सेनाओ द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ऐसे भडारो के निर्माण के सम्बन्ध मे भी यह तकनीकी सलाह देता है जो कि सिविल सेक्टर मे तैयार किये जाते है। उपस्करो को इस्तेमाल करते समय उनमे जो कमिया दिखाई पडती है उनके विषय मे यह निदेशालय जाच-पडताल करने मे सहायता करता है।

निरीक्षण सेवाओ का महत्वपूर्ण काम सामग्रियों और तैयार शुदा भडारो का प्रयोगशालाओ मे परीक्षण करना है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निश्चित विवरण के अनुसार हैं। इस काम के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानो पर अलग प्रयोगशालाए बनाई गई है, जिससे सप्लाई की जाने वाली चीजो का निरीक्षण जल्दी हो सके।

४५ मुख्य निरीक्षण सिब्बन्दिया है। इनके अतिरिक्त बहुत से स्कन्ध टोलिया हैं जो आर्डनेन्स कारखानो, सरकारी क्षेत्रो के कारखानो और प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्रो के साथ-साथ स्थापित है।

आर्डनेन्स कारखानो के उत्पादन से सम्बन्धित कुछ निरीक्षण कार्यो को पुन वितरित किया जा रहा है जिससे स्तर और अन्तर-स्तर निरीक्षण कार्य का उत्तरदायित्व उत्पादन अधिकारियो को दिया जाय। एक स्वतन्त्र सेवा निरीक्षक अब अन्तिम निरीक्षण और प्रमाण कार्य करेगा। उसे यह भी अधिकार है कि किसी भी उत्पादन स्तर पर निरीक्षण कार्य कर सकता हैं।

आयोजना और समन्वय निदेशालय .

यह निदेशालय एक अन्तर-सेवा सगठन है और रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन काम करता है। यह निदेशालय रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन किसी भी सरकारी सस्था या आर्डनेन्स कारखाने के कार्यक्षेत्र मे पडने वाले रक्षा उत्पादन को बढाने के प्रस्तावो का अध्ययन करने से सम्बन्धित है और रक्षा उत्पादन बोर्ड और राजकीय क्षेत्र की सस्थाओ की बैठको के लिये सचिवालय के रूप मे काम करता है। रक्षा उत्पादन सम्बन्धी मामलो के सम्बन्ध मे यह निदेशालय अन्य मत्रालयो और सगठनो जैसे औद्योगिक विकास तथा कम्पनी मामलो (लाइसेंस देने वाली समिति) के मत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान परिषद् तथा योजना आयोग से सम्पर्क बनाये रखता है।

अनुसधान तथा विकास सगठन

यह सगठन सम्पूर्ण रूप से रक्षा मत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन है जो अनुसधान और विकास सगठन का महानिदेशक भी है। इस सगठन का उत्तरदायित्व, अनुस-

धान डिजाइन और सशस्त्र सेनाओ की जरूरतो के लिए सभी प्रकार के साज-सामानो का विकास करना है। २६ विकास स्थापनाएं/अनुसंधान प्रयोगशालायें भारत के विभिन्न भागो मे स्थापित हैं। अनुसंधान और विकास स्थापनाओं/प्रयोगशालाओं के कार्यों का समन्वय करने और उनकी प्रगति के लिये देश मे सैनिक हेडक्वाटरो और अन्य वैज्ञानिक संगठनो के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का मुख्यालय दिल्ली मे है जिसमे छः तकनीकी निदेशालय नामतः आर्मामेंट्स इलक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एरोनाटिक्स गाडियां और अनुसंधान प्रयोगशालायें और एक प्रशासन निदेशालय हैं। इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाशील ग्रुप नामतः मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय वैज्ञानिक मूल्यांकन ग्रुप और अग्नि सलाहकार कार्यालय भी अनुसंधान तथा विकास संगठन के एक भाग के रूप मे काम करते है। तीनो सेनाओ को दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक मामलो मे सलाह देने के लिए उनके साथ तथा थल सेना के कमाडो के हेडक्वाटरो के साथ वैज्ञानिक सलाहकार के रूप मे प्रवर वैज्ञानिक लगाये गये हैं। अनुसंधान और विकास सम्बन्धी नीतियो और कार्यक्रमो पर सलाह देने के लिये तथा उनके अपने-अपने क्षेत्रो मे परियोजनाओ की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिये १६ अनुसंधान तथा विकास पैनल और समितियां बनाई गई हैं।

सरकारी स्तर पर अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी प्रयत्नो का दिग् निर्देशन रक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद करती है जिसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री है और अन्य लोगो के अतिरिक्त उसमे तीनो सेनाओ के मुख्य सदस्यो के रूप मे सम्मिलित है।

मानकीकरण निदेशालय

यह संगठन एक निदेशक के अधीन है। यह तीनो सेनाओ द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले विभिन्न उपस्करो के मानकीकरण और सूची बनाने के लिए उत्तरदायी है। एक मानकीकरण समिति वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता मे मानकीकरण के महत्व को तथा देश मे सामान बनाने के आसारो को ध्यान मे रखते हुए रक्षा सेवाओ मे नये उपस्करो को चालू करने के लिये सभी प्रस्तावो पर विचार करती है। इस समिति के नीचे ७ उप समितियां हैं। प्रत्येक उप-समिति किसी एक विशेष प्रकार के उपस्करो से सम्बन्धित है।

तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु सेना) निदेशालय

रक्षा वैमानिक उपस्करो का निरीक्षण करना तथा कच्चे माल विमान के सामान्य हिस्से-पुर्जो और अन्य वैमानिक भण्डारो के लिये देशी साधनो का विकास करना इस संगठन का काम है। यह निदेशक विमानो के हिस्से पुर्जो से सम्बन्धित समिति के सचिवालय के रूप मे भी काम करता है।

हैवी व्हीकल फक्टरी और ए० एफ० डी० फक्टरी

विजयन्ता नामक मीडियम टैंको के उत्पादन के लिए आवाडी (मद्रास) मे हैवी व्हीकल्स फैक्टरी स्थापित की गई है और अधिक ऊंचाई मे तैनात सैनिकों के लिए हिमीकृत शुष्क मास तैयार करने के लिए हजरतपुर मे (आगरा जिले के अन्दर) एक ए० एफ० डी० फक्टरी स्थापित की गई है।

अन्य आर्डनेन्स कारखानो के सम्वन्ध मे की गई व्यवस्था से भिन्न व्यवस्था के अन्तर्गत जिनकी प्रशासन व्यवस्था आर्डनेन्स कारखानो के महानिदेशक द्वारा की जाती है, ये दोनो कारखाने रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के प्रशासनिक नियन्त्रण मे है ।

रक्षा मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित स्वायत् संस्थाये

रक्षा उत्पादन के अधीन निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र की सस्थाए है —

(i) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
(ii) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
(iii) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड
(iv) मजागा डाक लिमिटेड
(v) प्रागा टूल्स लिमिटेड
(vi) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
(vii) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा ।

(१) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, वगलौर

इस विमान कारपोरेशन मे निम्नलिखित पाच विभाग है —

(i) वगलौर डिवीजन—भूतपूर्व हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड मे मुख्य रूप से विमानो, इजनो तथा सम्वन्धित सामग्रियो के निर्माण, ओवरहाल तथा मरम्मत करने की व्यवस्था है ।

(ii) कानपुर डिवीजन—एच० एस० ७४८ विमानो तथा ग्लाइडरो की निर्माण व्यवस्था ।

(iii) नासिक डिवीजन—मिग-२१ विमानो के ढाचो की निर्माण व्यवस्था ।

(iv) कोरापुट डिवीजन—मिग-२१ विमानो के हवाई इजनो के निर्माण की व्यवस्था ।

(v) हैदरावाद डिवीजन—इलेक्ट्रानिक यन्त्रो तथा मिग विमानो के लिए, अन्य साज-सामान की निर्माण व्यवस्था ।

(२) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, वंगलौर

यह कम्पनी उन विभिन्न इलेक्ट्रानिक साज-सामान को तैयार करती है जिनकी रक्षा सेवाओ को आवश्यकता पडती है । यह सिविल विभागो तथा रेडियो उद्योग के लिए भी सामान वनाती है ।

(३) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता

गार्डन रीच वर्कशाप मे जहाजो की मरम्मत और उन्हे दुवारा फिट करने तथा नदियो मे चलने वाली नौकाओ और अन्य मझोले साइज की नौकाओ का निर्माण होता है । यह कम्पनी डीपवेल टर्वाइन पम्प, रोड-रोलर और एयर कम्प्रेशरो का भी निर्माण करती है ।

(४) मजागां डाक लिमिटेड, वम्वई

यह कम्पनी उन जहाजो की मरम्मत करती है जो वम्वई वन्दरगाह पर आते है । इसके अतिरिक्त यह सिविल तथा नौसेना की आवश्यकता के अन्य निर्माण कार्य भी करती है । इस कम्पनी ने भारतीय नौसेना के लिये युद्धपोतो को वनाने का काम भी अपने हाथ मे ले रखा है ।

(५) प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकन्दराबाद

इस कम्पनी का काम कार्बाइन धरन ब्रीच "नाव और रक्षा उत्पादन की अन्य विविध मदें बनाना है। इनके अतिरिक्त यह कम्पनी हल्के मशीनी यन्त्र सहायक छोटे मोटे मशीन यन्त्र सूक्ष्म मदें रेलवे के स्क्रू कपलिंग गाडियो के पेच पुर्जे और विभिन्न प्रकार की गढ़ी वस्तुओ का बनाने म लगी हुई है।

(६) भारत अर्थ मूवस लिमिटेड, बगलौर

यह कम्पनी पहले पहल जमीन खोदने के लिये भारी उपकरण बनाने के विचार से स्थापित की गई थी। इसम हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड का रेल कोच डिवीजन मिला देने से अब यह रेल डिब्बे बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। जापान की मेसस कुमात्सु कम्पनी के साथ सहयोग समझौते के अन्तगत क्रालर टक्टरो का उत्पादन अभी तक आडनेन्स कारखाना मे किया जाता था अब यह काम भी इस कम्पनी को सौंपा गया है।

(७) गोवा शिपयाड लिमिटेड गोवा

यह कम्पनी अभी तक मेजागाव डाक लिमिटेड के पास पटटे पर थी लेकिन अब यह १ अक्तूबर १९६७ से स्वतन्त्र कम्पनी के रूप मे फिर से सक्रिय हो गई है। इस समय यह कम्पनी कच्ची धातु उठाने वाले बाजों के निर्माण करने और बाजों तथा छोटे यानो की छोटी मोटी मरम्मतें करने म लगी हुई है।

अन्तर्सेवा सगठन

(१) मुख्य प्रशासक अफसर का कार्यालय

मुख्य प्रशासक अफसर मुख्य रूप से निम्नलिखित कामो के लिये उत्तरदायी है —

(क) सशस्त्र सेनाओ के हेडक्वाटरो तथा अन्तर्सेवा सगठना के सभी राजपत्रित तथा अराजपत्रित स्टाफ सम्बन्धी सभी प्रशासकीय काम।

(ख) रक्षा हेडक्वाटरो के कार्यालयो के लिये स्थान और सशस्त्र सेनाओ के हेडक्वाटरो तथा अन्तर्सेवा सगठन मे नियुक्त सेना अफसरो के लिये रिहायशी आवास की व्यवस्था।

(२) राष्ट्रीय कडेट कोर महानिदेशालय

यह सगठन एक महानिदेशक के अधीन है जिसका पद मेजर-जनरल का है। इसम राष्ट्रीय कडेट कोर सम्बन्धी सभी काम होते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिये पूरा देश १६ निदेशालयो म बाट दिया गया है। प्रत्येक निदेशालय एक निदेशक के अधीन है जिसका पद ब्रिगेडियर या कनल या उसके समकक्ष होता है। प्रत्येक ग्रुप म ६ से ८ तक यूनिटें हैं। इस प्रकार कुल ११२ ग्रुप हेडक्वाटर हैं और प्रत्येक हेडक्वाटर एक डेपिटी कनल के अधीन है।

राष्ट्रीय कडेट कोर का उद्देश्य चरित्र निर्माण एक साथ काम करने की भावना और सेवा करने की भावना का विकास तथा नेतृत्व करने की क्षमता उत्पन्न करना देश की रक्षा म दिलचस्पी बढ़ाने के लिये सेना से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान सशस्त्र सेनाओ का तेजी से प्रसार करने के लिये एक रिजव

जन-शक्ति तैयार करना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर पर सेवा करने का कोई वास्तविक उत्तर-दायित्व नही है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर मे स्कूल के १३ से १८½ वर्ष की आयु वाले लडको के लिये एक जूनियर डिवीजन, कालेजो, विश्वविद्यालयो और कालेज स्तर के तकनीकी सस्थाओ मे पढने वाले २६ वर्ष से कम आयु वाले लडको के लिए एक सीनियर डिवीजन तथा एक युवती डिवीजन, जिसमे कालेज की छात्राओ के लिए सीनियर स्कन्ध और स्कूल की छात्राओ के लिये जूनियर स्कन्ध है, बनाए गए है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के जूनियर और सीनियर डिवीजनो को तीन स्कन्धो मे विभक्त किया गया है—थलसेना, नौ सेना और वायु सेना। सीनियर डिवीजन के थल सेना स्कन्ध मे आरमर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इजीनियर, सिगनल, इलेक्ट्रीकल और मैकेनिकल, इजीनियरिंग तथा मेडिकल और वेटेरिनरी यूनिटे है। सीनियर डिवीजन के नौ सेना स्कन्ध मे तीन यूनिटे है—तकनीकी, गैर-तकनीकी और मेडिकल। सीनियर डिवीजन के वायु सेना स्कन्ध मे दो प्रकार की यूनिटे है—फ्लाइग और तकनीकी।

सीनियर डिवीजन के थल सेना स्कन्ध मे कैडेट सशस्त्र कवायद, हथियार प्रशिक्षण, युद्ध, कौशल, नक्शा देखने, सदेश लिखने और उनकी अपनी विशेष शाखा या सर्विस से सम्बन्धित तकनीकी विषयो मे प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

नौ सेना स्कन्ध (गैर-तकनीकी यूनिट) मे कैडेट नौ सेना सम्बन्धी विषयो पर अभि-भाषण, परेड प्रशिक्षण और सशस्त्र कवायद, तोपो तथा हथियारो का प्रशिक्षण और सचार व्यवस्था, नौ कौशल सम्बन्धी प्रारम्भिक नौचालन, पनडुब्बी नाशक तारपीडो, क्षति नियत्रण, जहाजो और नावो के प्रतिरूप बनाने के काम मे प्रशिक्षण प्राप्त करते है। इसके अतिरिक्त मेडिकल यूनिटो के कैडेट स्वास्थ्य विज्ञान और सफाई व्यवस्था, स्ट्रेचर कवायद, घायलो को सुरक्षित स्थान पर निकाल लेने की व्यवस्था, जहाजो मे निवास व्यवस्था, नौसैनिक उड्डयन औषधि तथा विकिरण सकटो मे प्रशिक्षण प्राप्त करते है। नौसैनिक इजीनियरी यूनिटो के कैडेट, समुद्री जहाजो के इजीनियरी कार्यो मे प्रशिक्षण प्राप्त करते है। प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण सम्बन्धी उपर्युक्त विषयो के अतिरिक्त नौ सेना स्कन्ध के जूनियर डिवीजन मे जहाजो के प्रतिरूप बनाने का काम भी सिखाया जाता है।

वायु सेना स्कन्ध मे कैडेट कवायद, शारीरिक प्रशिक्षण, सगठन, प्रशासन, नागरिकता, प्राथमिक उपचार, हथियार प्रशिक्षण, उडान सम्बन्धी नौचालन सिद्धात, मौसम विज्ञान, हवाई-इजनो, विमानो के प्रतिरूप बनाने, ग्लाइडरो और शक्ति चालित विमानो पर उडान लेने का प्रशिक्षण प्राप्त करते है। तकनीकी हवाई स्क्वाड्रनो मे दूर-सचार व्यवस्था, रेडियो और रेडार तत्र जैसे तकनीकी विषयो पर विशेष जोर दिया जाता है। जूनियर डिवीजन मे प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त वायु सेना स्कन्ध के सभी कैडेटो को विमान के प्रति-रूप बनाने का काम सिखाया जाता है।

युवती कैडेटो को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमे प्रारम्भिक उपचार, प्रारम्भिक उपचर्या, बेतार और टेलीफोन सचार व्यवस्था और सिविल रक्षा कार्यो पर अधिक जोर दिया जाता है।

राष्ट्रीय कडेट कोर का मुख्य अफसर महानिदेशक है जो मेजर जनरल के पद का अफसर है। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कडेट कोर के १६ निदेशक हैं जो ब्रिगेडियर कर्नल या उनके समकक्ष पद के अफसर हैं। प्रत्येक निदेशालय की यूनिटों को ग्रुपों में गठित किया गया है। प्रत्येक ग्रुप में ६ से ८ तक यूनिटें हैं। इस प्रकार कुल ११२ ग्रुप हेडक्वार्टर हैं और प्रत्येक हेडक्वाटर एक लेफ्टि० कर्नल के अधीन है।

राष्ट्रीय कडेट कोर पर जो व्यय होता है उसे केन्द्र और सम्बन्धित राज्य सरकारों में मोटे तौर पर २ और १ के अनुपात में बांटा जाता है। स्थाई प्रशिक्षण अमला (सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक) के वेतन भत्ते आदि यूनिट उपस्कर गाड़ियां और उनकी हिफाजत कडेटों के लिये वर्दियां वार्षिक अभ्यास के लिये गोलाबारूद और शिविर व्यय का ५० प्रतिशत खर्च रक्षा मन्त्रालय को देना होता है। राष्ट्रीय कडेट कोर की यूनिटों में सिविलयन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का खर्च कार्यालय के विविध व्यय आवास फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर गाड़ियों के लिये पेट्रोल राष्ट्रीय कडेट कोर के अफसरों की पूर्व कमीशन तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण व्यवस्था परिधान भत्ता और राष्ट्रीय कडेट कोर के अफसरों के लिए मानदेय कडेटों के लिए जलपान और अन्य भत्ते तथा शिविर का ५० प्रतिशत खर्चा राज्य सरकारों को देना होता है।

राष्ट्रीय कडेट कोर के अफसरों और अफसर कडेटों को रिफ्रेशर और पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण देने के लिए तीन प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं—राष्ट्रीय कडेट कोर अफसर ट्रेनिंग स्कूल कम्पटी राष्ट्रीय कडेट कोर अकादमी पुरन्धर और राष्ट्रीय कडेट कोर कालेज (युवतियों के लिये) ग्वालियर।

(३) सशस्त्र सेना मेडिकल सेवाओं के महानिदेशालय

थल सेना नौ सेना तथा वायु सेना की संयुक्त मेडिकल सेवाओं का मुख्य सशस्त्र सेना मेडिकल सेवाओं का महानिदेशक होता है। एक मेडिकल सेवा सलाहकार समिति है जिसका अध्यक्ष मेडिकल सेवाओं का महानिदेशक है और थल सेना नौ सेना तथा वायु सेना की मेडिकल सेवाओं के निदेशक इसके सदस्य हैं। यह समिति चिकित्सा सम्बन्धी संगठन तथा नीति सम्बन्धी सभी मामलों पर अपनी सिफारिशें चीफ आफ स्टाफ समिति के द्वारा सरकार को भेजती है। महानिदेशक अनुसंधान तथा विकास परिषद की सशस्त्र सेना चिकित्सा अनुसंधान समिति का भी अध्यक्ष है और वह रक्षा वैज्ञानिक से फौज सम्बन्धी औषधियों में अनुसंधान करने के मामलों पर सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। वह स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक चिकित्सा परिषद् तथा अन्य देशों की रक्षा सेवाओं की चिकित्सा संगठनों से सम्पर्क स्थापित करता है। सशस्त्र सेनाओं का मेडिकल कालेज पूना मेडिकल स्टोर डिपो बम्बई लखनऊ दिल्ली छावनी और पूना कृत्रिम शरीरांग केन्द्र पूना तथा सशस्त्र सेनाओं का रक्त आधान केन्द्र दिल्ली इस महानिदेशक के नियन्त्रण में है।

(४) जन-सम्पर्क निदेशालय रक्षा मन्त्रालय

इस कार्यालय का सम्बन्ध रक्षा मन्त्रालय और सशस्त्र सेनाओं के जन सम्पर्क कार्यों से है। यह कार्यालय जन सम्पर्क (रक्षा) निदेशक के अधीन है जो कि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय का एक अधिकारी है। वह मन्त्रालय भी इस कार्यालय के लिए कुछ तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था करता है। अन्य सभी अफसर रक्षा मन्त्रालय द्वारा ही चुने जाते हैं।

यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि सरकार की सम्पूर्ण प्रचार नीति के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओ की विशेष आवश्यकताओ को पूरा किया जा सके।

इस कार्यालय के जन सम्पर्क अफसर वम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ, जम्मू, लखनऊ, शिलाग तथा श्रीनगर मे है। इसके अतिरिक्त उत्तरी सीमा पर सशस्त्र सेनाओ की कार्यवाहियो को व्याप्त करने के लिये ८ जन सम्पर्क यूनिटे खडी की गई है।

(५) सशस्त्र सेनाओ का फिल्म तथा फोटो डिवीजन

यह सगठन फिल्म अधिकारी के नीचे है। यह तीनो सेनाओ की प्रशिक्षण सवधी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए या रिकार्ड के लिए फिल्मे, फिल्मी फीते तथा फोटोग्राफ वनाने, उन्हे प्राप्त करने और उन्हे बाटने का काम करता है। फिल्मो का निर्माण करने के लिए यह सगठन, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के साथ सम्पर्क वनाये रखता है।

(६) सैनिक भूमि तथा छावनी निदेशालय

इस निदेशालय का काम छावनी क्षेत्रो की हदवन्दी तथा उनका प्रशासन करना है। यह उन सैनिक भूमियो तथा इमारतो की प्रवध व्यवस्था भी देखता है जो सशस्त्र सेनाओ द्वारा इस समय इस्तेमाल नही की जा रही है। यह सशस्त्र सेनाओ के इस्तेमाल के लिये भूमि अर्जन, भूमि अधिग्रहण तथा किराये पर इमारते उपलब्ध करने सम्वन्धी कार्य और हमेशा के लिए फालतू घोपित की गई सम्पत्ति का निपटान सम्वन्धी कार्य भी करता है।

सैनिक भूमि तथा छावनी के निदेशक की सहायता के लिए हेडक्वार्टर दिल्ली मे एक सयुक्त निदेशक तथा अन्य अधिकारी है। प्रत्येक कमाण्ड हेडक्वार्टर मे एक उपनिदेशक तथा स्टाफ अफसर नियुक्त किये गए है। इस समय देश मे १७ सैनिक सम्पदा वृत्त और ६२ छावनिया है।

(७) विदेशी भाषा स्कूल

विदेशी भापा स्कूल मे सेनाओ के कार्मिको तथा भारत सरकार के सिविल कर्मचारियो के लिए विदेशी भापाये सीखने की सुविधा है। स्थान रहने पर वाहर के कुछ लोगो को भी दाखिल कर लिया जाता है। इस स्कूल मे अरवी, वर्मी, चीनी, फ्रैंच, जर्मन, जापानी, फारसी, रूसी, स्पैनिश तथा तिव्वती भापाओ को सिखाने की व्यवस्था है। मलाया और वहासा इण्डोनेशिया को सिखलाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे है।

(८) ऐतिहासिक अनुभाग

ऐतिहासिक अनुभाग सशस्त्र सेनाओ का एक अभिलेख और सदर्भ कार्यालय है। इसके काम ्स प्रकार हैं—युद्ध-दैनकियो का अनुरक्षण और उनकी अभिरक्षा, भारतीय सशस्त्र सेनाओ की सैनिक सक्रियाओ का विस्तृत इतिहास लिखना, तीनो सेनाओ के लिए मौजूद दिलचस्प समस्याओ पर विशेप अध्ययन की व्यवस्था करना तथा सैनिक इतिहास से सम्वन्धित प्रश्नो का उत्तर देना। यह अनुभाग तीनो सेनाओ की यूनिटो को उनके रेजिमेण्ट सम्वन्धी इतिहास तैयार करने मे सहायता तथा दिशा निर्देशन देता है। इसका नाम किरीट चिह्न निर्धारण करना है, जैसे भण्डो और ताजो के डिजाइन वनाना और उन पर उपयुक्त आदर्श वाक्य जड़ना।

(९) राष्ट्रीय रक्षा कालेज

राष्ट्रीय रक्षा कालेज म काम तथा उसमे ऊ । पना था । तथा नौसेना एव वायुसेना के समक । पना वाले अफसरो और उपयुक्त पना और अनुभव वा । सिविलियन अफसरो के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है । इस कालेज म राष्ट्रीय रक्षा से सम्बन्धित युद्ध नीति आर्थिक वैज्ञानिक राजनीतिक तथा औद्योगिक पहलुओ पर अध्ययन किया जाता है ।

(१०) भारतीय सनिक नाविक तथा वमानिक बोड

भारतीय सनिक नाविक तथा वमानिक बोड का काम भूतपूर्व सनिको तथा उनके परिवारो को सहायता दना और सेना म लग उन कामिको व परिवारो का हित देखना है जो अपने घरो से बहुत दूर सेवा कार्यों म लगे हुए हैं । यह बोड कल्याण निधियो की व्यवस्था भी करता है । दिल्ली म एक केन्द्रीय बोड है जिसके अध्यक्ष रक्षा मत्री हैं । इस बोड की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य म एक राज्य बोड है जिसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है । इनके अतिरिक्त उन जिलो म सनिको नाविको और वमानिको के जिला बोड हैं जहां सेवा म लगे कामिको तथा उनके परिवारो की सख्या एक निश्चित सख्या सीमा से अधिक हो गई है ।

(११) पुनर्वास महानिदेशालय

यह निदेशालय केन्द्रीय मत्रालय राज्य सरकारो तथा अन्य सरकारी और गर सरकारी सगठनो के साथ मिलकर ऐसी योजनाए बनाता है जिससे भूतपूव सनिको का सरकारी प्राइवेट सेक्टरो म पुनर्व्यवस्थापन हो सके । यह इस प्रकार की योजनाओ को पूरा करने सम्बन्धी कामो की देख रेख करता है और इस प्रकार की योजनाए बनाने के लिए राज्य सरकारो को ऋण तथा अनुदान दिलाने का भी काम करता है ।

(१२) सेनाओं का खेल नियत्रण बोड

सेनाओ का खेल नियत्रण बोड तीनो सेनाओ के कामिको के आयोजित खेल-कूद म समन्वय स्थापित करता है और इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्तर्सेवा खेल प्रतियोगिताओ की व्यवस्था करता है । तीनो सेनाओ के अफसर बारी-बारी से इसके अध्यक्ष तथा सचिव नियुक्त किये जाते हैं ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के प्रकाशन

मानक ग्रंथ

१—अपना हृदय सबल बनाइए—ले० बी० जनेनिन पृ० १४२ मूल्य ८ ००
२—सिरा का इतिहास—ले० हरीराम गुप्त पृ० ३०६ मूल्य ५ ००

स्वय शिक्षक पुस्तकें

१—हिन्दी-तमिल स्वय शिक्षक (तीन अन्य प्रेस म) पृ० १७८ मूल्य ३ ८५

कोश साहित्य

१—व्यावहारिक हिन्दी-अंग्रेजी शब्द-कोश पृ० ३२४ मूल्य ४ ५०
२—शब्दार्थ मीमासा—ले० रामचन्द्र वर्मा पृ० ३२६ मूल्य ११ ८०

भाषा पत्रिका

(अगस्त ६१ से प्रारम्भ) अब तक त्रमासिक के २७ अंक प्रकाशित हो चुके हैं। मूल्य एक प्रति २ ०० वार्षिक ७-८० रुपये

भाषा के विशेषांक

१—शान्ति—रक्षा अंक आर्ट पेपर पर दो रंगों में पृ० १४८ मूल्य ४-७५
२—द्विवेदी स्मृति विशेषांक आर्ट पेपर पर दो रंगों में पृ० २७० मूल्य ११ ५०
३—संकलन भारतीय साहित्य के प्रमुख कृतिकारों की रचनाएं पृ० ५८० मूल्य १० ५०

हिन्दी समाचार जगत (मासिक पत्रक)

सितम्बर १९६६ से प्रकाशित

अब तक ११ अंक प्रकाशित नि शुल्क वितरण के लिए

यूनेस्को कूरियर हिन्दी (मासिक)

अगस्त १९६७ से प्रकाशित अब तक ४ अंक प्रकाशित एक प्रति १ ००
(शेष अंक प्रेस मे) वार्षिक मूल्य १० ५०
शिक्षा संस्थाओं के लिए ६ ५०

नि शुल्क वितरण के लिए

१—समस्त भारतीय भाषाओं के लिए सामान्य राष्ट्रलिपि परिवर्धित देवनागरी
२—मानक देवनागरी
३—स्टैंडर्ड देवनागरी स्क्रिप्ट
४—देवनागरी थ्रू द एजेज
५—परिवर्धित देवनागरी (चार्ट)
६—देवनागरी लेखन विधि (चार्ट)
७—मानक देवनागरी वर्णमाला (चार्ट)

शिक्षा

शिक्षा राज्यो का विषय है, किन्तु भारत सरकार शिक्षा नीति मे एक सूत्रता कायम रखने का काम करती है। उच्च शिक्षा के प्रसार, तकनीकी शिक्षा व प्रावधिक शिक्षा के विस्तार और वैज्ञानिक अनुसधान का कार्य केन्द्रीय सरकार की देखरेख मे और सहायता से होता है। शिक्षा पर राज्य जितना खर्च करते है, उससे अधिक नही तो लगभग उसके बराबर खर्च केन्द्रीय सरकार करती है।

चौथे आम चुनाव के बाद डा० त्रिगुण सेन ने १६ मार्च, १९६७ को शिक्षा मन्त्रालय का कार्यभार सभाला। उन के सहायक के रूप मे दो राज्य मत्री प्रो० शेरसिंह और श्री भगवत झा आजाद काम कर रहे है।

कार्यक्षेत्र और कार्य : शिक्षा के क्षेत्र मे भारत सरकार की अनेक जिम्मेदारिया है, जिन मे से कुछ का निर्देश सविधान मे प्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया है और कुछ उससे ध्वनित होती है। सविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार इन बातो के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व की सभी सस्थाए, हिन्दी को समृद्ध करना और उसका प्रचार और प्रसार, उच्चतर शिक्षा मे मानको का समन्वय और उन्हे बनाए रखना, वैज्ञानिक तथा शिल्प-वैज्ञानिक अनुसधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे शिक्षा, जिस मे विदेश स्थित भारतीय छात्रो का कल्याण तथा अन्य देशो के साथ सास्कृतिक और शैक्षिक करार शामिल है। मजदूरो का तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण एक समवर्ती उत्तरदायित्व है, और इसी प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक योजना, जिसमे शैक्षिक योजना भी शामिल है, भी एक समवर्ती उत्तरदायित्व है, अनुसूचित जातियो और आदिम जातियो की शिक्षा भी केन्द्र की एक विशेष जिम्मेदारी है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार शिक्षा सम्बन्धी सूचना को एकत्र करने और उसके वितरण करने का कार्य भी अखिल भारतीय रूप मे करती है। वह शैक्षिक विकास के क्षेत्र मे प्रेरणादायक राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने का तथा राज्य सरकारो को उनके शिक्षा कार्यक्रमो के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रयत्न करती है।

चौथी पंचवर्षीय योजना . अब यह निश्चय किया गया है कि १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ को वार्षिक योजना वर्ष मान लिया जाए और चौथी पचवर्षीय योजना अब १९६९-७० से शुरु हो। अत नई योजना को तैयार करने का काम शुरु कर दिया गया है। राज्यो तथा सघ-शासित क्षेत्रो से कहा गया है कि वे शिक्षा आयोग की सिफारिशो के सदर्भ

म दूरगामी परिप्रे य को ध्यान म रख कर शि ा के विकास का एक समुचित कार्यक्रम तयार करें और उसकी पृष्ठभूमि म चौथी योजना तयार करें।

शिक्षा आयोग की रिपोट शिक्षा आयोग (१६६४ ६६) की रिपोट सरकार को जून १६६६ म प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोट पर इस वष समाचार-पत्रों जनता शिक्षक सगठनो विश्वविद्यालयो तथा राज्य सरकारों म व्यापक चर्चा हुई।

राज्यो के शिक्षा मत्रियों का सम्मेलन शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए राज्यो के शिक्षामत्रियो का सम्मेलन नई दिल्ली म २८ से ३० अप्रल १६६७ को हुआ। कुछ सिफारिशो पर ब्योरेवार विचार के बाद सम्मेलन ने विभिन्न विषयो पर सवसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किए जसे (१) पडोस स्कूल प्रणाली (२) काय-अनुभव (३) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम (४) स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान (५) अध्यापको का दर्जा और उनकी शिक्षा (६) शिक्षा सम्बन्धी अनुसधान (७) शिक्षा प्रणाली का ढाचा (८) प्रतिभा प्रोत्साहन के कायक्रम (६) राष्ट्रीय कडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा कोर तथा खेलकूद के कायक्रम (१०) शिक्षा की वित्त-व्यवस्था व क्षेत्र म केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्बन्ध (११) नतिक शि ा और (१२) स्कूल स्तर पर भाषाओं की शिक्षा।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड आलोच्य वष म २२ और २३ अगस्त १६६७ को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड का ३३वा अधिवेशन हुआ। बोड ने मुख्य रूप से इन विषयो पर विचार किया [शिक्षा] आयोग की रिपोट और शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति पर ससद सदस्यो की शिक्षा समिति द्वारा तयार किए गए वक्तव्य का मसौदा।

उपकुलपति सम्मेलन उपकुलपतियो का सम्मेलन ११ १२ १३ सितम्बर १६६७ को हुआ जिसमे मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षा के विषय म शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाना था। सम्मेलन ने सिफारिशो को मोटे तौर पर मान लिया है।

इस विचार विनिमय के आधार पर शि ा की एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जा रहा है।

स्थायी प्रभारों की समीक्षा आन्तरिक बचत-समिति की एक बठक म १६६८ ६६ से सम्बन्धित बजट प्राक्कलनो पर जो कि मुख्य सचिवालय के अनुदानो से सम्बन्धित थे और जिनमे स्थायी स्थापनाओ की व्यवस्था भी शामिल थी ब्योरेवार विचार किया गया। बजट की कुल व्यवस्था ६४ १४ लाख रुपए थी और इसकी तुलना म अनुदानों के पुनरीक्षित अनुमान तथा बजट अनुमान समष्टि रूप मे क्रमश ६३ ६४ लाख तथा ६७ ६१ लाख निकाले गए हैं। यह अनुमान सम्बन्धित वित्त विभाग की सहायता से निकाले गए हैं।

बजट १६६७ ६८ के लिए समूचे मत्रालय के लिए मजूर १३ ६१ करोड रुपए व कुल अनुमान (जिसम गृहमत्रालय तथा वित्त मत्रालय द्वारा परिचालित शिक्षा मन्त्रालय की मागें भी सम्मिलित हैं) योजनागत तथा योजनेतर की तुलना मे १६६७ ६८ के पुनरीक्षित अनुमान तथा १६६८ ६६ के बजट अनुमान जिनकी व्यवस्था करने का विचार है क्रमश १४ ४८ करोड रुपए (अनतिम) तथा १४६ ७८ करोड रुपए (अनतिम) हैं।

स्कूल शिक्षा

स्कूली शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है, जिनकी विस्तार तथा सुधार योजनाए केन्द्र से सहायता प्राप्त करती है। स्कूली शिक्षा के मामले मे केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी सीमित है। यह मोटे तौर पर उन विशेष परियोजनाओ और अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के कार्यकलापो तक ही सीमित है। स्कूली शिक्षा मे सार्थक प्रयोग करने के लिए सघ सरकार स्वैच्छिक सगठनो को भी वित्तीय सहायता देती है। इसी प्रकार सघ सरकार स्कूल शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रयोग करने वाले स्वैच्छिक शैक्षिक सगठनो को भी वित्तीय सहायता देती है। इस क्षेत्र की विभिन्न योजनाए आगे के पैराओ मे दी गई है

राज्यो के शिक्षा संस्थान . स्कूल स्तर पर, विशेष रूप से प्राथमिक और मिडिल स्कूल स्तर पर शिक्षा की कोटि मे सुधार करने के लिए १९६३-६४ मे केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप मे राज्यो मे शिक्षा सस्थानो की स्थापना की योजना शुरू की गई थी। इन सस्थानो के प्रमुख कार्य ये है निरीक्षण अधिकारियो तथा प्रारम्भिक स्कूलो के अध्यापको के प्रशिक्षण सस्थानो के कर्मचारियो के लिये नौकरी मे रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रारम्भिक स्कूलो के अध्यापको के प्रशिक्षण सबधी अध्ययन और अन्वेषण करना, तथा अध्यापको तथा छात्रो के लिए साहित्य प्रकाशित करना।

नागालैड और हरियाणा को छोड कर सभी राज्यो मे शिक्षा सस्थान स्थापित किए जा चुके है। एक सस्थान दिल्ली मे भी खोला गया है।

इन सस्थाओ के विकास कार्यो के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकारो को केन्द्र की ओर से शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है।

विज्ञान शिक्षा मे सुधार के लिए त्वरित कार्यक्रम · माध्यमिक शिक्षा के सुधार की जो योजना १९६४-६५ मे शुरु की गयी थी, उसे इस वर्ष भी चालू रखा गया। इसके आधीन राज्यो को उनकी योजनागत सीमा के अतिरिक्त शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिससे वे माध्यमिक स्तर के स्कूलो मे विज्ञान प्रयोगशालाओ को साधन-सम्पन्न बना सके, विज्ञान के अध्यापको के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकें और विज्ञान शिक्षा के राज्य एकक-सस्थान स्थापित कर सके।

पाठ्य पुस्तकें पाठ्यपुस्तको की कोटि मे सुधार करने के लिए लगभग सभी राज्यो ने पाठ्यपुस्तको के निर्माण का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। तथापि राज्यो मे राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तको की सख्या बहुत कम है और कुछ राज्यो मे काफी बडी। एक या दो राज्यों मे तो पाठ्यपुस्तको की बिक्री और वितरण की व्यवस्था भी राज्य सरकारो ने अपने हाथ मे ले ली है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रहा है जिन्हे राज्य सरकारे स्वीकार/अनुकूलित कर सकती हैं।

माध्यमिक स्कूल के अध्यापको के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम माध्यमिक स्कूलो के अप्रशिक्षित अध्यापको को प्रशिक्षण देने के शेष कार्य को पूरा करने के लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम योजना मे सम्मिलित कर लिया गया है। योजना संबंधी प्रारम्भिक कार्य वर्ष के दौरान पूरा हो चुका है और वह अपना कार्य १९६८-६९ मे शुरु कर देगी।

अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार १९६७ ६८ मे ीरान प्राथमिक और माध्य मिक स्कूलो तथा सस्कृत पाठशालाओ/टोला के ६६ अध्यापको को उनके द्वारा की गई समाज सेवाओ के वास्ते राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

त्रिलाभ योजना भारत सरकार स आवश्यकता पर जोर देती रही है कि राज्य सरकारो को सहायता प्राप्त सस्थाओ के अध्यापको के लिए पेन्शन भविष्य निधि और बीमा की त्रि-लाभ योजना अपनानी चाहिए। आठ राज्यो ने इस योजना की शुरुआत कर दी है और शेष राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। जहा तक सघ शासित क्षेत्रो का सबध है भारत सरकार ने इस योजना की मजूरी अप्रल १९६६ मे दे दी है।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् लडकियो और महिलाओ की शिक्षा के विभिन्न मामलो म परिषद् सरकार को परामर्श देती रही और सरकार तथा इस क्षेत्र की विभिन्न सस्थाओ के बीच सम्पर्क बनाए रखने का काम भी यह करती रही। वष के दौरान परिषद् के काय क्षेत्र मे वृद्धि की गई और अब उसके काय क्षेत्र मे लडकियो और महिलाओ की शिक्षा से सबधित सभी स्तरो का समावेश हो गया है।

केन्द्रीय विद्यालय सगठन द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश का अनुसरण करते हुए शिक्षा मत्रालय ने स्थानान्तरित होने वाले वग के सरकारी कमचारियो के अपने बच्चो और उनकी देखरेख म रखे बच्चो के लिए एक से पाठ्यविवरण और शिक्षण माध्यम वाले केन्द्रीय स्कूलो का जाल-सा बिछा रखा है। १ अप्रल १९६६ से इन स्कूलो का प्रशासन सेंट्रल स्कूल्स आर्गेनाइजेशन नामक स्वायत्तशासी निकाय को (जिसका नाम अब केन्द्रीय विद्यालय सगठन रखा जा चुका है) जिसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६ के अधीन पजीकृत किया गया था सौंप दिया गया है।

इस समय सोसाइटी के अधीन ११८ स्कूल काय कर रहे हैं और लगभग ५७ ० बच्चे इन स्कूलो म पढ रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालयो की एक सूची परिशिष्ट चार म दी गई है।

तिब्बती स्कूल सोसाइटी तिब्बती स्कूल सोसाइटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६ के अधीन पजीकृत एक स्वायत्तशासी सगठन है। सकी स्थापना १९६१ म की गइ थी और सघीय शिक्षा मत्री इसके अध्यक्ष है। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य तिब्बती शरणार्थी बच्चो की शिक्षा और/अथवा प्रशिक्षण के लिए स्थापित स्कूलो या सस्थाओ के प्रशासन और प्रबन्ध के काय का सचालन करना है।

केन्द्रीय अग्रजी सस्थान हैदराबाद केन्द्रीय अग्रजी सस्थान की स्थापना नवम्बर १९५८ म हैदराबाद समिति पजीयन अधिनियम (हैदराबाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट) के आधीन पजीकृत सोसायटी के रूप म की गई। सस्थान का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त तकनीकों म अध्यापको के प्रशिक्षण और अनुसधान के द्वारा भारत म अग्रजी की शिक्षा मे सुधार करना है। आलोच्य वष म सस्थान को ब्रिटिश काउंसिल तथा फोर्ड फाउंडेशन की ओर से आर्थिक सहायता मिलती रही।

बालभवन और राष्ट्रीय बाल सग्रहालय बाल भवन और राष्ट्रीय बाल सग्रहालय की स्थापना दिल्ली म जून १९५६ म की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चो को मनोरजन तथा खेल कूद की गतिविधियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, इदय

सहायक-सामग्री के माध्यम से वच्चो की शिक्षा को आगे वढाने के लिये प्रशिक्षण और अनुसधान के उपर्युक्त कार्यक्रम चलाना और वच्चो को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना है। इन दोनो सस्थानो को उनके श्रेष्ठ तथा वहुमूल्य कार्य के लिए सभी द्वारा मान्यता प्राप्त हुई हे।

स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओ को सहायता पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे इस योजना के अन्तर्गत तीन उपयोजनाए है :

(क) पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे काम करने वाली स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओ को सहायता देने की योजना।

(ख) महिला शिक्षा के क्षेत्र मे काम करने वाली स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओ को सहायता देने की योजना।

(ग) कुछ चुने हुए अच्छे आवासी स्कूलो को सहायता देने की योजना।

माध्यमिक शिक्षा का केन्द्रीय वोर्ड · सन् १९६२ मे पुर्नगठित यह वोर्ड केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक पजीकृत सोसायटी है। भारत सरकार का शिक्षा सलाहकार वोर्ड का नियन्त्रक प्राधिकारी है।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक वोर्ड द्वारा ६१९ सस्थओ को मान्यता दी जा चुकी है। इसकी तुलना मे पिछले वर्ष के अन्त तक यह सख्या ५५९ थी। दिल्ली मे सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, वोर्ड से सम्वद्ध है। यहा दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलो की सख्या ४३५ है। इनमे से ४२१ स्कूलो ने दिल्ली योजना की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा को अपनाया है, तीन ने उच्चतर माध्यमिक तकनीकी योजना को और शेप ने अखिल भारतीय योजना को अपनाया हे। दिल्ली से वाहर १८४ स्कूल है जिनमे से १८० ने अखिल भारतीय योजना को अपनाया है। आलोच्य वर्ष मे, वोर्ड की अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षाए लेने वाले केन्द्रीय स्कूलो की सख्या १०३ से वढकर ११६ हो गई है।

अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित प्रादेशिक शिक्षा कालेजो के साथ सम्वद्ध चार निदर्शनात्मक वहूद्देश्यीय स्कूल इस समय काम कर रहे है। ये स्कूल वोर्ड से सम्वद्ध है और इनमे इस योजना को अपनाया जा रहा है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्रयोग के रूप मे तैयार किया हे। इस योजना के आधीन अन्तिम वर्ष की पहली परीक्षा वोर्ड द्वारा १९६७ मे ले ली गई थी। आलोच्य वर्ष मे, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा सचालित तीन तकनीकी स्कूल वोर्ड के साथ सम्वन्द्ध किए गए और उच्चतर माध्यमिक तकनीकी परीक्षा को, जो कि समाप्त की जा रही थी, पुन चालू किया गया।

वित्त-विनिधान : इस अध्याय मे वर्णित विभिन्न योजनाओ के लिए वित्त-विनिधान इस प्रकार है

योजना	मूल व्यवस्था	१९६७ ६८ पुनरीक्षित	१९६७ ६९ के लिए व्यवस्था (व प्रा०)
(१)	(२)	(३)	(४)
	र	र	र
१ माध्यमिक शिक्षा सुधार (त्वरित कायक्रम)			
(क) माध्य-स्कूलो की विज्ञान प्रयोगशालाओ की क्षमता बढाना	१ ५० ० ० ०	४८ ८९ ० ०	५० ०
(ख) राज्य संस्थान विज्ञान शिक्षा विश्व विद्यालय	१६० ०	२ ०००	२० ०० ०००
२ राज्य शिक्षा संस्थान	२४	३ ० ०	३५ ०० ०००
३ मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार के राज्य एकक	३ ० ०	३ २५	३ ७६ ०००
४ शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो	३ ११	३ ५ ०	४०० ०
५ सेमीनार और सम्मेलन	१	१० ०००	१० ०००
६ माध्यमिक स्कूलो के अध्यापको के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम	३ ० ० ०	२५ ००	२५ ० ०
७ राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के सदस्यो को यात्रा भत्ता तथा महगाई भत्ता	६ ५ ०	१० ००	७० ००
८ केन्द्रीय अग्रेजी संस्थान हैदराबाद			
(क) विकास व्यय	४ ० ०	४० ० ००	४ ० ० ०
(ख) अनुरक्षण तथा परिचालन व्यय	३ १ ०	३ ५० ०	३ ७५ ० ०
(ग) फोर्ड फाउन्डेशन परियोजना	१ ४१	१ ८४	१ १६ ०००
९ बाल भवन तथा एन० सी एम०	६ ५	६ ४८	६ ५ ०००
१० स्वच्छिक तथा नागरिक सगठनो को अनुदान	१७ २२ ००	८ ००	१० ० ०
११ बाल पुस्तक न्यास	१ ४२ ५०	१ ४२ ५	९८ ८
१२ राष्ट्रीय भारतीय सनिक कालेज देहरादून के मघीय क्षेत्र के छात्रो को वृत्ति	७ १००	७ १ ०	७ १००

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

सगठन, कार्य और प्रशासन : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिपद् की स्थापना सितम्वर, १६६१ मे स्वायत्त सगठन के रूप मे हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र मे उच्चस्तर के अनुसधान, प्रशिक्षण और विस्तार के कार्यक्रमो का विकास करना है। यह सस्था पजीयन अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत पजीयित है।

परिपद् के सामान्य निकाय मे राज्यो के शिक्षा मत्री अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप मे शामिल है। परिपद् के सभी कार्यो तथा निधि का प्रवन्ध शासी निकाय के हाथो मे है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मत्री है। परिषद् के आधीन शिक्षा सम्वन्धी अध्ययन का एक वोर्ड भी है जो अनुसधान, प्रशिक्षण और विस्तार के सभी मामलो मे परिषद् को सलाह देता है। इसके अतिरिक्त परिषद् की एक वित्त-समिति है जो वित्त सम्वन्धी मामलो मे परिपद् को सलाह देती है। परिपद् को, अपनी गतिविधियो के लिए आवश्यक लगभग सारी राशि भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप मे मिलती है।

परिषद् के आधीन निम्नलिखित सस्थान है (१) राष्ट्रीय शिक्षा सस्थान जिसमे ६ विभाग है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली मे है, (२) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर मे स्थित शिक्षा के चार प्रादेशिक कालेज। इस समय निम्नलिखित विभागो मे काम हो रहा है (१) क्षेत्र सेवा विभाग, (२) प्रौढ शिक्षा विभाग, (३) श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभाग, (४) पाठ्यचर्या और मूल्याकन विभाग (जिसमे वुनियादी शिक्षा शामिल है) (५) विज्ञान शिक्षा विभाग और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप, (६) मनोवैज्ञानिक आधार विभाग, (७) शैक्षिक प्रशासन विभाग (८) शिक्षा आधार विभाग, और (९) अध्यापक शिक्षा विभाग।

गतिविधिया और कार्यक्रम : परिपद् की मुख्य गतिविधियो को मोटे तौर पर निम्नलिखित छ मोटे वर्गो मे रखा जा सकता है (१) अनुसधान (२) सेवा-पूर्व और सेवाकालीन दोनो ही प्रकार का प्रशिक्षण (३) विस्तार कार्य, (४) शिक्षा सम्वन्धी साहित्य का निर्माण, (५) विज्ञान की शिक्षा, (६) विविधि।

संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

सघ शासित क्षेत्रो मे शिक्षा की देख-रेख करने का उत्तरदायित्व मोटे तौर पर भारत सरकार का है। परन्तु गोआ, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पाडिचेरी और त्रिपुरा क्षेत्रो के अपने विधान मडल है और उनकी अपनी-अपनी सरकारो को सघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, १६६३ मे निर्दिष्ट शक्तिया प्राप्त है।

सघशासित क्षेत्रो मे १६६७-६८ के दौरान स्कूल-शिक्षा की जो प्रगति हुई, उसकी सक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी जा रही है

(क) अण्डमान व निकोवार द्वीपसमूह

शिक्षा की सुविधाएं : आलोच्य वर्ष मे, इस सघशासित क्षेत्र मे प्राथमिक स्कूल, मिडिल सीनियर वेसिक स्कूल, तीन उच्चतर माध्यमिक स्कूल और एक केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। पिछले वर्ष तक आरम्भ किए गए प्राथमिक, मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल

जारी है तथा अधिक छात्रा के नामाकन की सुविधाए उपलब्ध कराई गई हैं। केन्द्रीय विद्यालय सगठन के अधीन एक केन्द्रीय स्कूल स्थापित किया गया है।

लडकियों की शिक्षा—लडकियो के लिए एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। लडकियो की शिक्षा को प्रोत्साहन देन के लिए ग्रामीण क्षेत्रो की छात्रावास म रहने वाली लडकिया को वृत्तिकाए दी जाती है और बाकी के लिए यातायात की सुविधा देने की दृष्टि स रियायती दरो पर यातायात की सुविधाए भी दी गई है।

विज्ञान की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक सामान्य विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप म पढ़ाया जाता है। सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलो म नौवी कक्षा से विज्ञान की शिक्षा वैकल्पिक विषय के रूप म भी दी जाती है। विज्ञान की प्रयोगशालाओ के लिए आवश्यक उपकरणो की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान की शिक्षा का अधिक अच्छा बनाने के लिए तीन सीनियर बेसिक स्कूलो तथा सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलो म विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापको की व्यवस्था की गई है।

छात्रवृत्तियाँ और अन्य रियायतें उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि शुल्क शिक्षा दी जाती है और मुख्य भू भाग म आकर मैट्रिक स आगे की पढाई के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तिया दी जाती हैं। निकोबार म उच्चतर माध्यमिक स्तर स पूर्व की पढाई के लिए और मुख्य भू भाग की शिक्षा संस्थाओ म उच्चतर माध्यमिक स्तर से आगे की पढाई के लिए गरीब छात्रो को पाठ्यपुस्तक मुफ्त दी जाती है।

अनुसूचित आदिम जातियो के सभी स्कूली बच्चो को पुस्तकें और लेखन-सामग्री मुफ्त दी जाती है। ५ प्रतिशत कीमत पर दो पोशाकें प्रतिवर्ष दी जाती हैं।

बजट सन् १९६७ ६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए ११ ८२ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए १६ ६४ लाख रुपये है। सन् १९६८ ६९ म योजनागत कार्यों पर १२ ७३ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों पर ३१ ६४ लाख रुपय खर्च होने का अनुमान है।

(ख) चण्डीगढ़

शिक्षा की सुविधाए चण्डीगढ़ का संघशासित क्षेत्र नवम्बर १९६६ म अस्तित्व म आया। आरम्भ म यहा २ प्राथमिक स्कूल १३ मिडिल स्कूल और १४ उच्च (हाई) उच्चतर माध्यमिक स्कूल थ। छात्र संख्या इस प्रकार थी

	नामांकन १९६७ ६८
प्राथमिक स्तर	१० ०३८
मिडिल स्तर	५ २०४
माध्यमिक स्तर	१५ ७४१

बजट सन् १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होनेवाले खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए ३ ६१ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए ८२ ८८ लाख रुपये है। इसी तरह सन् १९६८ ६९ म योजनागत कार्यों पर ६ ४ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों पर ८६ १२ लाख खर्च होने का अनुमान है।

(ग) दादरा और नगर हवेली :

शिक्षा की सुविधाए : आलोच्य वर्ष मे यहा ६८ प्राथमिक स्कूल १८ मिडिल सीनियर वेसिक स्कूल तथा ३ हाई स्कूल थे। छात्र-सख्या इस प्रकार थी

	नामाकन १९६७-६८
प्राथमिक स्तर	२,९८६
मिडिल स्तर	३,५४०
माध्यमिक स्तर	४८१

सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलो मे सहशिक्षा की व्यवस्था है।

वजट : सन् १९६७-६८ के लिये सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान योजनागत कार्यो के लिए ३ २५ लाख रुपये और योजनेतर कार्यो के लिए ६ २७ लाख रुपये है। अगले वर्ष योजनागत कार्यो पर ४.१५ लाख रुपये और योजनेतर कार्यो पर ६ ६२ लाख खर्च होने का अनुमान है।

(घ) दिल्ली

शिक्षा की सुविधाए : आलोच्य वर्ष मे, यहा ९२६ प्राथमिक स्कूल, ४६१ मिडिल स्कूल और ४०७ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। इनमे से एक मिडिल स्कूल और १६ उच्चतर माध्यमिक स्कूल १९६७-६८ मे शुरु किए गए है। वर्ष मे छात्रो की कुल सख्या इस प्रकार रही :

	नामाकन १९६७-६८
प्राथमिक स्तर	४,३०,५३३
मिडिल स्तर	१,९४,६०२
माध्यमिक स्तर	१,१३,९९८

लड़कियो की शिक्षा : लडकियो के लिए ३८७ प्राथमिक स्कूल, १९९ मिडिल स्कूल, और १६४ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। लडकियो की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अध्यापिकाओ को विशेष भत्ते तथा अध्यापन का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओ को वृत्तिकाए दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रो मे मुफ्त यातायात की सुविधाए देने की एक योजना भी चल रही है।

विज्ञान की शिक्षा : विज्ञान की शिक्षा को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से स्कूलो की प्रयोगशालाओ को उपकरणो से सज्जित करने के लिए कदम उठाए गए है।

छात्रवृत्तिया और अन्य रिआयतें : आठवी कक्षा तक शिक्षा नि शुल्क है। मिडिल स्तर पर (छठी से आठवी कक्षा तक) तीन वर्ष के लिए ५० रुपये प्रतिवर्ष की खुली छात्र-वृत्तिया दी जाती है। इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओ मे (नवी से ग्यारहवी कक्षा तक) १० रुपये प्रति मास की छात्रवृत्तिया दी जाती है। भारत सरकार की छात्रवृत्तियो के अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाओ के अन्तर्गत भी छात्रवृत्तिया दी जाती है, जैसे धर्मार्थ छात्र-वृत्तिया, निराश्रितो के लिए छात्रवृत्तिया, राजनैतिक पीडितो के लिए छात्रवृत्तिया, औद्योगिक स्कूलो मे मिलने वाली छात्र-वृत्तिया।

अध्यापकों का प्रशिक्षण प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तीन और नर्सरी कक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल है। माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तीन कालेज हैं। प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं की वार्षिक दाखिला क्षमता ४६२ माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं की ३ ५ और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण संस्थाओं की ८७ है।

प्रौढ़ साक्षरता सन् १९६६ ६७ और १९७० ७१ के बीच की अवधि म ४० ००० प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चालू वर्ष म इस कार्यक्रम के अनुसार १० ०० प्रौढ व्यक्तियों को शिक्षित बनाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार का कार्यक्रम अगले वर्ष के लिए भी रखा गया है।

अध्यापकों के वेतन शिक्षकों की आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए सभी वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानों का २१ दिसम्बर १९६७ से पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार विभिन्न वर्गों के अध्यापकों की कुल परिलब्धियां (केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाली परिलब्धियों से तथा देश के अधिकांश भागों के अध्यापकों की वर्तमान परिलब्धियों से सामान्यतया अधिक हो जाएगी।

उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (नौवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक) के लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का निश्चय किया गया है जिसके द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी तैयार किए जायेंगे। इसका पाठ्य विवरण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अखिल भारतीय योजना के अनुरूप होगा। शिक्षा का माध्यम प्रारम्भ म हिन्दी होगा। यह पाठ्यक्रम १ मई १९६८ से शुरू होगा जिसम देश के सभी भागों के छात्र प्रवेश पा सकेंगे और इसका समय चार वर्ष होगा।

बजट सन् १९६७ ६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए १२२ ५६ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए ८६७ ३ लाख रुपये है। अगले वर्ष अर्थात् १९६८ ६९ म योजनागत कार्यों पर १६२ ५ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों पर ९१५ ५० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ङ) गोवा दमन और दीव

शिक्षा की सुविधाएं आलोच्य वर्ष में यहां १ ३१ प्राथमिक स्कूल (माध्यमिक स्कूलों के प्राथमिक अनुभागों को मिलाकर) १८८ मिडिल स्कूल १४२ हाई स्कूल और एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। इनम से २५ संस्थाएं लड़कियों की थीं।

बजट सन् १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए १ ८८९ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए १८२ ३६ लाख रुपये है। अगले वर्ष अर्थात् १९६८ ६९ म योजनागत कार्यों पर १५ ७१ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों पर १६० ७७ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(च) हिमाचल प्रदेश

शिक्षा की सुविधाएं आलोच्य वर्ष म यहां ३ ६३८ प्राथमिक स्कूल ६१५ मिडिल स्कूल २६२ हाई स्कूल और ८८ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे।

बजट १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा बजट योजनागत मद ५२ ०७ लाख

योजनेतर मद २५.६२ लाख। अगले वर्ष, योजनेतर मद ६५६.३७ लाख और योजनागत मद ६८.८६ लाख।

(छ) लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह

शिक्षा की सुविधाए : आलोच्य वर्ष मे यहा ६ पूर्व-प्राथमिक स्कूल, १८ प्राथमिक स्कूल, १० मिडिल स्कूल, ३ हाई स्कूल और एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे।

बजट : सन् १९६७-६८ के लिए, सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, योजनागत कार्यो के लिए १३.६८ लाख रुपये और योजनेतर कार्यो के लिए ३.६५ लाख रुपये है। अगले वर्ष, अर्थात् १९६८-६९ मे, योजनागत कार्यो पर ५.०० लाख रुपये और योजनेतर कार्यो पर १२.६२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ज) मणिपुर

शिक्षा की सुविधाए : आलोच्य वर्ष मे यहा २,१७७ प्राथमिक स्कूल, ३१८ मिडिल स्कूल और १२८ माध्यमिक स्कूल थे।

बजट सन् १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, योजनेतर कार्यो के लिए २४३.२१ लाख रुपये और योजनागत कार्यो के लिए २८.०० लाख रुपये है। अगले वर्ष, अर्थात् १९६८-६९ मे, योजनेतर कार्यो पर ३,२०,६२,००० रुपये और योजनागत कार्यो पर ३२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(झ) पाडिचेरी

शिक्षा की सुविधाए आलोच्य वर्ष मे यहा प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलो मे शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई। आलोच्य वर्ष मे क्षेत्र मे २३९ प्राथमिक, ८५ मिडिल व ४१ हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। १९६७-६८ के नामाकन है प्राथमिक ५१,३८६, मिडिल १३,८६२ तथा माध्यमिक ७,५९५ थे।

बजट : १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा बजट, योजनागत मद ३४.८६ लाख, योजनेतर मद ७१.०५० लाख। अगले वर्ष, योजनागत मद ४०.१२० लाख, योजनेतर मद ७५.६७० लाख।

(ञ) त्रिपुरा

शिक्षा की सुविधाए : आलोच्य वर्ष मे यहा १,३७९ प्राथमिक स्कूल, १७७ मिडिल स्कूल और ७६ उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे।

बजट सन् १९६७-६८ के लिए, सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, योजनागत कार्यो के लिए ४२,४०,९०० रुपये और योजनेतर कार्यो के लिए ३,५३,६१,७०० रुपये है। अगले वर्ष, योजनागत कार्यो पर ८४,८८,२०० रुपये और योजनेतर कार्यो पर ३,८२,८९,२०० रुपये खर्च होने का अनुमान है।

उच्च शिक्षा

केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे अलीगढ, बनारस, दिल्ली और विश्व-भारती इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयो के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। देश मे उच्च शिक्षा के स्तरो मे तालमेल रखने और उन्हे बनाए रखने का दायित्व भी इसी मत्रालय पर है।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए १९५३ म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयो को अनुरक्षण और विकास-कार्यों के लिए शत प्रतिशत आधार पर और राज्य वि वविद्यालयो का केवल उनकी विकास परियोजनाओ के लिए सहभागिता के आधार पर अनुदान दिया जाता है। सांविधिक विश्वविद्यालयो के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ की धारा ३ के आधीन विश्वविद्यालय मानी जाने वाली सस्थाओ को भी अनुरक्षण और विकास के लिए शिक्षा मत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देते हैं। य अनुदान दो उद्दे या स दिय जाते हैं एक तो इसलिए कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की अन्य सस्थाए शिक्षा की अभूतपूर्व माग को पूरा कर सकें और दूसरे इसलिए कि शिक्षा क स्तर को सुधारने की तुरन्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यायल

केन्द्रीय विश्वविद्यालय म विस्तार और शिक्षा के स्तर को सुधारने के सम्बन्ध म जो महत्वपूर्ण विकास घटनाए हुई है उनम से कुछ का यहा सक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय

राष्ट्रपति न अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की हैसियत से डा० अब्दुल अलीम को नवाब अली यावर जग के स्थान पर उपकुलपति नियुक्त किया है। नवाब अली यावर जग सयुक्त राज्य अमेरिका म भारत के राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं।

सितम्बर १ १९६७ को विश्वविद्यालय म दाखिल छात्रो की कुल सख्या ९ ६६६ थी। चालू शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालय म सेमिस्टर प्रणाली और कला विज्ञान तथा वाणिज्य सकायो म आनस पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। डिप्लोमाधारी छात्रो के लिए जिन्हे इजीनियरी का कुछ अनुभव हो एक अशकालिक इजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम भी इसी वर्ष से शुरू कर दिया गया है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप मे डा ए० सी० जोशी को डा त्रिगुण सेन के स्थान पर उपकुलपति नियुक्त किया है क्योकि डा सेन केन्द्र सरकार म शिक्षा मत्री नियुक्त हो गये हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम १९६६ के उपबन्ध के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायो का पुनर्गठन किया गया है।

सन् १९६७ ६८ के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रो की कुल सख्या ९ ५४० थी।

अनेक सकायो के विभिन्न विभागो म सेमिस्टर प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई है जिसके अनुसार हर वर्ष दो विश्वविद्यालय परीक्षाए हुआ करेंगी।

विश्वविद्यालय की परिषद् ने हिन्दी को शिक्षा क माध्यम के रूप म प्रारम्भ करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। परिषद् ने यह भी निदेश दिया है कि इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए एक हिन्दी माध्यम बोर्ड की तत्काल स्थापना की जाये और इस उद्देश्य के लिये आवश्यक साहित्य प्रकाशित किया जाये। तब से इस विषय पर विभिन्न

सकायो और शैक्षिक परिपद मे विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि कुछ समय तक हिन्दी तथा अग्रेजी दोनो माध्यमो के द्वारा शिक्षण-कार्य जारी रखा जाए।

विश्वविद्यालय मे दो महत्वपूर्ण सम्मेलनो का आयोजन किया गया · भारतीय दार्शनिक सम्मेलन और भारतीय विज्ञान काग्रेस सस्था।

दिल्ली विश्वविद्यालय ·

जुलाई, १९६७ मे विश्वविद्यालय के छात्रो की कुल सख्या ४२,५४२ थी। इसके अलावा ७,३७८ छात्र पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय मे पजीयित किये गये, १,६५० महिला छात्र गैर-कालेजी महिला शिक्षा वोर्ड मे और १४२ अध्यापक बी० एड० पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये केन्द्रीय शिक्षा सस्थान मे पजीयित किये गये।

सात नये कालेजो को अनुमति दे दी गई कि वे छात्रो को विश्वविद्यालय पाट्यक्रमो के लिये तैयार करे।

अठारह प्रख्यात अध्येताओ ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागो मे अतिथि प्रोफेसर के रूप मे कार्य ग्रहण कर लिया है। फोर्ड फाउण्डेशन ने विश्वविद्यालय को अगले पाच वर्षो के लिये मानविकी तथा अन्य समाज विज्ञान विभागो के वैज्ञानिक उपकरण, पुस्तकालय, निदर्शन, कर्मचारीगण तथा भवन-निर्माण एव अन्य आवश्यकताओ के लिये पचास लाख डालर के अनुदान की स्वीकृति दे दी है। विश्वविद्यालय ने फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता का श्रेष्ठ ढग से प्रयोग करने के लिये स्थूल रूपरेखा तैयार करने के लिये अनेक विशेषज्ञ समितिया नियुक्त कर दी है।

विश्वभारती .

विश्वविद्यालय ने १९६७-६८ के शैक्षिक सत्र से दो नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये है एक तो ललित कला और शिल्प मे पचवर्षीय डिग्री कार्यक्रम और दूसरा इन्ही विषयो मे पचवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय मे दर्शन-शास्त्र के उच्च अध्ययन केन्द्र के तत्वावधान मे 'मूलभूत धार्मिक दृष्टिकोण—ज्ञान-भक्ति-कर्म' पर सातवी अखिल भारतीय विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के अहाते के लिए आवश्यक १,००० एकड भूमि मे से दिल्ली प्रशासन ने मुनीरका ग्राम के निकट लगभग ६०० एकड भूमि अर्जित कर ली है। शेष भूमि-अर्जन के लिये कार्रवाई जारी है। उपकुलपति की नियुक्ति और शैक्षिक तथा सलाहकार समितियो की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाए

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अधीन भारतीय खान स्कूल, धनबाद नामक एक और सस्था को 'विश्वविद्यालय मानी गई सस्था' घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अब विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओ की कुल सख्या १० हो गई है।

जामिआ मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद काशी विद्यापीठ वाराणसी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय (इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज) नई दिल्ली विश्वविद्यालय मानी गई इन पाच सस्थाओ को उनके पाठ्यक्रमो के सम्बन्ध म जिनके कारण उन्ह विश्वविद्यालय माना गया है घाटे की पूर्ति के आधार पर अनुरक्षण अनुदान दिए गए। अनुरक्षण अनुदान म पूजीगत व्यय की कोई मद शामिल नही की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विकास योजनाओ के लिए भारत सरकार द्वारा समान (मैचिंग) राशि दी जा रही है। विकास अनुदान के लिए आवर्ती और अनावर्ती राशि का निश्चय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयो की सख्या बढ़कर ७० हो गई है और विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओ की सख्या १ तक पहुच गई है। सन् १६६६ ६७ म कालेजो की सख्या (जिसम विश्वविद्यालय के विभाग शामिल नही हैं) २ ७४६ तक पहुच गई। सन् १६६६ ६७ म विश्वविद्यालयो तथा कालेजो म दाखिल छात्रो की सख्या १७ २८ ८७३ से बढ़कर १६ ४६ १२ हो गई।

विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विकास कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के लिए वि अ० आयोग ने विश्वविद्यालयो तथा विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओ को अनुदान देना जारी रखा।

विश्वविद्यालयो और विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओ को अप्रल दिसम्बर १६६७ म दिए गए विकास अनुदानो का ब्यौरा इस प्रकार है

(१) विज्ञान विषय उद्देश्य	दी गई राशि (लाख रुपयों मे)
(क) पुस्तकें और पत्रिकाए	१८ ५५
(ख) विज्ञान उपस्कर	४६ ४२
(ग) अतिरिक्त कमचारी	१६ ३७
(घ) भवन	५६ २३
	१४३ ५७

(२) मानविकी और समाज विज्ञान उद्देश्य	दी गई राशि (लाख रुपयों मे)
(क) पुस्तक और पत्रिकाए	१४ ७
(ख) उपस्कर	१ २२
(ग) अतिरिक्त कमचारी	३७ ३७
(घ) भवन (पुस्तकालय भवन सहित)	२८ ४५
	८१ ७४

इजीनियरी और शिल्प-विज्ञान : आयोग ने विश्वविद्यालयो और इजीनियरी तथा शिल्प-विज्ञान के क्षेत्र मे उच्च शिक्षा के लिए उनके द्वारा चलाई जाने वाली सस्थाओ को विकास अनुदान की मजूरी भी दी है। ये अनुदान वर्तमान सुविधाओ मे सुधार, पचवर्षीय समाकलित पाठ्यक्रम, भेपजीय शिक्षा के विकास, प्रवध अध्ययन पाठ्क्रमो, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो और इजीनियरी तथा शिल्प-विज्ञान आदि मे अनुसधान के लिए दिये गये हैं। किन्तु विशेप जोर विस्तार की वजाय समेकन तथा विकास कार्यक्रमो पर दिया गया। अप्रैल-दिसवर १९६७ के दौरान विश्वविद्यालयो तथा उनके द्वारा चलाई गई सस्थाओ को दी गई कुल राशि १ १९ करोड रुपये थी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयो को अनुरक्षण अनुदान : केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयो को विकास कार्य के अतिरिक्त अनुरक्षण अनुदान भी आयोग शत-प्रतिशत आधार पर देता रहा है। अप्रैल-दिसम्वर, १९६७ के दौरान अनुरक्षण-अनुदान के रूप मे विश्वविद्यालयो को दी जाने वाली राशि ५ १८ करोड रुपये थी।

छात्र-कल्याण : छात्र-कल्याण से सम्वन्धित विभिन्न योजनाओ का आयोग ने पहले ही अनुमोदन कर दिया है और उपलव्ध साधनो के अनुसार विश्वविद्यालयो और कालेजो को छात्र समुदाय के लिए विशेप सुविधाओ की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जा रही है। इस योजना के अतर्गत पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय, अनिवासी छात्र केन्द्र, छात्रावासो का निर्माण तथा छात्र-सहायता निधि आते है। इन योजनाओ के लिए १ अप्रैल से ३१ दिसम्वर १९६७ तक विश्वविद्यालयो को दिए गए अनुदान की कुल रकम २३.३४ लाख रुपये थी।

छात्रवृत्तिया तथा अधिवृत्तियां (फैलोशिप) : आयोग ने निम्नलिखित छात्रवृत्तिया आदि प्रदान की

(i) मानविकी और समाज विज्ञानो के लिए ५०० रुपये प्रतिमास की २२ प्रवर अधिवृत्तिया तथा ३०० रुपये प्रतिमास की ८७ अवर अधिवृत्तिया,

(ii) विज्ञान विपयो मे २७ वरिष्ठ और १२६ अवर अधिवृत्तिया,

(iii) इजीनियरी और प्रौद्योगिकी मे उच्च अध्ययन तथा अनुसधान के लिए ४०० रुपये प्रतिमास की २८ अनुसधान अधिवृत्तिया,

(iv) अरवी और फारसी मे आनर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए १०० रुपये प्रतिमास की १६ छात्रवृत्तिया,

(v) उत्तर-पूर्वी भारत के पहाडी इलाको के छात्रो को २५० रुपये प्रतिमास की दो अनुसधान छात्रवृत्तिया तथा १२० रुपये प्रतिमास की २८ स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिया।

आयोग ने ६० विश्वविद्यालयो को २५० रुपये प्रतिमाम की ३२१ अनुसंधान छात्रवृत्तिया प्रदान की।

पत्राचार पाठ्यक्रम . दिल्ली विश्वविद्यालय मे वी० ए० (पास) के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम प्रायोगिक परियोजना के रूप मे सितम्वर, १९६२ मे प्रारम्भ किए गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की सिफारिशो पर आयोग इस वात के लिए सहमत हो गया कि विश्वविद्यालय मे पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय को स्थायी रूप प्रदान कर दिया जाए। कुछ अन्य विश्व-

१	२	३	४	५
५	देशबन्धु कालेज को अनुदान (वि० अ० आ० द्वारा दिये गए अनुरक्षण अनुदानों की पुरानी और नई दरों का अन्तर) (योजनेतर)	८ ०००	५ ००	८२० ०
६	अखिल भारतीय महत्व के उच्च अध्ययन संस्थान (योजनागत)	३०० ००	०० ०००	२०० ०००
७	बड़े शहरों में छात्रावास निर्माण (योजनागत)	२०० ०००	१५० ०	२ ०
८	उच्च अध्ययन संस्थान निकायों की स्थापना (योजनेतर)	६०० ०	६२	६१५ ००
	(योजनागत)	६० ००	८ ३३० ०	८ २ ०
९	विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र (योजनागत)	—	२ ३५ ०	२१ ० ०
१०	गांधी अध्ययन संस्थान (योजनागत)	२५ ०	५	१ ०
११	रूसी अध्ययन संस्थान (योजनागत)	१ ० ०	१० ००	११२८
१२	विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार—राज्य सरकारों को सहायक अनुदान (योजनेतर)	००० ०	२ ०	६० ०
१३	विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार—संघ शासित क्षेत्रों को सहायक अनुदान (योजनेतर)	—	३	१
१४	प्रवर्तित कालेजों की योजना (योजनागत)	५ ० ०	१०	—
१५	विश्वविद्यालयों और दिल्ली के कालेजों के लिए			

१	२	३	४
	संस्थान विदेशी विशेषज्ञों का खर्च (योजनागत)	—	० ०००
२६	भारत का अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड (योजनेतर)	३२ ००	५० ०००
२७	महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की शिक्षाओं पर प्रमुख व्यक्तियों के व्याख्यान (योजनागत)	२३ ०००	२ ०
२८	गांधी दर्शन (योजनागत)	१० ०००	१०० ०
२९	राष्ट्रमण्डल शिक्षा योजना—विदेशी विशेषज्ञ और तकनीशियनों का स्थानीय खर्च (योजनेतर)	१०५ ०००	५ ०००
३	अमरीकी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र हैदराबाद—साहित्यिक क्रियाकलापों में संलग्न संस्थाएं और व्यक्ति (योजनेतर)	—	१८ ०००
३१	शिक्षा सम्मेलन—प्रोफेसरों और शिष्टमण्डलों का आदान प्रदान	५० ००	३३ ००
३२	शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान को अनुदान (योजनेतर)	६ ०० ०००	—
	(योजनागत)	—	—
३३	ग्रामीण उच्च शिक्षा (योजनेतर)	११२ ० ०	११ ० ०००
	(योजनागत)	३०५० ००	१२५ ०००
४	अन्य खर्च—ग्रामीण उच्च शिक्षा (योजनेतर)	०	५५ ०
	(योजनागत)	[illegible]० ०००	१० ००
३५	ग्रामीण संस्थानों के अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण (योजनागत)	५ ०	१५ ०

तकनीकी शिक्षा

सन् १९६६-६७ मे १३७ सस्थाए पहली उपाधि (डिग्री) स्तर पर इजीनियरी और शिल्पविज्ञान के पाठ्यक्रम चला रही थी और २८४ सस्थाए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमो को चला रही थी। इन दोनो प्रकार की सस्थाओ मे दाखिल छात्रो की वास्तविक सस्था क्रमश २४, ६३४ और ४६,४६१ थी। इन सस्थाओ से स्नातक बनकर निकलने वाले छात्रो की सख्या १३,०५१ तथा डिप्लोमाधारी छात्रो की सख्या २२,२६० थी।

बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति तथा अन्य कारणो से तव तक उपाधि और डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाओ की योजना नही बनाई जा रही जब तक कि चौथी और पाचवी पचवर्षीय योजना की निश्चित दिशा और तकनीकी कार्मिको के लिए उनकी मागो का पता नही चल जाता। खनन उद्योग मे रोजगार के अवसरो की कमी के कारण, १९६७-६८ मे उपाधि तथा डिप्लोमा स्तर पर खनन पाठ्यक्रमो मे दाखिलो की सख्या बहुत कम कर दी गई थी।

भारतीय शिल्पविज्ञान संस्थान : भारतीय शिल्पविज्ञान सस्थानो की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य स्नातकोत्तर शिक्षा और इजीनियरी तथा शिल्पविज्ञान के क्षेत्र मे अनुसधान को वढावा देना है और यह लक्ष्य उत्तरोत्तर पूरा होता जा रहा है। निम्नलिखित विवरण इस वात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा

	पूर्व स्नातक (अडर-ग्रेजुएट) स्तर पर जुलाई, १९६७ के दौरान हुए दाखिले	छात्रो की कुल सख्या	सस्थान से निकले शिक्षितो छात्रो की सख्या		
			उपाधि पाठ्य-क्रम	स्नातक-कोत्तर पाठ्य-क्रम	डाक्टर उपाधि (पी-एच० डी०)
वम्वई	३७१	२,१४५	३०४	१६१	५
दिल्ली .	२७०	१,६०७	१९९+८ (डिप्लोमा)	१९	४
कानपुर	३२०	१,८०२	७९	२८	११
खड्गपुर .	४५१	२,९२८	३८७	२०८	२९
मद्रास .	३५४	१,७१८	२५९	५०	१२

यह निर्णय किया गया कि इन संस्थाओं में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और पूर्वस्नातक विद्यार्थियों के बीच अंतिम अनुपात १ : २ होना चाहिए। वर्तमान अनुपात इस प्रकार हैं बम्बई १ : ४.४ दिल्ली १ : ४.२ कानपुर १ : २.३ खड़गपुर १ : ३.४ और मद्रास १ : ५.७।

ये संस्थाएं देश की आवश्यकताओं तथा विदेश में होने वाली आधुनिकतम घटनाओं को ध्यान में रख रही हैं और इन्होंने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं :

बम्बई संगणक शिल्पविज्ञान (कम्प्यूटर टेक्नालाजी) वायुयान उत्पादन शिल्पविज्ञान प्रणोदन (एयर क्राफ्ट प्रोडेक्शन टेक्नालाजी प्रोपल्शन) इसके अतिरिक्त एक साल के तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे—(१) ऊष्मा उपचार शिल्पविज्ञान (हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलाजी) (२) प्लास्टिक इंजीनियरी और (३) गोदी और बंदरगाह इंजीनियरी। सारे देश में केवल यही पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

दिल्ली कंक्रीट निर्माण कार्य और शिल्पविज्ञान (कंक्रीट स्ट्रक्चर एण्ड टेक्नालाजी) वस्त्र इंजीनियरी (टेक्स्टाइल इंजीनियरिंग) अभिकल्प इंजीनियरी (डिजाइन इंजीनियरिंग) संख्यात्मक विश्लेषण (न्यूमेरिकल एनेलिसिस) और स्वचालित संगणन (आटोमेटिक काम्प्यूटिंग) का एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

कानपुर दो साल का वैमानिक इंजीनियरी (एरोनाटिकल इंजीनियरिंग) सिविल इंजीनियरी यान्त्रिक इंजीनियरी (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) और धातुकर्म इंजीनियरी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के उच्च पाठ्यक्रम जिनको पूरा करने पर मास्टर आफ टेक्नालाजी की डिग्री दी जाती है।

खड़गपुर मास्टर आफ टेक्नालाजी इन माइनिंग—दो साल का उपाधि पाठ्यक्रम। दो साल का पाठ्यक्रम जिसकी समाप्ति पर मास्टर आफ एम. सी. पी और मास्टर आफ रीजनल प्लानिंग की उपाधि दी जाती है। ये दोनों योजना पाठ्यक्रम भूतपूर्व एम० टेक० उपाधि और प्रादेशिक योजना (रीजनल प्लानिंग) के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्क्रमों के स्थान पर चालू किए गए हैं। विद्युत कर्षण (इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन) और दुग्धशाला इंजीनियरी का एक साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

मद्रास द्रव इन्जीनियरी (हाइड्रोलिक्स) मृदा यान्त्रिकी और नाव इंजीनियरी (सायल मेकेनिक्स एण्ड फाउण्डेशन इंजीनियरिंग) और संरचना इंजीनियरी (स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग) के दो साल के उपाधि पाठ्यक्रम। यान्त्रिक इन्जीनियरी (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) में दो साल का एम. टेक० उपाधि पाठ्यक्रम। इलक्ट्रानिकी (इलक्ट्रानिक्स) माप शक्ति प्रणाली (मेजरमेंट पावर सिस्टम)।

रासायनिक इन्जीनियरी (केमिकल इन्जीनियरिंग) में दो साल का उपाधि पाठ्यक्रम।

३२. अनुदान और ऋण : पचवर्षीय योजनाओ के अतर्गत तकनीकी शिक्षा की विभिन्न योजनाओ के लिए १९६७-६८ के दौरान १४ करोड रुपये के सहायक अनुदान की मजूरी राज्य सरकारो और इन्जीनियरी तथा शिल्पविज्ञान सस्थाओ को दिए जाने की आशा है। यह भी आशा की जाती है कि छात्रावासो के निर्माण के लिए ३६१ लाख रुपये के ऋण दिए जायेगे।

३३. वित्तीय व्यवस्था : सन् १९६७-६८ और १९६८-६९ के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए की गई वित्तीय व्यवस्थाओ का व्यौरा इस प्रकार है

	(लाख रुपये मे)
१९६७-६८ के लिए व्यवस्था	२९४७
१९६७-६८ के लिए पुनरीक्षित अनुमान . .	२८०२
१९६८-६९ के लिए वजट अनुमान .	२६६६

वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विकास

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने अनुसन्धान सस्थाओ, प्रयोगशालाओ, वैज्ञानिक सस्थाओ और व्यक्तियो को वित्तीय तथा अन्य सहायता देकर वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम इस वर्ष भी जारी रखा। भारतीय सर्वेक्षण और अन्य तीन वैज्ञानिक सर्वेक्षण—वनस्पति, प्राणिविज्ञान और मानव विज्ञान—सम्वन्धी सर्वेक्षण का कार्य जारी रहा और उनके अपने-अपने कार्यक्रम विकसित होते रहे।

(क) वैज्ञानिक अनुसधान

वैज्ञानिक और अनुसन्धान निकायो को प्रोत्साहन : वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिक्षा मन्त्रालय ने अनेक गैर-सरकारी वैज्ञानिक अनुसन्धान सस्थानो, सस्थाओ, वैज्ञानिक अकादमियो और समितियो के अनुरक्षण और अपना कार्य आगे बढाने के लिए अनुदान देने का काम जारी रखा। वैज्ञानिक निकायो को सक्रिय अनुसन्धान कार्य मे विस्तार करने, वैज्ञानिक पत्रिकाओ और साहित्य का प्रकाशन करने, सम्मेलनो, सगोष्ठियो और विचार गोष्ठियो का आयोजन करने, अनुसन्धान अधिवृत्तियो की व्यवस्था करने, उपस्कर और फर्नीचर तथा पुस्तकालय के लिए पुस्तके खरीदने और प्रयोगशालाए निर्माण करने के लिए ये अनुदान दिये जाते है।

राष्ट्रीय समितिया : निम्नलिखित विषयो सम्वन्धी राष्ट्रीय समितिया इस वर्ष भी अपना कार्य करती रही (१) शुद्ध तथा अनुप्रयुक्त भौतिकी, (२) रेडियो विज्ञान, (३) भू-गणित और भौतिकी, (४) अन्तर्राष्ट्रीय शान्त सूर्य वर्ष, (५) समुद्री अनुसन्धान, (६) जीव-रसायन, (७) स्फाटिकी, (८) विज्ञानो का इतिहास, (९) भूगोल, (१०) अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्रव विज्ञान सम्वन्धी दशक, (११) जीव विज्ञान, (१२) वैज्ञानिक सघो की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्, (१३) अन्तर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन सघ। सामान्यतया समितियो के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ये वाते है। अपने-अपने क्षेत्रो मे कार्यकलापो की योजना वनाना, उन्हे कार्यान्वित करना, उनमे तालमेल रखना तथा उनका विस्तार करना और सबधित क्षेत्रो के अतर्राष्ट्रीय निकायो के साथ सपर्क स्थापित करना।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर डा० सी० वी० रमन प्रो० एस० एन० बोस डा० पी० वी० काणे डा० डी० एन० वाडिया डा० बी० आर० मनोहर डा० सुनीति कुमार चटर्जी और डा० एस० आर० रंगनाथन् राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में काम करते रहे।

आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया

क्र० सं०	प्रक्रम	प्रयोगशाला/संस्थान
१	विद्युत विश्लेषी लोह चूर्ण (इलक्ट्रोलिटिक आयरन पाउडर)	सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीटयूट कराईकुडी।
२	हाइड्स पाउडर	सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीटयूट मद्रास।
३	सेफ्टीरेजर ब्लेड के लिए सान चक्र	सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीटयूट कलकत्ता।
४	शीशा तथा कैलोमेल विद्युदग्र मापी (ग्लास एण्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड मीटर)	सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीटयूट कलकत्ता।
५	४ प्वाइन्ट रेजिस्टिविटी प्राब	सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट पिलानी।
६	एस० आर० आई० इलेक्ट्रानिक माइश्चर मीटर	श्रीराम इंस्टीटयूट दिल्ली।
७	मान टेन्शन मीटर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की योजना के अंतर्गत श्रीराम इन्स्टीटयूट में।

अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ भारत इस मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद् (इंटरनेशनल कौंसिल आफ साइंटिफिक यूनियन्स) तथा १६ अंतर्राष्ट्रीय संघों और संस्थानों आदि का सदस्य बना रहा।

इन संघों का सदस्य होने के कारण हमें वैज्ञानिक साहित्य प्राप्त होता रहा है जिससे देश के वैज्ञानिक संगठनों को अन्य देशों में होने वाले आधुनिकतम वैज्ञानिक विकास से परिचित होने में सहायता मिली है। यह निर्णय किया गया है कि एक समिति जिसमें राष्ट्रीय संघटक एकक (राष्ट्रीय समितियां) के अध्यक्ष होंगे निसि (NISI) के तत्वावधान में अब से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद् और उससे सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघों के सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

स्थलाकृतिक और विकास परियोजना सर्वेक्षण सन् १९६७-६८ के दौरान विभाग के क्षेत्र कर्मचारियों में से ६५ से ७० प्रतिशत कर्मचारी स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (जिसमें रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालयों के लिए सर्वेक्षण भी शामिल हैं) में संलग्न रहे और शेष कर्मचारी चौथी पंचवर्षीय योजना में हाथ में लिए गए विकास परियोजना सर्वेक्षणों में

व्यस्त रहे। कोलवो योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण-कार्य नेपाल मे भी शुरु किया गया। इस अवधि मे १ ५०,००० के पैमाने पर १,५१,४०० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का १ २५,००० के पैमाने पर ४,००० वर्ग कि० मी० का, १ २५०,००० के पैमाने पर ४,६४,८०० वर्ग कि० मी० का क्षेत्र और फोटोग्रामेटिक मर्वेक्षण तथा ३७ अन्य वडे पैमाने की विकास परियोजनाओ का सर्वेक्षण पूरा किया गया।

आदिम जातिय और जातियो से सम्वन्धित छ पुस्तको की सूक्ष्म फिल्म तैयार की गई और पाच अभिलेखो तथा पुस्तको की सूक्ष्म फिल्मो का दुवारा मुद्रण किया गया।

फोटोग्राफी खण्ड ने राजस्थान की कुवि कथ और कनिक्कर आदिम जातियो और फैजरगज के मत्स्य पालको के चार चित्र-अल्बम पूरे कर लिए हैं। भील, कोर्कू, कोलम और परग आदिम जातियो के अल्वम तैयार किये जा रहे हैं और वेगा, मारिया गोड और मैसूर की दस्तकारी सम्वन्धी अल्वमो का काम प्रारम्भ किया जायेगा।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग

खोज : सितम्वर-अक्तूवर, १९६७ के दौरान सर्वेक्षण विभाग के उत्तरी सर्कल का एक अधिकारी गगोत्री खोज अभियान दल के साथ गया। इम अभियान दल का गठन केदारनाथ पर्वत अभियान समिति ने गगोत्री हिम नदी और आस-पास के क्षेत्रो की खोज के लिए किया था। सर्वेक्षण दल ने इस अवसर से लाभ उठाया और गगोत्री हिम नदी, तपोवन, शिवलिंग तलहटी और हिम नदी के क्षेत्र से पौधो के नमूने एकत्र किये। यह क्षेत्र केदारनाथ गुम्वन्द के अन्तर्गत ५,४९० मीटर की ऊचाई पर स्थित है। इस अवसर पर कुल २३५ जाति के १,३७५ नमूने एकत्र किये गये।

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग

क्षेत्र सर्वेक्षण . भूटान से पक्षियो, कीटाणु आदि एकत्र करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूटान, वुरजहोम के नवपाषाण युगीन अवशेपो से पजर-अवशेप एकत्र करने के उद्देश्य से वुरजहोम (जम्मू और कश्मीर राज्य) तथा पशु अवशेप जमा करने के लिए नागपुर तथा उसके आस-पास सर्वेक्षण कार्य किया गया। गोआ, छोटा नागपुर (विहार) तथा मध्य प्रदेश और पश्चिम वगाल के विभिन्न भागो मे इस वर्प त्वरित क्षेत्र सर्वेक्षण भी होता रहा।

क्रम	योजना का नाम	१९६७-६८ के लिए व्यवस्था		१९६८-६९ के व्यवस्था बजट प्राक्कलन
		मूल रु०	पुनरीक्षित रु०	रु०
१	२	३	४	
१	वैज्ञानिक समितियों और संस्थाओं को सहायक अनुदान	५६६३८०	५८१२३०	३१७८
२	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर			
	(१) वेतन की अदायगी	२१२०	१८८२००	१८६१०
	(२) अनुसंधान कार्य पर व्यय	१२८१००	११ [illegible]	११२८०
३	विदेश जाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता	२०००	००	२०
४	वैज्ञानिक सम्पर्क मंत्र सदन	२६८०	६००	६१०
५	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	११६६०	५६६०००	१३१७०००
६	अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ	२५०	२१८२०	११२८०
७	वैज्ञानिक तथा अन्य शिष्टमंडलों के गैर-सरकारी सदस्यों पर व्यय	२०००	३००	२००
८	विज्ञान मन्दिर —	१[illegible]०००	२५००	—

९ ग्रीष्मकालीन स्कूल	५०,०००	३५,०००	४५,०००
१० विज्ञान को लोकप्रिय बनाना	—	४,५००	—
११ भारतीय सर्वेक्षण विभाग	५,०४,३०,०००	४,७८,३४,१००	५,३८,४७,३००
१२ राष्ट्रीय मानचित्रावली सगठन	११,८०,०००	९,५९,२००	११,२४ ०००
१३ भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग	१७,८३,०००	१६,००,४००	१९,६५,४००
१४ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ..	३४,४०,०००	३६,६७,०००	३९,१०,८००
१५ भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग	२९,९२,०००	२८,७६,७००	३२,९०,९००
१६ वैज्ञानिको और अनुसधानकर्ताओ का पारस्परिक आदान-प्रदान	२९,०००	२९,०००	३५,०००
१७ भूविज्ञान और खनिज साधनो की राष्ट्रमण्डल समिति के खर्च मे अशदान	२८,२००	३९,०००	२४,०००
१८ नफील्ड फाउण्डेशन बरसरीज योजना ..	७,०००	६,०००	६,०००

९ ग्रीष्मकालीन स्कूल	५०,०००	३५,०००	४५,०००
१० विज्ञान को लोकप्रिय बनाना	—	४,५००	—
११ भारतीय सर्वेक्षण विभाग	५,०४,३०,०००	४,७८,३४,१००	५,३८,४७,३००
१२ राष्ट्रीय मानचित्रावली सगठन	११,८०,०००	९,५९,२००	११,२४ ०००
१३ भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग	१७,८३,०००	१६,००,४००	१९,६५,४००
१४ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग .. .	३४,४०,०००	३६,६७,०००	३९,१०,८००
१५ भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग .	२९,९२,०००	२८,७६,७००	३२,९०,९००
१६ वैज्ञानिको और अनुसधानकर्ताओ का पारस्परिक आदान-प्रदान	२९,०००	२९,०००	३५,०००
१७ भूविज्ञान और खनिज साधनो की राष्ट्रमण्डल समिति के खर्च मे अशदान	२८,२००	३९,०००	२४,०००
१८ नफील्ड फाउण्डेशन बरसरीज योजना .	७,०००	६,०००	६,०००

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

१६ मार्च १९६७ से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार डा० त्रिगुण सेन ने श्री फखरुद्दीन अली अहमद से ग्रहण कर लिया।

इस वर्ष के दौरान परिषद के आधीन ३० राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और दो औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय संग्रहालय काय कर रहे हैं। इन प्रयोगशालाओं में से कुछ नये विस्तार सेल प्रभाग अथवा स्कन्ध बनाये गए थे। इनमें ये सम्मिलित हैं (१) सी० बी० आर० आई० विस्तार सेल अहमदाबाद (२) सी० ई० ई० आर० आई० टेलीविजन विस्तार केन्द्र नई दिल्ली (३) एस० ई० आर० सी० क्षेत्रीय केन्द्र मद्रास (४) सी० एस० एम० सी० आर० आई० क्षेत्र यूनिट मंडपम् मद्रास (५) एन० जी० आर० आई० भूकम्प विज्ञान वेधशाला हैदराबाद (६) सी० जी० सी० आर० आई० दूसरा प्रयोगशाला और (७) आर० आर० एल० डिजिटल कम्प्यूटर केन्द्र।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चण्डीगढ़ की प्रयोगशालाओं और कर्मशालाओं का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन ने २८ दिसम्बर १९६७ को किया।

भटनागर स्मारक पुरस्कार परिषद के शासी निकाय में निम्नांकित वैज्ञानिकों को १९६५ के वार्षिक स्वरूप भटनागर स्मारक पुरस्कार देने का अनुमोदन किया।

(१) भौतिकी विज्ञान प्रो० बी० रामचन्द्र राव अध्यक्ष भौतिकी विभाग आन्ध्र विश्वविद्यालय।

(२) इंजीनियरी विज्ञान श्री ए० एस० राव निदेशक इलेक्ट्रानिक्स ग्रुप तथा निदेशक विकिरण सुरक्षा निदेशालय ए० ई० ई० टी०।

(३) रासायनिक विज्ञान (क) प्रो० आर० सी० मेहरोत्रा रसायन सकाय के डीन राजस्थान विश्वविद्यालय (ख) प्रो० साधन बसु रसायन के पालित प्रोफेसर कलकत्ता विश्वविद्यालय।

(४) चिकित्सा विज्ञान (क) डा० एन० के० दत्त हाफकाइन इंस्टीटयूट बम्बई (ख) डा० वी० रामलिंग स्वामी आल इण्डिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली।

अनुसंधान के लिए सहायता वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से परिषद् ने उद्योगों द्वारा अनुसंधान संघों की मार्फत उद्योगों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा। १९६७-६८ के दौरान इस प्रकार के ११ अनुसंधान संघ काम कर रहे थे—३ सूती कपड़ा उद्योग के लिए और रेशम तथा कृत्रिम रेशम प्लाइवुड ऊन जूट चाय सीमेंट रंगरोगन तथा रबर उद्योग के लिए एक एक।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिए गए अनुदानों की सहायता से दो अनुसंधान केन्द्रों ने वर्ष के दौरान काम किया। ये अनुसंधान केन्द्र हैं—भूकम्प इंजीनियरी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण स्कूल रुड़की तथा विरल जब रसायन तैयार करने वाला केन्द्र वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीटयूट दिल्ली। भूकम्प इंजीनियरी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण स्कूल ने भूकम्प कटिबन्ध में बहुउद्देशीय नदी घाटी तथा अन्य परियोजनाओं की योजना डिजाइन तथा निर्माण का काम किया।

वित्तीय व्यवस्था : परिषद् के लिए वित्त व्यवस्था इस प्रकार थी

	(१९६७-६८) मूल	पुनरीक्षित	१९६८-६९ बजट प्राक्कलन
	(रुपए लाखो मे)		
आवर्ती	१२०३.११	१२२०.८८	१३३० ०५
पूजी	६५७ ५३	६४८.०२	६६६.४९
कोलम्बो योजना	१ ०८	२ ८४	३.५१
टी सी ए कार्यक्रम	१ ७६	—	—

छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना : योग्य छात्रो को मैट्रिकोत्तर शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिये यह योजना १९६१-६२ मे शुरू की गई थी । प्रारम्भ मे पहले वर्ष २,४०० छात्र-वृतियो दी गई तथा सन् १९६७-६८ मे इन्ही छात्रवृत्तियो की सख्या बढकर ७,००० हो गई और यदि उपयुक्त राशि उपलब्ध हो तो छात्रवृतिया १९६८-६९ मे भी देने का प्रस्ताव है ।

सपूर्ण भारत के परीक्षा लेने वाले विभिन्न निकायो द्वारा ली जाने वाली अनुमोदित परीक्षाओ के लिए इन छात्रवृतियो का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है । इसके लिए योग्यता सूची मे सब से ऊपर के छात्र चुने जाते है तथा परीक्षा-परिणामो की घोपणा होने के साथ-ही-साथ उनके नाम भी घोपित कर दिए जाते है ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना यह योजना पहले-पहल १९६३-६४ मे शुरू की गई थी । इस योजना मे जरूरतमन्द और योग्य छात्रो को अनुमोदित पाठ्यक्रम की समाप्ति तक के लिए विना व्याज के ऋण-छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था की गई है । ऋण की अधिकतम सीमा शिक्षा के स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है । यह ऋण मासिक किस्तो मे वसूल किया जाता है और ये किस्ते ऋण लेने वाले छात्र का काम लग जाने के एक वर्प वाद या छात्रवृत्ति की समाप्ति के तीन वर्प वाद, जो भी पहले हो, शुरू होती है । ऋण लेने वाले जो छात्र अपना अध्ययन समाप्त करने के वाद अध्यापन-व्यवसाय अपना लेते है उन्हे इस योजना के अन्तर्गत एक विशेप सुविधा दी जाती है । इन व्यक्तियो के मामले मे सेवा के हर वर्प के लिए ऋण का १/१० भाग वट्टेखाते मे डाल दिया जाता है ।

सन् १९६६-६७ मे, १८,५०० नई छात्रवृत्तिया दी गई । द्रव्य की कमी के कारण १९६७-६८ मे छात्रवृत्तियो की यह सख्या घटकर १४,८२५ रह गई । सन् १९६८-६९ मे छात्रवृत्तियो की सख्या यही होगी । ये छात्रवृत्तिया विभिन्न राज्यो और सघशासित क्षेत्रो मे उनकी जनसख्या के अनुपात से वाटी जाती है ।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलो के अध्यापको के लिये छात्रवृत्तिया . अध्यापको द्वारा की गई सेवाओ को मान्यता देने और उन्हे वित्तीय सहायता देने के विचार से ये योजना १९६१-६२ मे शुरू की गई थी । अध्यापको के जो वच्चे स्कूल शिक्षा-समाप्ति या विश्व-विद्यालय-पूर्व पाठ्यक्रम परीक्षा मे कम से कम ६० प्रतिशत अक प्राप्त करते है वे ही इस

छात्रवृत्ति ने पाने के पात्र होते हैं। इसके लिये योग्यता-सूची मे सबसे ऊपर के छात्र चुने जाते हैं। सन १९६६ ६७ म ७५० नई छात्रवृत्तिया दी गई। कि तु सन १९६७ ६८ म द्रव्य की कमी के कारण छात्रवृत्तियो की यह सख्या घटकर ४१२ रह गई। सन १९६८ ६९ म भी इतनी ही छात्रवृत्तिया देने का प्रस्ताव है।

आवासी और पब्लिक स्कूलो के लिए छात्रवृत्तिया यह योजना उन लोगो को अच्छी चौतरफा स्कूली शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो अन्यथा ऐसी शिक्षा प्राप्त नही कर सकते। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष २ ० नई छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था है। सन १९६७ ६८ के लिए २ ० छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था है। सन् १९६७ ६८ के लिए २०० छात्रवृत्तियो के लिए चुनाव शीघ्र ही पूरे कर लिए जायेंगे। सन १९६८ ६९ मे भी इतनी ही छात्रवृत्तिया दिए जाने का प्रस्ताव है।

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तिया इस योजना का उद्देश्य प्रतिभावान युवा व्यक्तियो को हिन्दुस्तानी सगीत (गायन और वाद्य) कर्नाटक सगीत (गायन और वाद्य) पाश्चात्य शास्त्रीय सगीत रवीन्द्र सगीत लोक सगीत भरतनाट्यम कुचिपुडी कथक मणिपुरी ओडिसी लोकनृत्य नाटक और ललित कलाओ अर्थात चित्र कला मूर्तिकला पुस्तक निर्माचित्र और डिजाइन म उच्च प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष २५ छात्रवृत्तिया दी जाती हैं।

राजनतिक पीडितों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां और अन्य शक्षिक सुविधाए जसा कि इस योजना के नाम से ही स्पष्ट है इसके अन्तर्गत राजनतिक पीडितो के बच्चो को कुछ सुविधाए दी जाती हैं।

विदेशा मे अध्ययन के लिए भारतीय राष्ट्रिको को छात्रवृत्तिया

भारत सरकार की योजनाए

विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना इस योजना के अधीन भारतीय राष्ट्रिको को विदेशी भाषाओ म विशषज्ञता प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तिया दी जाती हैं। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण १९६४ ६५ से यह योजना सक्रिय रूप स जारी नही रखी जा सकी है। बजट म व्यवस्था पहले की टोलियो के उन्ही विद्यार्थियो की छात्रवृत्तिय के लिए की गई है जो अब भी विदेश म अध्ययन कर रह हैं।

समीप क्षेत्र समुद्रपार छात्रवृत्तिया इस योजना के अन्तर्गत उच्च अध्ययन के लिए उन व्यक्तियो को छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था है जो जन्म या अधिवास स सघशासित क्षेत्रो के निवासी हो। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पहले की तरह यह योजना १९६६ ६७ स रुकी रही। बजट म व्यवस्था पहले की टोलियो के उन्ही विद्यार्थियो के लिए की गई है जो अब भी विदेशो म हैं।

आंशिक वित्तीय सहायता (ऋण) योजना इस योजना के अधीन ऋण उन सुपात्र तथा शिक्षा की दृष्टि से प्रवीण छात्रो को उनके मार्ग-व्यय तथा अन्य प्रासगिक खर्चों के लिए दिए जाते हैं जो विदेश के विद्यालयो आदि म उन विषय क्षेत्रो म दाखिला पा चुके हैं जिनके लिए पर्याप्त सुविधाए भारत म नही हैं। १९६७ ६८ के दौरान इस ऋण २७ छात्रो को दिए गए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित अदिम जातियों आदि के लिए छात्रवृत्तियां

भारत मे मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो, अनुसूचित यायावर (खानाबदोश) और अर्ध-यायावर कबीलो तथा कम आमदनी वाले वर्गो के छात्रो को छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था है। इस योजना को राज्य सरकारें तथा सघशासित क्षेत्रो के प्रशासन केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार चलाते है। सभी पात्र छात्रो को विहित साधन परीक्षा के बाद ही तथा उपलब्ध द्रव्य के अनुसार ही मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तिया दी जाती है। यह योजना पहली जनवरी, १९६८ को शिक्षा मत्रालय से लेकर समाज-कल्याण विभाग को सौप दी गई है।

अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो आदि को समुद्र पार छात्रवृत्तियां इस योजना के अन्तर्गत १९६७-६८ मे पिछडी जातियो के सबधित वर्गो के छात्रो को विदेशो मे अध्ययन के लिए नौ छात्रवृत्तिया मिली। कुछ चुने हुए उम्मीदवार भारत से जा चुके हैं और अन्य शीघ्र ही विदेश रवाना हो जायेगे। इतनी ही छात्रवृत्तिया १९६८-६९ मे भी दिये जाने का प्रस्ताव है, अर्थात् ४ अनुसूचित जातियो के छात्रो को, ४ अनुसूचित आदिम जातियो के छात्रो को तथा १ अनुसूचित यायावार (खानाबदोश) और अर्धयायावार जातियो के छात्रो को।

अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो आदि के लिए मार्गव्यय अनुदान इस योजना के अन्तर्गत नौ मार्गव्यय अनुदान दिये जाते हैं जिनमे से चार अनुसूचित जातियो के छात्रो को, चार अनुसूचित आदिम जातियो के छात्रो को तथा एक अनुसूचित यायावार और अर्ध-यायावार जातियो के छात्रो को दिये जाते है। ये मार्गव्यय अनुदान ऐसे छात्रो को दिये जाते हैं जिन्हे विदेशो मे अध्ययन के लिए ऐसी छात्रवृत्तिया मिली हो जिनमे मार्गव्यय के लिए अनुदान न दिया गया हो तथा जो अपने ही साधनो से इसका खर्च नही उठा सकते है। सन् १९६७ ६८ मे पाच व्यक्तियो को मार्गव्यय अनुदान दिये गये। सन् १९६८-६९ मे भी ऐसे ही ९ मार्गव्यय अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है।

१ वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार है

योजना का नाम	बजट प्राक्कलन १९६७ ६८	पुनरीक्षित प्राक्कलन १९६७ ६८	बजट प्राक्कलन १९६८ ६९
१ सामान्य व सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना	२७००० ०	२४ १०० ०	२७ ५ ०
२ विदेशी छात्रों के लिए अंग्रेजी में विशेष पाठ्यक्रम	४५ ०	४ ५००	४ ५०
३ इण्टरनेशनल स्टूडेण्ट्स हाउस व्यवस्था	—	—	५ ०००
४ सघ शासित क्षेत्र समुद्र पार छात्रवृत्तियां	१ ३२ ०	९४० ०	५० ०००
५ विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना	२२ ००	२३ ०००	१० ०
६ हिन्दी में मैट्रिक उत्तर छात्रों के लिए अहिन्दीभाषी राज्यों से छात्र			
वृत्तियां (योजनागत)	४० ००	२ ९५ ००	७ ००
(योजनेतर)	९ ० ०	९ ०० ०००	६ २७ ०००
७ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस दिल्ली	६ ०	६० ०००	—
८ प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापकों के बच्चों के लिए योग्यता छात्र			
वृत्तियां (योजनागत)	१० [illegible] ०	७ २५ ०००	१३ ९८ ००
(योजनेतर)	१३ ६५ ०००	१२० ००	१ ०० ०
९ —वही—सघ शासित क्षेत्र)			
(योजनागत)	४५ ००	२० ० ०	१४
(योजनेतर)	१८ ००	१७ ०००	१० ००

१	२	३	४	५
१० [illegible] (योजनागत)	...	१,२४,४०,०००	८०,००,०००	१,८३,००,०००
(योजनेतर)	...	६६,००,०००	६०,००,०००	४८,००,०००
११ [illegible] (योजनागत)	...	१,५५,०००	१,००,०००	३,४०,०००
(योजनेतर)	...	३६,०००	३०,०००	२४,०००
१२ [illegible] (योजनागत)	...	२,४२,००,०००	२,३५,६०,०००	३,४५,२२,०००
(योजनेतर)	...	२,५६,३७,०००	२,५६,२७,०००	२,२१,३५,०००
१३. [illegible] योजना ([illegible] रहित) (योजनागत)	...	—	१,७१,०००	२,७५,०००
(योजनेतर)	...	१,२१,०००	१,६६,०००	१३,२०,०००
१४. [illegible] योजना ([illegible]) [illegible] रहित) (योजनागत)	...	४,६०,०००	२,२५,०००	४०,१०,०००
(योजनेतर)	...	१,२८,०००	१,०१,०००	१,०६,०००
१५. [illegible] के माता-पिता [illegible]	...	५०,००,०००	४६,६०,०००	४०,००,०००
१६. [illegible] माता-पिता को [illegible] शिक्षा ऋण [illegible]	...	५०,०००	४६,६००	५०,०००
१७. [illegible]	...	३०,०००	२६,०००	५,०००
१८. [illegible]	...	११,८००	११,८००	११,८००
१९. [illegible]	...	२५,०००	२५,०००	२५,०००

समाज शिक्षा

समाज (प्रौढ) शिक्षा क्षेत्र की आधारभूत बात प्रौढ साक्षरता है और इसके क्षेत्रीय कार्यक्रम का उत्तरदायित्व राज्य सरकारो और सघ शासित क्षेत्रो के प्रशासनो पर है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का कार्य है—इन कार्यक्रमो को समन्वित करना, सहायक सेवाओ की व्यवस्था करना तथा मार्गदर्शी परियोजनाओ को सचालित करना।

शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक-कल्याण

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक-कल्याण के पिछले वर्षो मे आरम्भ किए गए कार्यक्रमो का समेकन और विस्तार १९६७-६८ के दौरान किए गए कार्यकलापो की भी प्रमुख विशेपता बने रहे।

लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर : यह कालेज छात्रो को दी जाने वाली सुविधाओ मे उत्तरोत्तर सुधार करता रहा।

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान : सन् १९६७-६८ का राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान देश भर मे नवम्बर, १९६७ से जनवरी १९६८ तक चलाया गया। १९६६-६७ के अभियान मे ९ लाख व्यक्ति शामिल हुए जबकि १९६७-६८ के अभियान के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमे सम्मिलित होने वालो की सख्या १५ लाख रही।

शारीरिक योग्यता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की सातवी अखिल भारतीय प्रतियोगिता लक्ष्मीबाई कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर मे आयोजित की गई। इसमे ४६ प्रतियोगियो ने भाग लिया, जिनमे ११ स्त्रिया भी थी। १५ व्यक्तियो को शारीरिक योग्यता के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमे ५ स्त्रिया भी थी।

योग को प्रोत्साहन इस योजना के अन्तर्गत अनुसधान और/या अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमो को प्रोत्साहन देने के लिए अखिल भारतीय स्वरूप वाली योग-सस्थाओ को वित्तीय सहायता दी जाती है। आलोच्य वर्ष मे इन सस्थाओ को दिए जाने वाले अनुदानो की राशि २ लाख रु० होने की सभावना है।

खेलकूद

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् एक सलाहकार निकाय है जो भारत सरकार को देश मे खेलकूद के विकास से सबधित सभी मामलो मे सलाह देने के लिए स्थापित की गई है।

तारीख १८ अक्तूबर, १९६७ से एक वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् का पुनर्गठन किया गया तथा जनरल के० एम० करिअप्पा इनके अध्यक्ष बनाए गए।

स्काउट और गाइड प्रशिक्षण योजना इस योजना का उद्देश्य लड़के-लड़कियों के चारित्रिक विकास में सहयोग देना, स्काउट और गाइड कार्य का प्रशिक्षण देकर उन्हें अच्छा नागरिक बनाना और इस प्रकार उनमें निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति सद्भावना उत्पन्न करना है।

भारत स्काउटस और गाइडस भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं स्वायत्त संगठन है। यह स्काउटिंग और गाइडिंग के सभी कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। उन्हें अपने संगठनात्मक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है तथा अनुमोदित मदों, जैसे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने के लिए यह सहायता कुल व्यय का ७५ प्रतिशत तक दी जाती है। ३ लाख रु० (योजनागत) और १०,००० रु० (योजनेतर) की बजट व्यवस्था में से ७२,१८२ रु० (योजनागत) और ५,००० रु० (योजनेतर) के खर्च की मंजूरी भारत सरकार पहले ही दे चुकी है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, संगम उपसमिति, गर्ल गाइडों और बालिका स्काउटों के विश्व एसोसिएशन का एशियाई केन्द्र, नई दिल्ली को ३१.१२ १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संगम उपसमिति द्वारा किए गए संगठनात्मक व्यय को पूरा करने के लिये ६,००० रु० की तथा पूना में भवन निर्माण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये अतिरिक्त सरकारी योगदान के रूप में १,५०,००० रु० की मंजूरी भारत सरकार ने और दी।

युवक कल्याण बोर्ड और समितियां इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय, कालेज के छात्रों में युवक कल्याण कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा उनकी देखरेख के लिये युवक कल्याण बोर्ड और समितियों के गठन के लिए देश के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना है। इसका प्रयोजन यह है कि छात्रगण सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा ऐसे ही अन्य कार्यकलापों में भाग लेकर अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। चालू वर्ष में इसके लिये ३०,००० रु० की बजट-व्यवस्था है।

युवक नेतृत्व और नाट्य प्रशिक्षण शिविर इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/कालेजों के अध्यापकों को अपने-अपने विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवक कल्याण कार्यकलापों के संगठन की तकनीक में अत्यन्त आवश्यक अल्पकालीन प्रशिक्षण देना है। यह योजना मंत्रालय द्वारा सीधे तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी कार्यान्वित की जाती है।

विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले शिविर विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित शिविर स्थानीय प्रकार के होते हैं। जिन अध्यापकों को मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले शिविरों में प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिल पाता उन्हें भी प्रशिक्षण देकर मंत्रालय के प्रयासों को पूरी तरह सफल बनाना और उनका विस्तार करना ही इन शिविरों का प्रयोजन है। इसके लिए मंत्रालय कुल व्यय का ७५ प्रतिशत सहायक अनुदान देता है किन्तु इस अनुदान की राशि एक शिविर के लिए अधिक से अधिक ३,००० रु० होती है। चालू वर्ष में इसके लिए २७,००० रु० की बजट-व्यवस्था है।

श्रमदान कार्य परियोजनाओं की योजना इस योजना का उद्देश्य शिक्षा संस्थाओं में

मनोरजन-व-सभाकक्षो, तैरने के तालावो, व्यायाम शालाओ, खुले रगमचो, मडपो, छोटे स्टेडियमो, और सिडर ट्रैको आदि की अत्यावश्यक सुविधाओ को जुटाना है।

श्रम और समाज सेवा शिविर इस प्रकार के शिविरो का उद्देश्य छात्रो और दूसरे युवको मे शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना तथा उन्हे ग्राम्य जीवन के सम्पर्क मे आने और सामुदायिक विकास खण्डो के कार्यो मे भाग लेने का अवसर प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना १९६२ मे राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किये जाने के वाद कालेजो और विश्वविद्यालयो मे पढने वाले सभी छात्रो के लिए अगस्त १९६३ से राष्ट्रीय कैडेट कोर अनिवार्य कर दिया गया। इस समय भारत सरकार विश्वविद्यालय के छात्रो के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के अभिन्न अग के रूप मे एक राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू करने के उपायो और साधनो पर विचार कर रही है।

भारतीय भाषाएं

सविधान मे १४ भाषाओ को 'राष्ट्रीय भाषाए' स्वीकार किया गया है। ये हैं असमिया, वगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पजावी, तमिल, तेलुगु और सस्कृत। ऐसा एक मत है कि इस मान्यता का कोई शास्त्रीय या वैज्ञानिक आधार नही है।

भारत राष्ट्र की भाषा—राष्ट्र भाषा—हिन्दी घोषित की गई, परन्तु सविधान ने इसे 'राजभाषा' कहा। अव यह राजभाषा भी नही, 'सम्पर्क भाषा' (लिंक लैंग्वेज) कही जाती है। हिन्दी विश्व के अनेक स्थानो मे वोली जाती है।

सविधान के अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत उपवन्ध है कि देवनागरी मे लिखी हिन्दी भारत-सघ की भाषा होगी। किन्तु नागरी अको का व्यवहार नही किया जाएगा। इनकी जगह रोमन अक होगे इससे हिन्दी का महत्व गिरा है तथा नागरी लिपि के पूर्णज्ञान मे वाधा आई है। हिन्दी का लिपि-सौन्दर्य भी इससे विगडा है।

सविधान के लागू होते ही हिन्दी भारत की राजभाषा नही हुई। २६ जनवरी, १९६६ तक की अवधि इसके लिए रखी गई थी, समझा गया था कि १५ साल मे हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख लेंगे। परन्तु गणराज्य आरम्भ होने पर, प्रथम राष्ट्रपति के वार-वार कहने पर भी किसी एक मत्रालय, विभाग या अनुभाग मे हिन्दी के व्यवहार का श्री गणेश नही किया गया। सेना के आदेश अवश्य अभी हिन्दी मे तैयार किए गए। निरक्षर सैनिको को हिन्दी सीखने की प्रेरणा दी गई। अन्यों को भी हिन्दी जानने के लिए कहा गया। पर इसका फल आशानुकूल न निकला।

१९६३ मे राजभाषा अधिनियम १९६३ वनाकर हिन्दी को राजभाषा होने से अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। इससे अग्रेजी का भारत मे अनिश्चित काल तक प्रभुत्व स्वत सिद्ध हो गया। इससे हिन्दी का भविष्य अन्धकारमय हुआ। २६ जनवरी, १९६६ को हिन्दी के राजभाषा होने की घोषणा होनी थी पर उस अधिनियम से ऐसा न हो सका। हिन्दी भाषी राज्य भारत सरकार से हिन्दी मे पत्र-व्यवहार कर सकते है, परन्तु उनके साथ अग्रेजी अनुवाद सलग्न करना आवश्यक है।

उद्गम

भारतीय भाषाए चार परिवारो स आ — (१) आय परिवार (भारतीय) (२) द्रविड परिवार (३) एकाक्षरी-परिवार—(क) स्यामी चीनो (ख) तिब्बती वर्मी (४) आस्ट्रिक एशियाटिक।

१ आय परिवार इस परिवार की मूलभाषा—वदिक सस्कृत है। इस परिवार की भाषाओ का क्षेत्र प्राय उत्तरी भारत है। वदिक सस्कृति से हिन्दी तथा इसके विकास पथ त का इसका इतिहास है। भारत मे इस परिवार की तीन भाषाए हैं ईरानी दरद और भारतीय। ईरानी के अनेक शब्द उर्दू व खडी बोली म हैं पर यह (ईरानी) बोली नही जाती। दरद भाषा को पशाची भी कहा गया है। ऐसा मत है कि पशाची का प्रभाव लहन्दा सिन्ध पजाब और कोकणी मराठी पर है और कश्मीरी भाषा का विकास भी पशाची अपभ्रश स माना जाता है। दक्षिणी भारत मे कोकणी भाषा आय-परिवार की सदस्य है। १०वी सदी से वतमान आय भाषाओ का विकास हुआ।

भारत म इस परिवार की भाषाओ के उद्गम के सम्बन्ध म आर्यों के मूल-स्थाना और वेदो के काम को लेकर विभिन्न मत हैं।

२ द्रविड परिवार आय भाषा परिवार के बाद इसी का महत्व है। इस परिवार मे भारत के दक्षिण प्रायद्वीप की भाषायें हैं। तमिल तलगू कन्नड तथा मलयालम मुख्य भाषाए हैं। अन्य भाषाओ म तुलु कोडागू टोन्डा कोटा गाड खोड उराव और राजमहल हैं। ये बोलिया और भाषाए भारत के उत्तरी पूर्वी दक्षिण-पूर्वी यथा उत्तर पश्चिमी भागो मालावार तट कुर्ग (मालाबार तट के साथ सटा हुआ) नीलगिरी पवत मध्य भारत उत्तर पश्चिमी उडीसा तथा राजमहल पहाडियो मे बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाओ म तमिल सर्वाधिक उन्नत है तथा इसम ईसा की दवी सदी से साहित्य रचा जा रहा है। दूसरा स्थान मलयालम का है। मलयालम तमिल की पुत्री मानी जाती है जो ईसा की ६वी सदी म इससे पृथक हो गयी। इसका भी साहित्य अच्छा हैं। इसमे सस्कृत के शब्द अधिक हैं। दक्षिण भाषाओ म यह आय-परिवार के निकट है। कन्नड मसूर की भाषा है। इसका वाङ्मय तथा साहित्य भी प्राचीन है और लिपि तलगु स मिलती है। तलुगु दक्षिण-पूर्वी भारत म बोली जाती है। जनसख्या की दृष्टि स यह इस परिवार की सबसे बडी भाषा है।

एकाक्षर परिवार इस तिब्बती चीनी परिवार भी कहते है। चीनी भाषा भारत म नही बोली जाती परन्तु तिब्बती वर्मी भाषा का प्रयोग उत्तरी भारत के पवतीय प्रदेशो म होता है। इसकी तीन शाखायें हैं तिब्बती हिमालयी असमोत्तरी तथा असम-वर्मी। तिब्बती हिमालयी शाखा म तिब्बत की मुख्य भाषायें तथा हिमालय के उत्तरी अचल की छोटी-छोटी बोलिया हैं। लद्दाख तथा कश्मीर म इस प्रकार की बोलिया हैं। शाखा म वर्मी तथा असम के सीमान्त क्षेत्रा की छोटी छोटी बोलिया हैं जिनमे नुगई मिश्मी (उत्तर-पूर्वी असम) पम्पई (मणिपुर) और अक (भूटान के पूव म) हैं। असमोत्तरी असम के उत्तरी भागा म बोली जाती है। तिब्बती भाषा की कई उप-बोलिया भारतीय सीमा प्रदेश म प्रचलित हैं। नेपाल की प्रधान बोली नेवारी भी इसी परिवार से है।

४ आस्ट्रिक परिवार · इस परिवार की भाषायें समस्त प्रशान्त महासागर के आर-पार तक फैली हुई है। इनका विस्तार पूर्व पश्चिम मे मेडागास्कर मे ईस्टरद्वीप तथा उत्तर-दक्षिण मे उत्तरी पजाव से न्यूजीलैण्ड तक है। इस भाषा के बोलने वालो की सख्या कम है। इसके दो स्कन्ध है —आग्नेय दशीय और आग्नेय द्वीपीय। दूसरे स्कन्ध को मलय-पोलिनेशियन भी कहा जाता है।

भारत मे प्रथम स्कन्ध की भाषाए बोली जाती है पर ये धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। शेष बची भाषाओ के तीन विभाग है—मुण्डा और मौन रूयेर या खासी, कोल या निकोबारी तथा भारत मे इस परिवार की भाषाए अधिकाश वनवासी जातियो मे प्रचलित है। भारत की कुल आबादी मे इन जातियो का अनुपात १ ३ है। ये जातिया मध्य भारत और उत्तर-पूर्वी भारत के जगलो और पर्वतो मे रहती है। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार, इन बोलियो का स्रोत आस्ट्रिक भाषाए हैं। इन बोलियो का सम्बन्ध उत्तर-पूर्वी एशिया की बोलियो से जोडा जाता है। इस मत के मानने वाले कहते है कि इस भाषा-परिवार के लोग भारत मे आर्यो से पहले आये। इस सम्बन्ध मे विवाद है।

भारत मे इस परिवार की भाषाओ मे मुडा प्रधान है। यह प वगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उडीसा तथा मद्रास के गज्जाम जिले तक फैली हुई है। शिमला पर्वत श्रेणी के निकट इसका एक रूप है जो कनावरी कहा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप सावर भाषा है। यह सावरो—जगली शिकारियो की भाषा है। अन्य महत्वपूर्ण भाषाए सथाली (बिहार, उडीसा, बगाल और असम), मुण्डारी (बिहार मे राँची जिला तथा आसपास) है। मौनखेर अभी तक परिमार्जित तथा साहित्य-सम्पन्न भाषा थी। अब यह स्याम, बर्मा तथा भारत के वनवासियो द्वारा बोली जाती है।

निकोबार भाषा निकोबार द्वीप की है। असम की खासी बोली इससे सम्बद्ध मानी जाती हे। भारत मे कुछ ऐसी भाषाए बोली जाती है जिन्हे किसी वर्ण या परिवार मे रखना सम्भव नही। इनमे एक सुमेरी भाषा है जिसका सम्बन्ध कुछ विद्वानो ने हडप्पा मोहिंजोदडो की सभ्यता से जोडा है। अण्डमान द्वीप की "अण्डमानी बोली" ऐसी ही है। दूसरी "गुरुशासकी" या खूजना है। इसका क्षेत्र कश्मीर का उत्तर-पूर्वी भाग माना जाता है।

आधुनिक भारतीय भाषाएं

हिन्दी

भारत मे गगा-यमुना के बीच के क्षेत्र—मध्य देश—मे सस्कृत, पाली तथा शौरसेनी प्राकृत भाषा विभिन्न युगो मे थी। आगे चलकर इस प्रदेश मे शौरसेनी अपभ्रश का प्रचार हुआ। कालान्तर मे बोल-चाल का शौरसेनी का अपभ्रश हिन्दी के रूप मे परिणत हुआ। १४वी सदी मे उत्तरी भारत के मुसलमान विजेता दक्षिण भारत मे जाने लगे और १६वी सदी मे गोलकुण्डा और बीजापुर तक दिल्ली की शाही भाषा की बोली के आधार पर एक स्वतन्त्र साहित्यिक भाषा का विकास हुआ, जो दक्कनी कही जाती है। बाद मे यह भाषा लौट कर दिल्ली पहुँची। १७वी सदी के अन्त मे इस नई भाषा से भिन्नता प्रकट करने के लिए दिल्ली की बोली को हिन्दुस्तानी या हिन्दोस्तानी नाम दिया गया। १९वी सदी के प्रारभ मे यह खडी बोली कहलाई। कालान्तर मे यह हिन्दी के रूप मे विकसित हुई।

हिंदी का मूल आधार मेरठ बिजनौर की बोली है। डा० उदय नारायण तिवारी ने हिन्दी की यह परिभाषा दी— व्रज भाषा और हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त दिल्ली की वह बोली जिसमे फारसी का प्रभाव नही था तथा जो नागरी लिपि म लिखी जाती थी।

हिंदी के छ प्रमुख रूप और बोलिया हैं व्रज अवधि ग्रामीण खडी-बोली हिन्दुस्तानी साहित्यक हिंदी तथा उर्दू।

एक मत यह भी है हिन्दी कम से कम १६६ विभिन्न बोलियों के मेल से बनी भाषा है।

उर्दू

यह कोई स्वतन्त्र भाषा नही है। वाक्य रचना और व्याकरण इसका हिंदी के ही समान है। उर्दू की अपनी कोई क्रिया नही है। इसमे सर्वनाम का भी अभाव है। यह अरब फारसी लिपि म लिखी जाने वाली हिन्दी है जिसमे अरबी फारसी शब्दों की बहुलता है।

फारसी लिपि में लिखी जाने वाली दक्षिण की दक्खनी से प्रभावित हिंदी १७ वी सदी म मुगल सेनाओ के साथ दक्षिण पहुची तो वहा इसे जबाने उर्दू ए मुअल्ला या शाही तम्बू की भाषा या शाही दरबार की भाषा कहा गया। १८ वी सदी के उत्तरार्द्ध म यह सक्षेप होकर जबाने उर्दू और बाद मे केवल उर्दू रह गयी। साहित्यिक उर्दू १८ वी सदी मे अस्तित्व म आयी।

सक्षेप म— उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है जिसका अर्थ है शाही पडाव। वस्तुत उर्दू दिल्ली के आस-पास बोली जाने वाली पजाब से कुछ प्रभावित वह भाषा है जिसका प्रयोग दिल्ली के शासकगण साधारण जनता से बोल चाल के लिए करते रहे। उर्दू का जन्म शाही पडाव या खेमो म ही हुआ। यह कभी मुगलो के दरबार की भाषा नही रही। मुगल साम्राज्य के पतनकाल के इसका उदय सनिक छावनियो म हुआ। रहीम ने कविता उस म नही खडी-बोली म की। इस प्रकार रसखान ने भी हिन्दी—व्रज को अपनाया।

हिंदी के विद्वान डा पदमसिंह शर्मा ने उर्दू को हिंदी की एक शैली माना था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि हाली ने भी उर्दू को हिंदी की एक शैली कहा।

उर्दू इस समय जम्मू कश्मीर की राजभाषा है।

बगला

यह पूर्वी बगाल (पाकिस्तान) और प० बगाल की भाषा है। इसके बोलने वालो की सख्या ८ करोड ८० लाख बताई जाती है।

एसा मत है कि बगला भाषा का प्रारम्भ कुछ वष्णवी भक्ति-गीतो से हुआ। कुछ इसका प्रारम्भ बौद्धो के रहस्यात्मक गीतो से मानते हैं। आरम्भ १० वी सदी से माना जाता है। एक मत यह भी है कि बगला भाषा का प्रारम्भ नवाब अलीवर्दी खाँ के समय हुआ। अग्रजो के सम्पर्क से इसम नई दृष्टि और ब्राह्म समाज के कारण नई चेतना आई। राजा राममोहन राय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सर माइकेल मधुसूदनदत्त बकिमचन्द्र चटर्जी रवीन्द्र नाथ टागुर शरदचन्द्र द्विजेन्द्रलाल राय आदि ने इस भाषा को सवारा और

विकसित किया। श्री शरदचन्द्र चटर्जी के समय तक वगला के माध्यम से भारत की आत्मा वोलती थी।

आज का वगला साहित्य भी अपनी विभिन्न विधाओ मे काफी समर्थ और विकसित है।

तेलुगू

यह आन्ध्र प्रदेश की भाषा है। इसके दो रूप है: प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन तेलुगू मे सस्कृत शब्दो की वहुलता है। तेलुगू वर्मा मे भी उन परिवारो मे वोली जाती है, जो कभी तेलगाना से वहा जाकर वसे।

भोजपुरी :

यह हिन्दी की एक वोली है। विहार के चम्पारन, सारन, शाहावाद तथा उत्तर प्रदेश के वलिया, गाजीपुर, गोरखपुर और आजमगढ जिलो मे वोली जाती है। यह भारत के वाहर भी उन स्थानो मे वोली जाती है, जहाँ भारतीय वसे है।

मराठी :

यह महाराष्ट्र की भाषा है। एक मत है कि यह एक प्राकृत भाषा से विकसित हुई। इस प्राकृत भाषा को ईसवी सन् के प्रारम्भ से महाराष्ट्रीय कहा जाने लगा था। इसकी लिपि देवनागरी है। इसका साहित्य भी वडा विशाल और सम्पन्न है। मराठी मे उर्दू शब्द भी काफी मात्रा मे है। अव अग्रेजी के प्रभाव से अग्रेजी शब्द भी वढते जा रहे है। सस्कृत का प्रभाव कम हो रहा है।

कोकणी .

एक मत है कि यह एक जन-वोली है, परन्तु भाषाविदो और आचार्य काका कालेलकर, मामा वरेरकर जैसे विद्वानो का मत है कि यह एक स्वतन्त्र भाषा है। कोकणी गोवा और कोकण (महाराष्ट्र के रत्नागिरी, थान आदि जिले) मे वोली जाती है। कोकणी देवनागरी, कन्नड और रोमन, तीन लिपियो मे लिखी जाती है।

गुजराती ·

यह गुजरात प्रदेश की भाषा है।

राजस्थानी

यह राजस्थान (पुराना राजपूताना) की वोली है। मेवाडी, मेवाती, मुण्डारी, जोधपुरी, वीकानेरी, जैसलमेरी आदि वोलिया इसके विभिन्न रूप है। इसका प्राचीन साहित्यिक रूप डिंगल भाषा मे है। राजस्थानी एक भाषा है, इस आधार पर डा० मोतीलाल मिनारिया का ग्रन्थ "राजस्थानी भाषा और साहित्य" विख्यात है।

पहाडी ·

उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रो मे वोलने से पहाडी नाम दिया गया है। यह भी हिन्दी की ही एक वोली है।

भारतीय भाषाओं की जन-गणना

१९६१ मे जनगणना के साथ-साथ भाषा-भाषियो की भी गणना की गई। तव, भारत की कुल जनसख्या ४४ करोड गिनी गई। इसमे हिन्दी वोलने वालो की सख्या १३

करोड ३४ लाख अर्थात् ३७ प्रतिशत गिनी गई। बिहार और बंगाल मिलाने पर हिन्दी भाषियों की कुल संख्या १६ करोड ५१ लाख होती है। इसके अतिरिक्त ९५ लाख लोगों ने हिन्दी को अपनाया है यद्यपि उनकी बोली यह नहीं है। इस प्रकार हिन्दी भाषियों की कुल संख्या १[redacted] करोड ४६ लाख होती है।

संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बोलने वालों की संख्या इस प्रकार है

हिन्दी	१७ करोड ४६ लाख
तेलुगू	३ करोड ७६ लाख
बंगला	३ करोड ८८ लाख
मराठी	३ करोड ३२ लाख
तमिल	३ करोड ६ लाख
उर्दू	१ करोड ७ लाख
गुजराती	२ करोड ३ लाख
कन्नड	१ करोड ७४ लाख
मलयालम	१ करोड ७ लाख
उडिया	१ करोड ५७ लाख
पंजाबी	१ करोड ९ लाख
असमिया	६८ लाख
कश्मीरी	१६ लाख
संस्कृत	२ ५४४
सिंधी	१३ लाख ७१ हजार

संविधान की अनुसूची में जो बोलियां दर्ज नहीं हैं उनमें से कुछ के बोलने वाले हैं

कुमाऊंनी	१ लाख ३ हजार
नेपाली	१ लाख २१ हजार
पहाडी	१ लाख ४ हजार
बिहारी (दमडी)	१ करोड ६८ लाख
राजस्थानी	१ करोड ४९ लाख
संथाली	२२ लाख ४७ हजार
गोंडी	१५ लाख
कांगडी	१३ लाख ५२ हजार
कुरुख उरांव	११ लाख ४१ हजार

उत्तर प्रदेश · हिन्दी—८५.३९ प्रतिशत, उर्दू—१०.७० प्रतिशत, कुमायूनी—१.३९ प्रतिशत।

प० बगाल वगला—८४.२८ प्रतिशत, हिन्दी—५.४८ प्रतिशत, सथाली—५.२७ प्रतिशत।

पूर्वी पाकिस्तान मे वगला-भापी ५५ ५ प्रतिशत है।

विश्व की मुख्य भाषाएं

भापा का नाम	वोलने वालो की सख्या (लाखो मे)	भापा का नाम	वोलने वालो की सख्या (लाखो मे)
अरवी	३३०	फारसी	२१०
वगला	३३०	पौलिश	३३०
वर्मी	१५०	पुर्तगीज	७८०
चीनी (चीन मे)	४४०	राजस्थानी	१७०
अग्रेजी	२८८०	रूमानियन	१७०
फ्रेच	५१०	रूसी	१६४०
जर्मन	७१०	स्यामी	२१०
हक्का (चीन मे)	१६०	स्पेनिश	१५२०
हिन्दी	१७००	तमिल	३६०
हगेरियन	१२०	तेलुगू	४००
इटालियन	५८०	तुर्की	२५०
जापानी	६७०	इदोनेशियन (रूस)	४१०
जवानी	४२०	उर्दू	५३०
कन्नड	२००	वियतनामी	२५०
कोरियन	३४०	वू (चीनी)	३००
मलयालम	१६०	चिन (चीन)	३६०
मण्डारिन (चीन मे)	४८१०	डच	१७०
मराठी	३३०	उडिया	१५०

हिन्दी का विकास

सविधान के अनुच्छेद ३५१ के अधीन यह सघ सरकार का दायित्व है कि वह हिन्दी की उन्नति और विकास करे ताकि वह भारत की समस्त सामाजिक-सास्कृतिक तत्वो की अभिव्यक्ति का माध्यम वन सके। इन दायित्वो को पूरा करने के लिए शिक्षा मत्रालय पिछले कई वर्षो से हिन्दी के विकास और उन्नति से सम्वन्वित विविध योजनाए कार्यान्वित करता रहा है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा मत्रालय अहिन्दी भाषी राज्यो की सरकारो को हिन्दी अध्यापको की नियुक्ति करने और हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजो की स्थापना करने के लिए तथा स्वैच्छिक हिन्दी सगठनो को, विशेषत अहिन्दी भाषी राज्यो के सगठनो को, हिन्दी अध्यापन कक्षाए चलाने, हिन्दी प्रचारको को प्रशिक्षण देने, हिन्दी पुस्तका-

नया और वाचनालयो की स्थापना करो हिन्दी मे प्रवीणता के लिए पुरस्कार प्रदान करने तथा विद्यार्थी मेरे आयोजित करने व्याख्यान दौर आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस वर्ष जो महत्वपूर्ण योजनाए चालू की गई है उनम से एक का सबध अहिन्दी भाषी राज्यो के लोगो और विदेशियो को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी सिखाने की सुविधा से है। हिन्दी के विकास के लिए हिन्दी विश्वकोषो द्विभाषी तथा अन्य कोषा एव लोकप्रिय पुस्तको के प्रकाशन तथा विदेशियो और अहिन्दीभाषी राज्या के लोगो के लिए प्राइमरी स्कूलो आदि के लिए अनुदान दिए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए १०८ ५० लाख रुपए की बजट-व्यवस्था की गई थी।

हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति इस योजना के अन्तगत अहिन्दीभाषी राज्या की सरकारो को अपने स्कूलो मे हिन्दी अध्यापको की नियुक्ति करने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय सहायता अब केवल मिडिल उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलो मे की गई नियुक्तियो के लिए ही दी जाती है। चालू वित्त वर्ष म यद्यपि ४५ लाख रुपए की ही बजट व्यवस्था की गई थी किन्तु एक करोड रुपए खच होने की सम्भावना है। सन १९६८ ६९ के लिए एक करोड रुपए की बजट व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया है।

अहिन्दी भाषी राज्यो मे हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज अहिन्दी भाषी राज्यो की सरकारो को हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिये शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उन्हे पर्याप्त सख्या म प्रशिक्षित हिन्दी अध्यापक मिल सकें। यह योजना दूसरी पचवर्षीय योजना म आरम्भ की गई थी और अब भी चल रही है। इस योजना के अन्तगत दो कालेज आन्ध्रप्रदेश म एक गुजरात म दो केरल म और एक एक कालेज मद्रास एव उडीसा और पश्चिम बगाल मे तथा तीन कालेज मसूर म स्थापित किए गए हैं। हिन्दी अध्यापको के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को भी वित्तीय सहायता दी गई। इसी प्रकार एक कालेज खोलने की मजूरी असम को भी गई है जिसके अगल वित्तीय वष मे चालू हो जाने की सम्भावना है। जम्मू और काश्मीर नागालड और पजाब म ऐसे कालेजो के खोलने के मामले पर सम्बधित राज्य सरकारो स बातचीत चल रही है। सन् १९६७ ६८ म ८ ५० लाख रु० के अनुदान राज्य सरकारो को दिए जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल आगरा हिन्दी का अध्यापन विधियो और सम्बधित शिक्षा शास्त्रीय समस्याओ के बारे म तकनीकी विशेषज्ञान और व्यावसायिक मागदर्शन उपलब्ध कराने के लिए सघ सरकार न १९६० म केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मडल नामक एक स्वायत्त सस्था की स्थापना की। मण्डल द्वारा सचालित केन्द्रीय हिन्दी सस्थान आगरा हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तीन विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहा है जो कि अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (टी० टी० सी) बी० एड और एम० एड० के समतुल्य है। यह सस्थान शब्द भडार तथा विशेष रूप से अहिन्दी भाषी राज्यो की आवश्यकताओ के सदभ म हिन्दी अध्यापन की तकनीकों पर अनुसधान भी करता है। सन् १९६७ ६८ के दौरान सस्थान म १५२ उम्मीदवारो न प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इसके अतिरिक्त इस सस्थान ने अहिन्दीभाषी राज्यो के स्वैच्छिक सगठनो और राज्य सरकारो द्वारा प्रतिनियुक्त हिन्दी अध्यापको के प्रशिक्षण के लिये दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चालू किये है।

सन् १९६७-६८ मे मण्डल को ६ २० लाख रुपए का अनुदान दिया गया। सन् १९६८-६९ के बजट मे योजनागत व्यय के लिए ५ लाख रुपए तथा योजनेतर व्यय के लिए ६.२० लाख की व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया है।

स्वैच्छिक संगठनो को सहायता · इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सगठनो को निम्न कार्यो के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अहिन्दी-भाषी राज्यो मे हिन्दी के प्रचार के हेतु, हिन्दी अध्यापन तथा हिन्दी टाइप और आशुलिपि की कक्षाए चलाना, हिन्दी प्रचारको का प्रशिक्षण और उनकी नियुक्ति, हिन्दी पुस्तकालयो और वाचनालयो की स्थापना, हिन्दी मे प्रवीणता प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना, निबध और वाक्-प्रतियोगिता कराना, विचार-गोष्ठियो का आयोजन, हिन्दी अध्यापको के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाना, हिन्दी माध्यम वाले स्कूलो के खर्च की कमी को पूरा करना आदि। इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान की राशि अनुमोदित कार्यकलापो पर होने वाले व्यय का ७५ प्रतिशत होती है। सन् १९६७-६८ मे इस योजना के अन्तर्गत ११ लाख रु० तक के अनुदान मजूर किया। सन् १९६८-६९ के लिए ११ लाख रु० की बजट-व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया है।

हिन्दी शिक्षा समिति हिन्दी के प्रचार और विकास से सम्बन्धित मामलो मे भारत सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित हिन्दी शिक्षा समिति इस वर्ष भी कार्य करती रही। हिन्दी के प्रचार-प्रसार, हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमो, स्वैच्छिक सगठनो द्वारा सचालित हिन्दी की परीक्षाओ को मान्यता प्रदान करने, हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजो और विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी सगठनो के लिए आदर्श पाठ्य-विवरण तैयार करने के सबध मे इस समिति ने जो सिफारिशे की, उन्हे विधिवत् कार्यान्वित किया गया।

हिन्दी परीक्षाओ की मान्यता स्वैच्छिक हिन्दी सगठनो द्वारा सचालित विभिन्न हिन्दी परीक्षाओ को भारत सरकार द्वारा दी गई मान्यता कुछ मामलो मे दिसम्बर, १९६९ तक बढा दी गई।

हिन्दी विश्वकोश दस खण्डो मे हिन्दी विश्वकोश तैयार करने का काम नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी को सौपा गया था। इस वर्ष सभा ने आठवा और नवा खण्ड प्रकाशित किया। दसवा खण्ड प्रैस मे है। इस परियोजना की कुल लागत का अनुमोदित अनुमान १२,३९,००० रु० है जिसमे से १२,१५,००० रु० अब तक सभा को दिए जा चुके है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी भारत सरकार के निर्णय का अनुसरण करते हुए पहली मार्च, १९६० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास तथा भारत सरकार के कार्यालयो की नियम-पुस्तको, फार्मो और क्रियाविधि साहित्य के हिन्दी अनुवाद के कार्यक्रम कार्यान्वित करना है।

नियमपुस्तकों, फार्मों नियमो और विनियमों आदि का हिन्दी म अनुवाद इस योजना के शुरू होन से लकर अब तक १ ४१७ नियम पुस्तकें (७३ ६२४ पृष्ठ) आदि तथा २० ०६२ फाम भारत सरकार के विभिन्न मत्रालयो/विभागो से हिन्दी म अनुवाद के लिए प्राप्त हुए। इनम से ७८ नियम पुस्तका (२४ ३१ पृष्ठ) आदि तथा १५ ६३३ फार्मो का अनुवाद दिसम्बर १९६७ तक पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न मत्रालयो/विभागो द्वारा भेजी गई १ = नियम पुस्तका (३ ५१५ पृष्ठ) और ३ ३५१ फार्मो के अनुवादो का पुनरीक्षण किया गया।

हिन्दी मे पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय ने १९६८ मे देश विदेश के गरस्कूली आयु वग के अहिंदीभाषी लोगो को पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए हिंदी सिखाने की एक योजना शुरू की। इस योजना के अतगत दो पाठ्यक्रम चालू किए जिनम से प्रत्येक की अवधि दो वष की होगी। इन पाठ्यक्रमो के पूरा करने पर प्रमाणपत्र दिये जाएगे।

सस्कृत का विकास

स्वैच्छिक सस्कृत सगठनों को सहायता इस योजना के अन्तगत स्वच्छिक सस्कृत सगठनो/सस्थाओ को सस्कृत की उन्नति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस वष ४ ८९ लाख रु० की राशि के अनुदान मजूर किए गए।

गुरुकुलो को वित्तीय सहायता चालू वष के दौरान गुरुकुलो के अनुरक्षण तथा उनके छात्रो को वृत्तिकाए प्रदान करने के लिए २ ८७ लाख रुपए की राशि के अनुदान मजूर किए गए।

परपरागत सस्कृत पाठशालाओ के छात्रो को अनुसधान छात्रवत्तिया इस वष के लिए नए चुनाव शीघ्र ही किए जाने की आशा है। इस वष के दौरान लगभग ७ छात्रो को इस योजना का लाभ मिलता रहा। इस योजना के अन्तगत अब तक ४५ छात्रो ने अपना शोधकाय पूरा कर लिया है तथा अपने शोध प्रबन्ध भी प्रस्तुत कर दिए हैं। इनम से कुछ शोध प्रबन्धो को केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ तिरुपति और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सस्कृत विद्यापीठ दिल्ली के जरिए प्रकाशित कराने का प्रस्ताव है। सन १९६७ ६८ म इस योजना के अन्तगत १ ५१ लाख रुपए का व्यय किया गया।

अभावग्रस्त प्रसिद्ध सस्कृत पडितों को सहायता इस योजना के अतगत ३०८ पडितो को वित्तीय सहायता देने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारो/सघ शासित क्षेत्रो को ३ ४६ लाख रुपए के अनुदान दिए गय।

सस्कृत के अध्ययन के लिए योग्यता-छात्रवत्तियां उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलो म सस्कृत पढ़न वाल लगभग १ ० छात्रो को राज्य सरकारो/सघ शासित क्षेत्रो के जरिए प्रतिवष योग्यता छात्रवृत्तिया दी जाती हैं। इस वष के दौरान इस योजना पर २ ६३ लाख रुपए खच किए जाने की सभावना है।

आधुनिक भारतीय भाषाओ का विकास

आधुनिक भारतीय भाषाओ के विकास की योजना के अन्तगत विश्वकोशो द्विभाषी कोशो ज्ञान पुस्तको विभिन्न भारतीय भाषाओ म समानताओ के निरूपक ग्रथो पाठ

लिपियो की सूचियो, सास्कृतिक, साहित्यिक भारत विपयक या भापा विज्ञान सवधी पुस्तको आदि जैसे प्रकाशनो के लिए अनुमोदित मदो पर होने वाले व्यय के ५० प्रतिशत तक अनुदान दिये जाते है । इसी आधार पर साहित्यिक सम्मेलनो, विचारगोष्ठियो और प्रदर्शनियो तथा भारतीय भापाओ के विकास मे सहायक समझे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य कलापो के आयोजन के लिये भी अनुदान दिये जाते है । सहायता प्रदान करने का एक रूप यह भी है कि अच्छे प्रकाशनो की कुछ प्रतिया खरीद ली जाती है । स्वैच्छिक सगठनो की सहायता के लिए चालू वर्प की ४.७६ लाख रुपये की वजट व्यवस्था मे से अब तक लगभग १ ०. लाख रुपये की राशि मजूर की गयी है। सन् १९६८-६९ के लिये ५ ०० लाख रुपये की वजट-व्यवस्था की गई है।

साहित्य और सूचना

साहित्य अकादेमी

भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने एव ऊचे साहित्यिक मानदण्ड स्थापति करने तथा सभी भारतीय भापाओ मे साहित्यिक क्रियाकलापो को बढावा देने और उनका समन्वय करने के लिए तथा उन सब के द्वारा देश की सास्कृतिक एकता का प्रसार करने के लिए मार्च, १९५४ मे साहित्य अकादेमी की स्थापना की गई। अकादेमी ऐसे उपाय और साधन तलाश करने का उपाय करती है जिनसे भारतीय साहित्यकार भापा और लिपि की सीमाओ को लाघकर एक दूसरे को जान सके और पाठक साहित्यिक विविधता व वैचित्र्य से परिचय प्राप्त कर सके।

इन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए अकादेमी द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम मे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल है जिनकी रूपरेखा निम्नलिखित है —

सामान्य परिषद् मई १९६७ मे भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने पर डा० जाकिर हुसैन ने साहित्य अकादेमी के उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया। इस स्थान के रिक्त हो जाने पर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी को सर्व-सम्मति से अकादेमी का उपाध्यक्ष चुना गया।

साहित्य अकादेमी के कार्यकारी वोर्ड की वैठक २३ दिसम्वर, १९६७ को मद्रास मे डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता मे हुई। विधि के अनुसार नई सामान्य परिपद् के सदस्यो को चुना।

वार्षिक पुरस्कार १९६७ साहित्य अकादेमी के कार्यकारी वोर्ड ने २३ दिसम्वर, १९६७ को मद्रास मे हुई अपनी वैठक मे १९६७ के वार्षिक अकादेमी पुरस्कार के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओ की निम्नलिखित पुस्तको को चुना

(१) असमिया 'आधुनिक गल्प साहित्य' (आलोचना), लेखक—त्रैलोक्यनाथ गोस्वामी,

(२) वगला 'तेजस्वी ओ तरगिणी' (नाटक), लेखक—बुद्धदेव वोस,

(३) अग्रेजी 'शेडो फ्राम लद्दाख' (उपन्यास), लेखक—भवानी भट्टाचार्य,

(४) गुजराती 'गुजराती भापानु ध्वनि-स्वरूप अनेक ध्वनि परिवर्तन'। भाषा विज्ञान सम्वन्धी अध्ययन, दो खण्ड, लेखक—पी० वी० पण्डित,

(५) हिन्दी अमृत और विष (उपन्यास) लेखक—अमृतलाल नागर

(६) कन्नड श्रीमद्भगवद्गीता तात्पर्य अथवा जीवन धर्म योग (योग) लेखक—डी० वी० गुण्डप्पा

(७) कश्मीरी लावा ते प्रवाह (कविता) रचयिता—अमीन कामिल

(८) मलयालम श्यामारचोनी (कविता) रचयिता—पी० कुन्हिरमन नेयर

(९) मराठी भाषा इतिहास आणि भूगोल (भाषा विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन) लेखक—एल० बी० कानेलकर

(१०) उड़िया ओड़िया साहित्यार इतिहास (साहित्य का इतिहास) लेखक—सूर्यनारायणदास

(११) पंजाबी नूना (गीति नाट्य) रचयिता—शिवकुमार

(१२) संस्कृत चित्रकाव्य कौतुकम् (कविता) रचयिता—रामरूप पाठक

(१३) तमिल विरार उत्सागम (प्राचीन तमिल साहित्य शोध) लेखक—के० वी जगन्नाथन्

(१४) उर्दू पत्थर की आवाज (कहानी संग्रह) लेखक—कुर्रतुल एन हैदर।

ललित कलाएं

दो राष्ट्रीय अकादेमियां अर्थात् संगीत नाटक अकादेमी और ललित कला अकादेमी प्रदर्शन कला (परफार्मिंग आर्ट स) और रूपकर कला (प्लास्टिक आर्ट स) के अपने-अपने क्षेत्रों में सुविस्तृत कार्यक्रम चलाती रहीं। उनके कार्य कलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

संगीत नाटक अकादेमी

यह अकादेमी जो कि संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादेमी है भारत सरकार द्वारा १९५३ में स्थापित की गई थी। बाद में संस्था पंजीयन अधिनियम १८६० के अंतर्गत इसका पंजीकरण किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है।

जिन उद्देश्यों के लिए अकादेमी स्थापित की गई वे इस प्रकार हैं :—संगीत नृत्य और नाटक की प्रादेशिक या राज्य अकादेमियों की गतिविधियों का समन्वय करना, इन क्षेत्रों में अनुसंधान को अभिवृद्धि संगीत नृत्य और नाटक कलाओं के संबंध में देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच वैचारिक आदान प्रदान और उनका प्रोत्साहन तथा तकनीकों में अभिवृद्धि एवं भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बनाना।

अन्य बातों के अतिरिक्त अकादेमी प्रतिवर्ष तीनों प्रदर्शनकलाओं के विशिष्ट कलाकारों को पुरस्कार देती है और अकादेमी के फैलो चुनकर उनका सम्मान करती है। अकादेमी संगीत नाटक और नृत्य के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता भी देती है। अकादेमी इस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को मान्यता भी प्रदान करती है।

संगीत नाटक अकादेमी अधिवर्तिता और पुरस्कार १९६७ संगीत नाटक अकादेमी

की सामान्य परिषद् ने जिसकी बैठक १८ दिसम्बर १९६७ को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुई थी, अकादेमी अधिवृत्ति के लिए आठ प्रसिद्ध विद्वानों तथा कलाकारों को एवं अकादेमी पुरस्कार-१९६७ के लिए संगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र में दस कलाकारों को चुना। अकादेमी पुरस्कार पहली बार नौटंकी—जो कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित परम्परागत नाट्यरूप है—के लिए और मैसूर के भागवत मेलों के लिए दिए गए।

अधिवृत्तियां

१ श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुण्डेल
२ श्री शम्भू महाराज
३ गुरु कुंजु कुरुप
४ श्री बड़े गुलाम अली खां
५ श्री मुसिरि सुब्रह्मण्यम अय्यर
६ श्री आद्य रंगाचार्य "श्रीरंग"
७ श्री ई० अल्काजी
८ श्री वेन्दान्तम् सत्यनारायण शर्मा

पुरस्कार १९६७

संगीत	१	श्री अयोध्याप्रसाद	हिन्दुस्तानी वाद्य संगीत (पखावज)
	२	श्री अमीर खां	हिन्दुस्तानी गायन
	३.	श्री के० एम० वेंकटरमैया 'पापा'	कर्नाटक वाद्य संगीत (वायलिन)
	४	श्री चिन्तलपल्लि वेंकटराव	कर्नाटक गायन
नृत्य	५	श्री कलामण्डलम् कृष्णन नायर	कथकली
	६	श्री बालू भागवतार	भागवत मेला
नाटक.	७	श्री पी० एल० देशपाण्डे	नाट्य रचना
	८	श्री सवितावृत दत्त	बंगाली में अभिनय
	९.	श्री एस० वी० सहस्रनामम्	तमिल में अभिनय
	१०	श्री कृष्ण खत्री पहलवान	नौटंकी

वित्तीय व्यवस्था सन् १९६७-६८ के लिए पुनरीक्षित प्रावधान रु० १९,४३,१०० (योजनेतर) और रु० १,२०,००० (योजनागत) था। योजनेतर व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल हैं —

दिल्ली द्वारा किया जाता है और उसके लिए वित्त की व्यवस्था अकादेमी द्वारा की जाती है।

ललित कला अकादेमी

ललित कला अकादेमी की स्थापना दृश्य और रूपकर कलाओ के क्षेत्र म क्रिया कलापो को प्रोत्साहन देने और उनका समन्वय करने तथा देश की सांस्कृतिक एकता को बढावा देने के लिए की गई थी। अगस्त १९५४ मे उद्घाटित यह अकादमी संस्था पंजीयन अधिनियम १८६० के अन्तगत एक पंजीकृत संस्था है।

दृश्य और रूपकर कलाओ की अभिवृद्धि को प्रमुख लक्ष्य बनाकर अकादमी का मुख्य कायक्रम प्रदशनियो का आयोजन करना प्रकाशन करना कला संगठनो को मान्यता तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना भित्ति चित्रो की नकल करना और कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करना है।

विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाए

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वष	प्रकार
१	२	३	४
१	आगरा विश्वविद्यालय आगरा	१९२७	सम्बद्ध करने वाला
२	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना	१९६२	आवासी और अध्यापन
३	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	१९२१	आवासी और अध्यापन
४	इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद	१८८७	आवासी और अध्यापन
५	आन्ध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयर	१९२६	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्रनगर हैदराबाद	१९६४	आवासी और अध्यापन
७	अन्नमलै विश्वविद्यालय अन्नमलैनगर	१९२९	आवासी और अध्यापन
८	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	१९१६	आवासी और अध्यापन
९	बंगलौर विश्वविद्यालय बंगलौर १	१९६४	संघीय
१०	बहरामपुर विश्वविद्यालय बहरामपुर	१९६७	सम्बद्ध करने वाला
११	भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर	१९६०	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१२	बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर (बिहार)	१९६२	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१३	बम्बई विश्वविद्यालय बम्बई	१८५७	संघीय और अध्यापन
१४	बर्दवान विश्वविद्यालय बर्दवान	१९६०	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन

१	२	३	४
१५	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	१८५७	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१६	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ...	१९२२	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१७	डिब्रूगढ विश्वविद्यालय, राजामेटा, डिब्रूगढ	१९६५	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१८	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	१९५७	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१९	गौहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी ...	१९४८	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२०.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	१९४९	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२१	इन्दिरा कला सगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ	१९५६	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२२	इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर ..	१९६४	सम्बद्ध करने वाला
२३	जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	१९५७	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२४	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता-३२	१९५५	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२५	जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	१९४८	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२६	जवाहरलालनेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	१९६४	अध्यापन और आवासी
२७	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ..	१९६४	अध्यापन और सम्बद्ध करने वाला
२८	जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ...	१९६२	आवासी और अध्यापन
२९	कल्याणी विश्वविद्यालय, पो० ओ०, कल्याणी	१९६०	आवासी और अध्यापन
३०	कामेश्वर सिंह दरभगा सस्कृत विश्वविद्यालय, दरभगा	१९६१	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
३१	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ...	१९६५	सम्बद्ध करने वाला
३२	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड ..	१९४९	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
३३	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम् ...	१९३७	सघीय और अध्यापन
३४	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ..	१९५६	आवासी और अध्यापन
३५.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ...	१९२१	आवासी और अध्यापन

१	२	३	४
५४	रविशकर विश्वविद्यालय, रायपुर ..	१९६४	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
५५	रुडकी विश्वविद्यालय, रुडकी ...	१९४९	आवासी और अध्यापन
५६	सवलपुर विश्वविद्यालय, सवलपुर	१९६७	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
५७	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, आनन्द	१९५५	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
५८	सागर विश्वविद्यालय, सागर ...	१९४६	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
५९	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट ...	१९६५	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
६०	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर-४	१९६२	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
६१	एस० एन० डी० टी० महिला विश्व-विद्यालय, वम्वई	१९५१	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
६२	श्री वेकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	१९५४	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
६३	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	१९६५	सम्वद्ध करने वाला
६४	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर ...	१९६२	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
६५	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मल्ले-श्वरम्, वगलौर	१९६४	आवासी और अध्यापन
६६	उत्तरप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पत-नगर, जिला नैनीताल	१९६०	आवासी और अध्यापन
६७	उत्कल विश्वविद्यालय, वरी विहार, भुवनेश्वर	१९४३	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
६८	वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	१९५८	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
६९	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ...	१९५७	सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन
७०.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति-निकेतन		सम्वद्ध करने वाला और अध्यापन

विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाए

१ विडला शिल्पविज्ञान और विज्ञान सस्थान, पिलानी
२ गुजरात विद्यापीठ, अहमदावाद
३ गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

४ भारतीय कृषि अनुसधान सस्थान हिससाइड रोड नई दिल्ली
५ भारतीय विज्ञान सस्थान बगलौर
६ भारतीय अतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय नई दिल्ली
७ जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली
८ काशी विद्यापीठ वाराणसी
९ टाटा समाज विज्ञान सस्थान बम्बई
१० भारतीय खनन विद्यालय धनबाद
(इण्डियन स्कूल आफ माइन्स)

सघीय लोक सेवा आयोग
(यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन)

सघीय लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) के अध्यक्ष और उसके अन्य सात सदस्यो को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति के दिन से ६ साल तक पदासीन रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजो के समान ये कार्यपालिका और विधान मडलो से स्वतन्त्र हैं। केन्द्र के समान प्रत्येक राज्य मे भी लोक सेवा आयोग हैं। इनका काम परीक्षाए लेना है जिससे शासन सुचारु रूप से बराबर चलता रहे। इसका भी यह ख्याल रखता है कि प्रशासकीय व्यक्ति राजनीतिक दलबन्दी के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहे किसी दल का मन्त्रिमण्डल हो विधान मण्डलो में किसी पक्ष का बहुमत हो प्रशासन चलता रहना चाहिए उसकी गति और काम मे अन्तर नही आना चाहिए।

लोक सेवा आयोग निम्न परीक्षाए लेता है

(क) भारतीय प्रशासकीय सेवा (इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस-आई० ए० एस०) भारतीय परराष्ट्र सेवा (इण्डियन फारेन सर्विस-आई० एफ एस) आदि मे भरती के लिए निम्न परीक्षाए

वर्ग १—इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आई ए एस) भारतीय प्रशासकीय सेवा इण्डियन फारेन सर्विस (भारतीय परराष्ट्र सेवा)।

वर्ग २—भारतीय आरक्षी (पुलिस) सेवा और दिल्ली हिमाचल पुलिस सेवा (श्रेणी २)।

वर्ग ३—भारतीय लेखा परिक्षा और लेखापालन सेवा (इण्डियन आडिट एण्ड एकाउण्ट सर्विस) भारतीय चुगी—केन्द्रीय उत्पादन सेवा (इण्डियन कस्टम-सेंट्रल एक्साइज सर्विस) भारतीय आयकर सेवा—श्रेणी १ (इण्डिन इनकम टैक्स सर्विस—ग्रेड—१) सैनिक भू व छावनी सेवा (मिलीटरी लैंडस एंड कंटूनमेंट सर्विस) श्रेणी १ भारतीय आयुध निर्माणशाला सेवा—श्रेणी १—सहायक-शाला—व्यवस्थापक अप्राविधिक (इण्डियन आर्डिनेंस फैक्टरी सर्विस—ग्रेड १)—असिस्टेण्ट वर्क्स मैनेजर नान टैक्निकल भारतीय डाक सेवा—श्रेणी १ (इण्डियन पोस्टल सर्विस—ग्रेड १) भारतीय रेल लेखा सेवा (इण्डियन रेलवे एकाउण्ट सर्विस) भारतीय रेलो के वरिष्ठ राजस्व प्रतिष्ठान के यातायात व व्यावसायिक विभाग ट्रासपोर्ट (ट्रैफिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेण्ट आफ दी सुपीरियर रेवेन्यू एस्टेब्लिशमेंट आफ इण्डियन रेलवेज) केन्द्रीय सचिवालय सेवा—विभागीय अधिकारी—

श्रेणी २ (सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट सर्विस—सेक्शन आफिसर—ग्रेड २), चुगी सेवा—श्रेणी २ (कस्टम अप्रेजर्स सर्विस—ग्रेड २), दिल्ली हिमाचल प्रदेश असैन्य सेवा—श्रेणी २ (सिविल सर्विस—ग्रेड २) तथा रेलवे परिपद सचिवालय सेवा—श्रेणी २ (रेलवे वोर्ड सेक्रेटेरियट सर्विस—ग्रेड २)।

ख अभियान्त्रिकी सेवा परीक्षाए (इजीनियरिंग सर्विस एक्जामिनेशनस्)—भारतीय रेलो की अभियान्त्रिकी सेवा (इण्डियन रेलवे सर्विस आफ इजीनियर्स), भारतीय रेलो के वरिप्ठ राजस्व प्रतिष्ठान (दी सुपीरियर रेवेन्यू एस्टेवलिशमेट आफ इण्डियन रेलवेज) के सकेतक अभियान्त्रिकी विभाग (सिगनल इजीनियरिंग डिपार्टमेण्ट), विद्युत अभियान्त्रिकी विभाग (इलेक्ट्रिक इन्जीनियरिंग डिपार्टमेट), अभियान्त्रिकी व सवाहन (विद्युत) विभाग (इन्जीनियरिंग एड ट्रासपोर्टेशन (पावर) डिपार्टमेट्स) केन्द्रीय अभियान्त्रिकी सेवा—श्रेणी १ व २ (सेण्ट्रल इजीनियरिंग सर्विस—ग्रेड १ व २), तार सचार अभियान्त्रिकी सेवा—श्रेणी १ (टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग सर्विस—ग्रेड १) सैनिक अभियान्त्रिकी सेवा—श्रेणी १, वी व आर० सवर्ग तथा ई० व एम० सवर्ग (मिलिटरी इजीनियरिंग सर्विस—ग्रेड १, वी० एण्ड आर० कैडर एण्ड ई० एण्ड एम० कैडर), भारतीय आयुध निर्माणशाला सेवा—श्रेणी १, सहायक शाला व्यवस्थापक (इण्डियन आर्डनेन्स फैक्टरीज सर्विस—ग्रेड १, असिस्टेण्ट वर्कस मैनेजर। केन्द्रीय अभियान्त्रिकी सेवा (सडक)—श्रेणी १ (सेन्ट्रल इजिनियरिंग सर्विस—(रोड) ग्रेड १), तार सचार यातायात सेवा—श्रेणी २ (टेलीग्राफ ट्रैफिक सर्विस—ग्रेड २), सहायक अभियता (कर्मशाला)—श्रेणी २ (असिस्टेंट इजिनियर (वर्कशाप)—ग्रेड २)।

ग अभियान्त्रिकी सेवा (विद्युदणु)—इजिनियरिंग सर्विस (इलेक्ट्रोनिक्स) : इन सेवाओ मे भरती के लिए परीक्षाए —प्राविधिक अधिकारी—श्रेणी १ (टेक्निकल अफसर—ग्रेड १) तथा सहायक प्राविधिक अधिकारी—श्रेणी २ (असिस्टेट टेक्निकल अफसर—ग्रेड २), नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) विभाग, परिवहन व सचार मत्रालय, अपर प्रभारी अभियता—श्रेणी १ (डिप्टी इन्जीनियर-इन-चार्ज ग्रेड १), सहायक अभियता—श्रेणी २ (असिस्टेंट इन्जिनियर—ग्रेड २) तथा प्राविधिक सहायक—श्रेणी २(अराजपत्रित) टेक्निकल असिस्टेट—ग्रेड २—नन-गजेटेड)—विदेश सचार सेवा, परिवहन व संचार मत्रालय, अभियता (वेतार का तार) श्रेणी १—योजना व समन्वय शाखा व मामिटरिंग सगठन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी १), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी-२), सुरक्षा मत्रालय मे सहायक अभियता (श्रेणी-२, अराजपत्रित)।

घ भारत का सर्वेक्षण, श्रेणी १ व श्रेणी २ की परीक्षायें।

ड यात्रिक अभियान्त्रिकी व परिवहन (विजली) विभागो की परीक्षा—यह भारतीय रेलवे के वरीय राजस्व प्रतिष्ठान के लिये होती है।

च सैनिक सेवा की परीक्षाए—इनमे भरती के लिए राष्ट्रीय (रक्षा अकादेमी, भारतीय सैनिक अकादेमी, वायु सेना उड्डयन कालेज और भारतीय नौसेना के विशेप प्रविष्ट कैडेट।

छ आर्मी मेडिकल कोर की परीक्षाए।

ज. सहायक श्रेणी की परीक्षाए—इनमे भरती के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा

की (सहायक) श्रेणी ४ भारतीय विदेश सेवा (शाखा—बी) तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा।

ख लिपिक (क्लर्क) श्रेणी की परीक्षाए—इनम भरती के लिए केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (श्रेणी २) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा (श्रेणी २) भारतीय विदेश सेवा (बी) श्रेणी ६ तथा निम्न सवग का लिपिक—भारत सरकार म सम्बद्ध दफ्तरो के लिए परन्तु केन्द्रीय लिपिक सेवा योजना म भाग लेने के लिए नही।

ग स्टेनोग्राफर (आशुलिपिक) की परीक्षा—इसका पूरा विवरण आयोग (कमीशन) के दफ्तर से १ रु० म मिल सकता है। पत्र-व्यवहार इस पते पर करना चाहिए—सचिव केन्द्रीय लोक सेवा आयोग धौलपुर हाऊस शाहजहा रोड नई दिल्ली—१

भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा—यह परीक्षा सामान्यत साल म एक बार होती है। परीक्षा अक्तूबर-नवम्बर म होती है। इसका पूरा विवरण फरवरी मास म प्राप्त हो सकता है।

आयु

वग २ के लिए परीक्षार्थी की आयु २० २४ वष की होनी चाहिए। अन्य परीक्षाओ के लिए आयु २१ २४ वष होनी चाहिए। परीक्षा जिस साल देनी हो उस साल १ अगस्त को जो आयु हो वही आयु मानी जाती है।

योग्यता

वग १—के उम्मीदार के लिए उपाधिधारी होना आवश्यक है विज्ञान म हो पर औद्योगिकी या रासायनिक अभियान्त्रिकी की उपाधि न हो।

शक्षिक पात्रता

भारतीय विश्वविद्यालय की वाणिज्य सिविल यात्रिक या विद्युत् कृषि या (टेली कम्यूनिकेशन सहित) अभियान्त्रिकी व बम्बई गुजरात कर्नाटक और पूना विश्वविद्यालय (सशोधित पाठ्यक्रम) की एल एल बी० या आध्र विश्वविद्यालय की बी एल डिग्री।

वग—२ के उम्मीदवार को किसी भारतीय विश्वविद्यालय का ग्रजुएट (स्नातक) होना चाहिए। परिवहन (टरिफ) के उम्मीदवार को और भारतीय रेलवे के वरिष्ठ राजस्व प्रतिष्ठान के व्यावसायिक विभागा के उम्मीदवार को किसी भारतीय विश्वविद्यालय का उपाधिधारी होना चाहिए या अभियता सस्था (भारत)—इस्टीयूशन आफ इजीनियस (इण्डिया) की सहसदस्यता परीक्षा (एसोसियट मेम्बरशिप एक्जामिनेशन) ए और बी० भाग म उत्तीण होना चाहिए या उसे भारतीय विज्ञान सस्था (इण्डियन इस्टीच्यूट आफ साइस) बगलौर की सहधारिता (एसोशियेटशिप) या उस फेलाशिप मिली हो या लाफ बारो कालेज लीसीस्टर शायर (इगलड) का आनस डिप्लोमा रखता हो। सेवाओ के लिए उम्मीदवार का किसी भारतीय विश्वविद्यालय का उपाधिकारी होना आवश्यक है।

परीक्षा

परीक्षा लिखित होती है। मौखिक परीक्षा के लिए जो योग्य माने जाते हैं उनके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है।

लिखित परीक्षा के लिए अनिवाय विषय हैं—निबध लेखन सामान्य अग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान।

वैकल्पिक या पर्याय

विशुद्ध गणित, व्यावहारिक गणित, रसायन, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भू-गर्भ शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भारतीय इतिहास, ब्रिटिश इतिहास, विश्व इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सामान्य अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र कानून, तत्त्वज्ञान, भूगोल।

इनमे से कोई एक

अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, पाली, फारसी, रूसी, संस्कृत, और स्पेनिश तथा सांख्यकी, एडवान्स्ड एकाउन्टेंसी एन्ड आडिटिंग, समुद्रीय व्यापार सम्बन्धी कानून मैकेनिक्स, प्राइम मूवर्स हिन्दी।

वर्ग—२ के सिवाय, शेष सब परीक्षाओ के उम्मीदवार वैकल्पिक विषयो मे से, किन्ही तीन विषयो को चुन सकते है। वर्ग—२ की सेवा की परीक्षाओ का उम्मीदवार वैकल्पिक विषयो मे से कोई दो विषय ले सकता है।

वर्ग—१ की सेवाओ के उम्मीदवार को इन अतिरिक्त विषयो मे से दो को अवश्य चुनना होता है: उच्चस्तरीय विशुद्ध गणित या उच्चस्तरीय व्यावहारिक गणित, उच्च-स्तरीय—रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र प्राणिशास्त्र, भूगास्त्र, तथा अंग्रेजी साहित्य (१७८०-१९०१), भारतीय इतिहास (१६०० से आज तक) या ब्रिटिश सवैधानिक इतिहास (१९०५ मे आज तक) या यूरोपियन इतिहास (१७८९ से १८७८) उच्च आर्थिक सिद्धान्त या उच्च भारतीय अर्थ शास्त्र, राजनीतिक सिद्धान्त (हाब्स से अब तक) आध्यात्म शास्त्र, (एपिटोमोलोजी) या परिक्षणात्मक मनोविज्ञान समेत उच्च मनो-विज्ञान, अरबी साहित्य मे विद्यमान मध्ययुगीन सभ्यता (५७० ई० से १६५० ई०) या प्राचीन भारतीय सभ्यता व तत्वदर्शन, नृवश शास्त्र, समाज शास्त्र, उच्च भूगोल।

परीक्षा शुल्क

८२ रु० ५० पै० (हरिजनो व आदिम जाति के लिए २० रु० ६२ पै०)

अभियान्त्रिकी सेवा परिक्षायें इजीनियरिंग सर्विस एक्जामिनेशन) साल मे एक बार साधारणत सितम्बर मास मे होती है। इसका पूरा विवरण मार्च अप्रैल मे मिल सकता है।

आयु :

रेलवे के विद्युत अभियान्त्रिकी विभाग (इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट) और सकेत अभियान्त्रिकी विभाग (सिगनल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट) के उम्मीदवार की आयु १ अगस्त को २१-२५ वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीवार को किसी भारतीय विश्वविद्यालय का इजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होना चाहिए । रेलवे की अभियान्त्रिक सेवा की विभिन्न परी-क्षाओ के लिए आवश्यक विवरण आयोग से प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अकादेमी परीक्षा :

सेना के तीनो विभागो की जनवरी और जुलाई की परीक्षा की भरती के लिए इसकी परीक्षा वर्ष मे दो बार जून और दिसम्बर मे होती है। उम्मीवार पुरुष को अविवाहित होना चाहिए। इस विषय का पूरा विवरण नवम्बर-दिसम्बर और जुलाई मे आयोग से प्राप्त हो सकता है।

पाठ्यक्रम जब प्रारम्भ हो, तब उम्मीदवार की आयु १५-१७॥ वर्ष होनी चाहिए।

(२) अध्यापकों का दर्जा वेतन भत्त और शिक्षा—(क) शिक्षा की गुणता और राष्ट्रीय विकास म उसके योगदान के लिए उत्तरदायी कारणो म से अध्यापक निस्सन्देह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उसके व्यक्तिगत गुणो और चरित्र शैक्षिक योग्यताओ एव व्यावसायिक अहताओ पर अतत शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रयत्नो की सफलता निर्भर है। अत अध्यापको को समाज म एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उनकी योग्यताओ और उनके उत्तरदायित्वों को देखते हुए उनके वेतन भत्त तथा अन्य सेवा की शर्तें पर्याप्त और सन्तोषजनक होनी चाहिए।

(ख) स्वतन्त्र अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी प्रबन्ध प्रकाशित करने तथा महत्व पूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ पर भाषण करने और लिखने की अध्यापको की शैक्षिक स्वतन्त्रता की रक्षा की जानी चाहिए।

(ग) अध्यापक शिक्षा विशेष रूप से अन्तर्सेवा शिक्षा पर यथोचित बल दिया जाना चाहिए।

(३) भाषाओं का विकास—(क) प्रादेशिक भाषाए—भारतीय भाषाओ और साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना शैक्षिक तथा सास्कृतिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है। जब तक यह नही किया जायेगा लोगो की सजनात्मक शक्तिया क्रियाशील नही होगी शिक्षा के स्तरो मे सुधार नही आयेगा जन साधारण तक ज्ञान नही पहुचेगा और बुद्धिजीवियो तथा जन-साधारण के बीच खाई यदि चौडी न भी हुई तो यथावत् बनी रहेगी। प्राथमिक और माध्यमिक अवस्थाओ मे प्रादेशिक भाषाओ को पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप म व्यवहृत किया जा रहा हैं। अब उनका प्रयोग विश्वविद्यालय अवस्था मे भी करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए।

(ख) त्रिभाषा सूत्र—माध्यमिक अवस्था म राज्य सरकारो को त्रिभाषा सूत्र लागू करना और जोर शोर के साथ उसको क्रियान्वित करना चाहिए। इस सूत्र के अन्तगत एक आधुनिक भारतीय भाषा तरजीहन् एक दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन तथा साथ ही हिन्दी भाषी राज्यो म हिन्दी और अग्रजी और अहिन्दी भाषी राज्यो मे प्रादेशिक भाषा तथा अग्रजी के साथ हिन्दी का अध्य यन शामिल है। विश्वविद्यालयो और कालेजो म हिन्दी तथा/या अग्रजी के उपयुक्त पाठ्यक्रमो की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि छात्र विहित विश्वविद्या लय मानको के अनुरूप इन भाषाओ म प्रवीणता प्राप्त कर सकें।

(ग) हिन्दी हिन्दी के विकास और प्रसार का हर सभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। सम्पर्क भाषा के रूप म हिन्दी का विकास करते समय इस बात का समुचित ध्यान रखना चाहिए कि यह भाषा सविधान के अनुच्छेद ३१५ के उपबन्धो के अनुसार भारत की सामाजिक सस्कृति के सभी तत्वो के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकेगी। अहिन्दी भाषी राज्यो म हिन्दी के माध्यम मे शिक्षा देने वाल कालेजो तथा उच्चतर शिक्षा की अन्य सस्थाओ को स्थापित करने के प्रयत्नो को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(घ) **संस्कृत**—भारतीय भाषाओ के विकास मे सस्कृत के विशेष महत्व को देखते हुए और देश की सास्कृतिक एकता के लिए उसके अपूर्व योगदान की दृष्टि से स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सस्कृत के अध्यापन की सुविधाए अधिक विस्तृत पैमाने पर दी जानी चाहिए। इस भाषा के अध्यापन के नए तरीको के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रथम और द्वितीय डिग्री अवस्थाओ पर, उन पाठ्यक्रमो मे जहा कि इस भाषा का ज्ञान उपयोगी है (जैसे, अधुनिक भारतीय भाषाए, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत विद्या तथा भारतीय दर्शन) सस्कृत के अध्यापन की सम्भावनाओ की खोज की जानी चाहिए।

(ड) **अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएं**—अग्रेजी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओ के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ससार मे ज्ञान का प्रसार बडी तेजी से हो रहा है, विशेषकर विज्ञान और शिल्पविज्ञान के क्षेत्र मे। भारत को न केवल इस विकास को बनाए रखना है बल्कि अपनी ओर से भी उसमे सार्थक योग-दान करना है। इस उद्देश्य से अग्रेजी के अध्ययन को विशेष रूप से पुष्ट करना चाहिए।

(४) **शिक्षा के अवसरो का समानीकरण**—शिक्षा की समस्याओ के समानीकरण के लिए श्रमपूर्वक प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(क) शिक्षा की सुविधाओ की व्यवस्था की दृष्टि से प्रादेशिक असतुलन को मिटाना चाहिए तथा ग्रामीण और अन्य पिछडे इलाको मे शिक्षा की अच्छी सुविधाए दी जानी चाहिए।

(ख) सामाजिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिये शिक्षा आयोग की सिफारिशो मे बताई गई समान स्कूल पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। सामान्य स्कूलो मे शिक्षा के स्तर मे सुधार करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। पब्लिक स्कूलो के समान विशेष स्कूलो मे छात्रो का दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये और सामाजिक वर्गो के पृथक्करण को बचाने के लिए फीस-माफी का अनुपात विहित कर देना चाहिए। परन्तु इससे सविधान के अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत अल्पसख्यको के अधिकारो पर प्रभाव नही पडेगा।

(ग) न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बल्कि सामाजिक रूपान्तरण की गति को तीव्र करने के लिये भी लडकियो की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये।

(घ) पिछडे वर्गो तथा विशेष रूप से आदिम जातियो मे शिक्षा का विकास करने के लिये अधिक तीव्र प्रयत्नो की आवश्यकता है।

(ङ) विकलागो और मानसिक रूप से अशक्त बच्चो के लिये शैक्षिक सुविधाओ का विकास करना चाहिये और ऐसे समन्वित कार्यक्रमो का विकास किया जाना चाहिए जिसके द्वारा ये बच्चे नियमित स्कूलो मे अध्ययन प्राप्त कर सकें।

(५) **प्रतिभा की पहचान**—प्रवीणता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रो मे जो प्रतिभाएं हैं उनको छोटी से छोटी उम्र मे खोज निकालना चाहिए और उनके विकास के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

(६) कार्यानुभव और राष्ट्रीय सेवा—परस्पर सेवा और सहायता के उपयुक्त कार्यक्रमों द्वारा स्कूलों और समुदायों को एक दूसरे के निकट लाना चाहिए। तदनुसार कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा जिसमें सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सार्थक तथा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम भी शामिल हैं शिक्षा का अभिन्न अंग होने चाहिए। इन कार्यक्रमों में स्वावलम्बन चरित्र निर्माण तथा सामाजिक उद्देश्यों के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना के विकास आदि पर बल दिया जाना चाहिए।

(७) विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान—राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्कूल अवस्था के अन्त तक विज्ञान और गणित सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग होने चाहिए।

(८) कृषि तथा उद्योग की शिक्षा—कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

(क) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। जहां तक हो सके ये विश्वविद्यालय एक अहाते में स्थित स्वतः पूर्ण होने चाहिए पर जहां आवश्यक हो इनके विभिन्न अहातों में स्थित संघटक कालेज भी हो सकते हैं। अन्य विश्व विद्यालयों में भी जहां आवश्यक सम्भावनाएं हैं कृषि के एक या उससे अधिक पहलुओं के अध्ययन के लिए पृथक विभाग खोले जाने चाहिए।

(ख) तकनीकी शिक्षा में उसके अभिन्न अंग के रूप में उद्योगों से सम्बन्धित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान का सम्बन्ध उद्योग से बहुत निकट का होना चाहिए ताकि एक से दूसरे में कार्मिक आ जा सकें और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सुविधाओं की व्यवस्था रूपरेखा तैयार करने तथा आवधिक समीक्षा के लिए व्यवस्था हो सके।

(ग) देश की औद्योगिक कृषि तथा अन्य तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं की निरन्तर समीक्षा होनी चाहिए तथा शिक्षा संस्थाओं से निकले छात्रों तथा रोजगार के अवसरों के बीच उचित संतुलन बनाये रखने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(६) पुस्तकों का उत्पादन—प्रोत्साहन तथा पारिश्रमिक की उदार नीति के द्वारा श्रेष्ठतम लेखकों को आकर्षित करके पुस्तकों की गुणता में सुधार किया जाना चाहिए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। बार-बार पाठ्य पुस्तकें बदलने से बचना चाहिए और इन पुस्तकों का मूल्य इतना होना चाहिए कि मामूली हैसियत का छात्र भी उन्हें खरीद सके।

व्यावसायिक पैमाने पर स्वायत्त पुस्तक निगमों की स्थापना की सम्भावनाओं की परीक्षा की जानी चाहिए और कुछ ऐसी बुनियादी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए जो देश भर के लिए समान हों। बच्चों की

पुस्तको और प्रादेशिक भाषाओ की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तको पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(१०) **परीक्षाए**—परीक्षा सुधारो का एक प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि परीक्षाओ की विश्वसनीयता और उनकी मान्यता मे सुधार हो सके और मूल्याकन एक ऐसी निरन्तर प्रक्रिया हो जिसका लक्ष्य छात्र को उपलब्धि के स्तर को उन्नत करने मे सहायता देना होना चाहिए न कि समय-विशेष मे उसके कार्य की गुणता को देख कर उसे 'प्रमाणपत्र' दे देना।

(११) **प्रारम्भिक शिक्षा**—(क) माध्यमिक (तथा उच्चतर) स्तर पर शिक्षा के अवसर सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरण का एक प्रमुख उपकरण है। अतएव माध्यमिक शिक्षा की सुविधाए तेजी से उन क्षेत्रो और वर्गो को भी दी जानी चाहिए जिनको आज तक यह प्राप्त नही हो सकी।

(ख) इस अवस्था पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षण की सुविधाओ को बढाने की आवश्यकता है। माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओ की व्यवस्था मोटे तौर पर विकासमान अर्थ-व्यवस्था तथा वास्तविक रोजगार अवसरो के अनुरूप होनी चाहिये। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर प्रभावी रूप से समापक बनाने के लिए यह सम्बन्ध आवश्यक है। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओ का उपयुक्त रूप से विशाखन किया जाना चाहिए ताकि उसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, गृह-प्रबन्ध, कला और शिल्प, अनुसचिवीय प्रशिक्षण आदि आ सकें।

(१२) **विश्वविद्यालय शिक्षा**—(क) एक कालेज या विश्वविद्यालय मे कितने पूर्णकालिक छात्र भर्ती किए जाए, इसकी सख्या प्रयोगशालाओ, पुस्तकालयो तथा अन्य सुविधाओ और कर्मचारियो की सख्या को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए।

(ख) नए विश्वविद्यालयो की स्थापना के लिए पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है। उनकी स्थापना तभी की जानी चाहिए जब पर्याप्त मात्रा मे निधि उपलब्ध हो तथा उपयुक्त मानको के बनाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई हो।

(ग) इस स्तर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही प्रशिक्षण अनुसधान के मानको मे सुधार करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(घ) उच्च शिक्षा के केन्द्रो की सुविधाए बढाई जानी चाहिए और कुछ थोडे से ऐसे 'केन्द्र स्कूल' स्थापित किये जाने चाहिए जिनका उद्देश्य अनुसधान और प्रशिक्षण मे उच्चतम मानक स्थापित करना हो।

(ङ) विश्वविद्यायो मे अनुसधान को सामान्यतया अधिक बढावा नहीं दिया जाना

चाहिए। जहा तक हो सके अनुसधान की सस्थाए विश्वविद्यालय के अन्तगत ही काय करें अथवा उनके साथ निकट सम्पक रखें।

(१३) अल्पकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम—अल्पकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर बड़े पैमाने पर विकसित किए जाने चाहिए। यही सुविधाए माध्यमिक स्कूलों के छात्रो, अध्यापको तथा औद्योगिक कृषि सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के कमचारियो के लिए भी दी जानी चाहिए। अल्पकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रमो द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को वही दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए जो कि पूणकालिक शिक्षा को। इस प्रकार की सुविधाओ से स्कूल से रोजगार की ओर जाने मे आराम रहेगा शिक्षा के हित को बढ़ावा मिलेगा तथा उन बहुत से लोगो को अवसर भी मिल सकेगा जो आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर पूणकालिक आधार पर नही कर सकते।

(१४) साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार—(क) लोक निरक्षरता को दूर करना आवश्यक है। यह केवल लोकतन्त्रीय सस्थाओ के काय में भाग लेने के लिए लोगो को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा कायक्रमो की गति तीव्र करने के लिए (विशेष कर कृषि के क्षेत्र मे) ही नही बल्कि सामान्य राष्ट्रीय विकास की गति को तीव्र करने के लिए भी आवश्यक है। बडी वाणिज्यिक औद्योगिक तथा अन्य सस्थाओ के कमचारियो को जितनी जल्दी हो सके काम चलाऊ रूप से साक्षर बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य मे भाग देना सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमो को करना चाहिए अध्यापको और छात्रो को सक्रिय रूप से साक्षरता अभियानो का सगठन करना चाहिए विशेष रूप से सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा कायक्रमो के रूप मे।

(ख) युवा कृषको की शिक्षा तथा स्वनियोजन के लिए युवको को प्रशिक्षित करने पर विशेष बल देना चाहिए।

(१५) खेलकूद—खेलकूद का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य औसत विद्यार्थी तथा इस क्षेत्र मे प्रवीणता दिखाने वाले व्यक्तियो के लिए उनकी शारीरिक योग्यता और खेलकारी को उन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए। जहा पर खेल के मदानो तथा अखिल राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कायक्रमो के विकास की अन्य सुविधाए नही है वहा ये सुविधाए प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए।

(१६) अल्पसख्यकों की शिक्षा—न केवल अल्पसख्यको के अधिकारो की रक्षा के लिए बल्कि उनकी शक्षिक अभिरुचि को बढावा देने के लिए हर सभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस सबध मे राज्यो के मुख्य मन्त्रियो तथा केन्द्रीय मन्त्रियो के सम्मेलन मे अगस्त १९६१ मे एक वक्तव्य जारी किया गया था।

(१७) शिक्षा का ढाचा—यह आवश्यक है कि देश के हर भाग मे शिक्षा का ढाचा मोटे तौर पर एक समान हो। इसका उद्देश्य अन्तत १०+२+३ पटन को अपनाना चाहिए, इसमे स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार दो वर्ष की

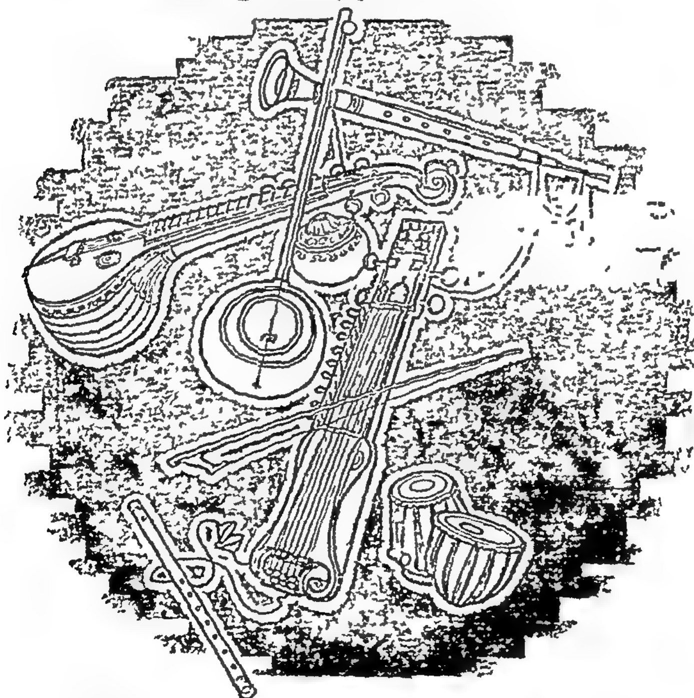
उच्चतर माध्यमिक अवस्था या तो स्कूलो मे हो या कालेजो मे या दोनो मे हो ।

५ ऊपर वताई गई रूपरेखा के अनुसार शिक्षा का पुनर्गठन करने मे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी । उद्देश्य यह होना चाहिए कि धीरे-धीरे शिक्षानिवेश को वढाया जाए ताकि जितनी जल्दी हो सके वह राष्ट्रीय आय के ६ प्रतिशत खर्च के स्तर पर पहुच जाए ।

६ भारत सरकार इस वात को मानती है कि शिक्षा का पुनर्निर्माण सरल काम नही है । न केवल साधनो की कमी है, वरन् समस्याए अत्यधिक जटिल है । यह देखते हुए कि शिक्षा विज्ञान तथा अनुसधान भौतिक तथा जनसाधनो के विकास मे कितना महत्वपूर्ण योगदान देते ह, भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमो का वीडा उठाने के अतिरिक्त राज्य सरकारो को राष्ट्रीय महत्व के उन कार्यक्रमो के कार्यान्वयन मे सहायता देगी जहा राज्यो और केन्द्र के समन्वित प्रयत्नो की आवश्यकता है ।

७ भारत सरकार हर पाच वर्ष मे प्रगति की समीक्षा करेगी और आगे के विकास के लिए मार्गदर्शक सुझाव देगी ।

अनेक स्वर,
तथापि एक स्वरता !



कोटि कोटि लोग,
तथापि एक देश !

राष्ट्रीय एकता को खतरा

'आज हमारे देश को जिस सबसे बडे खतरे का सामना करना पड रहा है वह है साम्प्रदायिकता का।

दूसरा खतरा है प्रान्तीयता का, प्रादेशिकता का और सकीणता का। ये भी उन्ही दुर्भावनाओ की उपज हैं, जो कि साम्प्रदायिकता के मूल मे हैं।

असमानता के बने रहने से, इसका उन्मूलन न होने से राष्ट्रीय एकता के लिए एक गम्भीर खतरा बना हुआ है। यह असमानता ही सम्भवत दूसरे खतरा की जननी है।

'एक अन्य प्रश्न जो हमको परस्पर सगठित रख सकता है या फिर हम मे फूट की दीवार खडी कर सकता है वह है भाषा का।

आज ससार मे जो परिस्थितिया विद्यमान हैं उनमे अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए यह पहली शर्त है कि देश मे राष्ट्रीय एकता हो। राष्ट्रीय एकता ही हमारे अस्तित्व का मूलाधार है।

—इन्दिरा गांधी
प्रधान मन्त्री
(राष्ट्रीय एकता परिषद् के श्रीनगर मे हुए सम्मेलन मे दिये हुए भाषण का एक अश)

लोक सम्पर्क विभाग, हरियाना द्वारा प्रचारित

आज दिल्ली कहीं स्वच्छ, सुन्दर व सुखी नगर है

कोई भी प्रशासन इन बातों पर गर्व कर सकता है

—यातायात के लिए सडको पर आज अधिक बसे चल रही है ।

—जनता को अपनी पसन्द का गेहू चावल देने के लिए धीरे-धीरे राशन व कण्ट्रोल की समाप्ति ।

—स्कूल शिक्षा के ढाचे मे क्रातिकारी परिवर्तन एव हायर सैकेण्ड्री स्कूलो मे विज्ञान शिक्षा के लिए अधिक सुविधा तथा अधिक वैज्ञानिक पुस्तकालयो की व्यवस्था ।

—७ नये कालेज, २४ हायर सैकेण्ड्री स्कूल व ६ मिडिल स्कूल खोलना ।

—जमीन की कीमतो मे भारी गिरावट ।

—कम व मध्यम आय वाले वर्ग के लिए २० रु० से ३८ रु० प्रति वर्ग गज के दाम पर लाटरी द्वारा प्लाट देना ।

—सहकारी समितियो के लिए शीघ्रता से जमीन तथा किश्तो पर निर्मित मकानो की बिक्री ।

—व्यापार मे एकाधिकार का सफाया ।

—टैक्सी व स्कूटर ड्राइवरो द्वारा अधिक किराया लेने व सवारियो के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए कारगर कारवाई ।

भविष्य मे और अधिक सेवा के लिए कृत संकल्प

जन सम्पर्क निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा प्रसारित

जन-स्वास्थ्य

जन-स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रधानत राज्यो पर है। सघ-सूची के विषयो की जिम्मेदारी एकमात्र केन्द्रीय सरकार की है, समवर्ती सूचो के विषयो के लिए उसका राज्यो के साथ समान दायित्व है। केन्द्र राज्यो के स्वाथ्य सवधी कार्यो मे एकसूत्रता लाने और रखने का काम करता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आयोजनाओ को तैयार कर योजना आयोग को स्वीकृति के लिए देता है। केन्द्र दिल्ली, अण्डमान निकोबार द्वीप-समूह तथा लकादीव, मिनिकाय और अमीन द्वीप-समूह मे सघ-क्षेत्रो के राज्य-विषयो के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

जलपूर्ति एव परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य के लिए तीनो पचवर्षीय योजनाओ मे धन की व्यवस्था व खर्च इस प्रकार हुआ

योजना	धन की व्यवस्था (करोड रु० मे)	कुल योजना का प्रतिशत सरकारी क्षेत्रो मे	व्यय (करोड रु० मे)
पहली	१४०.००	५ ८	१०१.००
दूसरी	२२५ ००	४.७	११६.००
तीसरी	३४१ ८०	—	३५३.०३
चौथी	६६०.००	—	—

भारत मे जन्म और मृत्यु (प्रति सहस्र)			औसत जीवन-काल	
वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर	पुरुष	स्त्री
१६०१-१०	४८ १	४२ ६	२२ ६	२३ ३
१६११-२०	४६.२	४८ ६	१६ ४	२०.६
१६२१-३०	४६ ४	३८ ३	२६.६	२६ ६
१६३१-४०	४५ २	३१.२	३२ १	३१ ४
१६४१-५०	३६ ६	२७.४	३३ ५	३१ ७
१६५१-६०	४१ ७	२२ ८	४१.०६	४० ६
१६५६-६१	४० ७	२१.६	४१.६८	४२ ६
१६६१-६६	४०.०	२८.०	४५.००	४५ ८

शिशु मृत्यु दर
(प्रति सहस्र जन्म म)

वष	बालक	बालिका
१६४१ ५१	१६० ०	१७५ ०
१६५१ ५६	१६१ ४	१४६ ७
१६५६ ६१	१४२ ३	१२७ ६

आहार और पोषण

(भारत म आवश्यक क नारी)

पुरुष (१२० पौ)

	विशुद्ध क्लोरी	बच्चे (आयु वग)	विशुद्ध क्लोरी
ह का और मध्यम काम	२४	१ साल से कम	१०
हल्का कठोर श्रम	३	१ से तीन वष तक	६
अन्त कठोर श्रम	३६	३ ■ ५ वष तक	१२००

स्त्री (१ ० पौ)

साध रण काम	२१ ०	५ साल से ७ वष	१४
साधारण कठोर श्रम	२५००	७ साल म ६ वष	१७
बहुत कठोर श्रम	३	६ से १२ वष तक	२
गभवती	१	किशोर व तरुण	
स्तन-वत्सा	३७	१२ से १५ वष	२४
		१५ से २१ वष	२४

सन्तुलित आहार की रचना (प्रति दिन)

	(औंसा म)	—	(औंसा म)
दानी धान्य	१४	फल	६
दालें	३	चीनी गुड	२०
हरा साक	४	तेल या घी	२
अन्य साक	८	मछली मांस	८
अन्य साक	६	अण्डा	१

भारत मे प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्य पदाथ

वष	जन सख्या (करोडों म)	खाद्यान्न (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्य पदाथ (औंसों मे)
१६५७	४ ६	७५६	१५ १
१६५६	४२ ३	८२५	१६ २
१६६१	४४	८४४	१६ २
१६६३	४६ ४	८३१	१५ ३
१६६५	४८ ५	६१	१४ ६

औषध-निर्माण—नियंत्रण-भंडार-प्रयोगशाला

औषध अधिनियम १९४० के अधीन इस देश मे औषधो के निर्माण, वितरण, आयात और बिक्री पर नियत्रण है। इस अधिनियम मे १९५५, १९६०, १९६१, १९६२ तथा १९६४ मे सशोधन कर नये नियम बनाए गए। १९६२ तथा १९६४ के सशोधनो द्वारा क्रमश (१) अगराग एव (२) आयुर्वेद व यूनानी औषध निर्माण को १९४० के कानून के अन्तर्गत ले लिया गया।

औषध अधिनियम १९४० के अन्तर्गत औषध प्राविधिक सलाहकार मण्डल (दी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड) की स्थापना की गई है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकारो को तत्विषयक परामर्श देता है। केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला (दी सैंट्रल ड्रग लैबोरेटरी) कलकत्ता की स्थापना औषध अधिनियम के अधीन की गई है तथा यह साविधिक प्रयोगशाला का काम करती है। यह भेजी दवाइयो के नमूनो की परीक्षा करती है।

डाक्टरी पेशे के लोगो के लाभ और उनकी जानकारी के लिए राष्ट्रीय योग सहिता (दी नेशनल फार्मुलरी आफ इण्डिया) का प्रकाशन किया गया है। यह फार्मेसियो और अस्पतालो के लिए भी उपयोगी है।

मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, करनाल और गोहाटी मे औषध भडार सगठन (मेडिकल स्टोर्स ऑरगनाइजेशन) के डिपो है। औषध भण्डार सगठन विगत ५० वर्षो से देश मे कार्य कर रहा हे। यह सरकारी अस्पतालो और दवाई घरो को औषध आपूर्ति करता है। स्थानीय सस्थाओ की औषध सबधी आवश्यकताओ को भी यह पूरा करते है। इस सस्था की फैक्टरिया बडे परिमाण मे अनेक दवाइया बनाती है। इसके व्यावसायिक प्रतिनिधि होते है जो सरकारी प्रयोगशालाओ मे प्रशिक्षण पाते है।

फार्मेसी एक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित 'फार्मेसी कौसिल आफ इण्डिया नामक सस्था न केवल स्थाई है, अपितु शासकीय है। इसका कार्य फार्मेसी विद्या का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने मे सहायता देना और फार्मेसी के पेशे का नियत्रण करना है। अनेक राज्यो मे भी इसकी स्थापना की गई है।

यह अश्लील विज्ञापनो के प्रकाशन, रति रोगो और स्त्री-रोगो की चमत्कारी चिकित्सा के मिथ्या दावो आदि को रोकता है। नियत्रण का यह कार्य चुगी और डाक अधिकारियो के निकट सहयोग से किया जाता है। विदेश स्थित भारतीय कूटनीतिक अधिकारियो से भी सहयोग लिया जाता है। १९६३ मे इस कानून मे सशोधन किया गया।

प्रथम भारतीय भेषज सहिता (इडियन फार्म कोपिया) का प्रकाशन १९५५ मे हुआ।

१९६७ मे केन्द्रीय भारतीय भेषज सहिता प्रयोगशाला गाजियाबाद ने कार्य प्रारम्भ किया।

भारत की इस केन्द्रीय भेषज सहिता प्रयोगशाला मे अब औषधियो की रासायनिक जाच के लिए सब सुविधाये और साज सामान उपलब्ध है। तदनुकूल जैविकेतर औषधियो की जाच के लिए भारत सरकार ने प्रयोगशाला के निदेशक को सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर दिया हे।

प्रयोगशाला म अणुजीव विज्ञान अनुभाग स्थापित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

भारतीय भेपज सहिता

भारतीय भेपज सहिता का दूसरा सस्करण जिसमे मेडिकल प्रक्टिस मे आजकल काम आने वाली औपधियो के ८८४ मोनोग्राफ हैं १ जून १९६७ से प्रयोग मे लाया जाने लगा है। इसम जो औपधिया अकित हैं औपध और अगराग कानून के अतगत उनके लिए यही एक मात्र मानक पुस्तक है।

अनिवाय औपध समिति

अनिवाय औपधियो की तथा समय समय पर औपधियो के निर्माण और आयात क निए किन किन वस्तुआ की आवश्यकता पडेगी इसकी सूचना तयार करने मे भारत सरकार को सलाह देते रहने के लिए माच १९६६ मे अनिवाय औपध समिति का गठन किया गया था। इसम चिकित्सा की विभिन्न शाखाओ से लिय गये विशेषज्ञ हैं और स्वास्थ्य सेवाओ के महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट नवम्बर १९६७ मे सरकार को पेश की।

कीटनाशक विधेयक

मनुष्या और जानवरों को खतरे से बचाने के लिए कीटनाशक औपधो के आयात उत्पादन बिक्री परिवहन तथा प्रयोग नियन्त्रित करने के लिय एक विधेयक ससद ने १९६७ ६८ म पारित कर लिया।

केन्द्रीय अनुसधान सस्थान, कसौली—इसकी स्थापना १९ ५ मे हुई। यह आतक (पागल कुत्त क काटने स उत्पन्न रोग) टी० ए० बी हैजा विपरोध टिटनस टोक्साइड डिप्थेरिया एण्टी-टोक्सिन और इनफ्लुएजा क टीके तयार करता है। सस्थान म पीत ज्वर वक्सीन भी बनता है।

देश म आतकरोधी उपचार केन्द्रा की कुल सख्या १९६४ म ४४६ १९६५ म ४८८ १९६६ म ५२२ तथा १९६७ म ५३६ थी।

सस्थान क अन्तगत राष्ट्रीय सन्दभ प्रयोगशाला है जो टिटनस व डिप्थीरिया क राष्ट्रीय मानक तयार करती है। सस्थान के अन्तगत राष्ट्रीय केन्द्र टाईफ़ कनवर का राष्ट्रीय सदर्भ केन्द्र राष्ट्रीय अर्बुदविषाणु केन्द्र रुधिर छाया-चित्र क बाह्य प्रतिपरीक्षण का क्षेत्रीय केन्द्र व इन्फ्लुएजा केन्द्र है।

सस्थान क द्वारा शिक्षण तथा प्रशिक्षण कायक्रम भी चलाया जाता है।

बी० सी० जी० वक्सीन प्रयोगशाला गिण्डी मद्रास—इसकी स्थापना १९४८ म हुई। यह इस समय भारत का सबस बडा वक्सीन उत्पादक केन्द्र है। यह सभी राज्या बी० सी० जी० अभियान केन्द्रों मे लगे अन्य भारतीय सस्थाओं तथा अफगानिस्तान और लका की सरकारों को बी० सी० जी० वक्सीन तथा ट्यूबरकुलीन और बर्मा तथा मलयशिया म चल रही पूर्वेक्षण परियोजनाओं को वक्सीन देती है।

१-११-६४ से ३१-१०-६५ तक प्रयोगशाला मे उत्पादन यो हुआ :

बी० सी० जी० वैक्सीन	२७,७६,८६४ मी० मी०
ट्यूबरकुलीन	२८,६१,२३० मी० मी०

हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक लि. पिपरी, डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली तथा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लि ऋषिकेश मे उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है ।

हाफकिन इंस्टीच्यूट, बम्बई—यह सस्था सल्फा औषधियो का निर्माण करती है।

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता—इस सस्था की स्थापना भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ (३७) के आधीन की है। यहा खाद्य पदार्थो के नमूनो का विश्लेषण और उनकी जाच की जाती है। मिलावट को रोकने की दृष्टि से यह उपाय किया गया।

१९६४ मे ८२७ तथा १९६५ मे ६५६ खाद्य-नमूनो की जाच की गई।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली

भारत सरकार ने ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी है। देशी चिकित्सा पद्धति मे आयुर्वेद, यूनानी, योग सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होम्योपैथी आती है। सरकार इनके विकास के लिये अनुदान भी देती है।

आयुर्वेद

यह भारत व विश्व की प्राचीनतम पूर्ण वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति है। आयुर्वेद के विषय मे श्री के० एन० ऊड्डपा की अध्यक्षता मे गठित एक समिति की सलाह पर आयुर्वेदिक अनुसधान परिषद् की स्थापना की गई है।

आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर—यह अप्रैल, १९६३ से चल रहा है। इसका प्रशासन एक शासीनिकाय के हाथ मे है जिसमे भारत सरकार, गुजरात सरकार तथा गुलाब कुवर व आयुर्वेदिक सोसाइटी के प्रतिनिधि है।

सस्थान के शिक्षण विभाग ये प्रशिक्षण देते है

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एच० पी० ए०—५५ छात्र

गुजरात विश्वविद्यालय

डिग्री कोर्स	बी० ए० एम० एस०—८७ छात्र

शुद्ध आयुर्वेद डिग्री कोर्स डी० एस० ए० सी०—१०८ छात्र

सथान का २१४ पलगो का अस्पताल है जिसमे प्रति माह औसतन २११४ अतरग तथा २,८५८ वहिरग रोगियो का इलाज किया जाता है।

सस्थान की अपनी औषध निर्माणशाला भी हे। सस्थान 'आयुर्वेदालोक' नामक एक त्रैमासिक भी प्रकाशित करता है।

केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसधान परिषद् : आयुर्वेद के विकास, विशेषकर उसके विभिन्न पहलुओ पर वैज्ञानिक खोज के सवध मे भारत सरकार को मत्रणा देती है। इसके अतर्गत मिश्रित औषध अनुसधान योजना चल रही है। १९६७-६८ मे इसका पुनर्गठन किया गया।

छात्र नर्स-धात्रियों की सख्या मे २ प्रतिशत की वृद्धि हुई । धात्रियो का प्रशिक्षण धीरे-धीरे सहायक नर्स धात्रियो को दिया जाने लगा है इसलिए धात्रियो की सख्या मे कोई वृद्धि नही हुई । अब केवल पाच ही स्कूल धात्री-प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

भारतीय चिकित्सा परिषद्—इसे भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम १९५६ के अधीन ६ फरवरी, १९६० को पुर्नर्निमित किया गया । परिषद् भारतीय चिकित्सा पजी रखती है जिसमे देश के सब पजीकृत चिकित्सको (डाक्टरो) के नाम लिखे जाते है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ के पीछे भी एक इतिहास है। जर्मनी और इटली के विश्वविद्यालयो से शिक्षा प्राप्त एक व्यक्ति आयुर्वेदालकार था जिसने भारत मे हृदय का आपरेशन सबसे पहले किया था। आयुर्वेदालकार की उपाधि ब्रिटिश शासन काल मे मान्य नही थी । इण्डिया मेडिकल कौसिल ने इसी आधार पर उसका नाम पजित करने से इकार कर दिया । यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया । डाक्टर विजयी हुआ । उसकी विजय ने इण्डियन मेडिकल कौसिल को नया नियम बनाने की आवश्यकता उत्पन्न की । इसका क्षेत्र विस्तृत किया गया । पर यह आज की एलोपैथी प्रणाली के ही चिकित्सको का रजिस्टर है ।

केन्द्रीय खाद्य-मानक समिति—इसका मुख्य कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारो को खाद्य पदार्थो मे की जाने वाली मिलावट रोकने के उपायो के बारे मे सलाह देना है ।

प्रादेशिक चिकित्सा परिषद् (प्राविंशियल मेडिकल कौंसिल)—यह १९४२ मे सभी प्रान्तो मे स्थापित हुई । यह सम्बद्ध प्रान्त के चिकित्सको के नाम की पजी रखती है ।

भारतीय दत परिषद् (डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया)—१९४८ मे दत चिकित्सा अधिनियम बना । इसके अधीन १४ मई, १९४९ को परिपद् की स्थापना की गई । यह दत-चिकित्सको की सस्था है । इसकी स्थापना से दत-चिकित्सा के प्रशिक्षण का सारे देश मे एक प्रतिमान निर्धारित करना सम्भव हो गया हे । परिपद् ने भारतीय दत-चिकित्सा पजी १९६६ प्रकाशित की हे ।

अखिल भारतीय स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा—स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए प्रतिमान निर्धारित करने का कार्य इस परिपद् का है । यह विश्वविद्यालयो मे चिकित्सा शिक्षा का प्रतिमान स्थिर करती है ।

राष्ट्रीय पोषण मत्रणा समिति—अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सस्था (एफ० ए० ओ०) रोम की १९५७ की सिफारिश पर १९६० मे इस सस्था की स्थापना की गई ।

केन्द्रीय चिकित्सा-विधि सलाहकार समिति (दी सेंट्रल मेडीको-लीगल एडवाइजरी कमिटी)—चिकित्सा कानून के क्षेत्र मे सरकार को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई है । चिकित्सा क्षेत्र मे भारत मे आधुनिक तरीको और विधियो को कैसे चलाया जाय, यह बताना इस समिति का काम है ।

खाद्य में मिलावट

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (दी प्रीवेंशन आफ एडल्ट्रेशन एक्ट) १९५४ और इसके व्यवहार के लिए बनाये नियम सारे देश मे लागू हैं । अपराधी को इसके अधीन

दण्ड और निरोधक दण्ड देने का विधान है और मिलावट वाले दूषित खाद्य पदार्थ का आयात निर्यात और उसकी बिक्री इसके अधीन निषिद्ध है। कलकत्ता में इस उद्देश्य से केन्द्रीय खाद्य-मानक समिति और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

रोग नियन्त्रण

मलेरिया

१९५३ में सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम मलेरिया-उन्मूलन प्रारम्भ किया। अप्रैल १९५८ में इसे राष्ट्रीय मलेरिया-उन्मूलन कार्यक्रम में बदला गया।

इस समय इसके अन्तर्गत देश में ३९३.२५ एकक काम कर रहे हैं। इनमें से एक १९५४ में भूटान में है। प्रत्येक एकक के अन्तर्गत औसतन १२ लाख जनसंख्या है।

उन्मूलन कार्यक्रम की ३ अवस्थाएं हैं। प्रत्येक अवस्था के अन्तर्गत एककों की संख्या इस प्रकार है

	जनसंख्या (लाखों में)	एकक क्षेत्र
उपचार अवस्था (अटैक फेज़)	५१	४४.५८
उपचारोत्तरान्त अवस्था (कन्सोलिडेशन फेज़)	१४७	१२०.७४
देख रेख अवस्था (मेनटेनेन्स फेज़)	२६१	२२७.९६

सचारी रोग सस्थान मे है। दिल्ली क्षेत्रीय समन्वय सगठन तथा राज्य प्रशिक्षण केन्द्रो मे भी मलेरिया-विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है।

विदेशो से आये व्यक्तियो का प्रशिक्षण : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने जो प्रगति की है उसके फलस्वरूप पूर्व तथा पश्चिम दोनो ओर के अनेको दूसरे देशो के मलेरिया और जन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओ के लिए भारत एक प्रशिक्षण-स्थल वन गया है।

१९६७ मे विभिन्न देशो के ४२ व्यक्ति भारत मे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए आये। उन्हे विश्व स्वास्थ्य सगठन एव अमरीकी सहायता मिशन की ओर से भेजा गया था।

विशेष समिति

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति मे आई रुकावटो के कारणो का पुनरीक्षण करने और इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का मूल्याकन करने तथा उसे सुधारने के उपाय सुझाने के लिये भारत सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया हे। समिति ने उत्तर प्रदेश, असम तथा उडीसा का दौरा कर लिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

नेपाल तथा भारत मलेरिया उन्मूलन की गतिविधियो मे और अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के हेतु भारत-नेपाल सीमा मलेरिया-निरोधी समन्वय का चतुर्थ सम्मेलन काठमाडू (नेपाल) मे १३ से १५ सितम्वर १९६७ तक किया गया।

वर्मा, भारत-पाकिस्तान मलेरिया उन्मूलन समन्वय सम्मेलन २६ फरवरी से २८ फरवरी, १९६८ तक मेमी (वर्मा) मे किया गया।

फाइलेरिया

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियत्रण कार्यक्रम १९५५-५६ से चल रहा है। इसके दो भाग है रोगियो को दवाये देना और मच्छरो का विनाश करना। देश के विभिन्न भागो मे कुल ६५४ फाइलेरिया इकाइया और २२ सर्वेक्षण इकाइया है। अनुमान है कि १२ २० करोड व्यक्ति (१९५३ का अनुमान २ ५ करोड व्यक्ति) फाइलेरियावाले क्षेत्र मे रहते है।

कालीकट, राजमुन्द्री और व.राणसी मे फाइलेरिया प्रशिक्षण केन्द्र है। तीसरी योजना मे केरल, मध्यप्रदेश, आध्रप्रदेश, मैसूर और गोवा मे विशिष्ट फाइलेरिया केन्द्र खोले गए है। ग्राम फाइलेरिया नियत्रण के लिए गत वर्ष आध्र के रामावरम् मे अनुसधान सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई। एक ऐसा केन्द्र १९६६ मे म० प्र० सरकार ने तथा १९६७ मे उ० प्र० सरकार ने खोला।

कोलम्वो योजना के अन्तर्गत विदेशियो को भी फाइलेरिया का प्रशिक्षण दिया जाता है। १९६५ मे थाइलैंड के दो तकनीशियनो को दिया गया। अनुसधान कार्यो मे विदेशी वैज्ञानिको का भी सहयोग लिया जाता है, फरवरी-मार्च १९६५ मे ब्रिटेन के राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसधान के डा० पी० हाकिंग ने कार्य प्रारम्भ किया।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियत्रण कार्यक्रम एकको का पुनर्गठन केरल तथा अगतः आध्र प्रदेश मे हो गया, कार्यक्रम मे भाग लेने वाले अन्य राज्यो मे होना है। १९६७-६८ तक

नियंत्रण एककों की संख्या ७२४ हो गई है। तीन एकक नगरीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

तपेदिक या क्षय

तपेदिक या क्षय रोग के उन्मूलन और इसके नियंत्रण का कार्यक्रम चालू है। क्षय सर्वेक्षण का काम १९५८ में पूरा हो गया है। इस जांच से पता चला (१) विभिन्न क्षेत्रों में क्षय से प्रति हजार ७ से ३० व्यक्ति मरते हैं। (२) गांवों छोटे कस्बों और शहरों में क्षय रोग का प्रकोप कम नहीं है जैसी कि पहले कल्पना की जाती थी। (३) क्षय पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम होता है। (४) ४५ साल और इससे अधिक की आयु के वर्ग में यह रोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। (५) रोगाणु-जन्य रोगियों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में १ से ११ प्रति हजार है। अनुमान है कि देश में ६० ७० लाख क्षय रोग के रोगी (रेडियोलाजीकल टी० बी० के केस) हैं। इनमें से १५ १८ लाख स्पुटम पाजिटिव केस हैं।

बी० सी० जी० का टीका अभियान—१९४८ में बी० सी० जी० का टीका लगाना प्रारम्भ किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षय निरोधक अभियान का एक भाग था। बाद में इस काम में अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था और यूनीसेफ से मदद मिली। १९४९ से १९६७ तक २४ ३० करोड लोगों की परीक्षा की गई और १० ८२ करोड लोगों को टीका लगाया गया। २ वर्ष तक की आयु के १ ७० करोड व्यक्तियों को बिना जांच किए टीके लगाए गए इसमें ८ लाख नवजात शिशु भी सम्मिलित हैं।

बी० सी० जी० के दलों को जिला क्षय रोग केन्द्रों के साथ मिलाया गया है ताकि प्रत्येक जिले में सभी संदिग्ध रोगियों को नियमित तथा स्थायी रूप से बी० सी० जी० के टीके उपलब्ध होते रहें। अभी तक समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षय रोग केन्द्रों के साथ १२३ दल काम कर रहे हैं (कुल दलों की संख्या २१६ है)। ये दल घर घर जाकर टीका लगाने का काम कर रहे हैं। १९६८ ६९ में ३० नये दल बढ़ाने का विचार है।

१ ११ ६४ से ३१ १ ६५ तक ८६ ८० लाख व्यक्तियों की क्षय-परीक्षा की गई और ५४ ४ लाख व्यक्तियों को टीका लगाया गया।

क्षय अस्पताल एवं मदनापल्ले में क्षय के विषय में अनुसंधान किया जाता है आगरा अहमदाबाद अजमेर बंगलौर बम्बई कलकत्ता कटक हैदराबाद मद्रास नागपुर नई दिल्ली पटियाला पटना श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम इन पन्द्रह स्थानों में प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं।

यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बंगलौर में राष्ट्रीय क्षय संस्थान की स्थापना १९५९ में की गई। यह संस्था हर साल ७५ टीमों को प्रशिक्षित करती है तथा जिला क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कम-से कम एक सामाजिक क्षय क्लीनिक होनी चाहिए। १९६७ के अन्त में ५०२ क्लीनिक हैं फिर भी ७१ जिले ऐसे हैं जहां एक भी नहीं है। देश में १५ सेनीटोरियम (आरोग्य गृह) १६५ वार्ड और ३५० राज्य-संस्थायें क्षय रोगियों के लिए उपलब्ध थीं। रोग मुक्तों के पुनर्वासन के लिए १५ बस्तियां हैं। रोग-मुक्तों को पुन उसी स्थान पर भेजना जहां से वे हस्पताल में आए थे, समझदारी की बात नहीं है। अत उन्हें अलग बस्तियों में बसाने की योजना क्षय-उन्मूलन आन्दोलन का एक अंग है।

क्षयरोग रसायन चिकित्सा केन्द्र (टी० बी० केमोथेरापी सेंटर), मद्रास—यह विश्व स्वास्थ्य सगठन, ब्रिटिश चिकित्सा अनुसधान परिषद तथा मद्रास सरकार के सहयोग से चल रहा था। अब भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद् के अधीन स्थाई प्रतिष्ठान बन गया है। विभिन्न केन्द्रो मे रोग निरोधक दवाइयो की तुलनात्मक विभव की जाच की जाती है।

यह नियत्रित क्लीनिक अध्ययनो द्वारा छाती मे होते हुए क्षय रोग के इलाज की जानकारी तथा सस्ती विधियाँ ढूढता है। केन्द्र द्वारा किये परीक्षणो से सिद्ध हुआ है कि रोगियो का घर पर इलाज करने पर भी परिणाम उतना ही अच्छा होगा जितना कि सेनेटोरियम आदि मे करने पर।

मदनापल्ले क्षेत्र-अनुसधान एकक के कार्य से यह बात प्रकाश मे आई है कि बारह सालो के प्रयत्न से क्षय-रोगियो का पता लगाने, उनका इलाज करने और टीका लगाने से रोग का होना आधा हो गया है।

क्षय-नियत्रण के लिए तीसरी योजना मे देश मे ५ सचल एक्स-रे इकाइया स्थापित की गई। ये इकाइया आगरा, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और अजमेर के क्षय-प्रदर्शन व प्रशिक्षण केन्द्रो को दी गई।

राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बगलौर—क्षय रोग नियत्रण तथा क्षेत्र अनुसधान कार्य वाले दलो को प्रशिक्षण देने के मामले मे यह सस्थान एक प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र के रूप मे काम करता रहा।

इस वर्ष ८ फरवरी १९६७ से १८ सितम्बर १९६७ तक इस सस्थान मे तीन-तीन महीने की अवधि के दो नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये गये। इनके अन्तर्गत विभिन्न राज्यो के ४२ चिकित्सा अधिकारियो, ४६ आयोजको, ३९ एक्स-रे तकनीशियनो, ४६ प्रयोगशाला तकनीशियनो, २२ बी० सी० जी० दलो के नेताओ और ३८ साख्यिकी सहायको को प्रशिक्षण दिया गया।

क्षय-रोग निरोधी औषधिया—क्षय-रोग क्लीनिको को औषधिया सुलभता से प्राप्त कराने के लिये १९६३-६४ मे राज्यो ने एक योजना प्रारम्भ की। उसके अनुसार २२५ क्षय-रोग क्लीनिको को ये औषधिया मुफ्त मिलती है।

भारतीय क्षय-रोग सगठन—यह एक सार्वजनिक सगठन है। यह अपनी स्थापना के समय (१९३९) से क्षय-निरोधक कामो को वैज्ञानिक व समन्वित रूप मे आगे बढाने मे प्रवृत है। यह कर्मचारियो के सम्मेलन, राज्य क्षय सगठन सचिव सम्मेलन तथा तकनीकी समितियो व फोरमो का आयोजन करती है। सस्था प्रशिक्षण की सुविधायें भी देती है और क्षय-निरोधक उपायो का प्रदर्शन करती है। इस समय २० राज्यो मे इस सगठन की २८० शाखायें है।

कोढ़ :

१९६३ के सर्वेक्षण के अनुसार भारत मे कोढियो की अनुमानित संख्या २५ लाख है। विश्व के प्रत्येक ४ कोढियो मे से एक भारत का है—इनमे से २० प्रतिशत सक्रामक प्रकृति के रोगी हैं। देश के कुछ भागो मे प्रति हजार ४० व्यक्ति तक कोढी हैं। मद्रास और आध्र प्रदेश मे कोढ़ रोग की समस्या ज्यादा विकट है। बिहार, पश्चिमी बगाल, उड़ीसा, मैसूर, महाराष्ट्र

और पूर्वी उत्तर प्रदेश मे यह अपेक्षाकृत कम है। राजस्थान पजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा कश्मीर मे इस रोग का प्रकोप बहुत कम है।

१९५५ मे राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम आरभ किया गया। इसके अधीन जून १९६७ के अत तक देश म क्रमश १९२ और ८७२ कुष्ठ नियन्त्रण एकक और एस ई० टी० केन्द्र चल रहे थे। १९६७ ६८ मे कोई कुष्ठ एकक अथवा एस० ई० टी० केन्द्र नही खोला गया।

१९६७ ६८ म राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम म ३२ स्वयसेवी सगठन भाग ले रहे थे।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम द्वारा बाहर किया गया कार्य

१९६७ ६८ (जून १९६७ तक) म राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम की उपलब्धियां

१	कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये व्यक्तियो की सख्या	९ लाख
२	जाच किये गये व्यक्तियो की सख्या	१३ लाख
३	रिकार्ड किये गये कुल व्यक्तियो की सख्या	२६ ८२६
४	पजीकृत किये गये कुल नये रोगियो की सख्या	२५ ००७

राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम का जून १९६७ के अत तक का सारा विवरण इस प्रकार है —

१	कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये व्यक्ति	६ करोड ८८ लाख
२	शारीरिक जाच किये गये व्यक्ति	२ करोड ३१ लाख
३	पता लगाये गये रोगी	३ १९ ५६४
४	उपचार के लिए पजीकृत रोगी	६ २० २६८
५	रोगियो के सम्पर्क वाले स्वस्थ व्यक्ति	१६ ६४ ९६२

अखिल भारतीय कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र—यह नागपुर म है। २०८ चिकित्सा अधिकारियो को यहा अब तक प्रशिक्षित किया गया है। १९६७ ६८ वर्ष म ११ डाक्टरो को प्रशिक्षित किया गया।

केन्द्रीय कुष्ठ अध्ययन एव अनुसधान सस्थान चिंगलपेट मद्रास—इसकी गतिविधिया ये हैं १ अन्तरग व बहिरग रोगियो का स्थानिक उपचार २ रोग का विभिन्न पहलुओ म परीक्षण-अनुसधान कुष्ठ कर्मचारियो का प्रशिक्षण तथा ४ रोगियो के कल्याण कार्य।

सस्थान म सम्बद्ध आरोग्य आश्रम म १५ पलग है तथा इसके समीपस्थ बस्तियो म जीर्ण रोगियो के अस्पताल के लिए १० पलगो का एक भाग भी है। नागपुर और चिंगलपेट केन्द्रो म अब तक ४८६ डाक्टरो ने कुष्ठ निरोधी कार्य म प्रशिक्षण लिया है। इसके अतिरिक्त ८० म ६ ५८६ परामेडिकल कर्मचारी तथा ४८ नान मेडिकल सुपरवाइजर प्रशिक्षित हो चुके हैं।

[illegible] —इसकी स्थापना १९ [illegible] म की गई थी। यह स्वयसेवी सस्था [illegible] म कुष्ठ-निरोध कार्य कर रही है।

इस प्रकार की अन्य गैर-सरकारी सस्थाए है हिन्द कुष्ठ निवारण सघ, महारोगी सेवा मण्डल, रामकृष्ण मिशन और विदर्भ महारोगी सेवा मण्डल। महाराष्ट्र के चाँदा जिले मे वरोडा नामक स्थान पर कुष्ठ मुक्त व्यक्तियो को व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के लिये एक पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

रति-रोग या प्गुत-रोग .

सोलह साल पहले अनुमान लगाया गया था कि भारत मे सिफलिस (उपदश) से पाँच प्रतिशत लोग पीडित है। इसी प्रतिशत मे गनोरिया (सुजाक) से ग्रस्त लोग है। आध्र प्रदेश, उडीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलो मे 'घाव' (फफोला) रोग फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य सगठन ने १९४९ मे हिमाचल प्रदेश मे एक प्रदर्शन-मण्डली की स्थापना की थी। इसने विस्तृत सर्वेक्षण और सामूहिक उपचार कार्यक्रम चलाया तथा राज्यो द्वारा भेजी कई मण्डलियो को प्रशिक्षण दिया। अनुमान किया जाता हे कि यह बीमारी प्राप्त आकडो से भी अधिक व्यापक है।

देश मे २२० से अधिक रति रोग उपचारालय है। जनवरी से अक्तूबर, १९६४ के मध्य इन्होने ३०४३८३ रोगियो का इलाज किया। उपचारालय इलाज करने के साथ-साथ निरोधक कार्य भी करते है। तीसरी योजना मे नवम्बर, १९६५ तक २ हेड क्वार्टर्स क्लीनिक तथा ४० जिला क्लीनिक स्थापित की गई, १९६६-६७ मे क्रमश २ और १६ और खोली जाएगी। सितम्बर, १९५९ मे कुल्लू घाटी मे सारी आबादी को रति रोग से मुक्त करने का अभियान प्रारम्भ किया गया। फफोला-विरोधी दलो ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उडीसा मे जोखिम उठाकर बडी जनसख्या की सेवा की। उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रो और देहरादून जिले के जोनसार बावर इलाके मे रति-रोग नियत्रण कार्यक्रम जोरो पर है।

रति-रोग प्रशिक्षण-केन्द्र, सफदर जग अस्पताल, नई दिल्ली—यह मार्च, १९५४ से कार्यरत है। यहा रति-रोग की आधुनिकतम चिकित्सा तथा महामारी विज्ञान का प्रशिक्षण किया जाता है। अक्तूबर, १९६४ से दिल्ली विश्वविद्यालय मे रति-रोग विज्ञान का एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (डी० पी०) शुरु किया गया है। निम्न स्थानो मे औरियण्टेशन प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है (१) लेडी हार्डिंग स्वास्थ्य विद्यालय दिल्ली, (२) कालेज ऑफ नर्सिग, नई दिल्ली, (३) परिवार नियोजन केन्द्र तथा (४) भारत मे नैतिक एव सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान सघ के केन्द्र। रति-रोग विज्ञान सस्थान, मद्रास मे भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सगरोधन

यह केन्द्रीय विषय है। कलकत्ता, विशाखापत्तनम्, मद्रास, कोचीन, बम्बई और काडला के ६ प्रमुख बन्दरगाहो तथा बम्बई (सान्तागज), कलकत्ता (दमदम), मद्रास (मीनाम्बकम्), तिरुचिरापल्ली व दिल्ली (पालम) के ५ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो का सगरोधन-प्रशासन केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण मे हे। तिरुचिरापल्ली का हवाई अड्डा स्वास्थ्य सगठन जुलाई, १९६४ मे बन्द कर दिया गया था, अब जुलाई १९६५ से फिर चालू किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय यातायात वाले छोटे बदरगाहो पर भी भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम १९६५ लागू होते है। प्रशासन के अन्तर्गत विमान-अड्डो और बन्दरगाहो पर पर्यावरणिक सफाई व मच्छर व कुन्तक-प्राणी विरोधी उपाय की व्यवस्था है। नागरिको

इस समय स्थानिकमारी क्षेत्रों को आयोडीकृत नमक की पूर्ति करने के लिये दो आयोडीकरण एकक काम कर रहे हैं जिनमें एक साभर में तथा दूसरा कलकत्ता में है।

नमक के आयोडीकरण का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है तथा यह आयोडीकृत जनता को उसी दर पर बेचा जा रहा है जिस पर साधारण नमक बिक रहा है। १९६६ और १९६७ में साभर तथा कलकत्ता के आयोडीकरण संयन्त्रों से दिये गये आयोडीकृत नमक की मात्रा इस प्रकार है —

इन के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले ४ करोड व्यक्तियों में से केवल एक करोड ३३ लाख व्यक्तियों को साभर से तथा १४ लाख व्यक्तियों को कलकत्ता संयन्त्र आयोडीकृत नमक दिया जा रहा है।

१९६८ ६९ के लिये कार्यक्रम

इस कटिबंध में रहने वाली ४ करोड जनसंख्या की सारी माग को पूरा करने के लिए इस वर्ष के अंत तक ६ और छिड़काव की किस्म वाले संयन्त्रों के लगाये जाने की सम्भावना है। इनके अतिरिक्त साभर में एक संयन्त्र १९६७ से ही चालू हो गया है।

कैंसर

कैंसर चिकित्सा के दो प्रमुख अनुसंधान-केन्द्र हैं—चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता और कैंसर अनुसंधान संस्थान मद्रास।

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता इसका प्रबन्ध एक शासीनिकाय करता है जिसमें भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार तथा देशबन्धु स्मारक न्यास के प्रतिनिधि होते हैं। इसकी अर्थ-व्यवस्था का सारा भार स्वास्थ्य मंत्रालय पर है। यह केन्द्र कैंसर और मर्ज अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-सुविधाओं की व्यवस्था करता है। इस केन्द्र का आठ मंजिला विशाल अनुसंधान भवन १९६७ ६८ में पूरा हो चुका है। कलकत्ता से २८ मील दूर चन्दननगर में अनुसंधान का क्षेत्रीय केन्द्र चालू किया गया।

कैंसर अनुसंधान संस्थान मद्रास इसकी स्थापना १९५४ में भारतीय महिला संघ ने की। १९५७ ५८ से भारत सरकार इसके अनुसंधान अनुभाग को अनुदान देती है। अब यह देश में कैंसर चिकित्सा और अनुसंधान का एक मुख्य केन्द्र बन गया है।

एम० पी० शाह कैंसर अस्पताल अहमदाबाद इसकी स्थापना गुजरात कैंसर सोसाइटी गुजरात सरकार और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से की गई है।

प्रादेशिक कैंसर केन्द्र टाटा स्मारक कैंसर अस्पताल बम्बई कैंसर संस्थान मद्रास कैंसर अस्पताल कलकत्ता और एम० पी० शाह कैंसर अस्पताल अहमदाबाद प्रादेशिक कैंसर अस्पताल हैं।

दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल में ५ कैंसर की चिकित्सा की व्यवस्था है।

इसके अलावा मेडिकल कालेज बंगलौर तथा दिल्ली हैदराबाद कटक बंगलौर पटना पांडिचेरी जयपुर और कानपुर के १७ अस्पतालों में कैंसर सुविधाएं उपलब्ध हैं।

१९६५-६६ मे भी उपरोक्त ३ इकाइयो की प्राप्ति के लिए कनाडा सरकार ने मोटे तौर पर २,५०,००० डालर देना स्वीकार कर लिया है।

मानसिक स्वास्थ्य

१. **अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बंगलोर**—यह सस्थान शिक्षण और अनुसधान का स्नातकोत्तर सस्थान है। इसमे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा डिप्लोमा (डी० पी० एम०) चिकित्सा एव सामाजिक मनोविज्ञान डिप्लोमा (डी० एम० एण्ड एस० पी०), मनोविज्ञान उपचर्या डिप्लोमा (डी० पी० एन०) के अतिरिक्त मनोविज्ञान चिकित्सा मे एम० डी० तथा नैदानिक मनोविज्ञान मे पी० एच० डी० पाठ्यक्रमो का सचालन कर रहा है।

इस सस्थान के अन्तर्गत मानसिक चिकित्सा अस्पताल कार्य कर रहा है।

२. **मानसिक रोग चिकित्सालय राँची**—इस अस्पताल मे चिकित्सा के आधुनिकतम साधन है।

इस चिकित्सालय के अन्तर्गत काँके से तीन मील दूर बसे एक गाँव बोरिया मे ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया गया है। चिकित्सालय के अन्तर्गत जीर्ण रोगियो के लिए १०० पलगो वाला एक पुनर्वास केन्द्र २४ अप्रैल १९६७ से चालू किया गया है।

इस चिकित्सालय के अन्तर्गत डी० पी० एम० तथा डी० एम० एण्ड एस० पी० पाठ्यक्रम चालू है। १९६८-६९ मे मनोविज्ञान मे पी० एच० डी० तथा मनोविकार सामाजिक कार्य मे डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षण कोर्सो को राँची विश्वविद्यालय के सरक्षण मे प्रारभ करने की मजूरी दे दी गई है। यहा मनोविकार विज्ञान मे एम० डी० भी इस वर्ष प्रारभ होने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का विशेषज्ञ विभाग—इस योजना के अधीन सफदरजग अस्पताल तथा विलिङ्गडन अस्पताल नई दिल्ली मे मनोविकार विज्ञान योजनाए चल रही है।

चिकित्सा की शिक्षा और प्रशिक्षण

शिक्षा सुविधा एवं प्रशिक्षित शक्ति

वर्ष	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	लक्ष्य १९७०-७१
मेडिकल कालेज	३०	४२	५७	८७	८९	९१	९४	११२
वार्षिक प्रवेश	२ ५००	३ ५००	५ ८००	१० ४२०	११ ०७९	११ २००	—	१३ १२५
दन्त कालेज	४	७	१०	१३	१४	१५	—	१६
वार्षिक प्रवेश	१५०	२३१	२८१	५०६	५५०	५९५	—	१०००
डॉक्टर	५६ ० ०	६ ५००	७० ०००	८६ ०००	९० ० ०	९६ ०००	१ ०२ ५२०	१ ३१ ०००
नर्स	१५ ०००	१८ ५००	२७ ०००	४५ ०००	५० ०००	५५ ०००	६१,०००	९८ ०००
सहायक नर्स धात्रियां तथा धात्रियां	८ ०००	१२ ७८०	१९ ९००	६ ०००	४१ ० ०	४८ ०००	५६ ०००	९५ ०००

नये मेडिकल कालेजो की स्थापना और मौजूदा कालेजो के विस्तार की योजना को तीसरी योजना मे केन्द्र से सहायता-प्राप्त योजना के रूप मे शामिल किया गया।

इसके अतर्गत राज्यो को केन्द्र से ७५ प्रतिशत अनावर्ती तथा ५० प्रतिशत आवर्त सहायता मिलती है।

डाक्टरो की माग की पूर्ति के लिए प्रवेश-सख्या मे वृद्धि की भी एक केन्द्र-अनुमोदित योजना है। इसके अतर्गत भी केन्द्रीय सरकार आवर्ती व अनावर्ती सहायता देती है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र पाच क्षेत्रीय मेडिकल कालेजो की स्थापना की योजना स्वीकार कर चुका है।

सकट कालीन योजना के अतर्गत मेडिकल कालेजो मे अतिरिक्त प्रवेश देने की व्यवस्था है। इस सकटकालीन योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल २,२८८ प्रवेश दिए गए है।

सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो नवम्बर १९५६ मे इस ब्यूरो की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य देश भर मे डाक्टरी शिक्षा मे एक सूत्रता लाना और उसको बढाना है। यह 'स्वास्थ्य हिन्द' नाम से एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करता है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इजीनियरिंग आरगनाइजेशन के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। अधिकाश राज्यो मे स्टेट हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो स्थापित है।

आयुर्वेद

देश मे आयुर्वेद की शिक्षा देनेवाली १०० से अधिक सस्थाये है जिनको किसी न किसी रूप मे सरकारी मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेदिक महाविद्यालय देश भर मे फैले हुए है। इनमे से कुछ महाविद्यालय राज्य सरकारो द्वारा सचालित है।

केन्द्रीय शुद्धायुर्वेद शिक्षा मण्डल का मुख्यालय दिल्ली मे है। इस मण्डल ने आयुर्वेदीय शिक्षा की सशोधित पाठ्यचर्या तथा पाठ्य विवरण प्रकाशित किया है।

बम्बई, कलकत्ता, लुधियाना, मद्रास, वेल्लौर, नई दिल्ली, हैदराबाद, कटक, बगलौर, पटना, पाडिचेरी, जयपुर और कानपुर के १७ अस्पतालो मे कैंसर यूनिट उपलब्ध हैं।

होमियोपैथी—होमियोपैथी की शिक्षा देने वाली तीस सस्थाये है। इनमे से कुछ को राज्य परिषद् की मान्यता प्राप्त है तथा कुछ को वर्ग बढाने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। होमियोपैथी की चिकित्सा को नियम-बद्ध करने के लिए राज्यो ने परिषद बना लिए है। होमियोपैथिक फार्माकोमिया कमिटी ने एक प्रश्नावली प्रचारित की है।

स्वास्थ्य निरीक्षक—इनके प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारो को केन्द्रीय सहायता मिलती है। प्रशिक्षण योजना १९५४-५५ से प्रारम्भ हुई। तीसरी योजना के अन्त तक लगभग ४,३७० स्वास्थ्य-निरीक्षको ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया। चौथी योजना मे भी २,००० स्वास्थ्य-निरीक्षको को प्रशिक्षित करने का विचार है।

दाइयो का प्रशिक्षण—दाइयो को प्रसूतिदोष (अमेप्मिम) चिकित्सा की आधुनिक तकनीको का प्रशिक्षण देने के लिए एक छमाही पाठ्यक्रम राज्यो मे चलता है। इसमे केन्द्र

आर्थिक सहायता करता है। चौथी योजना म २८०००० दाइया के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। तीसरी योजना के अन्त म ३०००० दाइया प्रशिक्षित हो चुकी हैं।

देश क सब बडे अस्पताला म नर्सो को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बम्बई हैदराबाद नई दिल्ली इन्दौर और बगलोर म नर्सिग कालेज हैं।

अनुसधान व प्रशिक्षण की विभिन्न सस्थाए

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान-सस्थान नई दिल्ली—इसकी स्थापना ससद के १९५६ की अधिनियम सख्या २५ के अन्तगत हुई। यह स्वायत्तशासी सस्था है। यह एक अधि स्नातक मेडिकल कालेज चलाती है। तथा देश म चिकित्सा शिक्षा के ऊच स्तर का मापदड रखती है। इसका एक अस्पताल और पुस्तकालय है। यह सस्थान विश्व के इस भूभाग म चिकित्सा विज्ञान शिक्षा एव अनुसधान का एक प्रमुखतम केन्द्र है। १९६७ ६८ म इस सस्थान को सहायानुदान देने के लिए १ करोड ६१ लाख ५१ हजार रुपय की व्यवस्था की गई।

कालेज आफ नर्सिग नई दिल्ली—यह दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। यहा मास्टर आफ नर्सिग बी० एस-सी (आनस) सिस्टर कोस सिस्टर टयूटर कोस धात्री टयूटर कोस और उपचर्या प्रशासन के पाठयक्रमा की शिक्षा दी जाती है।

लेडी हार्डिंग कालेज एण्ड हास्पिटल, नई दिल्ली—भारत मे छात्राओ के लिए यह एक पुराना और प्रसिद्ध डाक्टरी कालेज है।

कलावती सरण बाल चिकित्सालय नई दिल्ली लेडी हार्डिंग मडिकल कालेज की उप स्नातका को यहा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करन का अवसर दिया जाता है। छोटे बच्चो का भी यहा इलाज होता है।

लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय तथा रामचन्द लोहिया शिशु कल्याण केन्द्र (दिल्ली) इस स्कूल म दो पाठ्यक्रम चलत हैं।

भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरापी) विद्यालय व प्रशिक्षण केन्द्र, बम्बई—भारत सरकार ने अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य सगठन के सहयोग से के० ई० एम अस्पताल बम्बई म इसकी स्थापना की।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (दिल्ली योजना) इसक अन्तगत दिल्ली के अस्पतालो म स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के चुने छात्रा को छात्रवृत्ति दी जाती है। चुनाव भारत सरकार की एक केन्द्रीय चयन समिति करती है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान सस्थान नई दिल्ली अपने लिए नियत छात्रवृत्तिया के लिए छात्रा का चयन स्वय करता है। अस्पतालो म अध्य यन करन वाल ७७ छात्रा को छात्रवृत्तिया मिलती हैं।

अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना के अन्तगत ३०० छात्रवृत्तिया हैं। यह योजना सारे देश के छात्रा क लिए है। उम्मीदवारा का चयन साल म दो बार भारत सरकार की चयन समिति करती है।

जन्म जीवन मरण एव स्वास्थ्य सांख्यिकीय इकाई नागपुर १९५७ म इस प्रारभ किया गया। जन्म मरण व स्वास्थ्य सांख्यिकी चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रशासन के तीन

पाठ्यक्रम प्रति वर्ष चलते है। इनकी अवधि क्रमश १०, १२ और २ सप्ताह की है। इनमे केवल स्वास्थ्य विभागो के कर्मचारी तथा राज्य सरकारो, अतर्राष्ट्रीय एजेंसियो, नगर पालिकाओ तथा नगर निगमो द्वारा भेजे गये व सांख्यिकी कार्य मे लगे व्यक्तियो को ही भर्ती किया जाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा-सहायता

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना :

पहले यह अशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के नाम से जानी जाती थी। १ जुलाई, १९५४ से यह प्रारभ हुई। पहले यह दिल्ली तथा नई दिल्ली मे रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के लिए ही थी। पर नवम्बर १९६३ से बम्बई मे भी यह लागू की गई। योजना के अन्तर्गत कुछ स्वायतशासी, ४ अर्धसरकारी सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सरकार के पैशनयाफ्ता कर्मचारी तथा दिल्ली के चुने हुए इलाको मे बसे लोग आते है। इसका लाभ ससत्सदस्यो को भी उपलब्ध है।

योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ मे दो और अर्ध सरकारी सस्थाए लाई गई, अब इनकी कुल सख्या ७८ है जिनमे १२,३११ परिवार है। दिल्ली और नई दिल्ली मे रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पैशनयाफ्ता कर्मचारियो को १ जनवरी १९६५ से योजना के लाभ उपलब्ध कराये गये है। १९६७-६८ के प्रारम्भ मे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राही परिवारो की सख्या दिल्ली मे १४५,३७० थी।

योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए विशेपज्ञ सेवाओ का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसके अनुसार, स्वय विशेपज्ञ औपधालयो मे जाकर रोगियो को परामर्श देते है। चिकित्सा तथा चर्म-रोग विशेपज्ञो की सेवाए काफी बडे पैमाने पर विकेन्द्रित की गई है। इस समय ८ विशेपज्ञ काम कर रहे है।

प्रयोगशाला परीक्षणो की सुविधा के विस्तार के लिए २० औपधालयो मे क्लीनिकल प्रयोगशालाए खोलने की योजना मे से १६ प्रयोगशालाए स्थापित की जा चुकी है।

आर्थिक सहायता करता है। चौथी योजना म २ ८० ००० दाइया के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। तीसरी योजना के अन्त म ५० ००० दाइया प्रशिक्षित हो चुकी हैं।

देश के सब बडे अस्पताला म नर्सों का प्रशिक्षण देन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बम्बई हैदराबाद नई दिल्ली इन्दौर और वलोर म नर्सिंग कालेज हैं।

अनुसधान व पशिक्षण की विभिन्न सस्थाए

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान-सस्थान नई दिल्ली—इसकी स्थापना ससद के १९५६ की अधिनियम सख्या २५ के अन्तगत हुई। यह स्वायत्तशासी सस्था है। यह एक अधि स्नातक मेडिकल कालेज चलाती है। तथा देश म चिकित्सा शिक्षा क ऊचे स्तर का मापदड रखती है। इसका एक अस्पताल और पुस्तकालय है। यह सस्थान विश्व के इस भूभाग मे चिकित्सा विज्ञान शिक्षा एव अनुसधान का एक प्रमुखतम केन्द्र है। १९६७ ६८ म इस सस्थान को सहायानुदान देने के लिए १ करोड ६१ लाख ५१ हजार रुपये की व्यवस्था की गई।

कालेज आफ नर्सिंग नई दिल्ली—यह दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। यहा मास्टर आफ नर्सिंग बी० एस-सी० (आनर्स) सिस्टर कोर्स, सिस्टर ट्यूटर कोर्स धात्री ट्यूटर कोर्स और उपचर्या प्रशासन के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है।

लेडी हार्डिंग कालेज एण्ड हास्पिटल नई दिल्ली—भारत म छात्राओं के लिए यह एक पुराना और प्रसिद्ध डाक्टरी कालेज है।

कलावती सरण बाल चिकित्सालय नई दिल्ली लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज की उप स्नातको को यहा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। छोटे बच्चो का भी यहा इलाज होता है।

लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय तथा रामचन्द्र लोहिया शिशु कल्याण केन्द्र (दिल्ली) इस स्कूल म दो पाठ्यक्रम चलते हैं।

भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरापी) विद्यालय व प्रशिक्षण केन्द्र, बम्बई—भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सगठन के सहयोग से के० ई० एम० अस्पताल बम्बई म इसकी स्थापना की।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (दिल्ली योजना) इसके अन्तगत दिल्ली के अस्पताला म स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के चुने छात्रा को छात्रवृत्ति दी जाती है। चुनाव भारत सरकार की एक केन्द्रीय चयन समिति करती है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान सस्थान नई दिल्ली अपने लिए नियत छात्रवृत्तिया के लिए छात्रा का चयन स्वय करता है। अस्पताला म अध्य यन करन वाल ७३ छात्रा को छात्रवृत्तिया मिलती हैं।

अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना के अन्तगत ३०० छात्रवृत्तिया हैं। यह योजना सारे देश के छात्रा के लिए है। उम्मीदवारा का चयन साल म दो बार भारत सरकार की चयन समिति करती है।

आन्ध्र जीवन मरण एव स्वास्थ्य सांख्यिकीय इकाई नागपुर १९५७ म इस प्रारम्भ किया गया। इसम सामान्य स्वास्थ्य सांख्यिकी चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रदान के तीन

पाठ्यक्रम प्रति वर्ष चलते है। इनकी अवधि क्रमश १०, १२ और २ सप्ताह की है। इनमे केवल स्वास्थ्य विभागो के कर्मचारी तथा राज्य सरकारो, अतर्राष्ट्रीय एजेंसियो, नगर पालिकाओ तथा नगर निगमो द्वारा भेजे गये व साँख्यिकी कार्य मे लगे व्यक्तियो को ही भर्ती किया जाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा-सहायता

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना :

पहले यह अशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के नाम से जानी जाती थी। १ जुलाई, १९५४ से यह प्रारभ हुई। पहले यह दिल्ली तथा नई दिल्ली मे रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के लिए ही थी। पर नवम्बर १९६३ से बम्बई मे भी यह लागू की गई। योजना के अन्तर्गत कुछ स्वायतशासी, ४ अर्धसरकारी सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सरकार के पैंशनयाफ्ता कर्मचारी तथा दिल्ली के चुने हुए इलाको मे बसे लोग आते है। इसका लाभ ससतसदस्यो को भी उपलब्ध है।

योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ मे दो और अर्ध सरकारी सस्थाए लाई गईं, अब इनकी कुल सख्या ७८ है जिनमे १२,३११ परिवार है। दिल्ली और नई दिल्ली मे रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पैशनयापता कर्मचारियो को १ जनवरी १९६५ से योजना के लाभ उपलब्ध कराये गये है। १९६७-६८ के प्रारम्भ मे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राही परिवारो की सख्या दिल्ली मे १,४५,३७० थी।

योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए विशेषज्ञ सेवाओ का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसके अनुसार, स्वय विशेषज्ञ औषधालयो मे जाकर रोगियो को परामर्श देते है। चिकित्सा तथा चर्म-रोग विशेषज्ञो की सेवाए काफी बडे पैमाने पर विकेन्द्रित की गई है। इस समय ८ विशेषज्ञ काम कर रहे है।

प्रयोगशाला परीक्षणो की सुविधा के विस्तार के लिए २० औषधालयो मे क्लीनिकल प्रयोगशालाए खोलने की योजना मे से १६ प्रयोगशालाए स्थापित की जा चुकी है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ये छात्रवृत्तियां हैं—

पाठ्यक्रम का नाम	छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष	मासिक छात्र-वृत्तियों की रकम (रुपयों में)
स्नातकोत्तर (चिकित्सा) दल सहित	१०	२ ०
बी०एस०सी० नर्सिंग	८	७५
उपस्नातक (चिकित्सा)	७१	७५
जन स्वास्थ्य नर्सिंग	२	१ ०

एक मन्त्रणा समिति भारत सरकार को उपरोक्त मामलों में सलाह देती है।

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी—यह सेवा के विभिन्न कार्य करती है। हाल के संकट काल में इसने बीमार व घायल जवानों के लिए रक्त दिया तथा बहुत से व्यक्तियों को आधुनिक चिकित्सा तथा उपचर्या का प्रशिक्षण दिया। युद्ध के अग्रिम मोर्चों पर उपहार कारगल व १ लाख रुपये के मूल्य की मिठाइयां भेजी।

१९६७ ६८ में सोसायटी को इसके सामान्य कार्यों के लिये सरकार ने दो लाख रुपयों का अनुदान दिया।

सेंट जान एम्बुलेंस (भारत)—इसे १९६७ ६८ में १० ००० रुपये का अनुदान दिया गया।

रक्त अधिकोष तथा स्वैच्छा रक्तदान सेवा—स्वेच्छा रक्तदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये मद्रास गुजरात पंजाब और पश्चिम बंगाल में स्वेच्छा रक्तदान सेवाएं प्रारम्भ की गई। रक्त अधिकोष प्रविधि के कर्मचारियों की सारी कमी को पूरा करने के लिये एक अक्टूबर १९६७ तक सेंट जार्ज अस्पताल बम्बई में लगभग ३६ डाक्टरों तथा ११२ तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया गया।

अहमदाबाद मद्रास तथा चण्डीगढ़ में इंगलैंड से मंगाये फ्रीज ड्राइंग प्लाजमा प्लांट लगाए गए। परमाणु ऊर्जा आयोग से आन्ध्र उड़ीसा असम मैसूर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए फ्रीज ड्राई प्लाज्मा एक एक तैयार किए जा रहे हैं। मद्रास और अहमदाबाद में प्लांट भी काम करने लगे। अब इन प्लांटों का निर्माण भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। ६ प्लांट तैयार किये जाएंगे। पहली यूनिट के मार्च १९६९ में लगने की सम्भावना थी।

कार्निया ग्राफ्टिंग तथा अन्य अधिकोष—केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की १९५८ की सिफारिश पर कार्निया ग्राफ्टिंग के विधान (तत्सम्बन्धी) ११ राज्यों तथा २ संघीय प्रदेशों में हैं—जो ये हैं— आन्ध्र प्रदेश बिहार गुजरात केरल मध्य प्रदेश मद्रास महाराष्ट्र उड़ीसा पंजाब उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। लगभग ४ लाख व्यक्तियों को कार्निया ग्राफ्टिंग कराने की आवश्यकता है तथा लगभग ३०० व्यक्तियों ने [illegible] पंजीकरण कराया है।

भारत की उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

		१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	लक्ष्य १९७०-७१
अस्पताल व डिस्पेन्सरी		८,६०००	१०,०००	१२,६००	१४,६००	—	—	—
अस्पताल शैय्याए		१,१३,००	१,२५,०००	१,८५,०००	२,४०,१००	२,४४,७००	२,५०,२००	३,००,१००
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		—	७२५	२,८००	४,६३० ÷+२९०	४,७९३ *+२९०	४,९२६ *+२९०	५,३०३
जिला क्षय अस्पताल	कुल	—	—	२२०	४२५	—	—	—
	सुसज्जित	—	—	—	१४५	—	—	३४५
कुष्ट—१ नियन्त्रण इकाइया		—	—	१३५	२००	—	—	३००
२ सर्वेक्षण शिक्षा व उपभार केन्द्र		—	—	—	४७५	—	—	२,४७५
३ गैर चिकित्सा सहायको के लिए प्रशिक्षण केन्द्र		—	—	—	८	—	—	१४
रति रोग								
१. जिला औषधालय		—	—	८३	१०१	—	—	१२
२ मुख्य कार्यालय औषधालय		—	—	—	६	—	—	—
३ चलते फिरते रति रोग दल		—	—	उपलब्ध नही	—	—	—	४
प्रसूति गृह और शिशु कल्याण केन्द्र		१,६५१	१,८५६	५,८७३	१०,०००	—	—	—

* यह सख्या राज्य पैटर्न प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र की है।

टिप्पणी—३१ मार्च १९६८ को देश मे ६०५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टर के थे।

क्षय प्रदर्शन एव प्रशिक्षण केन्द्र—यहा क्षय सम्बन्धी प्रशिक्षण व प्रदर्शन होते हैं।

राष्ट्रीय सचारी रोग सस्थान, दिल्ली—भारतीय मलेरिया सस्थान ही १६६२ म इस सस्थान म परिवर्तित हो गया। यहा महामारी शास्त्र जीव रसायन जुनोसिस कीट शास्त्र तथा अणजीव शास्त्र का प्रशिक्षण प्रदर्शन व अनुसधान होते हैं।

वल्लभ भाई पटेल वक्ष रोग सस्थान दिल्ली—हृदय रोगो क अनुसधान के लिए ही इसकी स्थापना की गइ है। इस विषय म यह डाक्टरो को प्रशिक्षण भी देता है। यहा क्षय तथा वक्ष रोगो के स्नातकोत्तर डिप्लोमा चिकित्सा प्रयोगशाला प्रोद्योगिकी के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम की शिक्षा व अनुसधान होते है।

भारत सरकार क सीरम विशेषज्ञ तथा रसायन परीक्षण का विभाग कलकत्ता—यह सस्था खून थूक आदि की परीक्षा करती है। कथित अपराधियो के अपराधो की जाच के लिए आवश्यक रक्त परीक्षा आदि यहा की जाती है। इसके कार्यों म चिकित्सा-कानूनी विश्लेषण तथा कनीनिकी परीक्षण है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एव शिक्षा सस्थान—इसकी स्थापना २४ सितम्बर १६६४ को की गई। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। ५ वष के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान से इस राष्ट्रीय परिवार नियोजन सस्थान के लिए १२४६००० डालर का अनुदान मिला है। इस राशि म स ६८३०० र इस सस्थान के लिए हैं। प्रतिष्ठान के ४ परामर्शदाता यहा काम कर रहे हैं। यहा २ स्टाफ कालेज कोस तथा ७ पुनश्चर्या पाठयक्रम (दोनो १६६५ म प्रारम्भ) तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सवा के नये कमचारियो के लिए अल्पकालीन पुनश्चर्या पाठयक्रम आयोजित किए गए हैं।

केन्द्रीय परिवार नियोजन सस्थान नई दिल्ली—इसकी स्थापना १६६६ म की गइ। यह विभिन्न दशा म परिवार नियोजन अभियान सबधी ज्ञान का प्रसार करता है।

अखिल भारतीय वाक चिकित्सा सस्थान मसूर—यह ६ अगस्त १६६५ स शुरू किया गया। यहा वाक चिकित्सा का प्रशिक्षण व रोगियो का उपचार होता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन सगठन

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन सगठन माच १६६६ स स्वास्थ्य सवाओ के महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप म काय कर रहा है। यह राज्य स्वास्थ्य परिवहन सगठनो की गतिविधियो म तालमेल बिठाना और उनका मार्गदर्शन करता है तथा राज्यो को देने के लिए स्वास्थ्य गाडियो क फालतू पुर्जों क भण्डार रखता है।

हैफिन अनुसधान सस्थान पोलियो अनुसधान एकक बम्बई

पोलियो वक्सीन क उत्पादन तथा परीक्षण की प्रयोगशालाओ क निर्माण काय का प्रथम चरण १६६७ क मध्य म पूरा हो गया। य प्रयोगशालाए अपना काय करन लग गइ हैं और अब इनम पास्टर सस्थान कुनूर स प्राप्त हो रह विषाणु-तरलो क बचा का परीक्षण भी होन लगा है।

मेडिकल कॉलेज

एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा देने वाले मेडिकल कालेजों के नाम प्रदेशवार इस प्रकार है :

प्रदेश	स्थान (मेडिकल)	स्थान (उन्नत)
आन्ध्र	विशाखापत्तनम्, गन्टूर, कूरनूल, काकीनाड, नारगल, तिरुपति, हैदराबाद, (२ गाधी व उस्मानिया)।	हैदराबाद
असम	डिब्रूगढ, गोहाटी, सिलचर।	—
बिहार	पटना, दरभगा, राँची, जमशेदपुर।	पटना
गुजरात	अहमदाबाद (२ बी० जे० व म्युनिस्पल), बडौदा, जामनगर, सूरत।	अहमदाबाद
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर।	—
केरल	त्रिवेन्द्रम, कोट्टयाग, अल्लेपी, कालीकट।	त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल, रीवाँ, रामपुर।	इन्दौर
मद्रास	मद्रास, (२—मेडिकल, स्टेनलेमेडिकल) वेल्लोर, मदुराई, किलपाक।	मद्रास
महाराष्ट्र	बम्बई, (३—ग्रान्ट, जी० एस०, टी० एन०) पूना (२—बी० आई०, आर्मड फोर्सेज), औरगाबाद, मिरज, शोलापुर, नागपुर (२)।	बम्बई (२—नागर हास्पीटल, सी० ई० एम०)
मैसूर	मणिपाल, (मगलौर), बगलौर, हुबली, गुलबर्ग, बेलगाव, कोयम्बटूर।	बगलौर, मणिपाल (मगलौर)
उडीसा	कटक, बुढिया (सम्बलपुर) बरहामपुर।	—
पजाब	अमृतसर, पटियाला, रोहतक, लुधियाना (२—क्रिश्चियन, दयानन्द)।	अमृतसर, पटियाला
राजस्थान	जयपुर, उदयपुर।	—
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी (२—कालेज ऑफ मेडिकल साइन्स व हिन्दू विश्वविद्यालय) इलाहाबाद, अलीगढ, मेरठ (२)	लखनऊ
प० बगाल	कलकत्ता (४—मेडिकल, आर० जी० कार, नेशनल इस्टीच्यूट, नीलरतन सरकार), बाकुडा।	कलकत्ता
दिल्ली	नई दिल्ली (३—लेडी हार्डिंग, ए० आई० आई० एम० एस-सी, मौलाना आजाद।)	—
गोवा	गोवा	—
पाडिचेरी	पाडिचेरी	—
हिमाचल प्रदेश	शिमला	—

जा सकी है। मृत्युदर १९२१ म ४८ ६ प्रति हजार स घट कर अब मात्र १६ प्रति हजार रह गई है।

जन्मदर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है लेकिन मृत्युदर म नाए स्वास्थ्य सुविधाओ और सचारी रोगो के नियन्त्रण म हुई प्रगति के फलस्वरूप तीव्र कमी आ गई है जिससे दोनो दरो के बीच का अन्तर बढ गया है और जनसख्या की वृद्धि की दर म भी तीव्र बढोत्तरी हो गई है जो आजकल २ ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

जनसख्या म वृद्धि की दर को १ ८ प्रतिशत प्रतिवर्ष तक लाने के उद्देश्य से यह अनिवार्य माना गया है कि जन्म दर को यथाशीघ्र ४१ प्रति हजार स २५ प्रति हजार तक कम किया जाए।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

दो या तीन बच्चो वाले छोटे परिवार के आदर्श को स्वीकारने तथा परिवार नियोजन को एक जीवन के अग के रूप म अपनाने के लिए जनता को प्रेरणा देना साधन सेवाओ और सप्लाई का सगठन और विस्तार जिनम गर्भनिरोधक लूप और नसबन्दी की सुविधाए शामिल है कार्यकर्ताओ का प्रशिक्षण विभिन्न स्तरो पर परिवार नियोजन सगठनो को मजबूत और समर्थित करना और अनुसन्धान तथा मूल्याकन के कार्यक्रमो को चलाना।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य जहा परिवार के आकार को कम करना है वहा मा और उसके बच्चो की अच्छी देख भाल स्वास्थ्य और सुख के लिए भी प्रयत्न करना है। इसलिए मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओ को परिवार नियोजन के सभी स्तरो पर उपलब्ध सेवाओ का एक अभिन्न अग बना दिया गया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की व्यय सारिणी (लाख रुपयो मे)

प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	१९६६ ६७	अनुमानित १९६७ ६८	प्रस्तावित १९६८ ६९	प्रस्तावित चतुर्थ योजना
१४ /१	२१५ /८	२४८८ ६५	१३६६ ४४	—	३९ ६	२२६.१ ०

परिवार नियोजन सगठन

१९६६ म देश म परिवार नियोजन का एक अलग विभाग खोला गया। राज्यो म सगठन स्थिति इस प्रकार से है—

१ राज्य परिवार नियोजन कार्यालय

२ जिला परिवार नियोजन कार्यालय (प्रत्येक जिले म)

३ ५ ० की आबादी पर एक नगर परिवार कल्याण नियोजन के ■ अथवा शहरी कार्यालय।

४ प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र म एक मुख्य ग्राम परिवार नियोजन केन्द्र।

५ १ हजार ग्रामीण आबादी पर एक उपकेन्द्र।

परिवार नियोजन पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए सितम्बर १९५६ म स्थापित केन्द्रीय परिवार नियोजन विभाग का पुनर्गठन कर उसे केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् बना दिया गया है। परिषद् ने कार्यक्रम की सफलता के उपाय सुझाने के लिए एक विशेष समिति बनाई है।

राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति

(१) परिवार नियोजन केन्द्र

क्रम सख्या	राज्य/सघ क्षेत्र	नगरीय केन्द्र		ग्रामीण मुख्य केन्द्र		ग्रामीण उप-केन्द्र		परिवार नियोजन का कार्य कर रही अन्य मेडिकल सस्थाए	
		अपेक्षित (क)	कार्य कर रहे	अपेक्षित (ख)	कार्य कर रहे	अपेक्षित	कार्य कर रहे	नगरीय	ग्रामीण
	योग	१,८५४	१,६५१	५,४८०	५,१३१	४२,१३९	१७,६१७	१,३८६	७,४८९

(क) प्रति ५०,००० नगरीय आवादी के लिए एक के आधार पर।

(ख) प्रति खण्ड एक।

(ग) प्रति १०,००० ग्रामीण आवादी के लिए एक के आधार पर।

शिक्षा व प्रशिक्षण—नई दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में भारत सरकार ने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इनमें राज्यों के परिवार नियोजन शिक्षक तथा ग्राम स्तर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्यों में एक करोड़ आबादी के पीछे एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का लक्ष्य हो रहा है। राज्यों में प्रशिक्षण दो प्रकार का है नियमित तथा आपत्कालीन। इन दोनों में अब तक १ २४ २० व्यक्तियों को तैयार किया गया। इनमें १ ७८३ डाक्टर तथा शेष सहायक कर्मचारी हैं जिनकी विभिन्न श्रेणी संख्या इस प्रकार से है —

श्रेणियाँ	कुल संख्या चाहिए
(क) डाक्टर	१० ७८३
(ख) विस्तार शिक्षक (जी [illegible] नगर और ग्राम शिक्षक)	९ ९१७
(ग) नर्स धात्रियाँ	५४ ६२१
(घ) स्वास्थ्य सहायक	२२ ४२१
(ङ) जन स्वास्थ्य नर्स/महिला स्वास्थ्य सेविका	११ ५७२
(च) अन्य	१४ ८८९
कुल	१ २४ २०३

परिवार नियोजन के प्रमुख उपाय एवं उपलब्धियाँ—देश में परिवार नियोजन के लिए दो प्रमुख उपाय—बन्ध्याकरण १९५६ में तथा लूप १९६५ में अपनाया गया। लूप एक गर्भाशयी गर्भनिरोधक छल्ला है। इन दोनों कार्यक्रमों की उपलब्धि इस प्रकार से है —

	१९५६ से मार्च १९६५ तक	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	लक्ष्य १९६८-६९
(१) नसबन्दी	२७ ७९ [illegible]७८	५ ४२ २७२	६ ६८ ०९९	१३ ८५ ८३	३१ ६ लाख
(२) लूप	२२ ३२ [illegible]४६	८ १२ ७१३	९ ८ ९६०	[illegible] २५३०	२१ १ लाख

लूप में अभी तक ४ ५ प्रति हजार आबादी तथा बन्ध्याकरण ७ ३ प्रति हजार लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं।

इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन का प्रमुख उपाय कण्डोम है। त्रिवेन्द्रम में इसके उत्पादन के लिए एक फैक्टरी स्थापित की गई है जो १९६८ के अन्त से उत्पादन प्रारम्भ करेगी तथा फिलहाल १४ करोड़ ४ लाख कण्डोम प्रतिवर्ष निकालेगी। एक फैक्ट्री में [illegible] में पहले ही काम कर रही है।

अनुसंधान

अनुसंधान तीन क्षेत्रों में हो रहा है —

(क) **जनसांख्यिकी**—इसका कार्य ६ केन्द्रों में, जिनमें इस वर्ष ४[illegible] विभिन्न अध्ययन योजनाओं के द्वारा परिवार नियोजन तथा जनसंख्या की समस्या का हल ढूँढ़ता है। यहाँ इस विषय का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(ख) परिवार नियोजन सचार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। उसके १३ केन्द्र है जो अनेक परियोजनाए चला रहे हे। यहा सचार के विभिन्न पक्षो का अध्ययन किया जाता है। केन्द्रो को फोर्ड प्रतिष्ठान से वित्तीय सहायता भी मिलती हे।

(ग) पुनर्जनन कार्मिकी—परिवार नियोजन के विभिन्न पहलुओ पर भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद् के अधीन ८ सस्थाओ और ४ विश्वविद्यालयो मे अनुसधान हो रहे है, इनकी १७ परियोजनाए हे।

परिवार नियोजन का पुनर्गठित कार्यक्रम सभी राज्यो ने इस कार्यक्रम को सिद्धातत स्वीकार कर लिया हे।

स्थानीय निकाय तथा स्वयसेवी सगठन १९६५-६६ मे इनके द्वारा २१४ ग्राम तथा ४६४ नगर केन्द्र चलाए गए है। इन सगठनो को अनुदान मे ६२ ३९ लाख रुपये दिए गए।

आर्थिक सहायता राज्य सरकारो, स्थानीय सस्थाओ और स्वयसेवी सस्थाओ को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय सरकारी नीति है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पुरस्कार भी दिये जाते है।

परिवार नियोजन की विधि (१) यात्रिक—रबड की बनी वस्तुओ का व्यवहार, (२) रासायनिक स्त्रियो द्वारा औषधियो का उपयोग या योनि मे झाग पैदा करने वाली गोलियो का व्यवहार, (३) हारमोनल—स्त्रियो द्वारा नियमित रूप से 'हारमोन' निगलना, (४) शल्य क्रिया—स्त्री-पुरुषो के आपरेशन, गर्भ गिरा देना, (५) जीवशास्त्रीय—विवाद मर्यादा को ऊचा करना भी इसमे सम्मिलित है। (६) लूप विधि परिवार नियोजन के लिए गर्भपात को कानूनी छूट देने तथा शादी की न्यूनमम उम्र बनने पर विचार किया जा रहा है।

गर्भपात को कानूनी मान्यता देना एक उपाय है। यह भारत मे अभी तक मान्य नही हुआ है। जापान मे मान्य हे। जापान मे इसके द्वारा आबादी की वृद्धि का प्रमाण आधा रह गया हे।

भारत मे गर्भपात को नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अभी आपत्तिजनक माना गया है। व्यवहार मे देखा गया हे कि इससे स्त्रियो के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी हानिकर प्रभाव पडता है।

पूर्वोत्तर रेलवे—एक परिचय

सेवित क्षेत्र—उत्तर प्रदेश एव विहार के ४० जिलो की ५ करोड जनता ।

यात्री-क्षेत्र—४६५२ ४५ किलोमीटर, मुख्यालय—गोरखपुर

स्टेशन —५८६ यानान्तरण केन्द्र—१३

जिला कार्यालय—८ इजिन—८४३

पुनर्गठन—१५ जनवरी, १९५८ कर्मचारी—९२,६५७

कुल पूजी—१०३ २७ करोड ।

भगवान् श्रीकृष्ण एव महाकवि सूरदास से सम्वन्धित मथुरा-वृन्दावन, भगवान् राम एव गोस्वामी तुलसीदास से सम्वन्धित अयोध्या एव शूकर-क्षेत्र, सन्त कवीर से सम्वन्धित मगहर, भगवान् बुद्ध से सम्वन्धित लुम्बिनी-कुशीनगर-सारनाथ, तीर्थराज प्रयाग एव नैमिषारण्य, वावा विश्वनाथ की नगरी—वाराणसी, वावा गोरक्षनाथ की नगरी—गोरखपुर, ग्रीष्म का स्वर्ग—नैनीताल जाने वाले तीर्थयात्री एव पर्यटक "पूर्वोत्तर रेलवे" पर यात्रा कर लाभान्वित होते हे ।

यह रेलवे उत्तर प्रदेश के पश्चिम मे आगरा के निकट अछनेरा स्टेशन से लेकर विहार मे कटिहार स्टेशन तक विस्तृत ४८९९ ४७ किलोमीटर लाइन तथा ५२ ४७ किलोमीटर वडी लाइन है। यह रेलवे जहा पश्चिमी वगाल के उत्तरी भाग तथा आसाम से मिलाने की महत्वपूर्ण कडी है, वही टनकपुर-नौतनवा, नैपालगज, रक्सौल तथा जयनगर स्टेशनो के माध्यम से भारत तथा नेपाल के मध्य व्यापार तथा पर्यटन सम्वन्धो को दृढ वनाती है। इस रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र की प्रमुख उपज—गन्ना, जूट, खाद्यान्न, लकडी, आलू, चीनी आदि के परिवहन के साथ-साथ यहा के छोटे-वडे उद्योग-धन्धो के लिए कच्चा माल तथा मशीनो की ढुलाई तथा इनका तैयार माल अन्य क्षेत्रो को ले जाने का कार्य यही रेलवे करती है। इस रेलवे पर प्रतिदिन लगभग ३७७ यात्री गाड़िया चलती है तथा प्रतिदिन २९३५ माल डिव्वो की औसत लदान है। इस रेलवे पर ८४३ इजन चल रहे है, सभी श्रेणियो के यात्री डिव्वो की सख्या १,३५,०९३ तथा माल डिव्वो की सख्या ९,२११ है। इस रेलवे के प्रमुख स्टेशन—मथुरा छावनी, वृन्दावन, हाथरस, फतेहगढ, कासगज, काठगोदाम, इज्जतनगर, वदायू, मुरादावाद सिटी, कानपुर, अनवरगज, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, इलाहावाद, वाराणसी छावनी, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, वरौनी ज०, दरभगा, महेन्द्रघाट (पटना) आदि हैं। इस रेलवे की प्रमुख गाडिया—१ अप/२ डाउन सिलीगुडी-लखनऊ डाक गाडी, ५ अप/६ डाउन गोरखपुर-इलाहावाद एक्सप्रेस गाडी, ७ अप/८ डाउन

लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस ६ अप/१० डाउन बरौनी कानपुर एक्सप्रेस, १३ अप/१४ डाउन लखनऊ आगरा फोर्ट एक्सप्रेस आदि है। इसके अतिरिक्त लखनऊ कानपुर लखनऊ सीतापुर तथा वाराणसी इलाहाबाद खण्ड पर डीजल कार सेवाए चल रही है। इस रेलवे पर १३ यानान्तरण केन्द्र है जिनमे 'गढहरा एशिया का सबसे बडा यानान्तरण केन्द्र है। सोनपुर मेला, एशिया का सबसे बडा पशु मेला इसी रेलवे पर लगता है। एशिया का सबसे लम्बा तथा विश्व मे दूसरे नम्बर का प्लेटफार्म इस रेलवे के "सोनपुर स्टेशन का है। भारतीय रेल मे सर्वप्रथम जुलाई १९६६ मे इस रेलवे के गोरखपुर छपरा खण्ड केन्द्र पर केन्द्रीकृत यातायात प्रणाली लागू की गयी। इस रेलवे मे गोरखपुर कटिहार खण्ड पर सूक्ष्म सचार प्रणाली लागू की जा रही है।

: ११ :

भारतीय रेल

भारत मे रेलवे का सूत्रपात १६ अप्रैल, १८५३ को हुआ। पहली रेलगाडी बम्बई से थाना तक २१ मील चली। भारत मे इस रीति से उपक्रम 'ग्रेट इन्डियन पेनिनसुला' (जी० आई० पी०—अब मध्य रेलवे) ने किया। १८५३-५८ तक भारत मे रेलो के निर्माण का ठेका ब्रिटिश कम्पनियो को दिया गया था। बाद मे उन्हे ब्याज की एक निश्चित रेट की गारटी दी गई। सरकार इन रेलो को २५ या ५० साल बाद खरीदने का अधिकार रखती थी। यह नीति सफल नही हुई। सरकार को भारी क्षति उठानी पडी। १८६८-६९ मे रेल-निर्माण को सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया।

बम्बई-थाना लाइन के चालू होने के एक साल से भी अधिक बाद ईस्ट इडिया रेलवे (ई० आई० आर० अब पूर्वीय रेलवे) ने अगस्त, १८५४ मे कलकत्ता-पादुवा के बीच रेल चलाई। मद्रास-आरनेलम रेलवे जुलाई, १८५६ मे चली। अब रेलवे १२६०००० वर्गमील मे फैल गई है। इस समय रेल मार्ग ५८,५०० कि० मी० से अधिक है। विभाजन के बाद २०,००० कि० मी० रेल मार्ग बढाया गया है। यह २१९ करोड से अधिक यात्रियो को ले जाती है और २० करोड टन माल ढोती है। इसकी कुल वार्षिक आय ८०० करोड रुपये से अधिक है जिसमे से रेल केन्द्रीय सरकार को लाभांश देती है। रेल की पूजी ३३०० करोड रुपये से अधिक है। इसकी ब्याज देय पूजी इस प्रकार है—

रेलवे की ब्याज देय पूंजी

वर्ष	लाख रुपयो मे
१९६३-६४	२१५९६३
१९६४-६५	२४३५१२
१९६५-६६	२६७५०१
१९६६-६७	२८४१५७
१९६७-६८	२९९१५७
१८६८-६९	३१३४५७

इससे प्रकट है कि रेलवेगत पूजी प्रतिवर्ष लगभग दो अरब रु० बढ रही है। १९२१ मे सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता मे नियुक्त रेलवे समिति ने रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की थी। यह मान ली गई और इस तरह भारत मे सबसे बडे उद्योग की स्थापना हुई।

भारतीय रेले—ज्ञातव्य बाते

इजिन	डिब्बे
१ भाप—१०,४२८	१ सवारी—३१,६७३

२ बिजली—४२२	२ विद्युत चालित गाड़ी—१ ४४६
३ डिजल—७७६	३ माल— ७५ /२०

टिप्पणी यह आकडे ३१ माच १९६७ के है। प्रतिदिन १० ०० टनें चलती हैं जिसमे स ६५ यात्री गाडिया होती हैं।

भारतीय रेलवे इस समय विश्व म दूसरे नम्बर का एकत्रासी उद्योग है। एशिया म यह सबसे बडा रेलमाग है तथा लम्बाई की दृष्टि से विश्व म इसका चौथा स्थान है।

बीसवी सदी क प्रारम्भ के साथ रेलवे के जीवन म नया युग प्रारम्भ हुआ। रेल यातायात बहुत बढ गया और यह सरकार पर भार नही रही।

रेलवे बोड

भारत की केन्द्रीय एसम्बली ने १९२८ के निणय के अनुसार १ जनवरी १९२८ को ईस्ट इंडिया रलवे सरकारी प्रबन्ध मे आ गई। जुलाई १९२९ म जी आई पी भी सरकारी प्रबन्ध मे चलने लगी। रेलवे बोड की स्थापना १९०५ म की गई थी। इसको ही अब रेलो के सचालन का भार सौंपा गया। रेलवे बोड का अध्यक्ष रेलवे मत्रालय का महासचिव पदेन होता है। सस्था म एक वित्तीय आयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त परिवहन यान्त्रिक और अभियन्त्रणा विभाग देखने वाले और तीन सदस्य होते हैं। य रेलवे मत्रालय के सचिव के समकक्ष होते है।

क्षेत्रीय व्यवस्था

रेलवे प्रशासन को सुनियन्त्रित सुसस्थापित और सुसगठित करने तथा एकरूप रेलवे व्यवस्था कायम करने क उद्देश्य से रेलवे ने क्षेत्रीय व्यवस्था स्वीकार की है। तदनुसार आठ रेलवे क्षेत्र बनाए गए हैं। प्रारम्भ म पाच क्षेत्र थ। रेलवे क्षेत्र इस प्रकार हैं—

क्षेत्र	निर्माण तिथि	प्रधान कार्यालय	माग की चौ	रेलमाग कि मी० म	योग कि मी मे
दक्षिण	१४ अप्रल १९५१	मद्रास	बी जी	३१९४४६	
			एमजी	६७१४१६	
			एनजी	१९४ १	१००६४६
मध्य	५ नवम्बर १९५१	बम्बई	बी जी	६१४८ ६६	
			एमजी	१५४५ ५०	
			एनजी	८१६६ ७४	८८६१ २६
पश्चिमी	१४ अप्रल १९५२	बम्बई	बी जी	२८५५ ३	
			एमजी	५६८६ ७	
			एनजी	१२२२ ७४	१० ६४८१
उत्तरी		दिल्ली	बी जी	६८०७ ४४	
			एमजी	२६७ ६५	
			एनजी	२६० ४४	१ ६३५ ५३
पूर्वोत्तर		गोरखपुर	बी जी	५२ ४७	
			एमजी	४६०६ १४	४६६१ ६१
पूव	१ अगस्त १९५५	कलकत्ता	बी जी	३९९ ६५	
			एनजी	२७ ८२	४ १८ /०
दक्षिण-पूर्व	१ अगस्त १९५५	मद्रास	बी जी	८६ ६६	
			एनजी	१८०५ ६	६०३९ २

पूर्वोत्तर-
सीमात १५ जनवरी, १९५८ माह्न वी जी १७७.९९
एमजी २७५.२ १३
एनजी ८३ ६४ २३१३ ७६

रेलवे गेज का माप इस प्रकार है —ब्राड गेज ५' ६"
मीटर गेज ३' ३" ३।४"
नैरो गेज २' ६"
स्पेशल गेज २'

उत्तर सीमात रेलवे क्षेत्र का वहुत महत्व है। इसका सीवा सम्वन्ध सीमा रक्षा से है। पाकिस्तान और चीन दोनो से इसको भय है। पूर्वीय क्षेत्र के तीनो मार्गो को मिलाकर इसकी लम्वाई १६०१६ १५ की० मी० है।

रेलवे वित्त

१९२५ मे रेलवे वजट सामान्य वजट से अलग कर दिया गया। रेलवे कन्वेन्शन के अधीन रेलवे निश्चित फार्मूलो के अनुसार केन्द्रीय राजस्व मे अशदान देती रही। दिसम्वर १९४९ मे यह तय किया गया कि १९५०-५२ से रेलवे लगी पूजी पर ४ प्रतिशत व्याज देगी। इस कन्वेन्शन मे फिर परिवर्तन किया गया। १९५५-५६ मे नया कन्वेन्शन अमल मे आया। इस वार दर तो पुरानी ही रही लेकिन वन रहे रेलवे मार्ग और उसके पूरे हो जाने के एक साल वाद तक उस पर किसी प्रकार का व्याज न लेने का निर्णय किया गया। १९६० मे नियुक्त रेलवे कन्वेन्शन कमेटी ने ५ प्रतिशत दर निश्चित की। इसके अतिरिक्त १९६२-६३ से रेलवे भारतीय कोष को १२ ५ करोड रुपये वार्षिक देती है।

१९६५ के नये कन्वेन्शन के अनुसार, जिसको लोक सभा ने ७ दिसम्वर, १९६५ और राज्य सभा ने १० दिसम्वर, १९६५ को स्वीकार किया, निम्न व्यवस्था पाँच साल के लिए (१९६६-७१) की गई। इसके अनुसार—

१ लाभाश देने की व्यवस्था मे कोई परिवर्तन नही किया गया है क्योकि रेलवे प्रति वर्ष एक निश्चित और नियमित लाभाश सरकार को देती है।

२ रेलवे अगले पाच सालो मे (१९६५-७०) निविष्ट पूजी पर ४ ५ प्रतिशत की वर्तमान दर पर यात्री किराया-कर के वदले एक प्रतिशत अतिरिक्त लाभाश देगा। ३१ मार्च, १९६४ के वाद पर ली जाने वाली पूजी पर लाभाश की दर ५ ७५ की जगह ६ प्रतिशत होगी।

३ रेलवे यात्री किराया-कर के वदले १२ ५० करोड देती थी। अव इसकी जगह ३१ मार्च, १९६४ के वाद निवेशित पूजी पर अतिरिक्त अशदान देती है। इस रकम मे से १६.२५ करोड रुपये राज्यो को दिये जायेंगे। शेष राशि चौकीदार वाले ऊपरले और निचले पुलो के सरक्षण सम्वन्धी कामो की व्यवस्था के लिये राज्यो मे वाँट दी जाएगी।

४ सामरिक महत्व की लाइनो के सचालन मे घाटे के समजन की वर्तमान व्यवस्था जारी रहे, किन्तु यदि कभी इन लाइनो मे लाभ हुआ हो तो वह भारत राज-कोष मे अन्तरित कर दिया जाये।

५ पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के वाणिज्यिक खण्डो की व्याज देय पूजी के दूसरे लाभो पर लाभाश देने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।

६ २० वर्षो वाद लाभाशो के स्थगित लेखा को परिसमाप्त कर दिया जाय।

रेलवे वित्त (करोड रुपये मे)

					बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	१९५५ ५	१९६ ६१	१९ ६	१९ ६७	१९६७ -	१९ ७ =	१९ = ६
मुसाफिरों से आय { ऊच दर्जों मे	१२ ८६	१५ १८	७७ ४	७७ १६	६	२९ १६	३१ ८
तीसरे दर्जे से	६८ =६	११६ ४१	१६१ ५३	२०७ ७०	२२१ ७८	२७ ११	२८ ७
सवारी पासन आदि	२० ८७	२७ २१	६ ४०	६ ०३	४ २६	६ ८०	४ ००
अय फुटकर यातायात से आय	८१	१२ ६३	२२ २५	२४ ७७	७	२ १०	७८ ६
माल यातायात से आय	१८ २८	२८६ १४	४६५ ४६	४८१ ६७	५ ०	५०६ ००	५६४
यातायात से कुल प्राप्ति*	३१६ २६	४५६ ८०	७३३ ५७	७६८ ७८	८३६ ०	८२६.६६	८६२ ५०
साधारण कायभार यय	२१२ ६५	३१३ १५	४८५ ८५	५२५ १	५ ७ १	५८८ ७६	१६ १
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि म विनियोग	४६ ००	४५ ०	८५ ०	१० ०	१०१ ७	८६ ००	१० ०
पशन निधि म विनियोग	—	—	१७ ०	१ ५०	१६ ६०	० ८ ८	० ८ ८
चलित गाड़ना को भुगतान	० २७	० ०६	० १६	० १६	० १६	१	० १७
कुल सचालन यय	२५८ २२	३६८ ७६	५६८ ७	६३६ २६	८७ ६	८६ =	७ ६११
शुद्ध विविध यय	७ ७	१ ६६	१५ ६	१५ ६१	१ ६	१	१५ १६
शुद्ध राजस्व	६ ३६	८७ ८७	१ ४८६	११६१७	१४ -६	११= ६८	१५३ ०
सामाय राजस्व को लाभांश	३६ १२	६५ ८६	११ ७-	१ ७ ८	१६१ ६	१६१ -	१५७ ००
शुद्ध बचत (+)या घाटा(—)	+१६ २८	+३२ ०१	+१= ६	—१८ ७	—०१ -	— ७४६	+१ ७०
सचालन व्यय का अनुपात	८१ %	७८ ४%	७६ ६%	८ %	८१ १%	८ ८%	८१ १%
ब्याज देय पूजी	६ ८६८	१६१८७	२ ६८ २	२८६१ ५७	२ ६६१ ५७	२ ६८१ ६७	१ ६५७

*उक्त राशि निकालने के पश्चात्

रेलवे वित्त प्रगतिशील है। उसका आधार दृढ है। यात्री बराबर बढ रहे है। माल-परिवहन भी बढ रहा है। इनमे कमी आने का कोई कारण नही है। बारह वर्षो मे रेलवे को तीसरे दर्जे के यात्रियो से आय ६४ ८५ करोड से बढकर २२६ करोड रुपये हो गई है। अर्थात् प्रतिवर्ष आय औसतन लगभग १० करोड बढी है। इसके मुकाबले ऊपर के दर्जो से आय १२ ८५ करोड से बढकर २९.१४ करोड तक जा पहुची है।

माल-परिवहन से आमदनी १८०.२८ करोड से बढकर ५०९ ०० करोड रुपये तक पहुच गई है। इस आय-वृद्धि के बल पर ही रेलवे परियोजनाओ के लिए निम्न धन निकाल सकी —

रेलवे का योजना-व्यय की पूर्त्ति मे अशदान (करोड रुपये मे)

	प्रथम नियोजन	दूसरा नियोजन	तृतीय नियोजन
रेलवे नियोजन व्यय	४२३ २२	१०४२.६९	१५८१ ००
नियोजन कार्यक्रम मे रेलवे का अशदान	२८०.००	४६५ ००	५३१.००
रेलवे नियोजन मे विदेशी विनिमय का भाग	—	३१९ ४५	२८३ ५९

रेलवे की उपलब्धिया

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
नई लाइनो का निर्माण (कि मी) मे	१३०४	१३११	२६४०
लाइने दोहरी की गई ,,	३७०	१५१३	३९६४
विद्युतीकरण ,,	———	३६१ ५	२४६८
चल भण्डार का निर्माण तथा समाहरण—			
—इजिन	१५८६	२२१६	२०७०
—सवारी डिब्बे	४७५८	७७१८	८६०१
—माल डिब्बे	६१२५४	९७९५९	१५९२२७

इसके अतिरिक्त रेलवे ने केन्द्रीय राज कोप को प्रतिवर्ष जो दिया, वह इससे अलग है। १२ करोड रुपया वह हर साल यात्री कर के रूप मे राज्यो को देती है। रेलवे ने राज्याग मे अपनी देन ३६ १२ करोड रुपये (लाभाश के रूप मे) बढाते-बढाते ११८ ४९ करोड रुपये पर पहुचा दी है।

रेलवे मे निवेशित पूजी भी १६८ ९८ करोड रुपये से बढकर २९९१ ५७ करोड रुपये हो गई है। लगी पूजी मे चार गुना वृद्धि हुई है। इतना मिला नही क्योकि रेल का खर्च भी बढ गया है। कुल सचालन-व्यय २५८ २८ करोड से बढकर ५५५ ०० करोड रुपये प्रतिवर्ष हो गया। यह वृद्धि असाधारण है। इसका कारण यह है कि १९६५ मे रेलवे ने यात्री-भाडा बढ़ाया था और १९६६ मे माल-परिवहन पर तीन प्रतिशत अधिभार बढ़ा दिया।

मार्च १९६४ में रेलवे कर्मचारियों की संख्या १२.७ लाख थी। मार्च १९६८ में १३.६१ लाख हो गई। इनका औसतन वतन १,९९४ लाख रुपये वार्षिक है। महगाई भत्ता और अन्य भत्ते बढ़ जाने से प्रति व्यक्ति वेतन की २५० रुपये वार्षिक वृद्धि हुई है।

रेलवे को घाटा होने का भय नहीं है क्योंकि यात्रियों की संख्या में प्रति वर्ष कम से कम ५ प्रतिशत अवश्य वृद्धि होती है। इससे आय में ८ करोड़ की वृद्धि होती है। औद्योगिक उत्पादन निर्बाध रूप से ५ प्रतिशत बढ़ रहा है। इस कारण माल-यातायात की आय ५ प्रतिशत वृद्धि हुए बिना होना अनिवार्य है।

रेलवे की आरक्षित निधियों की स्थिति सुस्थिर है। वह इस प्रकार है—

रेलवे की मूल्य ह्रास आरक्षित निधियाँ (लाख रुपये में)

वर्ष	निधि में विनियोग	वास्तविक इनिवेष
१९२४ २५	१ ०३५	३०६
१९४ ४१	१ २६४	३ ९९०
१९५० ५१	३ ३५६	१२ १६५
१९५५ ५६	४ ८६७	१० ३४७
१९६० ६१	४ ९९४	१ ९७६
१९६५ ६६	८ ८४९	५ १८७
१९६६ ६७	१० ४६१	७ ७७६
१९६७ ६८ (संशोधित अनुमान)	१ ०३३	७ ४३९
१९६८ ६९ (बजट अनुमान)	१ ५५२	७ ९८१

तलपट (बलस शीट लाख रुपये में)

ब्यौरा		३१ ३ ६६ को	३१ ३ ६७ को
देयताएँ			
१ पूंजी ऋण (सामान्य राजकोष से)		२ ९८ ३२	२ ८४ १५७
२ मूल्य ह्रास आरक्षित निधि		१५ ७७९	१९ ७९६
३ विकास निधि		२७ ७ २	३० ३८
४ राजस्व		१३ ६ ७	१४ ५५८
५ मुफ्त प्राप्त मशीनें व उपकरण		४३	४४०
योग		३ २५ ५५०	३ ४६ ३ ४
रेलवे आरक्षित निधियाँ			
१ मूल्य ह्रास आरक्षित निधि		५२८५	७७७६
२ रेलवे राजस्व आरक्षित निधि		६३२१	४४७०
३ विकास निधि		३००९	३३७
४ पेन्शन निधि		२५१७	४४०६
योग		१७१३२	१९९९२
बैंक खाता			
१ भविष्य निधि		२६१०३	३ ७९७

२	विविध जमा आदि	६४७६	७४०६
	योग	३५५८२	३८२०६
४	देयताए (वर्षान्त मे बाकी देयताए)	२१११	२३६२
५	अन्तर्विभागीय व्यवहारो के कारण शुद्ध देयता	४०२६	३८६३
	सर्वयोग	३८४४०४	४०७८१६

रेलवे का कार्यभार उसकी क्षेत्रीय स्थिति के विश्लेपण से स्पष्ट है। इस से ज्ञात होता है कि रेलवे अपनी कार्य-क्षमता बढाकर और खर्च कम करके राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है।

सेवा निवृत्ति-निधि—रेलवे ने कुछ वर्षो से सेवानिवृत्ति निधि का निर्णय किया है। यह सेवा निवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारियो को निवृत्ति-धन देने के लिए है।

यात्री यातायात

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-६७
यात्रियो की सख्या (लाख मे)	१२,८४०	१२,७५०	१५,९४०	२०,८२०	२१,९१०
यात्री किलोमीटर (लाख मे)	६,६५,१७०	६,२४,०२०	७,७६,६५०	९,६२,९४०	१०,२१,३५०

टिप्पणी —१ गैर सरकारी रेलो के आकडे सम्मिलित नही है।
२ यात्री यातायात का ९०% तीसरी श्रेणी का है।

रेल-माल-परिवहन की मुख्य वस्तुए
(लाख टन मे)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-६७
कोयला	३०९	३५८	५०३	६९४	७०५
सीमेट	२४७	४०२	६५४	८६४	८८९
लोहा व स्टील	२७५	३७१	७५८	१००१	९७८
खनिज लौह	—	—	१०५	१७६	१८१
खनिज मैंग्नीज	९	१४	१२	१५	१३
अन्य खनिज	—	—	६	९	१०
अनाज	७८	९१ ८७	१२६ ५९	१४५ १४	१६४.४९
कच्चा जूट	४ ७	५ २	६ ४४	७ ६३	७ ७०
चाय	२ ६५	२ ६२	२ ५०	२ ०३	२ ९१
कागज व कागज का बना माल	१ ९३	२ ६०	४ ४२	६ ७०	७ ३४
तैयार जूट माल	२ ७१	२.९४	२ ६३	२ ७५	२ ६७
कपास	५.५२	७ ५१	५.३६	४ ८५	४ ७४
सूती वस्त्र	४ ७२	५.५७	३ ८०	३ ०८	२ ६६
तिलहन	१५ ९५	१७ ९४	१५.१७	१४.७०	१२ ९३

गन्ना	२८१६	३४६३	३२३७	२७१७	१६७२
चीनी	६३३	१३५७	१४८८	१५४३	१५७८
नमक	१५७६	१८८७	१६८१	२५६६	२३४८
कुल यातायात	—	—	१५६२	२०३०	२०१६

रेलवे इंजिन एवं सवारी डिब्बे निर्माण

चितरंजन इंजिन कारखाना (स्थापित १६५०) प्रथम भाप इंजिन १६५ में ही निर्मित। अभी तक २१८६ भाप इंजिनों का निर्माण। हाल ही में यहां ६८० अश्व शक्ति के डीजल हाइड्रोलिक शंटर इंजिनों का निर्माण शुरू हुआ तथा पहला शंटर इंजिन जनवरी १६६७ में रेल पर चलने लगा। भाप इंजिन का उत्पादन प्रतिमाह १४ १८ से घटा कर ८ कर दिया गया है जो १६७० ७१ में ३ रह जाएगा। १६६१ में चित्तरंजन में बिजली से चलने वाले इंजिनों का निर्माण शुरू हुआ तथा अभी तक १५ इंजिन बन चुके हैं।

डीजल इंजिन कारखाना (वाराणसी) प्रथम डीजल इंजिन १६६४ में तैयार हुआ। ३१ मार्च १६६८ तक बड़ी लाइन के १८२ डीजल इंजिन यहां बन चुके थे। इस समय ८ ७ डीजल इंजिन प्रति माह बनते हैं। २५ डीजल इंजिन प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य है।

पेराम्बूर मद्रास में कोच फक्टरी सवारी डिब्बे तयार करती है। हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड तीसरे दर्जे के पूर्णत इस्पाती डिब्बे तयार करती है।

प्रशिक्षण व अनुसंधान—इंजीनियरिंग व यातायात विभाग के अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रेलवे ने की है। २१ जनवरी १६५२ से बड़ौदा में एक स्टाफ कालेज है। इसमें पहले और दूसरे दर्जे के अफसरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। अवर अफसरों के लिए भी यहां पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है। विशिष्ट विषयों पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। प्रशिक्षण देने के ५ स्कूल हैं। इनमें से कुछ ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल हैं। अन्य स्कूलों में लोको ट्रेनिंग स्टाफ ... मकेनिक टन परीक्षक आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। सिगनल ट्रेनिंग स्कूल भी १६३७ से सिकंदराबाद में खुला हुआ है। मसूरी में नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई है।

विद्युतीकरण—रेलवे का विद्युतीकरण का काम १६२५ में आरम्भ हुआ।

डीजल एवं विद्युत इंजिन—भाप इंजिन की जगह अब डीजल इंजिन का प्रयोग किया जा रहा है। ७७६ डीजल इंजिनों का प्रयोग इस समय किया जा रहा है। इस समय ५४२ बिजली इंजिन काम कर रहे हैं।

रेलवे संस्थाएं

जनरल स्टैंडर्ड आफिस—यह दिल्ली में स्थापित है। रेलवे में बरती जाने वाली सभी सामग्रियों के डिजायनों व प्रतिमानों में एकरूपता कायम करने का काम यह संस्था करती है। इसकी तीन शाखाएं हैं —मकैनिकल इंजीनियरिंग स्टैण्डर्ड सिविल इंजीनियरिंग स्टैण्डर्ड और स्पेसीफिकेशन। इसके अतिरिक्त एक पृथक अनुसंधानशाला है जो नागरिक और यांत्रिक अभियंत्रणा में खोज का काम करती है। रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैण्डर्ड्स आर्गनाइजेशन महानिदेशक के अधीन काम करता है।

इण्डियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन—इसकी स्थापना १८७१ मे हुई थी। वर्तमान सस्था का विधिवत उद्‌घाटन १९०२ मे हुआ था। यह सरकार से पृथक स्वतत्र सस्था है। विभिन्न रेलवे मे माल के अतर-विनिमय के नियम पर सस्था चलती है। सामान्य हित की समस्याओ पर भी यह विचार करती है। रेलवे परिवहन के मध्य एकसूत्रता स्थापित करने का काम भी यह करती है।

सलाहकारिणी समितिया .

रेलवे और जनता के बीच सहकार वढाने के उद्देश्य से अनेक सलाहकार समितिया नियुक्त हैं। जनता और रेलवे प्रशासन के मध्य निम्न सस्थाओ के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

उपक्षेत्रीय रेलवे-उपभोक्ता सलाहकार समिति—रेलवे का इस्तेमाल करनेवाले किसानो और स्थानीय व्यक्तियो की यह कमेटी है।

क्षेत्रीय उपभोक्ता सलाहकार समिति—यह रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय मे काम करती है। यह रेलवे सेवाओ और जनता की सुविधाओ के वारे मे विचार करती है। रेलवे शासन पर वस्तुत इसका प्रभाव नही है।

क्षेत्रीय संसदीय समिति—यह रेलवे क्षेत्र के महाप्रवधक से मिल कर काम करती है। यह जनहित की अनेक समस्याओ पर विचार करती है।

अन्य समितिया है—समय सारिणी समिति, सवर्वन रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति, यात्री सुविधा समिति, खाद्य-निरीक्षक समिति और वुक स्टाल समिति।

रेलवे शुल्क न्यायाधिकरण—इसकी स्थापना १९४९ मे की गई थी क्योकि व्यापारी और व्यावसायिक सस्थाओ ने भाडे के वारे मे शिकायत की थी। इसका मुख्यालय मद्रास मे है। इसके अध्यक्ष सहित तीन सदस्य है। निर्धारको के दो गुल्म होते है। इनमे से एक गुल्म कृषि, व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है।

रेलवे सेवा आयोग—यह वम्वई, कलकत्ता, इलाहावाद और मद्रास मे है। यह रेलवे मे कर्मचारियो को भर्ती करने का काम करता है। प्रत्येक आयोग का एक अध्यक्ष होता है। सचिव भी होते हे और इनका अपना कार्यालय भी होता है।

केन्द्रीय निपटान कार्यालय—दिल्ली मे निपटान खाता कार्यालय है। इसका काम अन्तर-रेलवे राजस्व व व्यय का निश्चय करना है। विभिन्न रेलवे के विभिन्न विभागो के आपसी लेन-देन का भी यह निर्णय करता है।

केन्द्रीय रेलवे अनुसंधान परिषद्—यह सस्था प्रसिद्ध वैज्ञानिको, इजीनियरो और उद्योगपतियो को लेकर वनी है। रेलवे के विकास और अनुसधान पर सलाह देना इसका काम है।

चार दर्जे—भारतीय रेलवे मे मुसाफिरो के लिये चार दर्जे है—वातानुकूलित, पहला, दूसरा और तीसरा। २०० मील से अधिक यात्रा करने पर मार्ग के किसी भी स्टेशन पर उतरा जा सकता है लेकिन यात्रा पहली वार २४० किलोमीटर पार करने के वाद ही भग की जा सकती है। गर्मियो मे पर्वतीय स्थलो के लिए आने जाने के रियायती टिकट जारी

किए जाते हैं जिसमे चौथाई भाडे की छूट मिलती है। वृत्त यात्रा टिकट कम से कम १५०० मील का मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के लिये होता है।

गरसरकारी रेलवे—कुछ रेल माग रेलवे वोड के अधीन नही आये हैं जो इस प्रकार हैं —

नाम	मील	वग
आनन्दपुर-कटवा	३२	गारण्टी की शर्तों के अधीन
आरा-सहसराम लाइन	६५	जिला बोड की सहायता प्राप्त
बाकुरा-दामोदर नदी	६०	गारण्टी शर्तों के अधीन
बदवान-कटवा	३२	गारण्टी शर्तों के अधीन
बख्तियारपुर बिहार लाइट रेलवे	३३	गारण्टी शर्तों के अधीन
देहरी रोहतास लाइन	४८	जिला बोड से सहायता प्राप्त
फतुहा इस्लामपुर	२७	गारण्टी की शत के अधीन
हवडा-अमता लाइट	४६	जिला बोड की सहायता प्राप्त
हवडा शेखला लाइट	१७	
शाहादरा-सहारनपुर लाइट	६८	कम्पनी लाइन

इन रेलों को समाप्त करने की जनता की ओर से अनेक बार मागें आइ। ससद तक ने इनके जारी रहने पर रोष प्रकट किया।

रेलवे विस्तार

वष	मील	वष	किलोमीटर
१८६२	२६०४	१९४७ ४८	३३९८५
१८७३	५६९७	१९४८ ४९	३३८६१
१८८३	१ ४४७	१९५० ५१	३४०८१
१८९३	१८४५६	१९५५ ६	३५२१३
१९०३	२६६५६		
१९१३ १४	३४६५६	१९६० ६१	५६६६३
१९२३ २४	३८ ३६	१९६५ ६६	५८३९९
१९३३ ३४	४२६५३		
१९४३ ४४	४ ५१२	१९६६ ६७	५८४६५

रेलवे की आय के मुख्य दो स्रोतों की आय म अन्तर बराबर माना जाता है। आय परिवहन की आय और यात्रियो के यातायात के बीच का अन्तर बहुत बढ गया है।

रेल दुघटनाए

प्रकार	१९६२ ६३	१९६३ ६४	१९६४ ६५	१९६५ ६६	१९६६ ६७	१९६७ ६८
टक्कर	९८	९३	८१	७४	६७	६६
पटरी से उतरना	१ १६	१३ ०	१ ३५	९६२	८७६	८६२
रेल पार पथ (लवल क्रॉसिंग)	१६८	१६१	१४६	१२३	१ ४	११
गाडी म आग	५५	८१	१	४२	५	४१
कुल	१६३७	१६३५	१२९३	१२ १	१०९७	११ ४

सत्तर प्रतिशत दुर्घटनाए रेल कर्मचारियो की असावधानी मे मानी गई है।

गम्भीर रेल दुर्घटनाओ की सख्या १६६५-६६ मे १३ थी जो १६६६-६७ मे १८ हो गई। इन दुर्घटनाओ मे ६५-६६ मे मृतको की सख्या ४२ थी जबकि १६६६-६७ मे यह सख्या १८६ थी।

भारतीय रेलों की शीघ्र गतिशीलता

भारतीय रेल मार्गों पर तेज रफ्तार की गाडिया चलाने का प्रयास हो रहा है। अभी तक अधिकतम रफ्तार १०० कि० मी० प्रतिघटा है जो की वढाकर १२० कि मी प्रति घटा की जा रही है। आगामी लक्ष्य १६० कि मी. प्रति घटा की रफ्तार से गाडी चलाने का हे।

तेज गति से गाडी चलाने का परीक्षण चार मार्गों पर हो चुका है।

दक्षिण पूर्व रेलवे की एक परीक्षण गाडी ने नागपुर से हावडा तक ११३१ कि मी लम्वे मार्ग को १२½ घटो मे पूरा किया। इसकी अधिकतम गति १२० कि मी थी।

इस वर्ष दिल्ली और कलकत्ता के बीच तेज रफ्तार वाली गाडी चलायी जा रही है जो १४४५ कि० मी० की इस यात्रा को १७ घटो मे पूरा करेगी। इस गाडी का नाम राजधानी एक्प्रेस होगा। इसका परीक्षण भी हो चुका है।

प्रसिद्ध रेल-गाड़ियाँ

दक्कन क्वीन—यह मध्य रेलवे मे वम्वई से पूना तक चलती है। यह कम दूरी की सर्वाधिक तेज गाडी है। इसकी गति ४५ मील प्रति घटा है।

फ्लाइंग क्वीन—यह वम्वई और सूरत के मध्य चलती है।

दिल्ली-मद्रास ग्राड ट्रक एक्प्रेस—यह १३६१ मील की यात्रा पूरी करती हे। यह भारत के आधे भाग मे से गुजरती है।

फ्रटियर मेल—यह वम्वई और अमृसर के वीच चलने वाली सवसे तेज गाडी है।

अवध तिरहुत मेल—यह आसाम के गोहाटी से चलकर पश्चिम वगाल तथा विहार-उत्तरी अचलो को पार करती हुई उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्टेशन तक की दूरी तय करती है।

ताज एक्सप्रेस—यह उत्तर रेलवे की पर्यटक गाडी है और दिल्ली-आगरे के वीच चलती है। इसकी चाल प्रति घटा ७५ मील है।

भारतीय रेलवे देश के माल परिवहन का ८० प्रतिशत और यात्रियो का ७० प्रतिशत ढोती हे।

गोमती नदी पर लखनऊ मे वना लोहे का पुल भारत मे वने लोहे के पुलो मे सव से पुराना है।

पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर स्टेशन का प्लेटफार्म (२४१५ फुट) भारत मे सवसे वडा है और दुनिया मे दूसरे नम्वर का है।

भारत म सबसे बडा पुल सोन पुल है। इसम ६५ स्पन हैं। दो स्पनो के बीच का अन्तर १०० फुट का है। पुल १००५८ फुट लम्बा है।

भारतीय रेलवे भारत म रोजगार और आय देनेवाली सबसे बडी सस्था है। इसम १३ ६१ लाख से अधिक व्यक्ति काम करते हैं।

महत्वपूर्ण तिथिया

१८५३—पहली भारतीय रल १६ अप्रल १८५३ को बम्बई और थाना के बीच २१ मील चली।

१९०५—रेलवे बोड की स्थापना माच १९०५ मे हुई।

१९२५—भारत म सबसे पहली बिजली गाडी विक्टोरिया टर्मिनस (बम्बई) और कुर्ला के बीच चली।

१९३७—बम्बई और दिल्ली के बीच चलनेवाली गाडी म पहला वातानुकूलित डिब्बा जोडा गया।

१९५१—२६ जनवरी १९५१ को चितरजन लोकोमोटिव वक्स का समारोह पूवक उद्घाटन किया गया।

१९५२—हावडा मे जनवरी १९५२ से रेलवे स्टाफ कालेज स्थापित हुआ।

१९५ —२ अक्तूबर १९५० को दिल्ली और कलकत्ता मे भारतीय रेलवे की शत वार्षिकी मनाई गई।

१९५६—२ अक्तूबर १९५६ क दिन दिल्ली और हावडा के बीच पहली बस्टी युनटेड एयरकण्डीशण्ड तीसरे दर्जे की एक्सप्रेस गाडी चली। इसका नाम जनता एक्सप्रेस था।

१४ अगस्त १९५६ को पराम्बूर (मद्रास) म सम्पूण इस्पाती ब्राड गाज यात्री गाडी का प्रारम्भ हुआ।

१९६४—आगरा दिल्ली क बीच ताज एक्सप्रेस के नाम से ७५ मील की चाल से चलनेवाली पयटक गाडी चली।

मध्यप्रदेश केसरवानी शिक्षा समिति जबलपुर

उद्देश्य

उच्चस्तरीय शक्षणिक प्रावधाना के द्वारा विद्यालयो का शारीरिक मानसिक एव नतिक विकास कर उन्ह राष्ट्र की बहुमुखी आवश्यकताओ के अनुकूल राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठावान आदश नागरिको के निर्माण के उद्देश्य से इस सस्था की स्थापना की गई है । ज्ञानाजन क साथ ही साथ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर इसम अधिक बल दिया जावेगा । केवल उन्ही छात्रो को इसमे प्रवेश प्राप्त होगा जो श्रम को महत्व देते हैं अनुशासनप्रिय हैं महत्वकाक्षी हैं एव अपने सद्प्रयत्नो से देश के सम्मान को परमोच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं ।

सचालित समस्थाए

(१) केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर ।
(२) केसरवानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर ।
(३) कला एव वाणिज्य महाविद्यालय ब्योहारी ।
(४) केसरवानी महाविद्यालय बरेला जबलपुर ।

केसरवानी महाविद्यालय म पाठित विषय —

हिन्दी साहित्य अग्रजी साहित्य सस्कृत साहित्य मराठी साहित्य पालि एव प्राकृत साहित्य उर्दू साहित्य अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र दशन शास्त्र इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास सस्कृति एव पुरातत्व शुद्ध गणित व्यावहारिक गणित भूगोल सगीत गृह विज्ञान एव मनोविज्ञान ।

: १२ :

समाज-कल्याण

समाज-कल्याण की भारतीय कल्पना प्राचीनतम है और वह व्यापक है। आज के 'समाज-कल्याण' की कल्पना दूसरे महायुद्ध के वाद ब्रिटेन के एक लिवरल नेता ने वेलफेयर स्टेट (लोक-कल्याण राज्य) की कल्पना से ली। यह समाजवाद से भिन्न कल्पना थी। इसको ब्रिटेन ने मान लिया। भारत मे भी यह विचार वही से आया।

भारत मे समाज-कल्याण सामाजिक कुरीतियो को दूर करने तक ही सीमित है। समाज-कल्याण की कल्पना प्रशासन का स्वरूप नही हे।

जून, १९६४ मे स्व० प्रधानमन्त्री श्री लालवहादुर शास्त्री के नये मन्त्रिमण्डल मे सामाजिक सुरक्षा नामक नया विभाग खोला गया। श्रीमती इन्दिरा गाधी के नये मन्त्रिमण्डल ने १९६६ मे इस विभाग को 'समाज-कल्याण' नाम दिया तथा उसका पुनर्निर्माण हुआ। इस विभाग के अन्तर्गत ये विपय रखे गए (१) पिछडे वर्गो का कल्याण, (२) आम समाज-कल्याण (परिवार और वाल-कल्याण, विकलाग शिक्षा, सामाजिक प्रतिरक्षा सेवा तथा केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद्), (३) सयुक्त राष्ट्र की वच्चो के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आपात् निधि (यूनीसेफ) के कार्यक्रमो का, जिन्हे भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय कार्यान्वित करते है, समन्वय तथा (४) साधारण सामाजिक सुरक्षा।

जनवरी, १९६६ तक ये विपय भी 'सामाजिक सुरक्षा विभाग' के पास थे जो इन मन्त्रालयो को दे दिये गये—कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा कोयला खान भविष्य निधि—श्रम नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय को, खादी ग्रामोद्योग आयोग व अखिल भारतीय शिल्प परिषद्—उद्योग मन्त्रालय को, वाल-भवन, वाल-सग्रहालय—शिक्षा मन्त्रालय को।

पिछडे वर्ग कल्याण का एक 'पिछडा वर्ग कल्याण निदेशक' होता हे। अनुसूचित जातियो व अनुसूचित आदिम-जातियो के कल्याण के लिये एक आयुक्त व उसकी सहायता के लिये उपायुक्त होता है। राज्यो मे 'क्षेत्रीय उपायुक्त' होते है। आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा उपायुक्तो की नियुक्ति विभाग करता हे।

विभाग के ये तीन मुख्य कार्यालय है (१) केन्द्रीय समाज-कल्याण परिपद्, (२) समाज कल्याण व पुनर्वास निदेशालय, (३) सुधार सेवाओ का केन्द्रीय व्यूरो।

समाज-कल्याण सम्बन्धी विपयो पर गोष्ठिया भी होती है तथा ऐसे विदेशी आयोजनो में प्रतिनिधि मण्डल भेजे जाते हैं।

मद्यनिषेध

मद्य निषेध का विषय गृह मन्त्रालय से इस मन्त्रालय को २१ सितम्बर १९६७ को स्थानान्तरित हुआ। संविधान मद्य या शराब ही नहीं तमाम मादक द्रव्यों का निषेध करता है। परन्तु सरकार केवल शराबबन्दी का ही लेकर चली है।

दिसम्बर १९५४ म मद्य निषेध जांच समिति स्थापित की गई थी। इसको यह काम सौंपा गया है कि यह संविधान म विहित निदेश को पूरा करने का उपाय अब तक के अनुभव के आधार पर करे। इस समिति की यह सिफारिश थी कि शराबबन्दी को आर्थिक विकास योजना का एक अग बना लिया जाय लोकसभा ने इसे ३१ मार्च १९५५ को स्वीकार भी किया।

तीसरी योजना मे शराबबदी कार्यक्रम को एक समाज-कल्याण आन्दोलन बनाया गया और इसे स्वेच्छासेवी सस्थाओ द्वारा कराने के लिए कहा गया। कार्यक्रम की सफलता इन बातो पर निर्भर करती है (१) राष्ट्रीय नीति के रूप म इसको स्वीकार किया जाय और इस पर इच्छा से अमल किया जाय। प्रशासन ऐसे उपाय करते जिससे मालूम हो कि यह वस्तुत राष्ट्रीय नीति है। (२) अधिकाधिक जनता का इसके लिए सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय और समाज सेवको और स्वेच्छासेवी सस्थाओ का इस काम म सक्रिय उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाय (३) इसके कारण उत्पन्न समस्याओ का व्यावहारिक हल ढूढा जाय (जसे रोजगार) और (४) शराबन्दी की प्रगति के कारण राज्यो की आय मे होने वाली हानि को पूरा किया जाय।

एक केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति स्थापित की गई है। इसके काय हैं (१) शराबबन्दी की प्रगति का समय-समय पर आकलन (२) विभिन्न प्रान्तो और क्षेत्रो के कार्यों मे एकसूत्रता और समन्वय स्थापित करना और (३) पूर्ण शराबबन्दी के जारी करने म आने वाली कठिनाइयो पर नजर रखना और उनका व्यावहारिक हल ढूढना।

जनवरी १९६३ म राज्यो के मुख्यमन्त्रियो के एक सम्मेलन म शराबबदी पर विचार हुआ। मुख्यमन्त्री इस निणय पर पहुचे कि शराबबदी म किसी प्रकार की शिथिलता न आने देनी चाहिए। अप्रल १९६३ म योजना आयोग ने एक अध्ययन मण्डल बनाया जिसे यह पता करना था कि (१) चोरी चोरी किन क्षेत्रो म शराब बनाई जाती है तथा इसको रोकने के लिए वतमान कानून क्या पर्याप्त हैं। उनम परिवतन करने की आवश्यकता है? (२) शराबबन्दी के प्रचार म स्वेच्छासेवी सस्थाओ का पूर्ण सहयोग कसे प्राप्त किया जाय? (३) शराबबदी के आर्थिक परिणाम क्या होते हैं? इस मण्डल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है। इस पर विचार किया जा रहा है।

मद्य निषेध

१९६७ के प्रारम्भ म केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की तीसरी बठक के सम्मुख मद्य निषध सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशो पर राज्य सरकारो द्वारा दिये गये अवलोकनो को रखा गया था। जिन राज्यो म मद्य निषेध चल रहा है वहा उसके अच्छे कार्यान्वन के सम्बन्ध मे ये सिफारिशें थीं अध्ययन दल ने सिफारिश की कि दवाइयो, शृंगार वस्तुओ

तथा सीरे को अवैध आसवनियो तक जाने से रोका जाये, समिति ने इन सिफारिशो की प्राय पुष्टि की। दवाई और शृङ्गार प्रसाधन अधिनियम तथा दवाई और शृगार प्रसाधन वनाने सम्वन्धी (आवकारी कर) अधिनियम मे सशोधन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये ताकि अध्ययन दल की सिफारिशो को कार्यरूप दिया जा सके। ये विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी गई। समिति ने महसूस किया कि कानून मे सशोधन करने से सम्वन्धित सिफारिशो का विधि मन्त्रालय से सलाह करते हुए निरीक्षण किया जाना चाहिये और समिति की अगली वैठक मे सुझाव पेश किये जाने चाहिये।

अध्ययन दल की इस सिफारिश से कि जिन क्षेत्रो मे मद्य निषेध नही है वहा १२ वर्ष की अवधि मे क्रमश मद्यनिषेध लागू किया जायेगा, वित्तीय और प्रशासनिक समस्याये खडी होती हैं। दल द्वारा प्रस्तावित प्रावस्था कार्यक्रम से सहमत नही हुए और उन्होने (पूर्ण मद्यनिषेध के लिये) एक लम्वी अवधि (१२ वर्ष से अधिक) का सुझाव दिया। सवने यह माग की कि उनके राज्यो मे मद्यनिषेध के प्रसार से जो आवकारी राजस्व का घाटा होगा उसकी पूर्ण पूर्ति की जाये।

अध्ययन दल की यह सिफारिश कि मद्यनिषेध सम्वन्धी प्रचार को तीव्र किया जाये और अखिल भारतीय मद्य निषेध परिषद की सेवाए प्राप्त की जाए, मान ली गईं। अखिल भारयीय मद्य निषेध परिषद को नशावन्दी क्षेत्र मे कार्य करने वाली गैर-सरकारी सस्थाओ को केन्द्रीय समन्वय निकाय के रूप मे मान्यता प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ पर खर्च के लिए उसे १९६७-६८ के एक लाख रुपये का सहायक अनुदान दिये जाने का सुझाव है।

नशावन्दी लोक कार्य क्षेत्र राज्यो और सघ-शासित क्षेत्रो मे मद्यनिषेध सम्वन्धी शिक्षा कार्य कर रहे हैं। यह एक मार्गदर्शी प्रोजैक्ट है। प्रत्येक क्षेत्र पर खर्च की सीमा ५,००० रुपये है और केन्द्र और राज्य इस खर्च को ६० ४० के अनुपात मे वहन करते है।

मद्यनिषेध की प्रगति

भारत के विभिन्न राज्यो एव सघीय क्षेत्रो मे मद्यनिषेध की स्थिति अलग-अलग है। केवल गुजरात राज्य मे सम्पूर्ण मद्यनिषेध है। महाराष्ट्र मे भी सम्पूर्ण मद्य-निषेध था परन्तु गत वर्ष इसमे कुछ छूट दी गई है। अन्य राज्यो मे कुछ चुने हुए क्षेत्रो तथा कुछ चुने हुए दिनो पर शरावबन्दी लागू है।

समाज-कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति

समाज-कल्याण कार्यक्रमो का स्वरूप प्रथम तीन योजनाओ के दौरान क्रमश विकसित हुआ। प्रथम योजना मे स्त्रियो और वच्चो के कल्याण कार्यक्रमो और ऐच्छिक सगठनो को अनुदान देने के लिए चार करोड रुपये की व्यवस्था की गई। राज्य समाज कल्याण योजनाए इससे वाहर थी। द्वितीय योजना मे केन्द्रीय एव राज्य योजनाओ को शामिल कर समाज कल्याण कार्यक्रमो का कार्यक्षेत्र वढा दिया गया। इस योजना मे १९ करोड रुपये की व्यवस्था की गई तथा १४ करोड व्यय हुआ। तीसरी योजना मे ३१ करोड रुपये की व्यवस्था की

गई किन्तु चीनी आक्रमण से उत्पन्न समस्याओ के कारण कार्यक्रमो का विस्तार योजनाओ के अनुरूप नही हुआ तथा वास्तविक व्यय लगभग १६ करोड रुपया हुआ। चौथी योजना म समाज कल्याण कार्यक्रमो के लिए ८० करोड रुपये व्यय का प्रस्ताव है। १९६६ ६७ म ४ करोड से कुछ अधिक रुपया व्यय हुआ। १९६७ ६८ की योजना का अनुमानित व्यय लगभग ४ ५ करोड है।

सामाजिक सरक्षण तथा सुधार सेवाए

तीसरी योजना म इस कार्यक्रम की परियोजनाओ के लिये ३ ५८ करोड ६० रख गए। कार्यक्रम के उद्देश्य ये रहे—(१) अपराधियो पर नियत्रण व उनका सुधार (२) स्त्रियो और बालिकाओ का अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम १९५६ का पूर्ण अमल (३) भिखमगो और अवारागर्दो का नियत्रण व सुधार (४) जेलो म कल्याण सेवा और (५) परिवीक्षा सेवा।

वेश्यावृत्ति के लिए १८ वर्ष से कम उम्र की बालिका का अपहरण खरीद और बिक्री के लिए भारतीय दड सहिता मे १ वर्ष तक की कारावास सजा है। वेश्यावृत्ति के लिए स्त्रियो व लडकियो के व्यापार का दमन करना इसका उद्देश्य है। पर उसने केवल गणिकावृत्ति को दडनीय नही माना है। अधिनियम मे आश्रम खोलने तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी है। तीसरी योजना म प्रत्येक राज्य मे एक आश्रम खोलने की व्यवस्था भी थी। अभी तक केवल ४ ही खोले गए हैं। अनैतिक जीवन से मुक्त स्त्रियो के पुनर्वास की व्यवस्था और अच्छी करने का विचार चल रहा है। साथ ही अधिनियम को लागू करने म आई कठिनाइयो को दूर करने के लिए इसमे सशोधन भी विचाराधीन हैं। नैतिक और सामाजिक खतरे मे पडी स्त्रियो लडकियो के लिए सस्थानीय और गर सस्थानीय सेवाओ के पुनरीक्षण के लिए समाज कल्याण विभाग ने श्रीमती रक्षावरण समिति नियुक्ति की जिसने अपना प्रतिवेदन इस वर्ष दिया।

(क) स्त्रियो और बालिकाओ का अनैतिक व्यापर का दमन अधिनियम १९५६—मई १९५० म माच म हुए व्यक्तियो के खरीद फरोख्त तथा वेश्याओ के शोषण सम्बन्धी अन्त र्राष्ट्रीय सम्मेलन के सुझाव पर १९५६ के अत मे ससद ने इसे पारित किया। १ मई १९५८ से यह लागू हुआ।

(ख) राज्य म महिलाओ के लिए सुरक्षा गृह तथा जिला आश्रम हैं। राज्य सरकार की सस्थाओ के अतिरिक्त ऐसी निजी सस्थाए भी हैं जिन्हे केन्द्रीय सहायता मिलती है। पारिवारिक जीवन सस्थान भी इसी के अतर्गत हैं १९६७ ६८ मे विभिन्न राज्यो मे ६० सुरक्षा सदन काय कर रहे थ।

भिक्षावृत्ति

इसे रोकने का दायित्व राज्य सरकारो पर है। उनके अलग-अलग विधान हैं। भारत सरकार इसके नियत्रण के लिये राज्यो को वित्तीय सहायता देती है। भिखारियो के लिये भिखारी-गृह निधन-गृह तथा स्वस्थ भिखारियो के लिए कार्य केन्द्र होते हैं। आन्ध्र असम बिहार गुजरात जम्मू-कश्मीर, केरल मद्रास, महाराष्ट्र मसूर और प० बगाल ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन कानून बनाए हैं।

बाल भिक्षावृत्ति के नियत्रण तथा उन्मूलन के लिए सरकार ने एक विशेष योजना मानी है। इसे पहले चरण मे १० लाख से अधिक जनसख्या के ८ नगरो मे लागू किया जावेगा। अभी यह तीन शहरो मे शुरू हो गया है।

भिखारियो व अवारागर्दो के लिये दड प्रक्रिया सहिता की धारा ५५ (1) बी तथा १०६ (बी) के अन्तर्गत समान रूप से दड की व्यवस्था है। सार्वजनिक स्थानो पर गडबड करने वाले भिखारी धारा १३३ के अन्तर्गत दडनीय है। १५ फरवरी, १९४१ से रेलवे के अहाते मे भीख माँगने की कानूनन मनाही है। सार्वजनिक स्थानो मे भीख मागने पर भी कानूनन मनाही है। नगरपालिका और पुलिस कानूनो मे भी भिक्षावृत्ति रोकने की व्यवस्था है। भीख मगवाने के लिए बच्चो का अपहरण करना घोर अपराध है और इसके वास्ते भारतीय दड सहिता (सशोधन) अधिनियम १९५९ बनाया गया है। बच्चे से भीख मागने का धधा कराने के लिए उन्हे उडाने पर कठोर दण्ड विहित किया गया है, और यदि बच्चा विकलाग या अपाहिज बना दिया जाय, तो आजन्म कारावास की सजा दी जा सकती है।

सुधार सेवाओ का केन्द्रीय ब्यूरो—(सेंट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विस) अगस्त १९६१ मे इसकी स्थापना की गई। ब्यूरो के मुख्य काम ये हैं . राष्ट्रीय आधार पर साख्यिकी का प्रामाणिक सग्रह करना, एक सामान्य नीति का विकास व समन्वय करना, विदेशी सरकारो और सयुक्त राष्ट्र सघ की विभिन्न एजेन्सियो के साथ जानकारी का विनिमय करना, तथा अपराधो को रोकने और अपराधियो को सुधारने के क्षेत्र मे अनुसधान, प्रशिक्षण, अध्ययन और सर्वेक्षण को प्रोत्साहन देना। सब राज्यो के १००० अपराधियो के मामलो के अध्ययन हेतु इस ब्यूरो मे एक परियोजना (प्रोजेक्ट) तैयार की जा रही है।

ब्यूरो सूचना-सग्रह केन्द्र के रूप मे है तथा सुधार सम्बन्धी मामलो मे केन्द्र व राज्य सरकारो को सलाह देता है। ब्यूरो 'सामाजिक प्रतिरक्षा' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है जिसमे सुधार के नियमो के बारे मे जानने योग्य सामग्री रहती है। यह देश मे अपने ढग की एक ही पत्रिका है।

ब्यूरो के अन्य कार्य ये है : सयुक्त राष्ट्र सघ के निदेश पर आरम्भ बाल उपचार सम्बन्धी एक सर्वेक्षण प्रायोजना, इग्लैड की प्रमुख समाज सेविका तथा अनन्तर-देखभाल की ब्रिटिश समिति की सदस्या श्रीमती बी० नार्मन बटलर द्वारा देश की विभिन्न सुधारात्मक सस्थाओ के निरीक्षण का प्रबन्ध तथा सयुक्त राष्ट्र सघ के द्वारा इस क्षेत्र मे चलाने का कार्यक्रम।

जेलो मे कल्याण सेवाए—बदियो के साथ मानवोचित व्यवहार हो, इसके लिए जेलो मे कल्याण अधिकारी नियुक्ति किए गए है। विभिन्न जेलो मे १९६७-६८ मे इस प्रकार के २५ पद थे।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८—इसके अन्तर्गत विशिष्ट रोगियो के अपराधियो के लिए परिवेक्षण प्रणाली का उपबध है।

समाज-कल्याण

केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद—अगस्त, १९५३ मे इसकी स्थापना की गई। तात्कालिक वित्तमत्री श्री देशमुख की पत्नी श्रीमती देशमुख इसकी प्रथम अध्यक्षा हुई। इसका

मुख्य काम समाज-कल्याण की गतिविधिया का विस्तार तथा विकास है। अय काय य हैं समाज कल्याण की सस्थाओ की आवश्यकता का सर्वेक्षण सहायक अभिकरणो व कायक्रमो का मूल्याकन केंद्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारो और सहायता प्राप्त समाज कल्याण की गति विधियो का समन्वय स्वच्छिक सस्थाओ को प्रोत्साहन देना (विशेषकर जहाँ इनका अभाव हो) तथा अच्छा काय कर रही सस्थाओ व प्रतिष्ठानो को वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता के लिए परिषद ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। परिषद भारत सरकार के एक विभाग की भाति काम करता है। १९६७ ६८ म इसके लिए १७३ ५४ लाख रुपये रख गए थे।

राज्यो मे प्रदेश समाज कल्याण परिषद् हैं। मिनीकाय और अमीन दीव द्वीप समूह म ये नही हैं। प्रदेश परिषद के माध्यम से और सिफारिश के साथ स्वच्छिक समाज-कल्याण सस्थाए—केंद्रीय परिषद को अनुदान के लिये आवेदन करती हैं। १९६१ म अनुदान देने का कायक्रम विकेंद्रित किया गया और प्रदेश परिषदो को एक सीमा तक एक वर्षीय अनुदान देने का अधिकार दिया गया।

स्वच्छिक सस्थाओ को १ वर्षीय अनुदान प्रदेश सरकारो के जरिये तथा अय अनुदान सीधे दिए जाते हैं।

सगठन केंद्रीय परिषद म सरकार के सचिव के अतिरिक्त अय प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन अनुदान परियोजनाए आदि देखते हैं। निरीक्षण अधिकारी हैं जो अनुदान प्राप्त स्वेच्छिक सस्थाओं के काय व बहीखातो की जाच करते हैं। प्रदेश परिषद से सम्बद्ध निरीक्षक व कल्याण अधिकारी हैं। प्रदेश परिषद के प्रशासनिक व्यय का आधा राज्य सरकार तथा आधा केंद्रीय परिषद वहन करती है।

केंद्रीय समाज कल्याण परिषद की सहायता प्राप्त अय गतिविधिया ये है —महिला कल्याण बाल-कल्याण रन-बसेरा कल्याण प्रसार परियोजना नगरी व ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रो म कल्याण काय क्षेत्र-कमचारी प्रशिक्षण अनुसधान मूल्याकन प्रचार पत्रिकाए चलचित्र व प्रकाशन परिवार नियोजन परिवार कल्याण सम्मेलन व विचार शिविर।

स्वय परिषद ने अगस्त १९५४ मे कल्याण प्रसार परियोजना का आरम्भ किया। हर ग्रामीण परियोजना मे २५ से ३ गाव तथा लगभग २० ००० की आबादी है। परियोजनाओ क अतगत बालवाडी मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवा महिलाओ को सामाजिक शिक्षा देना व साक्षर करना कला व शिक्षा केंद्र तथा मनोरजन की गतिविधियाँ हैं। फरवरी १९६८ के अन्त तक ८ परियोजनाओ के लिए ४५ ०० रुपये की राशि दी गई।

कल्याण प्रसार केंद्र पहले वहा आरम्भ किया गया जहा सामुदायिक विकास केंद्र नही थे। बाद म इन्हें केवल उन्ही क्षेत्रो म चलाने का निणय किया गया जहा सामुदायिक विकास प्रखड हो। पहले कल्याण प्रसार केंद्र महिला मडलो व स्वच्छिक सस्थाओ को सौंप दिए गए। ८ परियोजना जिसम ४ केन्द्र हैं अपने पूवमय म ही मणिपुर नागालैंड अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा पजाब की कुल्लू घाटी म हैं। इन स्थानों म इन्हें सभालने क लिए कोई स्वच्छिक सस्था नही है। इन्ही परियोजनाओ क खच का २ तिहाई केंद्र तथा १ तिहाई राज्य या सघीय प्रदेश सरकारें देती हैं। अप्रल १९६७ के प्रारम्भ म ५४१ महिला मण्डल व स्वच्छिक सस्थाए १४९२ केंद्र चला रही थी।

सामुदायिक विकास प्रखडो मे चल रही प्रत्येक परियोजना मे १० केन्द्र हैं जहा १ मुख्य सेविका, ८ ग्राम सेविकाए, ८ वालवाडी अध्यापक तथा ५ दाइया होती हैं। विकास प्रखड मे भी १ मुख्य सेविका तथा दो ग्राम-सेविकाए साथ होती हैं। परियोजना का कार्य परियोजना कार्यान्वियन समिति देखती है जिसमे क्षेत्र के पचायत जिला अधिकारी होते है। प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत १०० गाव और ६०,००० से ७०,००० तक की आवादी है। अप्रैल, १९६७ के प्रारम्भ मे ऐसी २६४ परियोजनाओ के अन्तर्गन २४५२ केन्द्र कार्यरत थे। फरवरी १९६८ तक इन परियोजनाओ के लिए प्रदेश परिषदो को ३५ लाख रु० की रकम दी गई।

कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी) : इनका उद्देश्य शहरो की गदी वस्ती मे कल्याण योजनाओ का विस्तार करना है। इसके अन्तर्गत शिशु-गृह व वालवाडी का निर्माण, प्रसूति के वाद परामर्श-सेवा देना तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना के कार्य हैं। इनके अतिरिक्त शौकिया क्लवो की स्थापना, व्यावसायिक पथप्रदर्शन, महिलाओ तथा अपाहिजो की सेवा के भी कार्य है। १९६७-६८ मे १६ प्रदेशो मे ऐसी ५६ परियोजनाए कार्य कर रही थी। कम आय वाले परिवारो के वच्चो के लिये छुट्टियो मे अवकाश-गृहो व शिविरो की व्यवस्था है। इसका प्रशासन प्रदेश परिषद् करती है। भारतीय वाल-कल्याण परिषद योजना का समन्वय करता है। प्रत्येक अवकाश शिविर पहले २१ दिन का होता था, पर अव अधिकाधिक वालको को लाभ पहुचाने के लिए १५ दिन का कर दिया गया है।

वाल-कल्याण योजना के कार्यकर्त्ताओ के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। वाल-वाडियो के लिए वाल सेविकाओ को तैयार करने के लिए ३ माह के दो अल्पकालीन पाठ्यक्रम है। इसे मध्य प्रदेश और उडीसा ने आयोजित किया। दो वर्षीय प्रशिक्षण केन्द्र आध्र, असम, गुजरात, मध्य-प्रदेश, मैसूर और उडीसा मे है। ऐसे कुल पाठ्यक्रमो की सख्या ७ है। कार्यकर्त्ताओ के लिए मार्ग-दर्शक साहित्य भी है। परिषद की दो पत्रिकाए भी है—'सोशल वेल्फेयर' तथा 'समाज कल्याण'। इसके विशेषाक सभी क्षेत्रीय भाषाओ मे अनुवाद कर प्रदेश परिषद कार्यकर्त्ताओ तक पहुचाये जाते है।

पोषक देख-रेख के लिए १९६४-६५ मे एक सस्थान को 'पोषक देख-रेख इकाई' प्रारम्भ करने के लिए अनुदान दिया गया, पर इसमे विशेष प्रगति नही हुई।

वाल-अपराध वाल अपराव रोकने तथा उस पर नियत्रण का दायित्व राज्य सरकारो का है। भारत सरकार इसमे वित्तीय सहायता तथा तकनीकी निर्देशन देती है।

१९६० मे केन्द्रीय सरकार ने सघ प्रदेशो के लिये वाल अधिनियम लागू किया था। इसी आधार पर अन्य राज्यो से अधिनियम वनाने को कहा गया। असम, विहार, राजस्थान तथा उडीसा को छोडकर शेष राज्यो मे अधिनियम है। मध्य प्रदेश मे एक वाल अधिनियम है जो अभी लागू नही हुआ है। १९६८-६९ मे सभी राज्यो मे वाल अधिनियम वना कर लागू करने का निर्देश केन्द्र ने राज्यो को दिया है।

तीसरी योजना मे २३ परिप्रेक्ष्य गृह, १२ प्रमाणित विद्यालय, ३ वाल-भवन और १ वोर्स्टल स्कूल ऐसे वालको के लिये खोले गये। इसकी योजना के अन्त मे अनुमानत ५० वाल-न्यायालय, ११२ प्रप्रेक्षण स्कूल, ७० प्रमाणित स्कूल, ११२ योग्य व्यक्ति सस्थान,

२४ परिवीक्षा आवास ७ बोस्टल स्कूल सुधार गृह ५५ अपेक्षित व अपचारी बालक कल्याण संस्थाए व सोसाइटिया ३०० वेतन भोगी तथा ६० मानाई परिवीक्षा अधिकारी देश भर म थे। इस समय देश म ८३ बाल अदालतें और ३ बाल कल्याण परिषदें काम कर रही हैं। इस समय ७ बोस्टल स्कूल हैं जिनमे २ २०० बालको के लिये स्थान हैं।

बाल-कल्याण की बाल केन्द्रो मे एकीकृत सेवाओ की केन्द्र सचालित परियोजना है। प्रदेश सरकारो और केन्द्र शासित प्रदेशो को उनके चुने हुए सामुदायिक निवास खण्डो मे जहा कुछ विकास हुआ है इसके कार्यान्वयन के लिय १० प्रतिशत सहायता दी जाती है। किसी क्षेत्र विशेष म यह परियोजना १६ वष से कम उम्र के बच्चो के लिए है। इसके अत गत ६० व्यवसाय पूव प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं जिनम ४०० छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं।

भारतीय बाल-कल्याण परिषद् यह नई दिल्ली म है तथा स्वेच्छा सेवी सस्था है। इसकी शाखाए लगभग सभी प्रदेशो म हैं जिन्हे राज्य बाल कल्याण परिषद कहा जाता है। यह सस्था जनेवा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय बाल-कल्याण सघ से सम्बद्ध है।

परिषद् के मुख्य काय-कलाप ये हैं
(क) बाल सेविका प्रशिक्षण कायक्रम
(ख) बालको के लिए अवकाश गृह
(ग) बच्चो के अन्तर्राष्ट्रीय शिविर मे भारतीय बालको के भाग लने की व्यवस्था
(घ) बाल दिवस का आयोजन
(ङ) विशेष साहस का काय करने वाले बालको को राष्ट्रीय पुरस्कार
(च) मध्य प्रदेश म आदिवासी बालको के कल्याण हेतु सस्थान
(छ) विचार गोष्ठिया सम्मेलन

परिषद् को इन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता भी मिलती है

१ बाल सेविका प्रशिक्षण कायक्रम २ केन्द्रीय काय-व्यवस्था ३ प्रदश शाखाओ म आवश्यक कमचारियो की व्यवस्था ४ मुख्य कार्यालय म बाल-सेविका कार्यक्रम के लिए आवश्यक कमचारियो की व्यवस्था ५ विचार गोष्ठी व अनुसधान मुक्ति।

बाल सेविका प्रशिक्षण योजना इसे परिषद् कार्यान्वित करती है। तीसरी योजना म बाल-सेविकाओ के प्रशिक्षण हेतु २ प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए ० लाख रु की व्यवस्था थी। १९६७ ६८ वष म १३ केन्द्र काय करते रहे तथा उनके लिए ४ ५० लाख की राशि मजूर की गई।

अभी तक १९८२ बाल सेविकाए प्रशिक्षित की गइ। गतवष ४८२ सेविकाए प्रशिक्षण पा रही थी।

रात्रि विश्राम गृह (रैन बसेरा) विभिन्न केन्द्रो म २६ रात्रि विश्राम गृह हैं। यह उन मजदूरो के लिए हैं जो बिना आवास के हैं।

महिला समाज कल्याण इसकी गतिविधिया य हैं

सघटित पाठ्यक्रम इसके अन्तगत १८ वष से ३ वष की उम्र तक की साक्षर महिलाओ को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि व माध्यमिक या मध्य स्तर तक शिक्षा पाकर नर्स या दाई बन सकें और अपना रोजी रोटी कमा सकें। दिसम्बर १९६४ तक ७७२ पाठ्यक्रम

प्रारम्भ किए गए और १६००० महिलाए भरती की गई। अक्तूबर, १९६५ के अत तक ७२ पाठ्यक्रम शुरू हुए तथा वर्ष पूरा होने तक ३६ और केन्द्र शुरू होने की आशा थी।

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम : इसका उद्देश्य स्त्रियो को कार्य और आजीविका की सुविधाए प्राप्त करना है। इसके लिए केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद वाणिज्य और उद्योग मत्रालय तथा उनके अधीनस्थ सस्थाओ और औद्योगिक परिषदो की तकनीकी सहायता से उत्पादन केन्द्रो की व्यवस्था करता है। ऐसे ४२ केन्द्र है जिनमे १२०० महिलाए लाभान्वित है। केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद ने उनको ३२ लाख रु० दिए हैं। इस प्रकार के और ३६ केन्द्रो की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

दफ्तरो के कार्य का पाठ्यक्रम · यह योजना केरल राज्य के लिए है, ताकि देश की गरीब व सहायता की पात्र व्यस्क महिलाओ को स्टेनोग्राफी (आशुलिपि) और टाइप का प्रशिक्षण दिया जा सके। २० उम्मीदवारो का एक पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव है।

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली इसकी शाखाए देश भर मे है। यह महिला और बाल-कल्याण के कार्य करती है। इसकी अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि सस्था है जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा को बढाना है। परिवार नियोजन, चिकित्सालय चलाना, विचार-गोष्ठी का आयोजन, विश्व-स्वास्थ्य दिवस व सयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन आदि भी इसकी गतिविधियो मे है। इसके केन्द्रीय कार्यालय के लिये सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है।

स्त्रियों के लिये सामाजिक कार्य का स्कूल · यह नागपुर मे है। इसमे भर्ती होने के लिए कम से कम मैट्रिक होना आवश्यक है। पढाई १ वर्ष की है।

विशेष बाल-कल्याण योजना यह प्रदर्शनात्मक और रचनात्मक है। इसके अतर्गत ये कार्य है —

विशेष बाल कल्याण योजनाओ पर फरवरी '६८ के अत तक ६ ५१ लाख रुपये व्यय किए गए। शिशुओ के लिये कुटी के आधार पर आदर्श घर की स्थापना करना, जहा पारिवारिक वातावरण हो, नूतन बाल-वाडियो का निर्माण और पहले की बाल-वाडियो मे सुधार, अनाथ और निराश्रित बच्चो की सेवा, इस योजना को बाल-सेवा का एक भाग बनाना। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण तथा मनोरजन और शहरी इलाके के बच्चो के प्रशिक्षण की सेवाये उपलब्ध कराना। अपाहिज और मानसिक दृष्टि से अविकसित बच्चो को प्राक्-स्कूली शिक्षा देना। योजना के अतर्गत बच्चो के वास्ते सचित्र साहित्य के प्रकाशन की भी व्यवस्था है। स्कूल न जाने वाले बच्चो के वास्ते उपयुक्त सचित्र साहित्य प्रकाशन करना इसका लक्ष्य है। यह साहित्य ऐसा होगा जो शिशु कल्याण का कार्य करने वालो के लिए भी उपयोगी हो। शिक्षण और मनोरजन के उपकरणो का प्रतिमानीकरण करना भी इसका एक कार्य है।

बारह परियोजनाओ के क्षेत्र मे ४०० से अधिक बाल-वाडियो की स्थापना की गई है। शहरी क्षेत्र के पडौस मे १० प्राक्-स्कूल परियोजनाये शुरू की गई। शिशु कल्याण कार्यकर्ताओ के लिये, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किये गए। बम्बई और मद्रास मे दो पालन पोषण देखभाल सेवा एकक शुरू किए गए हैं।

सीमा क्षेत्रों मे कल्याण-परियोजनाएं : नेफा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पजाब, उत्तर-प्रदेश, और गुजरात के सीमान्त क्षेत्रो मे समाज कल्याण कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया है।

इस केन्द्र के अन्तर्गत वहां प्रसूति-सेवाएं शिल्प प्रशिक्षण समाज शिक्षा बालवाडी व शिक्षा सेवायें जारी की गई है। नेफा लेह लाहौल व किन्नौर में बालबाडियां हैं तथा मनोरंजक कार्यक्रम चिकित्सा सहायता तथा शिल्प प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कच्छ और बनसकरा (गुजरात) में कैम्प आयोजित किए गए जहां महिला-कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों की जानकारी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद वहां कल्याण केन्द्र भी खोले गए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों चमोली और उत्तरकाशी में दो परियोजनाएं प्रारंभ की गई। इन केन्द्रों का काम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य सरकार में निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण सेवाओं को तीव्र करने के लिए बोर्ड ने स्वैच्छिक संस्थाओं को उनके व्यय का ९५ प्रतिशत तक सहायता अनुदान देने का निश्चय किया है।

क्षेत्र कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रशिक्षण के लिए सामाजिक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र हैं। ये सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय द्वारा खोले गए हैं।

परिवार और बाल कल्याण की योजना—यह परिषद् की मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर बनाई गई तथा इसे १४ नवम्बर १९६७ से शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत स्कूल जाने के पूर्व की अवस्था के छोटे बालकों के लिये कल्याण सेवाएं एवं सामुदायिक विकास केन्द्रों में तरुणी माताओं को गृह-व्यवस्था गृह-सुधार तथा बालकों की देख रेख के प्रशिक्षण दल आदि की परियोजनाओं की स्थापना है। अभी तक ५ परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक परियोजना पर प्रति वर्ष आवृत व्यय ५१ ८१० तथा अनावृत व्यय ५५ ५०० रुपया होना है।

प्रदेश समाज-कल्याण सलाहकार परिषद्—परिषद १६ राज्यों में और ८ संघीय प्रदेशों में है। असम गुजरात जम्मू-कश्मीर महाराष्ट्र मैसूर दिल्ली गोवा दमन और दीव हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के परिषद् की पहली कार्यावधि समाप्त होने पर उनका पुनर्गठन किया गया।

प्रदेश परिषदों की प्रशासनिक क्षमता और कार्य भार के मूल्यांकन के लिए उनका निरीक्षण किया जाता है।

सम्मेलन और सेमिनार—मई १९६५ में अखिल भारतीय स्तर की स्वैच्छिक समाज कल्याण की संस्थाओं के अध्यक्षों का एक सम्मेलन केन्द्रीय परिषद् ने आयोजित किया। इसका उद्देश्य परिषद् की सहायता का प्रबल मूल्यांकन तथा स्वैच्छिक संस्थाओं व परिषद् से सम्बन्धित सरकारी विभागों में अधिक सहयोग के उपाय ढूंढना था। नवम्बर १९६७ में राज्यों के पिछड़े वर्ग कल्याण कार्य देखने वाले मंत्रियों की बैठक हुई। इसके पूर्व इसी माह में राज्यों के समाज-कल्याण निदेशक एवं सचिवों का सम्मेलन हुआ।

भारतीय सामाजिक कार्य सम्मेलन—यह बम्बई में है तथा अखिल भारतीय संस्था है। इसकी शाखाएं लगभग सभी प्रदेशों में हैं। यह सामाजिक कार्य के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (यूनाइ) से सम्बद्ध है। इसके मुख्य कार्य ये हैं सामाजिक कार्यों को बढ़ाना और उनमें समन्वय स्थापित करना सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अनुसंधान करना सर्वेक्षण करना तथा विचार-गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करना। सम्मेलन को उसके केन्द्रीय कार्यालय की व्यवस्था तथा विचार-गोष्ठी के आयोजन के लिए विभागीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान बम्बई—यह सामाजिक कार्य की शिक्षा देता है। एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाने पर सितम्बर '६७ मे शिक्षा मन्त्रालय सस्थान के अन्तर्गत आ गया किन्तु सस्थान के प्रबन्धक समिति मे समाज-कल्याण विभाग का भी प्रतिनिधि है। यहा स्नातको को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हे सामाजिक सेवा प्रशासन की स्नातकोत्तर उपाधि दी जाती है। यहाँ अनुसधान और विचार-गोष्ठिया भी होती हैं।

सामाजिक कार्य स्कूल, मद्रास—यहा दो वर्षो की स्नातकोत्तर पढाई होती है और 'सामाजिक सेवा प्रशासन' का डिप्लोमा दिया जाता है।

अनुसन्धान कार्य की अन्य संस्थाएं—सामाजिक सेवा का कर्वे सस्थान (पूना), अखिल भारतीय अपराध रोध सस्था (लखनऊ), बाल विहार (मद्रास), सामाजिक विकास परिषद —भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (नई दिल्ली), सामाजिक सेवाओ का सस्थान-निर्मला निकेतन (नई दिल्ली), सामाजिक विज्ञानो का सस्थान—काशी विद्यापीठ (वाराणसी), सामाजिक कार्य का सकाय—एम० एस० विश्वविद्यालय (बडौदा)।

अपंगों की शिक्षा तथा पुनर्वास

नेत्रहीनो, बहरो, विकलागो तथा मदमति व्यक्तियो के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सेवाए है। अनुमान है कि इस देश मे इस प्रकार के एक करोड से अधिक अपग व्यक्ति है।

अपग व्यक्तियो की सही-सही सख्या का ज्ञान कठिन है। १९३१ की जनगणना के साथ ऐसे व्यक्तियो की भी गणना की गई थी। तब से विभिन्न सर्वेक्षणो के आधार पर कच्चे अनुपात ही लगाये जा रहे है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के केन्द्रीय परिषदो की सयुक्त समिति की १९४४ की 'भारत मे नेत्रहीनता' रिपोर्ट के अनुसार, देश मे नेत्रहीनो की सख्या २० लाख होगी, हाल के सर्वेक्षण के अनुसार यह ४० लाख से भी अधिक हो सकती है। बहरे व्यक्तियो की सख्या का अनुमान ८ और १६ लाख के बीच है। विकलाग व्यक्तियो की सख्या नेत्रहीनो से अधिक ही होने का अनुमान है। मदमति बच्चो की सख्या १५ से १८ लाख तक होगी।

नेत्रहीन व्यक्ति—नेत्रहीनो के लिए इस समय देश मे ११५ स्कूल तथा प्रशिक्षण केन्द्र है। इनमे व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। इनमे से अधिकतर सस्थाए अभिकरणो द्वारा चलायी जाती है, पर सम्बन्धित राज्य सरकारो से उन्हे सहायता मिलती है।

नेत्रहीनो के लिए राष्ट्रीय केन्द्र देहरादून

नेत्रहीनो के लिए स्थापित प्रायोजनाओ मे यह एक प्रमुख राष्ट्रीय केन्द्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने की। इसका उद्देश्य नेत्रहीनो के लिए सेवाए उपलब्ध कराना है। इन सेवाओ का प्रारम्भ नेत्रहीन बालको की शिक्षा से तथा अल्प वयस्क नेत्रहीनो के लिए अच्छी पठन-सामग्री की व्यवस्था से होगा। इस समय केन्द्र मे ये सेवाए है

१ **वयस्क नेत्रहीनो के लिए प्रशिक्षण केन्द्र** इसकी स्थापना जनवरी, १९५० मे हुई। यह नेत्रहीनो के लिए देश की सबसे बडी सस्था है। इसमे १५० पुरुष तथा ५५

स्त्रियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कुटीर उद्योगो तथा सरल अभियांत्रिक व्यवसायो में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके साथ ब्रेल लिपि टकन तथा सगीत म प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियो के लिए भोजन निवास तथा शिक्षा मुफ्त है। केन्द्र ने प्रशिक्षित नेत्रहीन व्यक्तियो के लिए रोजगार सम्बधी सर्वेक्षण करने के भी प्रयत्न किये। ऋषिकेश म हिन्दुस्तान एटी बायाटिक्स म नेत्रहीनो के लिए रोजगार की सभावनाए हैं

गत कुछ वर्षों मे केन्द्र म हल्की अभियांत्रिकी के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है। सयुक्त राष्ट्र निकाय कायक्रम के अधीन आये एक विशेषज्ञ की सहायता से इस विभाग का विकास किया जा रहा है।

२ शेल्टर्ड वर्कशाप—इसकी स्थापना जून १९५४ मे की गई। इसम ७ कुर्सिया बुनने वाले तथा ५ बुनकर काम करते हैं। कामगारो को काम के अनुसार मजदूरी दी जाती है तथा उनके लिए आवास डाक्टरी सहायता का प्रबन्ध है।

१९६७ ६८ म कुर्सिया बुनने वालो ने १२ ००० रु० तथा बुनकरो ने १ ३७ ००० रु का काम किया। वर्कशाप म कामगारों की सख्या २५ तक बढाई जा रही है।

३ केन्द्रीय ब्रेल प्रेस—इसकी स्थापना १९५१ म हुई। इसमे सभी मुख्य भारतीय भाषाओ म हिन्दी म लिप्यकर ब्रेल लिपि म साहित्य तयार किया जाता है। १९६७ के अन्त तक इस प्रेस म २७३ टाइटिल प्रकाशित किए गए। एक हिन्दी त्रमासिक पत्रिका भी यहां स प्रकाशित की जाती है। प्रेस म तयार साहित्य नेत्रहीनो की सस्थाओ को रियायती मूल्य पर दिया जाता है।

४ ब्रेल-साधनों की निर्माणशाला—यह १९५४ म स्थापित हुई। यह नेत्रहीनो की शिक्षा के लिए आवश्यक साधन तयार करने के लिये है। सयुक्त राष्ट्र निकाय कायक्रम के अधीन आये एक विशेषज्ञ की सहायता से इसका विकास किया जा रहा है।

१९६७-६८ म लगभग ५ ०० रु० के ब्रेल-साधन विदेश भेजे गये।

५ नेत्रहीन बालकों का आदर्श स्कूल—यह १९५९ म खोला गया। यह माध्यमिक आवासीय स्कूल है। १९६५ ६६ म ९ वी कक्षा भी खोल दी गई। देश के सभी भागो से नेत्रहीन बालक दाखिल किये जाते हैं पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। स्कूल म ६६ छात्र हैं। बच्चो म मेकेनिकल काम की रुचि बढाने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। मार्च ६८ म स्कूल के ११ छात्र उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा म बैठे।

६ नेत्रहीनों का राष्ट्रीय पुस्तकालय—यह १९५१ म स्थापित हुआ। यह सारे देश म नेत्रहीनों को ब्रेल-मुद्रित पुस्तके उधार देता है। १९६७ ६८ में सदस्यो की सख्या लगभग ७१५ थी। ... औसतन १ ३३० पुस्तकें पढ़ने को दी गईं। पुस्तकालय म इस वर्ष ०१५ ... १९६८ ६९ म एक बोलती पुस्तक अनुभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

७ कमजोर नजरवाले बच्चों के लिए स्कूल—केन्द्र के एक भाग म इस वर्ष कमजोर नजर वाले बच्चो के लिए एक स्कूल शुरू किया जा रहा है।

८ बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा—१९६८ ६९ वर्ष के दौरान ... छात्र सेवा

मे नेत्रहीन बच्चो को साधारण स्कूल में दाखिल करके शिक्षा देने का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग के खर्च का सारा भार केन्द्रीय सरकार पर है।

नेत्रहीनो के लिए छात्रवृत्तिया

यह योजना १६५२-५३ मे शुरू हुई। इसके अधीन १६ से ३० साल तक के नेत्रहीन छात्रो को ऊची शिक्षा या तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। तीसरी योजना मे इसके लिए ६ ०० लाख रु० का प्रावधान था, ५३४ व्यक्तियो को छात्रवृत्तिया दी गयी जिनका कुल खर्च ६.०१ लाख रु० आया। १६६७-६८ मे ५० नेत्रहीनो को छात्रवृत्ति दी गई।

नेत्रहीनो के अध्यापकों का प्रशिक्षण—इसके लिए बम्बई, दिल्ली तथा नरेन्द्रपुर (प० बगाल) मे तीन केन्द्र है। सभी केन्द्र स्वैच्छिक अभिकरणो के अधीन है जिनका सारा खर्च भारत सरकार देती है। १६६७-६८ मे ३२ अध्यापको ने प्रशिक्षण पाया। १६६७-६८ मे इन तीनो केन्द्रो के पाठ्यक्रमो का पुनरावलोकन किया गया। समान परीक्षाए लेने तथा समान पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक बोर्ड की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

बहरे

देश मे इस समय बहरो के लिए ७१ सस्थाए है। इनमे से अधिकतर स्वैच्छिक अभिकरण चलाते है जिन्हे कुछ सरकारी सहायता मिलती है। अधिकतर स्कूलो मे बहरो को प्रारम्भिक शिक्षा तथा कपडा सीने व बुनने, कालीन बनाने, लोहारगिरी, छपाई और जिल्दसाजी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वयस्क बहरो के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद—इस केन्द्र मे ६० प्रशिक्षणार्थियो के लिए स्थान है। १६ साल से २५ साल की आयु के बहरे लडको को इजिनियरिंग व्यवसाय मे प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले पाच सालो मे ८१ बहरे लडको ने इस केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस साल किसी नये दल ने प्रशिक्षण समाप्त नही किया, क्योकि प्रशिक्षण की सामान्य अवधि दो साल की है।

बहरो के लिए छात्रवृत्तियां : ये प्रथम पचवर्षीय योजना के अत मे प्रारभ की गई। १६ से ३० साल तक के बहरे छात्रो को ऊँची शिक्षा, तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तिया दी जाती है। तीसरी योजना मे ४०० व्यक्तियो को छात्रवृत्तिया दी गई जिन पर ३ ३३ लाख रु० खर्च आया। १६६७-६८ मे २७ को छात्रवृत्तिया दी गई।

विकलांग

अत्यन्त विकलाग व्यक्तियो के लिए अभी देश मे २४ विशेष सस्थाए है। इनमे प्रारम्भिक शिक्षा के साथ भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इनमे से अधिकतर सस्थाओ को राज्य सरकारो से सहायता मिलती है।

ऐसे विकलागो के लिए भी छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था है जो पहली योजनावधि के अन्त मे शुरू हुई। इसके अधीन १२ से ३० साल तक की उम्र के विकलाग छात्रो को ७वी कक्षा के बाद साधारण शिक्षा तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्र-

वृत्तियाँ दी जाती हैं। तीसरी योजना मे १४ ६६ लाख रु० की ६४२ छात्रवृत्तियाँ दी गईं। १९६७ ६८ मे १०५ विकलागो को छात्रवृत्ति दी गई।

म दमति

इस वग के व्यक्तियो की सख्या सबसे अधिक है और अय वर्गों की तुलना म इह सुविधाए बहुत कम दी गई हैं। देश म इस प्रकार के बच्चो के लिए कुल १२ स्कूल हैं। नवम्बर १९६४ म दिल्ली मे भारत सरकार ने ऐसे बालको के लिए एक स्कूल खोला जिसम १० आवासीय छात्रो के लिए स्थान है। इस स्कूल म १९६७ ६८ वष म ५१ नये आवासीय तथा ३ गर-आवासीय छात्र दाखिल किए गए।

प्रशिक्षित विकलागो को वतनिक काम दिलाने के लिए हाल ही मे ठोस प्रयत्न किये गये हैं। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने १९५८ म एक विशेषज्ञ की सेवायें दी। इस विशेषज्ञ की सिफारिश पर १९५९ मे बम्बई मे विकलाग व्यक्तियो के लिए पहला विशेष रोजगार कार्यालय खोला गया। बाद मे ८ और जालधर दिल्ली कानपुर मद्रास हैदराबाद अहमदाबाद बगलौर तथा कलकत्ता मे खोले गये।

१९६७ के अत तक इन कार्यालयो ने ४२९ विकलागो को रोजगार दिलाया। १९६७ ६८ म ५१५ विकलागो को रोजगार दिलाया गया जिनमे २३ नेत्रहीन ४९ बहरे तथा ४३३ विकलाग थे।

स्वच्छिक सस्थाओं को सहायता सस्थाओ के विकासात्मक कार्यों के लिए कमचारियो के वेतन का शत प्रतिशत व्यय और व्यय के अय मदो की ५ प्रतिशत तक सहायता भारत सरकार देती है। तीसरी योजना मे ४६ सस्थाओ को २१ ३४ ३६५ रु के अनुदान दिये गए। १९६७ ६८ म १३ सस्थाओ को ३ ४६ ० ० रु अनुदान दिए गए।

सयुक्त राष्ट्र अतर्राष्ट्रीय बाल आपात्-निधि

राष्ट्रपति के आदेश से निधि सम्बधी काम का समन्वय जुलाई १९६४ से स्वास्थ्य मत्रालय से लेकर सामाजिक सुरक्षा विभाग को द दिया गया। निधि इन मत्रालयो को सक्रिय सहायता देती है

१—स्वास्थ्य मत्रालय २—शिक्षा मत्रलाय ३—सामुदायिक विकास और सहकारिता मत्रालय तथा ४—खाद्य-कृषि मत्रालय।

निधि से सहायता भारत सरकार के विकास कायक्रमो के अन्तगत अनेक काय क्षेत्रो के लिए मिल रही है।

१९६७-६८ म निधि ने भारत म विभिन्न प्रयोजनाओ और कायक्रमो के लिए ६२ ६४ लाख अमरीकी डालरो की सहायता दी।

भारत सरकार निधि के न्यूयाक स्थित मुख्य कार्यालय को ४० लाख रु० का वार्षिक योगदान देती है। उसे क्रमश बढाकर १९६९ म ६० लाख रु किया जाएगा। १९६७ ६८ में अनुदान की राशि ४२ लाख रुपये कर दी गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय को

प्रशासनिक खर्च के लिए १२ लाख रु० का वार्षिक सहायक अनुदान दिया जाता है। दोनो की अदायगी रु० मे होती है।

प्राक्व्यवसाय केन्द्र योजना : इसमे भी निधि का सहयोग है। योजना का उद्देश्य ११ से १४ साल तक के बच्चो को, जिनकी रुचि न होने के आर्थिक कारणो से प्राथमिक स्तर के बाद पढाई छूट गई, प्राक्-व्यवसाय प्रशिक्षण देता है।

परिवार तथा बाल कल्याण योजना : इसके अन्तर्गत निधि द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रो तथा परियोजना केन्द्रो को सामग्री एव अर्थ की सहायता दी जाती है।

विस्थापितों का समाज-कल्याण तथा पुनर्वास

देश के विभाजन के बाद निराश्रित व अनाथ महिलाओ, बालको, वृद्धो तथा अशक्तो की समुचित देखभाल व अनुपोषण तथा पुनर्वास का भार भारत सरकार पर आया। यह कार्य प्रारम्भ मे पुनर्वास मन्त्रालय से शिक्षा मन्त्रालय को तथा बाद मे समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया गया।

समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय

उपरोक्त कार्य के लिए भारत सरकार ने विभाजन के तुरन्त बाद इसकी स्थापना की। यह अभी भी कार्य कर रहा है।

गृह तथा आश्रम विस्थापितो को समुचित देखभाल तथा अनुपोषण के लिए इनमे ठहराया गया। अनुपोषण का काम सामाजिक सुरक्षा विभाग (अब, समाज कल्याण विभाग) ने अपनी कल्याण कार्रवाई के रूप मे जारी रखा। १९६७-६८ मे इन गृह आश्रमो की सख्या ४० थी और इनमे लगभग ३६००० लोग थे। इनके अतिरिक्त २५ बाल सस्थायें हैं जिनमे ९०० विस्थापित बच्चे (अधिकतर अनाथ) है। इन्हे बच्चो के अनुपोषण और शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। गृहो, आश्रमो से बाहर रहने वाले लगभग २९०० विस्थापित है जिन्हे नकदी बेकारी-अनुदान दिया जाता है।

आश्रम, गृह से निकले लोगो को मकान बनवाने तथा रोजगार चलाने के लिए ऋण के रूप मे वित्तीय सहायता दी जाती है। बहुतो के लिए व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय की मुख्य गतिविधिया.

प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र—ऐसे १८ केन्द्र दिल्ली व नई दिल्ली मे हैं। इनमे लडकियो व महिलाओ को व्यावसायिक प्रशिक्षण व सहायता दी जाती है। १९६६ मे १२३ स्त्रियो ने एक वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम तथा २४ स्त्रियो ने शिल्प अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा किया। २,६४३ स्त्रियो को विभिन्न दस्तकारियो मे लगाया गया।

कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्ली—विस्थापित निराश्रित महिलाओ तथा उनके बच्चों की देखभाल व अनुरक्षण के लिए यह है। अभी इसमे ८४० ऐसे स्त्री-बच्चे हैं। निकेतन का एक भाग उन जवानो के जरूरतमन्द परिवारो के लिए है, जिन्हे अल्प सूचना पर ही सीमा पर भेज दिया जाता है।

अमल में है। इस अधिनियम के अन्तर्गत इसके उल्लंघनकर्ता को दण्ड देने की व्यवस्था है। अधिनियम के कारण किसी को दुकानों में आने और चलने, होटल में सबके साथ बैठकर खाने, स्कूल-कालेज में भरती करने व कोई नौकरी देने से इस कारण इंकार नहीं किया जा सकता कि वह हरिजन वर्ग का है। सरायों, धर्मशालाओं, मुसाफिरखानों के दरवाजे अब उनके लिए बन्द नहीं रखे जा सकते। हरिजनों को कोई दुकानदार कोई चीज बेचने से इस कारण इन्कार नहीं कर सकता कि वह हरिजन है। इसी प्रकार हरिजन का सामाजिक बहिष्कार करना व इसमें भाग लेना दण्डनीय है। इस कानून के अधीन अपराधी पर अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने की जिम्मेदारी है।

अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों का दायित्व है केन्द्र समय-समय पर इसका निरीक्षण करता है। अधिनियम की कार्यान्वयन सम्बन्धी बातों पर विचार विमर्श के लिये राज्यों के विभागीय मन्त्रियों का सम्मेलन होता है।

अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन केन्द्रीय सरकार १९५४ से इस आन्दोलन को वित्तीय सहायता दे रही है। आन्दोलन में सरकारी और गैरसरकारी दोनों एजेंसियाँ लगी हैं। जनता का ध्यान इस ओर केन्द्रित करने के लिए हरिजन दिवस, हरिजन सप्ताह मनाये जाते हैं।

अस्पृश्यता के उन्मूलन के काम में हरिजन सेवक संघ, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, भारतीय दलित संघ (भारतीय डिप्रेस्ड क्लास लीग), भारत दलित सेवक संघ, हिन्दी सेवक समाज, दी सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी, दी ताता इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज और ईश्वरशरण आश्रम जैसी स्वेच्छासेवी संस्थाओं की मदद भी ली गई है। इन संस्थाओं को प्रथम योजनाकाल में ६१,५०,७४६ रु० अनुदान में दिया गया। इसमें केन्द्र का भाग १६७७२ ० रु था। दूसरे नियोजन की अवधि में ६८ लाख रु व तीसरे नियोजन काल में १.२० करोड़ रु का अनुदान स्वीकार किया गया था।

विधि मण्डलों में प्रतिनिधित्व संविधान के अनुच्छेद ३३०, ३३२ और ३३४ के अनुसार विधि मण्डल में हरिजनों और आदिवासियों के लिए यथासम्भव जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के लिए संसद और विधान सभाओं में सुरक्षित स्थान

(३१ मार्च १९६३ की स्थिति)

राज्य	लोक सभा में			विधान सभाओं में		
	लोकसभा में कुल स्थानों की संख्या	अनुसूचित जातियाँ (हरिजन)	अनुसूचित कबीले (आदिम जाति)	राज्य विधान सभा की कुल सीटें	अनुसूचित जातियों का	अनुसूचित कबीलों का
आन्ध्र प्रदेश	४१	६		८७	४	११
असम	१४	१		१२६	८	२५
बिहार	५३	७	५	३१८	४५	२६

गुजरात	२४	२	३	१६८	११	२२
हरियाणा	६	२	—	८१	१५	—
जम्मू-कश्मीर	६	—	—	७५	६	—
केरल	१६	२	—	१३३	११	२
मध्यप्रदेश	३७	५	८	२९६	३९	६१
मद्रास	३६	७	—	२३४	४२	२
महाराष्ट्र	४५	३	३	२७०	१५	१६
मैसूर	२७	४	—	२१६	२६	२
नागालैंड	१	—	—	४६	—	—
उडीसा	२०	३	५	१४४	२२	३४
पजाव	१३	३	—	१०४	२३	—
राजस्थान	२३	४	३	१८४	३१	२१
उत्तर-प्रदेश	८५	१८	—	४२५	८६	—
प वगाल	४०	८	२	२८०	५५	१६
सघीय प्रदेश						
दिल्ली	७	१	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	६	१	—	६०	१४	३
मणिपुर	२	—	१	३०	—	६
त्रिपुरा	२	—	१	३०	३	६
गोवा, दमन, दीव	२	—	—	३०	—	—
पाडीचेरी	१	—	—	३०	५	—
अडमान निकोवार	१	—	—	—	—	—
चडीगढ	१	—	—	—	—	—
दादरा व नगरहवेली	१	—	१	—	—	—
लक्षद्वीप, मीनीकाय, अमीद्वीवी	१	—	१	—	—	—
योग	५२०	७७	३७	३५६३	५०३	२६२

एक सुरक्षित स्थान असम के स्वायतशासी जिलो के लिए है।

नौकरिया

सरकारी नौकरियो मे भी अनुसूचित वर्ग के लिए कुछ स्थान सुरक्षित है। खुली प्रतियोगिता के आधार पर १२½ प्रतिशत रिक्त स्थान पूरे किए जाते है। १६⅔ प्रतिशत रिक्त स्थान अन्य रीति से भरे जाते हैं। अनुसूचित वर्ग के लिए सुरक्षित स्थानो के लिए ही उपयुक्त विधियो का अनुसरण किया जाता है। यथा—इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा मे इस वर्ग का सफल व्यक्ति ही सुरक्षित स्थान पाएगा। यदि परीक्षा मे कोई उत्तीर्ण न होगा तव ये रिक्त स्थान सामान्य वर्ग से पूरे किए जायेंगे। इसमे यह नही देखा जाएगा कि परीक्षोत्तीर्ण का क्रमाक क्या है।

सरकारी नौकरी पाने की विभिन्न प्रकार की सुविधायें मिलने के फलस्वरूप १९६३ के अन्त में विभिन्न वर्गों की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित वर्ग के लोगों की संख्या इस प्रकार थी

ग्रेड	अनुसूचित जातियाँ		अनुसूचित कबीले	
	(१९५९)	(१९६६)	(१९५९)	(१९६६)
वर्ग १	१२३	३६१	१७	१०६
वर्ग २	४८८	९७४	९७	८०
वर्ग ३	५७ ६२५	९९ १७	६ ५०४	१२ ३५६
वर्ग ४	१ ५७ ७०४	२ ११ ०७३	२३ ८१०	४४ ११३

अखिल भारतीय सेवाओं में इनकी स्थिति इस प्रकार है —

	अनुसूचित जातिया		अनुसूचित कबील		अन्य	
	(१९५९)	(१९६५)	(१९५९)	(१९६६)	(१९५९)	(१९६६)
आई० सी एस / आई० ए० एस०	३५	११४	८	४०	१६०८	२०५७
आई० पी० एस / आई० पी०	१६	६४	७	१८	८८१	११९७
आई० एफ० एस (ए)	३	१७	—	५	१८४	३६६
आई एफ० एस (बी)	२९	८७	६	१६	१ ६९७	२ ३९१

रोजगार दिलाऊ विभाग द्वारा १९६२ में अनुसूचित जातियों के बारे में संग्रहीत अंक इस प्रकार हैं

१९६६ में अनुसूचित जातियों के लिए ९६०५ रिक्त स्थान सुरक्षित घोषित किये गये। इनमें से ४१७९ ही भरे जा सके।

१९६६ में अनुसूचित कबीलों के ६ ७९१ स्थान सुरक्षित घोषित किए गए। इनमें से १ ६ ८ स्थान भर जा सके। १९६२ के अन्त में रजिस्टर में दर्ज नामों की संख्या ४८ ० ४ थी। ६ ७९१ सुरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या १९६२ में घोषित की गई। इनमें १ ६ ८ खाली स्थान आदिवासियों से भरे गए।

१९६१ में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि रेलवे बोर्ड ने हरिजनों और आदिवासियों के लिए रेलवे की नौकरियों में एक कोटा निश्चित कर रखा है। यह कोटा तरक्की से की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में है। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया था कि गृह मन्त्रालय की विज्ञप्ति के बावजूद तरक्की से पूरा किया जाने वाला रिक्त स्थान दो साल बाद समाप्त न समझा जाए बल्कि उसको अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति द्वारा भरने का सब प्रकार से यत्न किया जाए। रेलवे बोर्ड ने यह भी सूचित किया कि दिसम्बर १९६ तक स्थान स्थानान्तरित न किया जाए। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों को रिक्त स्थान के लिए अपना दावा बनाने और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला।

भारत सरकार ने अपने अन्य विभागों में तरक्की द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का कोई नियम नहीं बनाया है।

असम का आदिमवासी क्षेत्र—छठी अनुसूची के अनुसार युनाइटेड खासी जैन्तिया हिल्स, गारो हिल्स, उत्तरी कछार और मिकिर हिल्स के लिए क्षेत्रीय कौंसिल और पाँच जिला कौंसिले स्थापित की गई। जिला कौसिल मे २४ सदस्य होते है। इनमे से तीन चौथाई वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते है। जिला कौसिल को नियम बनाने के और कुछ वित्तीय अधिकार बडी मात्रा मे प्राप्त हे।

परामर्शदात्री समितिया—जिन राज्यो मे अनुसूचित क्षेत्र है या जहाँ राष्ट्रपति निर्देश दे वहा कबीला परामर्शदात्री समितियाँ बनाने के लिए सविधान मे कहा गया हे। कबीला सलाहकार समितियो की सम्या दस है। ये आध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, उडीसा, पजाब, राजस्थान और प० बगाल मे स्थापित है। ये सलाहकार समितिया आदिम जाति के कल्याण के विषय मे पूछे गए प्रश्नो पर सरकार को सलाह देती है। असम, केरल और मैसूर मे इसके कार्य के लिए सलाहकार बोर्ड स्थापित किए गए है। सलाहकार जातिया अण्डमान-निकोबार द्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा मे भी स्थापित की गई है। कबीलो के विषय मे सलाह देने के लिए एक समिति केन्द्र मे भी है।

कानूनी सहायता—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से कुछ राज्य अनुसूचित वर्ग को कानूनी सहायता देते हैं। तीसरे नियोजन मे कानूनी सहायता की मद मे अनुसूचित्त जातियो के लिए ४ लाख रु० और आदिमवासी जातियो के लिए ३ ३५ लाख रु० दिए गए थे।

शिक्षा सहायता—हरिजनो और आदिमवासियो की शैक्षणिक उन्नति के लिए तीसरी योजना मे १४ करोड रु० दिए गए। केन्द्र और राज्य के अचल मे हरिजनो के लिए क्रमश १५३७ ०० लाख रु० और ३८० ०० लाख रु० दिया गया। इसी प्रकार आदिमवासियो के लिए क्रमश १२०० ०० लाख रु० और २१०.०० लाख रु० दिया गया।

पिछडे वर्ग के छात्रो की शिक्षा हेतु सरकार ने १९४८-४९ से छात्रवृत्तिया देने की योजना शुरू की। छात्रवृत्तियो की सख्या एव राशि विभिन्न वर्षो मे लगातार बढती ही रही है —

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित कबीले	अन्य पिछडे वर्ग	योग
१९५१-५२	१३१६	३४८	५१७	२१६१
१९५५-५६	१६०८१	२८८३	१२४८७	३१४५१
१९६०-६१	४२०७१	६८७७	१४४२१	६३३६९
१९६५-६६	७८५४८	१५९२५	२२०८१	११६५५४
१९६६-६७	९०२६४	१७७६०	२३६४०	१३१६६४
		किया गया खर्च रुपयो मे		
१९५१-५२	८१७९७६	२८१७८०	४४११८६	१५४०९४२
१९५५-५६	६३७८४३२	१३०५२३८	७३७०२६६	१५०५३९३६
१९६०-६१	१६७८२४१२	३०९५८१४	८७९७४९०	२८६७५७१६
१९६५-६६	३७२५५३५८६	७०५७८८०	१२६४१२०३	५६९५०६६९
१९६६-६७	४३७६६४४३	८३८३६२२	१२७६६०८२	६४९४६१५३

अनुसूचित जन जातियों एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं १९६६-६७ में विभिन्न कार्यक्रमों पर केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय की तालिका इस प्रकार से है।

अनुसूचित जन जाति
(रुपए लाख रु० में)

शीर्षक	केन्द्रीय क्षेत्र तृतीय योजना	केन्द्रीय क्षेत्र १९६६-६७	राज्य क्षेत्र तृतीय योजना	राज्य क्षेत्र १९६६-६७
शिक्षा	२४३ ४५	८५ ८०	१७६५ ४०	१८८ १८
आर्थिक विकास	१८७९ ९८	७६६ ७०	११११ ३५	१८९ २६
स्वास्थ्य गृह निर्माण आदि	६२ १८	२१ ६४	६६७ ०४	६१ ०२
योग	२१८५ ३१	८७४ ४४	३००३ ७९	४७० ४६

अनुसूचित जाति

शीर्षक	केन्द्रीय क्षेत्र तृतीय योजना	केन्द्रीय क्षेत्र १९६६-६७	राज्य क्षेत्र तृतीय योजना	राज्य क्षेत्र १९६६-६७
शिक्षा	१४७७ ८२	४३६ ८५	१७०३ ?	२५८ ८४
आर्थिक विकास	—	१ ६१	४६५ ८८	७९ ५६
स्वास्थ्य गृह निर्माण आदि	४१४ २१	८३ २६	४७९ ३	८६ ८२
योग	१८९२ ०३	५२२ ०२	२६४८ ०२	४२५ २२

अनुसूचित जातियों और कबीलों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से शेष समाज के स्तर पर लाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और किस प्रकार किस रीति से कर रही हैं यह इससे प्रकट है। विनिधान की गई सारी रकम खर्च नहीं हुई है यह शिकायत तो हरेक विभाग के प्रति की जा सकती है। इसलिए इसको इस वर्ग के प्रति उपेक्षावृत्ति नहीं कहा जा सकता।

अनुसन्धान संस्थान—कबायली रीति रिवाजों कला संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्था आंध्र प्रदेश असम बिहार गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उडीसा राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में है। गोहाटी विश्वविद्यालय में असम के कबीलों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। बम्बई में एन्थ्रोपोलाजिकल सोसाइटी (नृवंशशास्त्र अनुसंधान परिषद्) इस कार्य को कर रही है।

आदिवासी विकास खण्ड—दूसरे नियोजन के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यक्रम में ४३ आदिवासी विकास खण्ड बनाये गये। तीसरी योजना के अन्त में ४५८ आदिवासी विकास खण्ड थे। १९६६-६७ में ३१ नये खंड प्रारम्भ हुए। १९६७-६८ में इन विकासखंडों के लिए ४७० लाख रुपये का प्रावधान किया गया। १९६८-६९ में सम्भवतः ५२८ लाख रुपये व्यय होंगे। प्रत्येक विकास खण्ड का क्षेत्रफल २०० वर्गमील और इनकी जनसंख्या २४००० होती है। इस आबादी में ६६ २/३ प्रतिशत कबायली हैं।

(स्थापित १९५८)

बिहार राज्य सहकारिता भूमि बन्धक बैंक लि०, पटना

१. अधिकृत पूंजी	...	४०,००,०००
२. ऋण-पत्र निर्गत किया गया	...	२५६.१९ लाख
३. ऋण दी गई राशि	...	३००.०० लाख से अधिक
४. शाखाएं	..	४२-बिहार राज्य के सभी अनुमण्डल के मुख्यालय मे (छोटा नागपुर एवं संथालपरगना के जिला मुख्यालयों में)।
५. लक्ष्य	..	चालू वर्ष में २० शाखा खोलने का लक्ष्य है एवं ९००.०० लाख ऋण वितरण का लक्ष्य है।

६. चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में इस बैंक की १५० नई शाखाएं खोलने एवं १०० करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरण करने का प्रस्ताव है।

देखने का काम महालेखा परीक्षक का है। विनियोग की गई राशि बढ़नी नहीं चाहिए। सरकार जो खर्च करे उस पर उसको विधि मण्डल या संसद की स्वीकृति लेनी चाहिए। रेलवे का बजट केन्द्रीय बजट से अलग रहता है। यह १६२४ के रेलवे कनवेंशन (अभिसमय) के अनुसार है। रेलवे केन्द्रीय सरकार को अपनी आय में से कितना भाग दे यह हर तीन साल बाद निश्चित किया जाता है। साधारणतः रेलवे में लगी सरकार की पूंजी का मामूली ब्याज ही रेलवे देती है यह ६ प्रतिशत से कम होता है। इसका नाम लाभांश (डिविडेंट) रखा गया है।

वित्त मन्त्रालय

भारत सरकार के वित्त प्रबंध और सम्पूर्ण वित्तीय व्यवहारों के लिए वित्त मन्त्रालय उत्तरदायी है। प्रबन्धक मन्त्रालयों के सहयोग से यह मन्त्रालय भारत सरकार के सभी व्यय का नियन्त्रण करता है। सरकारी कर व ऋण-नीति का नियमन भी यही करता है। बैंक व्यवस्था और मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा यही करता है तथा सम्बन्धित मन्त्रालय के सहयोग से देश की मुद्रा का नियमन और उचित उपयोग की व्यवस्था करता है। प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम १६५६ के शासन तथा शेयर बाजारों के विनियमन से सम्बन्धित कार्य अर्थ विभाग को सौंप दिया गया। सरकारी उद्यम कार्यालय (ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज) जो पहले समन्वय विभाग के अधीन था २४ जनवरी १६६६ से मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय (मन्त्रिमण्डल कार्य विभाग) के अधीन कर दिया गया।

व्यय अर्थ और समन्वय विभाग में अलग अलग सचिवों के अधीन है राजस्व और बीमा तथा सरकारी उद्यम कार्यालय का एक ही सचिव है। हर विभाग के अधीन अनेक संगठन हैं।

वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत अभी तीन विभाग हैं—राजस्व और बीमा विभाग व्यय विभाग तथा व्यय विभाग २४ जनवरी १६६६ के पूर्व मन्त्रालय में ४वाँ विभाग भी था—समवाय-कार्य व बीमा विभाग। यह १६ नवम्बर १६६४ को बनाया गया था। समाप्ति के बाद बीमा राजस्व विभाग तथा समवाय-कार्य विधि मन्त्रालय के नये विभाग समवाय विभाग में शामिल कर लिया गया।

(१) राजस्व व बीमा विभाग—विभाग सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था और बीमा के मामलों के लिए उत्तरदायी है। राजस्व-नीति के विषय में सरकार को सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य इसका है। स्टाम्प नियन्त्रण विनियमों का प्रशासन भी इसी के अधीन है।

१६६६-६७ में यह प्रशासन कर रहे—आय कर सम्पत्ति-कर अति-कर (अधिलाभ-कर) सम्पत्ति शुल्क और दान-कर प्रशासन कर हैं। सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अतिरिक्त सामान्य शुल्क।

( ) व्यय विभाग—इसके अधीन ये प्रभाग हैं—प्रतिष्ठान प्रभाग असैनिक व्यय प्रभाग रक्षा प्रभाग कर्मचारी निरीक्षण एकक लागत लेखा एकक आयोजना वित्त प्रभाग तथा सरकारी उद्यम कार्यालय। जून १६६७ में वित्त मन्त्रालय के समन्वय विभाग को व्यय विभाग में मिला लिया गया।

( ) अर्थ विभाग—बजट तैयार करता है। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं और स्रोतों की जांच करता है। विभाग में ये प्रभाग हैं—बजट प्रभाग बाह्य वित्त और विदेशी सहायता प्रभाग आर्थिक वित्त प्रभाग अर्थ प्रभाग तथा प्रशासन प्रभाग।

वजट ·

वजट प्रभाग, रेलवे-वजट को छोड़कर, भारत सरकार का वार्पिक वजट तैयार करता है। अधिक व्यय हो जाने पर अनुपूरक वजट व अतिरिक्त अनुदान भी यही तैयार करता है।

हर वित्तीय वर्प मे फरवरी मास के अन्तिम दिनो मे केन्द्रीय सरकार का वजट लोक सभा मे वित्त मन्त्री द्वारा पेश किया जाता है। इसमे अगले वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का अनुमान बताया जाता है, और व्यय की मजूरी मागी जाती है। घाटे को पूरा करने के लिए नए कर भी लगाये जाते है, हटाए भी जाते है, या उनकी दर कम हो जाती है। यह वार्पिक वित्तीय वक्तव्य कहा जाता है। वजट पर पहले साधारण वहस होती है। इसके बाद प्रत्येक मन्त्रालय की माग पेश की जाती है। इस प्रकार समेकित निधि से व्यय करने के लिए राशि निकाली जाती है। इसके बाद विनियोग अधिनियम पेश किया जाता है। ससद यह हर वर्ष पारित करता है। कर प्रस्ताव एक पृथक् विधेयक मे पेश किये जाते है। यह वित्त विधेयक के नाम से प्रसिद्ध है।

आय व्यय : केन्द्रीय सरकार की आय के स्रोत है—उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क, निगम-कर, आय-कर, मृत सम्पत्ति शुल्क और टकसाल की आय। रेलवे और डाक-तार से इसको अशदान मिलता है। राष्ट्रीय निर्माण विभाग के कार्यो तथा सरकारी उद्योग से भी केन्द्रीय सरकार को कुछ आय होती है।

राज्यो की आय के मुख्य स्रोत है—(१) विक्री तथा अन्य कर और शुल्क, (२) विभागो से आय, (३) राज्य के उद्योगो से आय, (४) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अश भाग, तथा (५) केन्द्र से मिला अनुदान।

स्थानीय सस्थाओ की आय के मुख्य स्रोत है—(१) चुगी, सम्पत्ति-कर, पशु-कर, कृत सेवाओ का शुल्क, लाइसेंस फीस, जल-कर, विजली-कर, साईकिल-कर तथा सरकार से प्राप्त अनुदान।

केन्द्रीय सरकार का व्यय तीन भागो मे विभक्त है—सुरक्षा-व्यय, नागरिक या मुल्की व्यय और पूजीगत व्यय या निर्माण-व्यय।

मुल्की या नागरिक व्यय के अन्तर्गत व्यय की निम्न मदे आती है

नागरिक प्रशासन, ऋण सेवाए, विस्थापित पुनर्वास, खाद्य-सहायता आदि। पूजीगत व्यय की मद है—औद्योगिक विकास। इसके लिए पृथक् पूजीगत वजट तैयार किया जाता है। पूजीगत वजट के व्यय की मुख्य मदें है—रेलवे, डाक-तार, नदी घाटी परिकल्पनाएँ, उड्डयन। यह व्यय स्थायी कर्ज, अग्रिम (एडवास) और राज्यो को कर्ज देकर किया जाता है।

केन्द्र से राज्यो को साधनो का हस्तान्तरण—भारत के सघ शासन की एक नई विशेपता है कि केन्द्र सरकार अपने वित्तीय साधनो का कुछ भाग राज्य को देती है। राज्य केन्द्र को नही देते। वित्तीय साधनो का स्रोत केन्द्र है, और आर्थिक दृष्टि से राज्य केन्द्र पर आश्रित है।

राज्य केन्द्रीय सरकार की आय का कुछ अश ही नही पाते, वल्कि सविधिक और अन्य प्रकार के अनुदान, विभिन्न योजनाओ के लिए कर्ज और पुनर्वासन-व्यय भी पाते है।

कर-जाँच आयोग—हर साल सरकार का व्यय वढ रहा है। इस लिए राष्ट्र की कर देने की क्षमता का और अधिक उपयोग कर नियोजित-व्यय को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता को ध्यान मे रखकर कर-जाच आयोग की नियुक्ति की गई। अत कर-जाँच

केन्द्रीय बजट १९६८-६९

केन्द्रीय सरकार की प्राप्तिया (हजार रुपयो मे)

	ब्योरे के लिए विवरण देखिए	वास्तविक प्राप्तिया १९६६ ६७	बजट अनुमान १९६७ ६८	संशोधित अनुमान १९६७ ६८	बजट अनुमान १९६८ ६९
१ भारत की समेकित निधि—					
राजस्व प्राप्तियां					
कर शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—					
सीमा शुल्क		५ ८५,३६ ५४	६ ४० १३ ००	५ २२ ६९ ००	५ १९ ६७ ००
					+१९ ३०,००[1]
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क		१० ३३ ७८ २३	११ ८७ ३२ ००	११ ६३ ४८ ००	१२ ४९ ६५ ००
					+३६ ४३ ००[1]
					— ६ ८६ ००[1]
निगम-कर		३ २८ ८९ ७६	३ ५० ० ००	३ १९ ६५ ००	३ २४ ३५ ००
					— ४ ०० ००[1]
निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर		१ ७१ ५८ ५२	१ ५८ ४१ ७८	१ २५ ८३ १४	१ ५७ ३१ ४९
					+५ ८४,००[1]
मृत-सम्पत्ति शुल्क		१ ७१ ०७	३० ८६	६७ ३२	६८ ७०
सम्पत्ति-कर		१० ५८ ४१	१२ ५० ०	११ ०० ००	११ ०० ००
व्यय-कर		७ ४६	९ ००	३ ००	३ ००
दान-कर		१ ७४ ७३	१ ५० ००	१ ५० ००	१ ७५ ००
अन्य शीर्षक		३१ १२ ४९	३२ ०० ४०	३५ ५१ ४६	३८ ९० ६४
ऋण-व्यवस्था		३ ७७ ४८ ३२	४ ०९ ०० ७	४ १७ ३२ ३०	४ ४९ १८ ७१
प्रशासनिक सेवाएं		१० ६४ २३	९ ३० ८१	१० ०४ ५९	१० ०० ४५

सामाजिक और विकास सवधी सेवाए	२२,५२,९९	२२,८६,५५	२६,२२,३६	२५,९५,२३
बहुप्रयोजनी नदी योजनाए, सिंचाई और बिजली योजनाए	२९,१६	१५,२७	८६,५०	१,९६,७६
लोक-निर्माण-कार्य (सडको सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारो की योजनाए	५,६२,४४	४,५९,७९	५,४४,१०	५,८६,५७
परिवहन और सचार (सडको से भिन्न)	६,१३,४८	१०,९५,२३	११,१२,०१	११,३७,४७
मुद्रा और टकसाल	६८,३०,०७	७८,०२,१३	७८,५४,६३	८६,०५,००
विविध	२५,३३,९७	२१,४१,९६	२७,४०,८३	२२,४६,४३
अशदान और विविध समायोजन (रेलो तथा डाक और तार के अशदानो से भिन्न)	७,८५,७५	६,४६,७१	१०,७०,३०	१०,८३,१३
रेलो का अशदान	३०,७५,७८	३०,९८,०६	२९,७०,१२	३०,५२,०१
डाक और तार का अशदान	..	४,०६,१८	६,४१,३२	३,११,९७
असाधारण मदे	८,२२,३९	९,४७,५३	८,३४,८४	१५,५४,०२
जोड—राजस्व प्राप्तिया	२७,३१,०५,७९	२६,८६,५७,०६	२८,१२,५३,८२	२९,७६,५६,८८ + ५०,७३,००[1]
राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात् कमी	...	...	..	...
जोड	२७,३१,०५,७९	२६,८६,५७,०६	२८,१२,५३,८२	३०,२७,२९ ८८

टिप्पणी—१९६६-६७ का खाता अन्तिम रूप से वन्द नही किया गया है और यहा जो वास्तविक आकडे दिये गये है वे केवल अनन्तिम है।

[1] वजट प्रस्तावो का प्रभाव। [2] केन्द्रीय उत्पादन शुल्को मे से राज्यो को दिया जाने वाला हिस्सा जो राजस्व मे से घटा दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार के भुगतान का विवरण

(हजार रुपयों में)

	ब्यौरे के लिए विवरण देखिये	वास्तविक भुगतान १९६६ ६७	बजट अनुमान १९६७ ६८	संशोधित अनुमान १९६७ ६८	बजट अनुमान १९६८ ६९
१ भारत की समेकित निधि—राजस्व से किया जाने वाला व्यय—					
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह		१३२ ११ ६५	३४ ५३ ३९	३१ १३ ८३	३९ ९० ७
ऋण व्यवस्था		४ ६३ ४४ ९६	५ ०९ ६७ १६	५ ०८ २९ ५३	५ ५० ३२ १३
प्रशासनिक सेवाएं		१ २२ ९६ ५५	१ २३ ७७ ११	१ ३६ ६७ ३९	१ ४० ४ ८४
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं		१ ६३ ०९ ६२	२ ४० ०१ ८३	२ २७ ८२ ४७	२ ५२ १७ २
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं सिंचाई और बिजली योजनाएं		२ ०४ २८	३ १५ ६७	४ ०३ ६३	३ ५५ ४१
लोक निर्माण-काम (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं		२६ ५० ८६	२८ ३९ ०६	२७ ७२ ०१	३२ ०८ ८४
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)		१२ २९ ११	१४ १२,३१	१५ २७,७८	१२ ८२ १६

मुद्रा और टकसाल	२०,२१,७१	२१,४४,८०	२३,४२,६०	२४,४५,०२
विविध	१,७५,०७,५९	१,६७,१७,५१	१,७१,६३,१२	१,८२,३७,०५
अशदान और विविध समायोजन	६,४२,५८,४९	६,९०,४९,१६	७,०८,३३,०८	७,५२,३६,६७
असाधारण मदे	१४,०७,०३	१०,४८,१८	९,२७,६६	११,४६,७४
रक्षा सेवाए (क)	७,९७,७९,७१	८,४२,४९,४८	८,५६,८१,५३	८,९४,४६,००
जोड़—राजस्व से किया जाने वाला व्यय	२५,०२,२९,५३	२६,८६,०५,६६	२७,२५,४४,६३	२८,९६,३८,१६
व्यय से राजस्व की अधिकता अर्थात् अधिशेष	२,२८,७६,२६	३,०३,५१,४०	८७,०९,१९	८०,१८,७२ +५०,७३,००*
जोड	२७,३१,०५,७९	२९,८९,५७,०६	२८,१२,५३,८२	३०,२७,२९,८८

(क) शुद्ध आकडे प्राप्तिया व्यय मे से घटा दी गई है। * बजट प्रस्तावो का प्रभाव।

बजट-अनुमान १९६८-६९

राजस्व बजट

करों की वर्तमान दरों के अनुसार १९६८-६९ का राजस्व अधिशेष ८० करोड़ रुपया आंका गया है जब कि चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष ८७ करोड़ रुपया आंका गया है। ■ करोड़ रुपये की यह कमी राजस्व प्राप्तियों में होने वाली १३१ करोड़ रुपये की वृद्धि और राजस्व से किये जाने वाले व्यय में होने वाली १३८ करोड़ रुपये की वृद्धि का परिणाम है।

राजस्व प्राप्तियां

१९६८-६९ वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियां ३११२ करोड़ रुपया आंकी गयी हैं अर्थात् संशोधित अनुमान की अपेक्षा १३८ करोड़ रुपया अधिक।

अनुमान है कि सीमाशुल्क राजस्व में, संशोधित अनुमान की अपेक्षा ३ करोड़ रुपये की कमी होगी। यह कमी आयात शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में अनुमानतः अधिक आयात होने के कारण २२ करोड़ रुपये की वृद्धि होने और निर्यात-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में ७ फरवरी को घोषित की गयी रियायतों के फलस्वरूप २५ करोड़ रुपये की कमी होने का परिणाम है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाली रकम १२५० करोड़ रुपया अर्थात् संशोधित अनुमान की अपेक्षा ८६ करोड़ रुपया अधिक आंकी गयी है। यह वृद्धि कई मदों में मुख्यतः पेट्रोलियम की वस्तुओं लोहे और इस्पात की वस्तुओं तम्बाकू और रेयन और कृत्रिम रेशों में बटी हुई है। पर चीनी सम्बन्धी वसूली कम होगी क्योंकि अधिक निकासी पर शुल्कों में रियायत दी गयी है।

अनुमान है कि निगम कर और आयकर से प्राप्त होने वाले राजस्व में केवल १० करोड़ रुपये की वृद्धि होगी क्योंकि अगले वर्ष की प्राप्ति इस वर्ष के लाभ की स्थिति पर निर्भर रहेगी।

ऋणों की बढ़ती हुई रकम के कारण ब्याज और लाभांश सम्बन्धी प्राप्तियों में २९ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और सरकार को प्राप्त होने वाले रिजर्व बैंक के अधिशेष लाभ में भी ५ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। शेष वृद्धि कई मदों में—मुख्यतः बिक्री कर और पी० एल० ४८० सम्बन्धी अनुमानों में बटी हुई है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में राज्यों का हिस्सा संग्रह का अनुमान अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण संशोधित अनुमान की अपेक्षा ३३ करोड़ रुपया अधिक होगा।

आयकर और मृत सम्पत्ति शुल्क में से राज्यों का हिस्सा १५५ करोड़ रुपया आंका गया है अर्थात् संशोधित अनुमान की अपेक्षा २६ करोड़ रुपया कम आंका गया है क्योंकि संशोधित अनुमान ■ बकाया रकम मौजूद नहीं है। इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों में राज्यों का वास्तविक हिस्सा संशोधित अनुमान की अपेक्षा १३१ करोड़ रुपया अधिक होगा।

राजस्व में किया जाने वाला व्यय

राजस्व में किया जाने वाला अगले वर्ष का कुल व्यय २६२ करोड़ रुपया अर्थात् संशोधित अनुमान की अपेक्षा १ ८ करोड़ रुपया अधिक आंका गया है।

अगले वर्ष का रक्षा सम्बन्धी व्यय ८९४ करोड रुपया होगा अर्थात् सशोधित अनुमान की अपेक्षा ३८ करोड रुपया अधिक होगा। इस वृद्धि का कारण महगाई भत्ते की वृद्धिया और सामान का अधिक मूल्य है।

अगले वर्ष का असैनिक व्यय ८९ करोड रुपया अधिक होगा। मुख्य वृद्धि व्याज-प्रभार (४२ करोड रुपया) के अन्तर्गत होगी।

'सामाजिक और आर्थिक सेवाए' के अन्तर्गत ३४ करोड रुपये की वृद्धि होगी। इसमे से अधिकतर वृद्धि शिक्षा और वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत (१५ करोड रुपया) होगी। चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य के लिए मुख्यत परिवार-नियोजन के अन्तर्गत ६ करोड रुपये की वृद्धि होगी और कृषि के लिए २ करोड रुपये की। चीनी सम्बन्धी राज-सहायता की कम आवश्यकता (७ करोड रुपया) होने पर भी निर्यात प्रोत्साहन के उपायो पर ८ करोड रुपये की व्यय वृद्धि होगी।

राज्यो और सघीय राज्य क्षेत्रो को दिये जाने वाले सहायक अनुदानो मे ११ करोड रुपये की वृद्धि होगी। इसमे ६ करोड रुपये की वृद्धि सघीय राज्य क्षेत्रो के अन्तर्गत और ५ करोड रुपये की वृद्धि राज्यो के अन्तर्गत होगी। ५ करोड रुपये की यह वृद्धि विकास-प्रयोजनो के लिए दिये जाने वाले अधिक अनुदानो और अन्न की कमी को दूर करने के लिए दिये जाने वाले कम अनुदानो और आय कर के हिस्से के बदले दिये जाने वाले अनुदानो की व्यवस्था के अभाव का सम्मिलित परिणाम है।

पूंजी बजट

पूजी खाते की प्राप्तिया :

भारत मे लिये जाने वाले सरकारी ऋण ३०० करोड रुपया आके गये है। विदेशी ऋणो से होने वाली प्राप्तिया ७७५ करोड रुपया आकी गई है जबकि इस वर्ष के लिए ये प्राप्तिया ७५६ करोड रुपया आकी गई है। विश्व बैंक द्वारा ऋण-परिशोधन सम्बन्धी अन्तरिम सहायता के रूप मे दी गई ३६ करोड रुपये की रकम ७५६ करोड रुपये की रकम मे शामिल है।

अनुमान है कि पी० एल० ४८० सम्बन्धी आयातो से रुपयो मे प्राप्त होने वाली रकमो के रूप मे, जो विशेष प्रतिभूतियो मे निविष्ट की जाती है और परिवर्तनीय मुद्रा डालर ऋण के रूप मे, अगले वर्ष कुल २६६ करोड रुपया प्राप्त होगा (जिसमे राजस्व खाते मे दिखाये गये पी० एल० ४८० सम्बन्धी अनुदानो के रूप मे प्राप्त होने वाले अनुदानो की ५ करोड रुपये की रकम शामिल नही की है), जबकि इस वर्ष इसके रूप मे ३६६ करोड रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। डाक-तार और रेलो सम्बन्धी रकमो के रूप मे (जो विकास-निधि से भिन्न है) २१ करोड रुपया प्राप्त होगा।

छोटी बचतो, भविष्य निधियो और वार्षिकी जमा रकमो मे कुल मिलाकर ३२ करोड रुपये की कमी होगी जिसका मुख्य कारण है भविष्य निधि मे जमा की गई महगाई भत्ते की बकाया रकमो की इस वर्ष की मद का अभाव और अगले वर्ष इन रकमो के निकाले जाने की सम्भावना है।

राज्यो और अन्य पार्टियो द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणो की रकमे अगले वर्ष के लिये ५४९ करोड रुपया आकी गई है, जबकि इस वर्ष के लिए वे ४९३ करोड रुपये आकी गई है।

इस वृद्धि का अधिकतर भाग राज्यों को और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को दिये गए ऋणों के सम्बन्ध में है।

पूंजीगत भुगतान

अगले वर्ष के बजट में ७३७ करोड़ रुपये के पूंजीगत भुगतान की व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष इस भुगतान की रकम ७०१ करोड़ रुपये है।

आर्थिक सेवाओं सम्बन्धी परिव्यय अगले वर्ष ४२ करोड़ रुपये अधिक होगा। यह मुख्यतः बोकारो इस्पात कारखाने के लिए (इस वर्ष के २७ करोड़ रुपये के मुकाबले ११० करोड़ रुपये) हिन्दुस्तान कापर के लिए (६ करोड़ रुपये) और अन्न निगम के लिए (५ करोड़ रुपये) अधिक व्यवस्था किये जाने और हिन्दुस्तान स्टील के लिए (१६ करोड़ रुपये) मद्रास फर्टिलाइजर्स के लिए (७ करोड़ रुपये) और उर्वरक निगम के लिए (४ करोड़ रुपये) कम आवश्यकताएं होने का परिणाम है। वायु निगमों (इण्डियन एयरलाइन्स) के लिए भी ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

उड्डयन और समुद्रपारीय संचार सेवाओं के लिए इस वर्ष के ५ करोड़ रुपये के मुकाबले १२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसका मुख्य कारण निगरानी के लिए उच्च शक्ति के रेडारों की स्थापना और उपग्रह भू-केन्द्र (सटीलाइट अर्थ स्टेशन) के लिए उपकरणों की प्राप्ति है। रेलों सम्बन्धी पूंजी परिव्यय में ७ करोड़ रुपये की कमी होगी।

अन्न की खरीद की योजना में ४३५ करोड़ रुपये की कुल खरीद और ३३३ करोड़ रुपये की बिक्री की रकम की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार १०२ करोड़ रुपये का वास्तविक परिव्यय होगा जिसमें से १०० करोड़ रुपये संकट निरोधक भण्डार के लिए है। पहले के वर्षों की हानि में से राजस्व-खाते में डाली जाने वाली रकम का हिसाब लेने के बाद पूंजी खाते में ४२ करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय होगा।

रासायनिक खादों की खरीद की योजना में २६८ करोड़ रुपये के कुल व्यय और २७५ करोड़ रुपये की बिक्री की रकम की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार ७ करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ होगा।

रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय के लिए १२१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह संशोधित अनुमान से ७ करोड़ रुपये अधिक है।

विकास के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों से सम्बन्धित पूंजी परिव्यय ११ करोड़ रुपये कम होगा और यह कमी मुख्यतः अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों की मद में कमी होने और राजस्व खाते में डाली जाने वाली रकम में वृद्धि होने के कारण होगी।

ऋण और अग्रिम

अगले वर्ष राज्यों को ऋण देने के लिए ८२८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष ८७८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी अर्थात् अगले वर्ष की रकम इस वर्ष की रकम से ५० करोड़ रुपये कम है।

यह गावों में बिजली लगाने के लिए की जानेवाली १४ करोड़ रुपये की और विविध विकास प्रयोजनों के लिए की जाने वाली १६ करोड़ रु० की अधिक व्यवस्था का और अन्य

की कमी से सम्बन्धित राहत (४० करोड रुपये) और अर्थोपाय-प्रयोजनो सहित 'विविध' शीर्षक (३६ करोड रुपये) के अन्तर्गत की जाने वाली कम व्यवस्था का परिणाम है।

विधान मण्डलो वाले सघीय राज्य क्षेत्रो के लिए अगले वर्ष २८ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष २४ करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी।

सरकारी कम्पनियो और निगमो को अगले वर्ष ऋण देने की व्यवस्था २१७ करोड रुपये की है जबकि इस सम्बन्ध मे सशोधित अनुमान २३१ करोड रुपये का है। १४ करोड रुपये की यह कमी मुख्यत. हिन्दुस्तान स्टील (१७ करोड रुपये), नेवली लिगनाइट कारपोरेशन (१५ करोड रुपये) और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (९ करोड रुपये) के अन्तर्गत कमी होने और सकट-निरोधक भण्डार के लिए अन्ननिगम के लिए (इस वर्ष के १६ करोड रुपये के मुकाबले ४० करोड रुपये) अधिक आवश्यकता होने का परिणाम है।

विभिन्न वित्तीय सस्थाओ के लिए निर्धारित, अगले वर्ष की रकम १८ करोड रुपये अधिक होगी। इस रकम मे औद्योगिक वित्त निगम के लिए ९ करोड रुपये, कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए ७ करोड रुपये और जहाजरानी विकास निधि समिति के लिए २ करोड रुपये शामिल हैं। अन्य पार्टियो के सम्बन्ध मे की गई व्यवस्था ३६ करोड रुपये कम है। इसका कारण डाकतार राजस्व प्रारक्षित निधि की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकता (२० ६ करोड रुपये) का अभाव और तकनीकी ऋणो के लिए की गई कम व्यवस्था (१४ करोड रुपये) है।

ऋण-परिशोध ·

जिन ऋणो की अवधि पूरी होने वाली है उनके सम्बन्ध मे २४४ करोड रुपये चुकाने की व्यवस्था की गई है। इस रकम मे इनामी बाण्डो के सम्बन्ध मे ५ करोड रुपये शामिल है। अन्य ऋणो के परिशोध के लिए १९४ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है।

आयोजना के लिए धन-व्यवस्था

अगले वर्ष के बजट मे आयोजना के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाए की गई है —

केन्द्रीय आयोजना	१००९ करोड रुपये*
सघीय राज्य क्षेत्रो की आयोजना	६५ करोड रुपये
राज्यो की परियोजनाओ के लिए केन्द्रीय सहायता	६१५ करोड रुपये
जोड	१६८९ करोड रुपये

* इसके अलावा, रेलो और डाक-तार समेत सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान अपने निजी साधनो से १७० करोड रुपये का आयोजना व्यय करेंगे।

सम्पूर्ण स्थिति

१९६८-६९ वर्ष के बजट मे कुल मिला कर ३१५ करोड रुपये का घाटा दिखाया गया है।

बजट प्रस्तावो के परिणामस्वरूप राजस्व-अधिशेष मे ५०-७३ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी और पूजीगत लेनदेनो को हिसाब मे लेने के बाद कुल घाटा कम होकर लगभग २९० करोड रुपये रह जायगा।

केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरित राजस्व

(करोड़ रुपया में) (कर एव शुल्क)

वर्ष	आयकर	मत सम्पत्ति शुल्क	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	योग
१९६१ ६२	६३ ८५	३ ८८	८ ६५	१७८ ५८
१९६२ ६३	९५ २७	३ ८८	१२४ ९१	२२४ ०६
१९६३ ६४	११९ २६	४ २२	१३५ ९९	२५९ ५
१९६४ ६५	१२३ ७७	६ ७८	१२७ ३४	२५७ ८९
१९६५ ६६	१२३ ३४	६ ७९	१४५ ९२	२७६ ०५
१९६६ ६७	१३७ १०	४ ५५	२३० ९१	३७२ ५५
१९६७ ६८ (बजट अनुमान)	१३१ ५८	६ ९४	२४९ ७३	३८८ २५
१९६७ ६८ (संशोधित अनुमान)	१७४ ५२	६ ५८	२३४ ६४	४१५ ७३
१९६८ ६९ (बजट अनुमान)	१४८ ३४	६ ८१	२६७ ५३	४२२ ६८

राज्यों को अनुदान एव ऋण

(करोड़ रुपये में)

	अनुदान		ऋण एव अग्रिम
	राजस्व से	पूंजी से	
१९६१ ६२	१९४ ९८	१० ९४	४४३ ४७
१९६२ ६३	१९५ ०३	१३ ७४	५११ ०९
१९६३ ६४	२२९ ६७	१६ ४४	५८३ ६०
१९६४ ६५	२६८ ६८	१९ ४६	६७८ ७०
१९६५ ६६	३२४ ७	३८ ८२	८२८ ९२
१९६६ ६७	४ ५८०	३७ १३	९० ८८
१९६७ ६८ (बजट अनुमान)	४५२ ७५	२७ ६३	८४० ०२
१९६७ ६८ (संशोधित अनुमान)	४६७ ३५	३५ ७८	८८५ ३७
१९६८ ६९ (बजट अनुमान)	४७८ २८	२४ ८४	८५५ ६८

भारत सरकार के प्रशासनिक व्यय का विश्लेषण

(करोड रुपये मे)

	कर संग्रह	पुलिस	सामान्य प्रशासन	लेखा परीक्षा	वैदेशिक कार्य	अन्य	योग
१९६१-६२	१८ ६५	१८ ७६	१६ ०९	८.५१	८.४०	१९ ८७	९०.२८
१९६२-६३	२० ५५	२३ ४४	१६ ६६	९ ०९	८ ०३	२० ९०	९८.६७
१९६३-६४	२०.०७	२५.०७	१६ ८६	९ ६०	७ ८६	२१ ०४	१०१ ३०
१९६४-६५	२३.१६	२५ २७	१७ ९४	१०.९३	७ ९२	२१,८३	१०७ ०५
१९६५-६६	२६.२८	२१.८३	२१ ०२	१२ ६६	८ ६३	२३ ४२	१२३ ८४
१९६६-६७	२८.४६	४७ ९८	२३ ६३	१४ ५५	१२.३०	२७ ९८	१५४ ९०
१९६७-६८ (बजट अनुमान)	३०.३०	५१ ४९	२४ २१	१५ ८७	१२ ४५	२९ ६०	१६३.९२
१९६७-६८ (सशोधित अनुमान)	३१ ८२	६१.४७	२५ ६०	१६ ३३	१२ ८७	२९ १६	१७७.३१
१९६८-६९ (बजट अनुमान	३४ ५६	६२ ४८	२६.६३	१७ ६०	१३ ०३	३१ २५	१८५ ५५

टिप्पणी—१९६६-६७ और १९६८-६९ के बीच प्रशासनिक व्यय मे २७ करोड रुपये की वृद्धि हुई। पिछले ७ वर्षों मे पुलिस पर व्यय साढे तीन गुणा बढ गया। पुलिस पर व्यय मे वृद्धि सीमा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बटालियनें बनाने के कारण हुई।

विकास से भि न व्यय का विश्लेपण

(करोड रु० मे)

	कर सग्रह	प्रशासनिक सेवायें	व्याज की अदायगी	मुद्रा व टकसाल	अ य सेवायें	योग
१९६१ ६२	१८ ६५	७१ ६३	२११ ४४	११ ६९	८६ १३	४०२ ५४
१९६२ ६३	२० ५५	७८ १२	२४५ ४३	२२ ०३	१५ ५०	५१६ ६३
१९६३ ६४	२० ८७	८० ४३	२७८ ३५	१५ ५०	१६५ ३८	५६० ५३
१९६४ ६५	२३ १६	८३ ८९	३१६ ४१	१४ ७२	२१८ ९९	६५७ १७
१९६५ ६६	२६ २८	९७ ५६	३७० ६२	१७ १९	१८३ ८३	६९५ ४८
१९६६ ६७	२८ ४६	१२६ ४४	४६३ ४५	२० २२	१४३ ६८	७८२ २५
१९६७ ६८ (बजट अनुमान)	३० ३०	१३३ ६२	५०९ ९७	२१ ४५	१३४ ०६	८२९ ४०
१९६७ ६८ (सशोधित अनुमान)	३१ ८८	१४५ ४०	५०८ ३०	२३ ४३	१३६ ९९	८४६ ०३
१९६८ ६९ (बजट अनुमान)	३४ ५६	१५ ९९	५५ ३२	२४ ४५	१४ ५२	९०० ८४

प्रतिरक्षा व्यय

(करोड रु० मे)

	स्थल सेना	नौसेना	वायुसेना	रक्षा उत्पादन	निष्क्रिय रक्षासेवा	योग
१९६५ ६६	५९२ ६९	३० ०८	१४६ ९०	—	२२ ८०	७९२ ७५
१९६६ ६७	६३१ ९३	३४ ६४	१४९ ६८	—	२४ ५७	८४० ८१
१९६७ ६८ (बजट अनुमान)	६५४ २४	३८ ९२	१६० ५४	—	२५ ५०	८७९ २०
१९६७ ६८ (सशोधित अनुमान)	६७४ २२	३८ ९१	१६० ५४	—	२६ २५	८९९ ९२
१९६८ ६९ (बजट अनुमान)	५५९ ४०	३८ १६	१६८ १४	१४२ ००	२८ २५	९३५ ९५

उत्पादन और आय

पिछले दो वर्षों से भारतीय अथ यवस्था मे वस्तुओ और सेवाओ से सामूहिक उत्पादन में वस्तुत गतिरोध की स्थिति रही है। १९६४ ६५ मे राष्ट्रीय आय म वास्तविक अथ में ७ ४ प्रतिशत की तेजी से वृद्धि होने के बाद उससे १९६५ ६६ म ४ ८ प्रतिशत की कमी हुई (देखिए तालिका १)। शुरू शुरू म इस बात के सकेत मिले थे कि १९६६ ६७ म राष्ट्रीय आय १ ७ प्रतिशत बढ़ गई। १९६७ ६८ म राष्ट्रीय आय १० ८ प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

उत्पादन और आय में परिवर्तन

(तालिका १)

मद	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
	पहले के वर्षो के मुकाबले प्रतिशत परिवर्तन			
१. स्थिर मूल्यो मे राष्ट्रीय आय का सूचक अक	७.४	—४ ८	१.७	(१०.८)
२. कृषि उत्पादन	१० ८	—१६.३	—०.२	(२०)
३. अन्य उत्पादन	१०.०	—१९.५	३ १	(२७)
४ औद्योगिक उत्पादन	५.८	४.०	२ ८	१ ७*
(१) खान खुदाई और पत्थर खुदाई	—२ ५	१०.३	१.४	१.१*
(२) वस्तु निर्माण	६ १	३.१	२.५	१ ०*
(३) बिजली उत्पादन	११ ५	१० ५	९.२	११ ०*
५ रेल यात्री किलोमीटर	५ ५	३ ०	६ १	—
६ रेलो द्वारा ले जाया गया मैट्रिक टन कि मी	—०.३	९ ६	—०.२	—
७. सरकारी क्षेत्र मे नियोजन	५ ९	४ ५	२ ९	२.५†

टिप्पणियां—कोष्ठको मे दिये गये आकडे, इस समय उपलब्ध सूचना पर आधारित अनुमान है।

* अप्रैल-अक्टूबर १९६६ की तुलना मे अप्रैल-अक्टूबर १९६७ की अवधि के आकडे।

† जून १९६६ के अन्त की तुलना मे जून १९६७ के आकडे।

उत्पादन सम्बन्धी स्थिति

कृषि :

१९६४-६५ मे देश मे कृषि उत्पादन अच्छा हुआ था किन्तु १९६५-६६ मे उत्पादन सूचक अक मे १६.३ की कमी हो गई। आशा के विपरीत १९६६-६७ मे यह अक ०.२ और गिर गया। १९६७-६८ मे फसल अच्छी हुई तथा अनुमान है कि कृषि उत्पादन मे लगभग २० प्रतिशत की आनुपातिक वृद्धि हुई है।

१९६६ मे अन्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धि १५ प्रतिशत घट गई। १९६७ मे यह उपलब्धि और कम हुई। १९६७ वर्ष मे चावल सम्बन्धी स्थिति विशेष रूप से कठिन थी।

मौसम सम्बन्धी स्थिति १९६७-६८ मे अनुकूल रही। इस वर्ष कुछ चुनी हुई मण्डियो मे आये चावल की मात्रा पूर्व वर्ष की तुलना मे ३० प्रतिशत अधिक थी।

१९६७-६८ मे अन्न की पैदावार ९ करोड ५० लाख मैट्रिक टन होने की सभावना है जोकि पूर्व वर्ष की अपेक्षा २५ प्रतिशत अधिक होगी तथा १९६४-६५ वर्ष वाली अधिकतम पैदावार से भी २.१ प्रतिशत अधिक होगी।

रासायनिक खाद के इस्तेमाल के मामले में काफी प्रगति हो चुकी है। अनुमान है कि १९६४ ६५ में भूमि में डाली जाने वाली रासायनिक खाद की मात्रा में अब लगभग २०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। १९७१ ७२ में रासायनिक खाद (नाइट्रोजन के रूप में) की उपलब्धि की मात्रा को बढ़ाकर ३४ ६ लाख मेट्रिक टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

सिंचाई की छोटी योजनाओं पर जिनमें भूमिगत जल के विकास की योजनाएं भी शामिल हैं काफी जोर दिया गया है।

उद्योग

१९६० में शुरू होनेवाले दशक के पहले तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में ८ प्रतिशत के वार्षिक अनुपात से वृद्धि हुई। उसके बाद से वृद्धि का अनुपात कम हो गया है १९६५ में उत्पादन में ५ ६ प्रतिशत तथा १९६६ में २ ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९६७ के पहली तीन तिमाहियों में १ ४ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हुई।

हाल की औद्योगिक घटनाओं को अक्सर मन्दी कहा जाता है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती रही किन्तु यह काफी धीमी रही। १९६५ ६६ व १९६६ ६७ लगातार २ वर्ष तक सूखा पड़ने के कारण कृषि सम्बन्धी कच्चे माल की उपलब्धि में कमी आई और उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। आयातित वस्तुओं में कमी आने से भी औद्योगिक उत्पादन में शिथिलता आई।

औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य स्तर में १९६५ ६६ में १६ प्रतिशत व १९६६ ६७ में २१ प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हो गयी।

मुद्रा बाहुल्य का नियन्त्रण

मूल्यों का सम्बन्ध जनता के पास उपलब्ध द्रव्य से है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए मुद्रा बाहुल्य पर नियन्त्रण आवश्यक है। जनता के मुद्रा की आपूर्ति के अन्तर्गत वह मुद्रा तथा जमा राशि आती है जो क्रमश जनता के पास तथा रिजर्व बैंक सहित बैंकों में रहती है। पिछले ६ वर्षों में जनता के पास मुद्रा के आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार रही है।

जनता के पास मुद्रा की आपूर्ति
(करोड़ रु में)

वर्षान्त में	जनता के पास मुद्रा (हाली सिक्का समेत)		जनता के पास जमा मुद्रा		जनता के पास मुद्रा की आपूर्ति (हाली सिक्का समेत)	
	मात्रा	वार्षिक अन्तर	मात्रा	वार्षिक अन्तर	मात्रा	वार्षिक अन्तर
१९५१	१२३३ ९	—३१ १	३६४ ८	—१९ ६	१८०४ ६	—५० ७
१९५६	१५५१ ६	+१०० ३	६५६ ६	+३१ २	२२०८ २	+१३२ ०
१९६१	२०५९ ५	+ ९२ २	७७४ ७	+३६ ८	२८३४ २	+१२६ ०
१९६२	२२४६ ३	+१८६ ८	८६७ ६	+९७ ९	३११३ ९	+२७९ ७
१९६३	२४७५ ८	+२२९ ५	१०६५ ४	+१२७ ८	३५४१ २	+४२७ ३

१९६४	२६५९०	+१८३२	१७४३ ५	+१७८ ५	३३०२ ५	+३६१ ३
१९६५	२८६५ ०	+२०६ ०	१४३५.६	+१९२ १	४३०० ६	+३८८ १
१९६६	३०१३.२	+१४८ २	१६५० ५	+२१४ ९	४६६३ ७	+३६३ १

इस प्रकार मुद्रा का फैलाव १९६३ मे सर्वाधिक हुआ। फैलाव का प्रतिशत १९६४ मे घटकर १९६५ मे पुन अधिक हो गया। १९६६ मे उसे फिर से नियन्त्रित किया गया।

दशमलवी सिक्के

भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दशमलवी सिक्को का मूल्य

सिक्का	सितम्बर १९६४	सितम्वर १९६६
	(मूल्य लाख रु० मे)	
१ पै०	३७८.१५	४४५.७९
२ ”	३८६ ०६	४८८ ४४
३ ”	—	१२३ ७४
५ ”	६७८ ८९	८६६.२६
१० ”	११३८.८४	१४७५ ९७
२५ ”	१०८७ ८४	१४४१.८५
५० ”	८२६ ९५	११५९.१५
रुपया मुद्रा	२०.००	६३ १५

रुपये का मूल्य

५ जून १९६६ को रुपये का अवमूल्यन किया गया। इसके पूर्व १ फरवरी १९६६ से रिजर्व वैंक आफ इण्डिया ने खाडी वाले देशो से भारतीय सिक्को के आयात किये जाने की अनुमति देना वन्द कर दिया है। रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप खाडी वाले विभिन्न देशो (मरकत तथा ओमण छोडकर) ने भारतीय रुपयो के स्थान पर अपनी-अपनी नई मुद्राए चालू कर दी।

डालर की सरकारी दर आज भी ४ ७६ रुपये है। दिसम्वर १९६५ मे डालर का मूल्य ७ रुपये था। १८ अप्रैल १९६६ को १ डालर के वदले ९ १० रुपये देने पडते थे किन्तु २५ अप्रैल १९६६ को डालर का मूल्य ७.१५ रुपये हो गया। विदेशी वाजार के सम्पन्न देश के अन्दर भी रुपये की क्रय शक्ति घट गई है।

महगाई

थोक मूल्यों के सूचक अंक
(१९५२ ५३=१००)

	कृषि वस्तुएं	खाद्य वस्तुएं		शराब और तम्बाकू	ईंधन शक्ति रोशनी और चिकनाने के पदार्थ	औद्योगिक कच्चा माल	निर्मित वस्तुएं			सब वस्तुएं
		जोड	अन्न				जोड	मध्यवर्ती उत्पादन	तयार वस्तुएं	
वजन	४६१	५०४	२३५	२१	३०	१५५	२९०	४१	२४९	१०००
अंतिम सप्ताह (मार्च)										
१९५५ ५६	९६	९५	८६	७८	९७	१११	१ ३	१११	१०२	९९ २
१९५६ ५७	१ ६	१०२	९६	८८	१०६	११७	१०६	१०९	१०५	१०५ १
१९५७ ५८	१०२	१ ३	९१	९४	११४	११३	१०७	१ ७	१ ७	१०५ १
१९५८ ५९	११३	११३	१०२	९९	११६	११६	११०	१०९	११०	११२ १
१९५९ ६०	११७	११६	१ ०	९७	११८	१३२	११७	१२१	११६	११८ ७
१९६० ६१	१२६	११८	९९	११५	१२१	१४८	१२९	१३७	१२७	१२७ ५
१९६१ ६२	११९	११८	१०	९	१२२	१३५	१२६	१३६	१२५	१२२ ९
१९६२ ६३	१२१	१२४	१ २	११७	१ ८	१३५	१३०	१३६	१२८	१२७ ४
१९६³ ६४	१३८	१४१	१॰४	११९	१४०	१४६	१३३	१४४	१३१	१३८ ९
१९६४ ६५	१५४	१५४	१४२	१ ८	१४८	१६३	१४१	१५६	१३९	१५१ ०
१९६५ ६६	१७८	१७५	१५६	१२८	१६०	२१०	१५७	१८४	१५३	१७४ ०
१९६६ ६७	२१४	२१८	२०१	१२८	१७३	२३६	१६८	२२२	१५९	२०२ ९

प्रथम पंचवर्षीय योजना : प्रथम पचवर्षीय योजना २०६० करोड रु० की थी। इस काल मे उत्पादन ५४६० लाख टन (१६५०-५१) से बढकर ६६६० लाख टन हुआ। अर्थ-व्यवस्था को स्थिरता मिली। मुद्रा का विस्तार इस काल मे केवल १६६ करोड रु० का हुआ। इस कारण से ४२० करोड रु० के घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव निरस्त हो गया। कृषि पैदावार वढाने की आवश्यकता इस समय भली-भाति अनुभव की गई। प्रथम नियोजन साधारण था, अल्प व्यय का था और भारत की आत्म-शक्ति मे था। फलत कीमते प्रथम नियोजन की अवधि मे १५ प्रतिशत गिर गई। इसलिए यह कहना युक्ति-युक्त नही है कि आर्थिक विकास के काल मे कीमतो का चढना अनिवार्य है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना इस योजनावधि मे बुनियादी और भारी उद्योगो को प्राथमिकता दी गई। अन्न धान्य का उत्पादन १३० लाख टन से वढकर ८१० लाख टन हो गया, परन्तु औद्योगीकरण के कारण उत्पादन विस्तारशील शक्तियो के लिए यह पर्याप्त नही था। सरकारी अचल मे ४८०० करोड रु० का विनियोग हुआ। यह प्रथम योजना की तुलना मे ढाई गुना अधिक था। मुद्रा की आपूर्ति मे ७०४ करोड रु० की वृद्धि हुई। यह प्रथम योजना के काल की तुलना मे २०० प्रतिशत अधिक था। फलत कीमते ३५ प्रतिशत चढ गई। कीमते प्रति वर्ष ७ प्रतिशत वढती गई। वैंकिंग अचल मे ६६५ करोड रु० के विदेशी विनिमय की कमी हो गई। पहली योजना मे ६५.८ करोड रु० की ही कमी हुई थी।

तृतीय पचवर्षीय योजना : तृतीय पचवर्षीय योजना १०४०० करोड रु० की थी। यह आर्थिक असन्तुलन के आधार पर बनाई गई थी। १६६२ मे चीनी हमला हुआ। सैनिक व्यय वढा। इससे कीमते और तेजी से वढी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था ५५० करोड रु० तक सीमित नही रही वल्कि इसमे ६६ करोड रु० की और वृद्धि हुई।

असन्तुलन—पूजी विनियोग और वचत मे असन्तुलन उत्पन्न हो गया। इस कारण से सरकार ने मुद्रा स्फीति के तरीको को अपनाया।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक

	श्रमिक वर्ग (१६४६=१००)		शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारी (१६६०=१००)
	अन्न	सभी वस्तुए	सभी वस्तुए
वित्त वर्ष			
१६५५-५६	६४	६६	
१६५६-५७	१०८	१०७	
१६५७-५८	१११	११२	
१६५८-५६	१२१	११८	
१६५६-६०	१२६	१२३	
१६६०-६१	१२५	१२४	१००
१६६१-६२	१२६	१२७	१०४
१६६२-६३ .	१३१	१३१	१०८
१६६३-६४ .	१३८	१३७	११३
१६६४-६५ .	१६२	१५७	१२४
१६६५-६६ .	१७४	१६६	१३२
१६६६-६७ .	१६८	१६१	

पारिवारिक बचत

(करोड रु० म)

वर्ष	बचत	राष्ट्रीय आय का प्रतिशत
१९५० ५१	३८१ ७	४ ३
१९५५ ५६	८३६ १	८ ०
१९६० ६१	९२३ ६	७ ३
१९६१ ६२	८१३ ८	६ २
१९६२ ६३	८५३ ६	६ ४

द्वितीय योजना की समाप्ति के पश्चात् से ही पारिवारिक बचत कम होती गई। प्रथम योजना के अन्त म पारिवारिक बचत का परिमाण ८३६ करोड तथा द्वितीय योजना के अन्त मे ९२३ करोड था किन्तु उसके बाद से ही मूल्य वृद्धि के कारण परिवारो की बचत क्षमता कम होती गइ।

मुद्रा-नीति—मुद्रा-नीति का उद्देश्य बचत को प्रोत्साहन देना और पूजी विनियोग को बढाना है। १९५ से इसका लक्ष्य मुद्रा स्फीति का नियन्त्रण करना है। रिजव बक ने १९५१ मे बक की ब्याज दर ३ प्रतिशत से बढाकर ३ ५ प्रतिशत कर दी। १९५५ ५६ म रिजव बक ने बक रेट और बढाकर ४ प्रतिशत कर दी। महगी मुद्रा की नीति को और कडा किया गया। कोटा प्रणाली और उधार देने की रेट का सूत्रपात दूसरी योजनावधि म किया गया। बको के रिजव बक से कज लेने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इस प्रकार कज महगा ही नही हो गया दुलभ भी हो गया।

इन सबके बावजूद कीमतें बढती ही गइ। तृतीय योजना के साथ ही मुद्रास्फीति ने भयानक रूप पकडा। बक रेट तीन-तीन बारी म ६ प्रतिशत पर पहुचा दिया गया। माच १९६८ म बक की ब्याज दर घटा कर साढे पाच प्रतिशत कर दी गई तथा स्थिति म सुधार आया।

पूजी खाते म केन्द्रीय सरकार की देनदारी

वर्षान्त	आन्तरिक ऋण	विदेशी ऋण	कुल ऋण	कुल देनदारिया *
१९५ ५१	२०२२ ३	३२ ०	२ ५४ ३३	२८६५ ४
१९५५ ५६	२३२९ ७२	११३ ६३	२४४३ ३५	३५११ ७
१९६० ६१	३९७८	७६० ९६	४७३८ ९६	६५४४ २४
१९६५ ६६	५४१८ ६५	२५९ ६२	८० ९ २७	११३२९ १२
१९६७ ६८	६५५९ ०६	५४ ७८	११९५६ ८४	१५८५९ २३†
(सशोधित अनुमान)				
१९६८ ६९	६९३१ ८५	६२२५ ३१	१३१५७ १६	१७२८ ५९
(बजट अनुमान)				

* कुल देनदारिया म ऋण के अतिरिक्त छोटी बचत योजनाए अन्य अनिधिबद्ध ऋण प्रारक्षित निधियाँ और जमा सम्मिलित हैं। पाकिस्तान द्वारा विभाजन पूव के ऋणों क उसके हिस्से के देय रकम ३ करोड रुपया स्मम सम्मिलित है।

† १९६५ ६६ की देनदारिया म ९०५ ११ करोड दायित्वा स पूजीगत व्यय और ऋणो के अतिरिक्त के फलस्वरूप जोडा जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार का पूंजी परिव्यय

(करोड रुपयो मे)

वर्षान्त	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६७-६८	१९६८-६९
विभागीय प्रतिष्ठानो पर पूंजी परिव्यय निम्न-लिखित मे निवेश :	८९४ ७३	१०६४ ३०	१६८२ ६३	३०२९.९८	३५०४ ३०	३७३०.८१
(१) सरकारी कम्पनियो और निगमो मे	९.४३	६९ ८१	५९१.८३	१३४० ७०	१६२.२१	१६२६ ३१
(२) वित्तीय सस्थाओ मे	५०.०५	२५०.१४	३५७.९५	४२४ २३	६४१ ८३	६४८ ८१
(३) अन्य कम्पनियो और निगमो मे	०.२५	० ८०	९ ९७	३२ ८९	३५ ८०	३६ ८०
रक्षा सेवाओ, लोक-निर्माण-कार्यो, राज्य व्यापार योजनाओ सहित अन्य पूंजी परिव्यय	३३३ ५५	४८१ १६	९४७ ८३	१७५६.८६	२३७७ ९७	२६९१ ११
राज्यो और सघीय राज्य क्षेत्रो की सरकारो, विदेशी सरकारो और अन्यो को ऋण	२२० ६८	९४२ ८९	२५३४ ४८	५३७९ ५७	७२५५ २४	८०२२ ६६
जोड	१७०८ ६९	२८०९ १०	६१२४.६९	११९६४ २३	१५४५१ ३५	१६९४२ ८९

अनुमान है कि १९६७-६८ के अन्त मे केन्द्रीय सरकार का कुल पूंजी परिव्यय और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणो की रकम, कुल देनदारियो की रकम से ११७ ८८ करोड रुपया अधिक होगी। इसका कारण यह है कि रुपये के अवमूल्यन के कारण ऋणो की रकम बढा कर दिखाई गई है जबकि इन विदेशी ऋणो से स्थापित परिसम्पत्तियो का पुनर्मूल्याकन नही किया गया। १९६८-६९ के अन्त मे देनदारियो की रकम परिसम्पत्तियो की अपेक्षा ४६ ७० करोड रुपया अधिक होने का अनुमान है।

पूजी खाते मे केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण का विवरण

निम्नलिखित वर्षों के अन्त तक

(करोड रुपये म)

ब्योरा	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	सशोधित अनुमान १९६७-६८	बजट अनुमान १९६८-६९
(ख) भारत म लिया जाने वाला ऋण—						
(क) स्थायी ऋण						
(i) चालू ऋण						
(ब्योरा अनुबध (क) म दिया गया है)	१४३८ ४६	१५०८ ६३	२५५५ ७२	४१७ २८	३७२२ ३३	३७८३ ५८
(ii) इनामी बाण्ड			१५ ६३	११ ३५	८ ५६	३ ५६
(iii) १५ वर्षीय वर्षिकी पत्र		९६	३ ४५	३ ७८	३ ३४	३ १४
(iv) चुकाये जा रहे ऋण	६ ४९	१२ २२	२२ ७३	३३ ७२	४५ ००	४५ २५
जोड—स्थायी ऋण	१४४४ ९५	१५२१ ८१	२५९७ ५३	३४६६ १३	३७७९ २३	३८३५ ५३

(ख) अस्थायी ऋण—						
(i) राजकोष हुण्डियाँ	३५८ ०२	५९५ २५	११०६ २९	१६११ ८२	२०८९ ८५	२४०४ ५५
(ii) विशेष अस्थायी ऋण	२१२ ६०	२१२ ६०	२७४.१८	३४० ७०	६९० २८	६९१.७७
(iii) राजकोष जमा प्राप्तिया और अन्य अस्थायी ऋण	६ ७३	०६				
जोड—अस्थायी ऋण	५७७ ३५	८०७ ९१	१३८० ४७	१९५२ ५२	२७७९ ८३	३०९६ ३२
जोड—भारत मे लिया जाने वाला ऋण	२०२२ ३०	२३२९ ७२	३९७८ ००	५४१८ ६५	६५५९ ०६	६९३१ ८५
(ख) भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण—						
(i) रक्षा पत्र				०९	० १४	१४
(ii) इग्लैण्ड[+]			०.१२	०४	०५	०५
इण्डिया स्टाक, रेलवे ऋण-पत्र और रेलवे वार्षिकिया	१२.३७	२ ६१	१०६ ५२	२६३ ४१	५७२ ७३	६३३ ४८
ब्रिटेन सरकार से ऋण			१५ ३३			
लेजर्ड ब्रादर्स ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड						
(३) सयुक्त राज्य अमेरिका—		९१ ७२	२१० ८४	७४९ ५५	१५०७ ७९	१६३८ ४८
सयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण			२५.४१	१०१ ३०	१३२ ९१	११३ ५६
अमेरिका निर्यात-आयात वैक			७७.८८	५२८ ३६	१२२६.९३	१४०० १३
पी० एल० ४८० रुपया ऋण						
पी० एल० ४८०—स्थानीय परिवर्तनीय मुद्रा ऋण					४५.००	११४ ००

(४) सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ	५७ ४८	२४३ ४७	३४६ ६६	३६६ [illegible]
(५) कनाडा	१४ ०७	१७ ६५	५० १५	७२ ६८
(६) जर्मन संघीय गणराज्य	१०३ १६	२०६ २५	३६८ ०७	४०८ ६६
(७) जापान	६ ६३	६२ २६	१७१ २५	२२४ ६६
(८) स्विटजरलैण्ड		५ ७०	१६ ३२	२० ६८
(९) चेकोस्लोवाकिया		६ ६६	२७ ६०	३७ ६६
(१०) यूगोस्लाविया		७ ६२	१६ ८४	१७ ४६
(११) पोलैण्ड		४ ४६	१० ५७	१२ ७
(१२) आस्ट्रिया		२ ६८	६ ११	६ ६३
(१३) नीदरलैण्ड		७ ५६	२१ १४	२४ ४६
(१४) डेनमार्क		५०	५ ६८	५ ७७
(१५) उत्तरी रोडेशिया		५३	०६	०६
(१६) न्यूजीलैण्ड		२७	२०	११
(१७) स्वीडन			२ ५७	५ ५०
(१८) कुवैत		१६ २८	२१ ५१	१७ १७
(१९) इटली			१ ५०	१ ५०
(२०) बहरीन		७ ८६	८ २२	७ ५१
(२१) फ्रान्स			६ ५०	१२ १५
(२२) बेल्जियम			६०	६६

(२३) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	१९ ६६	१९.३०	१४० १९	१७९ ७७	२६१ ९४	२६८ ८९
(२४) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ				१७१ ०९	२६५ ७४	५८९ १०
(२५) विविध						२२२ ५०
जोड (ख) भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	३२.०३	११३ ६३	७६० ९६	२५९०.६२	५४०० ७८	६२२५ ३१
जोड—सरकारी ऋण*	२०५४.३३	२४४३ ३५	४७३८ ९६	८००९ २७	११९५९ ८४	१३१५७ १६

* इसमे ब्रिटेन की सरकार के ५ प्रतिशत व्याज वाले ऋण, १९२९-४७ की देय देनदारी की २० ६२ करोड रुपये (१५,४६६,९२८ पौंड) की वह रकम शामिल नही है जिसकी देनदारी स्थगित है।

टिप्पणी—रुपये मे सम-मूल्य मे परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप ६ जून, १९६६ को पी० एल० ४८० ऋणो को छोडकर, बकाया विदेशी ऋणो की रकम ५७ ५ प्रतिशत बढा कर आँकी गई है।

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय के मूल तत्व—भारत की राष्ट्रीय आय के मूलतत्व निम्न हैं

(१) अविकसित आर्थिक व्यवस्था का कुछ भी उपभोग मे न आ रही या पूर्ण उपयोग म न आ रही जन शक्ति और सुप्त विभव एव खनिज सम्पत्ति के साथ सह-अस्तित्व।

(२) प्रधानत कृषि प्रधान देश। राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग इससे प्राप्त होता है और इसका तीन चौथाई भाग आत्मसात् कर लिया जाता है।

राष्ट्रीय आय समिति—भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान पहले वैयक्तिक रूप से अर्थशास्त्रियो और राजनीतिज्ञो ने लगाया था जिनमे दादा भाई नौरोजी डिग्बी और नाड कर्जन के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने १८६८ म प्रति भारतीय की आय २ रु कूती थी। फिडले शिराज ने १९११ म प्रति व्यक्ति आय ४९ रु० बताई। डा० वी० के आर वी राव ने (अब योजना आयोग के सदस्य) १९३१ ३२ म प्रति भारतीय की आय ६५ रु० बताई। १९४२ ४३ म यह ११४ रु ठहराई गई। वाणिज्य मत्रालय न १९४७ ४८ म प्रति व्यक्ति आय २७२ रु० ठहराई। राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति नामक सस्था है।

समिति ने १९४८ ४९ की कीमतो को स्थिर और आधार माना है क्योकि—

(१) राष्ट्रीय आय की गणना के लिए ऐसी सामग्री का सग्रह इस वर्ष किया गया जो पहले कभी उपलब्ध नहा थी। राजनीतिक दृष्टि स भी यह वर्ष युग-परिवर्तनकारी था।

(२) १९४८ ४९ म साधारणत कीमतें स्थिर रही थीं।

१९५० ५१ और १९५१ ५२ के साल सामान्य नही थे। सांख्यिकी विभाग ने एक कार्यकारी दल अक्तूबर १९५२ म नियुक्त किया। एक सामान्य आधार खोजने के लिए और निर्णय का आधार-वर्ष ढूढने के लिये परीक्षा की गई। १९५२ ५३ को निर्णायक आधार माना गया क्योकि यह वर्ष सब दृष्टियो से स्थिर पाया गया। इसके बाद केन्द्रीय सांख्यिकीय मण्डल (सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गनाइजेशन) ने १९५२ ५३ की कीमतो के आधार पर १९४८ ४९ स १९५८ ५९ तक की राष्ट्रीय आय के आँकडे जुलाई १९६० म प्रकाशित किए। दूसरा पचवर्षीय की राष्ट्रीय आय की गणना १९५२ ५३ की कीमतो को आधार मान कर की गई।

राष्ट्रीय आय म प्रतिशत वृद्धि और १९५ ५१ से १९६ ६४ तक की थोक कीमतें नीचे दी गई हैं इन वर्षो की पुनरक्त कीमतें उपलब्ध नहीं हैं।

वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन (अर्थात् राष्ट्रीय आय) के परम्परागत अनुमान

वर्ष	वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन(करोड रुपयो मे)		प्रति व्यक्ति वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन (रुपये)		वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन के सूचक अक (१९४८-४९=१००)		प्रति व्यक्ति वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन के सूचक अक(१९४८-४९ =१००)	
	तत्कालीन मूल्यो के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यो के अनुसार	तत्कालीन मूल्यो के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यो के अनुसार	तत्कालीन मूल्यो के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यो के अनुसार	तत्कालीन मूल्यो के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यो के अनुसार
१९४८-४९	८६५०	८६५०	२४६ ६	२४६ ६	१०० ०	१००.०	१००.०	१००.०
१९४९-५०	९०१०	८८२०	२५६ ०	२५०.६	१०४ २	१०२ ०	१०२ ६	१०० ४
१९५०-५१	९५३०	८८५०	२६६ ५	२४७ ५	११० २	१०२ ३	१०६ ८	९९ २
१९५१-५२	९९७०	९१००	२७४ २	२५० ३	११५ ३	१०५ २	१०९ ९	१००.३
१९५२-५३	९८२०	९४६०	२६५ ४	२५५ ७	११३ ५	१०९ ४	१०६ ३	१०२ ४
१९५३-५४	१०४८०	१००३०	२७८ १	२६६ २	१२१ २	११६ ०	१११ ४	१०६ ७
१९५४-५५	९६१०	१०२८०	२५० ३	२६७.८	१११ १	११८ ८	१०० ३	१०७ ३
१९५५-५६	९९८०	१०४८०	२५५ ०	२६७ ८	११५ ४	१२१ २	१०२ २	१०७ ३
१९५६-५७	११३१०	११०००	२८३ ३	२७५ ६	१३० ८	१२७ २	११३ ५	११० ४
१९५७-५८	११३९०	१०८९०	२७९ ६	२६७ ३	१३१ ७	१२५ ९	११२.०	१०७ १
८-५९	१२६००	११६५०	३०३ ०	२८० १	१४५ ७	१३४.७	११२ ४	११२ २

	१	२	३	४	५	६	७	८
१९५९ ६०	१२९५०	११८६०	०४८	२७९ २	१४९ ७	१३७ १	१२२ १	१११ ९
१९६० ६१	१४१४	१२७३०	३२५ ८	२६३ ३	१६३ ५	१४७ २	१३० ५	११७ ४
१९६१ ६२	१४८००	१३०६०	३३३ २	२६४ ०	१७१ १	१५१ ०	१३३ ५	११७ ८
१९६२ ६३	१५४००	१३३१०	३ ७७	२११ ६	१७८ ०	१५३ ९	१३५ ३	११६ ९
१९६३ ६४	१७२१०	१३९७०	३६८ ५	२९९ २	१९९ ०	१६१ ५	१४७ ६	११९ ९
१९६४ ६५	२०४१०	१५०००	४२७ २	३१३ ७	२३६ २	१७३ ४	१७१ २	१२५ ७
१९६५ ६६	२०१४	१४६६०	४१५ ३	२९९ ४	२३५ १	१६९ ५	१६६ ४	१२०
१९६६ ६७	२११४०	१४९५०	४६० ८	२९८ ०	२६७ ३	१७२ ८	१८४ ६	११९ ४
			पचवर्षीय आयोजनाओ के दौरान वार्षिक वृद्धि का अनुपात					
पहली आयोजना	० ९	३ ५	—० ९	१ ६				
दूसरी आयोजना	७ ३	४०@	५ १	१८@				
तीसरी आयोजना	७ ५	२ ९	५	०४				

१९६४ ६५ में प्रति व्यक्ति आय ३१७०० र (१९४८ ४९ की कीमता के अनुसार) कूती गई। जबकि चालू मूल्यो के अनुसार यह आय ४२१ ५ रु० अनुमानित की गई। १९६५ ६६ म (आधारवप १९४८ ४९) राष्ट्रीय आय का सूचकाक १६७ ५ था। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय का यह सूचनाक ११९ ५ था।

शहरी और देहाती क्षेत्र की आय .

शहरी व्यक्ति व परिवार और ग्रामवासी व्यक्ति या परिवार की आय मे काफी अन्तर है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थतन्त्रीय अनुसन्धान परिषद् (नेशनल कौसिल आफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च) की जाच भी इस बात की पुष्टि करती है।

शहरी लोगो की आय के स्रोत और आय मे इनका अश यो है —

वेतन ४४ प्रतिशत, स्वतन्त्र आजीविका, धन्धा व पेशा तथा रोजगार ३६ प्रतिशत, मजदूरी ७ प्रतिशत, कृषि ५ प्रतिशत। शेष ८ प्रतिशत—सूद, मकान का किराया आदि। शहरो की विशुद्ध आय ३६०० करोड थी। यह प्रति व्यक्ति २८५३ रु० आती है।

इसके विपरीत देहाती क्षेत्र मे कृषि से ६० प्रतिशत, मजदूरी से ४७ प्रतिशत, रोजगार से १६ प्रतिशत तथा १७ प्रतिशत की आय किसी किस्म के वेतन से है। नगरो मे इसके विपरीत ५८ प्रतिशत परिवारो की आय का स्रोत नौकरी है, २६ प्रतिशत की आय का स्रोत स्वतन्त्र आजीविका है, धन्धा-रोजगार व वाणिज्य-व्यवसाय है। २५ प्रतिशत की आय मजदूरी से है और केवल १५ प्रतिशत कृषि पर निर्भर है।

१६६४ मे हुए सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहर और देहाती दोनो परिवारो की कुल आय १२२०० करोड रु० थी। देहाती परिवार की आय १६६० के सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रकार थी .

६२ प्रतिशत देहाती परिवार की आय १००० रु० वार्षिक थी। अन्य २५ प्रतिशत की आय १००० से १६६६ रु० थी। देहाती परिवारो मे ७-८ प्रतिशत की आय २००० रु० से २६६६ के मध्य थी। इसी प्रकार देहाती परिवारो मे कुल ५-६ प्रतिशत की वार्षिक आय ३००० रु० थी।

१६६२ की सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि देहाती परिवारो मे से ५२ प्रतिशत की आय १००० रु० से कम थी तथा ३२ प्रतिशत की आय १००० रु० से १६६६ रु० वार्षिक के मध्य थी। लगभग ८ प्रतिशत २००० रु० से २६६६ रु० के मध्य वार्षिक कमाते थे। १०,००० रु० से अधिक आय के परिवार गिनती के थे। १६६२ मे ग्रामीण परिवारो की औसत वार्षिक आय १३२६ रु० थी।

१६६४ के सर्वेक्षण से पता चला कि देहाती परिवार की औसतन वार्षिक आय इस साल मे लगभग १२८० रु० थी। देहाती परिवारो मे से ४८ प्रतिशत की आय १००० रु० थी। अन्य ४० प्रतिशत १००० रु० से १६६६ रु० के मध्य वार्षिक उपार्जन करते थे।

शहरी पारिवारिक अचल—राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने १६६० से १६६१ तक शहरी परिवारो की आय और बचत की खोज की है। खोज का परिणाम इस प्रकार है

आय वर्ग	१६६० मे आय	सितम्बर १६६४ मे आय
१००० रु० से कम	४२ प्रतिशत	२० प्रतिशत
१००० रु० से १६६६ तक	३३ प्रतिशत	३८ प्रतिशत
२००० रु० से २६६६ तक	११ प्रतिशत	२० प्रतिशत
१०,००० रु० से अधिक	१५ प्रतिशत	५ प्रतिशत

शहरी परिवार औसतन वार्षिक २८५० रु० खर्च करता है। यह मोटे रूप मे ३००० रु० माना जा सकता है। यह २५० रु० मासिक आता है। इससे औसतन नागरिक जीवन के प्रतिमान की कल्पना की जा सकती है।

भारत को विदेशी सहायता

विदेशो से ऋण

(प्राप्तियो [illegible] विवरण)

(लाख रुपयो मे)

	१	२	३	४	५	६	७	८	९
देशो के नाम	अधिकृत ऋणराशि	१९५५ ५६ तक प्राप्त	१९५६ ५७ से १९६ ६१ तक प्राप्त	१९६१ ६२ से १९६५ ६६ तक	१९६६ ६७ (वास्तविक अनुमान)	१९६७ ६८ (बजट अनुमान)	१९६७ ६८ (सशोधित अनुमान)	३१ मार्च ६८ (को अनुमानित बकाया)	१९६८ ६९ (बजट अनुमान)
१ सयुक्त राज्य अमेरिका	२५१ ४७९	९ २६	२१ ०५	१ ५१८१	५१ ३८९	३ ९९०	५४ ९९८	२४ ३	४० ०७३
२ अमेरिका आयात निर्यात बैंक	१५ २५८	—	२८१४	१ ५१८	८८४	१ ४१५	१ २५३	३००	१ ००
३ सोवियत रूस	७३ ९६३	—	७५ ५	२ ७०१	२ ३५१	६ १४३	४ २०५	४९ ४१	६ ८०२
४ ब्रिटेन	४२१ ३	—	१२ १८५	१७ ०२६	८ १२७	५ ५४६	८ १००	७ ३७३	८ ६०१
५ कनाडा	१२ ४	—	१ ५७१	१ ९६	११ ९	१ ७९९	१ ६१२	७ ७४२	२ ५४७
६ प० जर्मनी	४३१ ४	—	१० ८७२	२ ७९८	३ ३३१	१ ७४६	२ ९९७	७ १११	५ ८ ४
७ जापान	२२ १७९	—	१ ४९४	८ १४४	२ ७८५	३ ०२१	४ ७०२	८ १०७	६ ५३८
८ स्वीटजरलैण्ड	२ २८८	—	—	५९४	७१	६३०	३५०	१५ [illegible]	५००
९ चेकस्लोवाकिया	६ १	—	—	१ २६	१ २७१	१ २७५	७५४	५ ७८९	१ ४८३
१ यूगोस्लोवाकिया	२ १४३	—	—	६२१	२५९	५४२	४६०	८२७	३३५
११ पोलैण्ड	४ ३	—	—	११३४	८७	४२९	२४८	४ २१९	७१

१२ आस्ट्रेलिया	१,०२६	—	—	४७२	३५५	२१०	२९१	२१०	१४८
१३. कुवैत	३,४१९	—	—	३,४१९	—	—	—	—	—
१४. न्यूजीलैण्ड	३३	—	—	३३	—	—	—	—	—
१५. स्वीडन	६९६	—	—	—	१४३	३३५	१७५	३७८	२९३
१६. नीदरलैण्ड	२,१३६	—	—	९५३	६२०	१६२	३९०	८१९	३३५
१७ डेन्मार्क	४४८	—	—	८२	२३५	१५६	२८६	३७	२४
१८ बहरीन	७८६	—	—	७८६	—	—	—	—	—
१९ इटली	१५०	—	—	—	—	१०२	१५०	—	—
२०. बेल्जियम	९०	—	—	—	—	—	६०	३०	३०
२१ फ्रान्स	१,२७५	—	—	—	—	—	६५०	६२५	६२५
२२ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक	२६,९३९	२,८९७	१३,००९	७,२८७	६३६	१,८६३	१,१२६	४,१३४	२,६०५
२३ अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	५०,७७९	—	—	२०,०६१	१२,८४४	१२,१२६	१८,६२५	३,११२	२,३३६
२४ नये ऋण	—	—	—	—	—	३१,९४०	—	—	२२,२५०
कुल योग	५,६८,८६०	१२,१५७	७०,५००	२,२०,४५६	८८,१४४	१,०१,५००	१,०१,५०२	१,२५,७२१	१,०१,९००

विदेशों से ऋण

अदायगियों का विवरण (लाख रुपयों में)

देश का नाम	१९५५ ५६ तक	१९५६ ५७ से १९६० ६१ तक	१९६१ ६२ से १९६५ ६६ तक	१९६६ ६७	१९६७ ६८ (बजट अनुमान)	१९६७ ६८ (संशो० अनु०)	१९६८ ६९ (बजट अनु०)
१ अमरिका	—	६८४	४४०१	१९१८	२४ ९	२४०६	२७८४
२ अमरिका आयात निर्यात बैंक	—	—	२२५९	१८९०	२ ८६	२०८६	२२ ५
३ सोवियत संघ	—	१६७३	३७१८	१७७९	३९०३	४४९३	४१७३
४ ब्रिटेन	—	—	२९२५	२३३५	२३०२	२१९४	२३१८
५ कनाडा	—	१९४	९५३	५१	५३	५४	२०२
६ प० जर्मनी	—	५५८	१०३३८	३०४४	१६७५	१२३१	२०७३
७ जापान	—	—	८२१	६२७	११९९	७१८	११८२
८ स्विटजरलैंड	—	—	—	१२	४०	४०	७४
९ चेकोस्लोवाकिया	—	—	—	—	१७७	१४१	४७४
१० युगोस्लाविया	—	—	१८	११८	१७५	१९९	२५०
११ पोलैंड	—	—	११	७९	२०३	२०३	२२१
१२ आस्ट्रिया	—	—	३६	५२	६६	६६	६६
१३ कुवैत	—	—	१४९१	३८०	५०६	५०६	८३४
१४ डेनमार्क	—	—	१०	१३	१६	१६	१८
१५ न्यूजीलैंड	—	—	७	११	११	११	९
१६ बहरीन	—	—	—	३४४	८२	७१	७१
१७ फ्रांस	—	—	—	—	—	—	६०
१८ विविध	—	—	—	—	२७८४	२१७५	८३१
१९ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	८६८	९०३	३९२	१८३	१८८७	१८८३	१९८०
कुल योग	८ ८	३९८२	३०९ ८	१४४८३	१९५४४	१८४९३	१९४४७

कोलम्बो योजना—राष्ट्रकुल या कामनवेल्थ के परराष्ट्र मन्त्रियो की १४ जनवरी, १६५० को एक बैठक कोलम्बो मे हुई थी। वहा ही कोलम्बो योजना का निर्माण हुआ। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशो के आर्थिक विकास की यह एक योजना है। इसका आधार सदस्य देशो की पारस्परिक सहायता है। मदद मागने पर केवल सदस्य देशो को दी जाती है। इसके साथ कोई शर्त्त नही लगी होती। मदद अनुदानो व कर्जो के रूप मे दी जाती है। अनाज, उर्वरक, उपभोक्ता माल, मशीन, खेती का साज-समान, परिवहन गाडिया, प्रयोग-शाला के साज-सामान सदृश वस्तुए भी दी जाती है। शिल्पिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ, और छात्र-वृत्तिया भी दी जाती है। इसका लक्ष्य दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के निवासियो का जीवन मान ऊचा करना है। उस कार्य मे मदद करना इसका कार्य है। सयुक्त राष्ट्र की एजेसियो से मिलकर यह कार्य करता है।

कोलम्बो-योजना के २१ सदस्य है। इनमे से १५ तो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैड, कनाडा, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका : ये बाहरी सदस्य है। ये ६ देश दानदाता देश के नाम से कहे जाते है। २१ नवम्बर, १६६४ को लन्दन मे इनकी एक बैठक हुई थी। उसमे निश्चय किया गया कि कोलम्बो-योजना को अभी जारी रखा जाय। मन्त्रियो की परामर्शदातृ समिति ने इसका समर्थन किया। अब यह योजना १६७१ तक जारी रहेगी।

कोलम्बो-योजना प्रारम्भ होने के बाद भारत ने ३१ दिसम्बर १६६६ तक विभिन्न देशो के ३४०७ व्यक्तियो को प्रशिक्षण की सुविधायें दी। योजना के अन्य देशो मे भारत के ४३६४ व्यक्तियो को प्रशिक्षण की सुविधाये मिली। इस अवधि तक भारत को ४०३ विदेशी विशेषज्ञो की भी सेवाये प्राप्त हुई।

इस योजना के अन्तर्गत भारत को कनाडा से १५३ ०५ करड रुपये, आस्ट्रेलिया से १५ ५४ करोड रुपये, न्यूजीलैड से ४ २८ करोड रुपये तथा ब्रिटेन से १ ४५ करोड रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

भारत सहायता सघ—२६ मई, १६६४ को इसकी एक बैठक वाशिगटन मे हुई थी। उसमे आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, प० जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैड, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारे सम्मिलित हुई। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के प्रति-निधि भी सम्मिलित हुए थे। यही भारत सहायता क्लब के नाम से प्रसिद्ध है। इसने १६६४-६५ के लिए १,०२८,०००,००० डालर ऋण भारत को देना स्वीकार किया। इसको मिलाने से तीसरी योजना के चार वर्षो के लिए भारत को ४,४४,५०,००,००० डालर मिले। कुल विदेशी विनिमय की आवश्यकता थी ५,४६,००,००,००० डालर। १६६१ मे भारत सरकार का कुल ऋण ४,६६८ करोड रु० था। ३१ मार्च, १६६३ को यह ५,६४७ करोड रुपये तथा मार्च १६६४ को ६,५६० करोड रुपये हो गया। भारत मे सरकार ने जो कर्ज लिया और चुकाया, उसका विवरण इस प्रकार है

भारत सहायता संघ से प्राप्त सहायता का उपयोग

(दस लाख डालरों में)

	१९६१ ६२ और १९६२ ६३	१९६३ ६४	१९६४ ६५	१९६५ ६६	१९६६ ६७	१९६७ ६८ (अप्रैल से सितम्बर तक)	जोड
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	५२ ५	२२ १	१८ १	३९ २	३३ ३	१५ ७	१८० ९
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	२१ ०	८८ २	१२३ ५	१८८ ८	१४९ ०	३० ९	६०१ ४
आस्ट्रिया	—	२ ५	२ ८	४ ५	४ ६	१ ३	१५ ७
बेल्जियम	—	—	२ ५	७ ८	२ ७	—	१० ३
कनाडा	६ ५	१४ ५	३४ ०	२५ ९	१३ ०	० ८	९४ ७
फ्रांस	—	—	२७ ३	१६ ५	२ ७	१९ ०	६५ ५
पश्चिमी जर्मनी	१७१ २	५४ ७	१०८ २	९५ ६	८४ ९	१८ ४	५३३ ०
इटली	० ४	४ ७	१४	५ ४	० २	—	२४ ७
जापान	१२ ५	३७ ७	५१ ४	६४ ७	४० २	११ ७	२१८ २
नीदरलैंड	—	—	५ ८	१४ १	८ ८	१३ ३	४२
ब्रिटेन	१०९ १	७२ ३	८४ ३	९० ३	५५ ८	२३ ८	४३५ ६
संयुक्तराज्य अमरिका	१९८ ४	३३७ २	३४१ ५	३६८ ९	२४०	१०७ ७	१५९३ ७
जोड	५७१ ६	६३३ ९	८१३ ४	९२१ ७	६३२ ५	२४२ ६	३८१५ ७

टिप्पणी यह सारणी उस सहायता के उपयोग के बारे मे है जो भारत सहायता संघ के वचनो के अन्तर्गत तीसरी आयोजना के लिए प्राप्त हुई थी।

राज्यों की समेकित बजट स्थिति

(करोड रुपयो मे)

	१९५१-५२	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६ (बजट अनुमान)	१९६५-६६ (सशोधित अनुमान)	१९६६-६७ (बजट अनुमान)
राजस्व आय	३९६ ४	५५४ ३	१०११ ८	१७५७ ५	१८३१ ०	२०९७ १
व्यय	३९२ ६	६०४ १	९८७ ४	१८४१ २	१९१३.२	२१११ ७
बचत (+) घाटा (--)	+३ ८	—४९ ८	+२४ ४	—८३.७	—८२ २	+११ ४
पूंजी खाता						
प्राप्ति	१३५ ०	३८२.०	५८०.०	११३३.६	१२४७.८	१००९ २
व्यय	१८८ ७	३३५ ९	६३२ ९	११२४.१	१३३६.५	१०७५ ०
बचत (+) घाटा (—)	+१ ६	+४ १	—१९.९	+९.५	—१०८ ७	—६५ ८
कुल बचत (+) घाटा (—)	—४८.३	+०.४	—४८ ४	—७९.१	—१८८ ९	—४९.२
नगदी रोकड मे वृद्धि या कमी	—१० ८	+१०.०	३.७	—६८ ९	—९६ २	—४५.६
प्रतिभूतियो की खरीद (+) या बिक्री (—)	—३७.६	—९.६	—५२ १	—१०.२०	—९२.७०	+१.०

आय कर की दर—भारत म आयकर की दर दुनिया भर म सबसे अधिर ? । एक व्यक्ति की आय यदि अनुपार्जित हो और ७५ ० या इससे अधिक हो तो उसका ८८ १२ प्रतिशत ले लिया जाता है । यदि आय उपार्जित हो और १ लाख हो या इससे अधिर हो तो ८२ ५ प्रतिशत ले लिया जाता है ।

उपार्जित आय का कितना भाग इस देश म लिया जाता है और अन्य देशों म लिया जाता है यह नीचे की तालिका मे दिखाया गया है

उन्नत देशो मे कर

(प्रति विवाहित व्यक्ति दो बच्चो के साथ)

(प्रतिशत)

	भारत	ब्रिटेन	अमेरिका	कनाडा	जापान
आय रुपयो म	(१९६४ ६५)	(१९६३ ६४)	(१९६२)	(१९६२)	(१९६२)
१०	६ ६	० ४	कुछ नही	कुछ नही	१२ ६
२००००	१६ ८	१२ ३	८ ६	५ ४	२
३०० ०	२६ १	१८ २	१२ ४	९ ६	२४ ६
४ ० ०	३४ ३	२१ २	१४ ८	१२ ६	२७ ७
५०० ०	३६ ३	२३ ५	१६ ३	१४ ८	३ ३
७५० ०	५० ४	२७	१६ ८	२२ ६	४७
१०००००	७ १	३२ १	२२ ८	७ १	८ २
१२५	६१ ६	३६ ८	२५ ७	३१ ६	४० ६
१५००	६५ ७	४२ ४	२८ ७	३४ ६	४२ ६
२ ००	[illegible] ४	५० ७	४१	७ ६	४५ ७
३ ००००	७५ २	६२ १	४ ०	४४ ६	४९ ४

१९६५ म जापान और अमरिका न आय-कर की दर और घटा दी है ।

विकासशील देशो मे कर-दर

(प्रति विवाहित व्यक्ति, दो बच्चो सहित)

(प्रतिशत मे)

आय रु० मे	भारत	पाकिस्तान	वर्मा	सीलोन	मलाया	ब्राजिल
१००००	६ ६	५.५	५.८	३ ३	१ २	कुछ नही
२००००	१६.८	११.६	१३ ३	६.६	३ ८	,, ,,
७५,०००	५०.४	४२.८	४३ ५	४१.३	१५ ३	८ २
१०००००	५७ १	५० ६	५० २	७४ ५	१६ ६	१० ८
१५००००	६५ ७	५८ ६	५६ ३	७८.३	२६ ४	१५ ४
२०००००	७०.४	६१ ६	६५ ०	८० २	२६ ८	१६ ६
३०००००	७५ २	६६ ६	७२ ७	८२ २	३३ २	२६.६

ऊपर की दोनो तालिकाओ मे आय-कर मे वार्पिकी जमा सम्मिलित है।

कम्पनी को आय-कर और सुपर टैक्स देना पडता है। यह ५० प्रतिशत होता है। यदि किसी कम्पनी मे जनता का भाग ज्यादा है, तो कर ६० प्रतिशत हो जाता है। परन्तु यदि कोई कम्पनी किसी विशिष्ट उद्योग मे प्रवृत्त है, तो कर १० प्रतिशत घट जाता है। इस दशा मे कर ४५ प्रतिशत ही रह जाता है।

विभिन्न देशों में करों के अधिकतम दर

नाम देश	अधिकतम दर (प्रतिशत)
आस्ट्रेलिया	४२.५
आस्ट्रिया	५१.६२
बेल्जियम	३०

(दस लाख फ्राक से कम आय पर और अवितरित मुनाफे पर प्रतिशत)

कनाडा	५०

(वृद्धावस्था सुरक्षा कर भी इसमे सम्मिलित है। प्रथम ३५००० डालर पर २१ प्रतिशत कर है। अवितरित लाभ पर १५ प्रतिशत कर है।)

मिश्र	१८ ७
फ्रास	५०
प० जर्मनी	५१

(वितरित मुनाफे पर केवल १५ प्रतिशत)

अधिकतम प्रतिशत कर

(अनिवासी कम्पनियो पर ४९ प्रतिशत)

आयरलैंड	(२५०० पौ० से अधिक आय पर १५ प्रतिशत मुनाफा कर ३१ ६७
इजराइल	३६ २२
इटली	(६ प्रतिशत से अधिक विशुद्ध लाभ होने की दशा मे कम्पनी पर १५ प्रतिशत मुनाफा कर भी है।)
जापान	(३० लाख येन से कम आय पर ३३ और ३८ वितरित आय पर २६ प्रतिशत।)
केनिया	३७ ५
मलाया	४
न्यूजीलैंड	५०
नीदरलैंड	४६
पाकिस्तान	५०
(अनिवासी कम्पनियो पर ६ प्रतिशत)	
सऊदी अरबिया	४
सिंगापुर	४
द अफ्रीका	३
स्पेन	३०
(१० प्रतिशत तक अतिरिक्त म्युनिसिपल प्रभार लाभ से घटाकर ४ प्रतिशत अतिरिक्त कर)	
सूडान	५०
स्वीडन	४६
टांगानिका	३७ ५
ब्रिटेन	५३ ७५
(कम्पनी लाभांश से घटाया कर कम्पनी चाहे तो अपने पास रख सकती है।)	
अमेरिका	४८

भारत मे व्यक्तिगत आयकर

आय के चुने हुए स्तरो पर (पूर्णत उपार्जित/संयुक्त आय जिनमे उपार्जित और अनुपार्जित आय ८० २ के अनुपात मे समाविष्ट हैं) किसी ऐसे निवासी विवाहित व्यक्ति की दशा मे जिसकी एक से अधिक आश्रित सन्तानें हैं वित्तीय वर्ष १९६८ ६९ के दौरान की जाने के लिए अपेक्षित वार्षिक जमाए और चालू दरो पर सन्देय कर और सम्बन्धमा मे स्रोत पर कर की कटौती और अग्रिम कर की संगणना के लिए विधेयक मे विनिर्दिष्ट दरो पर सन्देय कर दर्शाए है।

आय	वार्षिकी जमा	पूर्णत उपार्जित आय		सयुक्त आय : उपार्जित आय ८०% अनुपार्जित आय २०%		वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के दौरान, 'सवलमो' से स्रोत पर कर की कटौती और "अग्रिम कर" की सगणना के लिए विधेयक मे की दरो पर कर
		आय	कर धन वार्षिकी जमा	कर	कर धन वार्षिकी जमा	
(चालू दरो पर की जाने के लिए अपेक्षित वार्षिकी जमाए और वार्षिक जमाओ द्वारा यथा कम की गई आय पर सदेय कर)						
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	२	३	४	५	६	७
५,०००	—	११	११	११	११	११
७,५००	—	२८६	२८६	२८६	२८६	२८६
१०,०००	—	५६१	५६१	५६१	५६१	५६१
१२,५००	—	९७४	९७४	९७४	९७४	९७४
१५,०००	—	१,३८६	१,३८६	१,३८६	१,३८६	१,३८६
२०,०००	२००	२,४४२	२,६४२	२,४४२	२,६४२	२,४८६
२५,०००	३८०	४,०११	४,३९१	४,०११	४,३९१	४,१३६
४०,०००	३,६००	९,८५६	१३,४५६	९,८५६	१३,४५६	११,८३६
७०,१००	८,४००	२४,९९२	३३,३९२	२४,९९२	३३,३९२	३०,५३६
१,००,०००	१५,०००	४१,२६१	५६,२६१	४१,२६१	५६,२६१	५१,९८६
२,००,०००	३०,०००	१,०४,५३९	१,३४,५३९	१,०४,२०९	१,३४,२०९	१,२८,९८६
३,००,०००	४५,०००	१,७०,३१९	२,१५,३१९	१,७०,०५७	२,१५,०५७	२,०८,७३६
४,००,०००	६०,०००	२,३८,६०१	२,९८,६०१	२,३८,७३९	२,९८,७३९	२,९१,२३६
५,००,०००	७५,०००	३,०८,४९२	३,८३,४९२	३,०८,६३०	३,८३,६३०	३,७३,७३६

सम्पत्ति कर

सम्पत्ति कर इस हिसाब से लिया जाता है

व्यक्ति		प्रतिशत कर	अविभक्त परिवार
१	वास्तविक सम्पत्ति के पहले एक लाख पर	शून्य	शून्य
२	अगले चार लाख पर	० ५ प्रतिशत	■ ५ प्रतिशत
३	पांच लाख पर	१ ०	१
४	दस लाख पर	२ ०	२ ०
५	शेष वास्तविक सम्पत्ति पर	२ ५	२ ५

अतिरिक्त सम्पत्ति कर

(१) अधिक रकम के पहले दो लाख रुपयो पर	शून्य
(२) अधिक रकम के अगले ५ लाख रुपये पर	१ प्रतिशत
(३) अधिक रकम के अगले ८ लाख रुपये पर	२ प्रतिशत
(४) अधिक रकम के अगले ५ लाख रुपये पर	३ प्रतिशत
(५) अधिक रकम की बाकी रकम पर	४ प्रतिशत

दान-कर

कर-योग्य दानो के मूल्य पर दान कर की दरें इस प्रकार हैं

(१) पहले पांच हजार पर	४ प्रतिशत
(२) अगले १५ हजार रुपये पर	=
(३) अगले २५ हजार रुपये पर	१५
(४) अगले १ लाख रुपये पर	२५
(५) अगले दो लाख रुपये पर	४
(६) सभी कर योग्य दानो के शेष मूल्य पर	५

बैंक व्यवस्था

१९६७ वर्ष में अनुसूचित बैंकों की कुल जमा राशि में ४ अरब ८९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और यह राशि बढ़कर ३ अरब ७६ करोड़ रुपये की हो गई। बैंक से मिलने वाली उधार राशि में ३ अरब २७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई किन्तु १९६६ में ऋण विस्तार की दर लगभग पिछले वर्ष जैसी ही रहा तदनुसार १९६६ के अन्त में ऋण तथा जमा राशि के बीच का अनुपात ७२ प्रतिशत रहा। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की सावधि तथा माग जमा राशियों [illegible] और वृद्धि हुई। सावधि जमा राशि में २ अरब ७७ करोड़ रुपये की तथा माग जमा राशि [illegible] २ अरब १३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

[illegible] बैंकों [illegible] ३ [illegible] बैंकों का अध्ययन बताता है कि कारोबार चलाने का व्यय बढ़ा है। इस पर भी बैंकों का मुनाफा बढ़ता रहा।

धन की कुल मात्रा और मांग का आपूर्ति में अन्तर कायम रहा क्योंकि मुद्रानीति पुरानी रही कि बैंक-व्यवस्था के विस्तार का नियमन और नियंत्रण किया जाय। फरवरी [illegible] में मन्दता और विदेशी विनिमय का विचार करके कठोर मुद्रानीति ग्रहण की गई। १७ फरवरी १९६५ को बैंक रेट बढ़ाकर ६ प्रतिशत कर दी गई। बैंक रेट मार्च ६८ में पुनः घटाकर ५½ प्रतिशत की गई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में धनराशि की मौसमी प्राप्ति

(करोड रुपयो मे)

	१९६५-६६ का अधिक कामकाज का मौसम	१९६६ का कम कामकाज का मौसम	१९६६-६७ का अधिक कामकाज का मौसम	१९६७ का कम कामकाज का मौसम	१९६६-६७ का अधिक कामकाज का मौसम २८ अक्टूबर से १३ जनवरी तक	१९६७-६८ का अधिक कामकाज का मौसम २७ अक्टूबर से १२ जनवरी तक	१२ जनवरी १९६८ को वकाया
१. जमा का विस्तार							
माँग जमा	१२१	८५	११०	६४	३	३९	१७३९
मीयादी जमा	११४	१८०	५९	१३१	१९	५१	२००९
जोड	२३५	२६५	१६९	१९५	२२	९०	३७४८
२. ऋण (वृद्धिया—)	—३१०	८६	—४२६	१०२	—२३७	—१७२	२७४०
३ निधियो की शुद्ध (नेट) प्राप्ति (१+२)	— ७५	३५१	—२५७	२९७	—२१५	— ८२	१००८
४. भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण (वृद्धिया—)	— २८	३०	— ४१	३६	— २९	३	४
५ सरकारी प्रतिभूतियो मे निवेश	— ६	२९८	—१९८	२१८	—१९४	— ९१	१०५८
६ अन्य साधन/जरिये	— ४१	२३	— १८	४३	८	६	४६
७ पहले के अधिक कामकाज के मौसम मे हुई घट-बढ के प्रतिशत के रूप मे व्यक्त, कम कामकाज के मौसम मे हुई घट-बढ		१९६६		१९६७			
१ ऋणो की वापसी से जमा		२८		२४			
२ भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणो का समापन		१०७		८८			

टिप्पणी :—मीयादी जमा की रकमो और सरकारी प्रतिभूतियो मे लगाई गई रकमो के आँकडो (१९६५-६६ के अधिक कामकाज के मौसम मे २१ करोड रुपये) मे, राज्य बैंक के पास जमा सयुक्त राज्य अमेरिका की रकमो मे होने वाले परिवर्तन शामिल नही है ।

भारतीय बक—भारत म गत वप अनुसूचित व्यापारिक बको की सख्या ७६ थी। बको की सख्या नही बढ़ी किन्तु कार्यालयो की सख्या बढ़ती रही। दिसम्बर १९६६ के अन्त मे अनुसूचित व्यापारी बको की कुल सख्या ६ ४१४ थी।

भारत मे विदेशी बक—इनकी सख्या १५ है। इनम स ६ ब्रिटिश ३ अमरिकी २ जापानी १ डच १ फ्रेंच और २ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी बक इस समय काम नही कर रहे है।

बीमा व्यवसाय

भारत म जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। भारतीय जीवन-बीमा निगम की स्थापना १ सितम्बर १९५६ से हुई तबसे जीवन-बीमा व्यवसाय इसी के हाथ म है। राज्य सरकारा द्वारा राज्य कमचारी बीमा योजनाए प्रारम्भ की गई हैं।

जीवन-बीमा को छोडकर अन्य सामान्य बीमा (आग दुघटना समुद्री आदि) व्यवसाय भारतीय कम्पनियो तथा भारत स्थित विदेशी कम्पनियो के हाथ म हैं। कुछ राज्य सरकारें भी इस व्यवसाय म प्रवेश कर रही हैं।

आ ध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश केरल जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश मसूर तथा राजस्थान ने अपने कमचारियो के लिए अनिवाय जीवन बीमा योजनाए प्रारम्भ की हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम

सितम्बर १९५६ मे इसने २४५ बीमा कम्पनियो की समस्त परिसम्पत्ति तथा देनदारियो का दायित्व ग्रहण कर लिया।

जीवन बीमा निगम व्यवसाय

वप	प्रस्ताव सख्या	प्रस्तावित राशि (करोड रु)	जारी बीमा पत्र	बीमा पत्रो की राशि (करोड रु०)
१९६५ ६६	१६ २९ ७८४	८३६ ३४	१५ ६१ २०३	७६७ ७९
१९६४ ६५	१५ ३१ ६७२	७४६ ८२	१४ ४४ ३५२	७०१ ०८

माच १९६६ तक देश मे ४३ अरब ४९ करोड रुपये का कुल बीमा व्यवसाय हो चुका था। इसम से भारत म ४ २८२ करोड के १ १४ १० ००० तथा भारत के बाहर ११२ करोड रुपये के १ ७९ ००० बीमा-पत्र जारी हो चुके थे।

१ जनवरी १९६३ से भारत म आयात हानि-लाभ (माल कारखाना) बीमा योजना तथा १९६५ मे युद्ध हानि-लाभ (समुद्री) बीमा योजना प्रारम्भ की गई।

: १४ :

वाणिज्य-व्यापार

व्यापारिक प्रवृत्ति—भारत का विदेशी व्यापार कुछ वर्षो से देश के आतरिक आर्थिक विकास से प्रभावित रहता हैं। औद्योगिक विकास और उत्पादन को वढाने के लिए औद्योगिक कच्चा माल और अन्य चीजो को वडी मात्रा मे आयात करना पडता है। पर आयात की गति से निर्यात न वढने के कारण देश का व्यापारिक सतुलन पिछले २० वर्षो से वरावर विगडता जा रहा है। इसलिये विगत १७ वर्षो मे इसे दो वार अवमूल्यन करना पडा।

आर्थिक प्रगति का निर्णायक तत्व निर्यात-व्यापार है। पिछडे देश मे प्रारम्भ मे वडी मात्रा मे आयात करना पडता है। इसकी वित्तीय आवश्यकता निर्यात-व्यापार को वढा कर और प्राप्त विदेशी आय से पूरी की जाती है। निर्यात-व्यापार देशो को विदेश विनिमय प्रदान करता है।

आर्थिक विकास आयात का पर्याप्त माल उत्पादन करने की प्रेरणा देता है। भारत के उद्योगो मे आयात माल का भाग घटता जाता हे। इसका प्रतिशत प्रथम योजना मे २१ ५, दूसरी योजना मे १४ २ तथा तीसरी योजना के चार वर्षो मे ११ ३ था। परन्तु इसके कारण आयात व्यापार मे आनुपातिक कमी नही हुई। आयात पहली योजना से ३६७ करोड रु० का, दूसरी योजना मे ४८८२ करोड रु० और तीसरी योजना मे ६१९६ करोड रु० का हुआ। चौथी योजना मे ७७५० करोड रु० का आयात होने की सम्भावना हैं।

मूल्य की दृष्टि से निर्यात पहली दो योजनाओ मे वहुत कुछ अवरुद्ध रहा। तीसरी योजना मे वह तेजी से वढा। प्रथम योजना मे निर्यात व्यापार का औसत ६११ करोड रु० था। दूसरी योजना मे वह औसत ६०७ करोड रु० और तीसरी योजना मे यह औसत ७६० करोड रु०रहा। १९६६-६७ से भारत के निर्यात व्यापार मे भारी कमी आयी है।

भारत का विदेशी व्यापार

(करोड रुपयो मे)

वर्ष	आयात	निर्यात	विदेशी व्यापार (कुल मूल्य)	व्यापार सन्तुलन
१९५०-५१	६५० ४४	६०० ६७	१२५१ ११	—४९ ७७
१९५५-५६	७७४ ३५	५०८ ९१	१३८३ २६	—१६५ ४४
१९६०-६१	११२२ ४८	६४२ ०७	१७६४ ५५	—४८० ४१
१९६१-६२	१०९३ ०८	६६० ५८	१७५३ ६६	—४३२ ५८
१९६२-६३	११३७ २४	७०१ ६१	१८३८ ८५	—४३५ ६३
१९६३-६४	१२२३ ७५	७९३ २४	२०१६ ९९	—४३० ५१

१९६४ ६५	१३४९ ७२	८१६ ३०	२१६६ ०२	—५३३ ४२
१९६५ ६६	१३९२ ५४	८०९ ५५	२२०१ ८९	—५८२ ७९

भारत का निर्यात व्यापार

परिवतन

भारत के निर्यात व्यापार म अनेक परिवतन हुए हैं। पुराना ढर्रा बदला है। कई पुरानी चीजा का निर्यात घटा है और अनेक नई चीजा का निर्यात बढ़ा है। नीचे की तालिका से १९५० ५१ १९६५ ६६ व १९६६ ६७ की स्थिति स्पष्ट है

निर्यातित

वस्तु का नाम	१९५० ५१ (करोड रु० म)	१९६५ ६६ (करोड रु म)	१९६६ ६७ (करोड रु० म)
चाय	८० ४	११४ ८	१५९ २
काफी	१ ३	१२ ६	१४ ५
काली मिर्च	८ ५	११ १	११ ८
वनस्पति तेल	२५ ३	६ ४	६ १
चीनी	नगण्य	११ ३	१३ ८
मछली	२ ५	६ ८	१६ ७
चमडा कच्चा और तयार माल	२३ ४	२८ ५	५८ ४
तम्बाकू	१३	१९ ६	१८ ६
खनिज लौह	नगण्य	४८ १	१५ ४
खनिज मगनीज	८	१० ८	१३ २
जूट का तयार माल	५ ६	१८२ ८	२३५ ५
सूती वस्त्र	११८ १	५५ २	५९ ९
कृत्रिम रेशमी वस्त्र	१ ०	४ ९	२ ९
पेट्रोलियम उपादान	२ ३	६ ४६	७ ६६
इजिनियरिंग का सामान	३ ४	१६ ९	२२ ०

इस प्रकार १९६६ ६७ वष म चाय एव चीनी के कुल निर्यात मूल्य म वद्धि हुई किन्तु खाना और कच्ची मगनीज के एवत्र मूल्या म काफी कमी हुई। १९६६ ६७ म सूती कपड के निर्यात म भी कमी हुई।

गत वष म परम्परागत वस्तुओ से भिन्न वस्तुओ म निर्यात को बढ़ावा देने के काम म काफी प्रगति हुई। १९६७ ६८ की पहली छमाई म २ करोड डालर के लोहे और इस्पात का निर्यात किया गया जबकि १९६६ ६७ की पहली छमाही म १ करोड डालर के लोह और इस्पात का निर्यात किया गया था। इजिनियरिंग वस्तुओ म इस समय प्रधान बान्ना व बुज एल्यूमिनियम कडक्टर केविन तार एव बिजली के अय उपकरण इस्पात के बने हुए नल आदि का निर्यात किया जा रहा है। हाल में रेल के डिब्बा तथा अय इजनियरिंग सामाना के निर्यात क आदेश काफी माना में प्राप्त हुए हैं जो पूरे किए जा रहे हैं। १९६७-६८ में प्राप्त आदेशो का मूल्य ४२० लाख डालर है।

१९६८-६९ मे निर्यात व्यापार वढने के अच्छे लक्षण दिखाई दिए है जवकि १९६६-६७ मे निर्यात व्यापार को एकदम धक्का पहुँचा था। १९६५-६६ से अभी तक के निर्यात व्यापार के आकडे इस प्रकार है —

वर्ष	१९५५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९ (अप्रैल से जुलाई)
निर्यात वस्तुओ का कुल मूल्य (करोड रुपयो मे)	१२६८ ८९	११५६ ५३	११९८.६७	४२१ २९

सोवियत रूस के साथ १३ वर्षो मे भारत का व्यापार ३९ गुना वढा है। जापान के साथ भी व्यापार ४ ५ गुना वढा है। सिस्र के साथ दुगना हो गया। प० जर्मनी के साथ भी लगभग दुगना हो गया। ब्रिटेन और अमेरिका के साथ निर्यात व्यापार वढा। परन्तु कुल निर्यात मे ब्रिटेन का भाग २३ २ प्रतिशत से घटकर २० ६ प्रतिशत हो गया। अमेरिका का भाग घटकर १९ २ प्रतिशत से १६ ४ प्रतिशत रह गया। पाकिस्तान, वर्मा और आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घटा। भारतीय व्यापार की दिशा पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर अधिक है और प० यूरोप और उत्तरी अमरीका या अफ्रीका की ओर कम है।

यह प्रवृत्ति तीसरी योजनावधि मे भी कायम रही। १९६६-६७ मे निर्यात व्यापार ११५६ ५३ करोड रु० से वढकर १९६७-६८ मे ११९८ ६७ करोड रु० का हो गया अर्थात् वृद्धि ५ प्रतिशत हुई। राष्ट्रीय आय इस वर्ष ८ प्रतिशत वढी। इस कारण से निर्यात राष्ट्रीय आय के प्रभाव से अनुपात घट गया।

प्रमुख वस्तुओं के विगत ३ वर्षो के निर्यात आंकड़े

(करोड रुपयो मे)

वस्तु	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
काजू	४३ १३	४५ ५२	४३ ०८
कच्ची तम्वाकू	३० ८२	२१ ५२	३४ ८४
काली मिर्च	१७ ४८	१२ ६६	९३ ०८
लाख	६ ७३	५ ६४	५ १५
चाय	१८० ८७	१५८.४१	१८० २०
काफी	१२ ९४	१४ ४४	१८ ५
कार्डेमन	४ ३९	८ १३	७ १८
कच्चा लोहा	६६ ३०	७० १९	७४ ९८
वनस्पति तेल	३४ ६४	४६ ८९	४५ ४७
अवरख	१७ ७५	१४ १९	१५ ०५
मैग्नीज	१८.७१	११.६१	१२ ४१
लौह मैग्नीज	३ ८०	८४	२ ८८
हथकरघा कपडा	१५.२७	११ २४	११ २३
रेशमी वस्तुए	२ ८२	३ ३१	४ ०८
नकली रेशम	४.२७	४ ०८	९९

जूट उत्पादन २८७ ६६ २४९ ४१ २,४०७

योजना आयोग ने चौथी योजना में निर्यात व्यापार का लक्ष्य ८४५ करोड़ (१९६५ ६६) से बढ़ाकर ११९० करोड़ रु० (१९७० ७१) का रखा जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है

(करोड़ रुपयों में)

वस्तु का नाम	१९६५ ६६	१९७० ७१ (अवमूल्यन न होने की स्थिति में)	प्रतिशत वृद्धि (+) १९७० ७१ में १९६५ ६६ से कमी (—)
(क) कृषि व सम्बन्धित पदार्थ	१८१ १	२३९ ४	+३२ २
(१) वनस्पति तेल (अनावश्यक)	५ ६	१९ ५	+२४८ २
२ खली	४१ ०	४५	+९ ७
३ तम्बाकू अतयार	२४ १	२५ ०	+३ ७
४ मसाले	१७ ५	२२	+३१ ४
(क) काली मिर्च	७	७ ५	+१७ १
(ख) अन्य	१० ५	१५ ५	+९७ ६
५ चीनी	१० ५	२० ०	+९ ५
६ फल और सब्जी	३८ ०	४५	+१८ ४
(क) काजू	३६ ०	२७ ०	+१
(ख) अन्य	८ ०	१८ ०	+१२५ ०
७ मछली	८ ०	२	+१५ ०
(ख) बादाम	१३७ ४	१७५ ०	+२७ ४
८ चाय	१२६ ५	१६ ०	+२६ ५
९ काफी	१० ९	१५ ०	+३७ ६
(ग) खनिज पदार्थ और छीनन	७२ ७	११२ ०	+५४ १
१० खनिज लोह	४२	८५ ०	+१ २४
(घ) सूती वस्त्र व तयार कपड़ (नारियल व जूट वस्त्र को छोड़कर)	९६ २	१२७ ०	+३२ ०
११ सूती वस्त्र	६२ ०	६७	+८ ३
(क) मिल के	५० ०	५५	+१०
(ग) हाथ खड्डा	१२ ०	१२	—
१२ नकली रेशमी वस्त्र	६ ६	१५	+१२७ ३
१३ मिल सिलाये कपड़	५ ०	१२ ०	+१४० ०
(ङ) तयार नारियल की जटा व जूट के वस्त्र	१८१ ४	१९९ ०	+९ ६

१४ नारियल की जटा की सूत और तैयार माल	११ ५	१४ ०	+२१ ७
१५ जूट का तैयार माल	१७० ०	१८५ ०	+८ ८
(च) चमडा और चमडे का तैयार सामान	४१ ०	५० ०	+२२ ०
१६ जूते	५ ०	९ ०	+९० ०
१७ चमडा और चमडे का तैयार माल (जूते छोड़ कर)	२८ ०	३२ ०	+१४ ३
(छ) इजीनियरिंग माल	१८ ०	४५ ०	+१५० ०
(ज) दस्तकारी	२७ ०	४१ ०	+५१ ९
(झ) अन्य तैयार माल	५३ ५	७२ ३	+३५ १
१८ लोहा व इस्पात	१२ ०	१५ ०	+२५ ०
१९ रासायनिक व सम्बन्धित उत्पन्न माल	९ ५	१५ ०	+५७ ९
(ञ) पुनर्नियात समेत विविध	३६ ६	५० ०	+३६ ७
योग (क से ञ तक)	८४५ ०	१११० ७	+३१ ४

अवमूल्यन न होने की स्थिति मे चौथी योजना मे निर्यात व्यापार मे १३०० करोड या १७ गुना वृद्धि की आशा थी। यह दूसरी योजना की तुलना मे ७६ गुना अधिक है। निर्यात-व्यापार मे वृद्धि की आशा का आधार कृषि उत्पादन मे वृद्धि है। इसकी प्रत्याशित गति सदिग्ध है।

अवमूल्यन के बाद पूर्वीय देशो से आग्रह किया जा रहा है कि वे भारत से इजीनियरिंग का माल अधिक मात्रा मे ले तभी भारत उनको परम्परागत निर्यात माल और अधिक मात्रा मे देगा।

चौथी योजना के प्रारभ मे ही अवमूल्यन किया गया। इसके कारण व्यापार की स्थिति मे कहा अन्तर आयगा, यह जानने के लिए पिछली तीन योजना की अवधि मे हुए निर्यात-व्यापार को ध्यान से देखना होगा।

गत तीन योजनाओं में निर्यात

वर्ष	निर्यात करोड रु० मे	राष्ट्रीय आय चालू कीमतो पर करोड रु० मे	निर्यात (राष्ट्रीय आय के प्रतिशत)
प्रथम योजना मे			
१९५१-५२	७४३	७६७०	७ ५
५२-५३	५७२	७८२०	५ ९
५३-५४	५३१	१०४८०	५ १
५४-५५	५०३	९६१०	६ २
५५-५६	६०९	९९२०	६.०

जूट उत्पादन	२८७ ९९	२४९ ४९	२३४ ०७

योजना आयोग ने चौथी योजना में निर्यात व्यापार का लक्ष्य ८४९ करोड़ (१९६५ ६६) से बढ़ाकर १११० करोड़ रु० (१९७० ७१) का रखा जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है

(करोड़ रुपयों में)

वस्तु का नाम	१९६५ ६६	१९७० ७१ (अवमूल्यन न होने की स्थिति में)	प्रतिशत वृद्धि (+) १९७० ७१ में १९६५ ६६ से कमी (—)
(क) कृषि व सम्बन्धित पदार्थ	१८१ १	२३९ ४	+३२ २
(१) वनस्पति तेल (अनावश्यक)	५ ६	१९ ५	+२४८ २
२ खली	४१ ०	४५ ०	+९ ७
३ तम्बाकू अतैयार	२४ १	२५ ०	+३ ७
४ मसाले	१७ ४	२२ ०	+३१ ४
(क) काली मिर्च	७ ०	७ ५	+१७ १
(ख) अन्य	१० ५	१५ ५	+९७ ६
५ चीनी	१ ९	२० ०	+९० ९
६ फल और सब्जी	३८ ०	४५ ०	+१८ ४
(क) काजू	३६ ०	२७ ०	+१०
(ख) अन्य	८ ०	१८	+१२५ ०
७ मछली	८ ०	२ ०	+१५
(ख) बागान	१३७ ४	१७५ ०	+२७ ४
८ चाय	१२६ ५	१६० ०	+२६ ५
९ काफी	१० ९	१५ ०	+३७ ६
(ग) खनिज पदार्थ और छीलन	७२ ७	११२ ०	+५४ १
१० खनिज लोह	४२ ०	८५	+१०२ ४
(घ) सूती वस्त्र व तैयार कपड़े (नारियल व जूट वस्त्र को छोड़कर)	९६ २	१२७ ०	+३२
११ सूती वस्त्र	६२ ०	६७ ०	+८ ३
(क) मिल के	५० ०	५५	+१० ०
(ख) हाथ खड्डी	१२ ०	१२ ०	—
१२ नकली रेशमी वस्त्र	६ ६	१५	+१२७ ३
१३ मिल सिलाई कपड़े	५	१२ ०	+१४
(ङ) तैयार नारियल की जटा व जूट के वस्त्र	१८१ ४	१९९ ०	+९ ६

१४ नारियल की जटा की सूत और तैयार माल	११ ५	१४ ०	+२१ ७
१५ जूट का तैयार माल	१७० ०	१८५ ०	+८ ८
(च) चमडा और चमडे का तैयार सामान	४१ ०	५०.०	+२२ ०
१६ जूते	५ ०	९ ०	+९० ०
१७ चमडा और चमडे का तैयार माल (जूते छोड़ कर)	२८ ०	३२ ०	+१४ ३
(छ) इजीनियरिंग माल	१८ ०	४५ ०	+१५० ०
(ज) दस्तकारी	२७ ०	४१ ०	+५१ ९
(झ) अन्य तैयार माल	५३ ५	७२ ३	+३५ १
१८ लोहा व इस्पात	१२ ०	१५ ०	+२५ ०
१९ रासायनिक व सम्वन्वित उत्पन्न माल	९ ५	१५ ०	+५७ ९
(ञ) पुनर्नियात समेत विविध	३६ ६	५० ०	+३६ ७
योग (क से ञ तक)	८४५ ०	१११० ७	+३१ ४

अवमूल्यन न होने की स्थिति मे चौथी योजना मे निर्यात व्यापार मे १३०० करोड या १ ७ गुना वृद्धि की आशा थी। यह दूसरी योजना की तुलना मे ७६ गुना अधिक है। निर्यात-व्यापार मे वृद्धि की आशा का आधार कृषि उत्पादन मे वृद्धि है। इसकी प्रत्याशित गति सदिग्ध है।

अवमूल्यन के वाद पूर्वीय देशो से आग्रह किया जा रहा है कि वे भारत से इजीनियरिंग का माल अधिक मात्रा मे ले तभी भारत उनको परम्परागत निर्यात माल और अधिक मात्रा मे देगा।

चौथी योजना के प्रारभ मे ही अवमूल्यन किया गया। इसके कारण व्यापार की स्थिति मे कहा अन्तर आयगा, यह जानने के लिए पिछली तीन योजना की अवधि मे हुए निर्यात-व्यापार को ध्यान से देखना होगा।

गत तीन योजनाओं मे निर्यात

वर्ष	निर्यात करोड रु० मे	राष्ट्रीय आय चालू कीमतो पर करोड रु० मे	निर्यात (राष्ट्रीय आय के प्रतिशत)
प्रथम योजना मे			
१९५१-५२	७४३	७६७०	७ ५
५२-५३	५७२	७८२०	५ ९
५३-५४	५३१	१०४८०	५ १
५४-५५	५०३	९६१०	६ २
५५-५६	६०९	९९२०	६.०

दूसरी योजना मे			
१९५६ ५७	६२०	११३१०	५ ५
५७ ५८	५६१	११३६०	४ ८
५८ ५९	५७३	१२६००	४ ६
५९ ६०	६४०	१२९५०	४ ९
६० ६१	६४३	१४१४०	४ ५
तीसरी योजना मे			
१९६१ ६२	६६१	१४८००	४ ५
६२ ६३	७१४	१५४००	४ ६
६३ ६४	७९८	१७२००	४ ६
६४ ६५	८१५	१८११०	४ ५
६५ ६६	८४५	१९९००	४ ३
चौथी योजना मे (सभावित)			
१९७० ७१	१११०	२५०००	४ ४

इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत की दृष्टि से भारत का निर्यात दूसरी योजना के समय से कभी ५ ५ प्रतिशत से अधिक बढा ही नही है बल्कि घट कर ४ ३ प्रतिशत पर पहुच गया है।

निर्यात व्यापार को बढाने के लिए १७ निर्यात प्रोत्साहन परिषदें स्थापित की गई हैं। सरकार ने निर्यात मे अनेक रियायतें भी दी है। अवमूल्यन के बाद बहुत-सी रियायतें बन्द कर दी गई हैं।

निर्यात

१९६६ मे भारत का निर्यात (पुनर्निर्यात को शामिल करके) ९ अरब ६४ करोड ३० लाख रुपये का रहा जबकि १९६५ मे ८ अरब ३ करोड रुपये का निर्यात हुआ था। इस प्रकार निर्यात मे १ अरब ६१ करोड ३० लाख रुपये की वृद्धि हुई। डालरो मे १९६६ का निर्यात १ अरब ५८ करोड १८ लाख डालर का तथा १९६५ का १ अरब ६८ करोड ७० लाख डालर का बना और इस प्रकार करीब १ करोड डालर की कमी आई। निर्यात मे कमी मुख्यत सूखे के कारण आई जिससे फसलें खराब हुई। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे चीनी चाय के दाम गिरने और विदेशो मे हमारे सूती कपडे के आयात पर पाबन्दी लगने तथा जून १९६६ मे रुपये का अवमूल्यन होने से निर्यात-व्यापार मे कमी आई। साल के अन्त मे यह कमी घटने लगी थी।

ब्रिटेन अमरिका रूस और सयुक्त अरब गणराज्य बेल्जियम पश्चिम जर्मनी तथा नीदरलैण्ड्स आदि देशो को होने वाले निर्यात मे गिरावट आई। लेकिन उत्तरी अमरिका और पूर्वी यूरोप के देशो को हमारा निर्यात बढा। जूट का निर्यात एक तो अवमूल्यन के प्रभाव और दूसरे पाकिस्तान से मुकाबले के कारण कम रहा। चाय मे हमे श्रीलका और पूर्वी अफ्रीका से मुकाबला करना पड रहा है।

भारतीय माल के प्रमुख ग्राहक अमरिका ब्रिटेन और पूर्वी यूरोप के देश रहे। जापान को हमारा निर्यात अवमूल्यन मे पहले और बाद मे भी बढा लेकिन आस्ट्रेलिया बर्मा और

अफगानिस्तान को निर्यात गिरा। अफ्रीका के बारे मे भी यही स्थिति रही।

आयात-व्यापार

१९६६-६७ मे १९०१.७ करोड रु० का आयात हुआ। यह १९६५-६६ की तुलना मे ५०० करोड रु० अधिक था। कपास, इस्पात और लोहे का आयात ६७ करोड रु० का अधिक हुआ। मशीनी कल-पुर्जो का आयात ४७२.४ करोड रु० का हुआ। पूर्व वर्ष की तुलना मे यह ५१ करोड रु० अधिक है।

दूसरे महायुद्ध के पहले विश्व के दस औद्योगिक देशो मे भारत का स्थान आठवा था। किन्तु आज भारत पीछे पड गया है। पिछले वर्षो की औद्योगिक प्रगति हमारे लिए भले ही प्रशसनीय हो, परन्तु उसके कारण विदेशो मे भारत का स्थान ऊचा नही हुआ है।

यदि समुद्र तट के साथ समुद्र के अन्दर पेट्रोल मिल गया, जिसकी अभी खोज की जा रही है, तो भारत आयात को और कम करने मे समर्थ होगा। अभी सचार व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम का आयात करना पडता है। लेकिन सरकार इस दिशा मे आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। आयात बढाने वाली दूसरी चीज है खाद्यान्न। अमेरिका से बडी मात्रा मे अनाज का आयात किया गया। अनाज का आयात अन्य दूसरे देश—रूस पोलैड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया से भी किया गया है।

भारतीय विनिमय का नियत्रण

१९३९ से भारतीय विदेशी विनिमय का नियत्रण है। विनिमय के नियत्रण के कारण सरकार को विदेशी लेन-देन, सौदा खरीदने और बेचने के बारे मे असाधारण अधिकार प्राप्त हो जाते है।

भारत का अन्य देशो के साथ लेन-देन नियत्रित रहता है। इस दृष्टि से भारत अपवाद देश नही है। सब देशो मे भी विदेशी विनिमय का नियत्रण है। केवल नियमन और नियत्रण की मात्रा मे अन्तर है। विदेशी विनिमय नियत्रण का उद्देश्य है अतर्राष्ट्रीय भुगतान के हिसाब मे सतुलन प्राप्त करना। विदेशी विनिमय पर प्रतिबध है किन्तु इसका अर्थ यह नही कि विदेशी मुद्रा का प्रेषण बद है। यह अनुमति मिलने पर किया जा सकता है। यात्रा के वास्ते भी विनिमय का कोटा है। डालर क्षेत्र की यात्रा के लिए विशेष रूप से अनुमति लेना आवश्यक है। विदेशो मे भारतीय पूजी का विनियोग करना साधारणत निषिद्ध है। इसका एक अपवाद भी है। यदि बैंको में, बीमा कपनियो, बैंक और व्यापार के वास्ते हिसाब खोलना हो तो यह प्रतिबध लागू नही होता।

प्रमुख आयात

वस्तु	१९६०-६१ (करोड रुपयो मे)	१९६०-६१ (दस लाख डालरो मे)	१९६५-६६ (करोड रुपयो मे)	१९६५-६६ (दस लाख डालरो मे)	१९६६-६७ (करोड रुपयो मे)	१९६६-६७ (दस लाख डालरो मे)
१	२	३	४	५	६	७
१ उपभोक्ता वस्तुएं	१८१४	३८०९	३२२०	६७६५	५७२४	८१२६

दानो से भि न ग्रनाज ग्रौर उनसे बनी वस्तुए	१८१ ४	५८० ९	३२२ ०	६७६ ८	४७२ ४	८१२ ६
२ मध्यवर्ती वस्तए	३०१ ५	६३३ ३	२६६ ६	४६६ ३	५७७ ३	५३१ १
(क) रासायनिव खाद	१२ १	२५ ४	४४ ९	९४ ३	९६ ७	१३६ ०
(ख) खनिज इधन	६९ ५	१४६ ०	६८ ४	१४३ ७	६१ ७	८७ ५
(ग) ग्रौद्योगिक उत्पान वे काम आन वाली वस्तुए	२११ ९	४६१ ९	१५६ ३	५२८ ३	२१८ ९	५०७ ६
(१) कपास	८१ ७	१७१ ६	४६ २	९७ ०	५६ ४	७९ ८
(२) कच्चा जूट	७ ५	१५ ८	९ १	१९ २	२० ५	२७ ४
(३) ऊन वी पूनिया	८ २	१७ २	० ३	० ६	नगण्य	नगण्य
(४) नवली रेशम का रेशा ग्रौर धागा	११ १	२८ ३	० ८	१ ७	नगण्य	नगण्य
(५) रासायनिक पदाथ	५२ ७	११ ७	५ ६	१ ६३	७६ ९	१ ७८
(६) रगने ग्रौर चमडा कमान की वस्तुए	१३ ४	२८ १	६ ६	१३ ८	८ ४	११ ९
(७) ग्रौपध तथा भपज	१ ५	४२ १	८ ७	१८ ४	१६ ५	२३ २
(८) कागज ओर गत्ता	१२ १	२५ ४	१३ ५	२८ ३	२० १	२८ ७
(९) वनानिव उपकरण	१० ९	२२ ९	१४	२९ ४	१५ ८	२२ ८
(१०) नारियन की गिरी	११ ६	२४ ४	६ ३	१३ २	३ ८	५ ६
(११) तम्बाकू	० २	४	२	० ४	० ३	० ४
३ पूजीगत सामान ग्रौर सम्बद्ध वस्तुए	५३२ ०	१११७ २	६८३ ४	१४३५ ३	७३०	१ ४४७
(क) लोहा ओर इस्पात	१२२ ५	२५७ ३	९८	२०५ ८	९० ६	१२९ ७
(ख) ग्रलोह धातुए	४७ ३	९९ ३	६८ ८	१४४ ४	८२ ०	११४ ४
(ग) धातुग्रा से बनी वस्तुए	२२ ९	४८ १	१८ २	३८ २	१५ ९	२२ ८
(घ) मशीनें	२६ ६	५४७ ३	४२१ ६	८८५ ४	४७२ ४	६८० ८
(ङ) परिवहन सबधी उपकरण	७२ ४	१५२ ०	७० ५	१४८ २	५६ ४	७९ ७
(च) धातुग्रा से भिन्न खनिज पदार्थों से बनी वस्तुए	६ ३	१३ २	६ ३	१३ ३	१२ ७	१७ ७
४ ग्रन्य अवर्गीकृत	१२४ ८	२६२	१३५ ५	२७९ ८	२२२ ०	३५१ ६
५ जोड	११ ९७ २	९३ ४	१४०८ ५	२९५७ ९	१९०१ ७	२७१००

नवोदित अफ्रीका ग्रौर भारत

अफ्रीका एक महादेश है। विश्व क भूभाग क २२ ८ प्रतिशत पर यह बसा हुग्रा है।

है। दुनिया की कुल आबादी के ८५ प्रतिशत लोग यहा निवास करते हैं। किन्तु यहा के लोग ससार के कुल उत्पादन का २ प्रतिशत ही उत्पादन कर पाते हैं। इस महादेश मे ६० छोटे-बडे देश व प्रदेश हैं। इसका स्वदेशीय उत्पादन ३१०००० लाख डालर है जो इटली के बराबर है और ब्रिटेन का आधा।

अफ्रीका का विश्व व्यापार मे बडा हाथ है। यह वनस्पति तेल, तेल-बीज, रुई, मूगफली, बिनौला का बडी मात्रा मे आयात करता है। यद्यपि अफ्रीका विश्व मे उत्पन्न कुल रुई का ८ प्रतिशत उत्पन्न कर लेता है फिर भी विश्व व्यापार मे इसका २२ प्रतिशत भाग है। शराब और तम्बाकू भी यह कुल उत्पादन का क्रमश ९ और ५ प्रतिशत उत्पन्न करता है।

अफ्रीकी खनिज सम्पदा कुल खनिज सम्पत्ति का सातवा भाग है। यह विश्व के कुल हीरे का ९० प्रतिशत, कोलम्बियम और कोबाल्ट का ७० प्रतिशत, कीएनाइट और स्वर्ण का ६० प्रतिशत अपने यहा उत्पन्न कर लेता है। यहा अन्य खनिज पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं।

ऊपर के तथ्यो से ऐसा लगता है कि भारत को अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढाना चाहिए। पिछले तीस वर्षो से इस महादेश का विकास हो रहा है। विश्व व्यापार मे अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है। यह हीरा, सोना, कोलमबाइट, प्लैटिनम और कोबाल्ट, क्रोमाइट, ताम्बा, मैग्नीज, शिला फास्फेट, रुई, काफी, कोको और तिलहन का निर्यात करता है। तैयार माल और अर्ध तैयार माल का यह उपभोक्ता है।

भारत अफ्रीका की इन वस्तुओ का ग्राहक है—कपास, तावा, शिला, फास्फेट, काजू, वनस्पति, रग।

निर्यात संवर्धन नीतियां

१९६६ मे रुपये के अवमूल्यन के साथ-साथ निर्यात को बढावा देने की नीतियो मे बड़े-बडे परिवर्तन किये गये। तभी से सरकार का उद्देश्य यह रहा है कि उस समय दिये गये प्रोत्साहनो के ढाचे को बनाये रखा जाय और उसमे कम से कम और आवश्यक परिवर्तन किये जाए।

इस वर्ष निर्यात-सवर्धन नीतियो मे जो परिवर्तन किये गये उनमे से कुछ ये है नकद सहायता मे वृद्धि, निर्यात के लिए ऋण-व्यवस्था को सुदृढ बनाना, कुछ चुनी हुई निर्यातयोग्य वस्तुओ के लिए अतर्राष्ट्रीय मूल्य पर देशी कच्चे माल की व्यवस्था करना और शुल्को मे घट बढ करना।

लोहे और इस्पात, इजीनियरी की वस्तुओ और रासायनिक पदार्थो तथा कुछ अन्य वस्तुओ के सबध मे, जिनमे प्लास्टिक का सामान, कागज से बनी चीजे और खेलो का सामान शामिल है, उनके निर्यात के "जहाज तक नि शुल्क" मूल्य के १० से २० प्रतिशत तक की दर से नकद सहायता दी जाती थी। चीनी के निर्यात के लिए भी नकद सहायता दी जाती थी। इस वर्ष कई वस्तुओ के सम्बन्ध मे दी जाने वाली सहायता की दरे भी बढा दी गयी। उन वस्तुओ की एक अलग श्रेणी बनायी गई, जिन्हे २५ प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती थी, इस श्रेणी मे बिजली से चलने वाले पम्प, बाइसिकले और उनके हिस्से और इस्पात की बनी विभिन्न चीजे शामिल की गयी। बहुत-सी वे वस्तुओ, जैसे डीजल से चलने वाले पम्पो, बिजली के केबुलो, विभिन्न रासायनिक पदार्थो, परिरक्षित खाद्य पदार्थो

आदि को पहली बार सहायता प्राप्त वस्तुओं में शामिल किया गया। इस समय कुल निर्यात के ११ प्रतिशत भाग के सम्बन्ध में नकद सहायता दी जाती है जबकि इसकी तुलना में १९६६-६७ में यह प्रतिशत ८३ था। १९६६-६७ में निर्यात के सम्बन्ध में ७८७ लाख रुपये की नकद सहायता दी गयी जबकि उसके बाद के राजस्व वर्ष में नवम्बर १९६७ तक ६५० लाख रुपये की नकद सहायता दी गयी।

रुपये के अवमूल्यन के बाद निर्यात की जाने वाली परम्परागत वस्तुओं पर जिनकी मांग विदेशों में कम लचीली थी या जिनकी सप्लाई की स्थिति संतोषजनक नहीं थी या जिन पर ये दोनों बातें लागू होती थीं निर्यात शुल्क लगाये गये। निर्यात शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक शर्तों की रक्षा करना और विदेशी कीमतों की ऐसी गिरावट के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि से बचना था जो निर्यात की वृद्धि के बराबर न हो। लेकिन जैसा कि नकद सहायता के मामले में किया जाता है मंडियों की स्थिति पर निगाह रखी गयी और वर्ष के दौरान निर्यात शुल्कों में कुछ कमी करना जरूरी हो गया। १९६७-६८ के बजट में हेसियन बोरियों (सकिंग) और जूट से बनी अन्य चीजों के निर्यात शुल्क में कमी की गयी। चाय के उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने के साथ-साथ निर्यात शुल्क में २४ पैसे प्रति किलो की कमी की गयी और निर्यात शुल्कों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया। वर्ष के दौरान अन्य वस्तुओं के निर्यात जैसे कि विनपत्ते, कच्चा लोहा और मैंगनीज पर लगे शुल्कों में भी कमी की गयी। इस समय जिन वस्तुओं के निर्यात पर शुल्क लगता है वे निर्यात की जाने वाली कुल वस्तुओं का ६० प्रतिशत हैं।

इस वर्ष निर्यात के लिए ऋण देने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण उपाय किए गये। रिजर्व बैंक ने बैंकों को हिदायत दी कि वे ऋण में कमी करते समय निर्यातकों को दिये जाने वाले ऋण में कमी न करें। अगस्त १९६७ में रिजर्व बैंक ने इंजीनियरी और धातुकर्म वस्तुओं के निर्यातकों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जहाज पर लदान से पहले दिये जाने वाले ऋण की पुनर्वित्तव्यवस्था के लिए ४॥ प्रतिशत बट्टे की तरजीही दर निर्धारित की। इसके साथ ही बैंकों के लिए यह जरूरी था कि वे इस प्रकार के ऋण के लिए ६ प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें। यह व्यवस्था की गयी कि पुनर्वित्त-व्यवस्था का लाभ चाहे किसी बैंक द्वारा ही क्यों न उठाया जाय ६ प्रतिशत की अधिकतम दर तब भी लागू होगी। जहां तक अन्य वस्तुओं के निर्यातकों को जहाज पर माल के लदान से पहले दिये जाने वाले ऋण और जहाज पर माल के लदान के बाद की मुद्दती हुंडियों का सम्बन्ध है विदेशी मुद्रा की हुंडियों सहित पुनर्वित्त की सुविधा की व्यवस्था ६ प्रतिशत की दर से की गयी और बैंकों से कहा गया कि वे इस प्रकार के ऋणों के लिए ८ प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप निर्यातकों के लिए ऋण के व्यय में कमी हो गयी। चूंकि रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त इस सुविधा की मांग करने वाले बैंक को उसकी नकदी और नकदी जैसी अन्य परिसम्पत्तियों की वास्तविक स्थिति का ध्यान रखे बिना ही दिया जाता है इसलिए इसके साथ साथ ऋणों की उपलब्धि उदारता से होने लगी। इसके अलावा चूंकि पहले की किसी निर्दिष्ट आधार अवधि की तुलना में इस प्रकार के पुनर्वित्त की वृद्धि को नकदी और नकदी जैसी वास्तविक परिसम्पत्ति की सीमा में कमी करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता था इसलिए इस व्यवस्था ने अन्य क्षेत्रों को मिलने वाले ऋणों की उपेक्षा करके निर्यात के लिए दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि नहीं की जायगी।

निर्यात के लिए दरमियानी अवधि के ऋणो की सुविधा की व्यवस्था करने के काम को और भी आगे बढाया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उत्पादक वस्तुओ और पूजीगत वस्तुओ के निर्यात के लिए दरमियानी अवधि के ऋण इस शर्त पर दिया करता था कि ऋणो की अवधि ५ वर्ष से अधिक न हो। अगस्त १९६७ मे इस सुविधा को और भी उदार बनाया गया। पूजीगत वस्तुओ के सम्बन्ध मे उपयुक्त मामलो मे अधिकतम अवधि को बढाकर ७ वर्ष और असामान्य रूप से उपयुक्त मामलो मे अधिकतम अवधि को बढाकर १० वर्ष कर दिया गया। उत्पादक वस्तुओ के लिए दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम अवधि ५ वर्ष ही रही, हालाकि इस बात की व्यवस्था की गयी कि जरूरत पडने पर, जैसे कि उन मामलो मे, जहा उपकरणो की पूर्ति किसी बडी प्रायोजना को क्रियान्वित करने के पूरे ठेके का एक भाग हो, अवधि को बढाया जा सकता है। इस सुविधा की सीमा और भी बढा दी गयी ताकि विदेशो मे भारतीय प्रतिष्ठानो द्वारा भारतीय उपकरणो, माल और सेवाओ आदि की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली प्रायोजनाओ के कुल निर्माण-व्यय की वित्त-व्यवस्था करने के सम्बन्ध मे भी यह सुविधा दी जा सके। दरमियानी अवधि के ऋणो के व्याज की दरो के ढाचे को युक्तिसगत बना कर ४॥ प्रतिशत की समान दर की व्यवस्था की गयी लेकिन यह दर औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त मागने वाली वित्त-व्यवस्था करने वाली उन सस्थाओ के लिए थी, जो निर्यातको से स्वय ६ प्रतिशत से अधिक व्याज न ले।

राजकीय व्यापार

राज्य व्यापार-निगम

मई १९५६ मे पूर्णत सरकार के नियत्रण मे एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना हुई। निगम का प्रमुख कार्य देश की सुरक्षित विदेशी राशियो पर भार डाले बिना नियत्रित अर्थव्यवस्था वाले देशो के साथ भारत के निर्यात-व्यापार का विस्तार करके भारत के विदेशी व्यापार मे वृद्धि करना है। निगम भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाने और भारत की परम्परागत तथा परम्परागत-भिन्न निर्यात-वस्तुओ के लिए नई मडिया ढूंढने का भी यत्न कर रहा है। इसने भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओ के बदले मे आवश्यक पूंजीगत सामान तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री मगाने के सम्बन्ध मे कुछ देशो के साथ व्यवस्था की है। निगम ने मुख्य कच्ची सामग्री के उचित वितरण की भी व्यवस्था की है ताकि इन वस्तुओ के मूल्य उचित स्तर पर रखे जा सके। इन वस्तुओ मे कास्टिक सोडा, सोडा ऐश पारा, समाचारपत्र-कागज, कपूर, रग-सामग्री आदि सम्मिलित है। आयात की मात्रा तथा समय इस प्रकार निश्चित किए गए है कि उपलब्धि मे बार-बार बाधा न आए। लघु तथा मध्यम उद्योगो की वस्तुओ के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए १९६२ मे एक आदर्श 'लघु उद्योग-निर्यात-सहायता-योजना' आरम्भ की गई।

१९६६ के पहले १० महीनो मे सरकारी व्यापार-निगम ने ९५ करोड ४३ लाख रुपये के कुल मूल्य का व्यापार किया। इसमे २० करोड ८९ लाख रुपये के मूल्य का निर्यात-व्यापार भी शामिल है। इसके अलावा रूस को थरमोस बोतलो तथा पेण्ट करने के ब्रुशो को, गयाना को बिजली के सामान, इस्पात के बने फर्नीचर, रेजर-ब्लेडो तथा फिल्म-प्रोजेक्टरो का, सीरिया को साइकिलो तथा सिलाई-मशीनो का, अमेरिका को चमडे के जूते, चप्पलो का, ईराक

: १५ :

सिंचाई और बिजली

भारत मे सर्वत्र एक समान वर्षा नही होती । असम मे ४६० इन्च वर्षा होती है तो राजस्थान की मरुभूमि मे केवल तीन इन्च । देश भर मे औसत वर्षा ४६ इन्च होती है । भारतीय खेती यदि आज देश की आवश्यकता पूरी करने मे असमर्थ है तो इसका कारण खेतो को पर्याप्त मात्रा मे पानी का नही मिलना है ।

जल स्रोत—भारत का जलस्रोत पूर्वानुमान के अनुसार १६७५ अरब घनमीटर है। इनमे से ५५ अरब घ० मी० पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है । १९५१ तक सिंचाई के लिए लगभग ६३ अरब घ० मी० पानी का उपयोग किया गया । भारत मे कुल खेती का १६ प्रतिशत सिंचित है । सिंचित क्षेत्र के ८० प्रतिशत मे अन्न वोया जाता है । योजनाओ के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र मे जो वृद्धि हुई है, उसका लाभ नकदी फसलो को मिला है । औसत ५ एकड मे से दो एकड जमीन को नहर से, एक एकड को ताल-तलैया से तथा वाकी को कुआ या अन्य स्रोतो से पानी मिलता है ।

१९६०-६१ के अत मे स्थिति यह थी कि १४ ७६ करोड क्यूविक मीटर पानी का उपयोग किया जाने वाला था । यह व्यवहार्य प्रवाह का २७ प्रतिशत और वार्षिक प्रवाह का ८ ६ प्रतिशत था । तीसरी योजना के कार्यक्रमो के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र मे ४ ६३ करोड क्यूविक मीटर की वृद्धि हुई । इस तरह उपयोग्य जल प्रवाह के ३६ प्रतिशत का १९६५-६६ के वाद उपयोग होने लगेगा । मार्च ६८ तक २ १० लाख एकड अतिरिक्त भूमि जल मिलने लगेगा ।

नया काम, नई नीति—साधारण नदी प्रवाह को नहर मे वदलने का काम लगभग समाप्त हो गया है । अत सिचाई की नई योजनाओ का लक्ष्य नदी पर वाध वाधने और वर्षाकालीन अतिरिक्त पानी को सचित करके सूखे मासो मे उपयोग करना है । उन क्षेत्रो मे जहा प्रवाह सिचाई के उपयुक्त नही है, छोटी सिचाई के काम प्रारम्भ किये गये है । देश मे कुल ७०० लाख एकड जमीन सिंचित है । देश मे प्रथम योजना से अव तक ५०० वडी म०यम सिंचाई-योजनाए प्रारम्भ की गई है, जिनके पूरा होने पर कुल ४४० लाख एकड भूमि की सिंचाई हो सकेगी । तीसरी योजना के अन्त तक इनमे से २५० योजनाए पूरी हो चुकी थी ।

मत्रालय—सिचाई और विजली मत्रालय की स्थापना १९५२ मे हुई । जल और विजली की राष्ट्रीय नीति का निर्माण करने के अतिरिक्त सिंचाई और विजली मत्रालय निम्न काम करता है

१ राज्य सरकारो को वित्तीय व प्राविधिक सहायता देना ।

२ अन्तरराज्यीय नदियो और नदी-घाटियो का नियमन और निकास ।

३ नदी घाटी परियोजनाओ और वाढ-नियत्रण के कामो मे अनुसधान ।

४ बिजली म व्यापारिक राज ।

५ सिचाई परिकल्पना और बिजना विराग का निरा ाण व पयवेक्षण ।

६ रा य सरकारा की याजनाग्रा का परीक्षा करना ।

■ जन स्राता व सरक्षण नियमन और ग्रन्वषण सबधी ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्ना को हल करना ।

८ विदेशी विनिमय ग्रौर विदेशी सामग्री का ग्रावटन ।

९ सिधु जल सधि का क्रियान्वयन ।

सिंध जल-सधि १९६०—सिंधु नदी का बिभा पानी भारत ग्रौर पाकिस्तान न इसका निराय इस सधि के द्वारा किया गया है। १९ सितम्बर का इस सधि पत्र पर हस्ताक्षर किय गय । इस काय की देख रेख के लिए एक ग्रायुक्त की नियुक्ति की गई । सधि के ग्रनुच्छेद के ग्रनुसार भारत पाकिस्तान को दस किश्त देगा । इनम ॥ ाठ किश्त भारत ने विश्व बक के द्वारा पाकिस्तान को दे दी है। इसकी ग्राठवा किश्त नवम्बर १९६७ म दी गई । यह किश्त ६२ लाख पौण्ड की थी ।

केन्द्रीय सिचाई व विद्युत परिषद—यह ग्रनुसधान ग्रौर ग्रन्वषण सस्था है । इसकी स्थापना १९२७ म हुई ।

यह २१ ग्रनुसधान केन्द्रों के मध्य एकीकरण ग्रौर एकसूत्रता स्थापित करता है ।

केन्द्रीय जल व विद्युत ग्रायोग—यह ग्रायोग बहुमुखी नदी विकास योजनाग्रा को शुरू करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही विद्युत क विकास प्रपण ग्रौर उपयोग की व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार है । बिजली के प्रयोग ग्रौर नौकायन की भी यह यवस्था करता है । ग्रायोग का एक ग्रध्यक्ष ग्रौर ६ सदस्य है । तीन जल विभाग ग्रौर तीन बिजली विभाग क सदस्य है ।

जल विभाग—इसक काय इस प्रकार है प्रशासन व एकीकरण जलमाग सिंचाई ग्रौर नौकायन तकनीकी परीक्षा प्लाट व मशीनरी बाध नहर तट नियत्रण सघीय प्रदेश ग्रनुसधान व परीक्षा बाढ नियत्रण ग्राकल्पना जल शास्त्र ग्रौर सांख्यिकी सिल्ट पानी के प्रवाह के साथ ग्राई मिट्टी ग्रौर निमाण सामग्री भूमि-सरक्षण तकनीक जन शक्ति ग्रौर भण्डार ।

बिजली विभाग—इसके काय ये हैं जल विद्युत ग्राकल्पना ताप विद्युत प्रपण ग्राम विद्युतीकरण सघीय प्रदेश भार सर्वेक्षण ग्रौर भार विकास तकनीकी परीक्षा ग्रौर एकीकरण व्यावसायिक व नियोजन प्रकृति विदेशी विनिमय जल विद्युत नियोजन सुपर ग्रीडसल ताप विद्युत नियोजन प्रगति मापक सेल ।

तकनीकी समिति—तकनीकी समिति का गठन योजना ग्रायोग ने किया है । इसम केन्द्रीय जल विद्युत ग्रायोग क भी प्रतिनिधि है । बाढ नियत्रण स सम्बद्ध दो इजीनियर समिति के सलाहकार हैं । इसका कार्यालय दिल्ली म है । केन्द्र म यह सिचाई ग्रौर बिजली के विज्ञापना की सर्वोच्च सस्था है ।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम —इसका निर्माण इण्डियन कम्पनी एक्ट १९५७ के ग्रधीन किया गया है । इसम केन्द्रीय सरकार तथा रा य सरकारा की सम्मिलित दो करोड का पूजा लगा हुई है । इस समय निगम क हाथा म २९ कराड रु से भी ग्रधिक की लागत के निमाण काय हैं ।

बाढ़ नियन्त्रण और भूसरक्षण—वर्षा ऋतु म प्राय देश म जहा-तहा बाढ ग्रा जाती

है। इसके नियत्रण के लिए सरकार ने केन्द्रीय बाढ-नियत्रण सस्था की स्थापना की है। राज्यो मे भी बाढ-नियन्त्रण सस्थाये हे। १६ राज्यो मे बाढ-नियन्त्रण बोर्ड है और अन्तर-राज्य स्तर पर चार नदी आयोग हे। इनके अन्तर्गत ये नदिया है—ब्रह्मपुत्र, गगा मध्य भारत की नदिया और उत्तर-पश्चिम की नदिया। जम्मू-कश्मीर मे जम्मू-कश्मीर बाढ-नियन्त्रण परिषद् है।

सिचाई के कुछ प्रकार

नहरो से सिंचाई—नहरे नदियो से कृत्रिम रूप से बनाये गये जलाशयो से पानी लेती है। नहरे तीन प्रकार की है—बाढ-जल-नहर, बारहमासी नहर और जल भण्डार नहर।

नहरो के अतिरिक्त साधनो से की गई सिंचाई को छोटी सिचाई कहते है। यह तालाबो, जलाशयो, कूपो और नल कूपो आदि से की जाती है। देशी ढग के कुए देश भर मे है। उसका नाम हे—सरफेस परकोलेसन वैल।

तालाब और जलाशय—नदी की धारा पर बाध बनाकर उथला बेसिन जल-सचय के वास्ते बनाया जाता है।

बाढ-सिचाई—यह छोटी सिचाई का एक स्रोत हे। बरसात के मौसम मे नदी का जल खेत मे दूर तक फैल जाता है। पानी नदी की साधारण सतह से कई इच ऊपर पहुच जाता है। बाढ का पानी जमीन लेती है जिससे आर्द्रता बनी रहती हे। यह आर्द्रता खेती मे मदद देती है। रबी की फसल मे इससे सहारा मिलता है।

नलकूप—यान्त्रिक पपो की सहायता से भूगर्भगत पानी को ऊपर लाया जाता है।

उत्पादक—इस प्रकार सिचाई के लिए वित्तीय सहायता ऋण के रूप मे अकाल कोष अनुदान मे से दी जाती है। यह उन योजनाओ के लिए दी जाती है जिनसे आशा होती है कि दिया गया धन (काम पर किया गया व्यय) १० वर्ष बाद व्याज सहित आ जाय।

बाध और बाजार—जल-सग्रह के लिए नदी के धारा प्रवाह के आरपार बाध बनाया जाता है। बराज भी एक प्रकार का बाध है किन्तु यह उपयोग और आकार की दृष्टि से बाध से छोटा होता हे। इसे फाटक बाध कहते है।

अनुसंधान—सिंचाई और बिजली की परिकल्पनाओ पर पर्याप्त अन्वेषण-कार्य हुआ है।

प्लावन-मृत्तिका व निर्माण सामग्री निदेशालय (सिल्ट एण्ड कन्ट्रक्शन मेटेरियल डायरेकटोरेट)—यह सर्वेक्षण, अनुसधान और सिल्ट तथा निर्माण विषयक सामग्रियो का सग्रह करता है। इस निदेशालय के चार स्कध है

१. केन्दीय जल तथा विद्युत अनुसधान केन्द्र, पूना—केन्द्र ने जनवरी, १९६६ मे (२२ से २६ तक) अपनी स्वर्ण-जयन्ती मनाई। यह बाढ-नियन्त्रण, नदी नियन्त्रण, सिंचाई व बिजली परिकल्पनाये, पुलो, बन्दरगाहो, जहाज-निर्माण आदि की आकल्पनाओ को तैयार करने का काम करता हे।

२ विद्युत अनुसधान केन्द्र, बगलौर—यह १९६०-६१ से काम कर रहा हे। यहा विद्युत अभियन्त्रणा मे व्यावहारिक अनुसधान की सुविधाये ह। भोपाल मे भी इसकी शाखा है।

मसूर

तगभद्रा योजना—यह आध्र और मसूर राज्य की सयुक्त परियोजना है। इस पर अनुमानित यय ६६ ७३ करोड रुपये होगा। तुगभद्रा नदी पर एक बाध सिचाई के वास्ते बन गया है। इसके बाये तट स नहर की लम्बाई २०३ किलोमीटर होगी। इस पर बिजली घर भी होगा। इसके दाहिन ३४७ किलोमीटर लम्बी निम्न सतही पर नहर होगी। यहा दो बिजली घर होग। साथ ही यही पर उच्च सतही नहर भी होगी जो १६५ किलोमीटर लम्बी होगी। इससे ४ लाख ८ हजार एकड भूमि की सिंचाई होगी और १०८ किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

अब तक निम्नलिखित काम पूरे हो चुके है

मुख्य बाध हाम्दी म तथा बाध के मध्य दो बिजली घर (प्रत्येक म ६ ६ हजार किलोवाट की क्षमता की चार यूनिटें हैं)। बायी ओर का बिजली घर (जिसम ६ ६ हजार किलोवाट की तीन यूनिटें है।)

तगभद्रा उच्च सतही नहर योजना के प्रथम चरण के यय का अनमान १६ ५ करोड रुपये है।

तुगभद्रा पन बिजली प्रणाली की प्रतिष्ठित क्षमता ६६ मेगावाट होगी जिसम से ७२ मेगावाट तुगभद्रा योजना बोड के अधीन और २७ मेगावाट मसूर सरकार के अधीन होगी।

उडीसा

हीरा कुड बाध परियोजना—६७ ८२ करोड रुपये की हीराकुड बाध परियोजना पूरी हो गई है। १ अप्रल १९६० से इस पर उडीसा सरकार का नियत्रण है। इस योजना से ६ ३ लाख एकड जमीन को पानी दिया गया है।

महानदी डेल्टा सिचाई योजना—यह योजना हीराकुड बाध परियोजना के प्रथम चरण का भाग मानी जाती है। यह योजना ३४ ३४ करोड की है। हीराकुड बाध से छोड पानी को सचित करने के लिए महानदी की धारा को भिन भिन दिशा मे मोडकर बीयर बनाया जायगा। इससे कटक और पुरी जिन म १६ १ लाख एकड भूमि की सिंचाई हो सकेगी। परियोजना १९६९ ७० तक पूरी होगी।

पजाब

व्यास परियोजना—सिंधु जल करार के कारण इस नई योजना की आवश्यकता हुई है। पाकिस्तान की चार नदियो—रावी से लेकर सिंधु तक के सम्पूर्ण प्रवाह पर अधिकार दन के बाद राजस्थान को पानी देने के लिए यह योजना बनाई गई। योजना के दो भाग हैं—व्यास सतलज लिंक और व्यास नदी पर पोग म बाध बाधना। परियोजना पजाब हरियाणा और राजस्थान की सरकारो का सयुक्त प्रयास है। परियोजना पनबिजली और सिचाई दोनो की है। इससे पजाब व हरियाणा क्षत्र को पानी मिलगा। पन्डोह म ६४ मीटर ऊचा बाध बनाया जायगा। देहर म बिजली का प्लाट लगाया जायगा। इसम चार यूनिट होगी। प्रत्यक १६५ मेगावाट की होगी। व्यास परियोजना देहला की कुल स्थापित क्षमता

१०१९ मेगावाट होगी। उसका विवरण यो है देहर विजली प्लाट प्रत्येक १६५ यूनिट की
कुल ६६० मेगावाट पोग वाव विजली प्लाट प्रत्येक ६० यूनिट की—कुल २४० ,, ,,
भाखडा दक्षिण तट पर विजली घर— ११९ ,, ,,
कुल=१०१९ ,, ,,

इस विशाल परिमाण मे उत्पन्न विजली का लाभ दिल्ली को भी मिलेगा तथा हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होगा।

देहर और पोग पर के विजली प्लाटो की क्षमता और बढाने की भी योजना है। १९६२ से इस योजना का कार्य चालू है। यह योजना ९९ ६७ करोड रु० की है। यह परियोजना १९७१-७२ तक पूरी हो जायगी।

पोग वाध—मुकेरिया से २४ मील दूर पोग गाव के निकट व्यास नदी पर यह वाध वनाया जायगा। पोग गाव के पास ११९ मीटर ऊचाई पर मिट्टी पत्थर का वाव वनाया जायगा। राजस्थान नहर को पूरे वर्ष भर पानी मिलता रहे, इस दृष्टि से यहा एक जलाशय निर्मित किया जायगा। यहा २४० मेगावाट की स्थानीय क्षमता का विजली प्लाट वनाया जायगा। दो सौ प्रतिशत भार पर इसकी स्थाई क्षमता ७५ मेगावाट की होगी। इस परियोजना पर अनुमानत २११ करोड रु० व्यय होगे। व्यास वाव का निर्माण तेजी से चल रहा है। पाच व्यवर्तन सुरगो मे से दो का काम पूरा हो गया है। इनको पक्का किया जा रहा है। स्टिलिंग वेसिन को भी पक्का किया जा रहा है। मलवाडा और वाव स्थान के मध्य रेल लाइन तैयार हो रही है। पोग वाव के १९७०-७१ तक पूरा होने की आशा नही है।

इस योजना के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सस्था से ३२० लाख डालर तथा विश्व वैंक मे २३० लाख डालर लेने की वातचीत चल रही है। विदेशी विनिमय का सकट इससे दूर हो जाने की आशा है।

भाखडा-नगल परियोजना—इस परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। ७४० फुट ऊचा भाखडा वाव २२ अक्तूवर, १९६३ को स्थापित किया गया था। वाव के वाम तट पर विजली घर से सबद्ध सव काम १९६४-६५ मे पूरे हो गये।

इस परियोजना का विजली का प्लाट ६०४ मेगावाट क्षमता का है। नगल खाद कारखाना और दिल्ली को यहा से विजली मिलती है। हिमाचल प्रदेश को भी विजली मिलेगी। राजस्थान एव हरियाणा-पजाव के मध्य २२ १५ के अनुपात से विजली मिलेगी। इसमे अव परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। पजाव के विभाजन ने व्यास परियोजना के स्वत्वाधिकारियो मे भी परिवर्तन अनिवार्य कर दिया है।

भाखड़ा दक्षिण तट परिकल्पना—भाखडा-नगल योजना का एक भाग होने पर भी यह परिकल्पना इस समय उससे अलग है। इसके अतर्गत ये काम हो रहे है

१ वोल्टा वर्धक केन्द्रो और विजली घर का निर्माण हो रहा है। विजली घर मे पाच उत्पादन यूनिटे होगी जो प्रत्येक १२० मेगावाट की होगी।

२ वाम तट और दक्षिण तट के विजली घरो को मिलाने के वास्ते २२० किलोवाट का ९१५ मीटर लम्वा दुहरा परिवृत वाला पारेपण पथ।

३ सगसर की राह भाखडा से दिल्ली तक २२० किलोवाट की ४५६ किलोमीटर वाला एकाकी परिवृत का पारेपण पथ और आवश्यक उपकेन्द्र।

ताप बिजली घर से ६.५ मे० वा० बिजली पैदा होगी। कोनार को छोड़कर प्रत्येक बांध के साथ १ ४ मेगावाट की क्षमता वाले बिजली घर बनाने की योजना है।

तिलैया बांध—हजारीबाग जिले में यह बांध कोडरमा रेलवे स्टेशन से १२ मील दूर है। यह कंक्रीट बांध है। इसके दोनों ओर मिट्टी का काम है। यह १२०० फुट लम्बा और ९० फुट ऊंचा है। इसके जलाशय से ५२०००० एकड़ फुट पानी संचित हो सकता है।

कोनार बांध—हजारीबाग जिले में स्थित इस बांध से २७५००० एकड़ फुट पानी जमा हो सकता है। इसका जल विस्तार १० २ वर्ग मील तक है। इसके दोनों बाजुओं में मिट्टी का तटबंध है। इसकी लम्बाई ११६३९ फुट है। यह १९६४ में बनकर तैयार हुआ है।

मैथन बांध—आसनसोल रेलवे स्टेशन से यह १६ मील दूरी पर स्थित है। यह बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका उत्प्लव भाग (स्पिल वे) कंक्रीट का है तथा ६१२ फुट लम्बा है किन्तु बांध मिट्टी का है। यहां एक बिजली घर है जिसकी क्षमता ६ ० किलोवाट की है। इसके दोनों ओर १४४ २ फुट लम्बा मिट्टी का डाइक है।

पंचेटहिल बांध—यह धनबाद जिले में है तथा दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर घाटी में यह सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी का बना यह बांध ७१३५ फुट लम्बा और १ ४ फुट ऊंचा है। यह बांध मुख्यतः बाढ़ को रोकने और बिजली पैदा करने के लिए बनाया गया है। इसका उत्प्लव भाग (स्पिल वे) कंक्रीट का बना हुआ है और १२१५ फुट लम्बा है। इसकी ड्राफ्ट १३८ ५ फुट है। यहां १२२४००० एकड़ फुट पानी जमा हो सकता है। बिजली घर से ४ हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी। इस बांध का उद्घाटन दिसम्बर १९५६ में किया गया।

दुर्गापुर बराज—यह दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से एक मील तथा आसनसोल से २५ मील दूर दामोदर नदी पर बना हुआ है। यह २८७१ फुट लम्बा और ५८ फुट ऊंचा है। इसका उद्घाटन अगस्त १९५५ में हुआ। इसकी बायें तट की नहर ८५ मील तक नौका नयन के योग्य है। यह कलकत्ता और रानीगंज के कोयला क्षेत्र के मध्य वैकल्पिक मार्ग बनाती है।

बोकारो ताप बिजली घर—कोनार बांध के नीचे १२ मील दूर हजारीबाग जिले में स्थित है। यहां से फरवरी १९५५ से बिजली दी जाने लगी। यह १६५००० किलोवाट बिजली पैदा करता है। यहां से उत्पन्न बिजली जमशेदपुर का इस्पात कारखाना, हजारीबाग की अभ्रक की खानें और धनबाद की कोयला की खानें लेती हैं। आसनसोल जिला और कलकत्ता के आसपास के उद्योगों को भी यहां से बिजली मिलती है। जमशेदपुर के इस्पात कारखानों को यहां से अतिरिक्त बिजली मिलती है। सीमेंट और [illegible] कारखाने भी यहां से बिजली लेते हैं।

दुर्गापुर ताप बिजली घर—इस समय इसकी क्षमता १५० ०० किलोवाट है तथा [illegible] १५ [illegible]।

चन्द्रपुरा ताप बिजली स्टेशन—इस योजना का ७५ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

[illegible] द्वारा निर्मित [illegible] का काम सम्भवतः पूरा हो गया है। इसके प्रबंध का भार [illegible] १९ [illegible] बंगाल सरकार को दिया गया है।

फरक्का बराज परियोजना—इस परियोजना का उद्देश्य कलकत्ता के बन्दरगाहों को सुरक्षित बनाना और हुगली नदी मे नौका नयन की सुविधा को बढाना तथा कायम रखना है। फराका मे भागीरथी पर बराज बनाया जायगा। उस पर रेल मार्ग और सडक दोनो रहेगे। पाकिस्तान अब तक इसका विरोध करता रहा है जिसके कारण इसके पूरे होने मे अधिक विलम्ब हुआ है। बराज बनाने के साथ-साथ पूरक नहरें भी बनाई जायेगी। फरक्का बराज कट्रोल बोर्ड की स्थापना अप्रैल, १९६१ मे की गई।

मयूराक्षी परियोजना—यह लघु सिंचाई परियोजना है। इस पर २० ४६ लाख रुपये व्यय होगे। इसके साथ ४००० किलोवाट क्षमता का बिजली घर भी है। सूरी से २० मील उत्तर-पश्चिम मोसनजूरी मे यह योजना निर्मित है। सूरी के समीप तिलपुरा मे बराज बनाने के साथ १९५० मे पहला चरण समाप्त हो गया। यह १५५ फुट ऊचा है और २१०० फुट लम्बा हे। यह १९५५ मे पूरा हुआ। नहर से ६ १ लाख एकड की सिंचाई की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश

नागार्जुन सागर—नदी कोडा (नलगाव जिला) गाव के पास कृष्ण नदी पर ३६० फुट ऊचा चूने-पत्थर का बाध बनाया गया है। बाँध के दोनो ओर नहरे हे। इसका जल विस्तार ७३ ६६ वर्गमील होगा।

परियोजना पर अनुमानित लागत १६० करोड रु० की है। बाव और नहर का निर्माण कार्य १९७०-७१ मे पूरा होने की आशा है। पूर्ण होने पर इससे २२ लाख एकड भूमि की सिंचाई हो सकेगी। मार्च ६८ तक इस योजना पर १३२ ७ करोड रुपये व्यय हो चुके है।

कलकत्ता बन्दरगाह परियोजना—हुगली नदी मे बडी मात्रा मे रेत आने से कलकत्ता बन्दरगाह को खतरा उपस्थित हो गया हे। अत गगा बराज बनाने की योजना हुई जिसके अतर्गत ये निर्माण कार्य हे (१) फरक्का मे गगा के आरपार बराज (२) जगीपुर (मुर्शिदाबाद) मे भागीरथी पर एक बराज (३) गगा बराज के दक्षिणी तट से पानी लेने वाली नहर का निर्माण जो जगीपुर बराज मे जाकर भागीरथी मे मिल जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य कलकत्ता बन्दरगाह और हुगली-भागीरथी की रक्षा करना हे। किंतु इसके साथ अनेक आनुसागिक लाभ भी होगे। कलकत्ता की जल पूर्त्ति और मोरी प्रणाली मे सुधार होगा।

यह परियोजना कोलम्बो योजना के अतर्गत कनाडियन सरकार की सहायता से बनाई जा रही है।

मद्रास

कुडा जल विद्युत योजना—मद्रास राज्य की अब तक की योजनाओ मे यह सबसे बडी योजना है। दो चरण पूरे हो चुके हैं। दो बिजली घर बनकर तैयार हो गये है। शेष दो चरणो मे और दो बिजली घर बनाये जायेगे। यह परियोजना भी कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडियन सरकार की सहायता से बनाई जा रही है।

मैसूर

अपर कृष्णा परियोजना—गुलबर्ग जिले मे नरवान पुर के पास कृष्णा नदी पर यह बाव बनाया जा रहा हे। उसका उपप्लव मार्ग पत्थर का होगा। बाध १२७.५ फुट ऊचा है और २४२०० फुट लम्बा हे। यहा से दो नहरे भी निकाली जायेगी। इस पर

५६ करोड़ रु० व्यय होगा। मार्च ६८ तक २ १ करोड़ रु० व्यय हो चुका है।

केरल

पेरियार घाटी योजना—इस योजना में जिस पर ६ करोड़ ४० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है अलवाय के समीप पेरियार नदी पर २१० ६२ मीटर लम्बा बांध बनाया जायगा। इस बांध से निकलने वाली २६ किलोमीटर लम्बी नहर से ४१ ०० हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी। बिजली घर मुख्य नहर और उसकी शाखाओं के निर्माण का काम पूर्ण हो चुका है। योजना आंशिक रूप में चालू हो चुकी है।

बड़ी एवं मध्यम सिंचाई-योजनाएं

	व्यय		सिंचाई	क्षमता
	सिंचाई	बाढ़ नियन्त्रण	निर्मित	उपयोग
	(करोड़ रुपये)			(लाख एकड़)
प्रथम योजना		१४	६ ५	३ १
द्वितीय योजना	३८०	४६	११ ७	८ ३
तृतीय योजना	५८०	८७	१७ ५	१३ ५
१९६६ ६७	१३०	१५	१८ ६	१५ २
१९६७ ६८	१३३ ७७	१३ ६९	२० ८९	१७ ४८
१९६८ ६९ (प्रावधान)	१४७ २९	१२ ७८	२३ १३	१९ २८

चतुर्थ नियोजन में सम्मिलित सिंचाई की मुख्य परियोजनाएं

चालू योजनाएं	कुल व्यय (करोड़ रु० में)	यथार्थ लाभ पूर्ण होने पर (लाख एकड़)	अनुमानित व्यय (मार्च ६८ तक)
भाखड़ा नांगल (पंजाब व राजस्थान)	१०३ १८	५६ ००	पूर्ण
दामोदर घाटी (प बंगाल व बिहार)	२९ ५३	८	२६ ४
हीराकुड (चरण १ उड़ीसा)	६७ ८२	६ ३	पूर्ण
चम्बल (चरण १ राजस्थान व मध्य प्रदेश)	७८ १	१६००	६८ १
तुंगभद्रा (आन्ध्र मैसूर)	११ ३६	१२ १	८८ ८
मयूराक्षी (प बंगाल)	२० ८६	६ १	१६ ६
भद्रा (मैसूर)	४ ७३	३ ८	२८०
कोसी (बिहार)	६८	१ ८	८१ १
नागार्जुन सागर (आन्ध्र)	१ ० ०	३३ ०	१ ३७
काकरापार नहर (गुजरात)	१८ ५३	५ ६	१७ २
महि (गुजरात)	३१ ५८	८	२८ १
पूर्णा (महाराष्ट्र)	१८ ६३	१ ८	१६ ७
तवा (मध्य प्रदेश)	८ १८	७ ५	१८

नर्मदा (मध्य प्रदेश-गुजरात)	४१४१	१००	५.८
बनास (गुजरात-राजस्थान)	१० ८८	११	१२ २
मूला (महाराष्ट्र)	१९ ११	१ ९	१० १
गिरना (महाराष्ट्र)	१२ ७५	१ ९	१३ ०
खडकवासला (महाराष्ट्र)	१९ ०७	० ६	१४ ८
सलादी (उडीसा)	१३ ०८	१.५	११.२
गुडगाव नहर (हरियाणा)	५ २७	२ ५	४ ९
कसबती (प बगाल)	३९ ००	९ ५	२० ४
पेरियार घाटी (केरल)	६ ४०	१ ०	४ ८
वर्ना (मध्य प्रदेश)	७ ००	१.६	०.१
रामगगा (उत्तर प्रदेश)	६८.००	१७ १	३८ ४
राजस्थान नहर (राजस्थान) (प्रथम चरण)	७४ ७३	१३ ०	५० ५
नई योजनाये			
पोचमपाद (आध्र प्रदेश)	४० १०	५ ७	८ ०
कृष्णा सिचाई योजना (महाराष्ट्र)	२७ ६६	२.६	० ९
भीमा सिचाई योजना (महाराष्ट्र)	४२ ५८	४ ७	२.९
मालप्रभा परियोजना (मैसूर)	२० ००	३ ०	४ ४
तिस्ता बहुमुखी बराज परियोजना (प बगाल)	१२० ०८	—	—
हसदेव परियोजना बराज चरण १ (मध्य प्रदेश)	९ ००	कोई प्रत्यक्ष लाभ नही	९ २
व्यास परियोजना (पजाब व राजस्थान)	१०६ ०८	२३ ५	४० ९
गण्डक नहर (उत्तर प्रदेश-बिहार)	१४१ ९२	३५ ९	४९ ८
कालडा (केरल)	१३ २८	२ ६	०.९

बिजली

निर्मित उत्पादन क्षमता

वर्षान्त—	१९५०	१९५५	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९ (लक्ष्य)
किलोवाट (लाख मे)	२३	३४ २	५६ ५	१०१ ७	११४ ४	१३२ ७	१५६.१०

देश की विद्युत स्थिति १९६८ ६९ मे सतोषजनक हो जाने की आशा है। १९६६-६७ एव ६७-६८ मे देश मे विद्युत का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। इसका कारण विदेशी सहायता मिलने मे देरी, मशीनो एव उपकरणो मे कठिनाई आदि है।

तृतीय योजना के अन्त तक विद्युत विकास योजनाओ पर कुल २४०० करोड रुपया व्यय हुआ। प्रथम योजना मे २९२ करोड, द्वितीय योजना मे ५२५ करोड तथा तृतीय योजना मे १२६२ करोड रुपया व्यय किया गया। १९६६-६७ का व्यय ४९२ करोड रुपया

तथा १९६७ ६८ का ४ ० ५६ करोड रुपया रहा। १९६८ ६९ म ३३८८ करोड रुपये का प्रावधान है। चौथी योजना म २००० करोड रुपया व्यय होगा।

विद्युत शक्ति सर्वेक्षण—भारत सरकार न सितम्बर १९६२ म विद्युत शक्ति सर्वेक्षण समिति का गठन किया इसका प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन १९६३ म प्रस्तुत हुआ। द्वितीय तृतीय तथा चतुथ वार्षिक प्रतिवेदन क्रमश मई १९६४ ६५ तथा १९६७ म प्रकाशित हुए। चतुथ प्रतिवेदन म देश की १९७० ७१ तक की विद्युत आवश्यकताओं का आकलन किया गया। ५वीं वार्षिक समिति अगस्त १९६७ म गठित हुई तथा यह समिति १९७२ ७४ तक की विद्युत आवश्यकताओं का अनुमान लगायेगी।

बिजली उत्पादन की सम्भावना—भारत की नदियों के बेसिन का बिजली उत्पादन की दृष्टि से अध्ययन किया गया है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ६० प्रतिशत भार पर ४ १ करोड किलोवाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। इसका विवरण इस प्रकार है—पश्चिमी घाट की पश्चिमी दिशा प्रवाही नदिया—४३ लाख किलोवाट दक्षिण भारत की पूर्वामुखी नदिया ८६ किलोवाट मध्य भारत की नदिया—४३ लाख किलोवाट गगा बेसिन—४८ लाख किलोवाट ब्रह्मपुत्र मणिपुर त्रिपुरा—१२५ लाख किलोवाट सिन्धु ६६ लाख किलोवाट।

भारत म बिजली विकास का क्षेत्र इस प्रकार है—१ मैसूर केरल पजाब उडीसा जम्मू-कश्मीर मुख्यत पनबिजली २ महाराष्ट्र मद्रास आन्ध्रप्रदेश उत्तर प्रदेश असम मध्य प्रदेश गुजरात अशत पनबिजली और अशत ताप बिजली ३ बिहार प० बगाल गुजरात राजस्थान मुख्यत ताप बिजली।

सगठन—भारतीय विद्युत अधिनियम १९१६ को स्वीकार करने के बाद भारत म बिजली का विकास प्रारम्भ हुआ। १९४८ में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य बिजली के उत्पादन को व्यवस्थित रूप से तेजी से बढाना था। इसके अन्तगत १९५० म केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार और राज्यों म राज्य विद्युत परिषदों की स्थापना की गई। सब राज्यों म प्रादेशिक प्राधिकारों की स्थापना हो गई है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के काय इस प्रकार हैं—

१ एकरूप विद्युत नीति का निर्धारण करना।

२ दो राज्यों के मध्य विवाद होने पर पचाट का काम करना।

३ विद्युत सम्बन्धी जाच करना और आवश्यक तथ्यों का सग्रह करना तथा उत्पादन की सम्भावना का पता लगाना।

४ कानून के अधीन प्राप्त जानकारी का प्रकाशन और रिपोट प्रकाशित करने के लिए आवश्यक सामग्री देना।

राज्य विद्युत परिषद—राज्यों का यह स्थानीय सगठन है। इनका काय अपने अपने क्षेत्र म बिजली के उत्पादन और वितरण म एकीकरण करना विद्यमान विद्युत आपूर्ति से अधिकाधिक बिजली प्राप्त करना मितव्ययिता के साथ काम करना और उद्योगों का काय क्षमता बढाना है।

केन्द्रीय विद्युत व सिंचाई परिषद—पनबिजली और पनबिजली अभियान्त्रिकी के अनुसधान म एकीकरण करना इस बोड का काम है। यह स्वायत्तशासी सस्थान है। अनुसधान केन्द्र इसके निर्देशन म काम करते हैं। परिषद की अपनी एक अनुसधान समिति है। यह

पनविजली, सिंचाई तथा अन्य सम्बद्ध विषयो मे गवेषणा करती है।

क्षेत्रीय विद्युत मण्डल—पनविजली के साधनो से अधिकतम लाभ उठाने के लिये देश को पाच क्षेत्रो मे विभक्त किया गया है। फरवरी-मार्च १९६४ मे क्षेत्रीय विद्युत मण्डल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय बिजली का उत्पादन बढाना है। विभागीकरण इस प्रकार किया गया है—

क्षेत्रीय विद्युत मण्डल	क्षेत्र-व्याप्ति
उत्तरीय	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान
दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर व केरल
पूर्वीय	प० बगाल, बिहार, उड़ीसा और दामोदर घाटी निगम प्रणाली
पश्चिमी	गुजरात-महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
पूर्वोत्तर	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैंड

ये मण्डल मुख्यत परामर्श देने का काम करते है। इनको निम्न काम सौपे गये है—

१ क्षेत्र के विद्युत विकास की योजनाओ की समीक्षा करना।

२ क्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य-प्रणाली और नियोजन मे समग्रता और एकता कायम करना।

३ क्षेत्र के बिजली उत्पादक सयत्रो के अनुरक्षण कार्यक्रमो मे एकीकरण करना।

४ क्षेत्र की उत्पादक एकको के लिए कार्य का विवरण तैयार करना।

५ राज्यो के मध्य बिजली के वितरण के लिए बिजली की मात्रा का निश्चय करना और प्रत्येक राज्य की आवश्यकता का पता लगाना।

६ क्षेत्र के भीतर बिजली के विनिमय मे कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से बिजली शुल्क निर्धारित करना।

स्वामित्व—१९२५ तक बिजली का उत्पादन मुख्यत निजी क्षेत्र मे था। भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० के अधीन बिजली-उत्पादन के लिए लाइसेन्स लेना पडता था। १९२५ के बाद कुछ राज्यो ने बिजली के उत्पादन मे हाथ बटाया। मार्च १९६६ मे निजी कपनियो के अधिकार मे १९ ९ प्रतिशत प्रस्तावित क्षमता थी।

सार्वजनिक उपयोग सस्थान (मार्च १९६४)

स्वामित्व	बिजली उद्योगो की स्वामित्व के आधार पर सख्या	बिजली पैदा करने की सस्थापित क्षमता (किलोवाट मे)
राज्य सरकार व राज्य बिजली मण्डल	२३	४०६५३८८
बिजली कारपोरेशन	१	५२४०००
नगरपालिकाये	५९	१३६९५८
प्राइवेट कम्पनिया	२१९	१४९४९७२
योग	३०२	६२२०४१८

देश मे बिजली की माग बढ रही है। बिजली के उपभोक्ताओ के विभिन्न वर्ग है। विभिन्न वर्गो की बिजली की आवश्यकता का पता निम्न तालिका मे चलता है—

शहर और गावा का विद्युतीकरण

जनसख्या	कुल सख्या	जिनमे ३ माच तक बिजली लगी १९५१	१९५६	१९६१	१९६६	१९६७
१०० ००० से ऊपर	७३	४९	७३	७३	७३	७३
५० ००० स १०० ००० तक	१११	८८	१११	१११	१११	१११
१ ०० से ५० ०००	१ २५७	५ ०	७१६	१ ०९९	१ २५७	१२५७
१ ००० स नीचे	५ ७२ ७५०	३ ६७७	१० २४५	२६८७८	५३ ३८५	६१०८५
योग	५ ७४ १९१	४ ३१४	११ १४५	२८ १६१	५४ ८२६	६२ ५२६

चौथी योजना के अन्त तक १ १० ००० नगरो एव गावो तक बिजली पहुचाये जाने का लक्ष्य है। कृषि काय के लिए दूसरी योजना के अन्त तक १ ६ लाख पम्पो को तथा तीसरी योजना के अन्त तक ५ १ लाख पम्पो को बिजली दी गई। चौथी योजना के अन्त तक *११ ८ लाख पम्पो को बिजली देने का लक्ष्य है जबकि माच १९६८ तक ६ ५६ लाख* पम्पो को बिजली दे दी गई।

विद्युत स्वामित्व एव सस्थापित क्षमता

(लाख किलोवाट)

	१९५०	१९५५	१९६० ६१	१९६५ ६६	१९७० ७१ अनुमानित
सावजनिक सस्थान	६ ३	१५ २	३३ ५	७३ ०	१७९ ७
कम्पनी	१० ८	११ ८	१३ ६	१६ ५	१७ ९
स्वत उत्पादक औद्योगिक सस्थान	५ ९	७ २	९ ४	१२ २	१२ ४
कुल	२३ ०	३४ २	५६ ५	१०१ ७	२००

सस्थापित क्षमता	१९५०	१९५५	१९६ ६१	१९६५ ६६	१९७ -७१
जल	५ ६	९ ४	१९ २	४१ ४	७६ ८
ताप	१५ ९	२२ ७	३४ ०	५६ १	११४ ७
तेल	१ ५	२ १	२ ०	४ २	२ ७
परमाणु	—	—	—	—	४ ८
कुल योग	२३ ०	४२	५६ ५	१०१ ७	२००

पनबिजली व ताप परियोजनायें

आन्ध्र

कोठागुडम ताप बिजली घर—आन्ध्र की इस बिजली परियोजना के प्रथम चरण में ६ ६० मेगावाट के दो उत्पादक यन्त्र जापान की सहायता से लगाये गये हैं। जिनसे माना बाय समन्वय पर २२ ९ करोड़ व्यय भी हुआ। कोठागुडम के दूसरे चरण में दो और ६० ६० मेगावाट के लगाये जायेंगे तथा पहले के दो एककों का विस्तार किया जायेगा। पहले चरण में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण तथा दूसरे चरण में विश्व बैंक से सहायता मिलती है।

रामगुन्डम ताप विजली केन्द्र—यह विजली परियोजना तेलगाना क्षेत्र की है। इसकी अधिष्ठापित क्षमता ३७ ५ मेगावाट है। इसका विस्तार किया जा रहा है। इसमे ६२ ५ मेगावाट की उत्पादक इकाई लगाई जायगी। परियोजना का व्यय ९ ५ करोड होने की सम्भावना है। १९६९ के अन्त तक ३ ३ करोड रुपये का व्यय होगा। इसके लिए मशीन और साज-समान अमेरिका से आ रहा हे। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के दिये धन से यह परियोजना पूरी की जा रही है।

मुचकुण्ड परियोजना—यह आन्ध्र और उडीसा की सयुक्त परियोजना है। नदी मुचकुन्द दोनो की सीमा वनाती है। इस नदी पर जलपुर मे ५३ ५ मीटर ऊचा और ४२० मीटर लम्बा वाघ तैयार किया गया हे। ६ विद्युत उत्पादन एकको पर काम चालू हो गया है। प्रत्येक १७००० किलोवाट की होगी। इसके अतिरिक्त तीन एकके २१२५० किलोवाट की हें जो काम कर रही है। कुल अविष्ठापित क्षमता ११४७५० किलोवाट है।

श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना—श्रीशैलम परियोजना का अनुमानित व्यय ३८ ४८ करोड रु० है। नागार्जुन सागर वाव के वीच कृष्णा नदी के ऊपरी प्रवाह पर १०५ ४ किलो मीटर की दूरी पर ११७ ५ मीटर ऊचा और ५१४ मीटर लम्वा पत्थर का वाघ वनाया गया है।यहा वनाये जाने वाले विजलीघर मे प्रारभ मे चार एकक (प्रत्येक ११० मेगावाट) के होंगे। यह कार्य १९७०-७१ तक पूरा होने की आशा है। पाचवी योजना मे ३ और एकक चालू जायेगे।

असम

नामरूप तापपरियोजना—लखीमपुर जिले के नामरूप मे २३-२३ मेगावाट के तीन गैस-टरवाइन स्थापित किये गये है। इनके लिए गैस, नहरकटिया के गैस-तेल क्षेत्रो से प्राप्त की जा रही है। उतरी असम और नामरूप खाद कारखाने की जरूरते इससे पूरी की जा रही है। इस पर ८ ८६ करोड रु० खर्च हुए है।

विहार

वरौनी ताप विजली परियोजना-उत्तर विहारकी विजली की जरूरत पूरा करने के लिए वरौनी मे ३० मे० वा० का ताप विजली घर १९६३-६४ मे वनकर पूरा हो गया हे। तेल शोधक कारखाना लगाने से इसका विस्तार करना आवश्यक हो गया। अत और तीन एकके स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिनमे से १९६५-६६ मे १५ मेगावाट की एक एकक चालू हो गई। शेप ५०-५० मेगावाट की दो एकक पर काम जारी है। इस योजना पर अनुमानत ९५ करोड ९७ लाख रुपये की लागत आयेगी।

पतरातू ताप विजली घर—पतरातू मे रामगढ रेलवे स्टेशन से ४० किलोमीटर दूर विजली घर की स्थापना की गई है। यह विजली घर भारी अभियन्त्रण निगम, हटिया प्रयोजना की विजली की जरूरतो को पूरा करने के लिए है। इसकी अधिष्ठापित क्षमता ५०० मेगावाट की होगी इनमे से ६ यूनिट ५०-५० मेगावाट के होगे। इनमे से २ यूनिट १९६७-६८ तक स्थापित हो चुके है शेप का स्थापन कार्य १९६९-७० तक पूरा हो जायेगा। ४थी योजना मे विस्तार कार्यक्रम मे चार और यूनिट लगाये जायेंगे। इस परियोजना की कुल लागत ५२ करोड़ ७१ लाख रुपये होगी। इसके लिए साज सामान रूस से प्राप्त हो रहा हे।

गुजरात

धवरन ताप बिजली केन्द्र—सौराष्ट और गुजरात की बिजली की आवश्यकता पूरा करने के लिए धुवरन गाव म ताप बिजली घर बनाया जा रहा है। इसको वित्तीय सहायता अमरीकी अतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से मिली है। परियाजना सभी पहलुओ से जुलाई १९६५ म पूरी हो चुकी है और चार उत्पादन यूनिटें (प्रत्यक ६२ ५ मेगावाट) काम कर रही है। परियोजना की लागत ३२ करोड ८ लाख रु० की है। परियोजना का दूसरा चरण चौथी योजना के अतगत है। इसम १२८ और १४० मेगावाट की दो और यूनिट स्थापित की जायगी। दूसरे चरण की अनुमानित लागत ८६ करोड ५८ लाख रुपये की होगी जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है।

केरल

इडिक्की परियोजना—यह परियोजना एरनाकुलम से १६ किलोमीटर दूर परियार पवतमाला म है। इसके दो चरण है। पहले चरण म परियार नदी पर बाध बनाये जायंगे। एक बाध १६८ फुट ऊचा होगा जो इडिक्की चान के पास बनाया जायगा। दूसरा बाध परियार नदी की शाखा चेरामनी नदी पर होगा। यह बाध १३२ ५ मीटर ऊचा होगा। दूसरे चरण म ८ यूनिटों का एक बिजली घर बनाया जायगा। प्रत्येक यूनिट एक लाख किलोवाट क्षमता की होगी। पहले पाच यूनिटें स्थापित की जायगी शेष बाद म लगाई जायगी।

परियोजना का अनुमानित कुल व्यय ६८ करोड रु० है। इस परियोजना के लिए कनाडा से ऋण मिल रहा है। १९७० ७१ म इसका पहला एकक उत्पादन प्रारम्भ कर देगा।

मध्य प्रदेश

कोर्बा ताप बिजली घर—*बिलासपुर जिले म चवा के निकट कोर्बा बिजली घर है।* इसका विस्तार किया जा रहा है। ५० ५ मेगावाट की और चार यूनिटें लगाई जा चुकी हैं। १९६७ ६८ म इसके दो एकक चालू हो गय है। इस वष चारो यूनिटों के चालू हो जाने की सभावना है। इसके लिए प्लाट और साज सामान-सोवियत रूस से आया है। इस परियोजना पर व्यय का नया अनुमान २६ ४६ करोड रु० है।

सतपुरा ताप बिजली स्टेशन—यह राजस्थान और मध्यप्रदेश की सयुक्त योजना है जो पश्चिमी मध्यप्रदेश और राजस्थान की बाकी बिजली की माग को पूरा करेगी। इसम पाच टरबाइन होंगे जो प्रत्यक ६२ ५ मेगावाट का होगा। इसम इटारसी के लोहे-कारखाना नया मिल नगानगर ताप अभियत्रण लि० भोपाल मूना और रेनमी मिला और सीमेन्ट कारखाने आदि को बिजली मिलेगी। इसम म ६७ ६८ म दो एकक प्रारम्भ हो चुके हैं। शेष इस वष उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे। परियोजना पर कुल २६ ७५ करोड रु० अनुमानित लागत होगी।

मद्रास

कुन्दाह पनबिजली परियोजना—(चरण २)—कुन्दाह पनबिजली परियोजना ४२५ मे० वा० का है। प्रथम चरण म २ ५ मे० वा० क्षमता की स्थापना हो चुकी। द्वितीय चरण म १ मे० वा तथा तृतीय चरण म ७० मे० वा० क्षमता का काय पूरा होगा। इसकी कुल लागत ३ २८ करोड की है।

मैंटूर परियोजना—यह ११.८२ करोड की परियोजना है। योजना के अनुसार मैंटूर जलाशय से सिंचाई के लिए जो २० हजार क्यूसेक जल छोडा जाता है, उससे पहले विजली वना कर वाद मे सिंचाई के लिए छोडा जा रहा है। विजली उत्पादक चारो यूनिटे काम प्रारम्भ कर चुकी है। इनमे से प्रत्येक ५० मेगावाट की है।

एन्नुरतापीय विद्युत केन्द्र—इस योजना के अधीन मद्रास मे एन्नूर के निकट ३४० मेगावाट कुल प्रस्तावित क्षमता वाले चार विद्युत उत्पादन एकको का निर्माण किया जायेगा। इनमे से २ आयातित और २ देशी होगे। इस योजना पर अनुमानत ५६ करोड़ रु० व्यय होगा तथा यह योजना १९७०-७१ तक वनकर पूरी हो जायेगी।

महाराष्ट्र

कोयना विजली परियोजना—इस परियोजना का उद्घाटन १९५४ मे किया गया था। इसमे भूमिगत विजली घर मे चार यूनिटें है। प्रत्येक यूनिट ३० मेगावाट की है। ये चारो यूनिटे काम कर रही है और वम्वई तथा पूना को विजली दे रही है।

दूसरे चरण मे जलाशय का विस्तार करने का विचार है। ७५-७५ मेगावाट की चार विजली उत्पादक यूनिटे लगाई जानी है जिनमे से तीन लगाई जा चुकी है। वाध के अगले भाग मे २×२० मेगावाट की क्षमता का एक और विजली घर वनाया जायगा। दूसरे चरण पर व्यय अनुमानत १४ ६१ करोड रु० होगा। दोनो चरणो की कुल लागत अनुमानत ५६ ४४ करोड रु० होगी।

मैसूर

शरावती पनविजली परियोजना—मैसूर की यह परियोजना तीन चरणो मे समाप्त होगी। प्रथम चरण मे दो उत्पादन एकक स्थापित किए गए। द्वितीय चरण मे ८९.९ मेगावाट के दो उत्पादन एकक १९६७-६८ मे प्रारम्भ हो गए। इस चरण मे कुल ६ एकक लगाया जाना है।

शरावती पनविजली का तीसरा चरण चौथी योजना मे पूरा होगा। इसके लिए टरवाइन फ्रास से मगाया गया है और वित्तीय महायता अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने दी है। तीनो चरणो पर कुल १०२.५५ करोड लागत का अनुमान है।

उडीसा

तलचर ताप विजली परियोजना—परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत २९.६७ करोड की है। इस विजली घर को हीराकुड से जोडने का विचार है। विजली घर २५० मेगावाट की क्षमता का होगा। प्रत्येक ६२.५ मेगावाट की ४ यूनिटे होगी। अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सस्था ने इसके लिए ऋण दिया है। २ एकक १९६७-६८मे प्रारम्भ हो चुके है तथा शेष दो १९६८-६९ मे कार्य प्राम्भ करेगे।

पजाव

भाखड़ा वाध दक्षिण तट विजलीपरियोजना—दिल्ली, पजाव, हिमाचल, प्रदेश, राजस्थान के वाकी विजली क्षेत्र को पूरा करने के लिए भाखडा वाध के चरणो मे सतलज नदी के किनारे विजली घर वनाया जायगा। इसस भाखडा के गोविन्द सागर के पानी का भी समुचित उपयोग हो सकेगा। विजली घर मे चार यूनिटें होगी। प्रत्येक १२० मेगावाट की होगी।

१६६७ ६८ तक तीन एकक उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं। इसकी अनुमानित लागत ५६ ३२ करोड है।

उत्तर प्रदेश

यमुना पनबिजली योजना—यमुना और इसकी शाखा नदी के पानी को नियन्त्रित करके बिजली पैदा करने की दो चरणो की यह परियोजना ७१ ५ करोड रु० की है। पहले चरण मे धीकरनी और दिखलीपुर मे बिजली घर बनाये जायेंगे।

रिहन्द बाध परियोजना—यह परियोजना ३७ ५ करोड रु की है। मिर्जापुर जिले के पिपरी गाव के पास रिहन्द नदी पर ८१ ५ मीटर ऊचा और ६३५ मीटर लम्बा बाध बनाया गया है। इसकी कुल स्थापित क्षमता ३० लाख किलोवाट होगी। पारेषण लाइनो और स्विच गियर उपस्टेशनो के द्वारा सम्पूर्ण पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश को यह परियोजना बिजली देगी।

ओब्रा ताप बिजली घर—मिर्जापुर जिले मे ओब्रा पर ५ ५० मेगावाट की पाच यूनिटो का एक बिजली घर होगा। इसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता २५० मेगावाट होगी। इसके लिए प्लाट और साज सामान रूस से मिला है। यह परियोजना १६६८ ६६ तक पूरी हो जायगी। अनुमानित व्यय ३८ ७ करोड रु० है। इसके दूसरे चरण मे तीन और यूनिट लगाये जायेंगे जिन पर अनुमानत ४२ करोड रु० की लागत आयेगी।

प० बगाल

बडिल ताप बिजली केन्द्र—यह ३३ ६३ करोड की परियोजना है। ८२ ५ मेगावाट के चारो यूनिटो का काम चालू हो गया है।

दिल्ली

दिल्ली बिजली सभरण उपक्रम—इसकी स्थापित क्षमता १११ ६ मेगावाट है। इसके अतिरिक्त भाखडा-नागल से भी ६० मेगावाट बिजली मिलती है। पजाब भी दिल्ली को नियमित रूप मे २० मेगावाट बिजली देगा।

इद्रप्रस्थ बिजलीघर के विस्तार की योजना चालू है। इसमे प्रत्येक ५०/६२ ५ मेगावाट की तीन यूनिटे लगाई जायगी। इसको शीघ्र पूरा करने के लिए दिल्ली ताप परियोजना के लिए नियन्त्रण परिषद की स्थापना की गई है। पहली यूनिट के १६६६ ६७ के मध्य तक चालू हो जाने की सभावना है।

दिल्ली से लगभग १२ मील दूर बदरपुर मे एक और ताप बिजली केन्द्र के निर्माण की योजना है जिसकी क्षमता ०० मेगावाट की होगी।

परमाणु विद्युत

भारत मे तीन परमाणु शक्ति केन्द्रो का निर्माण अणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन तीन शक्ति केन्द्रो से भारत को कुल ११८० मेगावाट विद्युत प्राप्त हो सकेगी।

तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र—यहा प्रत्येक १६ मेगावाट की दो परमाणविक भट्टियो का निर्माण किया गया है। इस केन्द्र से महाराष्ट्र एव गुजरात को ८० मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी। [illegible] दर मार्च ८५ करोड रु० मार्च ६८ है तथा अक्तूबर १६६८ मे हो

यह केन्द्र विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर रहा है। यह विद्युत केन्द्र महाराष्ट्र मे वम्वई से ४० मील दूर स्थापित किया गया है।

राजस्थान अणु विद्युत केन्द्र—इसका कार्य राजस्थान के कोटानगर से २५ मील दक्खिन मे चल रहा है। यह निर्माण कनाडा के सहयोग से चल रहा है जहा से २०० मेगावाट की एक आणविक भट्टी प्राप्त हो चुकी है। यह भट्टी १९७१ मे कार्य प्रारम्भ करेगी। प्रथम भट्टी पर अनुमानित व्यय ५२ ५० करोड होगा। २०० मेगावाट की दूसरी भट्टी स्थापित करने की स्वीकृति हो गई है। इस पर ५० करोड रुपये व्यय का अनुमान है।

मद्रास अणु विद्युत केन्द्र—मद्रास के कलप्पकन स्थान पर प्रत्येक २०० मेगावाट शक्ति की दो आणविक भट्टिया स्थापित की जायेंगी। प्रथम भट्टी १९७२ मे तथा द्वितीय भट्टी १९७४ मे उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगी। इस केन्द्र पर कुल १०४ करोड रु० व्यय होगा।

वाढ नियंत्रण—भारत सरकार ने वाढो को रोकने के लिए एक व्यापक योजना वनाई ह। यह योजना तीन चरणो की है। यह योजना १९५४ मे वनाई गई थी क्योकि उस वर्ष सारे देश की सभी नदियो मे काफी वाढ आई थी और उसके फलस्वरूप भारी क्षति हुई थी।

वाढ नियत्रण का दूसरा चरण दूसरी योजना के साथ पूरा हुआ। इस चरण मे तटवन्ध वनाये गये। तीसरे चरण मे दीर्घकालिक उपाय काम मे लाये जायेंगे। प्रत्येक नदी के वेसिन पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

केन्द्रीय वाढ नियत्रण मडल के अतिरिक्त १९ राज्यो मे वाढ नियत्रण मडल है। ४ नदी आयोग (वाढ) भी केन्द्रीय मडल की सहायता करते है। १९५४-५५ से अव तक विभिन्न राज्यो की १-१ करोड रुपये अथवा उससे अधिक लागत की ८ वृहद् योजनाए तथा एक करोड रुपये से कम लागत वाली १३९९ लघु योजनाए केन्द्र द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हे। इन पर क्रमश २४ करोड ७७ लाख रुपये तथा ७७ २८ व्यय होगे। इसके राज्य सरकारो ने ८ ८७ करोड रुपये की २८९ योजनाओ को स्वीकृति दी है। मार्च १९६७ तक वाढ नियत्रण उपायो द्वारा १२५ लाख एकड भूमि, १२५ नगर, तथा ४५०० गावों को लाभान्वित किया जा चुका है।

: १६ :

उद्योग

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय

यह औद्योगिक विकास विभाग और समवाय कार्य विभाग से मिलकर बना है।

कार्य '

औद्योगिक विकास मत्रालय का कार्य लघु और बडे उद्योगो का निजी और सरकारी दोनो क्षेत्रो मे व्यवस्थित विकास करके देश का औद्योगीकरण करना है। यह सामान्य औद्योगिक नीति निर्धारित करता हे, उत्पादन बढाने के आन्दोलन को प्रोत्साहन देता है और औद्योगिक सहकारिता के विकास मे सहायता करता है।

उद्योग मत्री इस मत्रालय का कार्य देखता है। इनकी सहायता के लिए एक राज्य मत्री तथा एक उद्योग मत्री है। मत्रालय सचिवालय एक सचिव के अधीन है। भारी इजीनियरी उद्योगो के लिये विशेप सचिव है।

औद्योगिक विकास विभाग के अधीन संगठन

क—सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय

१—तकनीकी विकास का मिहानिदेशालय, नई-दिल्ली।
२—लघु उद्योग विकास आयुक्त, कार्यालय, नई-दिल्ली।
३—आर्थिक परामर्शदाता का कार्यालय, नई-दिल्ली।
४—नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर।
५—पेटेट डिजाइन व व्यापार-चिन्ह के महानियत्रक का कार्यालय, बम्बई।
६—विद्युत उद्योग के लिए अनुसधान और विकास सगठन, भोपाल।
७—विस्तार अधिकारी (उद्योग) के लिए हैदराबाद और नीलोखेडी मे एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र।
८—विस्फोटक सामग्री विभाग, नागपुर।

ख—सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

ये कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अधीन पजीकृत (रजिस्टर्ड) कम्पनिया हे। इनके दो स्वरूप है

(अ) १—राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०, नई-दिल्ली। २—राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० नई दिल्ली।

अय—मशीन टूल लौह मिश्रण और टूल स्टील रसायन उद्योग के लिए आवश्यक बुनियादी और अन्तर मध्यवर्ती उद्योग औषध निर्माण रंग और प्लास्टिक एण्टीबायोटिक और अन्य आवश्यक औषधियां उदक परिवहन और सागर परिवहन।

उद्योगों का नियमन—१९४८ और १९५६ की घोषित नीति का कानूनी जामा पहनाया गया। सवप्रथम सविधान म सशोधन किया गया। तब उद्योग (विकास नियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन सब नये और पुराने उद्योगों के वास्ते लाइसेंस लेना जरूरी हो गया। औद्योगिक लाइसेंस नीति को १९६६ म उदार बनाया गया। सरकार का लक्ष्य है कि बड़े और छोटे उद्योगो का सन्तुलित विकास हो तथा देश के साधनों का समुचित उपयोग हो। इस कानून ने सरकार को किसी भी औद्योगिक उपक्रम की काय पद्धति का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है। यदि किसी उद्योग म कुव्यवस्था हो तो उसको सरकार अपने प्रबन्ध म ले सकती है।

केन्द्रीय उद्योग परामशदात परिषद्—सरकार को औद्योगिक विषयों म सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसम उद्योग व्यवसाय श्रम और प्राथमिक उत्पादकों के प्रतिनिधि है।

इस परिषद् के अतिरिक्त विकास परिषदो की भी स्थापना की गई है। ये औद्योगिक केन्द्रों म स्थापित हैं। विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करने के लिए पनल और विशषज्ञों की समितियां नियुक्त की गइ।

उद्योगों को वित्तीय सहायता—तीव्र औद्योगिक विकास हेतु सरकार ने उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सस्थायें स्थापित की हैं। ये औद्योगिक साहसों व उप क्रमों को मध्यकालिक और दीघकालिक कज देती हैं। ऋण खास शर्तों पर दिया जाता है। सरकार स्वत उद्योग विशेष के हिस्से लेकर उसकी सहायता करती है।

सभरण व आवटन—महानिदेशालय उद्योगों को प्रोत्साहन देता है। भारत सरकार के लिए आवश्यक माल सामग्री व वस्तुओं की खरीद करने वाली यह केन्द्रीय सस्था है।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम की भी सरकार ने स्थापना की है। यह पूजी निवेश और पूजी निक्षेप का काय करता है। औद्योगिक विकास निगम भी यह काय करता है।

इसकी स्थापना म सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (नेशनल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन)—१९५४ म सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए विशेष शर्तों पर उसको अनुदान देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाद म इसके क्षेत्र का विस्तार किया गया। यह औद्योगिक कम्पनियों को अनुदान देता है। मशीन टूल उद्योग के विस्तार के लिए भी इसने अनुदान दिया है। निगम ने इस काम के लिए ३० नवम्बर १९६७ तक २८ करोड रुपये से अधिक धनराशि के ऋण की स्वीकृति दी तथा १ ६५ करोड रुपये ऋण देने का वचन दिया।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (इण्डस्ट्रियल फाइनान्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया)—इसकी स्थापना जुलाई १९४८ म औद्योगिक कम्पनियों को अल्पधन और दीघकालिक आधार

पर कर्ज देने के लिए की गई थी। १९६० मे इसमे सम्बन्धित कानून मे सशोधन कर इसे किसी औद्योगिक कम्पनी के शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया। स्थापना से मार्च '६५ के अन्त तक निगम ने २५३ ३० करोड रुपये की कुल वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी तथा १७५ ७० लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके थे।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया—यह फरवरी, १९६४ से अमल मे आई है। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एक्ट, १९६३ के अधीन है। इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूजी ५ करोड रु० है। ट्रस्ट का उद्देश्य बचत-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। इसके शेयर १० और १०० रु० के हैं। ट्रस्ट की कुल आय का ९० प्रतिशत इसके भागीदारो मे वितरित किया जायगा। यह भी उद्योगो की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व मे आया। ५ अप्रैल १९६६ को ट्रस्ट का कुल विनियोग २५ २५ करोड रुपये का था। १९६६-६७ मे १ ९९ करोड रुपये की यूनिट फिर से खरीदे गये। मई १९६७ मे ट्रस्ट की कुल निवेश राशि ३३ ६ करोड रुपये थी।

राज्य वित्त प्रबन्ध निगम—ये राज्यो मे राज्य वित्त प्रबन्ध निगम अधिनियम, १९६१ के अधीन स्थापित किये गए। लघु और मध्यम परिमाण के उद्योगो को वित्तीय सहायता देते है। ये उन उद्योगो की सहायता करते है, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से परे है।

उद्योगो के लिए पुनर्वित्त निगम—इसकी स्थापना १९५८ मे की गई। इसका लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन को बढाना है। पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगो को वरीयता दी जाती है।

फिलम वित्त निगम—(इस पर सूचना एव प्रसारण अध्याय के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है)।

भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम—यह एक निजी कम्पनी है। इसकी स्थापना अप्रैल, १९५८ मे की गई। इसका लक्ष्य दस्तकारी के क्रिया-कलाप को एकसूत्रित रूप से बढाना है। यह सारे देश मे काम करता है। इसका उद्देश्य दस्तकारी उद्योग की वस्तुओ का निर्यात बढाना भी है। इसकी वित्तीय आवश्यकता, सरकार, इसका हिस्सेदार होकर, अनुदान या कर्ज के रूप मे पूरी करती है।

स्टेच्युटरी टैरिफ कमीशन—इसकी स्थापना जनवरी, १९५२ मे की गई। यह नन-स्टेच्युटरी टेरिफ बोर्ड की जगह बनाया गया है। यह सरक्षित उद्योगो की स्थिति का बराबर अध्ययन करता रहता है और सरक्षण की नई योजनाओ पर विचार करता है।

पुनर्वास उद्योग निगम कलकत्ता—पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितो को रोजगार देने के लक्ष्य से इसकी स्थापना १९१९ मे हुई। इसका प्रशासन उद्योग मन्त्रालय करता है। निगम ने अब तक दो औद्योगिक प्रागण स्थापित किये है। इनमे से एक बाचला मे और दूसरा बान-दुगली मे है। दण्डकारण्य मे परिवहन सरकारी समिति की स्थापना की गई है।

भारत का औद्योगिक विकास अधिकोष (बैंक)—३ जुलाई, १९६४ से यह कार्य कर रहा है। बैंक का कार्य औद्योगिक वित्तीय अभिकरणो के कार्यो का समन्वय करना है। यह राज्य वित्त प्रबन्ध निगम के कार्यो मे भी समन्वय करता है। १९६६-६७ मे इस बैंक द्वारा

अन्य—मशीन टूल लौह मिश्रण और टूल स्टील रसायन उद्योग के लिए आवश्यक बुनियादी और अन्तर मध्यवर्ती उद्योग औषध निर्माण रंग और प्लास्टिक एन्टीबायोटिक और अन्य आवश्यक औषधियाँ उदक परिवहन और सागर परिवहन।

उद्योगों का नियमन—१९४८ और १९५६ की घोषित नीति को कानूनी जामा पहनाया गया। सर्वप्रथम संविधान में संशोधन किया गया। तब उद्योग (विकास नियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन सब नये और पुराने उद्योगों के वास्ते लाइसेंस लेना जरूरी हो गया। औद्योगिक लाइसेंस नीति को १९६६ में उदार बनाया गया। सरकार का लक्ष्य है कि बड़े और छोटे उद्योगों का सन्तुलित विकास हो तथा देश के साधनों का समुचित उपयोग हो। इस कानून ने सरकार को किसी भी औद्योगिक उपक्रम की कार्य पद्धति का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है। यदि किसी उद्योग में कुव्यवस्था हो तो उसको सरकार अपने प्रबन्ध में ले सकती है।

केन्द्रीय उद्योग परामर्शदाता परिषद्—सरकार को औद्योगिक विषयों में सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसमें उद्योग व्यवसाय श्रम और प्राथमिक उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं।

इस परिषद् के अतिरिक्त विकास परिषदों की भी स्थापना की गई है। ये औद्योगिक धन्धों में स्थापित हैं। विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करने के लिए पैनल और विशेषज्ञ की समितियाँ नियुक्त की गई।

उद्योगों को वित्तीय सहायता—तीव्र औद्योगिक विकास हेतु सरकार ने उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थायें स्थापित की हैं। ये औद्योगिक साहसों व उपक्रमों को मध्यकालिक और दीर्घकालिक कर्ज देती हैं। ऋण खास शर्तों पर दिया जाता है। सरकार स्वत उद्योग विशेष के हिस्से लेकर उसकी सहायता करती है।

संभरण व आवंटन—महानिदेशालय उद्योगों को प्रोत्साहन देता है। भारत सरकार के लिए आवश्यक माल सामग्री व वस्तुओं की खरीद करने वाली यह केन्द्रीय संस्था है।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम की भी सरकार ने स्थापना की है। यह पूँजी निवेश और पूँजी निक्षेप का कार्य करता है। औद्योगिक विकास निगम भी यह कार्य करता है।

इनकी स्थापना में सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (नेशनल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन)—१९५४ में सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए विशेष शर्तों पर उसको अनुदान देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसके क्षेत्र का विस्तार किया गया। यह औद्योगिक कम्पनियों को अनुदान देता है। मशीन टूल उद्योग के विस्तार के लिए भी इसने अनुदान दिया है। निगम ने इस काम के लिए ३० नवम्बर १९६७ तक २८ करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के ऋण की स्वीकृति दी तथा १ ६८ करोड़ रुपये ऋण देने का वचन दिया।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (इण्डस्ट्रियल फाइनांस कार्पोरेशन आफ इण्डिया)—इसकी स्थापना जुलाई १९४८ में औद्योगिक कम्पनियों को अग्रधन और दीर्घकालिक आधार

पर कर्ज देने के लिए की गई थी। १९६० मे इसमे सम्बन्धित कानून मे सशोधन कर इसे किसी औद्योगिक कम्पनी के शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया। स्थापना से मार्च '६५ के अन्त तक निगम ने २५३ ३० करोड रुपये की कुल वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी तथा १७५ ७० लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके थे।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया—यह फरवरी, १९६४ से अमल मे आई है। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एक्ट, १९६३ के अधीन है। इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूजी ५ करोड रु० है। ट्रस्ट का उद्देश्य बचत-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। इसके शेयर १० और १०० रु० के है। ट्रस्ट की कुल आय का ९० प्रतिशत इसके भागीदारो मे वितरित किया जायगा। यह भी उद्योगो की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व मे आया। ५ अप्रैल १९६६ को ट्रस्ट का कुल विनियोग २५ २५ करोड रुपये का था। १९६६-६७ मे १ ९९ करोड रुपये की यूनिट फिर से खरीदे गये। मई १९६७ मे ट्रस्ट की कुल निवेश राशि ३३ ६ करोड रुपये थी।

राज्य वित्त प्रबन्ध निगम—ये राज्यो मे राज्य वित्त प्रबन्ध निगम अधिनियम, १९६१ के अधीन स्थापित किये गए। लघु और मध्यम परिमाण के उद्योगो को वित्तीय सहायता देते है। ये उन उद्योगो की सहायता करते है, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से परे है।

उद्योगो के लिए पुनर्वित्त निगम—इसकी स्थापना १९५८ मे की गई। इसका लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन को बढाना है। पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगो को वरीयता दी जाती है।

फिल्म वित्त निगम—(इस पर सूचना एव प्रसारण अध्याय के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है)।

भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम—यह एक निजी कम्पनी है। इसकी स्थापना अप्रैल, १९५८ मे की गई। इसका लक्ष्य दस्तकारी के क्रिया-कलाप को एकसूत्रित रूप से बढाना है। यह सारे देश मे काम करता है। इसका उद्देश्य दस्तकारी उद्योग की वस्तुओ का निर्यात बढाना भी है। इसकी वित्तीय आवश्यकता, सरकार, इसका हिस्सेदार होकर, अनुदान या कर्ज के रूप मे पूरी करती है।

स्टेच्युटरी टैरिफ कमीशन—इसकी स्थापना जनवरी, १९५२ मे की गई। यह नन-स्टेच्युटरी टेरिफ बोर्ड की जगह बनाया गया है। यह सरक्षित उद्योगो की स्थिति का बराबर अध्ययन करता रहता है और सरक्षण की नई योजनाओ पर विचार करता है।

पुनर्वास उद्योग निगम कलकत्ता—पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितो को रोजगार देने के लक्ष्य से इसकी स्थापना १९५९ मे हुई। इसका प्रशासन उद्योग मन्त्रालय करता है। निगम ने अब तक दो औद्योगिक प्रागण स्थापित किये हैं। इनमे से एक बाचला मे और दूसरा बान-दुगली मे है। दण्डकारण्य मे परिवहन सरकारी समिति की स्थापना की गई है।

भारत का औद्योगिक विकास अधिकोष (बैंक)—३ जुलाई, १९६४ से यह कार्य कर रहा है। बैंक का कार्य औद्योगिक वित्तीय अभिकरणो के कार्यो का समन्वय करना है। यह राज्य वित्त प्रबन्ध निगम के कार्यो मे भी समन्वय करता है। १९६६-६७ मे इस बैंक द्वारा

मंजूर की गई कुल सहायता की राशि ६३ ७६ करोड़ रुपए (गारण्टियों को छोड़कर) की थी जबकि १९६१ ६६ में यह राशि ६७ ६३ करोड़ रुपए की थी।

विदेशी पूंजी—विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति औद्योगिक नीति प्रस्ताव अप्रैल १९४८ में और विधायिका सभा (कान्स्टीट्यूएन्ट एसेम्बली) में १९४६ में दिए गए प्रधान मंत्री के भाषण में विहित है। इसके अनुसार

(१) विदेशी पूंजी और विदेशी साहस की भागीदारी राष्ट्रीय हित में सावधानी पूर्वक नियमित और नियंत्रित होनी चाहिए। अर्थात् इस बात का पक्का विश्वास हो कि कुछ अपवादों को छोड़कर स्वामित्व में हित और प्रभावशाली नियंत्रण भारतीय हाथों में रहे। विदेशी विशेषज्ञों का स्थान लेने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षण पाने की सुविधा अवश्य दी जाय।

(२) सामान्य औद्योगिक नीति बरतने में विदेशी और भारतीय उपक्रम में कोई विभेद न किया जायगा।

(३) मुनाफा स्वदेश भेजने के लिए उचित सुविधाएं दी जायेंगी। देश की विदेशी विनिमय की स्थिति का ध्यान और विचार करते हुए उद्योगों में लगी विदेशी पूंजी के प्रत्यावर्तन की सुविधा दी जायेगी।

(४) राष्ट्रीयकरण करने पर उचित और समान मात्रा में मुआवजा दिया जायगा।

योजना आयोग ने भी सिफारिश की है कि विदेशी पूंजी के प्रवाह के आगमन को उत्साहित किया जाय। इसने इस बात का भी समर्थन किया कि नये उद्योगों में विदेशी और भारतीय पूंजी की सरकार हो। पहले यह वांछनीय नहीं माना जाता था लेकिन अब यह बात नहीं है।

योजना मंत्री श्री अशोक मेहता ने १९६६ में अ० भा० कांग्रेस महासमिति के बम्बई अधिवेशन के लिए आर्थिक नीति पर एक पत्रक तैयार किया था। इस पर वहां विचार नहीं हुआ। लेकिन इसमें निहित सिद्धान्त सरकार की विदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति को सूचित करते हैं। इसके अनुसार

(१) जिस उद्योग के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान बुद्धि और पूंजी देश में उपलब्ध है उसके लिए विदेशी पूंजी नहीं ली जायगी।

(२) विदेशी पूंजी की आवश्यकता होने पर सर्वप्रथम सरकारी आधार पर सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के स्तर पर विदेशी पूंजी प्राप्त की जाय।

(३) सरकारी क्षेत्र से विदेशी पूंजी न मिलने की हालत में इसे प्राप्त किया जाय।

मार्च १९६५ के अन्त में देश के उद्योग धन्धों में ९ अरब ३५ करोड़ ८० लाख रुपए की विदेशी पूंजी लगी हुई थी। १९६२ के अन्त में ७३८.८ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगी हुई थी।

राष्ट्रीय अंचल की कम्पनियां

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक साहस का प्रारम्भ हुआ है। इनका इन्तजाम बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स करता है। इनमें सरकारी और गैरसरकारी दोनों होते हैं। राष्ट्रीय कम्पनियां मुख्यतः चार किस्म की हैं —

(क) प्रथम वर्ग मे वे कम्पनियाँ आती है जिनका कार्य औद्योगिक विकास की प्रगति को बढाना और प्रोत्साहन देना है। ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के लिए उत्तरदायी हे। ये निगम के ढग की सस्थाये है।

(ख) इस श्रेणी मे वे कम्पनियाँ हे जिनकी परियोजना निर्माण की अवस्था मे हे।

(ग) इस वर्ग मे वे कम्पनियाँ हे, जिनकी परियोजना पूरी हो चुकी हे और उत्पादन करती है।

(घ) इस चौथी श्रेणी मे व्यापारिक कम्पनियाँ आती है।

१. भारतीय उर्वरक निगम (फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इडिया)—हिन्दुस्तान केमिकल व फर्टीलाइजर लि० और सिदरी फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स लि० को मिलाकर १ जनवरी, १९६१ को निगम की स्थापना की गयी। सिंदरी कारखाना १९५१ से उत्पादन कर रहा है। यह अमोनिया सल्फेट तथा यूरिया तैयार करता है। नागल मे १९६१ मे एक और फैक्ट्री लगाई गई है। यहाँ पानी और नाइट्रो-लाइम स्टोन तैयार किया जाता है। ट्राम्बे का कारखाना नवम्बर १९६५ मे प्रारम्भ हुआ तथा यह नाइट्रोफासफेट तथा यूरिया तैयार कर रहा है। गोरखपुर कारखाने ने अप्रैल १९६८ मे उत्पादन प्रारम्भ किया जहा कि यूरिया तैयार किया जाता है। सिन्दरी, नागल, ट्राम्बे तथा गोरखपुर की उत्पादन क्षमता क्रमश १ लाख १७ हजार, ८० हजार, ८१ हजार तथा ८० हजार टन नत्रजन है।

नामरूप (४५००० टन नत्रजन), दुर्गापुर (१,४०,००० टन नत्रजन) तथा बरौनी (१,५२,८०० टन नत्रजन) के कारखाने क्रमश १९६८-१९६९, तथा १९७०-७१ मे उत्पादन प्रारम्भ करेगे।

२. नेशनल इस्ट्रूमेट्स लि० कलकत्ता—१८३० मे मैथेमेटिक इस्ट्रूमेट आफिस मे इसका आरम्भ हुआ था। प्रारम्भ मे यह सर्वे के उपकरणो की मरम्मत करने के लिए खोली गई थी। १९५७ मे यह लिमिटेड कम्पनी मे बदली गई और वर्तमान नाम दिया गया। जनवरी से अक्टूबर १९६७ मे इसने ५६ ४८ लाख रु० मूल्य का माल तैयार किया गया। इस कम्पनी की अधिकृत पूजी ५०० लाख रु० है। यह कारखाना सर्वेक्षण करने, अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी उपकरण, औद्योगिक थर्मामीटर, अणुवीक्षण यत्र (डाक्टरी), प्रेशर वेकुम गाउज बनाता है और उनकी मरम्मत करता है।

एक रूसी कम्पनी के सहयोग से यह कम्पनी दुर्गापुर मे चश्मे के शीशे व लेंस लगाने का कारखाना स्थापित कर रही है। इस पर ४ करोड रु० व्यय होगा। कारखाने मे परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है और दो वर्षो मे इसका पूरा उत्दादन प्रारम्भ हो जायेगा।

३ इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर—यह सरकारी कारखाना है। यह मद्रास शहर के उत्तर-पश्चिम मे स्थित है। यहा सवारी गाडी के डब्बे हल्के इस्पात के बनाये जाते हैं। यहा उत्पादन १९५५ मे आरम्भ हुआ।

४ डिजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी—यहा रेल के डीजल इजिन तैयार होते है। यहा उत्पादन जनवरी १९६४ मे प्रारम्भ हुआ।

५. हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमीकल्स लि०—१२ दिसम्बर, १९६० को इस कम्पनी

की स्थापना हुई। इसका कारखाना पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से खापडी (महाराष्ट्र) में लगाया जायगा। कम्पनी बुनियादी रसायन तैयार करने के लिए है।

६ हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि०—पेंसिलिन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पिम्परी (महाराष्ट्र) में यूनीसेफ और यूनटाप की सहायता से सरकार ने एक फैक्टरी मार्च १९५४ में लगाई। इसकी अधिकृत पूंजी ४ करोड रु० है। अगस्त १९५५ से उत्पादन बराबर हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाईसिन का ४० ४५ टन वार्षिक क्षमता का एक प्लांट भी पिम्परी में लगाया गया। यह १९६३ से उत्पादन कर रहा है।

७ हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी प्रा० लि०—२७ जनवरी १९५३ को इस प्राइवेट लि० की स्थापना हुई। भारत सरकार और बसाखा सिंह वालेनबाग लि० इसमें सहभागी थे। अगस्त १९५५ में भारत सरकार ने यह फैक्टरी अपने हाथों में ले ली। अब यह फैक्टरी इस्पाती हल्के डण्डे औद्योगिक भारी शहतीर पूर्व निर्मित छत दरवाजे व खिड़की के करीट और खण्डित नाव बनाती है।

८ नाहन फाउड्री सिरमौर (हि० प्रदेश)—मूलत इसकी स्थापना १८७२ में हुई थी। तब यह एक निजी संस्था थी। १९५२ में यह भारत सरकार के स्वामित्व में आयी। इसका कारखाना मुख्यत कृषि के उपकरण तैयार करता है। इसके बनाये ट्रैक्टर पहाड़ों पर हल चलाने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं।

९ शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया—१९६१ में ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन मिला दिये गये। इन दोनों को मिलाकर शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया बनाया गया। इसकी स्थापना समुद्रपार के बढ़ते व्यापार के कारण की गई है।

१० प्राग टूल्स कार्पोरेशन लि० हैदराबाद—इसकी स्थापना १९४३ में हुई थी। केन्द्रीय सरकार मुख्य भागीदार है। आंध्र सरकार के भी इसमें शेयर हैं। कम्पनी मशीनटूल बनाती है।

११ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० जलहली बगलौर—हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के इस समय ५ एकक हैं जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता एक हजार मशीनी औजार हैं। जिनका मूल्य ६ करोड़ रु० होता है। इनमें से दो एकक बगलौर में तथा एक एक पिंजौर (हरियाणा) कलामासरी (केरल) तथा हैदराबाद (आन्ध्र) में है। इन मशीनी औजारों के अतिरिक्त कम्पनी का बगलौर में घड़ियां बनाने का भी कारखाना है।

१२ हिन्दुस्तान केबल्स लि०, रूपनारायणपुर प० बगाल—१९५४ में यह फैक्टरी लगाई गई। यह डाक-तार विभाग की जरूरतें पूरी करती है। यह टेलिफोन के तार बनाती है।

१३ हिन्दुस्तान शिपयार्ड—(विशाखापटनम्) २१ जून १९४१ को इसकी नींव रखी गई। भारत सरकार ने यह सिंधिया स्टीम नेवीगेशन से मार्च १९५२ में प्राप्त किया है। इसके पास चार शिपवेज वर्कशाप और डाकें हैं। यह साल में डिजल में चलने वाले चार जहाज बना सकता है। इस यार्ड (याड) में बनाया पहला जहाज मार्च १९४८ में तराया गया। कोचीन में दूसरा शिपयार्ड बनाया जायगा।

१४. मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ (बम्बई)—यह अप्रैल, १९५१ से चल रही है। यह आर्डिनेंस फैक्ट्रियो के लिये आवश्यक खास किस्म की मशीने और टूल (कल-पुरजे) और उनके डिजाइन (आकल्पना) बनाती है। फैक्ट्री के साथ एक प्रशिक्षण स्कूल भी है। यह हर साल १०० दक्ष शिल्पियो को प्रशिक्षण देता है।

१५ इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि०, बगलौर—इस कारखाने मे टेलिफोन बनते हे। ९० प्रतिशत शेयर भारत सरकार के और १० प्रतिशत मैसूर सरकार के है। इग्लैड की ऑटोमेटिक टेलिफोन एण्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० भी साझेदार है। यह सब किस्म के टेलिफोन तैयार करती है। सचारी साज-सामान भी यह तैयार करती है।

१६ हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड लि०—यह दो सरकारी डी० डी० टी० फैक्टरियो का सचालन करती हैं। दिल्ली फैक्टरी हर साल १४०० टन टेक्निकल डी० डी० टी० पैदा करती है। यह 'यूनीसेफ' और डब्ल्यू एच ओ की वित्तीय सहायता से स्थापित की गई। अलवाये फैक्टरी की क्षमता भी १४०० टन टेक्निकल डी० डी० टी० है। यह सरकार ने ९७ ६३ लाख रु० की लागत से लगाई है। १९५४ मे इसकी स्थापना की गई और १९५८ से यह उत्पादन कर रही है।

१७. इडियन ड्रग्स एवं फार्मासीटिकल लि०, (दिल्ली)—अप्रैल १९६१ मे इसकी स्थापना की गई है। सोवियत रूस की सहायता से चार कारखाने खोले जायेगे। (१) एण्टी-बायोटिक, ऋषिकेश, (२) सिंथेटिक ड्रग्स, हैदराबाद, (३) सर्जिकल इस्ट्रूमेंट, मद्रास और (४) फोटो केमिकल्स, केरल।

१८. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०—इसकी स्थापना मई, १९६० मे की गई थी। इसका मुख्य कार्य देश के विदेशी-व्यापार को बढाना है।

१९ हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिग कम्पनी लि०—इस कम्पनी की मद्रास मे ३० नवम्बर, १९६० मे रजिस्ट्री हुई। इसकी अधिकृत पूजी ५ करोड रु० हे। ऊटकमण्ड मे कच्ची फिल्म तैयार करने का सयत्र लगाया गया है। सिनेमा के लिए फिल्म कागज के अतिरिक्त यह फोटोग्राफी का कागज भी तैयार करेगा। यहा एक्स-रे फिल्म भी तैयार होगी। यह कारखाना एक फ्रेंच कम्पनी के सहयोग से स्थापित किया गया है।

२०. एक्सपोर्ट रिस्क इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन लि०—१९५६ मे इसकी रजिस्ट्री हुई। १४ अक्तूबर, १९५७ को अपना काम आरभ करने के लिए ५ लाख रु० दिये गये। निर्यात व्यापारियो को अपने माल का बीमा कराने का मौका दिया गया है। व्यवसायिक बीमा कम्पनिया साधारण यह कार्य नही करती हे।

२१ पीरिटेज एण्ड केमिकल्स डेवलपमेट कार्पोरेशन लि०—इसकी स्थापना सिंदरी मे मार्च, १९६० मे की गई। यह नेशनल इण्डस्ट्रीयल डेवलमेट कार्पोरेशन की सहायक और पूरक हे। १६ सितम्बर, १९६३ से यह पूर्ण स्वतन्त्र कम्पनी हो गई। इसके पास गन्धकाम्ल बनाने का प्लाट है। गन्धकाम्ल यह पीरीटेज से तैयार करता है।

२२ हैन्डक्राफट्स एण्ड हैन्डलूम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०—यह स्टेट ट्रेडिग कार्पोरेशन लि० की सहायक और पूरक है। इसका कार्य विदेशो मे दस्तकारी की चीजो की खपत बढाना, उनके लिए बाजार ढूंढना और प्राप्त का सरक्षण करना है।

२३ इण्डियन एक्सप्लोजिव फक्टरी—इम्पीरियल कमीकल इण्डस्ट्रीज क साथ भारत सरकार ने एक करार किया है। इसम भारत सरकार के २० प्रतिशत और ८० प्रतिशत शेयर इम्पीरियल केमीकल इण्डस्ट्रीज के हैं। गोमिया हजारीबाग (बिहार) म यह फक्टरी ५ नवम्बर १९५८ को खोली गई। चट्टानो को उडाने और सुरगे बनाने के लिए विस्फोटक यहा बनते हैं।

२४ भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० जलहली, बगलौर—इसकी स्थापना १० अप्रल १९५४ को हुई। यह बडे परिमाण मे बेतार के तार के लिए वायरलेस और इलेक्ट्रोनिक्स तयार करता है। यह मुख्यत सेना और सरकारी विभागो के लिए माल तयार करता है।

२५ हिंदुस्तान स्टील लिमिटड—भारत सरकार की लोहा व इस्पात परियोजना हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन है। यह लोहा व इस्पात मत्रालय के प्रशासन म है।

जनवरी १९६६ मे लोहा व इस्पात का स्वतन्त्र मन्त्रालय हो गया है। यह मत्रालय लोहा व इस्पात के आयात निजी और सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाना इस्पात पुनर्वेलन मिलो और अलोह मिश्रण धातु उद्योग सम्बन्धी काय देखता है। हिंदुस्तान स्टील लि बोकारो स्टील लिमिटेड व हिंदुस्तान स्टील वक्स कस्ट्रक्शन लि मत्रालय के प्रशासन मे है। इससे सम्बद्ध लोहा व इस्पात के नियन्त्रक कार्यालय हैं। इसका कायालय कलकत्ता म है। यह मत्रालय लोहा व इस्पात के उत्पादन और आयात निर्यात का भी नियन्त्रण करता है।

हिंदुस्तान स्टील लि० का बोकारो यूनिट स्वतत्र कर दिया गया है। कम्पनी के कार्यो म इस्पात कारखाना कोयला-शोधनालाओ एव राउरकेला (१८ लाख टन) भिलाई (२५ लाख टन) और दुर्गापुर (१६ लाख टन) का विस्तार करना तथा दुर्गापुर मे निजी इस्पात का कारखाना लगाना है।

राउरकेला इस्पात कारखाना—हिंदुस्तान स्टील लि का एक कारखाना राउरकेला (उडीसा) म है। इसके लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्राप्त करने क लिए जमनी की एक कम्पनी से १९५३ म करार किया गया। कारखाना ७ २० ०० टन क्षमता का है तथा १७० करोड रु० की लागत से प्लाट लगाया गया है। राउरकेला कारखाने का विस्तार काय १९६८ म पूरा हो रहा है।

उत्पादन (हजार टन म)

उत्पाद	१९६६ ६७	१९६७ ६८ (अप्रल से दिसम्बर)
कोक (सूखा)	१ २७२	९१०
लोहा (गम धातु)	९३४	६५६
इस्पात पिण्ड	९४३	६३३
विक्रय इस्पात	६८३	४४६
नाइट्रो कल्शियम	१८८	१२२

भिलाई इस्पात कारखाना—फरवरी १९५५ म सोवियत रूस क साथ हुए एक करार क अन्तगत इसकी स्थापना भिलाई (मध्य प्रदेश) म हुई। इसकी प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता ७ ७० ०० टन का थी। फाउण्डरी ग्रेड का पिग लोहा भी यह ३ ०० ००० टन तयार करता है। इसका प्रगति हो रही

उत्पादन (हजार टन मे)

उत्पाद	१९६६-६७	१९६७-६८ (नौ मास)
कोक (सूखा)	१,९८२	१,५९१
लोहा (गर्म धातु)	२,०५२	१,५८०
इस्पात पिण्ड	१,८५२	१,३६६
विक्रेय इस्पात	१,३२८	८५७

इस कारखाने की क्षमता बढाकर २५ लाख करने का प्राय सभी कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने कारखाने की क्षमता २५ लाख टन से बढाकर ३५ लाख टन करने के लिए कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना—यह १० लाख टन इस्पात की क्षमता का कारखाना ब्रिटिश स्टील कसोरटियम की सहायता से लगाया गया है। पहले इसे निजी क्षेत्र मे लगाने का विचार था, किन्तु बाद मे यह सरकारी क्षेत्र मे लगाया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की प्रगति इस प्रकार रही

उत्पादन (हजार टन मे)

उत्पाद	१९६६-६७	१९६७-६८ (नौ महीने)
कोक (सूखा)	९००	७३३
लोहा (गर्म धातु)	८९७	६६१
इस्पात पिण्ड	७५४	५२८
विक्रेय इस्पात	५५०	३९७

हिन्दुस्तान स्टील लि० का एक कार्यालय कलकत्ता मे भी है। यह परिवहन और नौ कार्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। इस कार्यालय के द्वारा १९६४ मे ८८,००० टन आयात और लगभग ४०,००० टन निर्यात का काम किया गया।

बोकारो—१७ लाख टन इस्पात पिण्ड और ८.८० लाख टन फाउड्री लोहे की क्षमता के बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण सरकार द्वारा मार्च १९६६ मे स्वीकृत हुआ। अक्तूबर १९६७ मे कारखाने के निर्माण के लिए सिविल इजिनियरिंग कार्य प्रारम्भ हुआ। इस कारखाने का निर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है। रूसी सस्था ने तकनीकी सहयोग के लिए ६५ रूसी विशेप बोकारो भेजे है।

२५ जनवरी, १९६५ को भारत-सोवियत करार, बोकारो इस्पात कारखाने के बारे मे हुआ। ६ फरवरी, १९६५ को रूस से समझौता हुआ। यह कारखाने के स्वरूप के बारे मे था। दिसम्बर, १९६५ मे रूस ने इस विपय मे एक विस्तृत रिपोर्ट दी, बोकारो स्टील लि० ने कुछ सशोधनो के साथ रूसी योजना को स्वीकार कर लिया।

बोकारो प्लाट की कुल उत्पादन क्षमता ४० लाख टन होगी। बोकारो का नर्माण दो चरणो मे होगा। पहले चरण मे १७००० टन क्षमता का प्लाट लगाया जायगा।

कारखाना ३९८३० एकड भूमि मे होगा। पर अभी १३,३०० एकड भूमि ही प्राप्त की गई है। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कस्ट्रक्शन लि० इसके लिए स्थल का निर्माण कर रहा है।

बोकारो के प्रथम चरण पर ६२६ करोड़ रु० और सम्पूर्ण पर ६०० करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है।

२६ *हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०—यह इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित* कम्पनी है। इसकी अधिकृत पूंजी १ करोड़ रु० है। भविष्य में लगाये जाने वाले इस्पात के कारखानों तथा उससे सम्बंधित सुविधाओं का निर्माण यह करेगा। बोकारो कारखाने के लिए यह जमीन को समतल कर रही है। स्ट्रक्चरल फैब्रीकेशन शाप के लिए यह यार्ड तैयार करेगा रेल सुविधायें प्रदान करना भी इसका काम है। बोकारो में इस पर ४७ लाख रु० खर्च होगा।

२७ *मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स—इसकी विस्तार योजना पूरी होने वाली है।* इसकी इस्पात उत्पादन की क्षमता ८ हजार टन से २ लाख टन करने की विस्तार योजना पर काम हो रहा है। यहां मिश्र और विशिष्ट इस्पात तैयार करने का विचार है।

२८ *लिगनाइट फैक्टरी—यह नेवेली परियोजना के अंतर्गत है जो पूर्णत केन्द्रीय* सरकार की है। इस पर व्यय लगभग १११ ६६ करोड़ रु हुआ है। इसके पांच अंग हैं खान उत्खनन ताप विद्युत योजना रासायनिक उर्वरक प्लांट ब्रिकेट निर्माण संयंत्र तथा मिट्टी प्रक्षालन-संयंत्र।

२६ आयल इण्डिया लि०—फरवरी १६५६ में इसकी स्थापना असम में हुई। इसमें भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी समान साझीदार है। इस कम्पनी की स्थापना तेल *पेट्रोलियम और गैस के उत्पादन के लिए हुई है। तेल को परिष्कृत करने के लिए दो तेल* शोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं जो बरौनी हल्दिया में हैं। पाइप लाइन द्वारा तेल हल्दिया और बरौनी पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त आसाम आयल कम्पनी के डिगबोई तेल शोधक कारखाने को भी तेल पहुंचाया जाता है।

३० इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि०—इसके अंतर्गत दो सरकारी कम्पनियां हैं। १ इण्डिया आयल कम्पनी—यह सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न पेट्रोल व किरासीन तेल को बेचने वाला सरकारी संगठन है २ इण्डिया रिफाइनरी लि —यह तेल शोधक कम्पनी है। इसमें निजी क्षेत्र भी है।

इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० की स्थापना ७५ करोड़ रु० की पूंजी से की गई है। *इनके सदर मुकाम क्रमश बम्बई और नई दिल्ली हैं।*

३१ *अशोक होटल लि नई दिल्ली—एक निजी कम्पनी यूनेस्को कान्फ्रेंस के मौके* पर एक बड़ा होटल बनाना चाहती थी। पर वह आवश्यक पूंजी एकत्र न कर सकी। अत *मई १६५६ में भारत सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया। यह होटल अक्तूबर १६५६* से काम कर रहा है।

३२ हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०—भारत में अपने ढंग की यह एक ही संस्था है। भारत सरकार ने इसकी स्थापना की। यह स्विच गीयर कंट्रोल पैनल ट्रांसफारमर कम्यूटेटर ट्रैक्शन मोटर आदि बिजली के साज-सामान तैयार करता है। उत्पादन १६६० ६१ में आरम्भ हुआ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० एसोसियेटेड इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज लन्दन के तकनीकी सहयोग से कार्य कर रहा है। वह कम्पनी रेल पटरियो के उपकरण व हाइड्रो-टर्बाइन भी बनाती है। १९६७-६८ मे इसमे १,८३६ लाख रु० के माल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। अप्रैल से नवम्बर, १९६७ तक ८२८ ५९ लाख रु० मूल्य का माल तैयार हुआ था।

बिजली के भारी उपकरणो की बढती माग को पूरा करने के लिये इसके उत्पादन की विस्तार-योजनाए हे।

प्रति वर्ष ८,००० अतिरिक्त ट्रैक्शन मोटरो तथा सम्बन्धित उपकरणो के उत्पादन की एक योजना विचाराधीन है।

३३. इण्डिया हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०—इस कम्पनी के चार प्लाट विभिन्न जगहो मे लग रहे हे—(१) हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेण्ट प्लाट, रानीपुर, हरिद्वार, (२) हैवी प्रेशर बायलर प्लाट, तिरुवेराम्बूर, (३) हैवी पावर इक्विपमेण्ट प्लाट, रामचन्द्रपुरम् और (४) स्विच गीयर प्लाट रामचन्द्रपुरम्।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेण्ट प्लाट, रानीपुर—का निर्माण हरिद्वार के पास सोवियत रूस की सहायता से किया जा रहा है। यहाँ १५ लाख किलोवाट के स्टीम टरबाइन, १२ लाख किलोवाट के हाइड्रो टरबाइन व जेनरेटर तथा ५ १५ लाख किलोवाट की बिजली की बडी मोटरो का निर्माण किया जायगा। सयत्र का औपचारिक उद्घाटन जनवरी, १९६७ मे हुआ।

परियोजना पर ६,८०० लाख रु० व्यय का अनुमान है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ४,००० लाख रु० के लगभग की होगी।

हैवी प्रेशर बायलर प्लांट, तिरुवेराम्बूर—चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया जा रहा हे। यह परियोजना २,३०० लाख रु० की है। यहाँ प्रति वर्ष ७५० मेगावाट के १२ फिटिंग और पैकेज बायलरो का निर्माण होगा। कारखाने के प्रथम चरण का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है तथा उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया है।

हैवी पावर इक्विपमेण्ट प्लांट, रामचन्द्रपुरम् (आन्ध्र प्रदेश)—चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया जा रहा है। इस कारखाने मे ८०० मेगावाट के स्टीम टरबाइन और विभिन्न नापो के १०० मेगावाट के टरबोआल्टरनेटर प्रति वर्ष तैयार होगे। चेकोस्लोवाकिया ४९२ लाख रु० की मशीने देगा। इसके अतिरिक्त ६२६ लाख रु० के कल-पुर्जे भी देगा। समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके है। सितम्बर, १९६५ से इसके फैब्रिकेशन शाप मे उत्पादन प्रारम्भ हुआ। गत वर्ष कुल उत्पादन १ ५९ करोड रुपया हुआ।

स्विच गियर प्लांट—के लिए स्वीडिस फर्म अलयन्ता स्वेस्का इलेक्ट्रिस्का एकीबोला जेट के साथ २-४-६५ को समझौता किया गया है। यह कम्पनी २९० लाख क्रोन कर्ज देगी जिसमे आवश्यक उपकरण स्वीडन से खरीदे जायेगे। कारखाने का निर्माण-कार्य १९६६ मे पूरा हो गया। उत्पादन अक्तूबर १९६६ से प्रारम्भ हुआ। यह परियोजना २७५ करोड रु० की है।

सेण्ट्रल फाउण्ड्री फोर्ज, हरिद्वार—की परियोजना को इसलिए बनाया जा रहा है कि

वह इस्पात की ढली और गढी वस्तुओ और विशेषकर इस तरह की गढी व ढली वस्तुओ की आवश्यकता पूरी करेगी जिनकी आवश्यकता हरिद्वार भोपाल हैदराबाद तथा तिरुचिरापल्ली के कारखानो मे बिजली क भारी उपकरण और वायलर बनाने के लिए होती है। इस परियोजना पर लगभग २६ करोड रु व्यय होने का अनुमान है। स्थापना स्थल पर सयन्त्र लगाने का प्रारम्भिक काय शुरू कर दिया गया है।

३४ यूरेनियम थोरियम फक्टरी बम्बई—इस फक्टरी की नीव जनवरी १९५५ मे रखी गई। इस पर ४५ लाख रु० व्यय होगा। यह २०५ से २८८ टन थोरियम नाइट्रेट प्रति वष तयार करेगी। यहाँ देश मे उत्पन्न यूरेनियम का परिष्कार किया जायगा।

३५ हैवी इजीनियरिंग कारपोरेशन रांची—इसकी स्थापना १९५८ मे भारी मशीनो के बनाने के लिए की गई। इसके तीन भाग हैं (१) हैवी मशीन बिल्डिंग प्लाट (२) फाउड्री फोज प्लाट (३) हैवी मशीन टूल्स प्लाट।

भारी मशीनें बनाने का सयन्त्र—इसकी क्षमता ८० हजार मीट्रिक टन भारी मशीनें प्रति वष है। इसका एक इस्पाती ढाचे बनाने का वर्कशाप है जिसकी वार्षिक क्षमता २५ हजार मीट्रिक टन है। यह रूस की सहायता से लगाया गया है।

फाउण्ड्री फोज सय त्र—चेकोस्लोवाकिया की सहायता से यह प्लाट लगाया गया है। इसकी वार्षिक क्षमता १ लाख ४७ हजार मीट्रिक टन है।

हैवी मशीन टूल प्लाट—इसका निर्माण भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हुआ है। इसकी वार्षिक क्षमता १० हजार मीट्रिक टन है। इसकी मुख्य इमारत का निर्माण-काय पूरा हो चुका है।

३६ राष्ट्रीय कोयला विकास निगम—इसकी स्थापना अक्तूबर १९५६ म की गई। सरकारी क्षेत्र की कोयला खानो का विकास करना इसका काय है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र (आध्र) को छोडकर ११ कोयला क्षेत्र हैं। इस्पात के प्लाटों की कोक की आपूर्ति के लिए कोयला शोधन सयन्त्र का प्लाट कारगली (बिहार) म नवम्बर १९५८ म स्थापित हुआ था।

३७ इडियन रेयर अथ लि०—अगस्त १९५ म इसकी स्थापना की गई थी। यह केरल सरकार और भारत सरकार की सयुक्त योजना है। यह फक्टरी हर साल १५० टन मोनो जाइट म १५ ० टन रेयर अथ तयार करती है। यह कारबोनेट और सोडियम फास्फेट भी तयार करती है।

८ हिन्दुस्तान साल्टस लि०—साभर झील म नमक बनाने का काम सरकार ने अपने हाथ म ले लिया है। इस लिए इस कम्पनी की स्थापना जयपुर म की गई है। खारगोधा (गुजरात) म नमक बनाने का काय भी इसी कम्पनी के अधीन है। इस कम्पनी की पूजी दो करोड रु है। यह नमक उद्योग सम्बधी सब कार्यों क लिए जिम्मेदार है। इसकी चुकता पूजी १७८८१ लाख रु० है।

कम्पनी क खरगोधा और मडी स्थित दोनो कारखानो म १९६७ म सितम्बर तक ८७५१७ मीट्रिक टन नमक पदा हुआ। इसी अवधि म १९६६ म १ ०७ ८४५ मीट्रिक टन पदा हुआ था।

साभर साल्ट्स लि०—की अधिकृत पूजी एक करोड रुपया है अग पूजी मे से ६ हजार हिस्से हिन्दुस्तान साल्ट लि० के तथा ४००० राजस्थान सरकार के है। प्रत्येक हिस्सा एक हजार रु० के है।

साभर ने सितम्बर, १९६७ तक १८७००० मीट्रिक टन नमक का उत्पादन किया। इस अवधि मे १९६६ मे इसने १,९३,००० मीट्रिक टन नमक उत्पादित था।

३९. **उडीसा माइनिंग कार्पोरेशन लि०**—यह उडीसा और भारत सरकार का सयुक्त उपक्रम है। इसका काम उडीसा की खानो से लोहा और अन्य खनिज द्रव्य ढूडना, इकट्ठा करना और निर्यात की व्यवस्था करना है।

४० **टेलीप्रिंटर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०**—भारत सरकार और इटालियन कम्पनी ऑलिवेती के बीच इसके लिए अमभौता हुआ है। इसकी स्थापना १९६० मे की गई थी। दोनो के बीच सहयोग १० साल रहेगा। इटालियन कम्पनी को रायल्टी मिलेगी।

४१. **नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०**—नेपा नगर (मध्य प्रदेश) मे इसकी स्थापना की गई है। यह नेपा मिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना १९४७ मे एक निजी कम्पनी के अधीन हुई थी, पर वह इसे चला नही सकी। अत भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को जनवरी १९५५ मे सौप दी गई।

इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३०,००० मी० टन है। १९६७ मे इस एकक मे ६०० मी० टन की थोडी वृद्धि की गई। इसकी क्षमता ४५००० मी० टन प्रति वर्ष करने की विस्तार योजना लागू की जा रही है। पूरा उत्पादन १९७० से होने लगेगा।

४२. **इण्डियन इजीनियरिंग लि०**—औद्योगिक परियोजना के लिए डिजाइन बनाने, उसका निर्माण करने और तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए यह कम्पनी अमेरिका की वेशटल इण्टरनेशनल कार्पोरेशन के सहयोग से स्थापित की गई है।

४३. **इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि०, कोटा**—इसका पजीकरण मार्च १९६४ मे किया गया। यह कोटा मे सूक्ष्म यन्त्र बनाने के कारखाने की स्थापना और पालघाट, केरल मे मशीनी औजार बनाने के कारखाने की स्थापना करेगा। इनके लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता सोवियत रूस द्वारा दी जा रही। इसकी अधिकृत पूजी ७०० लाख रु० है।

कोटा के सूक्ष्म यन्त्र कारखाने के स्थापना स्थल पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आयातित मशीनो का एक बडा हिस्सा वहाँ पहुच गया है। पालघाट कारखाने की स्थापना का कार्य फिलहाल स्थगित है।

४४. **भारत हेवी प्लेट एण्ड हेवी वेसल्स लि०, नई दिल्ली**—कम्पनी की स्थापना जून '६६ मे की गई। कारखाना उर्वरक, पेट्रोल-रसायन तथा अन्य रसायन उद्योगो के उपकरणो का निर्माण करेगा। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २३ हजार मी० टन होगी और उसका मूल्य लगभग १० करोड रु० होगा। यह चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया जा रहा है तथा सम्पूर्ण परियोजना १९६९ तक पूरी होगी।

४५. **त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, प्रयाग**—इसका पजीकरण भारी ढाचे बनाने वाली परियोजना के लिए जुलाई, १९६५ मे किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत

(लाख रुपये म)

	१९६६		१९६७	
	क्षमता	वास्तविक उत्पादन	क्षमता	अनुमानित उत्पादन
चीनी मिल	१ ४६०	८७२	१ ४६०	९७०
इमारतें व सडकें बनाने की मशीनें	४६८	२१०	४७५	१४०
खनन मशीनें	२८३	४६	९९३	३३६
सीमेंट	२ ३००	६११ ०७	२ ३००	६५०
रसायन व फार्मेसी	१ १६४	८९७	११ ८९५	९००
वातानुकूल व प्रशीतन उपकरण	१ ३००	६३२	१ ५००	७००
औद्योगिक बायलर	१ ४६०	८७२ ०५	१ ४६०	९७०
कागज व लुगदी मशीन	६४५	२३	६४५	२५०
कनवेयर	८००	४६४ ६३	८००	४००
इस्पात संयन्त्र उपकरण	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	१ २८०	५१५



१९६६ म देश म वस्त्र उद्योग की १८०० करोड रुपये तथा पटसन उद्योग की ३२१ करोड रुपये की मूल्य की मशीनो का निर्माण हुआ।

छपाई की मशीनें बनाने म भी प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त इस्पाती साचे ट्यूब पाइप बाल बीयरिंग मशीनी औजार ट्विस्ट ड्रील ग्रिंडिंग चक्की हैक्शा ब्लेड, जीप और कार उद्योगो म भी विकास हुआ। वस्त्र उद्योग के लिए असेंबरिंग मशीन भी बनने लगी हैं। इस प्रकार बिजली के पम्प एयर कण्डीशनर घरेलू मीटर टाइप राइटर देश मे तयार होने लगे हैं।

चीनी

विश्व भर म भारत सबसे बडा चीनी-उत्पादक देश है यद्यपि गन्ने की उपज १४ १५ टन प्रति एकड ही है। गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश बिहार पजाब महाराष्ट्र आन्ध्र और मद्रास। उत्तर प्रदेश और बिहार देश भर म उत्पन्न कुल चीनी का ७० प्रतिशत पदा करते हैं। भारत म उत्पन्न गन्ने का ५५ प्रतिशत गुड और खाण्डसारी बनान म खपता है। चीनी बनान म उत्पन्न गन्ने का केवल २५ प्रतिशत मिला का जाता है।

वस्त्र के बाद भारत का यह सबसे बडा उद्योग है। चीनी का उत्पादन १९६५ ६६ म ४ लाख टन से अधिक हुआ। चीनी का निर्यात ४४१ लाख टन किया गया।

चीनी उद्योग की प्रगति को देखने से ज्ञात होगा कि उत्पादन सदा एक-सा नही रहता।

१९६० ६१ म १७५ मिलें थी और उत्पादन ३० २९ लाख टन हुआ था लेकिन इसके बाद उत्पादन घट गया। यथा

चीनी का उत्पादन

१९६०-६१	३० २९ लाख टन
१९६२-६३	२१.५२ लाख टन
१९६३-६४	२५ ६७ लाख टन
१९६४-६५	३२ ५८ लाख टन
१९६५-६६	३४ ५८ लाख टन
१९६६-६७	२२ ०० लाख मी० टन

प्लाईवुड

यह उद्योग देश के इन क्षेत्रो की माग पूरी करता है (१) फ्लस दरवाजा (२) कृष्ण-पट्ट (ब्लैक वोर्ड) (३) व्यावसायिक प्लाई वुड (४) पैकिंग प्लाई वुड (५) चायपेटी प्लाईवुड (६) मैरीन प्लाईवुड, (७) ककरीट रार्टरिंग प्लाईवुड।

साइकिल

भारत मे साइकिल सबसे पहले १८९० मे दिखाई दी थी। साइकिल उद्योग सबसे पहले १९२५ मे मद्रास मे जर्मनी की सहायता से प्रारम्भ हुआ था। १९६७ मे १७ लाख ६६ हजार साइकिलो का निर्माण हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष मे १६ लाख ३१ हजार ४०० साइकिलें बनी। देश मे साइकिल बनाने वाली एकक हैं। साइकिलो के पुर्जे बनाने वाले ५५ एकक हैं।

कागज और गत्ता

आधुनिक ढग से कागज बनाने का प्रारम्भ १८३० मे हुआ। इस वर्ष डा० केरी ने कलकत्ते मे कागज बनाने की पहली मिल स्थापित की। यह प्रयत्न विफल रहा। इसकी मशीनें १८७० मे रायल पेपर मिल्स, बालली भेज दी गई। इस कम्पनी की स्थापना १८६७ मे हुई थी। अपर इण्डिया पेपर मिल्स, लखनऊ की १८८२ मे और टीटागढ पेपर मिल्स, कलकत्ता की स्थापना १८८६ मे हुई। १८९१ में बगाल पेपर मिल्स, रानीगज मे स्थापित हुई। १९२५ मे कागज उद्योग को राजकीय सरक्षण दिया गया। १९४७ तक यह उद्योग सरक्षित रहा। दूसरे महायुद्ध के समय कागज मिलो की सख्या, बढकर १५ हो गई तथा आज ५६ है। अखबारी कागज का बनाना १९५९ मे नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपा नगर ने प्रारम्भ किया। इसकी उत्पादन-क्षमता ३०,००० टन प्रतिवर्ष है। १९६७ मे कागज का उत्पादन ६०० हजार मी० टन हुआ जबकि इसके पूर्व इसका उत्पादन ५८५ हजार मी० टन था। एक मील रेयन ग्रेड लुगदी तैयार करती है।

चमडा और खाल

विदेशी विनिमय-उपार्जन की दृष्टि से चमड़ा-उद्योग का स्थान चौथा है। १९६६ मे ४२ २५ लाख चर्मखण्ड पैदा हुए थे। जबकि १९६७ मे ४१ ४७ लाख कमाई गई। कछुआ, मगरमच्छ, साप, छिपकली, पग्यिान आदि से उत्पन्न खाल अतिरिक्त है। १९६६ मे देश मे पाश्चात्य एव देशी किस्म मे क्रमश १.१४ लाख तथा ६७ ४३ लाख जोड़े जूते बनाए गए। १९६७ मे जूता जोडो की यह सख्या १०१ ६५ लाख तथा ७५ ५८ लाख थी।

जूता उद्योग का सगठन लघु परिमाण के आधार पर ही हुआ है, यद्यपि मद्रास, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई मे बडे-बडे चर्मालय हैं। देश भर मे लगभग ७२५ चर्मशालाए या टैनरिया हैं। इनमे से २४ बडी इकाइया हैं।

वनानिक व डाक्टरी उपकरण

दश म इस समय वनानिक आलेख्य (ड्राइंग) सर्वे गणित एवम रे औद्योगिक मापक यत्र आदि बनाने के ४६ एकक हैं। पाच यूनिटें इनेकने डाक्टरी उपकरण तयार करती है।

रेयन

भारत म यह उद्योग १६ साल पुराना है। दूसरे महायुद्ध के बाद १६५० मे इसका आरम्भ इस देश म हुआ। विसकोज रेयन इस समय सुलतम मूल्य का रासायनिक माल है। उद्योग के सब क्षेत्रो म इसको स्वीकार कर लिया गया है। इसको पदा करने वाले मुख्य द्रव्य हैं गधक का अम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड) और रेयन ग्रड कास्टिक सोडा। य अब भारत म ही तयार होने लगे हैं।

रेशम

यह एक अत्यन्त प्राचीन उद्योग है परन्तु यह विनाशो मुख था। दूसरा महायुद्ध इसको पुन जीवन देने वाला सिद्ध हुआ। रेशम के कीडे पालने का उद्योग ग्राम व कुटीर उद्योग है। लघु उद्योगो म इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कुल उत्पन्न कच्चे रेशम का आधा भाग मसूर म पदा होता है। इसके बाद असम बगाल मद्रास व जम्मू कश्मीर के स्थान हैं।

शहतूत के पत्तो से भिन्न पत्ता पर पाले गय रेशम के कीडो से तयार हुआ रेशम नागरिको के वस्त्र बनाने मे काम आता है। शहतूत के पत्तो पर पाले गय रेशम के कीडो का तयार किया गया रेशम सेना म काम आता है। भारत पाक युद्ध के बाद से देश मे शहतूती रेशम की आवश्यकता बहुत बढ गई है। रेशम उद्योग को भारत सरकार १६५ से सरक्षण दे रही है। इससे पहले १६४६ म केन्द्रीय रेशम परिषद की स्थापना की गई।

आयात की आवश्यकता पूरी करने के विचार से १६५८ म सेंट्रल सिल्क वम स्टेशन श्रीनगर म स्थापित किया गया। बरहामपुर (प० बगाल) मे सेंटन सेरीकल्चरल रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। इसकी एक शाखा कनिम्पोग म स्थापित की गई। मसूर म अखिल भारतीय सरीकल्चरल ट्रनिंग इस्टीच्यूट है। मसूर म उत्पन्न जाजट रेशम देश भर म सर्वोत्तम माना जाता है।

सिलाई मशीनें

सिलाई मशीन बनाने का पहला कारखाना १६३७ म लगाया गया। दूसरे महायुद्ध के बाद म इस उद्योग म तेजी म वृद्धि हुई। मशीन का प्रत्यक कल पुर्जा इस देश म ही तयार होता है।

ऊन उद्योग

भारत हर साल लगभग दस लाख पौंड ऊन पदा करता है। प्रति भेड साल म तीन चौथाई पौंड स लकर चार पौण्ड तक ऊन होता है।

ऊनी वस्त्र उद्योग बहुत कुछ आयातित ऊन पर निभर है। अच्छे कम्बला के लायक ऊन भी यहा कम होती है।

गलीचा

ऊनी दरिया, गलीचे और फर्शी भारत मे तैयार ऊनी मालो सर्वोत्तम है। गलीचा बुनाई एक सगठित उद्योग है। इसके मुख्य केन्द्र है अमृतसर, आगरा, ग्वालियर और जयपुर। यहा अच्छी किस्म की दरिया व फर्शी तैयार होते है। कश्मीर के गलीचे ऊची किस्म के होते है। कश्मीर मे साधारण किस्म का भी माल तैयार होता है। मैसूर, वेल्लारी, वगलौर और दक्षिण के अन्य स्थानो मे ड्रगेट तैयार होते है।

सीमेट

पोर्टलैंड सीमेट का वनाना सर्वप्रथम १९०४ मे मद्रास मे प्रारम्भ हुआ। परन्तु यह परियोजना विफल रही। इसके नौ साल वाद पोरबन्दर मे फैक्टरी वनाई गई। इसके वाद लखेरी और कटनी मे फैक्टरी लगाई गई। १९२६ मे भारतीय सीमेट निर्माता सघ की स्थापना हुई। सीमेट का व्यवहार लोकप्रिय बनाने के लिए १९२७ मे ककरीट एसोसियेशन ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। १९३० मे सीमेट मार्केटिग कम्पनी आफ इण्डिया की स्थापना की गई, जो सदस्य कम्पनियो द्वारा उत्पादित सीमेट के वेचने की व्यवस्था करती है।

इस समय देश मे सीमेट तैयार करने वाली ४० एकक है। इनकी कुल उत्पादन क्षमता १२८ लाख मीट्रिक टन है। इसमे ३ वर्ष मे ६ लाख मीट्रिक टन की और वृद्धि हुई। सीमेट (क्वालिटी कट्रोल) आर्डर, १९६२ मे जारी किया गया। यह सीमेट मे मिलावट को रोकने के लिए था। १९६६ तथा १९६७ मे सीमेट का उत्पादन १११ लाख तथा ११७ लाख मीट्रिक टन हुआ। एसवेट्स सीमेट उत्पाद की पाच एकक है जिनकी क्षमता ३४२८ मीट्रीक टन प्रतिवर्ष है।

चीनी मिट्टी के वर्तन (कुम्हारी उद्योग)

दुनिया का यह सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। मिट्टी के वर्तनो का उपयोग शहरो और गावो मे एक समान किया जाता है। मामूली चिकनी मिट्टी के वर्तनो की जगह चीनी मिट्टी के वर्तनो ने ले ली है। चीनी मिट्टी के वर्तन वनाने की इस समय भारत मे ६८ फैक्टरिया है। सफेद वर्तनो, आरोग्य व सफाई के वर्तनो, ग्लेज्ड टाइल वनाने और उच्च तनाव के ताप अवरोधको (इसुलेटरो) के निर्माण मे वडी प्रगति हुई है। इस उद्योग के केन्द्र है मध्यप्रदेश, प० वगाल, महाराष्ट्र, मद्रास और मैसूर। केरल सरकार भी इस उद्योग को चलाती है।

रवड का बना माल

रवड से वनने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओ मे भारत प्राय आत्मनिर्भर है। रवड का माल तैयार करने वाली ४०० एकक है। इसके अतिरिक्त ७३ सगठित एकक है। ये मोटर टायर से लेकर रवड के खिलौने तक वनाते है।

देश मे रवड से १३० किस्म की चीजे वनाई जाती है। कच्चे रवड का ८५ प्रतिशत तो मोटरो व वाइसिकलो के टायर-ट्यूव और रवड के जूते वनाने मे लगता है। मोटर के टायर वनाने वाली ८ कम्पनिया है। इनके अतिरिक्त और वडे-वडे ५० यूनिटे देश भर मे फैली हुई है।

रबड उद्योग का सूत्रपात भारत म १६२० म हुआ। इसी साल कलकत्ता म कारखाना लगाया गया। शाहगज (प० बगाल) म दूसरी फक्टरी १६३६ म स्थापित हुई।

दियासलाई

पहले महायुद्ध से पहले भारत म दियासलाई उद्योग का कोई अस्तित्व नही था। १६२२ मे इस पर आयात कर लगाने के बाद इस देश म इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ। १६२८ मे इस उद्योग को सरक्षण मिला। फलत विदेशो से दियासलाई का आना ही बन्द हो गया।

पेंट व तल कोटिंग पदाथ

प्रतिमानित किस्म के पेंट एनामेल, वार्निश और मुख्य मुख्य कच्चे माल का उत्पादन बढा है और यह उद्योग बराबर प्रगति कर रहा है।

काच या शीशा

यह भी भारत का एक महत्वपूण उद्योग है। १६५६ म पजीकृत काच की फक्ट्रिया १२३ थी और इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३ ६२ २८४ टन थी।

काच की अधिकाश फक्ट्रिया प० बगाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश म हैं। इन १२५ एककों म १२ करोड रु० की पूजी लगी हुई है। ये १८ करोड रु० का सामान तयार करते हैं।

साबुन

साबुन बनाने का उद्योग कुटीर उद्योग के साथ साथ बडा उद्योग भी है। साबुन बनाने वाली बडी यूनिटो की सख्या ६१ हैं। इनम से लगभग एक तिहाई महाराष्ट्र और प० बगाल म हैं।

मोटर गाडी उद्योग

इस उद्योग की दृष्टि से १६५४ का साल अत्यन्त महत्वपूण था। इस वष भारत सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया और मोटर गाडी बनाने या बाहर से आये पुर्जों को जोडने का काम तीन कम्पनिया तक सीमित कर दिया। इनको निश्चित कायक्रम-लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा गया। लक्ष्य यह रखा गया कि अन्ततोगत्वा भारत मे बनी मोटर गाडी के सब अवयव और भाग व कल-पुर्जे भारत के बने हो।

इसके लिए हिन्दुस्तान मोटस कलकत्ता प्रीमीयर आटोमोबाइल बम्बई महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बम्बई अशोक ले लड मद्रास स्टण्डड मोटर प्रोडक्टस मद्रास और टाटा लोकोमोटिव एण्ड इजीनियरिंग कम्पनी बम्बई को चुना गया। इनके अतिरिक्त डिजल इजन बनाने वाली और दो कम्पनिया भी हैं—सिम्पसन एण्ड को और आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इण्डिया। इनको १६५५ म मान्यता प्राप्त हुई।

इस उद्योग को दस साल के लिए सरक्षण दिया गया है। इसके उत्पादन के आकडे य हैं

	उत्पादक इकाइया	१६६६	१६६७
वाणिज्य मोटर गाडिया	६	३३१६२	३०६५०
कारें	३	२७५६७	३२६७०

जीप	१	१०८६६	५७७०
स्कूटर	३	२०६७१	३०७००
मोटर साइकिल	३	२५०४२	२३७००

प्लास्टिक

भारत मे प्लास्टिक उद्योग अभी नया है। पर वह प्लास्टिक का वना माल निर्यात करने की स्थिति मे है। इसके लिए स्थापित सस्था का नाम है प्लास्टिक एण्ड लिनोलियम एक्सपोर्ट प्रमोशन कौसिल। भारत मे प्लास्टिक उद्योग कच्चा माल और परिष्कृत (प्रोसेस्ड) माल तैयार कर रहा है। भारतीय प्लास्टिक उद्योग द्वारा उत्पादित चीजो मे से कुछ है फेनोल फारमल डी हाईड, यूरिया-फारमल डी हाईड, पोलीथेन, पोली स्टीरेन। उद्योगो और उपभोक्ताओ के लिए उपयोगी प्लास्टिक की चीजे वडी सख्या मे वनाई जा रही है।

तम्वाकू

भारत का दुनिया मे तम्वाकू पैदा करने मे तीसरा स्थान है। यह एक नकदी फसल है। इससे सरकार को हर साल ५० करोड रु० की आय होती है तथा एक करोड रु० की विदेशी मुद्रा मिलती है। तम्वाकू पर सेस भी लिया जाता है। तम्वाकू उद्योग मे आध्र और महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। आध्र का भाग ३५ प्रतिशत और महाराष्ट्र का लगभग २५ प्रतिशत है। लगभग ६० प्रतिशत तम्वाकू से सिगरेट-तम्वाकू बनाया जाता है। भारत सरकार ने १६४५ मे 'इण्डियन सेंट्रल तम्वाकू कमेटी की स्थापना की है।

जटा-जूट (कोयर)

नारियल के उपरले खोल के जटा जूट से निकाले गये सूत व रेशे को कोयर कहते है। भारत विश्व मे कोयर का एक मात्र उत्पादक है। कोयर उद्योग केरल मे केन्द्रित है। इसमे ६ लाख व्यक्ति काम करते है। मुख्य रेशा या सूत है चटाई-रेशा और कुरीड रेशा। इसमे अधिक मात्रा चटाई रेशे की होती है। अलेप्पी के पार कालावूर मे अनुसधान सस्था है। उलवेरिया (हावडा) मे एक नमूने की फैक्टरी खोली गई है। कुल उत्पन्न माल का आधा भाग निर्यात किया जाता है। पायदान, फर्शी, रस्से आदि तैयार किये जाते है।

१६५३ मे कोयर वोर्ड की स्थापना कोयर इडस्ट्रीज एक्ट, १६५३ के अधीन की गई है। कोयर उद्योग के विकास के लिए कोयर वोर्ड स्थापित किये गये है। समस्त कोयर रेशे पर १ प्रतिशत से अधिक लेवी नही ली जाती।

खेल का सामान

खेल का सामान वनाने का उद्योग उत्तरी भारत तक सीमित हे। जालन्धर और मेरठ शहर इसके केन्द्र है। अन्य स्थान दिल्ली, वटाला, पटियाला, आगरा, लखनऊ और इलाहवाद व जम्वू-कश्मीर है। इनके लिए आवश्यक कच्चा माल विलो और शहतूत की लकडी हे जो कश्मीर और देश के अन्य भागो मे पैदा होती हे। यह कुटीर उद्योग है।

खाद्य-पदार्थ

द्रव ग्लूकोज, डेक्सटरोज चूर्ण, विस्कुट, मिठाइयाँ, चाकलेट, दुग्ध चूर्ण आदि का निर्माण वरावर वढ रहा है। शिशु-आहार वडी मात्रा मे तैयार होने लगा है। डवल रोटी

बनाने का उद्योग भी बढ रहा है। अपनी आय यकता का बिस्कुट भारत पन्न कर लता है। यही बात मिठाइयो या मीठी गोलिया के बारे म है। सगठित उद्योग क्षेत्र की ३१ फक्टरिया प्रति वष ५२ ००० टन बिस्कुट तयार करती हैं। मिठाई बनाने की ३० फक्टरियाँ हैं। इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ४० ००० टन है।

लाख

इसके कीडे पलाश बेर और कुसुम के पड पर पाने जाते हैं। बिहार उडीसा असम मध्य प्रदेश और प० बगाल लाख के मुख्य उत्पादक हैं। लाख का मुख्य बाजार कलकत्ता है।

वनस्पति उद्योग

भारत म प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप से इसका आगमन हुआ। पहली वनस्पति फक्टरी १६३० म स्थापित हुई।

भारत सरकार ने १६४४ मे इस उद्योग के नियन्त्रण के लिए कानून बनाया और इसके लिए एक अफसर नियुक्त किया। इसकी अनुमति लिये बिना नई फक्टरी का खोला जाना रोक दिया गया। पर आयल प्रोडक्टस कण्ट्रोल आडर के बावजूद वनस्पति तयार करने वाली फक्टरियो की सख्या बन्ती ही गई।

बागान उद्योग

भारत मे बागान—काफी चाय और रबड के बागान कुल फसल के क्षेत्र के ६ ४ प्रतिशत मे हैं। ये भारत के उत्तर पूव और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मे केंद्रित हैं। ये १२ लाख लोगो को रोजगार देते हैं।

चाय—भारत के निर्यात व्यापार मे जूट के बाद चाय का दूसरा स्थान है। १८६५ से पहल चाय सरकारी बागानो मे उगाई जाती थी। १८६५ के बाद से यूरोपियन फर्मों ने इसका प्रबन्ध अपने हाथ म ले लिया और इस उद्योग मे धन भी लगाया। १६६० मे चाय ५ ८१ ० हैक्टर (एक हैक्टर २½ एकड) मे बोई जाती थी। कुल उत्पन्न चाय का ८० प्रतिशत उत्तरी भारत मे उत्पन्न होता है। दक्षिण मे मद्रास मसूर केरल और कुग मे चाय के बाग हैं। टी एक्ट १६५३ का प्रशासन टी बोड करता है। चाय की बिक्री नीलाम से होती है। उसका भी नियन्त्रण यही प्राधिकार करता है। टी सेस द्वारा इसकी वित्तीय आव श्यकताए पूरी की जाती हैं। १६६६ मे ४७ करोड ५४ लाख कि ग्रा चाय का उत्पादन तथा १७ करोड १७ लाख कि ग्रा० चाय का निर्यात किया गया। निर्यात से १३२ करोड ५० लाख रुपय की आय हुई।

काफी—१६६३ ६४ मे काफी की पदावार विश्व म कुल ६ ८२ १५ ००० थले (या ४ ०६ २६ ००० टन) हुई थी।

प्राय सम्पूण काफी मसूर केरल और मद्रास म उत्पन्न होती है। अरेबिका काफी स्वाद की दृष्टि से उम्दा है। राब्स्टा काफी की प्रतिरोध शक्ति अद्भुत है। कीट रोग आदि का यह प्रतिरोध कर सकती है। इसकी उपज भी अधिक है इसका बोना भी सस्ता है। १६६६ ६७ म ७० हजार मी० टन काफी का उत्पादन हुआ जिसम स ३१ ००० मी० टन काफी निर्यात की गई।

रबड :

रबड का सामान और विभिन्न वस्तुए बनाने का मुख्य कच्चा माल नैसर्गिक रबड है। नैसर्गिक रबड की कुल आवश्यकता का ५० प्रतिशत भारत मे उत्पन्न रबड से पूरा होता है। शेष का आयात करना पडता है।

रबड का क्षेत्र पिछले दशक मे ६० प्रतिशत बढाया गया है। १९५४-५५ मे रबड केवल १,७६,६४७ एकड मे ही होता था। अब ४,००,००० एकड मे होता है। मालाबार (केरल) मे इसके विस्तार की सम्भावना बहुत है। वहा जगल मे भी रबड बोया जा सकता है।

भारतीय खनिज सम्पत्ति

आचार्य चाणक्य का कहना है कि खाने समृद्धि की मूल है। भारत के पास असीम खनिज सम्पत्ति नही है, लेकिन, फिर भी इस मात्रा मे है, कि वह उसका समुचित उपयोग कर विश्व की एक महान शक्ति हो सकता हैं। सुरक्षा और सामरिक महत्व के खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा मे भारत मे उपलब्ध है। परन्तु टगस्टन, टीन, पारा गन्धक व पेट्रोलियम-जैसे महत्वपूर्ण खनिजो की कमी है। बुनियादी खनिज पदार्थो-लोहा, मैंगनीज, एलमोनियम, मैगनेशियम, क्रोमियम और कोयला, ईंधन से देश भरपूर है। यूरेनियम, थोरियम, बीरेलियम, जिरकोरियम, टीटानियम और लीथियम सदृश सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण और आधुनिक युद्ध-कला और रण-कौशल मे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले खनिज पदार्थ पर्याप्त है। थोरियम तो विपुल मात्रा मे प्राप्त है। औद्योगिक विद्युत उत्पादन मे आत्मनिर्भरता प्रदान करने के योग्य मात्रा मे यूरेनियम है। सब प्रकार का कोयला अनुमानत ६,००,००० लाख टन है। १,००० फुट नीचे या इससे अधिक मोटी सतह मे यह प्राप्त है। भारत का सभावित तेल क्षेत्र दुनिया भर का एक चौथाई है। यह ४०० हजार वर्गमील मे फैला हुआ है। विश्व का तेल का सुरक्षित भण्डार २,१०० करोड टन बताया जाता है।

क्रोमाइट मुख्यत बिहार, उडीसा, मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र मे पाया जाता है। भण्डार का अनुमान ४८ लाख टन है।

लिगनाइट, कच्चा कोयला मद्रास, राजस्थान, गुजरात व कश्मीर मे पाया जाता है। यह २१३ करोड टन होगा।

बाक्साइट का भण्डार भारत मे २५,००० लाख टन सुरक्षित है। यह लगभग भारत भर मे पाया जाता है।

अभ्रक की तीन मुख्य पट्टिया है १,५०० वर्गमील बिहार मे, १,२०० वर्गमील राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश मे।

ताम्बा सिंहभूमि (बिहार) और खेतडी व डारीबो (राजस्थान) मे पाया जाता है। भारत ताम्बे मे आत्मनिर्भर नही है।

भारत की अन्य खनिज सम्पत्ति है—क्रोम-४८ लाख टन, सोना व इल्मेनाइट, ३,५०० लाख टन तथा जिप्सम ९८ करोड़ टन। कोलार स्वर्ण-क्षेत्र (मैसूर) मे ३७ लाख टन स्वर्ण अभी शेष हैं। हूटी स्वर्ण खान (रायपुर) मे ५ लाख टन है। रामगिरि (आन्ध्र) मे भी सोना पाया जाता है।

कोमनाइट के संचित भण्डार बिहार आंध्र राजस्थान उड़ीसा महाराष्ट्र और मैसूर में हैं। असम केरल मध्यप्रदेश और मैसूर में सिलीमेनाइट पाया गया है। कोरंडम असम मध्यप्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अकेले मध्यप्रदेश में ४ लाख टन कोरंडम का संचित भण्डार है।

खनिज सम्पत्ति के चार वर्ग—भारत की खनिज सम्पत्ति ४ वर्गों की है —

(१) इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि भारत उनका निर्यात कर सकता है और इनके विश्व बाजार का नियन्त्रण करने की क्षमता रखता है। (२) इतनी मात्रा में है जिनका निर्यात करना सम्भव है। (३) वह खनिज-सम्पत्ति जिसमें भारत आज आत्मनिर्भर है। (४) ऐसी खनिज-सम्पत्ति जिसके लिये भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर है।

प्रथम वर्ग में खनिज लोहा टीटेनियम और अभ्रक है। दूसरे वर्ग की खनिज-सम्पत्ति है मैंगनीज बाक्साइट मैग्नेजाइट रिफ्रैक्टरी खनिज पदार्थ नमगिक अग्निसह स्टीटाइट, सिलिका जिप्सम ग्रेनाइट मोनाजाइट कोरंडम सीमेण्ट बनाने की सामग्री आदि। तीसरे वर्ग में आने वाली खनिज सम्पत्ति है कोयला-खनिज एलूमीनियम खनिज पिगमेण्ट सोडियम नमक पदार्थ और अलकली रेयर अर्थ बेरीलियम काच बालू नाइट्रेट जिरकन और फासफेट। इसी में भारत आत्मनिर्भर माना जाता है। चतुर्थ वर्ग में ताम्बा चाँदी निकल पेट्रोलियम गन्धक सीसा जस्त टीन क्लोराइड पारा टंगस्टन मोलीब्डेनम प्लाटिनियम ग्रेफाइट अस्फाल्ट और पोटाश हैं।

खानों व खनिज सम्पत्ति का संरक्षण—भारत के स्वाधीन होने पर भारत सरकार ने खानों और खनिज सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खान व खनिज नियमन व विकास अधिनियम (माइन्स एण्ड माइनरल्स रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेण्ट एक्ट) बनाया। यह कानून भारत सरकार को खान खोदने के विषय में नियम बनाने लाइसेन्स देने और अनुदान देने का अधिकार देता है। वर्तमान पट्टे और लाइसेन्स में संशोधन और परिवर्तन करने का भी अधिकार देता है।

सरकारी विभाग—२१ नवम्बर १९६३ से खान व धातु नाम से एक पृथक मन्त्रालय स्थापित कर दिया गया है। यह इस्पात मन्त्री के अधीन है। कोयला विभाग भी इसके अन्तर्गत आ गया है। यह मन्त्रालय निम्न कार्यालयों का नियन्त्रण करता है।

भारत का भू गर्भ सर्वेक्षण—(जीओलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया) इसकी स्थापना १९५१ में की गई। यह भारत का भू गर्भीय मानचित्र तैयार करता है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० (नेशनल मिनरल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि०) —१५ नवम्बर १९५८ को इसकी स्थापना की गई। यह सरकारी क्षेत्र की खानों—कोयला तेल और गैस को छोड़कर के उत्खनन का कार्य करता है।

भारतीय खान केन्द्र (इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स)—१९४८ में इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। यह भारत सरकार को परामर्श देने वाली विशेषज्ञों की संस्था है।

खनिज परामर्शदाता परिषद् तथा क्षेत्रीय खनिज परामर्शदात्री परिषद् (मिनरल एडवाइजरी बोर्ड एण्ड रीजनल मिनरल्स एडवाइजरी कौंसिल)—खनिज उद्योग के विषय में

सरकार को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना १९५३ मे की गई। यह आयात-निर्यात के वारे मे भी सरकार को परामर्श देती है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम—यह सरकारी क्षेत्र की कोयला खानो के उत्पादन का कार्य करता है।

भारत एल्युमुनियम कम्पनी लि०—इसकी स्थापना नवम्वर, १९६५ मे की गई तथा इसे कोयना (महाराष्ट्र) तथा कोरवा (मध्यप्रदेश) मे एल्युमुनियम परियोजनाओ की क्रियान्वित करने का काम सौपा गया है।

हिन्दुस्तान जिन्क लि०—इसका गठन जनवरी, १९६६ मे किया गया। इसे जावर माइन्स (राजस्थान), जिन्क स्मेल्टर, उदयपुर (राजस्थान) तथा जस्ता स्मेलटर, टुण्डू का कार्य सौपा गया है।

मैगनिज ओर इंडिया लि०—इसकी स्थापना १९६५ मे हुई। यह देश मे मैंगनीज के उत्खनन का कार्य देखती है।

हिन्दुस्तान कॉपर लि०—इसकी स्थापना १९६७ मे की गई तथा इसे देश मे ताँवे के उत्खनन एव विकास का कार्य सौपा गया।

नेविली लिगनाइट निगम लि०—इसकी स्थापना प्रतिवर्ष ३५ लाख टन लिगनाइट निकालने के लिए की गई है। इसमे से १५ लाख टन नेविली ताप विजलीघर मे लगेगा।

भारतीय कोयला परिषद (कोल कौंसिल आफ इंडिया)—यह कोयले के परिवहन, कोयला क्षेत्र की विजली, तकनीकी व्यक्तियो को प्रशिक्षण आदि कार्यो मे एकसूत्रता स्थापित करती है।

कोयला खान सरक्षण और सुरक्षा मंडल (कोल माइंस कंजरवेशन एण्ड सेफ्टी वोर्ड)—एक्ट १९६२ के अधीन इसकी स्थापना की गई। खान-मजदूरो की सुरक्षा का ध्यान रखना इसका काम है। कोयले की खानो मे आग लगने से रोकने का उपाय भी यह करता है।

केन्द्रीय प्रयोगशालाएं—तीन केन्द्रीय प्रयोगशालाए है—(१) पेट्रोलियम लेवोरेटरी जो खनिज पदार्थो और चट्टानो का विनिश्चय करती है, (२) पैंलाकोटोलाजिकल लेवोरेटरी अश्मीभूत-फासिल का कम्पन और निस्कम्प देखती है, (३) कैमीकल लेवोरेटरी विश्लेपणात्मक परीक्षण के लिए है।

खान शिक्षा—'इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड एप्लाइड जीओलाजी' की स्थापना १९२६ मे धनवाद मे की गई थी। खान इजीनियरिंग की यहा उच्च शिक्षा दी जाती है। खानो के विषय मे शिक्षा देने वाला एक स्कूल हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी मे है—इण्डिया स्कूल ऑफ माइन्स। वगाल इजीनियरिंग कालेज, शिवपुर (वगाल), इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनालाजी, खडगपुर और उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदरावाद मे भी खान शिक्षा की व्यवस्था है।

खनिज पदार्थो का विवरण :

कोयला—कोयले की खानें वगाल, विहार, उडीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश मे फैली हुई हैं। वगाल और विहार मे उपलव्ध कोयला सर्वोच्च कोटि का है। कोयले का ६०

भाग बगाल बिहार की खानो से मिलता है। झरिया और रानीगज मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। कुल उत्पन्न कोयले का ७५ प्रतिशत यहा पदा होता है।

कोयला २००० फुट गहराई तक पाया जाता है। सचित कोयले का अनुमान ११ ६७७ करोड टन है।

विकास—खनिज उद्योगो मे कोयले का उद्योग सबसे बडा है। इसका प्रारम्भ रानीगज म १८१४ मे हुआ था। रेलवे ने इसको प्रोत्साहन दिया। १८६८ मे कोयले का उत्पादन ५ लाख टन था। बारह साल बाद एक युग बीतने पर १८८० मे १० लाख टन हुआ। १८६० मे २२ लाख टन हुआ और उन्नीसवी सदी के समाप्त होने के साथ १६०० म यह ६१ लाख टन पर पहुच गया। इसके बाद की प्रगति इस प्रकार रही।

१६३०	२३८ लाख टन
१६४०	२५१
१६५०	३२०
१६५५	३८२
१६६०	६००
१६६३	६५६
१६६४	६२७
१६६५ ६६	७ ३
१६६६ ६७	६८६
१६६७ ६८ (लक्ष्य)	६७०

कारगली (हजारीबाग) मे कोयला धोने का कारखाना स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता १६ २५ लाख टन है

लिग्नाइट (भूरा कोयला)—नेविली लिग्नाइट परियोजना का एक काय लिग्नाइट कोयला ३५ ६ लाख टन निकालना है।

अगस्त १६६१ से दिसम्बर १६६७ तक १०४ लाख टन लिगनाइट तयार किया गया है जिसम से ८७ ६ लाख टन ताप विद्युत घरो को ८ ८ लाख टन उवरक कारखाना को तथा ७ ६ लाख टन घरेलू और औद्योगिक इन्धन के रूप मे उपयोग म लाया गया।

खनन उद्योग

१६६५ मे खान एव मजदूरो की सख्या

	खानें	मजदूर
कोयला	८११ ८४३	४०६ ७१३
अन्य खनिज	१६४८	२६६ ६६५

अन्य खानो की सख्या इस प्रकार थी—

अबरख—६१६ खनिज मैंगनीज—३२०, चूना—२६७ चीनी मिट्टी—११३ खनिज लोहा—३३३ सन खडी—८८ अग्निजीत मिट्टी—७५ बेराइट—६६ खडिया मिट्टी—६७।

१९६६ मे निकाले गए खनिज पदार्थों का मूल्य २४७ ०५ करोड रुपया था जबकि १९३१ मे केवल २३ ९० करोड रुपये के ही खनिज पदार्थ निकाले जा सके थे।

भारत मे प्रमुख खनिज उत्पादन

खनिज	इकाई	१९६०	१९६५	१९६६	१९६७ (अनुमानित)
बॉक्साइट	हजार टन	३८७	७०७	७५०	७५५
ताँबा	हजार टन	४४८	४६८	४८१	४४८
क्रोमाइट	टन	१,०६,८९६	५९,६८५	७७,७७०	९६,३९४
डोलोमाइट	हजार टन	६५०	९७७	१,०५४	१,०८१
सोना	कि० ग्रा०	४,९९५	४,०९३	३,७३६	३,०७२
जिप्सम	हजार टन	९९७	१,१६०	१,२९५	१,०८२
कच्चा लोहा	हजार टन	१६,६०९	२३,७३८	२६,७८३	२५,५४६
इल्मेनाइट	टन	२,४६,७५१	३०,०९२	३०,१६७	३८,३८८
कियानाइट	टन	२०,१५६	३७,४८१	६३,८२०	५०,७२३
शीशा (लेड)	टन	६,२४५	५,४९६	५,१५१	४,०४०
चूने का पत्थर	हजार टन	१२,९३५	१९,९७५	१९,८१०	१६,२१०
मैंगेनीज	हजार टन	१,४५२	१,६४७	१,७०७	१,५४४
अबरख	हजार टन	२९ २	२३ ८	२२ ८	१७ ६
जस्ता	हजार टन	९ ८	९ ६	८ ९	९ ५
*कुल मूल्य	(करोड रु०)	५२ ८	६६ ३	६९.०	७० ७

*इसमे प्राकृतिक तेल, आणविक धातु, कोयला तथा वे छोटी धातु सम्मिलित नही है जो खान सरक्षण एव विकास नियम १९५८ की परिधि से बाहर हैं। कुल मूल्य मे नमक का मूल्य भी सम्मिलित है।

भारत में खनिज तेल

प्रशासन ·

पैट्रोलियम व रसायन मन्त्रालय नाम से एक पृथक मन्त्रालय है। यह २१ नवम्बर, १९६३ को अस्तित्व मे आया। इसके अन्तर्गत निम्न विभाग हैं पेट्रोलियम उत्पादन, आपूर्ति वितरण पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पन्नो का मूल्य निर्धारण, अनुसधान, तेल-स्रोतो का विदोहन, रिफाइनरी की स्थापना, लुब्रीकेटिंग प्लाट की स्थापना के स्थान का निश्चय, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम अनुत्पादनो की बिक्री की व्यवस्था। (२) रसायन विभाग, रसायनिक उर्वरक, पेट्रो-केमिकल्स, सिनेथेटिक रबड, ड्रग्स, अन्य सूक्ष्म रसायन, प्लास्टिक, रग-द्रव्य, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, गन्धकाम्ल, साबुन व डीटरजेंट, कीट विनाशक एण्टीबायोटिक, शक्ति अलकोहल। (३) अन्य विषय · वक्फ एक्ट १९५४ (२९) दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट १९५५ व निष्क्रान्त वक्फ सम्पत्तियो और केन्द्रीय वक्फ परिषद् का प्रशासन।

भारत मे भू-तेल का विदोहन—१८२८ मे असम म सेना का एक प्रकृति-शास्त्री कोयले की खोज करता फिर रहा था। उसको तेल दिखाई दिया। परन्तु उसन इसकी उपेक्षा कर दी। कुछ साल बाद असम मे रेलवे लाइन ने जाई जा रही थी तब लटठ ढोन वाला एक हाथी जब जगल स लौटा ता उसका एक पाव तेल से सना हुआ था।

इसके सात साल बाद १८६६ म अमेरिका म तेल निकला। तब भारत म डिग्बोई म पहला तेल-कूप १८८६ मे खोदा गया। यहाँ तेल ६६२ फुट नीच मिला था। तबसे डिग्बोई से ५ ० ० ० टन तेल निकाला जा चुका है।

१८६० मे तेल साफ करने का कारखाना डिग्बोई म स्थापित हुआ। तेल क्षेत्र और तेल शोधक कारखाने पर स्वत्य असम आयल कम्पनी का था। इसे बाद मे बर्मा आयल कम्पनी ने खरीद लिया। यह विश्व व्यापी तेल उपक्रम बर्मा शेल आयल का एक भाग है।

१८८६ १६४७ के मध्य देश मे तेल ढूढन की कोशिश की गई तथा पजाब कोचीन व कच्छ म छान बीन की गई।

भारत के स्वाधीन होने के बाद सरकार का ध्यान इस उद्योग की ओर विशेष रूप स आकृष्ट हुआ। कश्मीर युद्ध के समय उसको पेट्रोल की परनिर्भरता का कटु अनुभव हुआ। फलत कई स्थानो म तेल की खोज शुरू हुई।

तेल सम्बधी कुछ तथ्य

(१) गुजरात—यहा ८७ लाख टन से अधिक तेल भण्डार का पता लगा है (२) १६४७ मे अपरिष्कृत तेल केवल ५ लाख टन उत्पन्न होता था इस समय प्रतिवर्ष ५७ लाख मी० टन तेल निकाला जा रहा है। (३) आज १ तेल शोधक कारखाने काम कर रहे हैं। चार क्षेत्र स निजी अचल म हैं। शेष राष्ट्रीय हैं। इनकी तेल शोधन क्षमता १७० लाख टन से अधिक है। (४) तेल-उद्योग से सम्बन्धित बातो के लिए सरकार ने प्राकृतिक गस आयोग भारतीय तेलशोध लि० और भारतीय तेल कम्पनी की स्थापना की है। इनकी स्थापना से विदेशी पेट्रोल कम्पनिया पर अकुश लग गया है। आयल इण्डिया लि म भारत सरकार का भाग ५० प्रतिशत है। यह कम्पनी कुल उत्पादन का आधा भाग नियत्रित करती है।

१६४८ म भारत म तेल की माग २३ लाख टन थी। १६६० म यह बढकर ७६ ५ लाख टन हो गई। तेल परामर्शदातृ समिति के अनुसार १६६६ म तेल की माग १६६ लाख थी। तेल की माग हर साल २० से ३ लाख टन बढ जाती है। इस हिसाब से १६७ मे तेल की माग बढ़कर २८० लाख से ३० लाख टन हो जायगी।

खोज—४ ० ० ० वगमील (१२ ६२ लाख वगमील मे से) सेडीमटी क्षेत्र है। यहा तेल मिलन की सभावना है।

१६५५ म भूतात्विक सर्वेक्षण म पेट्रोलियम विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद से तेल की पद्धतिबद्ध खोज की जान लगी। १६५५ म यह भूतत्व व प्राकृतिक गस निदेशालय म परिणत हो गया। तब यह प्राकृतिक स्रोत मत्रालय के अधीन था। अगस्त १६५६ म निदेशालय भूतत्व प्राकृतिक गस आयोग म बदल गया।

भारत सरकार के प्रतिनिधि मडलो ने तेल उद्योग का अध्ययन करने के लिए विभिन्न देशो की यात्रा की। रूमानिया अमरिका सोवियत रूस और प० जमनी व विशेषत भारत

बुलाये गये। तेल विकास की एक योजना रूसी विशेषज्ञो ने पेश की। यह योजना ३० करोड रु० की थी।

वैज्ञानिको और तकनीशियनो का दल बनाया गया। गहरी खुदाई (डीप ड्रिलिंग) के लिये रुमानिया से 'रिग' मगाया गया। सोवियत रूस के साथ साज-सामान के लिए करार किया गया। कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा ने गगा घाटी के सर्वेक्षण के लिए अपनी सेवा दी। इटालियन सरकार की 'इएन-आई' के साथ भी करार किया गया। फ्रेंच पेट्रोलियम इस्टीच्यूट से भी सहायता ली गई।

मार्च १९६७ तक ३३८०० वर्ग किलो मीटर का विस्तृत तथा १,१४,९६० वर्ग किलो मीटर का अर्द्धविस्तृत नक्शा तैयार किया गया।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग—आयोग के अन्तर्गत अप्रैल १९५७ से मार्च १९६७ तक ४८० कुए खोदे गए। इनमे से २८३ मे तेल एव गैस निकली। ९९ सूखे थे। १८ से पानी निकला। तथा ८० का परीक्षण जारी था।

भू-तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य तेल-कूपो से तेल निकालना और माग की जगह उसे पहुचाना भी है। आयोग ने तीसरी योजना मे उत्पादन शुरू किया। ३१ मार्च १९६७ तक तेल की उत्पादन एव सवद्ध तथा असवद्ध गैसो की सप्लाई क्रमशः ५९ ८ लाख टन एव २९११ ६ लाख क्यूबिक मीटर थी। आयोग ने इस समय तक कुल १८२ ३० करोड रुपया व्यय किया तथा तेल एव गैस से उसकी आमदनी ४८ ८ करोड रुपया हुई।

ऑयल इण्डिया लि०—इसकी अधिकृत पूजी ५० करोड रु० है। इसकी स्थापना १८ फरवरी, १९५९ को की गई। कम्पनी के चुकता शेयरो मे ३३⅓ प्रतिशत शेयर भारत सरकार के हैं। ५१० वर्गमील भूमि का पट्टा कम्पनी को दिया गया है। यहा वह उत्खनन कार्य कर सकती है जिससे (१) अपरिष्कृत तेल का उत्पादन और वढे, प्राकृतिक गैस का पता चले और उत्पादन हो, (२) सरकारी शोधक नूनमाटी (असम) तक तेल पहुचाने के लिए पाइप लाइन बनाई जाय, (३) एक पाइप लाइन बरौनी तेल भेजने के लिए बनाई जाय। इनकी वार्षिक क्षमता क्रमश ७५ से २० लाख टन वार्षिक हो।

२७ जुलाई, १९६१ को भारत सरकार और ब्रिटिश आयल कम्पनी के बीच पूरक करार हुआ। इसके अनुसार कम्पनी मे दोनो समान भागीदार हैं। आयल इण्डिया ने १५० तेल-कूप असम मे तैयार कर दिये हैं। इनमे से १०० से तेल निकलता है, ८ से गैस निकलती है, १८ शुष्क हैं और २० की परीक्षा अभी की जा रही है। १९६६ मे आयल इण्डिया ने कर देने के बाद ९ ५७५ प्रतिशत लाभाश दिया।

तेल शोधन—भूगर्भ से निकला तेल 'क्रूड' या अपरिष्कृत होता है। उपयोग के योग्य बनाने के लिए इसको परिष्कृत किया जाता है, नितारा जाता है। इसमे बहुत सी चीजें निकाली जाती है। जैसे ईंधन गैस (यह रोशनी करने व जलावन आदि कार्यों मे काम आती है), प्रोपेन, बूटाने, लाइट नयक्ष (मोटर गाडिया इसको बरतती है) हैवीनमक्ष किरासिन स्टोव आयल, लाइट गैस आयल (फरनेस आयल-डिजल आयल) हैवी गैस आयल, पैराफिन आयल, पिच (इसमे अस्फाल्ट पैदा होता है) आदि।

तेलशोधक कारखाने—१९५१ मे दो करार किए गये। एक स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल

कम्पनी से और दूसरा बर्मा शैल के साथ। बम्बई में इन्होंने रिफाइनरी की स्थापना करना स्वीकार किया। बाद में कालटैक्स के साथ भी इसी प्रकार का एक करार किया गया। इसने विशाखापतनम में रिफाइनरी लगाना स्वीकार किया।

फरवरी १९५९ में सरकारी इण्डियन रिफाइनरी लि० की स्थापना हुई। अक्टूबर १९५६ में रूमानिया के साथ करार हुआ और नूनमाटी गोहाटी (असम) में उसकी सहायता से रिफाइनरी लगाई गई। इसी प्रकार सोवियत रूस के सहकार से बरौनी (बिहार) में रिफाइनरी लगाई गई। सोवियत रूस की ही मदद से कोयाली (बड़ौदा) में रिफाइनरी का लगाना सम्भव हुआ। कोचीन में अमेरिकी कम्पनी फिलिप पेट्रोलियम कम्पनी की सहायता से रिफाइनरी लगाई जा रही है।

इस समय आठ रिफाइनरियों में से चार निजी अंचल में हैं

डिग्बोई—यह असम में है। यह १९०० से चालू है। असम आयल कम्पनी इसकी प्रबन्धक है। इसकी उत्पादन क्षमता ० ५ लाख टन है।

एस्सो—यह ट्राम्बे बम्बई में है। जुलाई १९५४ से यह उत्पादन कर रही है। वर्तमान समय में इसकी क्षमता २५ ० लाख टन है

बर्मा शैल—यह भी ट्राम्बे (बम्बई) में है। दिसम्बर १९५५ से उत्पादन कर रही है। वर्तमान क्षमता इसकी ३७ ५ लाख टन है।

कलटेक्स—विशाखापतनम (आंध्र प्रदेश) में है। अप्रैल १९५७ से उत्पादन कर रही है। वर्तमान क्षमता १० ५ लाख टन है।

नूनमाटी (गोहाटी, असम)—यह जनवरी १९६२ से उत्पादन कर रही है। पहले चरण में ७ ५ लाख टन इसकी क्षमता थी। दूसरे चरण में इसकी क्षमता १० लाख टन होगी।

बरौनी—जुलाई १९६४ से यह उत्पादन कर रहा है। प्रथम चरण में इसकी क्षमता १० लाख टन थी दूसरे चरण में २० लाख टन होगी और तीसरे चरण में ३० लाख टन वार्षिक होगी।

कोयाली—गुजरात (बड़ौदा) के समीप स्थापित इस रिफाइनरी ने १९६५ से कार्य आरम्भ कर दिया है। इसकी प्रथम चरण में क्षमता १० लाख टन थी दूसरे चरण में २० लाख टन और अंतिम चरण में [illegible]० लाख टन होगी।

कोचीन—इसकी उत्पादन क्षमता २५ लाख टन है। इसने १९६६ [illegible] काम प्रारम्भ किया।

इस प्रकार निजी अंचल की तेल-उत्पादन की क्षमता ७७ ५ लाख टन है। सरकारी अंचल की क्षमता (कोचीन रिफाइनरी समेत) १ [illegible] लाख टन होगी।

इण्डियन रिफाइनरी लि० का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। इसकी अधिकृत पूंजी ५० करोड़ रु० है। इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० में इसका विलय हो गया है।

हल्दिया—[illegible] लाख टन उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए अक्टूबर १९६७ में भारत ने फ्रांस और रूमानिया की संस्थाओं से सहयोग का समझौता किया।

मद्रास—इसका निर्माण कार्य जारी है तथा १९६९ के प्रारम्भ मे पूरा होने की आशा है।

वितरण

१९५९ तक तेल का बाजार मे बेचना सर्वथा निजी क्षेत्र था। जून १९५९ मे राज्य ने भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र मे प्रवेश किया। इण्डियन आयल कम्पनी को सरकार ने इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० मे विलय कर दिया। इसका दफ्तर बम्बई रखा गया। इसकी हिस्से की पूजी ७५ करोड रु० है। इस नवीन कार्पोरेशन के दो भाग है (१) तेल-शोधन (रिफाइनिंग) और (२) तेल-विक्रय। इन दोनो विभागो के दफ्तर क्रमश दिल्ली और बम्बई मे हैं।

पेट्रोकेमिकल उद्योग (भूतेल रसायनिक उद्योग)—गुजरात और असम मे गैस के निकलने और सरकारी तेल-शोधको से गेस के उत्पन्न होने के कारण पेट्रो-केमिकल उद्योग की इस देश मे नीव पडी। सरकारी अचल मे फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना की गई।

पाइप लाइन परियोजना—नहरकटिया-गोहाटी और गोहाटी बरौनी पाइप लाइन लगभग ७२० मील लम्बी है। इस पाइप लाइन का निर्माण आयल इण्डिया लि० ने किया है। यह एशिया मे दूसरे नम्बर की सबसे बडी पाइप लाइन है। इसका पहला भाग नहरकटिया से गोहाटी तक का भाग मार्च १९६२ मे पूरा हुआ। इसका दूसरा भाग जून, १९६३ मे पूरा हुआ। इस पाइप लाइन के निर्माण पर ४६-४७ करोड रु० व्यय का पूर्वानुमान था, परन्तु व्यय ४५ करोड ही हुआ। विदेशी विनिमय की आवश्यकता ब्रिटेन सरकार से कर्ज लेकर और बैंक आफ स्काटलैंड से मदद लेकर पूरी की गई। इसके अतिरिक्त कोइली-अहमदाबाद पाइप लाइन तथा बरौनी-कानपुर पाइप लाइन भी चालू हो गई है।

अनुसन्धान—वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने फ्रेंच पेट्रोलियम इस्टीच्यूट के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र मे अनुसन्धान के लिए समझौता किया है।

निर्यात—भारत से १९६७ मे पेट्रोलियम से बनी हुई १४ करोड ४० लाख मूल्य की वस्तुओ का निर्यात हुआ जबकि १९६६ मे यह निर्यात ८ करोड ७६ लाख रु० का था।

रसायनिक उर्वरक

अनाज का उत्पादन बढाने के लिए रसायनिक उर्वरक की आवश्यकता पर सरकार ने जोर दिया है। इस समय देश मे सरकारी और निजी दोनो क्षेत्रो मे ८ ४९ लाख टन (नाइट्रोजन) उर्वरक क्षमता उपलब्ध है।

चौथी योजना के अन्त तक देश मे नत्रजन खाद की उत्पादन क्षमता एव उत्पादन का लक्ष्य क्रमश २४ लाख तथा २० लाख टन रखा गया है। ३१ जनवरी, '६८ तक ८.४९ लाख टन क्षमता के कारखाने प्रारम्भ हो गए तथा १९ ४४ लाख टन क्षमता के कारखाने या तो निर्माणाधीन है या स्वीकृत हो चुके हैं।

३ सिंधिया स्टीम नवीगेशन क०	४६	३ ३६
४ जयन्ती शिपिंग कम्पनी	१८	३ ०७
५ ग्रेट ईस्टन शिपिंग कम्पनी	१६	१ ७६
६ इंडिया स्टीम शिप कम्पनी	१७	१ ४१
७ अन्य	८७	५ ६२

जहाजरानी नीति कमेटी (१९४७)—यह जहाजरानी सम्बन्धी नीति व लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्तमान लक्ष्य ये हैं १—निकट भविष्य में भारतीय जहाजरानी १० लाख जी० आर० टी० की हो। २—शत प्रतिशत तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा हो। ३—बर्मा सीलोन और अन्य पड़ोसी देशों के साथ का ७५ प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा हो। (४) समुद्री व्यापार का ५० प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाजरानी द्वारा किया जाय। (५) पूर्वीय व्यापार के उस भाग का जो जापानी जर्मन इटालियन आदि जहाजों के अधिकार में है ३ प्रतिशत भारतीय जहाजों से हो।

तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाजों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित रखा गया। इसके लिए लाइसेंस प्रणाली का सूत्रपात किया गया। इसका प्रशासन कोस्टल शिपिंग एक्ट १९४७ के अधीन है।

जहाजरानी नियंत्रण विभाग—जहाजरानी का सम्बन्ध अनेक मन्त्रालयों से है—परिवहन वाणिज्य व उद्योग रक्षा निर्माण और विधत। १९४६ में जहाजरानी महानिदेशालय की स्थापना बम्बई में की गई। इसका कार्यक्षेत्र यह है जहाजरानी की सम्पूर्ण समस्या अर्द्ध-सरकारी जहाजरानी निगम समुद्री कनवेंशन खलासियों का कल्याण समुद्री सर्वेक्षण दूर व गहरे समुद्र में जहाज ले जाने का लाइसेंस देना प्रकाश स्तम्भ की स्थापना आदि। मर्केन्टाइल मरीन डिपार्टमेंट के तीन मुख्य अधिकारी बम्बई कलकत्ता और मद्रास में नियुक्त किये गये हैं। जहाजरानी महानिदेशक के कार्यों में जहाजरानी सरकारी नीति को क्रियान्वित करना भी है। व्यापारिक नौ बेड़े की उन्नति और उसका विकास और विभिन्न बन्दरगाहों के कार्यों में एकीकरण करना भी इसके अन्तर्गत है।

व्यावसायिक जहाज विकास— मर्चेण्ट शिपिंग लाज एण्ड रूल्स पर भलीभांति अमल करने के ध्यान से भारत के समुद्र तट को तीन मर्केन्टाइल जिलों में बांटा गया है (१) बम्बई डिस्ट्रिक्ट (२) मद्रास डिस्टिक्ट और (३) कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट। विभाग का मुख्य काम है (१) जहाज की रजिस्ट्री करना (२) समुद्र की उपयुक्तता का सर्वेक्षण और (३) सर्टिफिकेट पाने के इच्छुक लोगों की परीक्षा लेना।

जहाजरानी विकास निधि—भारतीय जहाजी कम्पनियों को कर्ज देने की नीति सरकार ने स्वीकार की है। कर्ज देने का उद्देश्य यह है कि जहाजी कम्पनियां अपने जहाजों की संख्या बढ़ायें। १९६७ ६८ में ५० ७७ करोड़ रुपये के १६ ऋण स्वीकार किए गए।

व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम—यह १९५८ में बनाया गया। भारतीय जहाजों के लिए इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय पूंजी खोली गयी। राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद् और राष्ट्रीय जहाजरानी विकास निधि की स्थापना भी इसी ने विहित की है। भारत में जहाजों के बनाने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था भी इसी के अन्तर्गत है। अधिनियम

द्वारा माना गया कि वह जहाज भारतीय माना जायगा, जिसकी ७५ प्रतिशत पूजी के मालिक भारतीय होगे। यह भारतीय रजिस्टर के अधीन लाया जा सकता है।

ईस्टर्न शिपिग कार्पोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन को मिलाकर शिपिग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० की स्थापना २ अक्टूबर १९६१ को की गई। इस कम्पनी की अधिकृत पूजी ३५ करोड रु० है।

निगम की १९६६-६७ की कुल आमदनी २९.२८ करोड रु० थी (१९६५-६६ मे १७.१८ करोड रु०)।

१९६६-६७ मे शुद्ध लाभ ४.७ करोड रु० हुआ। गत वर्ष लाभ १.८७ करोड था। शिपिग कार्पोरेशन आफ इण्डिया का काम आठ खण्डो मे विभक्त है। जैसे, भारतीय पूर्वी तट सुदूर पूर्व, भारतीय पश्चिमी तट सुदूर पूर्व, भारत-आस्ट्रेलिया, मद्रास-सिगापुर, बम्बई-पूर्वी अफ्रीका, भारत-ब्रिटेन-यूरोप, भारत पोलैड और भारत काला सागर।

व्यापारिक नौ प्रशिक्षण (मर्चेण्ट नेवी ट्रेनिग)—भारतीय जहाज रानी की टन-वृद्धि के साथ-साथ इसके लिए आवश्यक व्यक्तियो के प्रशिक्षण का इन्तजाम किया गया है। इस समय प्राक् सागर व सागरोत्तर और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। इस समय ६ प्रशिक्षण सस्थान है।

डफरिन की स्थापना भारत के स्वाधीन होने के बाद की गई है। प्रशिक्षण केन्द्र इस प्रकार है (१) टी० एस० डफरिन (डेक-अफसरो के लिए प्राक् सागर प्रशिक्षण सस्थान है)। (२) नौ—अभियात्रिक प्रशिक्षण निदेशालय व नौ अभियात्रिकी महाविद्यालय, प्रथम मे नौ-अभियताओ के प्राक्-सागर तथा दूसरे मे डेक और अभियताओ के सागरोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

रेटिग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (रेटिग ट्रेनिग एस्टैब्लिशमेन्ट)—प्रशिक्षण जलयान भद्रा, मेखला व विशाखापतनम और नौलक्ष डाक और इजन-कक्ष के व्यक्तियो और भडारी रसोइयो को प्रशिक्षण देते है।

खलासियो और नाविको की भरती—बम्बई और कलकत्ता मे क्रमश जून, १९५४ और मार्च, १९५५ को नाविक रोजगार कार्यालय खोले गए।

राष्ट्रीय नाविक कल्याण परिषद (नेशनल वेलफेयर बोर्ड फार सी फेरियर)—१९५५ मे इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। नाविको के कल्याण-विषयक बातो पर यह सरकार को सलाह देती है।

जहाज निर्माण

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०—जहाज निर्माण का कार्य पहले सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने प्रारम्भ किया था। १९१९ मे कम्पनी ने काम शुरु किया लेकिन जहाज गोदी की नीव जून १९४१ मे रखी गई। नीव विशाखापतनम मे रखी गई। ८००० टन के जल-उपा जहाज के बनाने का काम जून १९४६ मे शुरु हुआ। मार्च, १९६२ मे भारत सरकार ने यह जहाज-गोदी खरीद ली और इस प्रकार हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० का जन्म हुआ। यह शिपयार्ड हर साल आधुनिक ढग के ४ जहाज बना सकता है। ३१ मार्च १९६८ तक यहा ४६

रांची म केन्द्रीय तगर अनुसधान केन्द्र और मद्रास (म०प्र०) म रेशम कीट प्रजनन केन्द्र स्थापित किये गये है। रेशम की नयी किस्म के कीड़े पैदा करने का यत्न के लिए रेशम कीड़ा प्रजनन केन्द्र थी नगर कुन्नूर और मालदा म किया जा रहा है।

मसूर म आल इण्डिया सरीकल्चरल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट है। जापानी रेशम-कीड़े और भारतीय रेशम के कीड़े के सयोग से नया रेशम का कीड़ा पैदा किया गया है। यहां रेशम के कीड़े पालन की व्यावहारिक और सद्धान्तिक शिक्षा भी दी जाती है। बरहामपुर और कलिम्पोग म भी दो मदूस सरीकल्चरल रिसर्च स्टेशन स्थापित किये गये हैं।

खादी और ग्रामोद्योग—खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी विकास करने के अतिरिक्त देहातों से बेकारी दूर करने का भी काम सौंपा गया है। खादी का व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए रिबेट प्रणाली शुरू की गई थी। पर अब यह बन्द कर दी गई है। खादी उत्पादन का काम सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। नई योजना म गांव के सूत कातने वाले और कपास उगाने वाले को कपड़ा देने की व्यवस्था की गई है। उनको कपड़ा लगभग नि शुल्क दिया जाता है। केवल सूत कातने वाले को ३० प्रतिशत मूल्य के हिसाब से कपड़ा दिया जाता है।

१६५६ म अम्बर चरखे का आविष्कार किया गया। इसम चार तकुए हैं। १६५६ ५७ म अम्बर चर्खा बनाने और इसका वितरण करने और इसको चलाने की शिक्षा देने का अभियान चलाया गया। अप्रेल १६६७ तक १३ करोड रु० की खादी तयार हुई। १६६६ ६७ म २७ ८४ करोड रु० की खादी तयार हुई थी।

ग्रामोद्योग म घानी का तेल नियामलाई हाथ के बने कागज कुम्हारी के बतन और रेशा उद्योग को इससे प्रोत्साहन मिला है। १६६६ ६७ म ग्रामोद्योग को ऋण एव अनुदान मिलाकर ७ १३ करोड रु की वित्तीय सहायता दी गई। १६६६ ६७ म ग्रामोद्योग का उत्पादन ६१ २६ करोड का था अप्रेल से दिसम्बर १६६७ म यह उत्पादन लगभग १७० करोड रु० का हुआ।

कुटीर उद्योग की विशेष वस्तुए

बीदरीका—बीदरीका धातु का नाम प्रसिद्ध है। जस्त और तांबा धातु के मेल से बने धातु पर यह काम किया जाता है। चांदी-सोने या इनके तारो से काम किया जाता है। इससे शृगार सिगरेट रखने की डिबिया ऐशट्रे गुलदस्ते चूना रखने की डिबिया फल प्याले आदि बनाये जाते हैं।

फुलकारी—पजाबी शाल का यह नाम प्रसिद्ध है। कसीदे का काम मलवरी रेशम से मोटे खद्दर के कपडे पर किया जाता है।

फिलिग्री—उडीसा की दस्तकारी का नाम फिलिग्री है। यह उद्योग उडीसा, हैदराबाद कश्मीर और प बगाल म भी प्रचलित है। चांदी के तारो से फिलिग्री का काम किया जाता है। इसकी नई चीजो म एशट्रे बुदे चूडियां पनडब्बा बटन और सिगरेट की डिब्बी फूलदान हार नस की डिब्बी सदृश चीजें बनाई जाती है।

हाथी दांत के काम—केरल हैदराबाद मसूर मद्रास प० बगाल, दिल्ली और राज

स्थान मे हाथी दात का काम होता है। यह दस्तकारी बहुत महत्व की है। हाथी दात की बनी देव मूर्तिया, खिलौने, कघिया, नावें आकर्षक होती है।

सींग का काम—उडीसा का सीग का काम प्रसिद्ध है। यह उद्योग अब केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्र और बगाल मे भी फैल गया है। पर इस उद्योग का मूल स्थान उडीसा है। मुख्य कच्चा माल भैंस की सीग है। हिरन और बारहसीगा की सीगो से भी चीजे बनाई जाती हैं।

निमल का काम—अदीलाबाद जिले के खिलौने निमल काम से प्रसिद्ध हैं। ये 'बुर्गु' और 'सकी' लकडी से बनाये जाते है। यह लकडी बहुत हल्की होती है। इस पर सरलता से काम हो सकता है। फल व सब्जी की ट्रे, चूडी, लैम्प, स्टैंड, सिगरेट की डिब्बी, महिलाओ के जूते की हील आदि तैयार किये जाते हैं।

धात्वीय कला का सामान—पालिश किये पीतल पर खुदाई और एनेमल का काम होता है। यह काम जयपुर, कश्मीर, मुरादाबाद, बनारस मे होता है। पीतल और ताँबे की मूर्तिया ढालकर बनाने का काम मदुराई और तजौर मे होता है। देवमूर्तियो का निर्माण इस कला की विशेषता है। फूलदान, मोमबत्ती-स्टिक, बोतल मूर्तिवती प्याले, चौडी पेंदी का गिलास, फल-तश्तरी आदि कलापूर्ण चीजे बनाई जाती है।

पच्चीकारी का काम—भारत का एक मशहूर कुटीर उद्योग पच्ची का काम है। आगरा, दिल्ली, फतहपुर सीकरी, मैसूर और केरल मे विकसित है। मैसूर मे टीक, पीतल, चाँदी और रगीन पत्थर आदि पर यह काम किया जाता है।

राज्यो के मुख्य कुटीर उद्योग

असम—असम का सबसे बडा और व्यापक कुटीर उद्योग हाथ की बुनाई है। शहतूत रेशम के लिए प्रसिद्ध है। इनके नाम हैं, एरी और मूगा। मूगा हल्का और भूरा रेशम है। यह गर्मियो मे पहना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरीय तट पर स्थित सुलकुची गाव मे कैटरपिलर (झिंगा) पाला जाता है। इसको सोम और सुआलू वृक्षो के पत्ते खिलाकर पाला जाता है। एरी मलाई-रग का रेशम है। यह रेशम सर्दी मे पहना जाता है। यह रेशम गरम होता है। इसका कीडा एरण्ड के पत्तो पर पाला जाता है। पर्वतीय जिलो मे वन जातियो द्वारा तैयार किया गया रेशम सबसे बढिया होता है। असम की चीजो मे से बाहर प्रसिद्ध है—चादर, मेजपोश, साडिया, मेखला और अलकार सामग्री।

बिहार—खादी इसका कुटीर उद्योग है। बिहार एक मात्र राज्य है, जहां मोती की सीपी से बटन बनाये जाते है।

गुजरात—चमडे की वस्तुए बनाने के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन, इस्पात और लोहे की वस्तुए भी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त रुई और ऊन की कताई-बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग है।

दिल्ली—दिल्ली का प्रसिद्ध उद्योग जरी और जरदोजी है। चमडा उद्योग, हाथी-दान का काम, बेंत और बांस की टोकरी, लकडी का काम, नकली अग बनाना, खोला हैट, सोना-चादी के जेवर, ताले बनाने, टीन के बर्तन, बटन बनाने, साबुन बनाना, सूत का गोला, गैस, लकड़ी के तराजू, डाक्टरी औजार, धातु का काम आदि कुटीर उद्योग हैं।

हिमाचल प्रदेश—हाथ के बने और बुने ऊनी व सूती कपडे प्रसिद्ध हैं। कीडे सारे राज्य म पाये जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश—आ ध्र प्रदेश के मुख्य कुटीर उद्योग इस प्रकार हैं तो दरी छपाई कलापूर्ण चटाई बुनने की कला बीदरी बनन रजत फिलीग्री हिमरू नस उद्योग काच की चूडिया और मनके बनाने का उद्योग तथा हाथी दात के काम का उद्योग आदि।

जम्मू कश्मीर—लकडी व रेशम का काम और सूती वस्त्र का काम इस प्रदेश का मुख्य कुटीर उद्योग है। यहा का टवीड गाबा पटटु पाइल दरी नमदा और शाल (नमदा और तून) प्रसिद्ध है। अखरोट की लकडी बेल और बिलो लकडी का फरनीचर लकडी पर कढाई जेवर और पत्थर पालिश इसके कुछ और उद्योग हैं।

मध्य प्रदेश—हाथकरघा इस प्रदेश का यापक उद्योग है। चदेरी और माहेश्वरी साडिया देश भर म प्रसिद्ध हैं। इसके अय उद्योग है चमडे का काम मिठाई फल सरक्षण पीतल-ताबे के बतन तेल और साबुन।

मद्रास—हाथ बुनाई के लिए यह राज्य प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्ध चीजें हैं साडी धोती तौलिया चद्दर और कोट का कपडा। अय महत्व के उद्योग हैं होजरी कम्बल दरी छपाई चमडा अलोह धातुओ के बतन खिलौना और धातु का सामान।

महाराष्ट्र—इस प्रदश का मुख्य कुटीर उद्योग कपडा बुनना है। अय उद्योग है लकडी का काम चमडे की वस्तुए बेंत का काम हाथी दात और सीग के काम जेवर बनाना आदि।

मणिपुर—इस प्रा त का सर्वाधिक महत्वपूण उद्योग हाथ से कपडा बुनना है।

मसूर—रेशमी साडियो के लिए यह प्रसिद्ध है। यहा के कम्बल दरी आदि प्रसिद्ध हैं। हाथी दात चदन की लकडी रोजवुड धातु पर पच्चीकारी का काम आदि भी हैं। अगरबत्ती व सुगधित द्रव्यो के कुटीर उद्योग भी प्रसिद्ध हैं।

उडीसा—वस्त्र-व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। फिलिग्री उद्योग भी इसका प्रसिद्ध है। सीग पर कढाई उडीसा की पुरानी कला है। इनके अतिरिक्त पत्थर कपडे और लकडी के बने मान के लिए भी प्रसिद्ध है।

पजाब—यह प्रान्त अपन कम्बलो और होजरी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रान्त के अय उद्योग हैं इजीनियरिंग का काम फरनीचर भन के सामान खस दरी धातु उद्योग।

राजस्थान—भारत भर म सर्वाधिक मात्रा म ऊन इस प्रा त म पदा होती है। हाथ बुनाई यहा का व्यापक उद्योग है। जयपुर का मीनाकारी का काम देश भर म विख्यात है। राजस्थान बधनी के लिए भी प्रसिद्ध है। सगमरमर के पत्थर का काम हाथी दात का काम चमडे का काम खिलौने व कागज की लुगदी के खिलौने आदि अय कुटीर उद्योग हैं।

केरल—हाथ करघ का वस्त्र बुनाई के उद्योग म केरल ने बहुत प्रगति की है। नारियल की जटाओ से अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। घास की बुनी चटाइया भी अच्छी होती हैं।

त्रिपुरा—वस्त्र-उद्योग के अतिरिक्त बेंत और बास का उद्योग प्रसिद्ध है। बढ़ईगिरी सुनारी और कुम्हारी उद्योग भी हैं। बीडी बनाने का उद्योग भी यहा चलता है।

उत्तर प्रदेश—बनारसी साडी सर्वत्र विख्यात है। यह रेशमी कपडे की होती है जिसमे सोने चादी के तारो से बुनाई होती है। मिर्जापुरी दरी भी प्रसिद्ध है। लखनऊ और फर्रुखाबाद मे कपडे की छपाई का उद्योग है। मुरादाबाद अपने वर्तनो के लिए मशहूर है। इसके अलकरण के वर्तन दूर-दूर तक जाते है। कॉच की चूडिया बनाना इस प्रान्त का एक कुटीर उद्योग है। फिरोजाबाद इस उद्योग का घर है। खुरजा के चीनी मिट्टी के वर्तन प्रसिद्ध हैं। देशी घी का केन्द्र है। टोकरी, चिक और वेत के फरनीचर बनाने के भी उद्योग है। आगरा मे जरी और नक्काशी का काम होता है। मुरादाबाद पक्की कलई, नजीमाबाद और अल्मोडा अपने कम्बलो, मेरठ खेल के सामान, वाराणसी सोने के तारो के काम तथा कानपुर चप्पलो के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ तालो और हाथरस कैंची-चाकू के लिए प्रसिद्ध है।

पश्चिमी बंगाल—बगाल का प्रसिद्ध कुटीर उद्योग है, रेशमी व सूती साडी और धोती। जूट और ऊन की बुनाई के अन्य उद्योग है —चाकू-कैंची, फरनीचर, सीग, लकडी और हाथी दात का काम, हाथ का कागज, शहद, चटाई बनाने, ताड-गुड बनाने के भी उद्योग है।

: १७ :

भारतीय कृषि

महत्त्व

भारत के राष्ट्रीय जीवन मे खेती का अत्यधिक महत्त्व है। कृषि प्रधान देशो मे भारत का स्थान अन्यतम है। भारत की राष्ट्रीय आय मे खेती का भाग सबसे बडा है। यह ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय देती है। ७० प्रतिशत भारतीय आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर है। भारत खाद्यान्न के मामले मे आत्मनिर्भर नही है।

मूँगफली और चाय के उत्पादन मे भारत का स्थान पहला है। लाख के उत्पादन मे भारत का लगभग एकाधिकार है। चावल, जूट, गन्ना, राई-तिल और रेडी-बीज के उत्पादन मे भारत का स्थान दूसरा है।

प्रशासन का ढाचा

अप्रैल, १९५७ मे खाद्य व कृषि मत्रालय की स्थापना हुई। खाद्य मत्रालय मे निम्न विभाग है (१) नागरिको और फौजियो के लिए अनाज का सम्भरण, (२) आयातित अनाज का राज्यो मे वितरण, (३) अखिल भारतीय दृष्टि से नीतियो मे एकसूत्रता लाना, नियोजन करना और पथ-प्रदर्शन करना, (४) अन्न-धान्य के आयात-निर्यात का नियमन करना।

कृषि विभाग निम्न काम करता है

(क) कृषि की पैदावार, (ख) कृषि-अनुसधान, शिक्षा और विस्तार (ग) पशु-पालन, मछली-पालन व वन विकास, (घ) फल-सब्जी की पैदावार और उद्योग, (ड) कृषि-अर्थ और साख्यिकी, (च) कृषि-विकास, (छ) सयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि सस्था और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ के साथ सम्पर्क रखना, (ज) रसायनिक उर्वरक का समाहरण और वितरण (झ) कृषि विपणन (ञ) सहकारिता, (ट) भूमि को कृषि योग्य बनाना, (ठ) छोटी सिंचाई, (ड) भूसरक्षण।

खाद्य व कृषि मत्रालय के अन्तर्गत ही 'सामुदायिक विकास' भी आ गया है।

भूमि का उपयोग

भारत की कुल भूमि ३२ ६८ करोड हेक्टर है। इसमे से ३२ ५६ करोड हैक्टर अर्थात् ९३ ५ प्रतिशत भूमि ही उपयोग मे आती है। इसमे से कृषिभूमि १५ ८० करोड हैक्टर है।

कृषि योग्य भूमि मे से कुल ३ ६५ करोड हेक्टर भूमि मे सिंचाई होती है। ३ योजनाओ मे हाथ मे ली गई मध्यम एव वृहद् सिंचाई योजनाओ द्वारा सिंचित भूमि मे ८५ करोड हैक्टर क्षमता की वृद्धि मार्च ६८ तक हुई।

भारत म किसान को सर्वाधिक आवश्यकता सिंचाई के लिए पानी की है। तीसरी योजना म सिंचाई को प्राथमिकता म लिया गया है।

मिट्टी

कृषि योग्य भूमि की मिट्टी चार किस्म की है (१) कछारी व बलुआ व जलोढ (२) लाल (३) काली और (४) कंकरीली या मखयारी (उडीसा)।

कंकरीली या मखयारी जमीन म ह्यूमस की मात्रा तो बहुत अधिक होती है किन्तु इसम अन्य रसायनिक तत्वो का अभाव होता है। कंकरीली या पथरीली जमीन मध्य भारत असम और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के साथ-साथ पाई जाती है। कछारी या बलुही भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है। गंगा के सपूर्ण मैदान म इसी किस्म की मिट्टी पाई जाती है। यह प्रायद्वीप के किनारे की पट्टी पर भी पाई जाती है। दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग म काली मिट्टी और इसके पूर्वी भाग म लाल मिट्टी है। सूती वस्त्र उद्योग के बड़े केन्द्र अहमदाबाद नडियाद शोलापुर नागपुर और बम्बई काली मिट्टी के क्षेत्र म हैं।

मौसमी फसल

भारत म फसलो की दो मौसम मुख्य हैं। एक खरीफ की फसल और दूसरी रबी की। खरीफ की फसल साधारणत दशहरे के बाद दिवाली तक घर घर घर म आ जाती है। रबी की फसल बसाख के एक पखवारे के बाद कटकर बाजार म पहुच जाती है। खरीफ की फसल म ये फसलें होती है धान ज्वार बाजरा मक्का कपास गन्ना तिल और मूगफली। दालें भी इसी समय होती है। रबी की मुख्य फसलें है गेहू चना जौ राई और सरसो।

उपज

भारत म प्रति एकड उपज कम है। साधारणत चावल प्रति एकड ४० किलोग्राम पदा होता है। गेहू की उपज ३२ कि० ग्रा० है। समस्त अनधान्यो की उपज को लिया जाय तो औसत २५० कि० ग्रा ही आता है। अनाज की मुख्य फसलें ये है (१) धान या चावल गेहू जौ ज्वार-बाजरा दालें चना गन्ना और मसाले। जोत की कुल जमीन म स तीन चौथाई म अनाज की खेती होती है। (२) तिलहन या तेल बीज मे निम्न फसलें हैं तीसी राई सरसो और तिल रेंडी के बीज मूगफली और नारियल (३) रेशे म कपास जूट, सन और पटसन है। (४) औषध व पेय—जैसे पोस्त सिनकोना तम्बाकू चाय और काफी।]

कृषि सांख्यिकी—कृषि मन्त्रालय म एक सांख्यिकी विभाग है। राज्यो और केन्द्र के परस्पर सम्बन्ध को भी यह सूचित करता है।

कृषि उत्पादन—गत दो वर्षों के अभूतपूर्व सूखे के पश्चात् सन १९६७ ६८ की अवधि म ९५० लाख मीट्रिक टन अन्न के उत्पादन होने से एक नया रिकाड स्थापित होने की सम्भावना है जो कि गत वष के उत्पादन से २ लाख मीट्रिक टन अधिक होगा और यह उत्पादन १९६४ ६५ के ८९ लाख मीट्रिक टन के पिछले रिकाड स्तर से भी ६० लाख मीट्रिक टन अधिक होगा। सन् १९६७ ६८ की अवधि म व्यापारिक फसलो का उत्पादन भी गत वष स काफी अधिक होने की सम्भावना है। ५ मुख्य तिलहनो का उत्पादन सन् १९६४

६५ के स्तर के आस-पास हो सकेगा। जूट का उत्पादन सन् १९६१-६२ मे हुई ६४ लाख गाठो के रिकार्ड स्तर तक होने की सम्भावना है और कपास का उत्पादन गत वर्ष से अधिक होने की आशा है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र मे काफी गिरावट आने पर भी गन्ने का उत्पादन लगभग गत वर्ष के ९५ लाख मीट्रिक टन के स्तर तक (गुड के रूप मे) रहने की सभावना है।

कृपि उत्पादन, क्षेत्रफल और उपज के सूचक अक
(आधार १९५०-५१ = १००)

	सूचक अक		
उपज वर्ष	क्षेत्रफल	प्रति एकड़ उपज	उत्पादन
१९५०-५१	१००	६००	१००
१९५५-५६	११३ ८	१०७ ३	१२२ २
१९६०-६१	१२१ २	११७ ५	१४२ ४
१९६१-६२	१२२ ४	११९	१४५ ५
१९६२-६३	१२३ ४	११८ २	१४५ ६
१९६३-६४	१२३ ७	१२१ ७	१५० ६
१९६४-६५	१२२.४	१२१.०	१४८ २
१९६५-६६	१२२.०	११८.३	१४४ ५

अनुसधान और शिक्षा

भारतीय कृपि-अनुसधान परिपद्, केन्द्रीय अनुसधान सस्थान् और जीवनोपयोगी वस्तु समितिया कृपि, पशु-पालन और वन विपयक-अनुसधान कार्य करती है। प्रथम की स्थापना १९२९ मे देश भर मे हो रहे कृपि अनुसधान-कार्य का पथ-प्रदर्शन और उसमे एकसूत्रता लाने के उद्देश्य से की गई थी। परिपद् की अपनी कोई अनुसधानशाला नही है, लेकिन यह केन्द्रीय और राज्यो के अनुसधान केन्द्रो मे अनुसधान का कार्य करवाती है। निर्यात होने वाली कुछ कृपि पैदावारो पर आधा प्रतिशत सेस लगाने से प्राप्त आमदनी इस सस्था की होती है। सरकार इसको अनुदान भी देती है।

भारतीय कृपि-अनुसधान संस्थान्—यह भारत की सबसे बडी कृपि-अनुसधान सस्थान् है। इसकी स्थापना १ अप्रैल, १९०५ को पूसा मे हुई थी। अब यह विहार मे भूकम्प आने के वाद से नई दिल्ली मे है। इसी का दूसरा नाम 'पूसा इस्टीट्यूट' है। सस्थान् को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। यह मौलिक और व्यावहारिक, दोनो प्रकार का अनुसधान कार्य करता है। यहा कृपि की स्नातकोत्तर शिक्षा भी दी जाती है।

केन्द्रीय धान अनुसंधान-सस्थान्, कटक—यह स्नातकोत्तर शिक्षा देने के अतिरिक्त धान-विपयक अनुसधान भी करता है।

केन्द्रीय आलू अनुसधान सस्थान्, शिमला—यह आलू की किस्मो का विकास कर रहा है, और इस वात की खोज कर रहा है कि यूरोप मे होने वाली शाक-सब्जी मे से कौन सी भारत मे हो सकती है।

केन्द्रीय शाक-भाजी रोपण केन्द्र, कुल्लू—यहा नई-नई सब्जिया उगाने की खोज हो रही है।

खाद और रसायनिक उवरक तयार करने का काम तो सतत किया जाता है। महत्वपूर्ण शहरों में नालियों और नालियों में मल और रात्रिमल का गंदा के खाद उपयोग किया जाता है। कम्पोस्ट खाद का उत्पादन बढ़ाया गया है। रात्रिमल का कम्पोस्ट बनाया जाने लगा है। हरी खाद के वितरण की योजना भी चल रही है। हड्डी मिला म हड्डी से खाद बनाई जाती है।

पौधा सरक्षण और टिड्डी दल का नियन्त्रण—इसके लिए एक संस्था है सरक्षण व भडार निदेशालय। यह प्रदेशों को तकनीकी सलाह देता है। फसल विनाशक कीट-पतगों के विनाश के लिए उपकरण और व्यक्ति भी प्रदान करता है। फसलों को रोग से भी बचाता है। १४ केन्द्रीय पौधा सरक्षण केन्द्र हैं।

गहन खेती जिला कार्यक्रम (इन्टेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम)—इसका प्रारम्भ १९६१ ६२ म हुआ। इसका उद्देश्य सिचाई की सुविधायें प्रदान करके खेती का उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ाना है। फोर्ड प्रतिष्ठान ने इसके लिए वित्तीय सहायता दी है।

सूरतगढ़ (राजस्थान) म १९५६ म रूस की सहायता से केन्द्रीय यान्त्रिक कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया। खेती की मशीन सोवियत रूस ने दी हैं।

बुडनी म ट्रैक्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्टेशन है। यहा ट्रैक्टर चलाने की शिक्षा दी जाती है। ऐसा दूसरा केन्द्र हिसार (हरियाणा) म है।

कृषि पुर्नवित्त प्रबन्ध निगम—इसकी स्थापना १ जुलाई १९६३ को की गई। किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। यह किसानों के लिए रिजर्व बैंक का काम करेगा। किसानों को कर्ज देकर कृषि-साधनों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है।

धान की गहन खेती करने के उद्देश्य से ४० जिले चुने गए हैं। यह पकेज प्रोग्राम कहलाता है। कपास तिलहन और अन्य व्यावसायिक फसलों के बारे म भी पकेज प्रोग्राम बरतने का विचार है।

अतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और तकनीकी सहायता—सयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संस्था व इसकी समितियों और एजेंसियों के साथ भारत सरकार का सबध है। अन्य अतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सक्रिय सहयोग बरता जाता है। खाद्य व कृषि सगठन एफ० ए० ओ० (फूड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गनाइजेशन) ने भारत को ३८ विशेषज्ञ दिये हैं। ये दूध वन मछली बागवानी पशुपालन और पौष्टिक आहार क्षेत्र के हैं। तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत ने अमेरिका से तकनीकी सहायता प्राप्त की है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भी तकनीकी सहायता मिली है। भारत द्वारा भी तकनीकी सहायता अन्य देशों को दी गई है।

भूख से मुक्ति अभियान—इसका यह कार्यक्रम है चारे को मिलाने के लिए सयन्त्र लगाना नौका बनाने की गोदी बनाना रसायनिक उवरक खेतो तक पहुचाने के लिए चलती फिरती यान योजनाओं म सुधार पौध सरक्षण सेवा प्रदान करना। एफ ए० ओ० के जरिये आक्सफोर्ड अकाल सहायक समिति ने विभिन्न योजनाओं के लिए ३०२५०० डालर की सहायता दी है।

कृषि विपणन

विपणन व निरीक्षण निदेशालय भारत मे कृषि विपणन-कार्य को देखता है। इसके कार्य हे (१) खेती की वस्तुओ का श्रेणीकरण और मानिकीकरण करना। (२) बाजार और बाजार के व्यवहार का नियम। (३) हाटीकरण का सर्वेक्षण और जाच करना। (४) कृषि विपणन सेवा के व्यक्तियो को प्रशिक्षण देना और (५) फलोत्पादन और फल-सरक्षण और विपणन का कार्य।

श्रेणीकरण और प्रतिमानीकरण—यह कार्य कृषि-उत्पादन (श्रेणीकरण व विपणन) अधिनियम १९५७ के अनुसार किया जा रहा हे। तम्बाकू, चन्दन का तेल, खसखस का तेल, आवला और अखरोट का श्रेणीकरण (आग मार्का) कराना अनिवार्य है। अन्तरीय व व्यापार की वस्तुओ की श्रेणीकरण करवाना स्वेच्छाधीन है। घी, तेल, मक्खन, रुई, अण्डा, आटा, चावल, गुड, फल, शहद आदि का श्रेणीकरण होता है। नागपुर और अन्य आठ स्थानो—गन्तूर, मद्रास, कोचीन, कानपुर, राजकोट, अमृतसर, कलकत्ता और बम्बई मे श्रेणी-करण और प्रतिमानीकरण के लिए केन्द्रीय नियत्रण परीक्षण शाला है।

मण्डियो का नियमन—नियन्त्रित और कानून-नियमित बाजारो की सख्या बढाने का सतत प्रयत्न जारी है। इस समय तक कुल सख्या १८१० मण्डियो का नियमन किया जा चुका है। असम केरल, और पश्चिम बगाल को छोडकर सभी राज्यो मे मण्डियो का नियमन लागू है।

फल उत्पादन और फल संरक्षण—विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय फल उत्पादन आदेश १९५५ के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह आदेश फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग के विकास के लिए अनिवार्य पण्य अधिनियम १९५५ के अधीन जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त देसी तथा विदेशी मण्डियो के लिए फल व सब्जियो के विपणन के विषय मे मार्ग-दर्शन दिया गया। आलोच्य वर्ष की अवधि मे १०५२ फर्मों ने फल तथा सब्जियो के उत्पादो के विनिर्माण के लिए लाइसेस किये।

कोल्ड स्टोरेज आदेश १९६४ के अन्तर्गत, जोकि जनवरी १९६५ से लागू किया गया था, ८५ घन मीटर या इससे अधिक की क्षमता वाले उन समस्त कोल्ड भण्डारो के लिए लायसेस लेना अनिवार्य कर दिया गया है जो फल, दूध, डेरी, उत्पाद, अण्डे, मछली, सब्जी व आलू आदि खाद्य पदार्थो का भण्डारण करते है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, ७८३ कोल्ड स्टोरो के लिए लायसेस जारी किये गये और ९९ मौजूदा कोल्ड स्टोरो के विस्तार की अनुमति दी गई। इस अवधि मे २२३ नये कोल्ड स्टोरो के निर्माण के लिए भी लायसेस जारी किये गये।

वन उद्योग—भारतीय वनो का कुल क्षेत्रफल ६ ९२ लाख वर्ग किलोमीटर है जो कुल भूमि का लगभग २२ प्रतिशत है। १९५२ की राष्ट्रीय वन नीति सकल्प के अनुसार वनो का विस्तार कुल ३३ ३ प्रतिशत भाग मे किया जाना हे। १९६२-६३ मे वनो से ५० ४३ करोड रुपये मूल्य की, १ ८९ करोड घन मीटर इमारती व दूसरी लकडी निकाली गई।

पशुपालन व दुग्धालय उद्योग

डेरी सयत्रो की दूध सीमा मे पशुओ के नियत्रित प्रजनन, पर्याप्त पोषण, प्रभावात्मक रोग नियन्त्रण, दाना-चारा, विकास आदि के द्वारा पशु विकास के सब मामलो की देख-भाल

१९६४-६५	३९०	१२३	२५३	१२४	८९०
१९६५-६६	३०७	१०४	२११	९८	७२०
१९६६-६७ (अन्तिम अनुमान)	३०४	११५	२४२	९९	७५०

१९६७-६८ में ९५० लाख मीट्रिक टन अनाज होने का अनुमान है। यह १९६४-६५ के रेकार्ड उत्पादन से ६० लाख मीट्रिक टन तथा ६६-६७ के उत्पादन से २०० लाख मीट्रिक टन अधिक होगा।

खाद्यान्न थोक भावों के सूचकांक

(आधार १९५२-५३=१००)

वर्ष	सब अनाज	चावल	गेहूं
१९६४	१३४	१३३	१२३
१९६५	१४५	१३५	१४०
१९६६	१६५	१६६	१४६
१९६७	२०७	२०१	१९८

खाद्यान्नों का आयात

(लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	गेहूं या आटा	चावल	माइलो	योग
१९६५	६५ ८३	७ ६३	९५	७४ ६२
१९६६	७८ ३३	७ ८७	१७ ३६	१०३ ५८
१९६७	६४ ००	४ ५३	१८ १९	८६ ७२

सर्वाधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किया गया।

भारतीय खाद्य निगम—१ जनवरी १९६८ को इसकी स्थापना की गई, इसकी गतिविधियां अभी तक दिल्ली और पांडीचेरी सहित १८ राज्यों में फैल गई हैं। खाद्यान्न, मूंगफली और मूंगफली के तेल की खरीद, संचयन और बिक्री, निगम के विविध कार्यों में सम्मिलित हैं। खाद्य विधायन के क्षेत्र में निगम ने बच्चों के लिए प्रोटीन से भरपूर पौष्टिक बाल आहार का उत्पादन शुरू किया।

भारत सरकार की भण्डारण क्षमता जनवरी ६८ तक ७० २५ लाख मीट्रिक टन थी इसमें से ११ ६२ लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोदाम इस समय तक निगम के अधिकार में आ चुके थे। निगम ने अपनी निधि से अभी तक कुल ८९ हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम तैयार कर लिए हैं।

१९६७-६८ के खाद्यान्नों की पैदावार की अच्छी सम्भावनाओं को देखते हुए देश में फलस्वरूप १९६८ के अन्त तक ३० लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का बफर स्टॉक तैयार किया जा रहा है।

खाद्यान्नों पर दिए जाने वाले बैंक उधार पर नियन्त्रण—१९६७-६८ में लगातार दूसरी बार फसल अच्छी होने से रिज़र्व बैंक के निदेश के अनुसार खाद्यान्नों की प्रतिभूति पर दिए जाने वाले ऋण की सीमा में ७५ से ६० प्रतिशत की कमी कर दी गई।

मूल्य नीति—अक्तूबर १९६४ म सरकार ने धान चावल गेहू चना ज्वार बाजरा और मकई के दाम १९६४ ६५ के लिए घोषित किये। धान की कुछ किस्मा के दाम ट्रान का काय राज्यो पर छोड दिया गया। ऊची किस्म के धान की कीमतें केन्द्र न तय की।

१९६६ ६७ व १९६७ ६८ के लिए सरकारा ने विभिन्न अनाजा के न्यूनतम सहायक मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए—

(रु० प्रति क्विटल)

अनाज	१९६६ ६७	१९६७ ६८	
धान	३५ ०० से ४० ००	४२ ०० से ४४ ००	
ज्वार	३८ ००	४२ ००	
बाजरा	४० ००	४२ ००	
मकई	३६	४२ ००	
गेहू (लाल)	४६ ५०	५२ ००	(गेहू उत्पादक प्रदेशा म)
गेहू (सफेद)	४३ ५०	५६ ००	
गहू (बढ़िया फार्मी)	५७ ५	६० ००	
गहू (लाल)	५२ ७५	५५ ००	अन्य राज्या म
गहू (सफेद)	५६ ७५	५९ ००	
गहू (फार्मी)	६० ७५	६३ ००	
चना	४३ ०	४६ ००	

कृषि मूल्य आयोग—कृषि की पदावार की कीमतो म स्थिरता लाने के उद्दश्य से इसकी स्थापना का गई। इसका काय मूल्य नीति निर्धारित करना और खेती की पदावार की वस्तुआ का मूल्य-ढांचा तयार करना है।

: १८ :

प्रसार एवं सूचना

समाचारपत्र

प्रारम्भ

आधुनिक काल के सामूहिक वृत्तपत्र जगत मे भारत ने २९ जनवरी, १७८० को प्रवेश किया। इस दिन 'बगाल गजट' प्रकाशित हुआ था। 'बगाल गजट' और 'कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर' की मूल प्रतिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता मे सुरक्षित है। बगाल गजट का बाद मे औरो ने अनुसरण किया।

भारतीय भाषाओ के पत्रो का जन्म राजनीतिक आवश्यकता को लेकर हुआ। अग्रेज इनके विरुद्ध थे। अत भारतीय भाषाओ के समाचारपत्रो को जीवित रहने के लिए भयकर सघर्ष करना पडा। उन्हे अपमान सहना पडा, दण्ड भी भोगना पडा और भारी बलिदान देना पडा। पत्रो पर नियन्त्रण करने के लिए १८७८ मे भाषाई समाचारपत्र अधिनियम (वरनाक्यूलर प्रेस एक्ट) बनाया गया। इडियन स्टेट्स एक्ट १९२२, आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट १९२३, इण्डियन प्रेस (इमर्जेंसी पावर्स) एक्ट १९३१, फारेन रेगुलेशन एक्ट १९३२ और इण्डियन प्रोटेक्स एक्ट १९३४ बनाये गए।

दूसरे महायुद्ध के समय सरकार ने पत्रो के साथ सहयोग बढाने के उद्देश्य से केन्द्र मे समाचारपत्र परामर्शदातृ समिति (प्रेस एडवाइजरी कमिटी) स्थापित की। पत्रो को इससे सलाहकार की स्थिति प्राप्त हो गई। सरकार ने इनकी शक्ति को माना।

मार्च, १९४७ मे समाचारपत्र कानून जाच समिति (प्रेस लॉज इन्क्वायरी कमिटी) की स्थापना की गई। प्रेस सबधी समस्त कानूनो की छानबीन करने का कार्य इसको सौपा गया। इसको उचित सिफारिशे करने के लिए भी कहा गया। मई, १९४८ मे अनेक घृणित और अवाछनीय कानून रद्द हो गए।

भारतीय पत्रो की आयु—इस समय देश मे १२ समाचारपत्र ऐसे है जो अपनी आयु के १०० वर्ष पूरे कर चुके है। इनमे से चार दैनिक है। इस समय चालू पत्रो मे सबसे पुराना समाचारपत्र गुजराती का 'मुबई समाचार' है जिसका प्रकाशन १८२२ मे प्रारम्भ हुआ तथा १८५५ मे यह दैनिक हो गया। अग्रेजी के टाइम्स ऑफ इडिया का प्रकान १८३८ मे प्रारम्भ हुआ जो कि १८५० मे दैनिक बन गया।

अन्य दो प्रमुख दैनिक "जाम-ए-जमशेद (गुजराती)", बम्बई (१८५३) "पायनियर (अग्रेजी)" लखनऊ (१८६५) है।

समाचारपत्रो की सख्या
(१९६२ ६७)

वप	*दनिक	साप्ताहिक	अय	क्ल
१९६२	५०९	२०७६	४८१२	७३९७
१९६३	५५२	२१६३	५ ७५	७७९०
१९६४	५६	२३११	५०२९०	८१६१
१९६५	५७४	२१४१	५१९१	७९०६
१९६६	६०१	२४ ३	५६,६	८६४०
१९६७	६४६	२६९६	५९७२	९३१५

*दनिक पत्रा म त्रिग्विमीव एव ग्रिग्विमीय पत्र भी सम्मिनित है ।

समाचारपत्र और भाषा

दश म १५ प्रमुख भापाआ के अतिरिक्त अय ,२ भाषाआ म समाचारपत्र प्रका शित हो रहे हैं । १९६७ म कुल ४७ भाषाआ म समाचारपत्र प्रकाशित हो रह थ । १९६२ म यह सख्या ४२ थी ।

दनिक समाचारपत्र १९ भाषाआ म प्रकाशित हा रह हैं ।

भाषा और अवधि के अनुसार समाचारपत्रो की सख्या
(३१ १२ १९६७)

भाषा	*दनिक	साप्ताहिक	अय	कुल १९६७	कुल १९६६
अग्रजी	६८	२४७	१६४३	१ ९५८	१८४,
हिन्दी	१९३	९५९	१ ६४	२२ ७	१ ९३१
असमी	३	६	१४	२,	३
बगला	१७	१३७	४३१	५८५	५५०
गुजराती	४२	१३२	३७२	५४६	५१४
कन्नड	३४	७८	११७	२२९	२४४
मलयालम	४४	४७	२१९	,१०	२७९
मराठी	५२	१९२	४ ६	५५०	४९०
उडिया	६	२०	५८	८	७०
पजाबी	१५	८	९३	१८८	१८८
सस्कृत	—	२	२९	३१	२९
सिन्धी	५	२२	३६	६,	६३
तामिल	२८	७३	,०२	८०,	४१४
तलगू	१५	७५	२२८	१४	,०२
उर्दू	९	,३३	९७	८६४	७८५
द्विभाषी	२३	१९४	४७८	६९१	६३९

वहुभाषी	२	३८	१२८	१६८	१६२
अन्य	९	१८	७२	९९	१०२
कुल १९६७	६४७	२,६९७	५,९७१	९३१५	—
कुल १९६६	६०१	२,४०३	५,६३६	—	८६४०

*दैनिको मे द्विदिवसीय एव त्रिदिवसीय शामिल है।

समाचारपत्रो की उक्त सख्या के अतिरिक्त ऐसे भी नियतकालिक प्रकाशन हैं जो कठोर अर्थ मे समाचारपत्र नही माने जा सकते, ऐसे प्रकाशनो की सख्या १९१७ मे २३६३ थी।

समाचारपत्र प्रसार सख्या

(सख्या लाखो मे) (१९६२ से ६७)

वर्ष	दैनिक	साप्ताहिक	अन्य	कुल
१९६२	५९ ३१	६८ ४७	१०४ ४२	२३२ २०
१९६३	५८ ३०	६६ ९२	१०९ ७४	२३४ ९६
१९६४	६१ ७०	७२ २७	१०८ १६	२४२ १३
१९६५	६८ ३१	७१ ९९	१०६ ५७	२४६ ९९
१९६६	६७ ५२	६९ ५८	११५ ३६	२५२ ३६
१९६७ (प्रारभिक)	६६ ८७	५९ ७३	९२ २७	२१८ ८७

इस प्रकार १९६२ की अपेक्षा १९६६ मे पत्र प्रसार सख्या मे ८ ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। दैनिक पत्रो की प्रसार सख्या मे ११ ६ की वृद्धि हुई जवकि साप्ताहिको की सख्या १ ५ प्रतिशत बढी।

(१९६७), मे पत्रो की सख्या सर्वाधिक १४५२ (महाराष्ट्र मे) थी। दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश (१४५६), तीसरे नम्बर पर प० वगाल (१०५०) तथा चौथे नम्बर पर दिल्ली (१०१६) रहा। दैनिक पत्रो मे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा केरल से क्रमश ११४, ९२, ६२, व ५० दैनिक निकलने है।

सर्वाधिक प्रसार सख्या वाले समाचारपत्र (१९६७)

दैनिक—आनन्द वाजार पत्रिका (वगाल)	१,९५,१२३
साप्ताहिक—कुमुदम (तमलि) मद्रास	३,२०,६५८
मासिक—कल्याण (हिन्दी) गोरखपुर	१,४९,३१४

१९६७ मे एक लाख से अधिक प्रसार सख्या वाले दैनिक—१६, साप्ताहिक—९ तथा अन्य नियतकालिक ३ थे।

देश के चार महानगरो से निकलनेवाले समाचारपत्रो की प्रसार सख्या कुल पत्रो की प्रसार सख्या के ५१ ८ प्रतिशत हे।

भाषानुसार प्रसार सख्या (हजार म)

भाषा	१९६५ दनिक	१९६५ साप्ताहिक	१९६५ अन्य	१९६५ कुल	१९६६ दनिक	१९६६ साप्ताहिक	१९६६ अन्य[1]	१९६६ कुल	१९६७ (अनुमित) दनिक	१९६७ (अनुमित) साप्ताहिक	१९६७ (अनुमित) अन्य	१९६७ (अनुमित) कुल
अग्रेजी	१९६४	१४३७	३ ६१	६१६२	१६७७	१ ८३	३ ५८	६११८	१७६६	६६५	७८०	५५५१
हिन्दी	६६०	१३७६	२३२०	४६८६	६७१	१४६१	२८६३	८६५५	६६०	१२२१	२ ०	८१८७
असमी	२८	६७	४४	१३६	२३	६०	१६	१०२	२५	५२	▬	८५
बगला	४३	३८२	४७४	१२८६	५००	३५५	६१४	१४६६	८६५	२६८	८३६	१२२८
गुजराती	५२४	४५०	६१२	१५८६	५३४	६	६७६	१५७३	८८२	२६६	६५१	१५२८
कन्नड	२४०	२३२	२१६	६८८	२४७	२६२	२०३	७१२	२०६	१६२	१८२	५८०
मलयालम	७७१	६१२	४७४	१८५७	७४६	६५२	५५०	१८४८	६८८	५२८	४५१	१५ ७
मराठी	६५८	३३५	५८४	१५७७	६२३	३५४	५८१	१५६८	६११	२७	८७८	१ ५
उडिया	८५	१५	१ १	१६१	७४	३१	७६	१८८	७७	२३	१८	१ ८
पजाबी	५६	११५	१५७	३१	६	११३	१२१	२८३	३८	१२८	१ ३	७
सस्कृत	—	—	११	११	—	—	१८	१८	—	१	८	५
सिन्धी	१७	५५	४३	११५	२२	५८	८१	१२१	२१	७४	१८	१०
तमिल	७२६	११११	६५२	२७६७	७०३	११६५	६६	२८६१	७५८	१०८८	१८६	२८८८
तलगू	२१५	३२४	३८०	६१६	२०६	३१८	५ ५	१०५६	१८५	२५८	२८१	७३५
उर्दू	३६०	४२५	८३५	१२४०	३४८	८०१	५८५	१२६५	३५०	३ ८	८६०	११८८
द्विभाषी	४८	१६६	५५१	७६८	२६	१८४	८६१	७०१	२८	११३	८३८	५७,
बहुभाषी	१	३०	१ ८	१६६	२	२८	१८५	१७५	१	१	६८	१३०
अन्य	७	२३	५८	८४	१०	३३	५१	६८	▬	३०	५५	८३
कुल	६८ ३	७१६६	६१६२	२४६६६	६७५२	६८४८	११५२६	२५२३६	६६८७	५६७३	६२२७	२१८८७

[1] दनिक पत्रों में द्विसाप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक एव अर्ध-साप्ताहिक भी शामिल है

एक लाख से अधिक प्रसार सख्या वाले पत्र

(अग्रेजी) इडियन एक्सप्रेस, (वम्बई, दिल्ली, मदुराई, विजयवाडा, वगलौर और मद्रास)	—३,९४,४८६
(मलायलम) मातृभूमि (कोजी कोडे और एर्नाकुलम)	—२,१२,६४२
(तमिल) थान्थी (मद्रास, मदुराई, तिरुचुरापल्ली, कोयम्वटूर)	—२,९८,५०१
(अग्रेजी) टाइम्स आॅफ इडिया (दिल्ली, वम्वई)	—१,९७,३४१
(मलायलम) मलियला मनोरमा (कालीकट, कोट्टायम)	—१,९५,१४३
(वगला) आनन्द वाजार पत्रिका	—१,९५,१२३
(अग्रेजी) स्टेट्समैन (कलकत्ता, दिल्ली)	—१,६६,१०५
(हिन्दी) नवभारत टाइम्स (दिल्ली, वम्वई)	—१,९१,१७९
(तमिल) मलईमुरासु (तिरुनेलवेली व ६ अन्य स्थान)	—१,५७,८३४
(वगला) युगान्तर (कलकत्ता)	—१,४३,२७९
(अग्रेजी) हिन्दू (मद्रास)	—१,४२,१००
(तमिल) दिनमणि (मदुराई, मद्रास)	—१,३४,७३५
(अग्रेजी) हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली)	—१,२०,५०५
(अग्रेजी) अमृत वाजार पत्रिका (कलकत्ता)	—१,१२,१४०
(हिन्दी) हिन्दुस्तान (दिल्ली)	—१,०५,७३५
(वगला) वसुमति (कलकत्ता)	—१,२०,५०२

समाचार समितियां :

इस समय भारत मे तीन प्रमुख समाचार समितिया दैनिक समाचार पत्रो को समाचार उपलव्ध करा रही है । ये है—पी० टी० आई०, हिन्दुस्थान समाचार और यू० एन० आई० । १९६७ मे समाचार भारती ने भी कार्य प्रारम्भ किया । इनके अतिरिक्त देश मे कुल २४ भारतीय एव १६ विदेशी समाचार समितियो की सेवाये भी पत्रो को उपलव्ध थी ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया (पी० टी० आई०) यह अग्रेजी मे सवाद देने वाली सवसे पुरानी अखिल भारतीय समाचार एजेसी है । स्वामी के० सी० राय द्वारा स्थापित एसोसियेटेड प्रेस के स्थान पर इसकी १९४७ मे स्थापना हुई । १९४८ मे इसमे कुछ सुधार किये गये । ब्रिटिश नियत्रित अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेसी रायटर से यह सम्वद्ध है और भारत मे उसकी सहायक के रूप मे काम करती है ।

पी० टी० आई० का स्वामित्व पत्र मालिको तक सीमित है । इसके स्वामियो के लिए यह जरूरी है कि वे पी० टी० आई० की समाचार सेवा ग्रहण करे । एशिया मे इस समय इसके मुकावले की दूसरी समाचार एजेसी नही है । १९९ समाचारपत्रो के अतिरिक्त रेडियो भी इससे समाचार लेता है ।

यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया (यू० एन० आई०)—इसकी स्थापना १९५९ मे हुई । इसका स्वामित्व भी पत्र मालिको तक सीमित है । इसके मालिको के लिए भी यह जरूरी है कि वे यू० एन० आई० की समाचार सेवा ग्रहण करे । आकाशवाणी भी इसकी सेवा लेती है ।

हिन्दुस्थान समाचार—कार्यकर्ताओं के सहकारी स्वामित्व की यह बहुभाषी समाचार समिति है। यह हिन्दी उर्दू अंग्रेजी उड़िया मलयालम मराठी गुजराती बंगला कन्नड पंजाबी आदि विभिन्न भाषाओं में संवाद भेजने का काम करती है। १९४८ में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को टेलीप्रिंटर संयंत्र पर स्थान दिलाने का श्रेय इसी को प्राप्त है। १९५७ में यह सहयोग समिति में परिणत कर दी गई। यह संचार की आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न है। सारे देश में आज विभिन्न भाषाओं के लगभग एक सौ पांच समाचार पत्र इसके ग्राहक हैं और देश में इसके एक हजार से भी अधिक संवाददाताओं का जाल बिछा हुआ है। आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रसारणों के लिए आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों को इसकी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसने हाल ही में प्रसंग लेखमाला के अन्तर्गत विभिन्न पत्रों को नेत्र सेवाएं देना प्रारम्भ किया है जिसे प्रतिशीघ्र युगवार्ता द्विदिवसीय बुलेटिन का रूप दिया जा रहा है।

समाचार भारती—एक पब्लिक कम्पनी के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसमें ६६ प्रतिशत अंशों (शेयरों) का स्वामित्व राज्य सरकारों का है। इसने १९६७ में काम प्रारंभ किया। यह भी बहुभाषी समाचार समिति है तथा हिंदी मराठी व गुजराती में सेवाएं दे रही है। इसकी सेवाएं आकाशवाणी को उपलब्ध हैं।

अन्य भारतीय समितियां हैं—इंडिया प्रेस एजेन्सी एसोसिएटेड न्यूज सर्विस (हैदराबाद) इण्डिया न्यूज एण्ड फीचर एलायंस (नई दिल्ली)।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस प्रकार हैं

१ रायटर २ एसोसियेटेड प्रेस आफ अमेरिका ३ एजेंसी फ्रांस प्रेस ४ तास न्यूज एजेंसी ५-यूनाइटेड प्रेस इण्टरनेशनल ६ नियर एण्ड फार ईस्ट न्यूज (एशिया) लि० ७ डूटा एजगटूर प्रेस (वेस्ट जर्मन नेशनल न्यूज एजेंसी) ८ टेलग्राफना एजेंसिजा नोवा (तन्जुग) ६ युगोस्लाविया इत्यादि। कुछ विदेशी एजेंसियां भारत को विश्व समाचार देती हैं और भारत के समाचार अपने देश के ग्राहक पत्रों को भेजती हैं।

प्रेस परिषद—भारत सरकार ने प्रेस परिषद अधिनियम (१९६५) के अन्तर्गत ४ जुलाई १९६६ को प्रेस परिषद की स्थापना की। इस परिषद का उद्देश्य भारत में पत्र स्वतन्त्रता की रक्षा करना एवं समाचार-पत्रों के स्तर को सुधारना है। यह समाचारपत्रों और पत्रकारों के लिए समाचार संहिता तैयार करने में सहायता देगी।

इस परिषद के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जे आर० मधोलकर हैं। इनके अतिरिक्त २५ सदस्य हैं जो संपादकों श्रमजीवी पत्रकारों, पत्र व्यवस्थापकों मालिकों तथा अनुभवी व्यक्तियों में से हैं।

१७ जनवरी १९६८ को भारत सरकार ने प्रेस परिषद की सलाहकार समिति सूचना और प्रसारण मंत्री श्री के० के० शाह की अध्यक्षता में नियुक्त की। समिति में राज्य सभा के सात तथा लोकसभा के १२ सदस्य हैं।

समाचारपत्र सलाहकार समिति—इसकी स्थापना जुलाई १९६५ में सूचना एवं प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में की गई। समाचारपत्रों के लिए अखबारी कागज तथा मुद्रण यंत्रों की उपलब्धि और आयात सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए इसका गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में ६ अधिकारी ५ प्रतिनिधि—भारतीय

तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज के, दो प्रतिनिधि भारतीय भाषा समाचार पत्र सघ के तथा ४ गैर सरकारी प्रतिनिधि है।

लघु समाचार पत्र जाच समिति—श्री रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर की अध्यक्षता मे गठित इस समिति ने छोटे समाचारपत्रो की कठिनाइया दूर करने के सबध मे १९६५ मे अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने समिति के १४५ सिफारिशो मे से १११ पर निर्णय लिया है। देश के समाचारपत्र जगत मे १९६७ मे ६२ सयुक्त स्वामित्व सस्थान थे, जबकि १९६६ मे इनकी सख्या २७ थी।

एक से अधिक स्थानो से निकलने वाला दैनिक २४ सस्थाओ द्वारा सचालित थे तथा इनके कुल अग ६७ थे।

७६ समाचारपत्र राजनैतिक दलो द्वारा सचालित थे। इसमे से काग्रेस के ३५, कम्युनिस्ट पार्टी के २१ तथा प्रसोपा के ४ थे।

१२२ दैनिक समाचार पत्रो के कुल २११५ सवाददाता के जिनमे से ३२ देश के वाहर थे।

२५६ दैनिको मे २५२० सम्पादक तथा सबधित कर्मचारी थे।

चलचित्र उद्योग

भारत मे सिनेमा की प्रगति—१९०३ मे सर्वप्रथम श्री हीरालाल सेन ने एक छोटी फिल्म बनाई थी। इसके साथ भारत मे सिनेमा उद्योग का सूत्रपात हुआ। फिल्मे प्रारम्भ मे मौन होती थी। सवाक् चित्रपट का आरम्भ १९३१ के वाद हुआ। इसके वाद मौन फिल्मे बननी बद हो गयी। पहली वोलती फिल्म 'आलम आरा' का निर्माण इम्पीरियल फिल्म क०, बम्बई ने किया था।

आज भारत विश्व भर मे सर्वाधिक फिल्म बनाता है। अमेरिका भी इसमे पीछे छूट गया है।

सयुक्त राष्ट्र सघ की वार्षिकी, १९६५ के अनुसार १९६२ मे कथा-चित्र वनाने मे हालीवुड का स्थान विश्व मे पाचवा था।

भारतीय फिल्म उद्योग (उत्पादन, प्रदर्शन और परिष्कार) मे लगभग ८४ करोड रु० की पूजी लगी हुई है। लगभग एक लाख व्यक्ति इस उद्योग मे लगे हुए है—स्टूडियो मे १५०००, सिनेमा मे ५०,००० और प्रयोगशालाओ मे ५०००। शेष वितरण और शाखाओ मे काम कर रहे है। पूजी विनियोग की दृष्टि से सरकारी सर्वे के अनुसार .० परिमाण के उद्योगो मे फिल्म उद्योग का स्थान दूसरा है। वेतन देने की दृष्टि से यह ।· है और लोगो को आजीविका देने के विचार से उद्योगो मे इसका छठा स्थान है।

फिल्म-उत्पादन के मुख्य केन्द्र है वम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ५० प्रतिशत अधिक चित्रो का निर्माण वम्बई मे होता है। मद्रास और कलकत्ता मे २० से २५ प्रति· फिल्मे वनाई जाती ह। परिष्कार करने की प्रयोगशालाओ की सख्या २९ है। इनमे से पश्चिमी क्षेत्र मे, ६ दक्षिणी क्षेत्र मे और ५ पूर्वी क्षेत्र मे स्थित हैं।

वृत्त लघु फिलमो का सवसे वडा वितरक और आपूरक सूचना व प्रसार म लय का फिलम डिवीजन है। भारत मे विदेशी फिल्मे भी दिखाई जाती है। इनका वित विदेशी फिल्म निर्माता ही करते है।

फिल्म साधारणत हिंदी बगला तमिल, तेलगू मराठी और गुजराती भाषा म बनाई जाती हैं। असमिया मलयालम उडीया और पजाबी व भोजपुरी म भी कभी-कभी बनाई जाती हैं।

हिंदी फिल्मो का प्रचार सारे देश म है। हिंदी फिल्म बनाने का मुख्य केन्द्र बम्बई है। भारत से बाहर भी हिन्दी फिल्म काफी चलती हैं।

भारत सरकार का नियत्रण—सूचना व प्रसार मत्रालय के अधीन एक विभाग फिल्म विभाग है। फिल्म विभाग मुख्यत वृत्त चित्र बनाता है। हर वर्ष यह १५० फिल्म बनाता है जो अग्रजी तथा १२ भारतीय भाषाओं म बनायी जाती हैं।

वृत्त चित्र—अप्रल से दिसम्बर ६७ की अवधि म ५४ फिल्म बनायी गई।

समाचार चित्र—अप्रल स दिसम्बर ६७ के बीच ३६ समाचार चित्र बनायी गई। दिसम्बर १९६७ तक भारतीय समाचार चित्रों की कुल सख्या १००३ तक पहुच गई।

बाल चित्र—भारत सरकार ने बालको के मनोरजन के लिए फिल्म बनाना प्रारम्भ किया है। इसके लिए बाल चित्र समिति की स्थापना १९५५ म की गई है। यह समिति बच्चो के लिए उपयुक्त चित्रो का निर्माण करती है व उनका प्रदशन करती है। समिति को भारत सरकार से वार्षिक अनुदान मिलता है। कुछ राज्यो ने भी बाल चित्र आदोलन प्रारम्भ किया है। समिति के बनाये चित्र जलदीप को १९५७ म वेनिस म आयोजित अतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह म बच्चो की फिल्मो म सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। समिति के दिल्ली की कहानी तथा ईद मुबारक चित्रो को १९६० म राजकीय पुरस्कार म योग्यता प्रमाण पत्र मिले। १९६१ म सावित्री नामक चित्र को भी ऐसा ही पुरस्कार मिला। सावित्री को १९६२ के वनीवर अतर्राष्ट्रीय चल चित्र समारोह म भी योग्यता का प्रमाण पत्र मिला। १९६३ म पाँच पुतलियों को अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र मिला। १९६५ म यह पुरस्कार एडवेंचर आफ ए शूगर डाल को प्राप्त हुआ। १९६६ म असे को तथा रगीन कार्टून को प्रधान मत्री का स्वर्ण पदक तथा डाकघर को द्वितीय बाल फिल्म अन्तर्राष्ट्रीय समारोह म गोल्डन स्यू का पुरस्कार मिला।

सेंसरशिप आफ फिल्म—सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेंसर का गठन १९५१ म किया गया। इसके सेंसर करने के बाद ही कोई फिल्म भारत भर म दिखाई जा सकती है।

प्रत्यक्ष सेंसर बोर्ड के आठ सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति सरकार करती है। इनका मुख्यालय बम्बई म है व क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई कलकत्ता और मद्रास म हैं। इसकी जाच समिति प्रत्येक फिल्म की जाच करती है। बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध फिल्म निर्माता सरकार म अपील कर सकता है।

प्रमाणीकरण करने के समय यदि बोर्ड किसी फिल्म को यू चिन्ह दे तो इसका अर्थ है कि यह फिल्म भारत म बिना रोक-टोक के दिखाई जा सकती है। जो फिल्म केवल वयस्क लोगों के लिए होती है उसको ए चिह्न दिया जाता है। यदि किसी फिल्म या कोई भाग आपत्तिजनक माना जाता है तो उस भाग के बाद आर गुणा का चिह्न लगा दिया जाता है।

१९६७ म बोर्ड ने २३२८ फिल्मो की परीक्षा की। इनम म ७८ फिल्म पुनरीक्षण समिति को भेजी। बोर्ड ने १२६८ फिल्मो फिल्मों को यू का प्रमाण पत्र दिया और १२३

को 'ए' का। भारतीय फिल्मो की सख्या क्रमश ११४५ और १४ रही। १११० फ़िल्मो को बोर्ड ने मुख्यत शिक्षाप्रद बताया। २६ फिल्मो को प्रमाण पत्र देने से इन्कार किया।

चलचित्रो को राजकीय पुरस्कार—१६५४ मे केन्द्रीय सरकार ने फिल्मो को राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत करने का निश्चय किया। अच्छे फिल्म-निर्माता, निर्देशक और अभिनेता को भारतीय और राज्य स्तर पर राज्य पुरस्कार दिये जाते है। अच्छी और प्रतिमाणित फिल्मो को प्रशसा प्रमाण पत्र दिये जाते है। १६६६ मे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता मे ७६ कथा चित्र शामिल हुए। हिन्दी फिल्म 'तीसरी कसम' को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ चित्र घोषित किया गया।

फिल्म वित्त निगम—इसकी स्थापना बम्बई मे १६६० मे की गई। इसकी अधिकृत पूजी १ करोड रु० है। ५० लाख रु० के शेयर भारत ने लिये है। निगम से ऋण प्राप्तकर निर्मित किए गए चित्रो की सख्या १६६७ तक ३८ थी।

फिल्म इस्टीच्यूट आफ इण्डिया—इसकी स्थापना पूना मे अप्रैल १६६० मे हुई। यहा फिल्म मे अभिरुचि रखनेवालो को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। फिल्म निर्माण, फिल्म-अनुसन्धान, कथा-लेखन, फिल्म फोटोग्राफी, रिकार्डिंग, ध्वनि इजीनियरिंग व सम्पादन कला आदि का यहा प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम दो तथा तीन साल का है। इस्टीच्यूट की अपनी प्रयोगशाला है और अपना स्टुडियो भी। विदेशी विशेषज्ञो की सहायता इसको प्राप्त है। इस्टीच्यूट ने अपने आपको 'इण्टरनेशनल लायजा सेंटर आफ सिनेमा एण्ड टेलीविजन स्कूल' से सम्बद्ध करा लिया है, अत यहा शिक्षा का प्रतिमान अन्तर्राष्ट्रीय है। इस्टीच्यूट, सगीत नाटक अकादमी, मद्रास और अनेक राज्य छात्रो को छात्रवृत्तिया देते है।

२७ अगस्त ६७ को इसका पाचवा दीक्षान्त समारोह हुआ और ५२ छात्रो को डिप्लोमा दिया गया। १ जुलाई ६८ को इसका आठवा शिक्षण सत्र प्रारभ हुआ।

१६६७ मे विभिन्न भाषाओ मे ३३३ कथाचित्रो (प्रसारण के लिए प्रमाणित) का निर्माण हुआ हिन्दी ८५, तमिल ६५, तेलगू ६१, मलयालम ३६, बगाली २५, कन्नड २४ मराठी २०, गुजराती ३, पजाबी ५, असमी २, उडिया २, कोकणी १ तथा सिन्धी १।

राष्ट्रीय फिल्म सग्रहालय—राष्ट्रीय फिल्म सग्रहालय की स्थापना फरवरी, १६६४ मे की गई। इसका उद्देश्य कला की दृष्टि से फिल्मो का अध्ययन और अनुसधान करना है।

सग्रहालय इस समय अस्थायी रूप से पूना मे है। इसके पास २१६ भारतीय कथाचित्रो और ७६ लघु फिल्मो का सग्रह हो गया है। सग्रहालय मे ३३ विदेशी कथाचित्र तथा ६ विदेशी लघु फिल्मे भी है। यह इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ फिल्म आर्चीव का सदस्य है। अत यह अन्य सग्रहालयो से महत्वपूर्ण फिल्मो का विनिमय कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह—भारत मे दो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह १६५२ और १६६१ मे हुए। १६५२ के समारोह मे २२ देशो ने और १६६१ के समारोह मे ३६ देशो ने भाग लिया। ३६ फीचर फिल्मे और ५६ छोटी फिल्मे दिखाई गईं। तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रतियोगात्मक आधार पर जनवरी, १६६५ मे दिल्ली मे हुआ। बम्बई कलकत्ता और मद्रास मे फिल्म सप्ताह मनाया गया। इसमे तीस देशो ने भाग लिया। प्रतियोगिता शून्य क्षेत्र मे १७ देशो ने भाग लिया। भारत की 'हकीकत' फिल्म को भी इसमे आमन्त्रित किया गया था।

सर्वोत्तम फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया। द्वितीय पुरस्कार रजत मयूर' का था। सर्वोत्तम अभिनेता या अभिनेत्री का कास्य मयूर' भेट किया गया।

१९६५ म भारत से बाहर हुई फिल्म प्रतियोगिताओ म भी फिल्मो ने भाग लिया। इसम निर्जन साकेत चारुलता वापुरुष व महापुरुष और आरोही (बगाली), हमारा घर (हिन्दी) और शेक्सपीयर वाला (अग्रेजी) को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत के अन्य वस्तात्मक चित्रो को भी १९६५ म अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए—एण्ड माइल्स टु गो आवर नेशनल गेम हाकी बन ८ माउण्टेन विजिन और फोक डासेज आफ इण्डिया।

निर्यात - दी इण्डियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि० की स्थापना सितम्बर १९६३ म हुई। इसका उद्देश्य फिल्म बनाना खरीदना और निर्यात करना है। विदेशो म भारतीय फिल्मो के प्रदर्शन की व्यवस्था भी यह करता है। इस कार्पोरेशन की पूजी १ करोड रु है। फिल्म उद्योग और सरकार दोनो इसके हिस्सेदार है। इसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स म १५ सदस्य है। कार्पोरेशन विदेशो म फिल्म के बाजार की स्थिति का अध्ययन करता है तथा व्यापार मिशन भेजता है। भारतीय फिल्मो के निर्यात के लिए आवश्यक सामग्री का सकलन करता है।

१९६६ के पहली ६ माही म कार्पोरेशन ने १ १२ करोड रु० की विदेशी मुद्रा कमायी।

१९६६ म ३१ ०१ लाख रुपय की कच्ची ४६ २६ लाख रुपये की तैयार फिल्म एव ४८ १६ लाख रुपय के प्रोजेक्शन उपकरणो का आयात किया गया।

आकाशवाणी

देश म आकाशवाणी पूर्णत सरकारी विभाग है। इस समय आकाशवाणी की दृष्टि से देश को चार अचलो—उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम म विभक्त किया गया है। देश म कुल ३५ मुख्य तथा १७ सहायक केन्द्र है।

आकाशवाणी के कार्यक्रमो म लगभग आधा समय सगीत को दिया गया है। शेष समय म समाचार समाचार दर्शन वार्ता वाद विवाद रूपक नाटक आदि प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी का प्रमुख कार्यक्रम विविध भारती है जो प्रतिदिन १२॥ घटे प्रसारित किया जाता है एव ३१ केन्द्रो पर मध्य तरग पर सुना जा सकता है।

समाचार सेवा—प्रतिदिन विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओ म १७९ समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते है। इनम स ४४ विदेशो के लिए होते हैं। अग्रेजी और हिन्दी म ६ बुलेटिन प्रसारित होते हैं जिन्हें प्रादेशिक केन्द्र रिले करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओ म कुल ४१ बुलेटिन दिल्ली स प्रसारित होती हैं। देश के लिए समाचार बुलेटिन १८ और विदेशो के लिए १९ भाषाओ में प्रसारित होते है।

आकाशवाणी को अपने सवाददाताओ के अतिरिक्त पी०टी०आई० यू०एन०आई० हिन्दुस्थान समाचार व समाचार भारती स समाचार प्राप्त होते हैं।

२४ केन्द्रो स प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं। इन केन्द्रो से प्रतिदिन १८ भाषाओ और २४ आदिवासी बोलियो म ७८ समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिनो के लिए आकाशवाणी को अपने सवाददाताओ के अतिरिक्त हिन्दुस्थान समाचार स समाचार प्राप्त होते हैं।

रेडियो न्यूजरील — प्रत्येक प्रादेशिक समाचार युनिट सप्ताह मे एक वार प्रादेशिक भाषाओं में और कहीं-कहीं अंग्रेजीमे भी न्यूजरील प्रसारित करता है। समाचार समीक्षा तथा इससे सम्बन्धित कार्यक्रम तथा 'स्पॉट लाइट' भी प्रसारित किए जाते हैं।

आकाशवाणी के इतिहास मे १९६७ का वर्ष महत्वपूर्ण था। इस वर्ष आकाशवाणी के लिए ९ सूत्री आचार संहिता को भी अन्तिम रूप दिया गया। नवम्बर १९६७ से बम्बई, पूना और नागपुर से आकाशवाणी केन्द्रों मे व्यापारिक प्रसारण भी प्रारम्भ की। १९६७ के अन्त तक देश मे अनुमानत ७९ लाख रेडियो सेट थे।

दूरदर्शन (टेलीविजन)

भारत मे दूरदर्शन कार्यक्रम सितम्बर १९५९ से दिल्ली मे प्रारम्भ हुआ। यह कार्यक्रम दिल्ली मे २५ मील की परिधि मे देखा जा सकता है। दूरदर्शन केन्द्र से स्कूल कार्यक्रम सहित प्रति सप्ताह २१ घंटे के कार्यक्रम होते हैं। इस समय २१७ टेलीक्लब हैं जिसकी सदस्य संख्या १००० तथा दर्शक संख्या २५००० है। ग्रामीण क्षेत्रो मे ६७ के अन्त तक २९७ सामुदायिक प्रदर्शन केन्द्रो की स्थापना की जा चुकी थी। ५४८ स्कूलो तथा ५,२१२ घरो मे टेलीविजन सेट है।

: १९ :

आयोजन

जनता के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने तथा उन्हे समृद्ध एव अधिक विविधतापूर्ण जीवन के लिए नये अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से १९५०-५१ मे देश ने एक सुनियोजित आर्थिक विकास की प्रणाली अपनाई। इसका उद्देश्य ३० वर्ष की अवधि के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इस उद्देश्य से क्रमिक पचवर्षीय योजना देश मे लागू की गई। योजना आयोग का गठन १९५० मे हुआ।

प्रथम दो योजनाएं

दो प्रथम पचवर्षीय योजनाए १९५१-५२ तथा १९५५-५६ मे लागू की गई। प्रथम पचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि, सिंचाई, विद्युत तथा यातायात पर विशेष जोर देकर देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए आधार तैयार करना था। इस योजना मे कुछ आधारभूत नीतियो के निर्धारण द्वारा समाज मे सुधार लाना भी था।

दूसरी पचवर्षीय योजना (१९५६-५७ से १९६०-६१) का उद्देश्य इस प्रक्रिया को आगे बढाने, विकास गति मे तीव्रता लाने और इस प्रकार की नीति का सूत्रपात करना था जो अर्थव्यवस्था मे आवश्यक सस्थागत परिवर्तन लाने मे सहायक सिद्ध हो। प्रथम दो पचवर्षीय योजनाओ मे कुल १०,११० करोड रुपये लगे। इनमे से ५,२१० करोड रुपये सार्वजनिक क्षेत्र मे तथा ४,९०० करोड रुपये निजी क्षेत्र मे लगे।

यद्यपि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई फिर भी अनुभव किया गया कि सब लोगो के लिए भूमि उपलब्ध नही है। अत अनिवार्यत कृषि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था को पूजी निर्माण के कार्य मे आगे नही बढाया जा सकता। दूसरी योजना मे अनुभव किया गया कि विकास पद्धति तथा सामाजिक सबधो की सरचना कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिससे न केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हो अपितु आय और सम्पत्ति मे विषमता घटती चली जाय।

तीसरी योजना

तीसरी योजना मे इसी दृष्टिकोण को आगे बढाया गया कि प्रत्येक नागरिक के लिए उस अच्छे जीवन की उपलब्धि हो जिसे देश समाजवादी या समाज के रूप मे पहले ही स्वीकार कर चुका था। इसके अनुसार तृतीय, चतुर्थ एव पचम योजनाओ के उद्देश्य क्रमश है (१) स्वावलम्बी आर्थिक-विकास की आधारशिला रखना, (२) रोजगार के साधन एव अवसर प्राप्त करना, (३) आर्थिक तथा सामाजिक विषमताए घटाते हुए पारिवारिक निम्नतम जीवनस्तर सुनिश्चत करना।

प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने की जो अवधि प्रारम्भ में १९७७ ७८ रखी गई थी वह दूसरी योजना के समय १९७३ ७४ कर दी गई। किन्तु जनसख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न दिक्कता को ध्यान में रखकर यह अवधि पुन १९७६ ७७ तक बढ़ा दी गई।

प्रथम द्वितीय और तृतीय योजनाए क्रमश २३५६ करोड ४८०० करोड तथा ७५०० करोड रुपये की बनाई गई थी। पहली योजना को काफी सफलता मिली परन्तु दूसरी योजना का काय सतोषप्रद नहीं रहा। तीसरी योजना का काम भी प्रत्यक्षत अच्छा नही है। इस पर ८६५ करोड रुपये खच हुए जो कि ७५०० करोड रुपये के मूल प्रावधान से काफी ज्यादा है। किन्तु मूल्यो के बढ जाने से इसका काफी बड़ा भाग निष्प्रभावी रहा। तीसरी योजना म गर सरकारी क्षेत्र म ४१० करोड रुपये लगने का अनुमान है।

तीन योजनाओ मे हुई प्रगति

प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओ की १५ वर्षों की अवधि म शुद्ध राष्ट्रीय आय ९८८ करोड रुपये से बढ़कर १५४४१ करोड रुपया (१९६० ६१ के मूल्यो पर) हो गई। इस प्रकार तीन पचवर्षीय योजनाओ म राष्ट्रीय आय म ६६ प्रतिशत वृद्धि हुई। यह वृद्धि ३८ प्रतिशत वार्षिक रही। प्रथम योजना म राष्ट्रीय आय ३४ प्रतिशत द्वितीय म ४ प्रतिशत और तीसरी योजना म २८ प्रतिशत की दर से बढी। तृतीय योजना के चतुथ वष म राष्ट्रीय आय १६२११ करोड रु० हो गई थी।

देखा जाय तो तृतीय योजना का सपूण काल सकटों से भरा हुआ था। १९६२ म चीनी आक्रमण के साथ ही योजनाओ पर सकट प्रारम्भ हुआ। १९६४ ६५ का वष कृषि उत्पादन की दृष्टि से सवश्रेष्ठ होने के कारण स्थिति सम्हली थी किन्तु तीसरी योजना के अन्तिम वष म सूखा तथा पाकिस्तानी आक्रमणो के कारण विशेष सकट आया। तीसरी योजना का सारा समय ही चीन तथा पाकिस्तानी आक्रमणो और विदेशी मुद्रा के अभाव का समय रहा।

राष्ट्रीय आय के हिसाब से तो विकास हुआ साथ साथ जनसख्या की वृद्धि भी काफी तीव्र रही तथा इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय म पूव अनुमानो के अनुसार वृद्धि नही हुई। वास्तव म १९६४ ६५ की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय काफी घट गई। तृतीय योजना के प्रारम्भ म प्रति व्यक्ति आय १० थी। १९६४ ६५ म यह ३३९ २ थी किन्तु ६५ ६६ म यह ३१५ ३ रह गई।

प्रथम तीन योजनाओ म कृषि उत्पादन सूचक अक १९५० ५१ (आधार वष) १ से बढ़कर १९६५ ६६ म १४४५ हो गया। १९६३ ६४ म यह अक १५० ६ था। औद्योगिक उत्पादन सूचक अक भी १९५६ (आधार वष) १ से बढ़कर १९६५ म १८७ हो गया। १९५० ५१ म उद्योगो द्वारा ३८४२० करोड रुपये का माल तयार हुआ था वहा १९६५ ६६ म १४३८ करोड रुपये का माल तयार हुआ। विद्युत उत्पादन म चार गुना वृद्धि हुई।

चतुथ योजना एव सकट

योजना आयोग ने विकास की दर म पयाप्त वृद्धि करके आर्थिक स्वावलम्बन की उपलब्धि म और समाजवादी समाज की ओर शीघ्रता से प्रगति करने म सहायक नीतियो के

आधार पर चौथी योजना का प्रारूप तैयार किया। चौथी योजना की तैयारी का काम १९६२ के पूर्वार्ध मे प्रारम्भ हो गया था। फरवरी १९६५ मे राष्ट्रीय योजना परिषद् की स्थापना हुई। इसके द्वारा किए गए अध्ययनो एव ज्ञापन के प्रकाश मे सारी स्थिति पर विचार करके १९६३-६४ के मूल्यो के अनुसार २१५०० करोड रुपये की व्यय व्यवस्था-वाली पुनरीक्षित योजना तैयार की गई। जिस समय इस पर अध्ययन और विचार विमर्श चल रहे थे, ६ जून १९६६ को रुपये का अवमूल्यन किया गया जिससे आर्थिक स्थिति मे बहुत बडा परिवर्तन आ गया। योजना के साधनो और प्राथमिकताओ की तथा उसकी व्यवस्था की पूरी जाच करना फिर से आवश्यक हो गया।

साधनो की अनिश्चतता को ध्यान मे रखते हुए जून ६६ के मूल्यो के आधार पर कुल २३,७५० करोड रुपये की व्यय व्यवस्था वाली न्यूनतम योजना प्रस्तावित की गई। जिसमे से १३ हजार ६०० करोड रुपये का निवेष सरकारी क्षेत्र मे, ७,७५० करोड रुपये का निवेष निजी क्षेत्र मे और २४०० करोड रुपये सरकारी क्षेत्र मे चालू व्यय व्यवस्था हेतु रखे गये।

इन सब कार्यो मे समय लगने और सितम्बर ६५ मे युद्ध के बाद कुछ विदेशी ऋणो के निलम्बित होने से चौथी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने मे देर हुई।

१९६६-६७ वार्षिक योजना

चौथी योजना के प्रथम वर्ष १९६६-६७ की वार्षिक योजना चौथी योजना की रूपरेखा तैयार होने के पूर्व ही तैयार कर ली गई। यह योजना आपतकाल की स्थिति मे तैयार करनी पडी थी अत चौथी योजना से इसका सबध इस प्रकार का नही था जैसा सामान्य स्थिति मे हो सकता था। १९६५-६६ के प्रबल सूखे की स्थिति पर भी ध्यान आवश्यक था। १९६६-६७ वर्ष की वार्षिक योजना मे सरकारी क्षेत्र मे निवेष २,०८२ करोड रुपये का था जो बाद मे बढकर २,२२१ करोड का हो गया।

१९६७-६८ वार्षिक योजना

चौथी योजनाओ को अन्तिम रूप देने मे समय लगने की सभावना थी अत १९६७ की वार्षिक योजना को भी चतुर्थ योजना से पूर्व तैयार कर लिया गया। यह योजना चौथी योजना के प्रारूप के अन्तर्गत निर्धारित नीतियो एव कार्यक्रमो के समस्त ढाचे के अन्तर्गत की गई। १९६७-६८ योजना की व्यय व्यवस्था सरकारी क्षेत्रो मे २,२४६ करोड रु० रखी गई।

१९६६-६७ व १९६७-६८ की वार्षिक योजनाओं के दौरान प्रगति

राष्ट्रीय आय मे १९६६-६७ के दौरान वृद्धि का मोटा अनुमान (१९६०-६१ के मूल्यो पर) ३ २ प्रतिशत है। इसके पूर्व वर्ष राष्ट्रीय आय मे ४ ८ प्रतिशत की कमी आई थी अत १९६६-६७ मे थोडी क्षति-पूर्ति हो जाने पर भी १९६४-६५ की स्तर की अपेक्षा राष्ट्रीय आय मे १ ६ प्रतिशत की कमी रही। कृषि उत्पादन १९६४-६५ के स्तर से १२ ५ कम रहा। जबकि अर्थव्यवस्था के शेष भाग मे उत्पादन इस स्तर से ७ २ प्रतिशत अधिक रहा १९६६-६७ मे प्रति व्यक्ति आय दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा ६ ५ प्रतिशत घट गई।

प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने की जो अवधि प्रारम्भ में १९७७ ७८ रखी गई थी वह दूसरी योजना के समय १९७३ ७४ कर दी गई। किन्तु जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न दिक्कता को ध्यान में रखकर यह अवधि पुन १९७६ ७७ तक बढ़ा दी गई।

प्रथम द्वितीय और तृतीय योजनाएं क्रमश २३५६ करोड़ ४८०० करोड़ तथा ७५०० करोड़ रुपये की बनाई गई थी। पहली योजना को काफी सफलता मिली परन्तु दूसरी योजना का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा। तीसरी योजना का काम भी प्रत्यक्षत अच्छा नहीं है। इस पर ८६ ० करोड़ रुपये खर्च हुए जो कि ७५०० करोड़ रुपये के मूल प्रावधान से काफी ज्यादा है। किन्तु मूल्यों के बढ़ जाने से इसका काफी बड़ा भाग निष्प्रभावी रहा। तीसरी योजना में गैर सरकारी क्षेत्र में ४१० करोड़ रुपये लगने का अनुमान है।

तीन योजनाओं में हुई प्रगति

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की १५ वर्षों की अवधि में शुद्ध राष्ट्रीय आय ९ ८५ करोड़ रुपये से बढ़कर १५ ४४१ करोड़ रुपया (१९६ ६१ के मूल्यों पर) हो गई। इस प्रकार तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय में ६९ प्रतिशत वृद्धि हुई। यह वृद्धि २ ८ प्रतिशत वार्षिक रही। प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय ३ ४ प्रतिशत द्वितीय में ४ प्रतिशत और तीसरी योजना में २ ८ प्रतिशत की दर से बढ़ी। तृतीय योजना के चतुर्थ वर्ष में राष्ट्रीय आय १६ २१९ करोड़ रु० हो गई थी।

देखा जाय तो तृतीय योजना का संपूर्ण काल संकटों से भरा हुआ था। १९६२ में चीनी आक्रमण के साथ ही योजनाओं पर संकट प्रारम्भ हुआ। १९६४ ६५ का वर्ष कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होने के कारण स्थिति सम्हली थी किन्तु तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में सूखा तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण विशेष संकट आया। तीसरी योजना का सारा समय ही चीन तथा पाकिस्तानी आक्रमणों और विदेशी मुद्रा के अभाव का समय रहा।

राष्ट्रीय आय के हिसाब से तो विकास हुआ साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि भी काफी तीव्र रही तथा इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में पूर्व अनुमानों के अनुसार वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में १९६४ ६५ की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय काफी घट गई। तृतीय योजना के प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति आय ३१० थी। १९६४ ६५ में यह ३३९ २ थी किन्तु ६५ ६६ में यह १५ ० रह गई।

प्रथम तीन योजनाओं में कृषि उत्पादन सूचक अंक १९५ ५१ (आधार वर्ष) १ ० से बढ़कर १९६५ ६६ में १८५ हो गया। १९६३ ६४ में यह अंक १५० ६ था। औद्योगिक उत्पादन सूचक अंक भी १९५६ (आधार वर्ष) १ ० से बढ़कर १९६५ में १८७ हो गया। १९५० ५१ में उद्योगों द्वारा ८४२० करोड़ रुपये का माल तैयार हुआ था वहां १९६५ ६६ में १४३८ करोड़ रुपये का माल तैयार हुआ। विद्युत उत्पादन में चार गुना वृद्धि हुई।

चतुर्थ योजना एवं संकट

योजना आयोग ने विकास का स्तर में पर्याप्त वृद्धि करके आर्थिक स्वावलम्बन की उपलब्धि में और समाजवादी समाज की ओर तीव्रता से प्रगति करने में सहायक नीतियों के

आधार पर चौथी योजना का प्रारूप तैयार किया। चौथी योजना की तैयारी का काम १९६२ के पूर्वार्ध मे प्रारम्भ हो गया था। फरवरी १९६५ मे राष्ट्रीय योजना परिषद् की स्थापना हुई। इसके द्वारा किए गए अध्ययनो एव ज्ञापन के प्रकाश मे सारी स्थिति पर विचार करके १९६३-६४ के मूल्यो के अनुसार २१५०० करोड रुपये की व्यय व्यवस्था-वाली पुनरीक्षित योजना तैयार की गई। जिस समय इस पर अध्ययन और विचार विमर्श चल रहे थे, ६ जून १९६६ को रुपये का अवमूल्यन किया गया जिससे आर्थिक स्थिति मे बहुत बडा परिवर्तन आ गया। योजना के साधनो और प्राथमिकताओ की तथा उसकी व्यवस्था की पूरी जाच करना फिर से आवश्यक हो गया।

साधनो की अनिश्चितता को ध्यान मे रखते हुए जून ६६ के मूल्यो के आधार पर कुल २३,७५० करोड रुपये की व्यय व्यवस्था वाली न्यूनतम योजना प्रस्तावित की गई। जिसमे से १३ हजार ६०० करोड रुपये का निवेप सरकारी क्षेत्र मे, ७,७५० करोड रुपये का निवेप निजी क्षेत्र मे और २४०० करोड रुपये सरकारी क्षेत्र मे चालू व्यय व्यवस्था हेतु रखे गये।

इन सब कार्यो मे समय लगने और सितम्बर ६५ मे युद्ध के बाद कुछ विदेशी ऋणो के निलम्बित होने से चौथी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने मे देर हुई।

१९६६-६७ वार्षिक योजना

चौथी योजना के प्रथम वर्ष १९६६-६७ की वार्षिक योजना चौथी योजना की रूपरेखा तैयार होने के पूर्व ही तैयार कर ली गई। यह योजना आपतकाल की स्थिति मे तैयार करनी पडी थी अत चौथी योजना से इसका सबध इस प्रकार का नही था जैसा सामान्य स्थिति मे हो सकता था। १९६५-६६ के प्रबल सूखे की स्थिति पर भी ध्यान आवश्यक था। १९६६-६७ वर्ष की वार्षिक योजना मे सरकारी क्षेत्र मे निवेप २,०८२ करोड रुपये का था जो बाद मे बढकर २,२२१ करोड का हो गया।

१९६७-६८ वार्षिक योजना

चौथी योजनाओ को अन्तिम रूप देने मे समय लगने की सभावना थी अत १९६७ की वार्षिक योजना को भी चतुर्थ योजना से पूर्व तैयार कर लिया गया। यह योजना चौथी योजना के प्रारूप के अन्तर्गत निर्धारित नीतियो एव कार्यक्रमो के समस्त ढाचे के अन्तर्गत की गई। १९६७-६८ योजना की व्यय व्यवस्था सरकारी क्षेत्रो मे २,२४६ करोड़ रु० रखी गई।

१९६६-६७ व १९६७-६८ की वार्षिक योजनाओं के दौरान प्रगति

राष्ट्रीय आय मे १९६६-६७ के दौरान वृद्धि का मोटा अनुमान (१९६०-६१ के मूल्यो पर) ३ २ प्रतिशत है। इसके पूर्व वर्ष राष्ट्रीय आय मे ४ ८ प्रतिशत की कमी आई थी अत १९६६-६७ मे थोडी क्षति-पूर्ति हो जाने पर भी १९६४-६५ की स्तर की अपेक्षा राष्ट्रीय आय मे १ ६ प्रतिशत की कमी रही। कृषि उत्पादन १९६४-६५ के स्तर से १२ ५ कम रहा। जबकि अर्थव्यवस्था के शेप भाग मे उत्पादन इस स्तर से ७ २ प्रतिशत अधिक रहा १९६६-६७ मे प्रति व्यक्ति आय दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा ६ ५ प्रतिशत घट गई।

चालू मूल्यो के आधार पर १९६५ ६६ म राष्ट्रीय आय का मोटा अनुमान २० २५० करोड रुपय था। १९६६ ६७ म राष्ट्रीय आय का मोटा अनुमान लगभग २२ ६० करोड रुपया होगा। १९६७ ६८ म राष्ट्रीय आय म पूव वष की अपेक्षा ९ प्रतिशत वद्धि हाने का अनुमान है। १९६७ ६८ म खाद्यान्नो का उत्पादन गत वष की अपेक्षा २६ ७ प्रतिशत अधिक आका गया है। औद्योगिक उत्पादन म भी १९६७ ६८ वष के उत्तराध म कुछ सुधार नजर आया। औद्योगिक उत्पादन १९६५ ६६ म २८ प्रतिशत ६६ ६७ म २८ प्रतिशत तथा ६७ ६८ म २ प्रतिशत गिरने का अनुमान है।

वार्षिक योजना १९६८ ६९

इसके दो पूव वर्षो की योजनाए १९६६ ७१ की चतुथ पचवर्षीय योजना प्रारूप के आधार पर बनी थी। योजना आयोग का पुनगठन सितम्बर १९६७ म हुआ। पुनर्गठित आयोग ने अनुभव किया कि काफी समय निकल जाने के कारण १९६६ ७१ की पचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य एव आधार बदल गए है। अत एक नयी चतुथ पचवर्षीय योजना तयार की जानी चाहिए जो १९६९ ७० म शुरू हो। योजना आयोग के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया। अत योजना आयोग नयी चतुथ पच वर्षीय योजना का तयार करने मे लग गया।

इसी विचार स १९६८ ६९ वष की योजना तयार की गई ताकि इस राज्य एव केन्द्र के वार्षिक बजटो म समन्वित किया जा सके। १९६८ ६९ की योजना २ ३५३ ४३ कराड रुपय की तयार की गई। १९६७ ६८ की योजना २ २४६ करोड रुपय की थी। जबकि इसके व्यय का अनुमान २ २०४ ६९ कराड था।

चतुथ योजना १९६९-७० से १९७४-७५

चतुथ योजना तयार करने का काम तेजी से जारी है। अलग अलग राज्यो स उनके पचवर्षीय योजनाओ के प्रारूप प्राप्त किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद न चतुथ योजना की क्रियान्विति हेतु राज्यो को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के आधार तय कर लिए हैं।

——

: २० :

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार—भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक अभूतपूर्व क्रान्ति—

- देश की ही नही अपितु विश्व की एकमात्र सफल बहुभाषीय समाचार समिति—
- समाचार पत्रो को उनकी अपनी भाषा मे समाचार उपलब्ध कराने वाली समाचार समिति—
- देवनागरी लिपि मे दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) सेवा प्रारम्भ करने वाली प्रथम समाचार समिति—
- देश की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा हिन्दी को प्रमुख रूप से सवाद प्रेषण का माध्यम बनाने वाली समाचार समिति—
- समाचार सेवाओ को राजनैतिक गतिविधियो तक सीमित न रख कर पूर्ण उत्साह, अभिरुचि एव प्रामाणिकता के साथ साम्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक समाचारो को प्रमुखता देने वाली समिति—
- क्षेत्रीय एव ग्रामीण समाचारो को प्रकाश मे लाने वाली प्रथम तथा एकमात्र सक्षम समाचार समिति—
- सहकारिता के आधार पर कार्यकर्त्ताओ द्वारा सचालित पत्रकार जगत की एकमात्र सफल सहकारी समाचार समिति—

ये है हिन्दुस्थान समाचार की कतिपय विशेषताए, जिनके आधार पर हर प्रकार के आर्थिक, व्यावसायिक, राजनैतिक या अन्य किसी प्रकार के निहित स्वार्थो के प्रभाव से पूर्णत मुक्त रहकर भी हिन्दुस्थान समाचार दृढतापूर्वक प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है। राष्ट्रीय जनभावनाये तथा जन-सहयोग इसका सबल है तथा कार्यकर्त्ताओ का परिश्रम इसकी गति।

हिन्दुस्थान समाचार—एक परिचय

१९४८ मे एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप मे हिन्दुस्थान समाचार एक नियमित सवाद समिति बनकर समाचार जगत मे अवतीर्ण हुआ। उस समय इसका प्रधान कार्यालय बम्बई मे था।

१९५७ के फरवरी मास मे हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्त्ताओ ने एक सहकारी समिति का गठन किया तथा उसी वर्ष जून मास मे प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से हिन्दुस्थान समाचार का प्रबन्ध इस सहकारी समिति ने अपने हाथो मे ले लिया।

पत्रकारिता जगत मे प्रवेश करते ही हिन्दुस्थान समाचार ने अनुभव किया कि हिन्दी

तथा अन्य प्रान्तीय भाषायी समाचारपत्रों का अंग्रेजी समाचार समितियों पर अतिशय निर्भरता इन समाचारपत्रों के विकास की सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि अंग्रेजी से अन्य भाषा में अनुवाद समय एवं श्रम लेना था ही अपव्यय है। ऐसी अनुभूति के साथ हिन्दुस्थान समाचार ने पत्रों को बहुभाषी सेवा प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराई जिसके फलस्वरूप हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समाचारपत्र अल्पावधि में ही लाभान्वित हुए।

बहुभाषीय समाचार प्रसारण में केवल समय एवं श्रम की ही बचत नहीं हुई अपितु राष्ट्रीय समाचारों की मौलिकता भी अक्षुण्ण रही जो कि अंग्रेजी समाचार समितियों के कारण दोहरे अनुवाद की अनिवार्यता से बहुत बड़ी सीमा तक नष्ट हो जाती थी।

हिन्दुस्थान समाचार ने प्रारम्भ में देश के पाँच प्रमुख नगरों बम्बई दिल्ली कलकत्ता नागपुर तथा पटना में अपने कार्यालय स्थापित किये। आज देश के सभी प्रमुख नगरों के अतिरिक्त नेपाल सिक्किम एवं भूटान में भी हिन्दुस्थान समाचार के शाखा कार्यालय हैं।

हिन्दुस्थान समाचार की प्रारम्भिक सामान्य अवस्था में देश भर के केवल ६ समाचारपत्रों ने आर्थिक योगदान देकर हमारी सेवायें स्वीकार कीं। हिन्दुस्थान समाचार आज देश में १०० से अधिक समाचारपत्रों को सवाद सेवा द्वारा लाभान्वित करता हुआ देश की एक प्रमुख संवाद समिति का स्थान प्राप्त कर चुका है। देश के क्षेत्रीय समाचारों का संकलन करने वाली यही एकमात्र राष्ट्रीय समाचार समिति है। देश भर में इसके २० शाखा कार्यालय तथा १०० से अधिक सम्वाददाता दिन रात परिश्रम कर समाचार संकलन एवं प्रेषण के कार्य में जुटे हुए हैं यह इसके विस्तृत फैलाव का प्रतीक है।

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार प्रसारणों के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवा लिया जाना क्षेत्रीय समाचारों के क्षेत्र में इस समिति की प्रमुखता और श्रेष्ठता का प्रतीक है।

१९५४ में हिन्दुस्थान समाचार ने दिल्ली एवं पटना के बीच देश में सर्वप्रथम देवनागरी दूरमुद्रक सेवा का प्रारम्भ कर भारत के समाचार जगत में एक राष्ट्रीय क्रान्ति का सूत्रपात किया। इस क्रान्ति को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद का हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त था। तब से अब तक हिन्दुस्थान समाचार कलकत्ता पटना लखनऊ दिल्ली जालन्धर चण्डीगढ़ जयपुर भोपाल इन्दौर नागपुर बम्बई पूना तथा वाराणसी को देवनागरी दूर मुद्रक सेवा द्वारा आपस में सम्बद्ध कर चुका है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रमुख नगरों से दिल्ली का सम्बन्ध टेलेक्स सेवा द्वारा स्थापित किया जा चुका है।

शिलांग गोहाटी कटक अहमदाबाद इम्फाल मेरठ अलीगढ़ व आगरा को दूर मुद्रक से जोड़ा जा रहा है।

प्रसंग लेख सेवा

हिन्दुस्थान समाचार ने भाषायी पत्रों के उपयोग के लिये जनवरी ६८ से प्रसंग लेख सेवा प्रारम्भ करके भाषायी पत्रकारिता की एक बड़ी कमी को दूर किया है।

यह लेख सेवा अब युगवार्ता नाम से सभी ग्राहक पत्रों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है तथा उसका प्रचुर उपयोग हो रहा है।

वार्षिकी

हिन्दुस्थान समाचार द्वारा गत तीन वर्षों से हिन्दी में हिन्दुस्थान वार्षिकी का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है। इस वार्षिकी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

योजना

- देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओ के समाचारपत्रो को उनकी ही भाषा मे पूर्ण समाचार सेवा उपलब्ध कराना। अभी तक हिन्दी, बगला, उडिया, मलयालम, कन्नड, पजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती तथा अग्रेजी मे समाचार देने की सफलता हिन्दुस्थान समाचार प्राप्त कर चुका है।
- देश के सभी प्रमुख नगरो को दूर-मुद्रक द्वारा एक-दूसरे से जोडना तथा ग्राहक पत्रो को शाखा कार्यालयो से दूर-मुद्रक द्वारा सम्बन्ध करना।
- प्रत्येक प्रान्त के सभी समाचारपत्र केन्द्रो को दूर-मुद्रक द्वारा प्रान्तीय राजधानी से सम्बद्ध करना।
- देश भर मे कम से कम पचायत समिति केन्द्रो तक सम्वाददाताओ का फैलाव।
- जिन विदेशो से अपना राष्ट्रीय हित जुडा हुआ है वहा की राजधानियो मे अपना शाखा कार्यालय स्थापित करना। विशेषकर पडोसी देशो बर्मा, इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाई-लैड, श्रीलका, सिगापुर, केन्या, मारीशस आदि मे हिन्दुस्थान समाचार के कार्य का विस्तार करना।

हिन्दुस्थान समाचार एक विशुद्ध राष्ट्रीय समाचार सस्था के रूप मे अपनी सेवाओ की आवश्यकता, उपादेयता व महत्ता का प्रमाण दे चुका है। यही कारण है कि देश मे शीर्षस्थ राजनैतिक, सामाजिक एव सास्कृतिक नेताओ का स्नेहमय आशीर्वाद इसे प्राप्त हो रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय

		दूरभाष संख्या
मुख्य कार्यालय	मडी हाउस, नई दिल्ली-१	४०६३१
शाखा कार्यालय ·		
दिल्ली	मडी हाउस, नई दिल्ली-१	४०७३६
उत्तर प्रदेश	न्यू मार्केट फ्लैट, विश्वेश्वरनाथ रोड, लखनऊ	२४२०१
	भगत सिह द्वार, आगरा	२८४८
बिहार	फ्रेजर रोड, पटना-१	२२४२१
प० बगाल	१२-ए, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड, कलकत्ता-१३	२४-२१६०
त्रिपुरा	रामनगर, रोड न० ७, अगरतल्ला	
उडीसा	श्रीरामचन्द्र भवन, कटक-२	१००४
असम	लासामिया, शिलाग	४१३
	उझान बाजार, गोहाटी	६१३३
पजाब	जी० टी० रोड, जालधर नगर	३५१४
	मकान न० ४०२, २२-ए, चण्डीगढ	३६५६
राजस्थान	न्यू कालोनी, एम० आई० रोड, जयपुर	७२६६५
जम्मू-कश्मीर	मो० गुजरान, जम्मू	५७६१
	रैनावाडी, श्रीनगर	

मध्यप्रदेश	३ हाथीखाना भोपाल	३५७७
महाराष्ट्र	२१ घोघा स्ट्रीट बम्बई १	२५ २०४८
	वेस्ट पार्क रोड धनतोली नागपुर १	२२६७६
	चित्रकुटी तिलक पथ पूना ६	५६७७४
गोआ	गवर्नमेंट कालोनी बेटोलेम पणजी	
गुजरात	१८ कलाविहार सोसायटी खानपुर अहमदबाद १	२३१३७
केरल	स्टेच्यू रोड त्रिवेंद्रम	३५७१
मद्रास	चिन्ताद्रिपेट मद्रास २	
मैसूर	शेषाद्रिपुरम बंगलौर २०	
आन्ध्र	सम्बाद कालोनी हैदराबाद	
नेपाल	पुतली सड़क काठमाडू	११२७६
सिक्किम	मेनरोड गंगटोक	

प्रबन्ध समिति के सदस्यगण

अध्यक्ष	१ श्री गंगाशरण सिंह संसद सदस्य।
उपाध्यक्ष	२ श्री वसंतकृष्ण श्रोक दिल्ली।
	३ श्री जयकिशन हरिवल्लभ दास अहमदाबाद।
मन्त्री	४ श्री बालेश्वर अग्रवाल दिल्ली (प्रबंध संपादक)।
कोषाध्यक्ष	५ श्री हरिदत्त पाठक दिल्ली (समाचार संपादक)।
सदस्य	६ श्री अक्षय कुमार जैन नवभारत टाइम्स दिल्ली।
	७ श्री सिद्धेश्वर प्रसाद उपमन्त्री भारत सरकार दिल्ली।
	८ श्री रतनलाल जोशी हिन्दुस्तान दिल्ली।
	९ श्री वेदप्रकाश कोहली एडवोकेट दिल्ली।
	१० श्री श्रामप्रकाश कुन्दरा हि० स० भोपाल (शाखा सम्पादक)।
	११ श्री श्यामसुन्दर आचार्य हि० स० जयपुर (शाखा सम्पादक)।
	१२ श्री अमरेन्द्रनाथ सिन्हा हि० स० कलकत्ता (शाखा-सम्पादक)।
	१३ श्री भूपतभाई पारख हि० स० अहमदाबाद (शाखा-सम्पादक)।
	१४ श्री ना० बा० लेले विशेष संवाददाता हि० स० दिल्ली।

परिशिष्ट

केन्द्रीय मंत्रिमंडल

१ श्रीमती इन्दिरा गाधी	—प्रधानमत्री तथा अणुशक्ति, योजना एव वैदेशिक-कार्य मत्री
२ श्री मोरारजी देसाई	—उपप्रधानमत्री तथा वित्तमत्री
३ श्री फखरुद्दीन अली अहमद	—औद्योगिक विकास तथा कम्पनी-कार्यमत्री
४ श्री यशवन्तराव चह्वाण	—गृह-कार्य मत्री
५ श्री जयसुखलाल हाथी	—श्रम तथा पुनर्वास मत्री
६ श्री जगजीवनराम,	—खाद्य तथा कृषि मत्री
७ श्री पनमपिल्लि गोविन्द मेनन	—विधि मत्री
८ श्री चे० मु० पुनाचा	—रेलवे मत्री
९ प्रो० वी० के० आर० वी० राव	—परिवहन तथा नौवहन मत्री
१० डा० एम० चन्ना रेड्डी	—इस्पात, खान तथा धातु मत्री
११ डा० त्रिगुण सेन	—शिक्षा मत्री
१२ श्री दिनेश सिंह	—वाणिज्य मत्री
१३ श्री के० के० शाह	—सूचना तथा प्रसारण मत्री
१४ डा० कर्ण सिंह	—पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मत्री
१५ डा० रामसुभग सिंह	—ससद्-कार्य तथा सचार मत्री
१६ सरदार स्वर्णसिंह	—प्रतिरक्षा मत्री
१७ श्री सत्यनारायण सिह	—स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मत्री

राज्यमत्री

१८ श्री भागवत झा आजाद	—शिक्षा मत्रालय मे राज्य मत्री
१९ श्री बलीराम भगत	—वैदेशिक-कार्य मत्रालय मे राज्यमत्री
२० डा० एस० चन्द्रशेखर	—स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मत्रालय मे राज्यमत्री
२१ श्री परिमल घोप	—रेलवे मत्रालय मे राज्यमत्री
२२ श्रीमती फूलरेणु गुह	—समाज कल्याण विभाग मे राज्यमत्री
२३ श्री आई० के० गुजराल	—ससद्-कार्य तथा सचार विभागो मे राज्यमत्री
२४ श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी	—खाद्य, कृपि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय मे राज्यमत्री
२५ श्री जगन्नाथ राव	—निर्माण, आवास तथा सम्भरण मत्री
२६ श्री ललितनारायण मिश्र	—प्रतिरक्षा मत्रालय मे (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मत्री
२७ श्री कृष्णचन्द्र पत	—वित्त मत्रालय मे राज्यमत्री

२८ श्री माता रघुरमया —पट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मत्रालय म राज्यमत्री

२९ डा० कु० न० राव —सिंचाई तथा विदयुत मत्री

श्री के वी० रघुनाथ रेड्डी —औद्योगिक विकास तथा कम्पनी काय मत्रालय म राज्यमत्री

१ श्री प्रकाशचन्द्र बी० सेठी —इस्पात खान तथा धातु मत्रालय म राज्यमत्री

२ श्री अन्नासाहब पा० शिन्दे —खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय म राज्यमत्री

श्री विद्याचरण शुक्ल —गृह-काय मत्रालय म राज्यमत्री

४ प्रो शेरसिंह —शिक्षा मत्रालय म राज्यमत्री

उपमत्री

३५ श्री भक्त दर्शन —परिवहन तथा नौवहन मत्रालय म उपमत्री

६ श्री मोहनलाल चतुर्वेदी —रेल मत्रालय म उपमत्री

७ श्री ना० रा० चह्वाण —श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मत्रालय म उपमत्री

८ श्रीमती जहाँआरा जयपालसिंह —पयटन तथा असनिक उड्डयन मत्रालय म उपमत्री

९ श्री एस० सी० जमीर —श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मत्रालय म उपमत्री

४० श्री म० र० कृष्ण —प्रतिरक्षा मत्रालय म उपमत्री

४१ डा (श्रीमती) सरोजनी महिषी —उपमत्री

४२ श्री ब० सू० मूर्ति —स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मत्रालय म उपमत्री

४ श्री मुहम्मद शफी कुरैशी —वाणिज्य मत्रालय म उपमत्री

४४ श्री के० एस० रामास्वामी —गृह-काय मत्रालय म उपमत्री

४५ श्री चौधरी रामसेवक —खान तथा धातु मत्रालय म उपमत्री

४६ श्री ज० बा० मुथ्याल राव —समाज कल्याण विभाग तथा पट्रोलियम और रसायन मत्रालय म उपमत्री

४७ श्री मुहम्मद यूनिस सलीम —वित्त मत्रालय म उपमत्री

४८ श्रीमती नन्दिनी सत्पथी —सूचना तथा प्रसारण मत्रालय म उपमत्री

४९ श्री सिद्धेश्वर प्रसाद —सिंचाई तथा विद्युत मत्रालय म उपमत्री

५० श्री भानुप्रकाश सिंह —औद्योगिक विकास तथा कम्पनी-काय मत्रालय म उपमत्री

५१ सरदार इकबाल सिंह —निर्माण आवास तथा पूर्ति मत्रालय म उपमत्री

५२ श्री सुरेन्द्रपाल सिंह —वैदेशिक काय मत्रालय म उपमत्री

संसद सदस्य (लोकसभा)

आन्ध्र

१ श्री ना० गो० रंगा (स्व०)
२ श्री विश्वासराय नरसिंह राव (स्व०)
३ श्री के० नारायण राव (का०)
४ श्री तेन्नटि विश्वनाथन् (असं०)
५ श्रीमती वी० राबावाई आनन्दराव (का०)
६ श्री मि० मु० मूर्ति (का०)
७. श्री मोसलिकन्टि तिरुमलराव (का०)
८ डा० दाटला सत्यनारायण राजू (का०)
९ श्री व० सू० मूर्ति (का०)
१० श्री दाटला बलराम राजू (का०)
११ श्री कोम्मरेड्डी सूर्यनारायण (का०)
१२ श्री मगन्ति आंकिनिड्डु (का०)
१३ डा० क० ल० राव (का०)
१४ श्री वाई० अंकीनीड् प्रसाद (का०)
१५ श्री के० जगैय्या (का०)
१६ श्री कोत्ता रघुरमैया (का०)
१७ श्री मददी सुदर्शनम (का०)
१८ श्री आर० दशरथ राम रेड्डी (का०)
१९ श्री व० अजन्प्पा (का०)
२० श्री सी० दास (का०)
२१ श्री एन० पी० सी० नायडु (का०)
२२ श्री पी० पार्थसार्थी (का०)
२३. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी (कम्यु०)
२४ श्री नीलम संजीव रेड्डी (अध्यक्ष)
२५ श्री पी० एन्थनी रेड्डी (का०)
२६ श्री वाई० गाडलिंगाना गौड (स्व०)
२७ श्री पें० वंकटासुब्बया (का०)
२८ श्री ज० व० मुत्यालराव (का०)
२९. श्री जे० रामेश्वरराव (का०)
३० डा० गोपाल मेलकोटे (का०)
३१ श्री बाकर अली मिर्जा (का०)
३२. श्री जी० वैंकटास्वामी (का०)
३३. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई (का०)
३४ श्री एम० नारायण रेड्डी (असं०)
३५ श्री पी० गंगा रेड्डी (का०)
३६ श्री म० र० कृष्ण (का०)
३७ श्री जुव्वाड रमापतिराव (का०)
३८ श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (का०)
३९. श्रीमती टी० लक्ष्मी-कान्तम्मा (का०)
४० श्री मु० यूनस सलीम (का०)
४१. श्री जी० एस० रेड्डी (का०)

आसाम

४२. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (का०)
४३ श्री निहार रंजन लास्कर (का०)
४४ श्री जी० जी० स्वैल (असं०)
४५ श्री जहानुद्दीन अहमद (प्रसोपा)
४६. रिक्त
४७ श्री फखरुद्दीन अली अहमद (का०)
४८ श्री धीरेश्वर कलिता (कम्यु०)
४९ श्री हेम बरुआ (प्रसोपा)
५०. श्री विजयचन्द्र भगवती (का०)
५१ श्री लीलाधर कटकी (का०)
५२ श्री वेदव्रत बरुआ (का०)
५३ श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ (का०)
५४ श्री विश्वनाराण शास्त्री (का०)
५५ श्री जोगेन्द्रनाथ हजारिका (का०)

विहार

५६ श्री माला राऊत (का०)
५७ श्री विभूति मिश्र (का०)
५८ श्री क० ना० तिवारी (का०)
५९ श्री प० द्वारकानाथ तिवारी (का०)
६० श्री मु० यूसुफ (का०)
६१ श्री रामशेखर प्र० सिंह (का०)
६२ श्री मृत्युंजय प्रसाद (का०)
६३ श्री कमला मिश्र मधुकर (कम्यु०)
६४ श्री बाल्मीकि चौधरी (का०)
६५ श्री दिग्विजय नारायण सिंह (का०)
६६ श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव (का०)
६७ श्री [illegible] (का०)
६८ श्री भोगेन्द्र झा (कम्यु०)
६९ श्री शिवचन्द्र झा (ससोपा)
७० श्री यमुना प्र० मण्डल (का०)
७१ श्री सत्यनारायण सिंह (का०)
७२ श्री [illegible] पासवान (ससोपा)
७३ श्री गुणानन्द ठाकुर (ससोपा)
७४ श्री [illegible] मंडल (प्रसो०)
७५ श्री तुलमोहन राम (का०)
७६ श्री [illegible] कपूर (प्रसोपा)
७७ श्री प० ना० [illegible] (का०)
७८ श्री सीताराम केसरी (का०)
७९ श्री [illegible] (का०)
८० श्री प्रमथ्यार [illegible] सिन्हा (का०)
८१ श्री म० [illegible] (का०)
८२ श्री [illegible] (ज०स०)
८३ श्री [illegible] (का०)
८४ श्री मधु लिमये (ससोपा)
८५ श्री [illegible] (का०)
८६ श्री [illegible] सिंह (ससोपा)
८७ श्री [illegible] (कम्यु०)
८८ श्री [illegible] प्रसाद (का०)
८९ [illegible] सिन्हा (का०)
९० [illegible] (कम्यु०)

९१ श्री बलिराम भगत (का०)
९२ श्री रामसुभग सिंह (का०)
९३ श्री शिवपूजन शास्त्री (प्रसo)
९४ श्री जगजीवन राम (का०)
९५ श्री मुद्रिका सिंहा (का०)
९६ श्री चन्द्रशेखर सिंह (कम्यु०)
९७ डा० सूर्यप्रकाश पुरी (प्रस०)
९८ श्री रामधनी दास (का०)
९९ श्रीमती विजयराजे (प्रस०)
१०० श्री इम्तियाजुद्दीन अहमद (का०)
१०१ रानी ललिता राज्य लक्ष्मी (प्रस०)
१०२ श्री एम० एस० ओवराय (भा०जा०)
१०३ श्री प्रशान्त कुमार घोष (का०)
१०४ श्री शिवचण्डिका प्रसाद (का०)
१०५ श्री बोलाई बरुआ (प्रस०)
१०६ श्री जगन्नाथ सिंह (का०)
१०७ श्री कार्तिक उराँव (का०)
१०८ कुमारी कमला कुमारी (का०)

गुजरात

१०९ श्री टी० एम० सेठ (का०)
११० महाराजा श्रीराज मयराजजी (स्व०)
१११ श्री मी० [illegible] मसानी (स्व०)
११२ श्री नारायण [illegible] (स्व०)
११३ श्री वीरेन शाह (स्व०)
११४ श्रीमती जयाबेन शाह (का०)
११५ श्री प्रमप्रसाद मेहता (का०)
११६ श्री आर० के० अमीन (स्व०)
११७ श्री इन्दुलाल याज्ञिक (प्रस०)
११८ श्री एम० एम० मारेठा (का०)
११९ श्री रामचन्द्र अमीन (स्व०)
१२० श्री [illegible] परमार (स्व०)
१२१ श्री मनुभाई अमरसी (स्व०)
१२२ श्री [illegible] (स्व०)
१२३ [illegible] राववा [illegible] परमार (का०)

१२४ श्री पीलू मोदी (स्व०)
१२५ श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी (स्व०)
१२६ श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (का०)
१२७ श्री पाशाभाई पटेल (स्व०)
१२८ श्री मनुभाई पटेल (का०)
१२९ श्री एम० वी० राणा (का०)
१३० श्री मोरारजी देसाई (का०)
१३१ श्री छ० म० केदरिया (का०)
१३२ श्री नानूभाई नि० पटेल (का०)

हरियाणा

१३३ श्री सूरजभान (ज०स०)
१३४ श्री एम० आर० शर्मा (का०)
१३५ श्री गुलजारीलाल नन्दा (का०)
१३६ श्री चौधरी रणधीर सिंह (का०)
१३७ श्री शेरसिंह (का०)
१३८ श्री अब्दुलगनी दार (अस०)
१३९ श्री गजराजसिंह राव (का०)
१४० श्री रामकृष्ण गुप्त (का०)
१४१ श्री चौधरी दलबीर सिंह (का०)

जम्मू तथा कश्मीर

१४२ श्री सैय्यद अहमद आगा (का०)
१४३ श्री गुलाम मुम्हमद बख्शी (अस०)
१४४ श्री मु० शफी कुरेशी (का०)
१४५ श्री कुशक बाकुला (का०)
१४६ डा० कर्ण सिंह (का०)
१४७ श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (का०)

केरल

१४८ श्री अ० कु० गोपालन (कम्यु० मा०)
१४९ श्री पट्टियम् गोपालन (कम्यु० मा०)
१५० श्री अरगिल श्रीधरन (ससोपा)
१५१ श्री अब्राहिम सुलेमान सेट (अस०)
१५२ श्री एम० मुहम्मद स्माइल (अस०)
१५३ श्री सी० के० चक्रपाणी (कम्यु०मा०)
१५४ श्री इ० के० नायनार (कम्यु० मा०)
१५५ श्री जनार्दनन (कम्यु०)
१५६ पनमपिल्लि गोविन्द मेनन (का०)
१५७ श्री वी०विश्वनाथ मेनन (कम्यु०मा०)
१५८ श्री पी० पी० एस्थोस (कम्यु०मा०)
१५९ श्री पी० के० वासुदेवन नायर (कम्यु०)
१६० श्री के० एम० अब्राहम (कम्यु०मा०)
१६१ श्रीमती सुशीला गोपालन (कम्यु० मा०)
१६२ श्री जी० पी० मगल-तुमडम (ससोपा)
१६३ श्री पी० सी० अदिचन (कम्यु०)
१६४ श्री नी० श्रीकान्तन नायर (अस०)
१६५ श्री के० अनिरुधन (कम्यु० मा०)
१६६. श्री पी० विश्वम्भरन (ससोपा)

मध्यप्रदेश

१६७. श्री आतम दास (अस०)
१६८ श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (अस०)
१६९. श्री रामअवतार शर्मा (अस०)
१७०. श्री जी० भा० कृपलानी (अस०)
१७१ श्री नाथूराम अहिरवार (का०)
१७२ श्री देवेन्द्र विजय सिंह (का०)
१७३ श्री एस० एन० शुक्ल (का०)
१७४ श्रीमती गिरजा कुमारी (का०)
१७५ महाराजा भानु प्रकाश सिंह (का०)
१७६ श्री बाबूनाथ सिंह (का०)
१७७ कुमारी रजनी देवी (का०)
१७८ श्रीमती मिनीमाता अगम-दास गुरु (का०)
१७९ श्री अ० सिं० सहगल (का०)
१८० श्री विद्याचरण शुक्ल (का०)
१८१ श्री लाखनलाल गुप्ता (का०)
१८२ श्री त्रिलोकशाह लाल प्रियेन्द्र शाह (ज०स०)

१८३ श्री भाडू सुन्दर नाल (असं०)
१८४ श्री विश्वनाथ यादव तामस्कर (का०)
१८५ रानी पद्मावती देवी (का०)
१८६ श्री चिंतामन राव गौतम (का०)
१८७ श्री म० ग० उ दे (का०)
१८८ डा० गोविन्द दास (का०)
१८९ श्री मणिभाई जावरभाई पटेल (का०)
१९० श्री रामसिंह भायरवाल (ज०म०)
१९१ श्री गौरीशंकर रामकृष्ण मिश्र (का)
१९२ श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे (का०)
१९३ श्री चौधरी नीतिराजसिंह (का०)
१९४ श्री जगन्नाथराव जोशी (ज० स)
१९५ श्री प० शिव शर्मा (अम०)
१९६ डा० बापूराव पन्त (ज० स)
१९७ श्री हुकुमचन्द कछवाय (ज स)
१९८ श्री प्रकाशचन्द भवरलाल सेठी (का०)
१९९ श्री भरतसिंह चौहान (ज० स)
२०० श्री गंगाचरण दीक्षित (का)
२०१ श्री मणिभूषण (का०)
२०२ श्री सूरसिंह (का०)
२०३ श्री रतनसिंह ... (ज म०)

मद्रास

२०४ श्री ... (द्र०मु०क०)
२०५ श्री ... (द्र० मु०क०)
२०६ श्री ... (द्र० मु क)
२०७ श्री ... (द्र० मु० क)
२०८ श्री ... (द्र मु०क)
२०९ डा० ... (द्र० मु० क०)
२१० श्री ... (द्र मु० क०)
२११ श्री ... (द्र मु क०)
२१२ श्री ... (द्र० मु क०)
२१३ श्री ... (द्र० मु क)
२१४ श्री वी० मायावन (द्र० मु० क०)
२१५ श्री देवीकन (द्र० मु० क०)
२१६ श्री एम० कमलनाथन् (द्र०मु०क०)
२१७ श्री के० राजाराम (द्र० मु० क०)
२१८ श्री कडप्पन (द्र० मु० क०)
२१९ श्री अवाजागन (द्र० मु० क०)
२२० श्री एम० के० नजा (स्व)
२२१ श्री के रमानी (कम्यु० मा०)
२२२ श्री वी० नारायण (द्र० मु० क०)
२२३ श्री सी० टी धंधापाणी (द्र० मु० क०)
२२४ श्री पी एम० स्वामीनाथन् (द्र मु० क०)
२२५ श्री एच० अजमल खां (स्व०)
२२६ श्री अम्बुसभियार (द्र० मु० क०)
२२७ श्री पी० राममूर्ति (कम्यु मा०)
२२८ श्री सी मुत्तस्वामी (स्व)
२२९ श्री वे० आनन्द नम्बियार (क०मा०)
२३० श्री एम० दुरायराजू (द्र० मु क०)
२३१ श्री आर० उमानाथ (कम्यु० मा०)
२३२ श्री ... सभियान (द्र० मु० क०)
२३३ श्री के० सुब्रवनू (द्र० मु क०)
२३४ श्री वी सरनियम (का०)
२३५ श्री एम० डा साममुन्दरम् (द्र० मु क)
२३६ श्री ... विरत्तिनम (द्र०मु०क०)
२३७ श्री एम० एम० मुहम्मद शरीफ (अम०)
२३८ श्री एम० पी० रामामूर्ति (स्व०)
२३९ श्री एस० ... (स्व०)
२४० श्री आर० एम० अम्मुगम (का०)
२४१ श्री ... (स्व०)
२४२ श्री ... नममानि (का०)

महाराष्ट्र

२४३ श्री ... (प्र० गा०)
२४४ श्रीमती ... मुकर्जी (का०)

२४५ श्री दत्तात्रेय काशीनाथ कुन्टे (अस०)
२४६ श्री जार्ज फर्नेन्डिस (स० सो०)
२४७ श्री श्रीपाद अमृत डागे (कम्यु०)
२४८ श्री रामचन्द्र ढोढिवा भडारे (का०)
२४६ श्री शान्तिलाल शाह (का०)
२५० श्रीमती तारा सप्रे (का०)
२५१ श्री सोनूभाई दागडू वसन्त (का०)
२५२ राजा यशवतराव भारतराव मुकाने (का०)
२५३ श्री भानुदास रामचन्द्र कावादे (का०)
२५४ श्री ज० म० काहनडोले (का०)
२५५ श्री तुकराम हूर्जी गवित (का०)
२५६. श्री चूडामण आनन्द पाटिल (का०)
२५७ श्री स० स० सैयद (का०)
२५८ श्री एस० आर० राने (का०)
२६६ श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरी (का०)
२६० श्री के० एम० अस्गार हुसैन (का०)
२६१ श्री कृष्ण गुलाव देशमुख (का०)
२६२ श्री अ० ग० सोनार (का०)
२६३ श्री नरेन्द्र रामचन्द्रजी देवघडे (का०)
२६४ श्री अशोक मेहता (का०)
२६५ श्री रामचन्द्र मार्तण्ड हाजरनवीस (का०)
२६६ श्री श्रीकृष्णराव माधोराव कौशिक (स्व०)
२६७ श्री कमलनयन वजाज (का०)
२६८ श्री देवराव एस० पाटिल (का०)
२६६ श्री वेकटराव तारोदेकर (का०)
२७० श्री तुलसीराम दशरथ (का०)
२७१ श्री शिवाजीराव श० देशमुख (का०)
२७२ श्री वे न जाधव (का०)
२७३ श्री भा दा देशमुख (का०)
२७४ श्री नाना रामचन्द्र पाटिल (कम्यु०)
२७५ श्री तुलसीराम आवजी पाटिल (कम्यु०)
२७६ श्री सू० र० दामानी (का०)
२७७ श्री तयप्पा हरि सोनावने (का०)
२७८ श्री अन्नतराव पाटिल (का०)
२७९ श्री अन्नासाहेव शिंदे (का०)
२८० श्री र के खाडिलकर (का०)
२८१ श्री एस एम जोशी (ससोपा)
२८२. श्री तुलसीदास जाधव (का०)
२८३. श्री यशवन्तराव चव्हाण (का०)
२८४. श्री दा० रा० चव्हाण (का०)
२८५. श्री ए० डी० पाटिल (का०)
२८६. महारानी विजयमाला राजाराम छत्रपति भोसले (अस०)
२८७. श्री शकरराव माने (का०)

मैसूर

२८८. श्री रामन्चद्र वीरप्पा (का०)
२८९. श्री महादेवप्पा रामपुरे (का०)
२९० श्री राजा वैकेटप्पा नायक (स्व०)
२९१ श्री एस० ए० अगाडी का०)
२९२ डा०वी०के०आर०वी० राव (का०)
२९३ श्री जे० एम० अमाय (स्व०)
२९४ श्री के० लकप्पा (प्र० सो०)
२९५ श्री मलि मरयाप्पा (का०)
२९६ श्री जी० वाई० कृष्णन (का०)
२९७ श्री एम० वी० कृष्णप्पा (का०)
२९८ श्री हनुमन्तैया (का०)
२९९ श्री एम० वी० राजशेखरम (का०)
३०० श्री एस० एम० कृष्ण (प्र०सो०)
३०१ श्री सिदय्या (का०)
३०२ श्री तुलसीदास दासप्पा (का०)
३०३ श्री चे० मु० पुनाचा (का०)
३०४ श्री जे० एम० लोवोप्रभु (स्व०)
३०५ श्री नुगेहाली शिवप्पा (स्व०)
३०६ श्री एम० द्रुचे० गोवडा (प्र०सो०)
३०७. श्री जे० एच० पटेल (स०सो०)
३०८. श्री दिनकर देसाई (प्र० सो०)
३०९ श्री फखरुद्दीन हुसैन साहव मोहसिन (का०)

३१० डा० सरोजिनी महिषी (का०)
३११ श्री एम० एन० नागनूर (का०)
३१२ श्री बी० शंकरानन्द (का०)
३१३ श्री एस० बी० पाटिल (का०)
३१४ रिक्त

नागालैंड

३१५ श्री एस० सी० जामीर (का०)

उड़ीसा

३१६ श्री मन्ना मजही (स्व)
३१७ श्री समरेन्द्र कुन्डु (प्र० सो०)
३१८ श्री धरणीधर जेना (स्व०)
३१९ श्री महीधर बेहरा (प्र०सो०)
३२० श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (प्र० सो०)
३२१ श्री श्रीनिवास मिश्र (प्र० सो०)
३२२ श्री रबी राय (स०सो०)
३२३ श्री चिंतामणि पाणिग्राही (का०)
३२४ श्री प्र... शर्मा (का०)
३२५ श्री जगन्नाथराव (का०)
३२६ श्री रामचन्द्र उलाका (का०)
३२७ श्री गणपति प्रधानी (का०)
३२८ महाराजा प्रताप केशरी देव (स्व०)
३२९ श्री धनंजय दास (स्व)
३३० श्री आर० आर० सिंहदेव (स्व०)
३३१ श्री एम० सुन्दर (का)
३३२ श्री श्याम सुन्दर (स्व)
३३३ श्री ए० सी० नायक (स्व०)
३३४ श्री राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह देव बहादुर (स्व)
३३५ श्री ई० एस० ... (स्व०)

पंजाब

३३६ सरदार ... (का०)
३३७ श्री ... (दम)
३३८ श्री ... एस० ... (का०)
३३९ श्री ... शर्मा (ज स)

३४० श्री डी० च० शर्मा (का०)
३४१ रिक्त
३४२ सरदार स्वर्णसिंह (का०)
३४३ चौधरी साधूराम (का०)
३४४ श्री देवेन्द्रसिंह (का०)
३४५ सरदार बूटासिंह (का०)
३४६ श्रीमती महेन्द्र कौर (का०)
३४७ सरदारनी निर्लेप कौर (अ०द०)
३४८ श्री विक्रर सिंह (अ०द०)

राजस्थान

३४९ श्री पन्नालाल बारूपाल (का०)
३५० डा० कर्णीसिंहजी (अ स०)
३५१ श्री आर० के० बिरला (अ०स०)
३५२ श्री एम० जी० साब (ज०स०)
३५३ महारानी गायत्री देवी (स्व०)
३५४ श्री नवलकिशोर शर्मा (का०)
३५५ श्री भोलानाथ मास्टर (का)
३५६ महाराजा ब्रिजइन्द्रसिंह (अद०)
३५७ श्री जगन्नाथ पहाडिया (का)
३५८ श्री एम० एन० मीना (स्व)
३५९ श्री विश्वेश्वर नाथ भार्गव (का०)
३६० श्री यमना लाल बार्वा (स्व)
३६१ श्री ओंकारलाल बरवा (ज०स)
३६२ श्री बजरंगसिंह (ज० स०)
३६३ श्री हीरजी भाई (का०)
३६४ श्री परमेश्वर मीना (का०)
३६५ श्री ओंकारलाल बोहरा (का०)
३६६ श्री रघुनन्दन व्यास (का०)
३६७ श्री सुरेन्द्र कुमार तापुरिया (स्व०)
३६८ श्री डी० एन० पाटोदिया (स्व०)
३६९ श्री अमृत नाहटा (का०)
३७० श्री नरेन्द्रकुमार साल्वी (का०)
३७१ श्री नरेन्द्रकुमार सांघी (स्व०)

उत्तर प्रदेश

३७२ महाराजा ... (का०)

३७३ श्री भक्तदर्शन (का०)
३७४ श्री ज व सिह विष्ट (का०)
३७५ श्री कृष्ण चन्द्र पन्त (का०)
३७६ स्वामी रामानन्द शास्त्री (का०)
३८७ मौलाना इशाक सम्भली (कम्यु०)
३७८ श्री ओमप्रकाश त्यागी (ज०स०)
३७९ नवावजादासैयद जुल्फिकार अली खा (स्व०)
३८० श्री ओकार सिंह (ज०स०)
३८१ श्रीमती सावित्री श्याम (कां०)
३८२ श्री बृजभूषण लाल (ज० स०)
३८३ श्री मोहन स्वरूप (प्र० सो०)
३८४ श्री प्रेम किशन खन्ना (का०)
३८५ श्री बालगोविन्द वर्मा (का०)
३८६ श्री जितेन्द्र बहादुर सिह (ज० स०)
३८७ श्री शारदा नन्द (ज० स०)
३८८ डा० सकटा प्रसाद (का०)
३८९ श्री किन्दर लाल (का०)
३९० श्री आनन्द नारायण मुल्ला (अस०)
३९१ श्रीमती गगा देवी (का०)
३९२ श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (का०)
३९३ श्रीमती इदिरा नेहरू गाधी (का०)
३९४ श्री दिनेश सिह (का०)
३९५ श्री विद्याधर वाजपेयी (का०)
३९६ श्री गणपत सहाय (का०)
३९७ श्री रामजी राम (अस०)
३९८ श्री रामकृष्ण सिन्हा (का०)
३९९ श्री बैजनाथ कुरील (का०)
४०० श्री राम सेवक यादव (स० सो०)
४०१ श्रीमती शकुन्तला नायर (ज० स०)
४०२ श्री करुण कृष्ण नायर (ज० स०)
४०३ श्री अटल विहारी वाजपेयी (ज० स०)
४०४ श्रीमती सुचेता कृपलानी (का०)
४०५ श्री शिव नारायण (का०)
४०६ श्री नारायण स्वरूप शर्मा (ज० स०)
४०७ मेजर रणजीत सिंह (ज० स०)
४०८ श्री मोलाहू प्रसाद (स०सो०)
४०९ महन्त दिग्विजय नाथ (अस०)
४१०. डा० महादेव प्रसाद (का०)
४११ श्री काशीनाथ पाण्डेय (का०)
४१२ श्री विश्वनाथ राय (का०)
४१३ श्री विश्व नाथ पाडेय (का०)
४१४ श्री चन्द्रिका प्रसाद (का०)
४१५ श्री झारखडे राय (कम्यु०)
४१६ श्री चन्द्र जीत यादव (का०)
४१७ श्री रामधन (का०)
४१८ श्री नागेश्वर द्विवेदी (का०)
४१९ श्री राजदेव सिह (का०)
४२० श्री शम्भू नाथ (का०)
४२१ श्री सरजू पाण्डेय (कम्यु०)
४२२ श्री निहाल सिह (स०सो०)
४२३ श्री सत्यनारायण सिह (कम्यु०मा०)
४२४ श्री राम स्वरूप (का०)
४२५ श्री वश नारायण सिह (ज० स०)
४२६ रिक्त
४२७ श्री हरि कृष्ण (का०)
४२८ श्री मसूरिया दीन (का०)
४२९ श्री सन्त वक्स सिह (का०)
४३० श्री जगेश्वर यादव (कम्यु०)
४३१ स्वामी ब्रह्मानन्द (ज०स०)
४३२ डा० सुशीला नायर (का०)
४३३ चौधरी राम सेवक (का०)
४३४ श्री तुला राम (का०)
४३५ श्रीमती सुशीला रोहतगी (का०)
४३६ श्री स० मो० बनर्जी (कम्यु०)
४३७ श्री अर्जुन सिह भदोरिया (स०सो०)
४३८ रिक्त
४३९ श्री अवदेश चन्द्र सिह (का०)
४४० श्री महाराज सिह (का०)
४४१ श्री मुशीर अहमद खा (का०)
४४२ श्री रोहन लाल चतुर्वेदी (का०)
४४३ श्री शिवचरण लाल (स० सो०)
४४४. सेठ अचल सिह (का०)

४४५ श्री गिरराज सरण सिंह (स्व०)
४४६ श्री नरदेव स्नातक (का०)
४४७ श्री शिव कुमार शास्त्री (प्रम०)
४४८ श्री राम चरण (प्र०सो०)
४४९ श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (का०)
४५० श्री प्रकाशवीर शास्त्री (प्रस०)
४५१ श्री महाराज सिंह भारती (स०सो०)
४५२ श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (प्रस०)
४५३ श्री लताफत अली खां (कम्यु०)
४५४ श्री गफूर अलीखां (स०सो०)
४५५ श्री सुंदर लाल (का०)
४५६ श्री यशपाल सिंह (प्रस०)

पश्चिमी बंगाल

४५७ श्री विनाय कृष्ण दास चौधरी (प्रस०)
४५८ श्री विरेन्द्र नाथ बर्मन (का०)
४५९ डा० (श्रीमती) मैत्रयी बोस (प्रस)
४६० श्री चपल कांत भट्टाचार्य (का०)
४६१ श्री जतीन्द्र नाथ प्रमाणिक (का०)
४६२ श्रीमती उमा राय (का)
४६३ हाजी लुतफुल हक (का०)
४६४ सयद बदरुद्दुजा (प्रस०)
४६५ श्री त्रिदिब चौधरी (प्रस)
४६६ श्रीमती इलापाल चौधरी (का)
४६७ श्री प्रमोद रंजन ठाकुर (प्रस०)
४६८ डा० रानेन सेन (कम्यु०)
४६९ श्री हुमायूं कबिर (प्रस)
४७० श्री चित्तरंजन राय (प्रस)
४७१ श्री कंसारी हाल्दर (कम्यु०)
४७२ श्री ज्योतिमय बसु (कम्यु मा)
४७३ श्री इन्द्रजीत गुप्त (कम्यु)
४७४ श्री मुहम्मद इस्माइल (कम्यु मा०)
४७५ श्री अशोक कुमार सेन (का)
४७६ श्री हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी (कम्यु)
४७७ श्री गणेश घोष (कम्यु० मा)
४७८ श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (का०)
४७९ श्री जगन्नाथ मन्न (का०)
४८० श्री विमल कांत घोष (का०)
४८१ श्री विजय मोदक (कम्यु० मा०)
४८२ श्री अमिय नाथ बोस (अग्र०)
४८३ श्री परिमल घोष (का०)
४८४ श्री स० च० सामंत (प्रम०)
४८५ श्री समर गुह (प्र०सो०)
४८६ श्री शचीन्द्र नाथ माइती (प्रस०)
४८७ श्री अमिय कुमार किस्कु (प्रस०)
४८८ श्री भजहरि महतो (अस०)
४८९ श्री जीतेन्द्र मोहन विश्वास (कम्यु०)
४९० डा० पशुपति मंडल (का०)
४९१ श्री भगवानदास (कम्यु० मा०)
४९२ श्री इवन सेन (स०सो०)
४९३ श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी (प्रस)
४९४ श्री द्वैपायन सेन (का०)
४९५ श्री अनिल कुमार चंदा (का०)
४९६ डा० शिशिर कुमार साहा (का०)

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

४९७ श्री के० आर० गणेश (का)

चण्डीगढ

४९८ श्री श्रीचंद गोयल (ज०स)

दादरा तथा नागर हवेली

४९९ श्री सजीभाई रूपजीभाई देलकर (का)

दिल्ली

५०० श्री मनोहर लाल सोंधी (ज स)
५०१ श्री बलराज मधोक (ज०स)
५०२ चौधरी ब्रह्मप्रकाश (का०)
५०३ श्री हरदयाल देवगुण (ज०स०)
५०४ श्री रामगोपाल शालवाले (ज स०)
५०५ श्री कंवरलाल गुप्ता (ज०स)
५०६ श्री रामस्वरूप विद्यार्थी (ज०स०)

गोआ, दमन और दीव

५०७ श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे (अस०)
५०८ श्री एरास्मी-डि स्क्वेरा (अस०)

हिमाचल प्रदेश

५०९ श्री वीरभद्र सिंह (का०)
५१० श्री प्रताप सिंह (का०)
५११ श्री प्रेमचन्द वर्मा (का०)
५१२ श्री हेमराज (का०)
५१३ श्री विक्रम चन्द महाजन (का०)
५१४ श्री ललित सेन (का०)

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह

५१५ श्री पदनाथ मुहम्मद सईद (अस०)

मणिपुर

५१६ श्री एम० मेघचन्द्र (कम्यु०)
५१७ श्री पोकाई हाओकिप (अस०)

पांडिचेरी

५१८ श्री एन० सेथुरामन (का०)

त्रिपुरा

५१९ श्री जे० के० चौधरी (का०)
५२० महाराजा माणिक्य बहादुर (का०)

*उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र

५२१ श्री डा० एरिंग (का०)

* आंग्ल भारतीय

५२२ श्री फ्रैंक एन्थनी (अस०)
५२३ श्री अ० ड० था० बेरो (अस०)

* राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित

राज्य सभा के सदस्य

आन्ध्र प्रदेश

क्रम नाम दल

१ श्री एम० वी० भद्रम (कम्यु०)
२ श्री जे० सी० नागीरेड्डी (का०)
३ श्री गुदमल हैनरी सैमुएल (का०)
४ श्री अकबरअली खां (का०)
५ श्रीमती सीता युद्धवीर (का०)
६ श्रीमती कोटा पुनैया (का०)
७ कु० एम० एल० मेरी नायडू (का०)
८ श्री एम० चन्ना रेड्डी (का०)
९ श्रीमती यशोदा रेड्डी (का०)
१० श्री चन्द्र मोली जगरल मोदी (स्व०)
११ श्री येगापुरेदी आदिनरायण रेड्डी (का०)
१२ श्री एम० श्रीनिवास रेड्डी (अस०)
१३ श्री नरला वेंकटेश्वर राव (का०)
१४ श्री के० पी० माली करजुनुडु (का०)
१५ श्री येला रेड्डी (कम्यु०)
१६ श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी (का०)
१७ श्री दामोदर सजीवैया (का०)
१८ श्री साडा नारायप्पा (का०)

असम

१९ श्रीमती उषा बरथाकुर (का०)
२० श्री महितोष पुरकायस्थ (का०)
२१ श्री बहरूल इस्लाम (का०)
२२ श्री गोलाप बरबोरा (समसोपा)
२३ श्री पूर्णानन्द चेटिया (का०)
२४ श्री एमरसिंग एम० सगमा (का०)
२५ श्री श्रीमन प्रफुल्लगोस्वामी (का०)

बिहार

२६ श्री सूरज प्रसाद (कम्यु०)
२७ चौधरी ए० मुहम्मद (का०)

१४८ श्री भूपेन्द्रसिंह (का०)
१४९ श्री गुरुमुखसिंह मुसाफिर (का०)

हरियाणा

१५० श्री जगतनारायण (भाक्रांद)
१५१ श्री नेकी राम (का०)
१५२ श्री भगवत दयाल (का०)
१५३ श्री कृष्ण कांत (का०)
१५४ श्री रिजक राम (का०)

राजस्थान

१५५ श्री एम० के० महता (स्व०)
१५६ श्री सुन्दरसिंह भंडारी (ज० सं०)
१५७ श्री देवीसिंह (स्व०)
१५८ डा० मंगलादेवी तलवार (का०)
१५९ श्री शान्ति जैन (का०)
१६० श्री [illegible] (का०)
१६१ श्री रामनिवास मिर्धा (का०)
१६२ श्री कुम्भाराम आर्य (भाक्रांद)
१६३ रिक्त
१६४ श्री [illegible] सिंह (का०)
१८२ श्रीमती सरला भदौरिया (स० सो०)
१८३ श्री रामसिंह (स्व०)
१८४ श्री टी० एन० सिंह (का०)
१८५ श्री उमाशंकर दीक्षित (का०)
१८६ श्री चन्द्रशेखर (का०)
१८७ श्री पृथ्वीनाथ (भाक्रांद)
१८८ श्री मानसिंह वर्मा (ज० सं०)
१८९ श्री राजनारायण (स० सो०)
१९० डा० जेड० ए० अहमद (कम्यु०)
१९१ श्री गौर मुरहारी (स० सो०)
१९२ श्री हीरावल्लभ त्रिपाठी (का०)
१९३ श्री एम० प्रसाद मदनी (का०)
१९४ श्री पण्डित श्यामसुन्दर नारायण तन्खा (का०)
१९५ श्री महावीर प्रसाद शुक्ला (का०)
१९६ श्री एम० पी० भार्गव (का०)
१९७ श्री [illegible] (का०)
१९८ श्री श्यामधर मिश्र (का०)

पश्चिम बंगाल

२१६ श्री गुलाम नबी यट् (का०)
२१७ श्री सय्यैद हुसैन (का०)
२१८ श्री तीर्थराम अमला (का०)

नागालैंड :

२१६ श्री मेल्हुप्रा चेरो (का०)

दिल्ली

२२० डा० भाई महावीर (ज०स०)
२२१ कुमारी शान्ता वशिष्ठ (का०)
२२२ श्री इन्द्रकुमार गुजराल (का०)

हिमाचल-प्रदेश .

२२३ श्री सी० एल० वर्मा (का०)
२२४ श्री सालीगराम (का०)
२२५ श्रीमती सत्यवती डांग (का०)

मणिपुर :

२२६ श्री सिनम कृष्णमोहन सिंह (कां०)

पाण्डिचेरी

२२७ श्री पी० अब्राहम (का०)

त्रिपुरा :

२२८. डा० त्रिगुण सेन (का०)

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत :

२२९. श्री एम० अजमत खाँ
२३० श्री एम० एन० कौल
२३१. श्री जी० रामचन्द्रन
२३२. श्री जयरामदास दौलतराम
२३३. श्री एम० सी० सितलवाड़
२३४. डाक्टर के० रमैया
२३५. श्रीमती शकुन्तला परांजपे
२३६. श्री गंगाशरण सिंह
२३७. डाक्टर एच० आर० बच्चन
२३८. डाक्टर जी० शंकर कुरुप
२३९. श्री जोकिम अलवा
२४०. श्री० सय्यैद नूरुल हुसैन

दलों के संक्षिप्त नाम

अकाली दल	=	=	अ० द०
भारतीय क्रान्ति दल	=	=	भाक्राद
कांग्रेस	=	=	कां०
कम्युनिस्ट	=	=	कम्यु०
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	=	=	कम्यु० मा०
द्रविड मुनेत्र कषगम	=	=	द्र० मु० क०
फारवर्ड ब्लाक	=	=	फा० ब्ला०
असम्बद्ध, निर्दलीय	=	=	[illegible]
जन कांग्रेस	=	=	ज० कां०
जनसंघ	=	=	ज० सं०
मुस्लिम लीग	=	=	मु० ली०
लोक सेवक दल	=	=	लो० से० द०
प्रजा समाजवादी पार्टी	=	=	प्रसोपा
रिपब्लिकन	=	=	रिप०
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	=	=	रि० सो० पा०
सम्पूर्ण महाराष्ट्र समिति	=	=	सं० म० स०
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी	=	=	संसोपा
स्वतन्त्र पार्टी	=	=	स्व०

विज्ञापनदाताओं की सूची

३३	म० प्र० पचायत एव समाज सेवा सचालालय	भोपाल	३०६
३४	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इडिया	सिंधरी	३०७
३५	स्टेट बक आफ इडिया	नई दिल्ली	३०८
३६	म० प्र० केसरवानी शिक्षा समिति	जबलपुर	३०८
३७	बिहार राज्य सहकारिता भूमि बधक बक	पटना	३३१
३८	गुजरात राज्य सहकारिता भूमि बन्धक बक लिमिटेड	अहमदाबाद	३३२
३९	विदर्भा प्रीमियर को आपरेटिव		
	हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड	नागपुर	३३२
४०	सुदर्शन ट्रेडिग क० लिमिटेड	मद्रास	३३३
४१	कृष्णराम बलदेव बक लिमिटेड	ग्वालियर	३३४
४२	श्री नरकेसरी प्रकाशन लिमिटेड	नागपुर	३५४
४३	गोआ दमन डियू	पणजी-गोआ	३३४
४४	अमर मशीन टूल्स (प्रा०) लिमिटेड	लुधियाना	३५४
४५	वक्युम प्लाट एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट क० लि०	पूना	३७६
४६	बरार आयल इडस्ट्रीज लि०	अकोला	३८०
४७	मका प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली	३८०
४८	भारत बामस एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०	कलकत्ता	३८१
४९	खरे एण्ड तारकुण्ड	नागपुर	३८२
५०	शिब्बू मेटल वर्क्स	जगाधरी	३८२
५१	सिंधिया स्टीम नेवीगेशन क० लि०	बम्बई	३८३
५२	जगतजीत डिस्टिलिंग एण्ड एलाइड इडस्ट्रीज	नई दिल्ली	३८४
५३	शामली नगरपालिका	शामली	३९७
५४	म० प्र राज्य सहकारी भूमि विकास बक	जबलपुर	३९७
५५	रामनुगर केन एण्ड सुगर क० लि	कलकत्ता	३९८
५६	द नेशनल इडिया रबड वर्क्स लिमिटेड	कटनी	३९८
५७	सेन्ट्रल इडिया फ्लोर मिल्स	भोपाल	३९८
५८	अलोका ग्लास वर्क्स	कलकत्ता	३९८
५९	म० प्र० राज्य विद्युत परिषद्	जबलपुर	३९९
६०	सतना सीमेन्ट वर्क्स	सतना	४००
६१	सेल्स एण्ड इडस्ट्रीज (प्रा) लिमिटेड	कलकत्ता	४ ०
६२	रवी कमीकल्स (प्रा) लिमिटेड	कलकत्ता	४००
६३	ट्रेडिंग इजीनियरज	नई दिल्ली	४०१
६४	बिहार राज्य विद्युत परिषद्	पटना	४०२
६५	यूनिवर्सल केबल्ज लिमिटेड	सतना	४ २
६६	आय वर्कशाला	कोट्टायम	४२३
६७	असम सरकार	शिलाग	४२४
६८	मध्य प्रदेश सरकार	भोपाल	४२४
६९	भार इडस्ट्रीज	बम्बई	४२५
७०	प बगाल सरकार	कलकत्ता	४२६